वार्षिक रिपोर्ट
2012-13

भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष

प्रसारण

सामुदायिक रेडियो

एफएम तीसरा चरण

प्रेस तथा सूचना

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

okf"kd fjiksVZ

2012-2013

GENESIS
Concept, Design & Print by: GENESIS 98100 33682
genesisadvt@hotmail.com

सत्यमेव जयते

lwpuk vkSj izlkj.k ea=ky;
Hkkjr ljdkj

okf"kZd fjiksVZ
2012-2013

अनुक्रम

	वर्ष के दौरान विशिष्ट उपलब्धियां	6
1	एक झलक	14
2	मंत्रालय की भूमिका तथा कार्य	18
3	नई पहलें	24
4	सूचना क्षेत्र की गतिविधियाँ	30
5	प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियाँ	94
6	फिल्म क्षेत्र की गतिविधियाँ	192
7	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	242
8	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण	248
9	सेवाओं में विकलांगों का प्रतिनिधित्व	252
10	हिन्दी का राजभाषा के रूप में अनुप्रयोग	258
11	महिला कल्याण गतिविधियाँ	262
12	सतर्कता संबंधी मामले	266
13	नागरिक घोषणा पत्र और शिकायत समाधान तंत्र	270
14	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले	274
15	लेखांकन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा	278
16	नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	282
17	कैट के फैसलों/आदेशों का पालन	286
18	योजना परिव्यय	290
19	मीडिया इकाई–वार बजट	306
20	मंत्रालय के पदनाम	312
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सांगठनिक ढांचा	314
	सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाईयों की वेबसाइट्स	318
21	सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी)–2011–2012	320

भारत सरकार के 2013 के कलैंडर का लोकार्पण

वर्ष के दौरान विशिष्ट उपलब्धियाँ

सूचना स्कंध

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सितंबर 2012 में अपना यूट्यूब चैनल आरंभ किया। मंत्रालय ने एक ब्लाग के साथ अपने फेसबुक और टिव्टर एकाउंट्स भी प्रारम्भ किए। मंत्रालय और सरकार की पहल को इन माध्यमों से प्रस्तुत किया जा रहा है।

- वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम ने नई दिल्ली में 8 अक्तूबर, 2012 को नेशनल मीडिया सेंटर में वार्षिक आर्थिक सम्पादक सम्मेलन (ईईसी–2012) का उद्घाटन किया। इस द्वि–दिवसीय सम्मेलन का आयोजन सात विभिन्न सत्रों में किया गया जिनमें वित्त, कृषि, रेलवे, सड़क परिवहन, ऊर्जा, कार्पोरेट मामलों, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी, घरेलू विमानन, पैट्रालियम और प्राकृतक गैस आदि नौ मंत्रालयों से जुडे. मुद्दे शामिल किये गये।

- भारतीय जन संचार संस्थान के दो नये क्षेत्रीय केन्द्रों ने अगस्त 2012 से जम्मू (जम्मू और कश्मीर) और कोट्टायम (केरल) में काम करना आरंभ कर दिया है।

- पत्र सूचना कार्यालय ने अपनी वेबसाइट pib.gov.in के मोबाइल संस्करण के जरिये मोबाइल फोन उपभोक्ताओं तक अपनी विषय–वस्तु को सुगमता से पहुँचाना आरंभ कर दिया हैं।

- प्रकाशन विभाग ने अपने ग्राहकों के लिए रोजगार समाचार के तीनों भाषाओं (अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू) के ई–संस्करण प्रारंभ कर दिए हैं।

- यूपीए II सरकार के तीन वर्ष पूरे होने पर मई 2012 में इसकी उपलब्धियों को 'रिपोर्ट टू द पीपुल' के जरिए विशेष रूप से दर्शाया गया।

- प्रेस और सूचना के क्षेत्र में विचारों के आदान–प्रदान में द्वि पक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों की खोज करने के उददेश्य से भारत सरकार और बेलारुस के बीच 14.11.2012 को नई दिल्ली मे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गये।

जन सूचना अवसंरचना एवं नवाचार विषयों पर योजना आयोग में प्रध ाानमंत्री के सलाहकार श्री सैम पित्रोदा से विशेष मान्यता पुरस्कार प्राप्त करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव उदय कुमार वर्मा। यह पुरस्कार ब्रॉडकास्ट इंजिनियरिंग सोसायटी (भारत) की ओर से आयोजित बीईएस (भारत) एक्सपो 2013 तथा भूस्थैतिक एवं उपग्रह प्रसारण पर 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के दौरान प्रदान किया गया। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी भी उपस्थित थे।

सूचना और प्रसारण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी नई दिल्ली में 29 जनवरी 2013 को ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग सोसाइटी (ईंडिया) एक्सपो–2013 और बीईएस (इंडिया) द्वारा आयोजित 19वें अंतर्राष्ट्रीय भूस्थैतिक और उपग्रह प्रसारण सम्मेलन तथा प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर दीप प्रज्वलित करते हुए। जनसूचना अवसंरचना पर प्रधानमंत्री के सलाहकार और राष्ट्रीय नवाचार परिषद के अध्यक्ष श्री सैम पित्रोदा और सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

प्रसारण स्कंध

- चार महानगरों में से तीन – दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में 31 अक्तूबर 2012 से डिजिटल संबोधन प्रणाली (DAS) आरंभ कर दी गई है जिससे डिजिटल परिवर्तन का कार्य और आसान हो गया है। 31 अक्तूबर 2012 की आधी रात को दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में प्रसारकों और बहु प्रणाली प्रचालकों (MSOs) के द्वारा एनालॉग केबल टेलीविजन सिग्नल बन्द कर दिये गये। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के द्वारा प्रदत्त अंतरिम रोक के कारण चैन्नई में एनालॉग केबल टीवी संकेतों को जारी रहने दिया गया।

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी नेटवर्क नियम 1995 को संशोधित कर दिया है और बहु प्रणाली प्रचालकों तथा केबल ऑपरेटरों के लिए केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या प्राधिकृत प्राधिकारी या केन्द्र सरकार की किसी एजेन्सी के द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

- मंत्रालय और सामुदायिक रेडियो से जुडी संस्थाओं के बीच सीधा संवाद सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने एक फेसबुक पेज 'कम्युनिटी रेडियो इंडिया' आरंभ किया है, जिसका पता हैः www.facebook.com/communityradioinda

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों और केबल टीवी नेटवर्क नियम 1994 के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने 09 अगस्त 2012 को सभी टेलीविजन चैनलों को जरूरतमंद बच्चों की देखभाल, सुरक्षा एवं कानूनी मामलों में उलझे किशोरों की पहचान और संरक्षण के बारे में निर्देश जारी किये हैं।

- प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) की वित्तीय पुनर्रचना के बारे में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्ताव को केन्द्रीय मंत्रीमंडल ने 14 सितम्बर 2012 को मंजूरी प्रदान की। प्रसार भारती पर यह प्रस्ताव गृह मंत्री की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह की सिफारिश पर आधारित था।

- डिजिटाइजेशन की प्रगति की निगरानी करने और प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए, मंत्रालय ने एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरु किया है और आंकडों के संग्रहण के लिए अपनी वेबसाईट को सक्षम बनाया है। इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए बहु प्रणाली ऑपरेटर्स मंत्रालय की वेबसाइट पर डाटा अपलोड कर सकते हैं।

- आर्थिक मामलों संबंधी केबिनेट समिति ने 14 सितम्बर 2012 को ''प्रसारण क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों में विदेशी निवेश नीति की समीक्षा'' के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी गोवा में भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर पौलेंड के फिल्म निर्देशक श्री क्रिस्तोफ ज़ानुसिअट को 'लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित करते हुए। इस अवसर पर गोवा के राज्यपाल श्री भरतवीर वांचू, मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर और सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा भी उपस्थित थे।

फिल्म स्कंध

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यू–ट्यूब के जरिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2012 के उद्‌घाटन और समापन समारोह का पहली बार सजीव प्रसारण किया। समारोह के दो सौ से अधिक वीडियो को यू–ट्यूब पर अपलोड किया गया है जिसे 17,000 से भी अधिक लोगों ने देखा।

- भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक झांकी का गणतंत्र दिवस समारोह–2013 में मनोरम प्रदर्शन किया गया। झांकी में एक मयूरपंखी नाव दिखायी गयी थी जो भारतीय सिनेमा को राष्ट्र की सामूहिक कल्पना का वाहक होने की प्रतीक थी। इस नौका पर सेल्युलायड की विशाल पालें भारतीय निर्देशकों की सर्जना शक्ति को प्रदर्शित कर रही थी। राजपथ परयात्रा के दौरान इस मयूरपंखी नौका से एक मिनट की संगीत लहरी भी वातावरण में गूंज रही थी। इस आयोजन में आवाज सुप्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता इरफान खान की थी।

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से परामर्श के बाद अपनी अधिसूचना में सुधार पर सहमति दे दी है कि फिल्मों में धूम्रपान दृश्यों को दिखाते समय फिल्म उद्योग के द्वारा जरूरी एहतियाती उपाय किये जाएंगे।

- 59वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 3 मई 2012 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय ने विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत लगभग 100 पुरस्कार विजेताओं को फीचर और गैर फीचर दोनो श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार वितरित किए। वर्ष 2011 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार सुप्रसिद्ध बांग्ला फिल्म अभिनेता श्री सौमित्र चटर्जी, को प्रदान किया गया।

- किसी बोली में बनी पहली फिल्म 'ब्यारी' को सर्वश्रेष्ठ फिल्म वर्ग में पुरस्कार मिला। फिल्म ''ब्यारी'' ने सार्क फिल्म समारोह 2012 में कांस्य पदक प्राप्त किया था।

- राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान भारतीय सिनेमा के शताब्दी समारोहों का विधिवत् शुभारंभ किया गया। यह निर्णय लिया गया कि हर वर्ष 3 मई को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे। 1913 में इसी दिन भारत की पहली मूक की फीचर फिल्म ''राजा हरिश्चंद्र''मुम्बई के कोरोनेशन सिनेमा में दिखाई गयी थी।

- भारत और पोलेंड के बीच फिल्मों के क्षेत्र में सहयोग बढाने के लिए तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी और पोलेंड के संस्कृति और राष्ट्रीय धरोहर मंत्री श्री बी.जड़रोजेवस्की ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

- भारत और रूस के बीच राजनायिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे होने पर फिल्म समारोह निदेशालय ने 13–15 अप्रैल 2012 तक मास्को में और 17–22 अप्रैल 2012 तक सेंट पीटर्सबर्ग में फिल्में दिखाने की व्यवस्था की।

- भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने मैक्स मूलर भवन, अलायंस फ्रांसे, पुणे और ब्रिटिश कांउसिल के साथ मिलकर 3–9 अप्रैल 2012 के दौरान यूरोपीय फिल्म समारोह आयोजित किया।

- बाल फिल्म समिति, भारत की फिल्म 'गट्टू' को लॉस एंजल्स में आयोजित भारतीय फिल्म समारोह के दौरान अंतर्राष्टीय जूरी ने ''विशेष उल्लेख प्रमाण पत्र'' और ''दर्शक पुरस्कार'' प्रदान किया । न्यूयार्क भारतीय फिल्म समारोह 2012 में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। बाल फिल्म समिति, भारत ने 20 जुलाई 2012 का इस फिल्म का सार्वजनिक प्रदर्शन शुरू किया।

- भारतीय सिनेमा और पर्यटन मंत्रालय के 'अतुल्य भारत' अभियान को बढ़ावा देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 16 से 26 मई 2012 तक कॉंस फिल्म समारोह के दौरान भारतीय मण्डप की स्थापना की।

- फिल्म समारोह निदेशालय ने 1 से 10 जून 2012 तक नई दिल्ली में राष्ट्रीय फिल्म समारोह

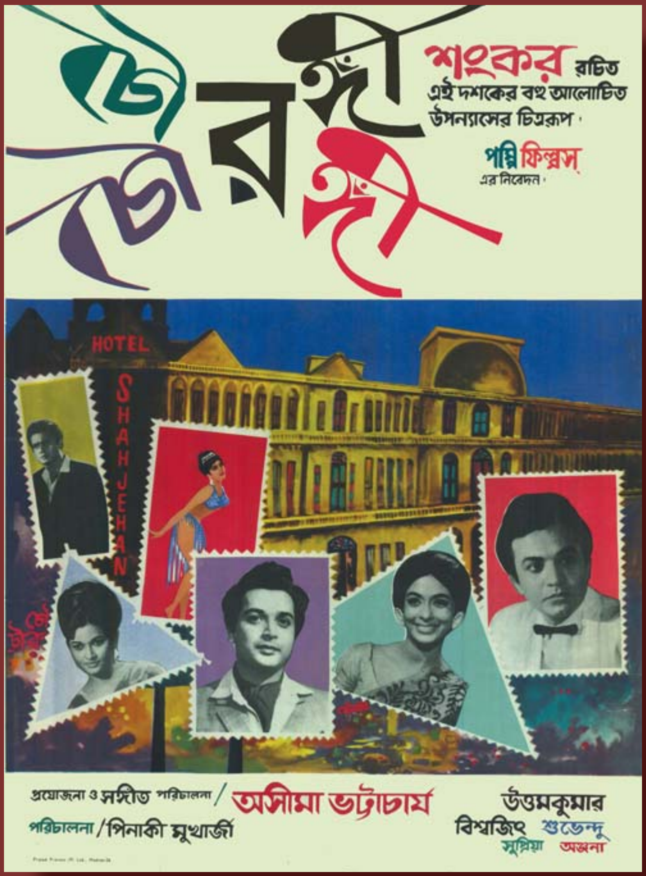

– 2012 का आयोजन किया। समारोह के दौरान 59वें राष्ट्रीय फिल्म समारोह में पुरस्कृत 24 फीचर फिल्में और 21 अन्य फिल्में दिखाई गई। समारोह का उद्घाटन सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता, फिल्म –समालोचक और भारत में फिल्म सोसायटी आंदोलन की पथ प्रदर्शक सुश्री विजया मुले ने किया।

- फिल्म समारोह निदेशालय ने नई दिल्ली में 18–20 अगस्त, 2012 के दौरान प्रख्यात अभिनेता राजेश खन्ना की फिल्मों के पुनरावलोकन का आयोजन किया गया।

- भारतीय सिनेमा की शताब्दी के सिलसिले में 24–26 अगस्त 2012 तक पुड्डुचेरि सरकार के सहयोग से एक समारोह का आयोजन किया गया। फिल्म समारोह निदेशालय ने पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स के साथ भी 25 अगस्त, 2012 को नई दिल्ली में फिल्म समारोह आयोजित किया। फिल्म समारोह निदेशालय ने 24 जुलाई से 19 अगस्त 2012 के दौरान ब्रासीलिया (ब्राजील) में भावा फिल्म समारोह में भाग लिया। यहाँ 34 फिल्में दिखाई गई।

- भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे के तीन विद्यार्थियों ने फ्यूजीफिल्म – इंद्रधनुष फिल्म स्कूल प्रतियोगिता में सिनेमेटोग्राफी पुरस्कार जीता।

- फिल्म क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाने के लिए तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी ने स्पेन के विदेश मंत्री श्री जोस ग्रेशिया मारगेलो वाई. मरफिल के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। समझौते में दोनों देशों के बीच श्रव्य – दृश्य क्षेत्र में आपसी सहयोग बढाने के लिए कानूनी ढांचा स्थापित करने का प्रावधान है।

- भारतीय सिनेमा के शताब्दी समारोहों के सिलसिले में फिल्म समारोह निदेशालय ने 18–21 अक्तूबर 2012 के दौरान बैंकाक में पहला भारतीय शताब्दी फिल्म समारोह आयोजित किया। समारोह के दौरान दस फिल्मों को दिखाया गया जिसमें पहली भारतीय फीचर फिल्म राजा हरिश्चन्द्र भी शामिल थी। निदेशालय ने ताइवान और फिजी फिल्म समारोह में भी भाग लिया।

- मंत्रालय ने 20–30 नवम्बर 2012 के दौरान गोवा में 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आयोजित किया। जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि थे। समारोह में ऑस्कर पुरस्कार विजेता अंग्रेजी फिल्म ''लाइफ ऑफ पाई'' पहली फिल्म थी और मीरा नायर की ''दि रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट'' अंतिम फिल्म थी। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2012 के अवसर पर सुप्रसिद्ध पोलिश फिल्म निर्माता रिजस्तॉफ जनूस्सी को प्रतिष्ठित 'लाईफ टाईम अचीवमेंट अवार्ड' से सम्मानित किया गया। गुरविन्दर सिंह की फिल्म 'अन्हे घोड़े का दान' के लिए स्वर्ण मयूर और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए क्यूवान जीओन को रजत मयूर पुरस्कार मिला।

आर्थिक स्कंध

- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की क्षेत्रीय नवाचार परिषद ने (जिसकी अध्यक्ष श्रीमती आशा स्वरूप, पूर्व सचिव, भारत सरकार थी) अपनी रिपोर्ट तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी को 26 जुलाई 2012 को प्रस्तुत की। परिषद ने प्रसारण, फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग और प्रिंट मीडिया, विज्ञापन और मीडिया शिक्षा के क्षेत्रों से संबंधित 64 मुख्य सिफारिशें की हैं।

- मंत्रालय ने ई–आफिस परियोजना आरंभ की है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सभी कर्मचारियों को उपलब्ध कराये गये हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के खाका तैयार किया गया है और सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गयी हैं।

गीत और नाटक प्रभाग द्वारा 'जमुनिया' नृत्य–नाटिका की मनोरम प्रस्तुति

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

अध्याय 1

एक झलक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म, मुद्रण एवं मुद्रित प्रकाशन, विज्ञापन तथा संचार के परंपरागत माध्यमों जैसे नृत्य तथा नाटक आदि के द्वारा लोगों को सूचना प्रदान करने में प्रभावकारी भूमिका निभाता है। मंत्रालय विभिन्न आयु–समूह के लागों की मनोरंजन संबंधी जरूरतों को पूरी करता है तथा राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य संबंधी देखभाल और परिवार कल्याण, निरक्षरता उन्मूलन और महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के दूसरे वर्गों से संबंधित मुद्‌दों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। मंत्रालय चार स्कंधों में विभाजित है –सूचना स्कंध, प्रसारण स्कंध, फिल्म स्कंध और एकीकृत वित्त स्कंध । मंत्रालय 21 मीडिया इकाइयों/संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के माध्यम से कार्य करता है। मंत्रालय का मुख्य सचिवालय सचिव की देखरेख में कार्य करता है जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, एक अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, एक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, चार संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, तथा एक मुख्य लेखा नियंत्रक हैं। मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों में 17 पद निदेशक/उप सचिव स्तर के, 25 अवर सचिव स्तर के (उप–निदेशक (ईडब्ल्यू) एवं उप–निदेशक (राजभाषा) सहित), एक वरिष्ठ पीपीएस, 5 पीपीएस, 38 अन्य राजपत्रित तथा 271 गैर–राजपत्रित स्तर के हैं।

सूचना स्कंध संयुक्त सचिव (नीति एवं प्रशासन) के अधीन मुद्रण एवं प्रिन्ट मीडिया संबंधी नीतिगत तथा सरकारी प्रचार की आवश्यकता से संबंधित मामलों की देखरेख करता है। यह स्कंध मंत्रालय के सामान्य प्रशासन को भी संचालित करता है।

प्रसारण स्कंध संयुक्त सचिव (प्रसारण–I) तथा संयुक्त सचिव (प्रसारण–II) के अधीन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा निजी टेलीविजन चैनलों के साथ–साथ आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रसारण हेतु नियम तथा विनिमय से संबंधित मामलों की देखभाल करता है।

संयुक्त सचिव (प्रसारण–I) के अधीन प्राईवेट टेलीविजन चैनलों की विषय वस्तु के साथ–साथ आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रसारण, केबल टेलीविजन के संचालन और कम्युनिटी रेडियो आदि मामले आते हैं। मंत्रालय का

अधीनस्थ कार्यालय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मोनीटरिंग सेंटर भी संयुक्त सचिव (प्रसारण–I) के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

संयुक्त सचिव (प्रसारण–II) हार्डवेयर विकास से संबंधित मामलों की देखरेख करते हैं जिसमे आकाशवाणी और दूरदर्शन का आधुनिकीकरण शामिल है। इसके अतिरिक्त वह लोक सेवा प्रसारण एवं एफएम के लिए नीतियाँ, नियम तथा विनियम तैयार करते हैं और इन कामों की देखरेख करते हैं।

संयुक्त सचिव (फिल्म) के अंतर्गत फिल्म स्कंध फिल्म–क्षेत्र संबंधी मामलों का संचालन करता है। यह खंड वृत्तचित्रों के निर्माण और वितरण तथा फिल्म उद्योग के विकास तथा इन्हें प्रोत्साहन देने वाली गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण, फिल्म समारोहों के आयोजन, आयात एवं निर्यात विनिमयन आदि से संबंधित कार्य करता है।

अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार (एएस एंड एफए) के अंतर्गत एकीकृत वित्त स्कंध मंत्रालय के वित्तीय पहलुओं की देखरेख करता है। इसमें बजट, योजना समन्वय, प्रबंध तथा प्रशासनिक गतिविधियाँ शामिल हैं। अपर सचिव तथा वित्त सलाहकार की मदद आर्थिक सलाहकार करते हैं।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कार्य क्षेत्र

संबद्ध तथा अधीनस्थ संगठन

1. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय
2. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय
3. पत्र सूचना कार्यालय
4. प्रकाशन विभाग
5. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
6. फिल्म समारोह निदेशालय
7. गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग
8. फिल्म प्रभाग
9. फोटो प्रभाग
10. गीत एवं नाटक प्रभाग
11. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड
12. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार
13. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मानिटरिंग सेंटर (इलेक्ट्रोनिक मीडिया निगरानी केन्द्र)

“ e=ky; viuh xfrfof/k;k 13 lc) ,o v/khuLFk dk;ky;k] 6 Lok;Ùk lxBuk vkj 2 lkoltfud {k= d miØek d ek/;e l lpkfyr djrk gA ”

स्वायत्त संगठन

1. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम)
2. भारतीय फिल्म तथा टेलिविजन संस्थान, पुणे
3. भारतीय जन संचार संस्थान
4. बाल फिल्म समिति, भारत
5. भारतीय प्रेस परिषद
6. सत्यजित रे फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान, कोलकाता

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम

1. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (नेशनल फिल्म्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन)

2. ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंटस इंडिया लि0

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के कार्य

- आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से विदेश में रह रहे भारतीयों सहित सभी लोगों के लिए समाचार सेवाएँ प्रदान करना
- दूरदर्शन एवं प्रसारण का विकास
- फिल्मों का आदान–प्रदान
- फिल्म उद्योग का विकास तथा संवर्धन
- फिल्म समारोहों का आयोजन और सांस्कृतिक आदान–प्रदान

“

dk;l vkoVu fu;ekoyh
d vulkj lpuk] f'k{kk
vkj eukjtu d {k= e
lpuk vkj ilkj.k e=ky;
d dk;l vR;r foLr`r g]
ftUg fiV vkj byDVkfud
ehfM;k ,o fQYek d tfj;
ijk fd;k tkrk gA

”

- भारत सरकार की ओर से विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार और प्रकाशनों के बारे में जानकारी प्राप्त करना
- फिल्म प्रमाणन के संबंध में चलचित्र अधिनियम 1952 को लागू करना
- राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रकाशन और संचार के माध्यम से देश के भीतर और बाहर भारत के बारे में जानकारी का प्रचार करना
- गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण के माध्यम से मंत्रालय की मीडिया इकाइयों की सहायता करना
- मंत्रालय के संस्थानों में विशेष योगदान करने वाले विशिष्ट कलाकारों, संगीतकारों, वादकों, नर्तकों इत्यादि को वित्तीय सहायता देना
- प्रसारण तथा समाचार सेवाओं के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संबंध विकसित करना

सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी 2 फरवरी 2013 को मुम्बई में एक समारोह में आईएए नेतृत्व पुरस्कार प्रदान करते हुए

गीत और नाटक प्रभाग के कलाकार नई दिल्ली में 'जमुनिया–आकांक्षा उभरते भारत की' नुक्कड़ नाटक प्रदर्शित करते हुए

अध्याय

2

मंत्रालय की भूमिका तथा कार्य

I. प्रसारण नीति एवं प्रशासन

1. संघ के अंतर्गत लोक सभा एवं विधान सभा चुनावों के दौरान मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के उपयोग का नियमन करने और किसी गणमान्य व्यक्ति के निधन पर राष्ट्रीय शोक के मौकों पर सरकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को सुनिश्चित करने और आकाशवाणी एवं दूरदर्शन प्रसारण से संबंधित सभी मामले।

2. भारतीय निजी कम्पनियों या भारतीय नागरिकों के द्वारा भारत में आकाशवाणी एवं दूरदर्शन प्रसारण संबंधित कानून का प्रतिपादन तथा क्रियान्वयन।

3. प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) अधिनियम, 1990 (1990 का 25) के अनुसार प्रसारण की निगरानी और प्रशासन।

4. भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा एवं भारतीय प्रसारण (अभियांत्रिकी) सेवा से संबंधित प्रसार भारती को सौंपे जाने तक सभी मामलों की देखभाल।

II. केबल टेलिविजन नीति

5. केबल टेलिविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 07)।

III. आकाशवाणी

6. घरेलू कार्यक्रमों के अंतर्गत समाचार सेवा, विदेशों और अनिवासी भारतीयों के लिए कार्यक्रम, प्रसारण अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शोध कार्य, विदेशी प्रसारणों की निगरानी, कार्यक्रम विनिमय तथा प्रतिलेखन सेवाएँ, सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों को रेडियो सेटों की आपूर्ति और संबद्ध सभी कार्य।

7. आकाशवाणी के प्रसारण का विकास, आकाशवाणी स्टेशनों तथा ट्रांसमीटरों की स्थापना एवं प्रसारण सेवाओं का संचालन।

IV. दूरदर्शन

8. दूरदर्शन कार्यक्रमों के सांस्कृतिक विनिमय सहित अन्य आदान–प्रदान।

9. कार्यक्रम निर्माण केन्द्रों एवं ट्रांसमीटरों की स्थापना सहित देश भर में दूरदर्शन का विकास और प्रसारण सेवाओं का संचालन।

10. दूरदर्शन से बाहर टेलिविजन कार्यक्रमों के निर्माण का संर्वद्धन।

V. फिल्म

11. केन्द्रीय सूची की क्रम संख्या 60 के अंतर्गत कानून अर्थात 'सिनेमैटोग्राफ फिल्मों के प्रदर्शन की मंजूरी'।

12. सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 (1952 का 37) का क्रियान्वयन।

13. फीचर और लघु फिल्मों का थियेटरों और अन्यत्र प्रदर्शन के लिए आयात।

14. भारतीय फीचर एवं लघु फिल्मों का निर्यात।

15. उपयोग में नहीं लाई गई सिनेमैटोग्राफ फिल्मों तथा फिल्म उद्योग में काम आने वाले विभिन्न उपकरणों का आयात।

16. फिल्म उद्योग की विकास तथा विकास गतिविधियों सहित सभी मामले।

17. भारत में बनी फिल्मों के लिए राजकीय पुरस्कारों की स्थापना के जरिये एवं राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से अच्छे सिनेमा को प्रोत्साहन करना।

18. देश के अंदर और विदेशों में प्रचार के लिए वृत्तचित्र और न्यूज रील एवं अन्य फिल्म तथा फिल्म–स्ट्रिप्स का निर्माण एवं वितरण।

19. फिल्मों तथा फिल्म–सामग्री का सरंक्षण।

20. भारत में अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों का आयोजन एवं विदेशों में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारत की भागीदारी।

21. सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के तहत फिल्म समारोहों का आयोजन।

22. फिल्म सोसाइटी गतिविधियाँ।

VI. विज्ञापन और दृश्य प्रचार

23. भारत सरकार की तरफ से विज्ञापनों का निर्माण और उन्हें जारी करना।

VII. प्रेस

24. भारत सरकार की नीतियों एवं गतिविधियों की प्रेस के जरिये प्रस्तुति और व्याख्या।

25. सरकार को प्रेस से संबंधित समस्यायों के बारे में सलाह देना, अखबारों में रिपोर्टों के आधार पर लोगों की राय व विचारों से सरकार को अवगत कराना और सरकार एवं प्रेस के बीच संपर्क कायम करना।

26. सशस्त्र सेनाओं के लिए और उनकी ओर से प्रचार करना।

27. प्रेस के साथ सरकार के सामान्य संबंध जिसमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 95 एवं 96 का कार्यान्वयन शामिल नहीं है।

28. अखबारों के संदर्भ में प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 (1867 का 25) का क्रियान्वयन।

29. प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 (1978 का 37) का अनुपालन।

30. न्यूजप्रिंट का समाचार पत्रों को आवंटन।

VIII. प्रकाशन

31. भारत के बारे में देश–विदेश में लोगों को अद्यतन जानकारी प्रदान करना और राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों में आंतरिक एवं बाहरी प्रचार के लिए पुस्तिकाओं, पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन, बिक्री तथा वितरण।

IX. गवेषणा तथा संदर्भ

32. सूचना और प्रसारण मंत्रालय की इकाइयों की प्रकाशित सामग्रियों से संबंधित शोध संबंधी सामग्री तैयार करने, उसके संग्रह एवं संकलन करने में सहायता प्रदान करना।

33. मीडिया इकाइयों के इस्तेमाल के लिए महत्त्वपूर्ण विषयों के बारे में जानकारी का सार–संग्रह तैयार करना और सम–सामयिक एवं अन्य विषयों पर मार्ग–दर्शक और संदर्भ सामग्री संकलित करना।

X. विविध कार्य

34. भारत सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार करना।

35. पत्रकार कल्याण–कोष का संचालन।

36. आकाशवाणी एवं दूसरी प्रचार इकाइयों की सफलता में उल्लेखनीय योगदान करने वाले प्रतिष्ठित संगीतकारों (गायन एवं वाद्य), नर्तकों और रंगमंच कलाकारों अथवा उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना जिनकी माली हालत अच्छी नहीं हो।

37. एशिया–प्रशांत प्रसारण संघ, राष्ट्रमंडल प्रसारण संघ एवं गुट–निरपेक्ष समाचार एजेन्सी पूल से संबंधित समस्त मामले।

38. भारतीय सूचना सेवा (समूह 'क' तथा 'ख') का संवर्ग (कैडर) प्रबंधन।

उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर प्रख्यात बांग्ला फिल्म अभिनेता सौमित्र चटर्जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करते हुए। मंच पर तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी, तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री श्री चौधरी मोहन जातुवा, डॉ0 एस. जगतरक्षकण एवं सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा उपस्थित हैं।

ग्रामीण
आवास

पत्र सूचना कार्यालय द्वारा माधोपुर (राजस्थान) में आयोजित जनसूचना अभियान में उमड़ा जनसमूह

पणजी, गोवा में भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन के अवसर पर एक भावपूर्ण प्रस्तुति

अध्याय

3

नई पहलें

डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली की शुरूआत

डिजिटल एड्रेसेबल प्रणाली (DAS) को चार में से तीन महानगरों– दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में 31 अक्तूबर 2012 से लागू कर दिया गया है और डिजिटल स्विचओवर की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। 31 अक्तूबर 2012 की मध्य रात्रि को प्रसारकों और बहु प्रणाली ऑपरेटरों के द्वारा दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता में एनालॉग केबल टीवी सिग्नल्स बन्द कर दिये गये। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक के कारण एनालॉग केबल टीवी सिगनल्स को जारी रखा गया है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का यू-ट्यूब चैनल

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 14 सितंबर 2012 को अपना यू–ट्यूब चैनल का आरंभ पायलट परियोजना के रूप में किया है। चैनल पर सामग्री अपलोड और मॉनीटर करने की व्यवस्था की गयी है। इस पृष्ठ पर www.youtube.com/user/inbministry द्वारा पहुंचा जा सकता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फेसबुक और ब्लाग

यू–ट्यूब के अलावा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस मंत्रालय की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित सूचना फेसबुक और ब्लागिंग पर अपलोड करने के लिए एक पहल की है। इन एकाउन्ट्स पर क्रमशः http:www.facebook.com/pages/Ministry- of-information Broadcasting/525593897451771 और http://imbministy.blogspot.in के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

निजी एफएम रेडियो का विस्तार

निजी रेडियो प्रसारण में फिलहाल काफी संभावनाएं हैं और इसे देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि तृतीय चरण में एफएम नीति दिशा निर्देशों को आरंभ करके निजी एजेन्सियों के जरिये एफएम रेडियो नेटवर्क का विस्तार किया जाए। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सूचना एवं

प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित निजी एजेन्सियों (तृतीय चरण) के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवाओं के विस्तार के बारे में नीति निर्देशों का 07.07. 2011 को अनुमोदन कर दिया है। मंत्रिमंडल ने मंत्रालय के एफएम चैनलों को लाईसेंस प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए ई–नीलामी को हरी झंडी दे दी है, जैसा दूरसंचार विभाग द्वारा 3–जी और बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम के लिए ई–नीलामी प्रक्रिया अपनायी गई थी। एफएम के तृतीय चरण में एफएम चैनलों को लाईसेंस प्रदान करने के लिए मंत्रिमंडल ने सिफारिश की थी। यह नीति एफ एम रेडियो सेवाओं का विस्तार 294 नये शहरों तक करेगी और कुल मिलाकर 839 नये एफएम रेडियो चैनल हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप निजी एफएम रेडियो चैनलों द्वारा एक लाख और अधिक आबादी वाले सभी शहरों को शामिल कर लिया जाएगा।

केबल नेटवर्क नियम, 1995 का संशोधन (दूसरा संशोधन)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने केबल टीवी नेटवर्क नियम, 1995 में संशोधन (दूसरा संशोधन) कर दिया है, इससे बहुप्रणाली ऑपरेटरों और केबल ऑपरेटरों के लिए अब यह अनिवार्य हो गया है कि जब भी और जैसे भी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी या केन्द्रीय सरकार की किसी एजेंसी द्वारा कोई सूचना मांगी जाएगी तो वे उन्हें उपलब्ध करायेंगे।

सामुदायिक रेडियो का फेसबुक पेज

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और देश भर में समुदायिक रेडियो के विभिन्न अंषधारकों से सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए मंत्रालय ने फेसबुक पर कम्युनिटी रेडियो इंडिया के लिए एक फेसबुक पेज का आरंभ किया है। इस पृष्ठ पर www.facebook.com/communityradioindia से पहुंचा जा सकता है।

'अतुल्य भारत अभियान' को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन

'अतुल्य भारत अभियान' और अतुल्य भारत के सब–ब्रांड के रूप में भारतीय सिनेमा को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह और विदेशी बाजारों में बढ़ावा देने की एक बड़ी पहल करके सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस समझौते ज्ञापन पर श्रीमती अंबिका सोनी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, श्री सुबोधकांत सहाय, पर्यटन मंत्री और श्री सुल्तान अहमद, पर्यटन राज्य मंत्री की उपस्थिति में 16 फरवरी 2012 को हस्ताक्षर किये गये।

पोलैंड सरकार के साथ अनुबंध

पोलैंड सरकार के साथ 'आडियो विजुअल एवं उत्पादन संबंधी अनुबंध' पर हस्ताक्षर किये गये हैं। इस अनुबंध

का उद्देश्य है कि भारत और पोलेंड सरकार के बीच फिल्म क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। सिनेमा और टेलीविजन, विशेषतया फिल्मों, एनीमेशन और सिनेमा के लिए वृत्त–चित्रों आदि के लिए आडियो विजुअल सह उत्पादन के संबंध में यह अनुबंध कानूनी ढांचा स्थापित करेगा साथ ही पूरी तरह से एनॉलोग या डिजीटल डाटा कैरियर की तरह से फिल्म का प्रचार एवं प्रसार करेगा।

क्षेत्रीय नवाचार परिषद

मंत्रालय ने सूचना एवं प्रसारण क्षेत्र में अगले दशक (2010–2020) की समग्र रूपरेखा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय नवाचार परिषद (नेशनल इनोवेशन कांउसिल) के अनुरूप क्षेत्रीय नवाचार परिषद का गठन जुलाई 2011 में किया। विभिन्न क्षेत्रों के जाने माने विशेषज्ञों को इस क्षेत्रीय नवाचार परिषद का सदस्य बनाया गया है। परिषद ने जुलाई 2012 में अपनी रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी। रिपोर्ट में परिषद में सूचना एवं प्रसारण के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कई सिफारिशें की हैं।

ई–ऑफिस मिशन मोड परियोजना का क्रियान्वयन

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ई–ऑफिस मिशन मोड परियोजना को राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के अधीन क्रियांवित कर रहा है। मंत्रालय में ई–ऑफिस का क्रियान्वयन, प्रशासनिक सुधार एवं जनशिकायत विभाग के समग्र मार्गदर्शन के तहत हो रहा है। इस परियोजना को 3 सितम्बर 2012 से चालू कर दिया गया है। परियोजना का लक्ष्य मंत्रालय के रोजमर्रा के कार्यों को कम्प्यूर के माध्यम से ऑनलाइन करना है।

भारतीय जनसंचार संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना

जनसंचार के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय जन संचार संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करके एक प्रमुख पहल की है। दिल्ली और ढेंकानाल में दो वर्तमान केन्द्रों के अतिरिक्त मंत्रालय ने जम्मू और कश्मीर, केरल, महाराष्ट्र और मिजोरम राज्यों में भारतीय जनसंचार संस्थान के चार क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना की है। इनमें से महाराष्ट्र में अमरावती और मिजोरम में आईजोल क्षेत्रीय केन्द्र काम भी करने लगे हैं और यहाँ अंग्रेजी पत्रकारिता तथा जनसंपर्क में स्नाकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम अगस्त 2011 से शुरू हो चुके हैं। जम्मू–कश्मीर में जम्मू और केरल में कोट्टायम के बाकी दो केन्द्रों ने शैक्षिक सत्र 2012–13 से पाठ्यक्रमों को शुरु कर दिया है।

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी इंप्लॉइमेंट न्यूज का लोगो जारी करते हुए

अध्याय

4

सूचना क्षेत्र की गतिविधियां

मंत्रालय का सूचना स्कंध मुख्य रूप से प्रिन्ट माध्यम के नीति संबंधी एवं सरकार के प्रचार संबंधी मामलों को संचालित करता है। यह स्कंध मंत्रालय के व्यापक प्रशासन के साथ साथ भारतीय सूचना सेवा के कैडर की देखभाल भी करता है। सरकार द्वारा उठाये जा रहे नीतिगत कदमों को सोशल मीडिया के जरिए प्रचारित करने के लिए मंत्रालय ने सितंबर 2012 में यू–ट्यूब चैनल लांच किया। इसका मुख्य उद्देश्य देश की युवा आबादी तक पहुंचकर सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति उन्हें जागरूक बनाना था। साथ ही यह चैनल विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों तथा घटनाओं को प्रभावी ढ़ंग से फैलाने के लिए एक शानदार विकल्प के रूप में सामने आया है। तीव्र गति से सूचना उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न साझीदारों के साथ बातचीत चल रही है। इसके आरंभ से ही विभिन्न वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस मंच से कई कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक चलाया गया है। अपलोड किये गये कार्यक्रमों के तहत घटनाओं का सीधा प्रसारण, दो से तीन मिनट का समाचार कैप्सुल, अभियान स्थल, लघु फिल्मों और डॉक्युमेंट्री, शास्त्रीय संगीत, प्रेरक भाषण आदि को शामिल किया गया है। 30 नवंबर, 2012 को गोवा में आयोजित 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव को सोशल मीडिया नेटवर्क पर बेहतर स्वरूप देते हुए इसे बड़े पैमाने पर प्रचारित किया गया।

31 जनवरी, 2013 तक 90,000 से अधिक दर्शकों ने इस चैनल के वीडियो देखे और इसे लगभग 1049 लोगों ने सब्सक्राइब किया। चैनल में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों एवं आधुनिक भारत के निर्माताओं के प्रेरक भाषणों का एक अलग खंड है। नामी व्यक्तिवों के भाषण से दो से तीन मिनट के उद्धरण को इसमें अपलोड किया गया है। महात्मा गाँधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाश चंद्र बोस, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. जाकिर हुसैन, मौलाना आजाद, इंदिरा गाँधी और राजीव गाँधी की आवाज को सुना जा सकता है। चैनल ने मंत्रालय को इस प्रकार के नवोदित मंचों पर सूचना संकलित करने का अवसर मुहैया कराया है। इस कार्य के लिए बनाये गये सोशल मीडिया सेल के माध्यम

से प्रतिदिन अद्यतन सामग्री अपलोड की जा रही हैं। दिसंबर 2012 के सप्ताहांत में मंत्रालय ने अपना फेसबुक पेज शुरू किया है तथा ट्वीटर अकाउंट को सक्रिय किया है। मंत्रालय का यू–ट्युब चैनल एक स्मार्ट फोन के रूप में बदल चुका है। यह गुगल के एंड्रायड आधारित स्मार्ट फोन पर चल सकता है। "एमआईबी यू ट्युब" एंड्रॉयड अप्लिकेशन गुगल से मुफ्त डाउनलोड किया जा सकता है। सूचना खंड के अंतर्गत हो रहे विभिन्न गतिविधि निम्नवत् हैं।

पत्र सूचना कार्यालय (www.pib.gov.in)

पत्र सूचना कार्यालय सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, पहलकदमी और उपलब्धियों को प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक फैलाने की केन्द्रीय एजेंसी है। यह सरकार तथा मीडिया के मध्य एक पुल के रूप में कार्य करती है। मीडिया में आ रही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सरकार को देती है। पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, फीचर आधारित लेख, बैकग्राउंडर, प्रेस विवरण, प्रेस सम्मेलन, फोटो, साक्षात्कार ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों, प्रेस टूर आदि के माध्यम से सूचनाओं को फैलाती है।

अंग्रेजी, हिंदी एवं उर्दू में जारी की गई तथा विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवादित सूचना सामग्री देश के विभिन्न भागों में लगभग 8400 अखबारों तथा मीडिया संगठनों तक पहुंचाता है। पीआईबी के अधिकारीगण अपने संबंधित मंत्रालयों को अपेक्षित सेवा देते है और मीडिया की भी उन मंत्रालयों से संबंधित सूचना जरूरतों को पूरी करते रहे हैं।

मंत्रालय/विभाग से जुड़े पत्र सूचना कार्यालय के संबद्ध अधिकारी उसके अधिकृत प्रवक्ता होते हैं। वे मंत्रालय/विभाग की नीतियों एवं कार्यक्रमों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हैं, प्रश्नों का उत्तर देते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं एवं गलतफहमियों को दूर करते हैं। वे संपादकीय, आलेखों तथा वक्तव्यों के द्वारा मीडिया में आ रही लोगों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण, मंत्रालय/विभाग को अवगत कराने के लिए तथा अपनी मीडिया रणनीति के तहत उसे सुझाव देने के लिए करते हैं।

पत्र सूचना कार्यालय का विजन, मिशन, उद्देश्य एवं कार्य दृष्टि

fotu

- देश की जनता को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के बारे में शिक्षित तथा समृद्ध करने के लिए जानकारियां उपलब्ध कराना

fe'ku

- सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर प्रभावी तरीके सूचना उपलब्ध कराना तथा जनता तक सूचनाओं का स्वतंत्र प्रवाह सुनिश्चित करना
- सरकार की प्रमुख कार्ययोजनाओं को जमीनी स्तर लोकप्रिय बनाने के लिए सीधे लाभार्थियों से उचित मल्टीमीडिया तथा सार्वजनिक अभियानों के माध्यम से संवाद स्थापित करना तथा उसे प्रचारित करना

mís';

- सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर मीडिया को (क्षेत्रीय मीडिया सहित) राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर सूचना उपलब्ध करना
- विशेष मीडिया/प्रचार कार्यक्रम
- मीडिया तक पहुँचना
- पीआईबी में सूचना एवं समाचार को प्रसारित करने वाले निकाय का आधुनिकीकरण

dk;Z

- प्रेस के माध्यम से सरकार की नीतियों एवं क्रियाकलापों की सूचना का प्रस्तुतीकरण एवं विवेचना
- संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा सूचना का प्रसार करना
- प्रेस से संबंधित मुद्दों पर सरकार को सलाह देना, प्रेस में लोगों की आ रही रायों के बारे में सरकार का सूचित करना तथा सरकार और प्रेस के बीच में सबंध स्थापित करना

सांगठनिक ढांचा

पीआईबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सर्वोच्च अधिकारी मुख्य महानिदेशक (मीडिया एवं जनसंचार) हैं। उनकी सहायता के लिए एक महानिदेशक और आठ अपर महानिदेशक हैं। इसके अतिरिक्त, इस कार्यालय में निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक स्तर के अधिकारी तथा मीडिया एवं संचार अधिकारी होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों

से उसकी आवश्यकता के अनुसार जुड़े होते हैं। सामान्य कार्यावधि के अलावा सूचना को प्रसारित करने के लिए पीआईबी अपने मुख्यालय में कंट्रोल रूम (न्यूज रूम) भी ऑपरेट करता है। न्यूज रूम कार्यदिवसों में षाम को 6 बजे से 9 बजे तक तथा सप्ताहांत तथा छुट्टी के दिनों में शाम 3 बजे से 9 बजे तक काम करता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रचार एवं मीडिया सहयोग उपलब्ध के लिए पीआईबी के पास एक समर्पित इकाई है। यह इकाई चौबीसों घंटे कार्य करती है तथा पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय एव पीएमओ के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए रिपोर्ट का संकलन करती है। यह यूनिट दो पाली में सुबह 6.30 बजे से रात 8 बजे तक कार्य करती है। कैबिनेट की बैठकों/बहसों या फिर प्रधानमंत्री की अन्य व्यस्तताओं के कारण कई बार देर शाम/अवकाश वाले दिन अतिरिक्त कार्य घंटों की भी आवश्यकता पड़ती है। यूनिट राष्ट्रव्यापी प्रचार करने तथा पीएमओ को अवलोकन हेतु फीडबैक लेने के लिए व्यापक रूप से क्षेत्रीय शाखाओं का दौरा भी करती है।

इस यूनिट के कार्य निम्नवत् हैं:

- प्रधानमंत्री के लिए निश्चित समयावधि में मीडिया रिपोर्ट तैयार करना जो कि प्रतिदिन सुबह 9.15 बजे तक तैयार कर भेज दी जाती है। इसमें अंग्रेजी, हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों की सामग्री शामिल की जाती है।
- साप्ताहिक पत्रिकाओं की रिपोर्ट तैयार करना
- प्रधानमंत्री की मीडिया से भेंट हेतु मीडिया से बातचीत करना, मीडिया वार्ता के लिए समय पर एसएमएस/ईमेल करना
- राष्ट्रीय सुझाव परिषद, कैबिनेट सचिव के लिए न्यूज क्लिपिंग,
- पीएमओ के लिए श्रीनगर से विशेष फीडबैक रिपोर्ट,
- पीएमओ के लिए उर्दू अखबारों का फीडबैक,
- कैबिनेट ब्रीफिंग आयोजित करना,
- कैबिनेट के निर्णय जारी तथा वेबसाइट पर अपलोड करना,
- प्रधानमंत्री के भाषण/वक्तव्यों का वेबसाइट पर पुनर्लेखन एवं अपलोड करना,
- प्रधानमंत्री द्वारा दी गई शुभकामना/बधाई/शोक संदेश जारी करना तथा अपलोड करना,
- प्रधानमंत्री/राष्ट्रपति के दौरे का मीडिया कवरेज के लिए क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से संपर्क करना,
- राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यक्रमों का मीडिया कवरेज करवाना तथा प्रेस विज्ञप्ति/वक्तव्यों/संदेशों को जारी करना,
- प्रधानमंत्री के वित्तीय सलाहकार परिषद, कैबिनेट सचिवालय तथा पीएमओ के अंतर्गत दूसरी संस्थाओं के लिए प्रचार प्रसार

क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार

पीआईबी के आठ क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिसके प्रमुख अपर महानिदेशक होते हैं, और क्षेत्रीय मीडिया की सूचना आवश्यकता को पूरा करने के लिए सूचना केन्द्रों सहित 34 शाखा कार्यालय हैं। मुख्यालय द्वारा जारी प्रचार सामग्री के विमोचन के साथ साथ जब कभी किसी केन्द्रीय मंत्रालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्व ारा कोई महत्वपूर्ण आयोजन पीआईबी के किसी खास क्षेत्रीय या शाखा कार्यालय के क्षेत्र में किया जाता है, तब ये प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट, बैकग्राउंडर आदि जारी करने का भी काम करते हैं। ये कार्यालय केन्द्र सरकार के उन निर्णयों को भी ग्रहण करते है जो किसी खास क्षेत्र के लिए निरंतर जानकारी के आधार पर केन्द्रित प्रचार के लिए महत्वपूर्ण हों।

पीआईबी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने निम्नलिखित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है।

- केन्द्र सरकार की योजनाओं, नीतियों एवं कदमों को लोकल भाषा में क्षेत्रीय स्तर प्रचारित एवं प्रसारित करने तथा मीडिया का सहयोग
- दौरे पर आए केन्द्रीय मंत्रीयों, वरिष्ठ अधिकारियों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के स्थानीय कार्यक्रमों को मीडिया सहयोग उपलब्ध करना
- क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा मीडिया मे महत्वपूर्ण विशयों पर आ रहे रूझानों पर लगातार फीडबैक उपलब्ध कराना
- क्षेत्र में सूचना संबंधित विषयों पर केन्द्र सरकार के संगठनों को सुझाव देना
- भारत निर्माण मीडिया आउटरीच कार्यक्रमों के तहत लोक सूचना अभियान का आयोजन करना,

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्री एवं सचिवों के क्षेत्र/राज्य के आधिकारिक दौरों पर मीडिया कवरेज उपलब्ध कराने में पीआईबी के क्षेत्रीय/ शाखा कार्यालय अपनी मुख्य भूमिका समझते हैं।

चुनाव के समय सूचना प्रसार

लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में सूचना के प्रसार के लिए भारतीय चुनाव आयोग और मीडिया के बीच पीआईबी प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन करता है।

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की घोषणा होते ही पुराने आम चुनाव की जानकारियों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पीआईबी ''आम चुनाव के लिए संदर्भ पुस्तिका'' जारी करती है। इसके साथ ही चुनाव के दौरान चुनाव से संबंधित जानकारी मीडिया को नियमित आधार पर बैकग्राउंडर और आंकड़े उपलब्ध करवाये जाते है। वोट गिनती के दिन, निश्चित समय के आधार पर मीडिया को अपने वेबसाइट से गिनती के रूझान एवं परिणाम से अपडेट करने हेतु भारतीय चुनाव आयोग, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र तथा पीआईबी के क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों से सूचना प्राप्त करने के लिए पीआईबी एक विशेष चुनाव मीडिया सेन्टर स्थापित करता है।

प्रमुख गतिविधियां और नये कदम

मीडिया पर मंत्री समूह

जनहित के मसलों पर मीडिया से नियमित रूप से रूबरू होने के लिए तथा सरकार की मीडिया नीति बनाने के लिए भारत सरकार ने 10 मई 2011 को मीडिया के लिए एक मंत्रिसमूह गठित किया। पीआईबी इस मंत्रिसमूह को सहायता प्रदान करता है। जिन मुद्दों पर सरकार को प्रतिक्रिया देनी है, उन विषयों के तलाश के लिए समाचार, विचार और घटनाओं का दैनिक विश्लेषण किया जाता है। मीडिया फीडबैक के अलावा

केन्द्रीय वित्त मंत्री, श्री पी. चिदम्बरम, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी 4 फरवरी 2013 को नई दिल्ली में मंत्रिसमूह की एक मीडिया ब्रीफिंग में। इसमें महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराध से लड़ने के लिए अध्यादेश एवं उठाये गये अन्य उपायों के बारे में विवरण दिया गया। प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) श्रीमती नीलम कपूर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

पीआईबी जीओएम की सहायता तथा मीडिया रणनीति बनाने के लिए महत्वपूर्ण विशयों पर बैकग्राउंडर और एक्सप्लानेटरी नोट भी तैयार करती है। पीआईबी के अधिकारियों की एक कोर टीम जीओएम को सहायता करती है। ब्यूरो जीओएम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है, प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में व्यापक कवरेज के लिए फॉलो अप लेता है। मीडिया पर जीओएम को 5 नवंबर 2012 को पुनर्गठित किया गया।

सोशल नेटवर्किंग साइट पर पीआईबी

वायु तरंगों की शुरूआत होते ही देश मे चौबीस घंटे के अंग्रेजी, हिन्दी एवं अन्य भाषाओं के चैनलों की संख्या में काफी बढोतरी हुई है। पीआईबी वीडियो जारी करती है जिसके माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकार का पक्ष रखा जाता है।

- वेबसाइट के माध्यम से एकपक्षीय संचार ही संभव है, इसके अलावा पीआईबी ट्वीटर, यू ट्यूब जैसे माध्यमों का भी उपयोग करता है जो द्विपक्षीय संचार और जनहित के मुद्दे पर तीव्र फीडबैक के लिए एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है।
- पीआईबी के अधिकारी सोशल नेटवर्किंग साइट पर समय–समय पर जारी दिशनिर्देशों के अनुसार अधिकृत अकाउंट का उपयोग करते हैं।
- पीआईबी की वेबसाइट पर प्रेस विज्ञप्ति के शीर्षक, भाषण और वक्तव्यों को विशेष प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है।
- कार्यक्रमों की तस्वीरों, आयोजनों के वीडियो और फीचर में दी गई अन्य विशेष जानकारियों को भी यहां रखा जाता है।
- महत्वपूर्ण प्रकाशनों की जानकारी, आगामी कार्यक्रमों, सफलता की कहानियों और अन्य आवश्यक रिपार्टों को भी सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट किया जाता है।

मान्यता देने की ऑनलाइन व्यवस्था

पीआईबी विदेशी मीडिया सहित मीडिया प्रतिनिधियों को अपने नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से मान्यता प्रदान करता है। मान्यता प्रक्रिया को तेज एवं प्रभावी ढ़ंग से लागू करने के लिए 2010–2011 से इसे पूर्णतः ऑनलाइन किया गया है। ब्यूरो ने ऑनलाइन मान्यता प्रक्रिया का उपयोग वित्त वर्ष 2012–13 में सफलतापूर्वक किया है। अप्रैल–दिसंबर 2012 में 118 संवाददाताओं और 22 कैमरामैन को नई मान्यता दी गई और इस प्रकार, कुल 1474 संवाददाताओं और 448 कैमरामैन/फोटाग्राफर मान्यताप्राप्त हैं। 81 तकनीशियन के अलावा 120 संपादक, 5 कार्टूनिस्ट और 12 संवादाता सह कैमरामैन को भी मान्यता दी गई।

आपात स्थिति में कंट्रोलरूम

दिन–रात किसी समय उत्पन्न हुए आपात स्थिति से निपटने के लिए पीआईबी के पास एक न्यूज/कंट्रोल रूम है जो साल के सभी 365 दिन सक्रिय रहता है। विशेष परिस्थिति में रात्रि 9 बजे के बाद भी अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयाजित करने तथा उसे उसी समय पीआईबी केन्द्रों के माध्यम से देश भर में वेब–कास्ट करने की व्यवस्था भी हमेशा तैयार रहती है। आपात स्थिति तथा समयाभाव में कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे काम करता है। महत्वपूर्ण समाचार चैनलों को मॉनिटर किया जाता है तथा ताजी गतिविधियों, तथ्यों की गलत रिपोर्टिंग के बारे में प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार) को सूचित किया जाता है ताकि समय से पहले मीडिया को इसके लिय टोका जा सके।

पत्रकार कल्याण कोष

पत्र सूचना कार्यालय 'पत्रकार कल्याण कोष' की योजना लागू करती रही है। इसकी संशोधित योजना अपने व्यापक रूप में 25 अगस्त, 2010 में आई। संशोधित योजना पत्रकारों एवं उसके परिवारों को कठिनाई की स्थिति में राहत देने के लिए एक बार अनुग्रह राशि देती है। इस योजना के दायरे में आने वाले पत्रकारों के लिए पांच लाख तक की सहायता राशि को मंजूरी राहत दी जा सकती है। सहायता, घोर विपत्ति जैसे पत्रकार की मृत्यु में परिवार को या स्थायी विकलांगता की स्थिति में पत्रकार को दी जा सकती है। कैंसर, किडनी के असफल होने, हृदय रोग, ब्रेन हैमरेज जैसे बड़े बीमारियों के इलाज के खर्च हेतु भी सहायता दी जाती है।

दुर्घटनाग्रस्त होकर गंभीर चोट के कारण हॉस्पीटल में दाखिल होने की स्थिति में भी वित्तीय सहायता दी जाती है। पीआईबी के अधिकारी मामले का निरीक्षण कर मंत्री द्वारा सहायता राशि मंजूर कराने हेतु मंत्रालय में उच्च स्तरीय कमेटी को अपनी संस्तुति भेजता है। साल 2012 में दो पत्रकारों के परिवारों को इस योजना के अंतर्गत लाभ मिला।

नई वेब सेवायें

- oc lefFkr lok;% पीआईबी की वेबसाइट (http:// www.pib.gov.in) सरकारी सूचना का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। इसे 2012 में उपयोगकर्ताओं के अधिक अनुकूल बनाने के लिए नये फीचर के साथ पुनः डिजाइन किया गया। पिछले वर्षों में वेबसाइट पर अपलोड की गयी सरकार की योजनाओं, नीतियों, कार्यक्रम संबंधी कदम और उपलब्धियों के आर्काइव से ढूढ़ने के लिए एक विशेष सर्च सुविधा प्रदान की गई है। मुख्य वेबसाइट तीन भाषाओं अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में है। ब्यूरों के क्षेत्रीय कार्यालयों में अलग वेबसाइट है जो भिन्न–भिन्न सात भाषाओं (तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलूगु, बंगाली, मराठी तथा मिजो) में है। सभी वेबसाइट प्रतिदिन समय समय पर अपडेट होते रहते हैं।

- विकलांग लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नये वेबसाइट को डिजाइन किया गया है। विशय वस्तु को पुनर्व्यवस्थित करना, पर्याप्त कॉन्ट्रास्ट रखना और हिंदी प्रयोक्ताओं के अनुरूप सामग्री प्रयोग करना, ये सभी वेबसाइट को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाते हैं।

- ,l,e,l vyV flLVe% केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण नीतियों और कार्यक्रमों, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग और कार्यक्रमों की कवरेज के लिए पिछले वर्ष शुरू किया गया एसएमएस अलर्ट सिस्टम वित्त वर्ष 2012–2013 के लिए भी जारी था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए पत्रकारों को आमंत्रित करने, वक्तव्यों को जारी करने, एडवाइजरी आदि जारी करने हेतु वेबसाइट से बल्क एसएमएस भेजकर ब्यूरो ने एसएमएस अलर्ट सिस्टम को दुरूस्त किया।

- **lokRre** ukxfjd f'kdk;r ?kks"k.kk i=% पीआईबी ने ऑनलाइन शिकायत निवारण और सेवोत्तम आधारित सिटिजन चार्टर शुरू की है। शिकायत दर्ज कराने के लिए वेबसाइट http://darpg.grievance.nic.in है। ब्यूरो 30 दिनों के सीमित समय में

पीआईबी द्वारा डेंटम, सिक्किम में आयोजित जनसूचना अभियान के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम

ihvkbch dh ie[k xfrfof/k;k

- मीडिया से बातकर, प्रेस कॉन्फ्रेस आयोजित कर तथा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पीआईबी मंत्रिसमूह की सहायता करती है।
- नवम्बर 2012 में मीडिया पर गठित मंत्रिसमूह के लिए मीडिया का ध्यानाकर्षण करते हुए महत्वपूर्ण विषयों पर मीडिया अपडेट व जानकारी उपलब्ध कराया।
- जनसूचना अभियान (पीआईसी)।
- 31 दिसंबर 2012 तक 50 जनसूचना अभियान आयोजित किये गये।
- वित्त वर्ष में 92 पीआईसी का लक्ष्य। इनमें से 42 पीआईसी 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013 तक आयोजित किये जाने हैं।
- अप्रैल से नवंबर, 2012 के दौरान 60 हजार 23 प्रेस विज्ञप्ति तथा 3160 फीचर जारी किये गये।
- अप्रैल–नवंबर 2012 के दौरान ब्यूरो ने अपने क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों सहित ने 495 प्रेस कॉन्फ्रेंस तथा 9349 अनौपचारिक प्रेस कार्यक्रम आयोजित किये।
- पीआईबी ने उपयोगकर्ता के अनुकूल तथा और अधिक फीचर के साथ वेबसाइट विकसित किया। अंग्रेजी, हिंदी व उर्दू वर्जन के साथ यह एक त्रिभाषिक वेबसाइट है।
- महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए एसएमएस अलर्ट, मीडिया के त्वरित प्रक्रिया हेतु प्रेस विज्ञप्ति आदि की व्यवस्था।
- मीडिया मान्यता प्रदान करने के लिए पूर्णतः ऑनलाइन व्यवस्था। यह सन् 2010 से कार्य कर रहा है।
- अप्रैल 2012 से ब्यूरो के फोटो प्रचार यूनिट ने 4107 फोटो जारी किये।

शिकायत निवारण करने का प्रयास करती है। शिकायत हल हो जाने पर सूचना भेजी जाती है तथा इसका स्टेटस दर्शाया जाता है।

भारतीय अंतराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (आईएफएफआई), 2012

पत्र सूचना कार्यालय ने गोआ में 43वे भारतीय अंतराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, 2012 के दौरान उत्सव से संबंधित जानकारियाँ मीडिया से साझा करने के लिए मीडिया सेन्टर स्थापित तथा संचालित किया जो 30 नवम्बर 2012 तक कार्यरत था। मीडिया सेन्टर ने कार्य के अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया तथा उत्सव में मीडिया से जुड़े लोगों को जोड़ा। भारतीय पुनरावलोकन और विश्व सिनेमा की वीसीडी मीडिया को बाँटी गयी। भारतीय सिनेमा और विष्व सिनेमा का कैटलॉग मीडिया को उपलब्ध कराया गया। आईएफएफआई दैनिक की सैकड़ों कॉपी मीडिया में बाँटी गई। उत्सव के दौरान अंग्रेजी तथा हिंदी के साथ साथ मराठी में प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया तथा सिनॉप्सिस को मराठी में अनूदित तथा मीडिया को उपलब्ध कराया गया। मराठी विज्ञप्तियां और सिनॉप्सिस को पीआईबी मुंबई की मराठी वेबसाइट पर अपलोड किया गया। विज्ञप्ति में विशेष सेक्शन, लघु फिल्म सेन्टर अवार्ड एवं प्रजेंटेशन, श्रद्धांजलि और पुनरावलोकन समेत आईएफएफआई, 2012 के सभी पहलुओं को शामिल किया गया। विज्ञप्ति को राष्ट्रीय मीडिया तथा आईएफएफआई मे शामिल मीडिया को ई–मेल किया गया। कुल 137 प्रेस विज्ञप्ति पीआईबी, पीआईबी–आईएफएफआई और पीआईबी मुंबई के वेबसाइट पर भी डाला गया। पत्रकारों के लिए समर्पित वेबसाइट http://pib.gov.in/iffi/ को पूरे उत्सव के दौरान सक्रिय रखते हुए संबंधित अपडेट को पोस्ट किया गया। पत्रकारों को अपडेट करने के लिए पीआईबी मीडिया सेन्टर एसएमएस अलर्ट सेवा उपलब्ध कराती है।

पीआईबी की फोटो प्रचार यूनिट ने फोटो डिवीजन के सहयोग से सभी 113 आयोजनों को कवर किया तथा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ओपन फोरम, रेड कारपेट, प्रजेंटेशन आदि के 5400 फोटोग्राफ मीडिया को जारी किए।

आर्थिक संपादक सम्मेलन

वार्षिक आर्थिक संपादक सम्मेलन (ईईसी 2012) राष्ट्रीय मीडिया सेन्टर, पत्र सूचना कार्यालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली में 8 व 9 अक्टूबर, 2012 को आयोजित किया गया। दो दिवसीय सम्मेलन सफलतापूर्वक आयोजित किया गया जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय तथा स्थानीय मीडियाकर्मी शामिल हुए। सात भिन्न सत्रों में वित्त, कृषि, रेलवे, सड़क एवं परिवहन, उर्जा, व्यापार मामलों, सूचना

एवं तकनीकी, नागरिक उड्डयन और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालयों सहित नौ मंत्रालयों को कवर किया गया। कान्फ्रेंस का उद्घाटन केन्द्रीय वित्तमंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा 8 अक्टूबर 2012 को किया गया जिसके बाद वे मीडिया से रूबरू हुए। ईईसी, 2012 के आयोजन से पूर्व एक कर्टेन रेजर और परामर्श जारी किये गये थे। आर्थिक संपादक सम्मेलन का शुरूआती सत्र का सजीव वेबकास्ट किया गया। आर्थिक संपादक सम्मेलन के उद्घाटन के दिन वित्तमंत्री के उद्घाटन भाषण को मीडिया को जारी किया गया। इसमें पूरे भारत से 43 क्षेत्रीय संपादक शामिल हुए। इसके अतिरिक्त 300 से अधिक संपादक, पत्रकार और आर्थिक लेखक शामिल हुए। भाग ले रहे मंत्रालयों के बड़े नीतिगत कदमों पर पृष्ठभूमि सामग्री तैयार, वितरित तथा पीआईबी के वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

जनसूचना अभियान (पीआईसी)

पूरे देश में केन्द्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों पर केन्द्रित सूचनाओं के प्रसार के लिए 'मीडिया आउटरीच कार्यक्रम व खास घटनाओं का प्रचार' की स्कीम के तहत पीआईबी जनसूचना अभियान आयोजित करती है। यह अभियान आम आदमी खासकर गांव, पिछड़े, पहाड़ी और प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सशक्त करने के लिए चलाया जाता है ताकि वे लोग इन कार्यक्रमों का लाभ उठाकर अपना जीवन स्तर सुधार सकें।

पीआईसी 3 से 5 दिनों का एक सूचना अभियान है जो पीआईबी द्वारा क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी), विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी), गीत एवं नाटक प्रभाग और स्थानीय जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार के अन्य अन्य विभागों के साथ मिलकर मुख्य रूप से अविकसित/देश के पिछड़े क्षेत्रों में आयोजित की जाती है। इन मल्टीमीडिया, मल्टी सेक्ट्रल सूचना अभियानों 25 से 50 स्टाल लगाए जाते है। कल्याणकारी योजनाओं के बारे में प्रदर्शनी भी लगायी जाती है। 2012–13 में 92 पीआईसी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 31 दिसंबर 2012 तक 50 पीआईसी आयोजित किये जा चुके हैं तथा शेष पीआईसी वित्त वर्ष 2012–13 की अंतिम तिमाही में आयोजित किये जाएंगे।

सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी चेन्नई में 8 फरवरी 2013 को मीडिया इकाइयों के प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए

मीडिया संपर्क सत्र

'मीडिया आउटरीच कार्यक्रम' के भाग के तौर पर चुनींदा राज्यों की राजधानियों में सामाजिक–आर्थिक विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, विकास की योजना आदि के मुद्दों पर मीडिया मिलन सत्र की भी योजना बनाई जाती है। इन अभियानों के तहत केन्द्रीय मंत्रियों एवं संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को दो से तीन दिन के मीडिया से संपर्क में राष्ट्रीय तथा स्थानीय मीडिया से देश के पूर्वोत्तर, आतंकवाद/नक्सलवाद से प्रभावित, पहाड़ी आदि जैसे पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए जा रहे महत्वपूर्ण कदमों को साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय तथा स्थानीय मीडिया तक पहुंच बनाना है ताकि ये जागरूकता पैदा करने में सहयागी बन सकें। वित्त वर्ष 2012–13 में दो मीडिया संपर्क सत्र किए जाने हैं।

प्रेस टूर

भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं को दिखाने के लिए तथा उनके बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रेस टूर 'मीडिया आउटरीच कार्यक्रम' का ही दूसरा अंग है। प्रमुख राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय मीडिया को विकास संबंधी प्रोजैक्ट को दिखाने के लिए लाया जाता है। ये टूर मीडिया को जमीनी स्तर पर विकास की प्रक्रिया को समझने में सहायक तथा सरकार के प्रयासों के प्रति गंभीर बनाता है। उसके बाद मीडिया आगे इन सूचानाओं को प्रसारित करने में सहायक बनाता है। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान 12 प्रेस टूर आयोजित करने का लक्ष्य है।

राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का प्रचार

21 सितम्बर, 2012 को सरकार द्वारा लिये गये तत्कालीन आर्थिक निर्णयों के कारणों को स्पष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम संबोधन को वृहत स्तर पर प्रचारित करने के लिए व्यवस्था की गई। बीते वर्ष में प्रधानमंत्री और पीएमओ ने 'सीधे नकद स्थानांतरण' सहित जनहित में कई महत्वपूर्ण कल्याण ाकारी कदम उठाये हैं। इन विषयो पर विभिन्न प्रेस विज्ञप्तियों को बृहत स्तर पर प्रसारित किया गया तथा पीएमओ के मूल्यांकन के लिए पूरे देश से व्यापक फीडबैक लिया गया। प्रधानमंत्री ने इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि विभागों में हो रहे विकास का अवलोकन किया, इसे समय–समय पर प्रेस विज्ञप्ति के जरिए रेखांकित किया गया। प्रधानमंत्री के विदेश दौरों को प्रेस वक्तव्यों, भाषणों, फोटो आदि के माध्यम से बडे पैमाने पर प्रचारित किया गया। इनमें प्रधानमंत्री के मार्च, 2012 में नाभिकीय सुरक्षा बैठक के लिए कोरिया गणराज्य की यात्रा, मई में म्यांमार की यात्रा, जून में जी20 तथा सस्टेनेबल समिट के लिए क्रमशः मैक्सिको और ब्राजील की यात्रा, गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन के लिए अगस्त में ईरान की यात्रा और नवम्बर 2012 में आसियान समिट के लिए कम्बोडिया की यात्रा शामिल है। पीआईबी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर लाल किला से प्रधानमंत्री के भाषण को मूल तथा हाईलाइट के रूप में त्वरित गति से जारी करने की व्यवस्था की। अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में विज्ञप्ति ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड किया गया तथा क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों को अनुवाद तथा स्थानीय मीडिया को उपलब्ध कराने के लिए ई–मेल किया गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की प्रेस सम्मेलन और रिपार्ट की कवरेज तथा व्यापक प्रचार सुनिश्चित की गई।

गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति के भाषण की कवरेज सुनिश्चित की गई। राष्ट्रपति भवन से भाषण की प्रति प्राप्त कर इसे क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को स्थानीय भाषा में अनुवाद में के लिए भेजा गया। राष्ट्रपति के भाषण को उर्दू में भी अनुवादित कर अंग्रेजी और हिन्दी वर्जन के साथ ब्यूरो की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

2012-13 में चुनाव के दौरान मीडिया कवरेज

लोकसभा और विधान सभा दोनों चुनावों में पीआईबी भारतीय चुनाव आयोग और मीडिया के बीच एक प्रभावी मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। जुलाई/अगस्त 2012 के मध्य संपन्न हुये चौदहवें राष्ट्रपति चुनाव और चौदहवें उपराष्ट्रपति चुनाव के साथ–साथ नवंबर/दिसंबर 2012 में गुजरात तथा हिमाचल प्रदेश के विधान सभा चुनावों में पीआईबी ने व्यापक कवरेज दिया। चुनावों के दौरान भारतीय चुनाव आयोग के दिशा निर्देषों को व्यापक और त्वरित गति से प्रसारित करने के लिए पीआईबी के अधिकारी भारतीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ काम करते हैं।

फीडबैक, फीचर और फोटो सेवा

सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति मीडिया के माध्यम से सामने आ रही लोगों की धारणाओं से सरकार

को अवगत कराते रहना पत्र सूचना कार्यालय के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। पीआईबी जो फीडबैक तैयार करती है उसमें देश की राजधानी से प्रकाशित राष्ट्रीय अंग्रेजी, हिंदी के दैनिक अखबारों, क्षेत्रीय भाषाई अखबारों, टेलीविजन न्यूज चैनल, वेब मीडिया एवं पत्रिकाओं के इनपुट शामिल होते हैं।

पीआईबी ने संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों को फीडबैक उपलब्ध कराया। पीआईबी के अधिकारी मंत्रालयों/विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर मीडिया रुझानों के संबंध में भी इनपुट देते हैं। विशेष सेवा के तहत मंत्रालयों के प्रयोग हेतु पीआईबी में फीडबैक सेल राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्रों तथा पाक्षिक पत्रिकाओं से समाचार तथा संपादकीय आधारित डेली डाइजेस्ट तथा स्पेशल डाइजेस्ट तैयार किए जाते हैं।

ब्यूरो के फीचर यूनिट ने बैकग्राउंडर, अपडेट, इनफो–नगेट, फीचर और ग्राफिक्स जारी किए जिन्हें क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों को भी अनुवाद तथा स्थानीय मीडिया को देने के लिए भेजा गया। पीआईबी की फीचर यूनिट औसतन वार्षिक 200 फीचर जारी करती है। अप्रैल से नवम्बर 2012 के मध्य 145 फीचर जारी किये गये, दिसम्बर 2012 से मार्च 2013 तक लगभग 60 फीचर जारी हाने के अनुमान हैं। पीआईबी के प्रचार दायरे में आने वाले सभी विषयों को शामिल किया गया है।

केन्द्रीय मंत्रियों, सचिवों, वैज्ञानिकों, आर्थिक विषेशज्ञों, पत्रकारों और पीआईबी अधिकारियों से मुख्यालय और क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों से सहयोग मिलता है। यूनिट सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को दर्शाते हुए विशेष फीचर जारी करती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर देश का सबसे लम्बा रेल और सड़क पुल, विश्व का सबसे ऊँचा चेनाब रेल पुल, नैनोइलेक्ट्रॉनिक में अनुसंधान एवं विकास, लघु उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, शिक्षा का अधिकारः बाल अधिकार, कृषि मौसम सलाहकार सेवाः किसानों की समृद्धि, कश्मीरी हस्तशिल्प, धुआं रहित घर, धूम्रपान के असर से महिलाओं एवं बच्चे को बचाने के लिए अभियान, खनिज कारोबार की ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम, सामान्य नागरिक को सशक्त बनाने में डाकघर की भूमिका आदि। भारत में संसार का सबसे बड़ा डाकघर नेटवर्क है। न्याय पाने की प्रक्रिया में सुधार–न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय मिशन तथा कानूनी सुधार, ग्रामीणों की आवास जरूरत पूरा करने के लिए–इंदिरा आवास योजना, एमसीए–21 ई–गवर्नेंस प्रोजेक्ट–भारत में व्यापार उपलब्ध कराने की एक पहल, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्ष योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम, मल्टी–ब्रांड रिटेल में एफडीआई–एडवांटेज फॉर ऑल, नेत्रहीनों के प्रति संवेदनशील रवेया अपनाना (अंर्तचक्षु), उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के श्री अम्बादत्त पांडे की कृषि क्षेत्र में सफलताओं का विवरण–होप स्प्रिंग्स इटरनल (कृषि मंत्रालय), आईएफएफआई–2012–भारत और विश्व के बेहतर सिनेमा का प्रदर्शन।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

राजभाषा कानून, 1963 (1967 में संषोधित) और राजभाषा नियमों के तहत निर्धारित वार्षिक लक्ष्य सहित राजभाषा विभाग के विभिन्न निर्देशों के अवलोकन तथा क्रियान्वयन हेतु हिंदी के प्रगामी प्रयोग के लिए पत्र सूचना कार्यालय में सभी संभव प्रयास किये जाते हैं।

समिति की त्रैमासिक बैठक प्रधान महानिदेशक (एमएंडसी) की अध्यक्षता में लगातार होती है और हिन्दी प्रशिक्षण, प्रेस विज्ञप्ति, हिन्दी प्रयोग के संबंध में क्षेत्रीय/शाखा कार्यालओं का निरीक्षण आदि पर इन बैठकों में चर्चा की जाती है। ब्यूरो सभी प्रेस विज्ञप्तियों को अंग्रेजी, हिन्दी तथा उर्दू में भेजती है। पीआईबी की वेबसाइट भी द्विभाषिक है। प्रत्येक वर्ष सितम्बर महीने में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया जाता है जिसमें आलेख लेखन, अनुवाद, टिप्पणी और मसौदा लेखन, राजभाषा प्रश्नोत्तरी, हिन्दी टाइपिंग व हिंदी स्टेनोग्राफी आदि हिंदी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पीआईबी मुख्यालय के अधिकारी राजभाषा भाषा नीति के कार्यान्वयन एवं नियम की समीक्षा करने के लिए क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों का दौरा करते हैं।

पीआईबी हिन्दी यूनिट/उर्दू यूनिट की गतिविधियां

ये इकाईयां हिंदी/उर्दू अखबारों के शीर्षक तथा संपादकीयों का अंग्रेजी अनुवाद तथा प्रेस विज्ञप्ति, फीचर, बैकग्राउंडर, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, गृह मंत्री के भाषणों का हिन्दी/ उर्दू अनुवाद तथा डीएवीपी के मैन्युअल और पुस्तिका की जांच आदि से दैनिक प्रेस राउंडअप तैयार करती हैं। 1 अप्रैल से 14 दिसंबर 2012 तक हिन्दी/उर्दू यूनिट ने 7155 हिन्दी/उर्दू विज्ञप्ति निकाली तथा 332 फीचर और बैकग्राउंडर हिन्दी/उर्दू में जारी किए।

जनवरी–मार्च, 2013 के दौरान गतिविधियों की योजना

भारतीय विज्ञान कांग्रेस

भारतीय विज्ञान कंाग्रेस जनवरी, 2013 में आयोजित किया जिसका थीम था विज्ञान एवं तकनीकी। इस कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। ''100वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस'' का 2 से 8 जनवरी 2013 तक कवरेज पीआईबी द्वारा आयोजित किया गया। व्यापक स्तर पर कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पीआईबी ने दूरदर्शन तथा आकाशवाणी के साथ बड़े पैमाने पर कार्यक्रम को कवर किया।

प्रवासी भारतीय दिवस समारोह

प्रवासी भारतीय दिवस समारोह भारतीय प्रवासी मामलों के मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। ग्यारहवां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 7 से 9 जनवरी 2013 तक केरल के कोचि में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री, डॉ. मनमोहन सिंह ने 8 जनवरी 2013 को कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी ने 9 जनवरी 2013 को समापन भाषण दिया तथा प्रवासी भारतीय सम्मान दिए गए। समारोह का विषय था ''एंगेजिंग डायसपोराः द इंडियन ग्रोथ स्टोरी''। मॉरीशस के राष्ट्रपति श्री राजकेश्वर प्रयाग इसके मुख्य अतिथि थे। तीन दिवसीय समारोह में लगभग 2,000 प्रतिनिधियों ने इस वर्ष भाग लिया। इस समारोह में भारत तथा विदेश के लगभग 300 मीडियाकर्मियों ने भाग लिया। प्रेस कॉन्फ्रेन्स, प्रेस विज्ञप्ति व फोटो कवरेज द्वारा प्रिन्ट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज किया गया। प्रेस विज्ञप्ति, उद्घाटन तथा समापन समारोह सहित कार्यक्रम का अन्य फोटो, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के भाषण को भी वेबसाइट पर अपलोड किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह स्थल पर स्थित मीडिया सेन्टर द्वारा प्रेस सामग्री और भाषण की प्रति उपलब्ध करवायी गई।

सामाजिक क्षेत्र के मुद्दों पर अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन 2013

सामजिक क्षेत्र के मुद्दे पर अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन बंगलुरू, कर्नाटक में 23 से 25 मार्च 2013 तक आयोजित की जायेगी। अधिक से अधिक समावेशी समाज बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाये जा रहे विभिन्न कदमों के बारे में पत्रकारों को ब्रीफ किया जाता है। सम्मेलन के दौरान योजनाओं के क्रियान्वयन से अवगत कराने के लिए पत्रकारों को फील्ड दौरा भी कराया जाता है।

रेल बजट 2013

पीआईबी रेल बजट प्रस्तुत करने के तुरंत बाद मंत्री एवं बोर्ड सदस्यों द्वारा प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित करने की व्यवस्था की। रेल भवन तथा संसद भवन में स्थानीय मीडिया को बजट दस्तावेज बाँटने की व्यवस्था भी की गई। विभिन्न टीवी चैनलों से रेल मंत्री तथा बोर्ड सदस्यों की बातचीत की व्यवस्था की गई। बजट दस्तावेज को पत्र सूचना कार्यालय क्षेत्रीय/शाखा कार्यालय को भेजना भी सुनिश्चित किया गया। पीआईबी मुख्यालय ने रेल बजट पेश होने के तुरंत बाद प्रेस विज्ञप्ति जारी करती है। पीआईबी प्रेस विज्ञप्ति तैयार करने के लिए रेल बजट भाषण के दौरान रेल भवन में एक सामाचार कक्ष की स्थापना की जिसने बड़ी मुस्तैदी से काम किया।

आम बजट 2013

पीआईबी ने आम बजट 2013–14 के पेश होने पर इस पर इसकी विशेषताओं को मीडिया से साझा करने के लिए वित्त मंत्री/सचिवों के लिए प्रेस कान्फ्रेंस का आयोजन किया। पीआईबी बजट पर प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराती है। ब्यूरो बजट का सार संक्षेप मीडिया में बाँटने की भी व्यवस्थ करती है। वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान ही लोगों को साथ–साथ जानकारी देने के लिए पीआईबी में एक विशेष समाचार कक्ष कायम किया गया। पीआईबी मुख्यालय केन्द्रीय बजट पेश होने के तुरंत बाद प्रेस विज्ञप्ति का डिजिटल वर्जन वेबसाइट पर जारी करती है। बजट के बाद प्रिन्ट और इलेक्ट्रॉनिक से एक कर बातचीत तथा साक्षात्कार की व्यवस्था की जाती है।

योजना कार्यान्वयन 2012–13

पत्र सूचना कार्यालय सरकारी सूचना के लिए भारत सरकार का एकमात्र अधिकृत चैनल है और सरकार तथा नागरिक के बीच की एक कड़ी है। वर्षों से अपने राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के जरिए तकनीकी एवं व्यावहारिक क्षेत्र में प्रासंगिक बन रहे कर पीआईबी ने अपनी उपीयोगिता सिद्ध की है। अगले पांच वर्षों में एक समावेशी समाज को निर्मित करने तथा हमारी राज्य व्यवस्था में सूचना के अभाव के स्तर पर असंतुलन को दूर करने के लिए

2 अक्टूबर 2012 को आइजोल जिले के मेलरीयट में युवा मिजो एसोसिएशन, मेलरीयट शाखा के अध्यक्ष श्री एफ. लालफकजुआला, डीएवीपी द्वारा आयोजित भारत निर्माण कार्यक्रम की फोटो प्रदर्शनी का उद्‌घाटन करते हुए।

पीआईबी के विगत आठ दशकों के संचित सामूहिक अनुभव और दक्षता को और आगे ले जाने की जरूरत है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित हैं :

1. प्रेस विज्ञप्ति, एसएमएस, वीडियो, मोबाईल के जरिए, ई–मेल तथा अन्य उपलब्ध साधनों से सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों तथा गतिविधियों संबंधित सूचना को प्रसारित करना।

2. संकट तथा राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में प्रचार व्यवस्था की योजना, निर्देशन तथा पर्यवेक्षण कर सरकार की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करना।

3. जिन लोगों की पहुंच आधुनिक तकनीक तक नहीं है उन तक परंपरागत संचार माध्यम यानि जनसूचना अभियानों के जरिए पहुंचना। इन लक्ष्यों को पाने के लिए, पीआईबी बहुत ही प्रभावी ढ़ंग से आधुनिकतम तकनीकों तथा परम्परागत माध्यमों का इस्तेमाल कर रहा है।

1. नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र स्थापित करना

यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय योजना में सतत योजना के तौर पर शामिल किया गया है तथा इसे लागू करने के 2012–13 में 9 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। 14 फरवरी 2013 तक माड्‌यूलर फर्नीचर, और ऑडियो विजुअल कार्य को छोड़कर ईंट, प्लास्टर फर्श, एल्यूमिनियम से जुड़े कार्य, आंतरिक विभाजन की दीवारों, बिजली संबंधी कार्य, सेनेटरी/पानी

आपूर्ति, फायर अलार्म/अग्निशमन प्रणाली और एचवीएसी कार्य हो चूके हैं। 9 करोड़ धनराशि का फंड अक्टूबर 2012 से एनबीसीसी को जारी किया जा चूका है। एनबीसीसी को 6 करोड़ जारी करने की प्रक्रिया, प्रक्रिया के तहत है। संशोधित प्रोजेक्ट खर्च के मुताबिक साल 2012–13 के दौरान पीआईबी के लए 16.45 करोड़ भुगतान करने की आवश्यकता है। मंत्रालय के द्वारा (कैपीटल सेक्शन) योजना के तहत इस संबंध में 7.45 करोड़ का अतिरिक्त फंड आवंटित किया गया है।

2. विशेष घटनाक्रम के लिए मीडिया आउटरीच कार्यक्रम तथा प्रचार

यह योजना बारहवीं पंचवर्षीय में कुल 70 करोड़ तथा इस वर्ष के लिए आवंटित 12 करोड़ के साथ शामिल किया गया है। इस योजना के निम्नलिखित तीन घटक हैं:–

¼d½ ehfM;k vkmVjhp dk;Øe ½ इस कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार की प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी का प्रसार निम्नलिखित गतिविधियों से करना है :

(1) जनसूचना अभियान–वित्त वर्ष 2012–13 में 136 अभियान संचालित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(2) मीडिया मिलन सत्र, सफलता की कहानियों का प्रसार और प्रेस टूर। चालू वर्ष 2012–13 के दौरान पीआईबी को इस घटक के लिए 11.90 करोड़ धनराशि की एसबीजी आवंटित की गई। प्रशासनिक अनुमोदन 24 अगस्त 2012 को तथा पीआईबी के द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को आवंटन 29 अगस्त 2012 को किया गया। दिसंबर 2012 तक 54 पीआईसी के आयोजन में 4 करोड़ रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है। आर.ई. 2012–13 में इस घटक के लिए पीआईबी को 7.90 करोड़ आवंटित किये जा चुके हैं।

¼[k½ Hkkjr dk vrjk"Vªh; fQYe mRlo ¼vkbZ,Q,QvkbZ½ vk;kftr djuk½ इस घटक का उद्देश्य आईएफएफआई के दौरान पत्रकारों को विशेष मान्यता प्रदान करने के लिए तथा मीडिया सेन्टर में पत्रकारों के उपयोग हेतु कम्प्यूटर किराये पर लेने के लिए अपने अधिकारी नियुक्त करना है। चालू वर्ष 2012–13 के दौरान बतौर एसबीजी 9 लाख आवंटित किये गये हैं। इस घटक के तहत आवंटित फंड का उपयोग गोआ में 20 से 30 नवम्बर 2012 को आईएफएफआई आयोजित करने में किया गया।

¼x½ izoklh Hkkjrh; fnol lekjkg ½ प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के दौरान पत्रकारों को अधिकारियों द्वारा विशेष पहचान जारी करने के लिए इस मद में बी. ई. 2012–13 में कुल बजट 1 लाख है। जनवरी 2013 में यह आयोजन किया गया।

3. पीआईबी का आधुनिकीकरण

बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस नई योजना को शामिल किया गया है। इस योजना का उद्देश्य आधुनिक तकनीक का पूर्ण उपयोग तथा पीआईबी के मुख्यालय तथा क्षेत्रीय व शाखा कार्यालयों की क्षमता में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने के लिए पीआईबी में संचार एव सूचना प्रसारण के तंत्र को आधुनिक तथा अपग्रेड करना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस मद में 25 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है जिसमें वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान 5 करोड़ आवंटित किये जा चुके हैं। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए इस योजना के तहत दो घटकों को शामिल किया गया है:–

¼d½ lapkj rFkk lpuk r= dks vk/kfud cukuk½ इस घटक का उद्देश्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की सूचना प्रसारित करना, नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रति लक्षित दर्शकों की प्रतिक्रिया देना, संचार संकट और आपात स्थिति प्रतिक्रिया पर सहयोग देना, सरकार को आईईसी रणनीति पर सलाह देना, मीडिया सुविधा तथा मान्यता प्रदान करना है। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान प्रस्तावित गतिविधियां हैं–वीडियो कान्फ्रेंसिंग से संबंधित उपलब्ध सेवा को अपग्रेड करना, वेबसाइट रखरखाव आदि, एक्रेडीटेशन सॉफ्टवेयर का निर्माण, ऑफिस तथा अधिकारियों के लिए मोबाईल उपकरणों का प्रावधान, कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं तथा सोशल मीडिया सेल शुरु करने की प्रक्रिया।

¼[k½ vkikr fLFkfr ds fy, pkSchl ?kaVs ds fy, ehfM;k dUVªksy :e½ यह एक फीडबैक तथा प्रतिक्रिया सिस्टम है जिसके तहत किसी आपात स्थिति में मंत्रियों तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के लिए फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए चौबीसों घंटे न्यूज चैनल को मॉनिटर किया जाता है ताकि वे सही वक्त पर समुचित प्रतिक्रिया दे सकें। चौबीसों घंटे के फीडबैक तथा प्रतिक्रिया

सिस्टम काफी कारगर तरीके से काम कर रहा है। इसमें निम्नलिखित घटक होते हैंः–

क) मुख्यालय में चौबीसों घंटे न्यूज चैनल की मॉनिटरिंग

ख) समाचार एजेंसियों से आने वाली खबरों की चौबीसों घंटे मॉनिटरिंग

बाद में यह तय हुआ कि इस योजना के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए आवंटित कुल राशि का केवल उपरोक्त घटक के लिए ही उपयोग किया जाएगा। इस संबंध में पीआईबी को एक संशोधित ईएफसी मेमो प्राप्त हुआ। पीआईबी की यह योजना मंत्रालय की 'मीडिया के बुनियादी ढ़ांचा विकास कार्यक्रम (एमआईडीपी)' योजना के अतर्गत उप–योजना के तौर पर शामिल की गई है। एमआईडीपी की योजना का आकलन ईएफसी ने 10 दिसंबर 2012 को किया। अब इसपर सूचना और प्रसारण मंत्री और वित्तमंत्री से अनुमोदन लिया जाना है।

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय

(www.davp.nic.in)

विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (डीएवीपी) की स्थापना 1955 में की गई। यह भारत सरकार की केन्द्रीय मल्टी–मीडिया विज्ञापन एजेंसी है। पिछले 56 वर्षों से लगभग सभी केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों, स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्रा के उद्यमों की संचार संबंधी जरूरतों को एक ही स्थान पर तथा किफायती सेवा उपलब्ध कराकर पूरा करती रही है। संचार के विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिंट मीडिया विज्ञापन, ऑडियो विजुअल विज्ञापन, मुद्रित प्रचार, प्रदर्शनी, बाहर प्रचार कर, बड़े पैमाने पर मेल भेजकर यह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में ग्रामीण तथा शहरी जनता को बताती व शिक्षित करती है और विकास कार्यों में शामिल होने के लिए उत्साहित करती है। डीएवीपी के विज्ञापन का विशेष जोर राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, एड्स के प्रति जागरूकता, महिला सशक्तीकरण, बालिकाओं के जीवन स्तर में सुधार, ग्राहक जागरूकता, साक्षरता, रोजगार सृजन, आयकर, सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, ऊर्जा संरक्षण, हस्तशिल्प का विकास तथा प्राकृतिक आपदा के लिए तैयारी पर है।

संगठनात्मक स्वरूप

मुख्यालय में डीएवीपी का संगठनात्मक स्वरूप अभियान, विज्ञापन, आउटडोर प्रचार, प्रर्दशनी, इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर, मास मेलिंग, आडियो विजुअल विंग, डिजायन स्टूडियो, प्रषासन तथा लेखा विंग जैसे विभिन्न विभागों से मिलकर बनता है। इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, बंगलुरू, गुआहाटी में हैं। कोलकाता और चेन्नई में क्रमशः पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों में प्रचार सामग्री के वितरण की देखभाल के लिए दो क्षेत्रीय वितरण केन्द्र स्थापित किये गये हैं। डीएवीपी के पास देश भर में फैले 32 क्षेत्र प्रदर्शनी यूनिट है। डीएवीपी की क्षेत्र प्रदर्शनी यूनिट सरकार तथा जनता के बीच महत्वपूर्ण संचार कड़ी के रूप में कार्य करती है। क्षेत्र प्रदर्शनी इकाई प्रमुख राष्ट्रीय विषयों पर सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए देश के दूर दराज क्षेत्रों में सामाजिक तथा विकास की थीम पर आधारित मल्टी मीडिया प्रदर्शनी लगाती है।

वर्ष 2012 के दौरान विभिन्न गतिविधियां

देश में बदल रही मीडिया परिस्थितियों को अपनाने के लिए डीएवीपी ने अपने मीडिया अंगों को विस्तार दिया है। लगभग 900 मिलियन मोबाईल कनेक्शन के साथ लोगों तक पहुंचने के लिए टेक्स्ट मैसेजिंग एक ताकतवर व प्रभावी माध्यम के रूप में उभरा है। इसी प्रकार से इंटरनेट भी छोटे तथा मझोले शहरों तक पहुंच रही है। परिणामतः यह समाज के युवा तथा शिक्षित वर्गों तक पहुंचने का यह एक प्रभावी माध्यम बन चुका है। डीएवीपी ने मोबाईल टेलीफोनी (एसएमएस) और इंटरनेट विज्ञापन (वेबसाइट) एक पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया है। इसके साथ ही डीएवीपी ने डिजिटल सिनेमा तथा सामुदायिक रेडियो को भी अपने मीडिया अंगों में जोड़ा है।

- py in'kuh ou&Hkkjr fuek.k vfHk;ku के तहत सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों को जमीनी स्तर पर गांव–गांव पहुंचाने के लिए चल प्रदर्शनी वैन का उपयोग किया गया। यह वैन जहां जन संचार की पहुंच बहुत कम है अथवा नहीं है वहां जाती है। मोबाईल वैन में एलसीडी टीवी और ऑडियो सिस्टम तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक प्रमोटर के साथ पांच तरफ से बैकलिट होर्डिंग लगे होते हैं। इस वैन को कर्नाटक, उत्तराखंड,

झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों के कई जिलों में घुमाया गया। सैटेलाइट से वैन पर सीधी नजर रखने के लिए इसमें जीपीआरएस लगाया गया।

- ikjnf’krk d mik; rFkk rduhdh lfEeJ.k%
  - ➤ टीवी चैनलों को डिजिटल टीवी विज्ञापन प्रदान करना।
  - ➤ शत प्रतिशत रिलीज आर्डर्स ऑनलाइन कर दिए गए
  - ➤ रिलीज आर्डर्स के बारे में एसएमएस अलर्ट जारी करना
  - ➤ शत प्रतिशत ऑनलाइन (ई–बिल) बिलिंग
  - ➤ ऑनलाइन प्रोसेसिंग तथा शत प्रतिशत भुगतान का एनईएफटी स्थानांतरण।
  - ➤ तीव्रतम वितरण के लिए चैनल को ऑनलाइन क्रियेटिव स्थानांतरण करना।
  - ➤ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तथा फाइल स्थानांतरण आदि के लिए फील्ड तथा क्षेत्रीय यूनिट/ऑफिस को नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ना।
  - ➤ बीटा टेप्स के डिजिटलाइजेशन की पहल
  - ➤ ऑनलाइन मीडिया प्लानिंग तथा आउटडोर प्रचार के लिए आदेश जारी करना।
  - ➤ आउटडोर प्रचार के ऑनलाइन बिलिंग की पहल।
  - ➤ पैनल रिपोर्ट वेबसाइट पर रखी जाती है।
  - ➤ आवेदक को अपनी फाइल को व्यक्तिगत रूप जाँचने तथा सत्यापित करने की अनुमति दी जाती है।
  - ➤ अस्वीकृति का कारण आवेदक तक प्रेषित किया जाता है।

- fcfyx

बिलिंग का पूरा सिस्टम स्वचालित है तथा शत प्रतिशत बिल ऑनलाइन प्राप्त किये जाते हैं। क्यू शीट बनाना, वित्तीय मंजूरी और ठीक बिल बनाना आदि ये सभी कार्य है स्वतः ही कम्प्यूटर तथा उनका भुगतान

युवा मिजो एसोसिएशन, कुलीकांव शाखा के उपाध्यक्ष श्री लालचाविलीआना 25 सितंबर 2012 को कुलीकांव, आईजोल में भारत निर्माण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए।

एनईएफटी स्थानांतरण से किया जाता है। यह कार्य सुचारू रूप से चल रहा है।

- Vyhfo tu vkfM;Ul esatjesV vkj ,MDl ¼ चैनलों की रेटिंग व बिल जांचने के लिए टैम तथा एडेक्स की रिपोर्ट ऑनलाइन तैयार की जाती है।

- vkmV vkj fMftVy fluek
  - ➤ डिजिटल सिनेमा के लिए मीडिया रणनीति ऑनलाइन तैयार की जाती हैं।
  - ➤ डिजिटल सिनेमा जारी करने के आदेश ऑनलाइन दिए जाते हैं।
  - ➤ डिजिटल सिनेमा से बिल भी ऑनलाइन प्राप्त किये जाते हैं।

- fØ;fVo ,tfUl;k
  - ➤ क्रियेटिव एजेंसियों की ऑनलाइन सूची बनाना
  - ➤ क्रियेटिव एजेसियों का ब्यौरा डीएवीपी वेबसाइट पर दी जाती है।

- Mh,ohih oSclkbV **(www.davp.nic.in)**
  - ➤ विभिन्न रिपोर्टों सहित वार्षिक रिपोर्ट डीएवीपी की वेबसाइट पर रखी जाती है।
  - ➤ सभी परामर्श वेबसाइट पर जारी किये जाते हैं।
  - ➤ सभी क्लासीफाइड विज्ञापन वेबसाइट पर रखे जाते हैं।
  - ➤ सभी टेंडर वेबसाइट पर उपलब्ध होते हैं।
  - ➤ इन कदमों से उच्च स्तरीय पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।
  - ➤ डीएवीपी ने अपनी वेबसाइट विशेष जरूरतों वाले लोगों के अनुकूल बनाया है। अब नेत्रहीन लोग भी बिना किसी रुकावट के वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।

- vk/kqfudhdj.k

अब नियतकालिक सहित सभी समाचार पत्र सूचीकरण, दर नवीकरण आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन भेजते हैं। इसी प्रकार से, चैनल, आउटडोर प्रचार, बिल सैटलमेंट जैसे प्राप्ति, प्रोसेसिंग व भुगतान, (दृश्य माध्यम/समाचारपत्र) विज्ञापन वितरण के लिए भी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है।

  - ➤ कार्य आदेश, ऑडियो स्पॉट की जानकारी, बिल की प्राप्ति आदि सभी ऑनलाइन किये जाते हैं।
  - ➤ केवल व सैटेलाइट चैनलों तथा एफएम स्टेशनों के आवेदनों की सूची ऑनलाइन प्राप्त की जाती है।
  - ➤ चैनल व एफएम स्टेशन के प्रसारण सर्टिफिकेट तथा टैम डाटा के आधार पर बिल मान्य किया जाता है।
  - ➤ सी एंड एस चैनलों के लिए दर नवीकरण टैम डाटा (टीवीआर) पर आधारित तथा ईएसी की दिशानिर्देशों के अनुरूप होता है।
  - ➤ सभी बिल वेबसाइट पर उपलब्ध होते है।
  - ➤ मोबाईल फोन एसएमएस और सामुदायिक रेडियो स्टेशन के जरिए विज्ञापन जारी करने के लिए एजेंसी का पैनल तैयार किया गया था।
  - ➤ टीवी चैनलों को डिजिटल रूप में टीवी विज्ञापन देने की पहल।
  - ➤ आउटडोर प्रचार अभियान में लागू करने के लिए जीपीएस तकनीक आधारित निगरानी सिस्टम बनाने की पहल की गई।
  - ➤ बीईटीए का डिजिटलीकरण की पहल।
  - ➤ इन सभी उठाए गये कदमों के परिणामस्वरूप डीएवीपी को टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल के लिए वेब रत्न 2012, गोल्डन ऑयकन अवार्ड से नवाजा गया। डीएवीपी वेबसाइट उपयोगकर्ता के अनुकूल विभिन्न गुणों के साथ देश में केवल एक विज्ञापन एजेंसी है जो डिजायन व आदेश ऑनलाइन जारी करता है तथा ऑनलाइन भुगतान करता है।

- आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण तथा डीएवीपी के कार्य प्रणाली में तकनीकी सुधार एक अविरत प्रक्रिया है। डीएवीपी समाचारपत्रों, विज्ञापन चैनलों को भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक सक्षम, पारदर्शी व उत्तरदायी बनाने के लिए अपना सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम के माध्यम से करती है। इसके अतिरिक्त, मुद्रित माध्यम व दृश्य श्रव्य माध्यम को पैनल में लिया है व नवीकरण के लिए आवेदन व

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी 14 दिसंबर 2012 को डीएवीपी द्वारा जारी सरकारी कैलेंडर 2013, के विमोचन के अवसर पर संबोधित करते हुए।

ऑनलाइन बिल प्राप्त करती है। यह ऑडियो को ऑनलाइन जारी करने की प्रक्रिया में भी सहायक है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वीडियो को अपलोड करने के लिए तथा दृश्य श्रव्य सामग्री के आर्काइविंग के लिए कदम उठाय जा रहे हैं।

- किसी विज्ञापन के लिए जारी आदेश अपलोड करने के तुरंत बाद संबंधित प्रकाशन को एसएमएस अलर्ट भेजने के लिए डीएवीपी ने एक नई तकनीक पेश की है। यह प्रकाशक को डीएवीपी की वेबसाइट ब्राउज न करने की स्थिति में भी जारी किये गये विज्ञापन के बारे में जानने में सहायक होगा।

- डीएवीपी प्रक्रियाओं के स्वचालन व डिजिटलीकरण तथा आई–टी तकनीकी के उपयोग से बहु–स्तरीय निगरानी करने की तैयारी कर रही है। इस से सभी स्तरों पर स्वचलित रिपोर्ट बनाने में सहायता होगी।

- ➤ डीएवीपी ने न्यू मीडिया के तौर पर ''डिजिटल सिनेमा'' और ''सामुदायिक रेडियो'' को पैनल में जगह दी है। एसएमएस, वेबसाइट के माध्यम से विज्ञापन के अन्य नए आयामों को पैनल में प्रमुखता से शामिल किया गया है।

- ➤ डीएवीपी ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रगति मैदान, नई दिल्ली में आयोजित भारत अंतराष्ट्रीय व्यापार मेला मे ''जच्चा–बच्चा स्वास्थ्य'' थीम पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रधानमंत्री के चुने हुए भाषणों को वितरित किया गया। कवर को रोचक स्वरूप प्रदान करने के लिए, कलर–कोडेड स्ट्रिप के साथ इसके प्रारुप व शैली को बेहतर बनाया गया।

- ➤ ग्राहकों से कुशलतापूर्वक व प्रभावी तरीके से पेश आने के लिए डीएवीपी ने प्रिन्ट तथा मल्टी–मीडिया केटगरी तहत 17 रचनात्मक ऐजेंसियों को पैनल में जगह दी जिसकी कुल संख्या अब 108 है। दिल्लीवासियों को हिन्दी पखवाड़ा, सर्तकता जाकरुकता सप्ताह आदि के महत्व से अवगत कराने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किये गये।

- डीएवीपी के पैनल में शामिल उर्दू अखबारों की संख्या पिछले सालों से लगातार बढ़ रही है। डीएवीपी के पैनल में 2003–04 में जहां 181 समाचार पत्र थे, वहीं इस वर्ष 542 प्रकाशन हैं। उर्दू समाचार पत्रों का विज्ञापन रेवेन्यू 2003–04 में 4.82 करोड़ से बढ़कर 2012–13 में 7.37 करोड़ हो गया।

अभियान स्कंध

डीएवीपी ने मल्टी–मीडिया भारत निर्माण अभियान मुद्रित, दृश्य–श्रव्य, आउटडोर प्रचार तथा प्रदर्शनी के माध्यम से चलाया। डिसप्ले विज्ञापन जारी किये गये, दृश्य–श्रव्य प्रसारण हुआ। साल 2012–13 के दौरान डीएवीपी ने विभिन्न थीमों पर जैसे–महात्मा गांधी, पंडित जवहार लाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती, श्री राजीव गांधी की जन्म एवं मृत्यु वर्षगांठ, पंडित मोती लाल नेहरू और गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती, विशेष ग्राम सभा, निर्मल भारत अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, बीस सूत्री कार्यक्रम व केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं, कुपोषण पर मल्टी–मीडिया अभियान, जागो ग्राहक जागो, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह आदि पर अपने ग्राहक मंत्रालयों/विभागों की ओर से डिस्पले विज्ञापन जारी किए।

- **turk ds dk;Øeksa ds fy, jkT;okj iqfLrdk,a%** डीएवीपी ने राज्यवार जनता के लिए कार्यक्रमों पर पुस्तिकाएं डिजायन व मुद्रित की। इसमें असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व जम्मु–कश्मीर आदि राज्य शामिल थे। ये पुस्तिकाएं पीआईबी के सहयोग से छापी गई। इनसे सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है।

- **turk dks fjiksVZ%** डीएवीपी ने केन्द्र सरकार के विभिन्न क्षेत्रों में उठाये गये कदमों व उपलब्धियों पर एक पुस्तिका डिजाइन व मुद्रित की। 'जनता को रिपोर्ट' शीर्षक की यह पुस्तिका आम आदमी के लाभ के लिए केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किये जा रहे उपायों के बारे में तथ्य आधारित महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती है।

- **izeq[k dk;Øeksa ij lwpuk iqfLrdk%** युवा सशक्तिकरण, सूचना का अधिकार, महिला सशक्तीकरण, अल्पसंख्यंकों का हित, कमजोर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं, गांवों के लिए समावेशी विकास, पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा आदिवासी के लिए विशेष कार्यक्रम जैसे विभिन्न विषयों पर डीएवीपी ने सात सूचना पुस्तिकाएं भी डिजायन व मुद्रित किया। सरकार द्वारा लिए जा रहे कल्याणकारी उपायों के बारे में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए उनके बीच ये पुस्तिकाएं वितरित की गई।

- **lrr eqfnzr ek/;e vfHk;ku%** अंबेडकर जयंती, स्वतंत्रता दिवस, सद्भावना दिवस, शास्त्री जयंती, नेहरू जयंती, सरदार पटेल जयंती, आतंकवाद विरोधी दिवस, राष्ट्रीय अखंडता दिवस आदि पर डीएवीपी ने सतत मुद्रित मीडिया अभियान चलाया है।

दृश्य श्रव्य स्कंध

डीएवीपी का दृश्य श्रव्य स्कंध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को व्यापक सेवा मुहैया कराता है। दृश्य श्रव्य स्पॉट, जिंगल, डॉक्यूमेंट्री, प्रायोजित रेडियो कार्यक्रम, मीडिया प्लानिंग तथा आकाशवाणी से अभियानों का जारी करना, निजी एफएम स्टेशन, सामुदायिक रेडियो, दूरदर्शन, निजी कम्युनिकेशन व सैटेलाइट चैनल, डिजिटल सिनेमा, वेबसाइट तथा एसएमएस अभियान आदि कार्यों का निष्पादन करती है।

दृश्य श्रव्य अभियान

वित्त मंत्रालय के लिए स्वालंबन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए रक्तदान व कंडोम अभियान, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 'भारत निर्माण' और बीआईएस हॉल मार्किंग आदि वर्ष 2012–13 के बड़े दृश्य–श्रव्य अभियान हैं।

दृश्य श्रव्य निर्देशन

दो बड़े साप्ताहिक रेडियो कार्यक्रम डीएवीपी के द्वारा निर्देशित किये गए और आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों पर प्रसारित हुए। किशोरों के लिए 'टेन टू ऐटीन' (15 मिनट का कार्यक्रम) व विभिन्न स्वास्थ्य संबंधि मुद्दों का समेटते हुए 'एक कदम खुशहाल जिंदगी की ओर' (15 मिनट का कार्यक्रम) स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए हिंदी तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में बनाये गए। इन प्रसारित कार्यक्रमों के अलावा कई दृश्य–श्रव्य स्पॉट व फिल्म जैसे गृह मंत्रालय के लिए नक्सलवाद की रोक,

सूचना व प्रसारण मंत्रालय के लिए केवल टेलीविजन डिजिटलीकरण, घरेलू हिंसा आदि के लिए दिशा निर्देश आदि बनाये जाते हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए पीएनडीटी।

एम्पैनलमेंट

d½ jfM;k Vhoh pSuy

31 दिसंबर 2012 तक लगभग 270 निजी सी एंड एस चैनल तथा 222 निजी एफएम चैनल स्टेशन डीएवीपी के पैनल में शामिल किये गये हैं। यह दूरदर्शन चैनल व आकाशवाणी केन्द्रों के अतिरिक्त हैं ।

[k½ fMftVy flusek

डीएवीपी के पैनल में शामिल की गयी डिजिटल एजेंसियों की संख्या 2001 में तीन थी और 2012 में बढ कर छह हो गयी है। पैनल में शामिल किये गये स्क्रीनों की संख्या 4500 हो गई है ।

x½ lkeqnkf;d jfM;ks dsUæ

पैनल में शामिल किये गये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की संख्या 1 से बढ कर 24 पहुंच गई है ।

?k½ bUVjusV osclkbV

इंटरनेट वेबसाईट के संबंध में पायलट परियोजना का विस्तार करते हुए नियमित रुप से पैनल में शामिल करने के लिए इटरनेट वेबसाईटों को जोडा गया है। पायलट परियोजना के तौर पर वर्तमान में 36 एजेंसियों को डीएवीपी के पैनल में शामिल किया गया है। आयकर के ई–फाइलिंग, टीडीएस के संबंध में जागरुकता, मस्कट डिजाइन, भारत निर्माण, भारतीय सेना में भर्ती आदि विभिन्न विभागों के अनेक अभियानों को शुरु किया गया है।

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी और कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन राज्य मंत्री श्री वी. नारायणसामी 2013 के कलैंडर के जारी होने के बाद प्रदर्शनी को देखते हुए

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

3½ ,l,e,l ,tfl;k

वर्तमान में पांच एजेंसियां पायलट आधार के तौर पर डीएवीपी के पैनल में शामिल की गयी हैं। इस माध्यम के जरिये सेना में भर्ती, ई–फाइलिंग, मस्कट डिजाइन, केबल का डिजिटाइजेशन एवं डेंगू के रोकथाम के संबध में अनेक अभियान विभिन्न विभागों द्वारा शुरु किये गये हैं।

विज्ञापन

23 नवंबर 2012 तक देश के विभिन्न समाचार पत्रों को 10,029 विज्ञापन जारी किये गये । इनमें से 767 डिसप्ले विज्ञापन है जबकि शेष वर्गीकृत विज्ञापन हैं।

भारत निर्माण, उपभोक्ताओं को शिक्षा, रैगिंग का विरोध, विश्व जनसंख्या दिवस,विश्व एड्स दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, मलेरिया निवारण दिवस, आयोडीन की कमी रोकथाम दिवस, पर्यावरण दिवस, विश्व दृष्टि दिवस, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा), गांधी जयंती, बाबू जगजीवन राम स्मृति दिवस, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, सदभावना दिवस व गणतंत्र दिवस पर विज्ञापन शामिल हैं ।

प्रदर्शनी स्कंध

2012–13 में प्रदर्शनी स्कंध ने 1781 प्रदर्शनी दिवसों में 339 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। महात्मा गांधी, रवीन्द्र नाथ टगौर, पंडित जवाहर लाल नेहरु, डा. बी.आर. अंबेडकर एवं श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे पूर्व नेताओं पर 71 प्रदर्शनी दिवस सहित 15 प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। विभिन्न स्थानों पर पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा आयोजित किये गये जन सूचना अभियानओं (पीआईसी) में डीएवीपी ने भी भाग लिया। इस दौरान 81 दिनों का 25 जनसूचना अभियानों का आयोजन किया गया। विभिन्न इकाइयों ने इन प्रमुख मेलों तथा कार्यक्रमों में भाग लिया:–

प्रगति मैदान में आईआईटीएफ, 2012

नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य

मेला–2012 में डीएवीपी ने स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग की ओर से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। मां और शिशु का स्वास्थ्य इसका विषय था। एक मेगा शो का आयोजन भी किया गया जिसमें प्रदर्शनी को तीन मंजिला भवन में प्रदर्शित किया गया। प्लाजमा टीवी पर आडियो विजुवल शो भी दिखाया गया ताकि लोग इस विषय पर अधिक जागरुक हो सकें।

एमटीएनएल परफेक्ट हैल्थ मेला

नई दिल्ली में 7 से 11 नवंबर तक आयोजित प्रतिष्ठित एमटीएनएल परफेक्ट हैल्थ मेले में डीएवीपी ने भाग लिया।

सीआरपीएफ मेला

नई दिल्ली में 30 नवंबर से 2 दिसंबर 2012 तक आयोजित सीआरपीएफ मेले में मुख्यालय इकाई ने भाग लिया।

फोटो कैप्शन– 07 अक्तूबर 2012 को डीएवीपी द्वारा भारत निर्माण पर जनसूचना अभियान के तहत आयोजित फोटो प्रदर्शनी देखने पहुंचे लोग

प्रादेशिक सेना

3 से 10 नवंबर तक नई दिल्ली में आर्मी परेड मैदान में डीएवीपी ने प्रादेशिक सेना पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया ।

गणेश मेला

उत्तर प्रदेश के चंदौसी में 17 सितंबर से 7 अक्तूबर 2012 तक गणेश मेले में डीएवीपी ने भाग लिया ।

महिलाओं का सशक्तिकरण

नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में 3 से 9 अक्तूबर 2012 तक मुख्यालय इकाई ने भारत में महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया ।

नौचंदी मेला

उत्तर प्रदेश के मेरठ में 1 अप्रैल से 15 मई 2012 तक नौचंदी मेले में डीएवीपी ने भाग लिया ।

पुरी रथ यात्रा

20 से 29 जून 2012 तक पुरी की विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा के दौरान डीएवीपी की भुवनेश्वर इकाई ने फ्लैगशिप कार्यक्रम भारत निर्माण पर प्रदर्शनी आयोजित की ।

बागेपल्ली तालुक, चिकबल्लापुर (कर्नाटक) में भारत निर्माण जनसूचना अभियान के दौरान लोग डीएवीपी की प्रदर्शनी देखते हुए

महात्मा गांधी

चेन्नई इकाई ने गुइंडी, चेन्नई में 2 से 4 अक्तूबर 2012 महात्मा गांधी पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। जयपुर इकाई ने 2 से 8 अक्तूबर तक ग्राम पंचायत समिति हिंडोली में प्रदर्शनी का आयोजन किया। तिरुवनंतपुरम इकाई ने महात्मा गांधी पर एक प्रदर्शनी 2 से 6 अक्तूबर 2012 तक इलानांथुर में आयोजन किया। जम्मू इकाई ने भी अखनूर में 2 से 6 अक्तूबर 2012 तक महात्मा गांधी पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। मुख्यालय इकाई ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में 1 से 2 नवंबर 2012 तक गांधी मेले में महात्मा गांधी पर प्रदर्शनी में भाग लिया।

रवीन्द्रनाथ टगौर

बिडला इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क, कोलकाता में रवीन्द्र नाथ टैगोर के 150वीं जंयती वर्ष के अवसर पर आयोजित ईएनपीसीसी पश्चिम बंगाल में कोलकाता इकाई ने भाग लिया।

विविध

कोलकाता इकाई ने पंडित जवाहर लाल नेहरु की जंयती के अवसर पर एक प्रदर्शनी में भाग लिया। कोलकाता इकाई ने नवंबर में आईटीसी पार्क में इन्दिरा प्रियदर्शिनी विषय पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। साधारण प्रदर्शनी कार्यक्रमों के अलावा कोलकाता इकाई ने विभिन्न मेलों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया।

सोनपुर मेला

21 अगस्त से 5 सितंबर तक सोनपुर के विश्व प्रसिद्ध पशु मेले एवं राजगीर मेले में पटना इकाई ने भाग लिया। भारत निर्माण विषय पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

1 से 15 अक्तूबर 2012 तक गया के पितृपक्ष मेले में भी पटना इकाई ने भारत निर्माण प्रदर्शनी का आयोजन किया। 24 जून से 3 जुलाई तक मधुबनी जिले में आयोजित सौराठ सभा मेला में पटना इकाई ने भाग लिया।

अक्तूबर– नवंबर 2012 में इंदिरा प्रियदर्शिनी विषय पर जगदीशपुर, गुलजारबाग व हाजीपुर में तीन प्रदर्शनियों का पटना इकाई ने आयोजन किया ।

क्षेत्रीय कार्यालय

cxy#

बेंगलुरु क्षेत्रीय कार्यालय के 8 इकाइयों ने 569 दिवसों में 80 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। जिन थीमों पर इन प्रदर्शनियों का आयोजन

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

किया गया उनमें भारत निर्माण, नेत्र सुरक्षाा, आतंकवाद के घिनौने रूप, गांधीजी, पंडित जवाहर लाल नेहरु जयंती, एचआईवी एवं एड्स व सभी के लिए स्वास्थ्य शामिल हैं। मैसूर में दशहरा के दौरान तीन माह की प्रदर्शनी में एफईओ बेंगलुरु ने भाग लिया। चेन्नई इकाई कोयंबटूर में मेगा मेला में शामिल हुई ।

x|okgkVh

इस अवधि में गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय की 7 इकाइयों ने 225 दिवसों में 45 प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इसमें सात पीआईसी व 38 स्वतंत्र प्रदर्शनी थी।

जिन थीमों पर इन प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया उनमें भारत निर्माण, फ्लैगशिप कार्यक्रम, एनएचआरएम, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास आदि शामिल हैं।

विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के संदेश पहुंचाने के लिए डीअएवीपी मोबाइल प्रदर्शनी वैन का इस्तमाल करता है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छतीसगड, मेघालय, उत्तराखंड व मध्य प्रदेश के दूरदराज के इलाकों में मोबाईल प्रदर्शनी वैन का इस्तेमाल किया गया।

25 फील्ड प्रदर्शनी इकाइयों ने जनसूचना अभियानों में भाग लिया। विभिन्न स्थानों पर पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) द्वारा आयोजित जनसूचना अभियानों में डीएवीपी ने भी भाग लिया । इस अवधि में 81 दिनों में 25 पीआईसी आयोजित हुए।

गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2012

गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2012 के प्रचार में डीएवीपी ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया।

डीएवीपी ने वर्ल्ड सिनेमा, आईएफएफआई हैंडबुक, कैटलॉग, इंडियन सिनेमा, आईएफएफआई कैटलॉग, पोस्टर आदि का प्रकाशन किया।

मुद्रित प्रचार स्कंध

मुद्रित प्रचार स्कंध (प्रिंट पब्लिसिटी विंग) प्रकाशित सामग्री के जरिये प्रचार की आवश्यकताओं की देखभाल करता है। बहुरंगी पोस्टर, , फोल्डर, कलेंडर, डायरी, ब्राउशर, स्टिकर, वॉल हैंगर, टेबल कलेंडर व अन्य सामग्री के प्रकाशन कार्य की योजना, छपाई व देखरेख आदि कार्य यह विंग करता है।

आवश्यकता व बजट आवंटन के आधार पर सूचना व प्रसारण मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों व विभागों के योजना आकलन तैयार करने का कार्य भी किया जाता है।

डीएवीपी द्वारा तमिल, तेलुगु, कन्नड, मलायलम, मराठी, गुजराती. बांगला, असमिया, ओडिया,पंजाबी , उर्दू व हिन्दी समेत सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में प्रचार सामग्री तैयार की जाती है। इस विंग के पास मुद्रकों टाइपसेटरों और डायरी बनाने वालों का एक पैनल है जिससे काम समय पर समाप्त किया जा सके तथा खर्च को भी नियंत्रित किया जा सके। डीएवीपी का प्रिंट पब्लिसिटी विंग पिछले कई दशकों से आम लोगों तक सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों की जानकारी पहुंचाता रहा है।

अप्रैल- दिसंबर 2012 तक कार्य समाप्ति/हाथ में लिये गये कार्य

¼:i;k eÕ½

dk;l	dk;l dh l[;k	vkbVe dh l[;k	çfr;k dh l[;k	çfrcf)r jkf'k
पोस्टर	8	23	5,36,000	16,32900
फोल्डर	23	76	36,93,000	53,48,401
बुकलेट	24	33	10,22,850	68,44,586
कलेंडर	19	32	16,37,000	5,41,08,519
डायरी	07	07	1,31,500	98,72,786
अन्य	18	44	5,34,200	1,71,38,290
dqy ;kx	99	215	75]54]550	9]49]45]482

बाह्‌य प्रचार स्कंध

आउटडोर मीडिया निश्चित तौर पर ध्यान आकर्षित करता है। यह किसी निश्चित समाचार पत्र, चैनल त सीमित न होने के कारण इसकी पहुंच व्यापक है । अन्य प्रचार के मुकाबले बाहय प्रचार दिन–रात सुलभ रहता है। ग्रामीण इलाकों में सचित्र विवरण बडे–बडे अक्षरों में दीवार पर की गई पेंटिंग के जरिये ग्रामीणों को आकर्षित करते हैं । ग्रामीण इलाको में लोगों को प्रेरित करने के लिए आउटडोर ही प्रमुख मीडिया है । अभियानों के प्रभाव को बढाने हेतु डीएवीपी ने आउटडोर के सभी माध्यमों को तैयार करने व प्रदर्शन करने के लिए हर संभव प्रयास किया है ।

विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के साथ साथ भारत सरकार के स्वायत्त संस्थाओं के लिए जानकारी प्रदान करने व लोगों में जागरुकता पैदा करने के लिए विभिन्न अभियानों को लेकर प्रचार किया गया है । इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम व विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रचार कार्य किये गये । इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार है–

क) मार्च से सितंबर माह तक डिसप्ले की संख्याः 1690114

ख) मार्च से सितंबर माह तक संपन्न किये गये कार्यः 214

इस अवधि में अनेक महत्वपूर्ण अभियान जैसे भारत निर्माण, अन्धेपन की रोकथाम, ऊर्जा कार्यकुशलता, बीआईएस, आय कर, नया व नवीकरण योग्य ऊर्जा,पेंशन, आईसीडब्लूएआई, फिल्म महोत्सव आदि का प्रचार किया गया ।

मास मेलिंग इकाई

प्रधानमंत्री के भाषणों के अलावा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों व संगठनों की ओर से प्रस्तुत बुकलेट, फोल्डर, पोस्टर, लीफलेट, ब्राउशर आदि प्रकाशित प्रचार सामग्री समूह मेलिंग विंग को प्राप्त होती है।

इन प्रचार सामग्रियों का वितरण क्लाएंट विभाग निर्देशों अथवा आवश्यकता के आधार पर किया जाता है । इसके अलावा प्रतिवर्ष प्रकाशित होने वाली कलेंडर व डायरी सभी राज्यों और संघशासित प्रदेशों के महत्वपूर्ण लोगों, सभी मंत्रालयों और संबंधित कार्यालयों को निशुल्क, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों व स्वायत्त संस्थाओं को पूरे देश में भुगतान के आधार पर और ब्लॉक, पंचायत व ग्राम पंचायतों में भेजा जाता है । इस विंग के पास 587857 पते हैं । इन पतों का 481 टार्गेट आडियैंस समूहों में विभाजित किया गया है।

सतर्कता

डीएवीपी में 2004 में पूर्ण रुप से सतर्कता विभाग स्थापित किया गया था । इसका मुख्यालय दिल्ली में है । यह सतर्कता विभाग महानिदेशक की सम्पूर्ण देखरेख में काम कर रहा है । इस कार्य के लिए एडीजी, निदेशक (सतर्कता) , डिप्टी डाइरेक्टर (प्रशासन) एवं अन्य सहयोगी कर्मचारी उनका सहयोग करते हैं ।

दंडात्मक गतिविधियां

- इस अवधि में शिकायत /संदर्भ प्राप्त होने की संख्या..20
- प्राथमिक जांच होने वाले मामलों की संख्या..04
- प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने वाले मामलों की संख्यात्र...............................05
- बडे दंड के लिए चार्ज शीट जारी होने संबंधी मामलों की संख्या.....................0
- छोटे दंड के लिए चार्ज शीट जारी होने संबंधी मामलों की संख्या.................0
- जिन पर बडे दंड लगाये गये हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या..................................0
- जिन पर छोटे दंड लगाये गये हैं, ऐसे व्यक्तियों की संख्या.............................0
- जिनको निलंबित किया गया हो और निलंबन वापस लिया गया हो, ऐसे व्यक्तियों की संख्या...0
- जिनके खिलाफ प्रशासनिक कार्यवाही जैसे चेतावनी जारी की गई हो, ऐसे व्यक्तियों की संख्या 0
- नियम के प्रावधानों के अनुसार समय से पूर्व सेवानिवृत्त किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 0
- फैसले / कैट के आदेश प्राप्त होने वाले मामलों की संख्या 0

सतर्कता एकांश ने 29 अक्तूबर से 3 नवंबर 2012 तक सतर्कता सप्ताह मनाया। निम्न विषयों पर व्याख्यान आयोजित किये गये – 1. डीएवीपी में पारदर्शिता के प्रयास 2. लोगों के प्रति आत्मीयतापूर्ण व्यवहार के तरीके।

पीआईबी द्वारा अमरपुर (त्रिपुरा) में आयोजित जन सूचना अभियान के दौरान लोग डीएवीपी की प्रदर्शनी देखते हुए

लेखा स्कंध

डीएवीपी का अकाउंट विंग प्रतिवर्ष मीडिया को प्रदान किये जाने वाले लगभग 700 से 750 करोड रुपये का हिसाब–किताब रखता है। इसमें समाचार पत्रों से लेकर टीवी चैनल, रेडियो चैनल , आउटडोर पब्लिसिटी एजेंसियों से लेकर संगठन के पैनल में शामिल प्रोड्युसर व मुद्रक शामिल हैं । अपर महानिदेशक (लेखा) के नेतृत्व में इस विंग में निदेशक (लेखा), वित्तीय सलाहकार, एवं मुख्य लेखा अधिकारी, 6 लेखा अधिकारी, पांच सहायक लेखा अधिकारी, 6 लेखाकार/कनिष्ठ लेखाकार होते हैं।

çe[k miyfC/k;k¡

1) प्रदर्शनी व वेतन समेत सभी भुगतानों का इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रान्सफर में सफल रुपांतरण

2) निजी पक्षों को की जाने वाली 100 प्रतिशत भुगतान अब तत्काल इलेक्ट्रोनिक फंड्स ट्रान्सफर के जरिये किया जाता है जिससे बिलंब से बचने के साथ–साथ ट्रांजिट के दौरान चेक के खोने का डर नहीं रहता।

3) बिल की स्थिति के बारे में अब वेब साइट से ट्रैक किया जा सकता है । बिल की स्थिति क्या है, किसी कारणबश बिल यदि खारिज हुआ है या फिर उसे मंजूरी प्राप्त हुई है, इसकी जानकारी भी वेबसाईट के जरिये ली जा सकती है ।

4) बिल दाखिल करने के लिए स्पष्ट समय–सीमा का निर्धारण (ऑडियो विजुअल बिल के लिए एक माह तथा समाचार पत्रों के लिए दो माह)

5) बिल स्वीकार करने के लिए सूचना भवन में फेसिलिटेशन सेल की स्थापना जहां बिल लिया जाता है तथा तिथि सहित रसीद प्रदान की जाती है।

6) बिल खारिज होने वाले प्रत्येक बिल के लिए निदेशक (लेखा) का पत्र

7) किसी कारणवश पिछले बिल के जमा न हो पाने तथा किसी कारण बिल खारिज होने वाले पिछलो बिलों को स्वीकार

करने के लिए डीएवीपी ने अक्तूबर–नवंबर व मार्च 2012 में दो विशेष अभियान चलाये ।

8) 79 बकाया आडिट पैरा में से 77 को निपटा लिया गया है ।

9) भुगतान की प्रासेसिंग में शामिल समस्त कर्मचारियों को आवश्यक साफ्टवेयर समेत कंप्यूटर उपलब्ध करवाया गया है ।

egRoi.k igy % लेखा स्कंध की प्रमुख पहल इस प्रकार हैंः–

1) अकाउंट प्रोसेसिंग व जांच की आउटसोर्सिंग

2) शिकायतों के लिए हेल्प लाइन व कॉल सेंटर की स्थापना

आईटी स्कंध

एनआईसी के साथ मिल कर डीएवीपी ने ई–गवर्नैंस के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। यह प्रगति दोनों क्षेत्रों में अपने ग्राहक मंत्रालय व अन्य ग्राहकों जैसे समाचार पत्र, टीवी रेडियो चैनलों व प्रोड्युसरों से संपर्क में हुई है। डीएवीपी की वेबसाईट को प्रयोक्ता के अनुकूल बनाने के लिए पुनर्गठित किया गया है। सूचना व प्रसारण मंत्री ने इसका शुभारंभ किया। पहली बार इस नये वेबसाईट में ग्राहक विभागों के साथ–साथ समाचार पत्रों व आडियो विजुअल विज्ञापन के कोष के उपयोग को लेकर स्थिति को जानने की सुविधा प्रदान की गयी है। यह वेबसाईट विकलांगों के लिए भी इस्तमाल करने में आसान है। एसएमएस, डिजिटल सिनेमा, वेव साईच एवं आउटडोर पब्लिसिटी एजेंसियों को पहली बार ऑनलाइन रिलीज आर्डर जारी किया गया है।

भाषाई अनुवाद स्कंध

अनेक ग्राहक मंत्रालयों के लिए डीएवीपी ने अनुवाद करवाया है। कैजुअल आधार पर सूचीबद्ध अनुवादकों द्वारा यह कार्य करवाया जाता है। विज्ञापन, कलेंडर, बुकलेट, फोल्डर आदि के लिए यह अनुवाद कार्य किये गये हैं। डीएवीपी के अनुवाद विंग में क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक भाषाई टाइपिस्ट हैं ।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक

(www.rni.nic.in)

1953 में प्रथम प्रेस आयोग की अनुशंसा के आधार पर एवं प्रेस एंड रेजिस्ट्रेशन आफ बुक्स (पीआरबी) एक्ट –1867 में संशोधन कर 1 जुलाई 1956 को भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आरएनआई) के कार्यालय की स्थापना हुई।

प्रेस एंड रेजिस्ट्रेशन आफ बुक्स (पीआरबी) एक्ट –1867 में आरएनआई की जिम्मेदारी व कार्यों का उल्लेख है। सूचना व प्रसारण मंत्रालय से जुडे यह कार्यालय वैधानिक दायित्वों के साथ–साथ कुछ अन्य कार्य भी करता है। वैधाानिक कार्यों में पत्र–पत्रिकाओं के नाम की जांच करना, उनका पंजीकरण करना, प्रसार संख्या की जांच करना, प्रेस इन इंडिया नामक वार्षिक प्रतिवेदन को संकलित करना आदि शामिल है। अन्य कामों में न्यूजप्रिंट आयात करने में समाचार पत्रों को योग्यता प्रमाण पत्र, मुद्रण मशीनरी के आयात के लिए आवश्यकता प्रमाण पत्र तथा विदेशी योगदान पंजीकरण के लिए ''नो न्यूजपेपर प्रमाण पत्र'' जारी करना शामिल है।

नामों की जांच, पंजीकरण व प्रसार संख्या

अप्रैल से नवंबर 2012 तक आरएनआई ने पत्र–पत्रिकाओं के नामों (टाइटल) के लिए दिये गये कुल 13381 आवेदनों की जांच की और इसमे से 8225 को मंजूर किया गया। शेष आवेदनों को (पीआरबी) एक्ट –1867 के तहत टाइटल प्रदान करने के लिए उपलब्ध नहीं पाया गया। इसी अवधि में 5470 समाचार पत्रों को पंजीकरण का प्रमाण पत्र (4794 नया, 946 संशोधित) जारी किया गया । 2007 से लागू सरकार की नयी विज्ञापन नीति के तहत, उन समाचार पत्रों का प्रसार संख्या की जांच आरएनआई द्वारा की जा रही है जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार या उससे अधिक प्रति पब्लिशिंग दिवस है। यह कार्य डीएवीपी के अनुरोध तथा प्रकाशनों के व्यक्तिगत अनुरोध पर किया जा रहा है। अप्रैल से नवंबर 2012 के बीच में 47 समाचार पत्र व पत्रिकाओं का आकलन हुआ।

नामों को डि–ब्लॉक करना

आरएनआई द्वारा जांच के बाद दो साल के अंदर पंजीकरण न किये गये (पंजीकरण के लिए आरएनआई में दस्तावेज न सौंपने वाले) प्रकाशकों का टाइटल डि–ब्लॉक किया जाता है। 2010 में जांचे गये 4127 टाइटलों को 2012–13 में (नवंबर 2012 तक) डि–ब्लॉक किया गया।

वार्षिक रिपोर्ट: प्रेस इन इंडिया

पीआरबी अधिनियम–1867 के धारा 19डी के प्रावधानों के अनुसार आरनआई पंजीकृत समाचार पत्र व पत्रिकाओं की जानकारी एकत्रित करता है तथा उनका संकलन कर वार्षिक प्रकाशन– प्रेस इन इंडिया (प्रकाशको द्वारा दिये गये वार्षिक बयान के आधार पर) के नाम से प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है ।

2011–12 के लिए 56वीं वार्षिक रिपोर्ट सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव को दिसंबर 2012 में सौंपी गयी।

न्यूजप्रिंट

1 मई 1995 से न्यूज प्रिंट को ओपन जनरल लाइसेंस में रखा गया है। वास्तविक उपयोगकर्ता ग्लेज्ड एवं स्टैंडर्ड, सभी प्रकार के न्यूजप्रिंट बिना किसी प्रतिबंध के आयात कर सकता है। इंपोर्ट आफ न्यूजप्रिंट पॉलिसी के तहत जो प्रकाशक न्यूज प्रिंट आयात करना चाहता है, उसे एक योग्यता प्रमाण पत्र (ईसी) की आवश्यकता होती है। आरएनआई यह प्रमाण पत्र जारी करता है और कितनी मात्रा में न्यूजप्रिंट समाचार पत्र आयात कर सकता है, इसमें उसका उल्लेख रहता है। पिछले दो वर्षों के इस्तमाल किये गये न्यूजप्रिंट के आधार पर तथा इस साल इस्तमाल होने वाले प्रस्तावित न्यूजप्रिंट के संबंध में प्रकाशक द्वारा दिये गये हलफनामे के आधार पर आरएनआई इसकी अधिकतम मात्रा तय करता है।

अप्रैल 2012 से नवंबर 2012 तक न्यूजप्रिंट आयात के लिए 1019 योग्यता प्रमाण पत्र जारी किये गये।

मशीनरी का आयात व नो न्यूजपेपर प्रमाणपत्र

प्रकाशन से संबंधी मशीनरी तथा इससे जुडे सामग्री के आयात के लिए आरएनआई सिफारिश करने वाली आधिकारिक संस्था है। इस कारण समाचार पत्र प्रतिष्ठानो को प्रकाशन, कंपोजिंग तथा इससे जुड़ी सामग्रियों के आयात में समाचार पत्रों को कस्टम ड्युटी में रियायत के लिए आरएनआई से आवश्यक प्रमाण पत्र चाहिए। अप्रैल से नवंबर 2012 तक समाचार पत्र प्रतिष्ठानों से प्रकाशन, कंपोजिंग तथा इससे जुड़ी सामग्रियों के आयात के लिए एक भी आवेदन नहीं आया है। इसी अवधि में फॉरेन कंट्रिब्युशन रेगुलेशन एक्ट के तहत छूट के लिए एक नो न्यूजपेपर प्रमाणपत्र जारी किया गया है ।

राजभाषा

14 से 28 सितंबर तक आरएनआई ने हिन्दी पखवाडा का आयोजन किया । इस अवधि में सरकारी कामों में हिन्दी के इस्तमाल को बढावा देने के लिए अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । मार्च 2013 में अर्धवार्षिक पत्रिका *पंजीयन भारती* का प्रकाशन किया जाएगा। आरएनआई में एक सहायक निदेशक (ओएल) व दो अनुवादक में कार्यरत हैं।

जन शिकायत

कार्यालय में एक जन शिकायत केन्द्र कार्य कर रहा है। डिप्टी प्रेस रेजिस्ट्रार आंतरिक शिकायत निस्तारण मशीनरी के प्रमुख है।

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर तैयार किया गया है तथा इसे आरएनई की आधिकारिक वेबसाईट (http.rni.nic.in) पर डाला गया है।

जनसूचना प्रकोष्ठ

प्रकाशकों तथा आवेदनकर्ताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर ई–मेल द्वारा आये प्रश्नों का उत्तर देने के लिए जनसूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रश्न ई–मेल के जरिये pqrc.rni@nic.in पर भेज सकते हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

इस अवधि में आरटीआई एक्ट के तहत 623 आवेदन प्राप्त हुए और इनके उत्तर दे दिये गये हैं।

कंप्यूटरीकरण

टाइटल जांच से लेकर पंजीकरण, जांच किये गये नामों का ब्योरा, नामों की जांच संबंधी पत्र आदि की कंप्युटरीकृत प्रोसेसिंग के अलावा पंजीकरण प्रमाणपत्र को आरएनआई की वेबसाईट पर डाला जाता है। इसे आवेदनकर्ताओं द्वारा वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस डाटाबेस का इस्तमाल कर सकता है और अपने पसंद का नाम चुन सकता है। राज्य/भाषावार आंकडे आरएनआई की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं जो डाउनलोड हो सकते है।

2011–12 में आरएनआई की विभिन्न गतिविधियों की समेकित जानकारी

¼01-04-2012 ls 30-11-2012 rd½

Øekd	xfrfof/k dk uke	okLrfod dk;Z fu"iknu 01-04-2012 ls 30-11-2012 rd dk;Z	vizSy 2011 ls ekpZ 2012 rd fu"iknu
1-	VkbVy eatwjh		
क)	प्राप्त संदर्भ	21274	13381
ख)	स्वीकृत	12425	8225
ग)	अस्वीकृत	8214	3898
घ)	डि ब्लाक किये गये टाइटल	9319	4127
2-	iathdj.k	5911¼4827$1084½	6364
ङ)	नये मामले	4827	
च)	संशोधित सीआर	1084	
3-	ladyu'kqu pd	21	
4-	çdk'ku e'khujh o mlls tqMh lkexh		
छ)	प्रिंटिंग मशीनरी आयात करने के लिए जारी आवश्यकता प्रमाण पत्र	0	0
ज)	फॉरेन कंट्रिब्युशन रेगुलेशन एक्ट में छूट के लिए प्रमाण पत्र	07	1
झ)	आरटीआई के तहत आवेदनों पर कार्रवाई	1046	623
5	U;wt fçaV		
ञ)	न्यूजप्रिंट आयात के लिए प्रकाशकों को जारी किये गये योग्यता प्रमाणपत्र	1135	1019
6-	fjiksVZ lsy		
ट)	प्रेस इन इंडिया	2009.10	
ठ)	प्राप्त किये गये वार्षिक स्टेटमेंट	14508	

fVIi.kh& *प्रकाशकों द्वारा दिये गये आवेदन व अनुरोध के आधार पर। इन कार्यों में कोई भी लक्ष्य तय नहीं किया गया है।*

12वीं प्लान स्कीमः मीडिया बुनियादी ढांचा विकास कार्यक्रम–आरएनआई मुख्यालय को सुदृढ करना

12वीं पंचवर्षीय योजना 2012–17 में आरएनआई मुख्यालय को सुदृढ करने का प्रस्ताव शामिल है । इसमें 1 करोड रुपये खर्च होने का आकलन किया गया है। इस योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं –

1. आरएनआई के दस्तावेजों/रिकार्डों का डिजिटाइजेशन 2. वार्षिक स्टेटमेंटों की ई–फाइलिंग 3. टाइटलों का ऑनलाइन जांच/ उन टाइटलों का आनलाइन पंजीकरण

सतर्कता

आरएनआई कार्यालय में सतर्कता (विजिलैंस) प्रेस रजिस्ट्रार के देखरेख में कार्य करता है। इस कार्य में निदेशक के स्तर के एक अधिकारी (डिप्टी प्रेस रजिस्ट्रार) उनकी सहायता करते हैं जो संगठन में सतर्कता अधिकारी के रुप में कार्य करते हैं। सतर्कता अधिकारी की सहायता करने के लिए अन्य अधिकारी/सहायक कार्य करते हैं।

lj{kkRed lrdrk xfrfof/k ¼01-04-2012 ls 31-12-2012 rd½

आरएनआई के कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए समाचार पत्र व पत्रिकाओं के नामों की जांच व पंजीकरण को आरएनआई की वेबसाइट पर डाला जाता है और इसे नियमित रुप से अपडेट किया जाता है। इसी तरह प्रकाशकों को सुविधा के लिए पंजीकरण की स्थिति से संबंधित ब्योरे और कमियों के बारे में पत्रों को भी आरएनआई के वेबसाईट में डाला जाता है। इसके अलावा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा भ्रष्ट तत्वों को पकडने संबंधी निर्देशों को प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे अनेक नाम हैं जिन्हें आरएनआई कार्यालय ने जांच के बाद उनका प्रकाशन नहीं होने के कारण उनको डि–ब्लाक कर दिया गया है। इससे नाम प्राप्त करने के लिए समस्या कम होने के साथ साथ समय की भी बचत हुई है। कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में भेंट करने के लिए तय समय के दौरान आगंतुकों से संबंधित अनुभाग अधिकारी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मिलते हैं तथा उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं। कर्मचारियों पर विशेष रुप से नजर रखी जाती है ताकि वे आगंतुकों पर अनुचित प्रभाव न डाल सकें। स्वागत कक्ष में तथा संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को नियमित तौर पर बदला जाता है। नियमों व प्रक्रिया का सही पालन हो रहा है कि नहीं, यह देखने के लिए सतर्कता अधिकारी द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है।

प्रकाशकों को आने वाली दिक्कतों को ध्यान में रख कर एक सुविधा काउंटर खोला गया है। इसके अलावा स्वागत कक्ष में आगंतुकों को सुविधा पहुंचाने के लिए एक कंप्युटर भी उपलब्ध कराया गया है ।

leh{kk vof/k ds nkSjku nMkRed@lrdrk xfrfof/k;k¡

1. नियमित निरीक्षणों की संख्या 19
2. अचानक निरीक्षणों की संख्या 16
3. चौकसी एवं धरपकड गतिविधियां:

- चौकसी के चयनित क्षेत्रों का विवरण: टाइटल, पंजीकरण, प्रसार, न्यूजप्रिंट, स्टोर, डाक काउंटर, स्वागत कक्ष
- निगरानी के लिए चयनित व्यक्तियों की संख्या: 0

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय
(www.dfp.nic.in)

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/ योजनाओं के बारे में आम लोगों को जानकारी देने के लिए जमीनी स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता है। सरकार के विकास एवं कल्याण कार्यक्रमों की सफलता इनके लाभार्थियों के जागरूक होने पर निर्भर हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निदेशालय लोगों को जागरूक बनाता है और विभिन्न कार्यक्रमों तथा योजनाओ के अमल में उनका स्वैच्छिक तथा उत्साहपूर्ण योगदान सुनिश्चित करता है। निदेशालय के प्रयास अंतर्वैयक्तिक संपर्क पर आधारित हैं जो संचार का सबसे कारगर तरीका है। स्थानीय सम्मानित नागरिकों और लाभार्थियों से सीधी बातचीत, सामूहिक चर्चाओं, घर–घर जाने और जनसभाओं के जरिए ये उद्देश्य पूरे किये जाते हैं। इसके साथ ही पारंपरिक और लोकशैलियों तथा अन्य माध्यमों का समुचित इस्तेमाल किया जाता है। निदेशालय अपने काम काज में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के विभागों और एजेंसियों का भी सहयोग लेता है।

funs'kky; ds mn~ns';

- सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों, नीतियों और उपलब्धियों के प्रचार–प्रसार के लिए निदेशालय अपने संपूर्ण संसाधनों के साथ आम लोगों तक पहुंचता है और उन्हें इन प्रयासों से मिलने वाले लाभों की जानकारी देता है।
- निदेशालय आम लोगों के बीच लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे मूलभूत राष्ट्रीय मूल्यों का प्रचार–प्रसार करता है।
- सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों तथा इनके अमल के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया जानना और अधिकारियों को सूचित करना ताकि जरूरी सुधार किये जा सकें।

लोगों को सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने में क्षेत्रीय प्रचार

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

निदेशालय की भूमिका अन्य मीडिया इकाइयों से विशिष्ट है क्योंकि यह ग्राहक मंत्रालयों/विभागों और लक्षित समूहों से उनकी प्रतिक्रिया भी हासिल करता है। इस तरह क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सरकार और आम लोगों के बीच पुल का काम करता है।

संस्थागत सेट–अप

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय तीन स्तरों पर कार्य करता है– (1) नई दिल्ली स्थित मुख्यालय (2) क्षेत्रीय कार्यालय (3) क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां। डीएफपी के 22 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो विभिन्न राज्यों की राजधानियों में है एवं 207 क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां पूरे देश भर में अधिकतर जिला मुख्यालयों में हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय करीब 6 से 13 फील्ड यूनिट का नियंत्रण करता है। क्षेत्रीय प्रचार इकाइयां क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी के अधीन कार्य करता है। प्रचार अधिकारी की सहायता के लिए एक प्रचार सहायक एवं अन्य स्टाफ होते हैं। इकाइयों में गाड़ियों एवं दृश्य–श्रव्य उपकरणों की पूरी व्यवस्था रहती है। सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के संबंध में जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्रीय प्रचार इकाई महीने में करीब 10–12 दिन यात्राएं (रात्रिकालीन विश्राम सहित) करता है। ये यात्राएं खासकर देश के दूर–दराज एवं ग्रामीण के इलाकों में की जाती हैं। नजदीकी क्षेत्र में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान रात्रिकालीन विश्राम नहीं किया जाता है।

ई–गवर्नेंस

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय (डीएफपी) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों एवं इकायों के बेहतर संचालन के लिए सूचना एवं संचार की नवीन तकनीकों का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है।

उपलब्धियांः अप्रैल से अक्तूबर 2012 तक

1.	फिल्म शो आयोजन की संख्या	16,178
2.	विशेष कार्यक्रमों के आयोजन की संख्या	2,526
3.	समूह चर्चा आयोजन की संख्या	23,174
4.	फोटो प्रदर्शनी आयोजन की संख्या	15,302
5.	एकत्रित फीडबैक स्टोरी की संख्या	7,506
	d|y xfrfof/k;k	64]686

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों एवं इकाइयों में कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है ताकि उनके एवं मुख्यालय के सूचनाओं का आदान–प्रदान तेजी से किया जा सके। विश्लेषण,संदर्भ एवं रिकार्ड के उद्देश्य से क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा फोकस्ड (केंद्रित) रिपोर्ट एवं डाटाबेस नियमित रूप से तैयार किया जाता है एवं इस पर अपलोड भी किया जाता है। बारह क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गोवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, लखनऊ. रांची एवं कोलकाता के वेब पेज लांच किए जा चुके हैं एवं बाकी 10 भी जल्द ही लांच कर दिए जायेंगे।

प्रमुख गतिविधियां

नियमित पब्लिसिटी कार्यक्रम

जमीनी स्तर पर लक्षित वर्ग (लाभार्थियों) के बीच केंद्रित एवं पब्लिसिटी कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए 2012–13 सत्र के दौरान मासिक प्रचार विषय की शुरुआत की गई। डीएफपी की इकाइयों ने जागरूकता पैदा करने के लिए प्रचलित थीम के अलावा कुछ नये विषयों की भी शुरुआत की। अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम, सच्चर समिति की सिफारिशें, आरटीआई आदि के तहत भी जागरूकता अभियानों का आयोजन भी किया गया।

सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रचार गतिविधियां

अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, मेघालय–मिजोरम–त्रिपुरा (एमएमटी), नागालैंड एवं मणिपुर, ऊत्तर–पश्चिम (पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश), राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल (नार्थ) सिक्किम एवं पश्चिम बंगाल (साउथ) के क्षेत्रीय कार्यालयों ने अपने अधीन आने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया। फील्ड यूनिट ने सीमा से लगे गांवों में रहने वाले लोगों को सरकार द्वारा शुरू किए गए विविध स्कीमों की विस्तृत जानकारी दी। इस अभियान के तहत राष्ट्रीय संप्रभुता एवं साम्प्रदायिक सद्भावना पर जोर दिया गया।

जनसूचना अभियान (पीआईसी) में भागीदारी

नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन अप्रैल से अक्टूबर 2012 के दौरान 12 जनसूचना अभियानों का आयोजन किया गया जिन्हें जनता का जोरदार समर्थन मिला। प्रत्येक पीआईसी मे दो से चार इकाइयों ने भाग लिया एवं भारत निर्माण के थीम पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया।

नक्सल प्रभावित इलाकों में प्रचार कार्यक्रम

नौ क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे आंध्रप्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,ओडिशा, ऊत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल के फील्ड पब्लिसिटी यूनिट ने नक्सल प्रभावित इलाकों में भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी स्कीमों एवं कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार एवं लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया।

अल्पसंख्यकों की बेहतरी हेतु प्रधानमंत्री के नये 15–सूत्रीय कार्यक्रम एवं सच्चर समिति की सिफारिशें

इकाइयों ने अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रमों एवं सच्चर समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए देशभर में प्रचार कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों के दौरान समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) की उपलब्धता, जीवन स्तर में सुधार, क्षमता में विकास, अल्पसंख्यकों की बेहतरी के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि, मदरसों में दी जाने वाली शिक्षा के आधुनिकीकरण पर जोर एवं अल्पसंख्यक समुदाय के मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृति आदि के संबंध में लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई।

क्रमिक मतदाता प्रशिक्षण एवं भागीदारी कार्यक्रम

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे क्रमिक मतदाता प्रषिक्षण एवं भागीदारी कार्यक्रम (सीवीईईपी) में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डीएफपी की सराहना की। इस अभियान के फलस्वरूप वर्ष 2011–12 में गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड एवं ऊत्तर प्रदेश में संपन्न हुए विधान सभा चुनावों में वोटर भारी संख्या में घर से निकले एवं अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इन कार्यक्रमों के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए डीएफपी के एक अधिकारी को विशेष तौर पर सम्मानित किया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमों के लिए विशेष अभियान

डीएफपी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रमो के प्रचार–प्रसार के लिए देश भर में वर्ष 2012–13 के दौरान करीब 2,400 से ज्यादा कार्यक्रमों के आयोजन किया। मंत्रालय ने इस अभियान के लिए जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) विषय तय किये। इसके अलावा क्षेत्र आधारित थीम मसलन जीवनचर्या से जुड़े रोगों (एचआईवी एवं एड्स, मलेरिया, डेंगू आदि) से संबंधित विषय निर्धारित किए थे। प्रत्येक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय नेताओं एवं लक्षित लाभार्थियों से मुलाकात की गई। इसके अलाव फोटो प्रदर्शनी, फीडबैक कलेक्शन, हेल्थ कैंप, रैली, पब्लिक मीटिंग, पुरस्कार वितरण एवं फिल्म शो आदि का आयोजन किया गया।

निदेशालय के क्षेत्रों द्वारा विशेष कार्यक्रमों का आयोजन

वर्ष 2012 के अप्रैल महीने में आंध्र प्रदेश एवं बिहार क्षेत्र के कार्यलयों द्वारा पल्स पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। जम्मू एवं जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय ने भारत निर्माण थीम पर आधारित कार्यक्रम का आयोजन डीएवीपी के साथ संयुक्त रूप से जम्मू के भौर एवं राजस्थान के सुनारा गांव में किया। इसके अलावा जम्मू क्षेत्र ने सांभा जिले में 15 से 19 मई,2012 के दौरान सर्व शिक्षा अभियान एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से संबंधित जागरूकता अभियान का आयोजन किया। इसमें डीएवीपी के प्रदर्शनी विंग एवं संगीत व नाटक प्रभाग ने भी भाग लिया। रांची के नक्सल प्रभावित लोहरदगा जिला के कुरो ब्लॉक में 5 से 16 जून एवं 9 से 20 जून 2012 तक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वही रायपुर के दुर्ग यूनिट ने जून एवं जुलाई महीने के दौरान दुर्ग जिले के धामदा प्रखंड, भीमतारा जिले एवं जीवरा गांव में भारत निर्माण अभियान पर आधारित मल्टी–मीडिया कार्यक्रम का आयोजन किया। रांची के प्रसिद्ध श्रावणी मेला के अवसर पर 9 से 20 जुलाई 2012 के दौरान 12 दिनों का विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया।

महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, दिवस और सप्ताह

निदेशालय एवं उसकी इकाइयों ने विश्व स्वास्थ्य दिवस, राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, आतंकवाद–निरोध दिवस, कौमी एकता सप्ताह (वीक), चाइल्ड राइट्स डे आदि पर कार्यक्रमों का आयोजन किया।

डीएफपी अभियानों का आईआईएमसी द्वारा मूल्यांकन

डीएफपी ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से वर्ष 2011–12 के दौरान असम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित पर विशेष जागरूकता अभियान चलाये। डीएफपी के अभियान का प्रभाव जानने एवं फील्ड में संचार की बेहतर रणनीति अपनाने के उद्देश्य से भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली द्वारा एक अध्ययन किया गया। अपने रिपोर्ट में आईआईएमसी ने निम्नलिखित बिंदुओ पर प्रकाश डाला–

छत्तीसगढ़ राज्य की बिलासपुर इकाई द्वारा आयोजित साम्प्रदायिक सद्भावना रैली में भाग लेते अकलतारा गांव के बच्चे

- डीएफपी की कार्ययोजना बिल्कुल तर्कसंगत है क्योंकि अपने कार्यक्रमों के दौरान यह पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग लेता एवं उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करता है। कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों का सहयोग लेने से इसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है एवं लोगों को समझाने में आसानी होती है।

- डीएफपी ने कार्यक्रमों का आयोजन काफी योजनाबद्ध तरीके से किया। जागरूकता कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए इसने कुशल तरीके से स्थानीय लोगों का इस्तेमाल किया एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित की। उनके जरिए,उन्ही की भाषा में लोगों को समस्या एवं उसके निदान के बारे में समझाने के अच्छे परिणाम मिल रहें है।

- डीएफपी ने जनता से सीधे संवाद का हर संभव प्रयास किया एवं उन्हें अपना संदेश पहुंचाया।

- डीएफपी कार्यक्रमों ने स्वास्थ्य के मसले पर काफी जागरूकता फैलाई और बच्चों को मां का दूध पिलाने, अस्पताल में प्रसव एवं परिवार नियोजन के संबंध में लोगों को जानकारी मिली।

- आठ में से पांच जिले जहां अध्ययन किए गए, डीएफपी के कार्यक्रमों में सार्थक बदलाव आया एवं लोगों की सोच मे सार्थक परिवर्तन आया। बच्चे के जन्म, एएनसी चेक अप, टीटी–11 एवं आईएफए टेबलेट आदि से संबंधित आंकड़ों में सुधार हुआ।

12 वीं पंचवर्षीय योजना

डीएफपी ने 12वीं पंचवर्षीययोजना (2012–2017) के दौरान दो स्कीम लागू करने का प्रस्ताव दिया हैः–

डीएफपी बिलासपुर क्षेत्रीय इकाई द्वारा बसिया ग्राम में ''पोषण'' थीम पर आयोजित चर्चा

1) मंत्रालय के विकास संचार एवं प्रसार स्कीम के तहत सीधे संपर्क कार्यक्रम,

2) मंत्रालय के मीडिया अवसंरचना विकास कार्यक्रम के तहत राज्यों के राजधानी में केंद्रीय सूचना सदन की स्थापना

सीधे संपर्क के कार्यक्रम

1. Li'ky vkmVjhp çkxke ¼,lvkih½& इसके तहत डीएफपी के दो फील्ड यूनिट प्रत्येक चिह्नित स्थानों पर चयनित विषय पर आधारित दो दिवसीय जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे।

2. turk dh lfo/kk d vu:i tkudkjh ¼vkbih lh½& सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों एवं नीतियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए जनवरी 2012 से देश भर में करीब 93 आईपीसी सेंटर स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया है। यह कार्यक्रम 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भी जारी रहेगा।

3. dMDVM Vj@ dk'ky fodkl ¼lhVh,l;½& इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य करीब 10–12 ओपिनियन लीडर्स की एक टीम को सरकारी योजनाओं एवं कल्याण योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजना है। पूरे 10–12 दिन के यात्रा दौरान उन्हें योजनाएं के बारे में जानकारी देनी होती है।

4 – vkmV lkflx d tfj, vkmVjhp foLrkj ¼vkbvkoh½& इस स्कीम के तहत जागरूकता कार्यक्रमों को प्रशिक्षित लोगों द्वारा आयोजित किया जाएगा एवं ऐसे कार्यक्रमों को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। इस स्कीम को वर्ष 2013–14 के दौरान लागू किया जाना है। इसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों के एक–एक जिले को इसमें शामिल किया जाएगा। इस स्कीम के तहत जागरूकता अभियान के जरिए एक वर्ष के अंदर प्रत्येक गांव का दो बार निरीक्षण किया जाएगा।

5. bÝkLVDpj l ikV Q,j Mk;jDV dkVDV çkxke ¼vkb,lMhlhih½& यह स्कीम तकनीक के विस्तार से डीएफपी की कार्य पद्धति को आधुनिक बनायेगी। 12 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह कार्यक्रम आधुनिकतम उपकरणों मसलन मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर, डीवीडी प्लेयर, वायरलेस पीए सिस्टम, डिजिटल कैमरा, फोटो मशीन, प्रोजेक्टर फोन, सभी क्षेत्रों में अपनी गाड़ी, ओउटसोर्स आधारित मानव श्रम आदि से लैस होगा।

राज्यों की राजधानियों में केन्द्रीय सूचना सदन की स्थापना करना

इसके तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी मीडिया इकाइयों के बीच एक बेहतर समन्वय और तालमेल बनाने के लिए उन्हें एक छत के नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए एक बुनियादी सुविधाओं की जरुरत है ताकि सभी लोग, राज्य सरकार , केंद्र शासित प्रदेश , मीडिया, गैर सरकारी संगठनों आदि का सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ प्रभावी और एकीकृत उपस्थिति हो सके। इसके लिए बारहवीं योजना अवधि के दौरान पटना और भुवनेश्वर में दो सदन का निर्माण परिकल्पित है।

प्रकाशन विभाग

(publicationsdivision.nic.in)

प्रमुख उपलब्धियां

- अप्रैल 2012 से अक्टूबर, 2012 के दौरान पुस्तकों, पत्रिकाओं और विज्ञापनों की बिक्री से अर्जित आय(रोजगार समाचार को छोड़कर) 338.56 लाख रूपए रही।
- अक्टूबर 2012 तक की अवधि के दौरान रोजगार समाचार का कुल राजस्व 32.18 करोड़ रुपये रहा जबकि शुद्ध राजस्व 20.71 करोड़ रु रहा।
- विभाग ने अप्रैल 2012 से नवम्बर 2012 के मध्य तेरह प्रमुख पुस्तक प्रदर्शनियों/मेलों में भाग लिया।
- प्रमुख रूप से फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले, जर्मनी 10–14 अक्टूबर 2012, रणथम्भोर पुस्तक मेला (राजस्थान), दिल्ली पुस्तक मेला 2012 और दिल्ली उर्दू पुस्तक मेला में हिस्सा लिया।

- नवम्बर 2012 में पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करके तीन सार्वजनिक सूचना अभियान में भाग लिया।
- विश्व पुस्तक मेले के दौरान 5 फरवरी 2013 को रोजगार समाचार के ई–उर्दू संस्करण का शुभारंभ किया गया साथ ही इस अवसर पर रोजगार समाचार का लोगो भी जारी किया गया।
- 18 मई, 2012 को बाल भारती के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए वार्षिक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया।
- विभाग की प्रमुख पत्रिका योजना (विकास और योजनापरक मासिक पत्रिका) की अंग्रेजी और हिंदी में औसतन 54 हजार व 43 हजार से अधिक प्रतियां प्रति माह प्रकाशित की गयीं। इसके अलावा कुरुक्षेत्र (ग्रामीण विकास के मुद्दों के लिए समर्पित पत्रिका) ने भी अपनी अंग्रेजी के 32 हजार व हिंदी के 26 हजार प्रति माह (अप्रैल से दिसम्बर 2012 तक) प्रतियों के प्रकाशन को बनाए रखा।

प्रकाशन विभाग 1941 में सार्वजनिक सूचना विभाग की एक शाखा के रूप में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य पाठकों को इतिहास, कला–संस्कृति और भारत की विरासत पर कम कीमत पर प्रामाणिक जानकारी प्रदान करना है। इस साल लैंप्स ऑफ इंडिया , सूर्यः सोलर एक्सप्लोरेशन सिन्स गेलेलियो, फ्रेमिंग हिस्ट्रीः कॉन्टेक्स्ट एंड पर्सपेक्टिव, लोकल गवर्नेंस – ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव , इन्वेंसन्स दैट मेड हिस्ट्री , इंडो–इस्लामिक आर्किटेक्चर (अंग्रेजी में) तथा हवा और धूप, बाल बोध कथाएं, गढ़वाल चित्रकथा, सब बुद्ध ू हैं , गोपाल सिंह नेपाली और आरसी प्रसाद सिंह (सभी हिंदी) आदि महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन किया गया।

प्रमुख उद्देश्य

- बड़े पैमाने पर लोगों को राष्ट्रीय महत्व के मामलों से जुडी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए उचित मूल्य पर पुस्तकों और पत्रिकाओं का प्रकाशन ।
- देश की भावी पीढ़ी में प्रेरक विचारों के प्रचार–प्रसार के लिए भारत के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के चयनित भाषणों का प्रकाशन।
- रोजगार समाचार के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना।
- सरकार की नीतियों व योजनाओं को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन व पुस्तक मेलों में भागदारी।
- पत्रकारिता और जनसंचार, महिला विमर्श, बाल साहित्य और राष्ट्रीय एकीकरण पर मूल हिंदी लेखन को बढावा देने के लिए भारतेंदु हरिश्चन्द्र पुरस्कार प्रदान करना।

संगठनात्मक संरचना

प्रकाशन विभाग के प्रमुख अपर महानिदेशक होते हैं जिनके अंतर्गत संपादकीय, व्यापार, उत्पादन और प्रशासन खंड आते हैं। इसके अतिरिक्त रोजगार समाचार के महाप्रबंधक व मुख्य संपादक भी इनके नेतृत्व में कार्य करते हैं।

प्रकाशन विभाग का मुख्यालय सूचना भवन, सीजीओ परिसर, नई दिल्ली में अवस्थित है जो अपने विभिन्न बिक्री केंद्र – दिल्ली (मुख्यालय), दिल्ली (पुराना सचिवालय), मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, पटना, लखनऊ, हैदराबाद तिरुवनंतपुरम के माध्यम से कार्य करता है, इसके अलावा योजना के कार्यालय नई दिल्ली , मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद और तिरुवनंतपुरम में हैं। रोजगार समाचार और पत्रिकाओं के विक्रय कार्यालय आर. के. पुरम, नई दिल्ली में स्थित हैं।

प्रमुख गतिविधियां –

पुस्तकों का प्रकाशन

- प्रकाशन विभाग कला, संस्कृति, इतिहास, जनजीवन, जीव जंतु एवं वनस्पति, गांधी साहित्य, बाल साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आधुनिक भारत के निर्माताओं की जीवनियां, भारत (वार्षिक सन्दर्भ ग्रंथ) और जनसंचार पर किताबें प्रकशित करता है।
- इस साल के महत्वपूर्ण प्रकाशनों में लैंप ऑफ इंडिया , सूर्यः सोलर एक्सप्लोरेशन सिंस गेलीलियो , फ्रेमिंग हिस्ट्री– कॉन्टेक्स्ट एंड पर्सपेक्टिव, लोकल गवर्नेंस–ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव, इन्वेंशन दैट मेड हिस्ट्री , इंडो–इस्लामिक आर्किटेक्चर (अंग्रेजी में) तथा हवा और धूप , बाल बोध कथाएं,

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी 05 फरवरी 2013 को नई दिल्ली में अंतराष्ट्रीय पुस्तक मेला में प्रकाशन विभाग के मंडप में। साथ में प्रकाशन विभाग की अपर महानिदेशक श्रीमती ईरा जोशी मौजूद हैं।

गढ़वाल चित्रकथा, सब बुद्धू हैं, गोपाल सिंह नेपाली और आरसी प्रसाद सिंह, डायबिटीज दे नाल जीने दी कला (पंजाबी) आदि शामिल हैं।

- अप्रैल 2012 से फरवरी 2013 के दौरान अंग्रेजी, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओँ में 50 शीर्षक प्रकाशित किए गए हैं।

- इस अवधि में विभाग ने लैंप ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन पुणे में किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात अभिनेता श्री अमोल पालेकर मुख्य अतिथि थे। आयोजित संगोष्ठी में मुख्य वक्ता प्रख्यात नाटककार बाबा साहेब पुरंदरे थे।

- इसके अलावा सूर्यः सोलर एक्सप्लोरेशन सिन्स गेलीलियो पुस्तक का विमोचन और संगोष्टी बेंगलुरु में आयोजित किए गए। इसरो के पूर्व प्रमुख यू आर राव मुख्य अतिथि थे।

- दिल्ली पुस्तक मेला 2012 के दौरान हिंदी के प्रसिद्ध कवि अज्ञेय और गोपाल सिंह नेपाली पर पुस्तकों का विमोचन और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें प्रतिष्ठित लेखकों और पत्रकारों ने हिस्सा लिया।

पत्रिकाओं का प्रकाशन

- प्रकाशन विभाग अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू में रोजगार समाचार के अलावा 18 अन्य पत्रिकाओं का प्रकाशन करता है। जिसमें आजकल ((हिंदी और उर्दू), बाल भारती (हिन्दी), कुरुक्षेत्र (अंग्रेजी और हिंदी) और योजना (हिंदी, अंग्रेजी और 11 अन्य भाषाओं में) शामिल है।

;kstuk

योजना का 1957 में हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। खुशवंत सिंह इसके पहले संपादक थे। इसके प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य पंचवर्षीय योजनाओं को आम लोगों तक पहुँचाना व उनका समर्थन जुटाना था। हिंदी और अंग्रेजी के अलावा भारत के 11 क्षेत्रीय भाषाओं– असमी, बंगाली, कन्नड़, मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, गुजराती और उर्दू में लगभग 1.46 लाख प्रतियों का मासिक प्रकाशन

किया जाता है। सामाजिक–आर्थिक मुद्दों पर एक साथ 13 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली संभवतः एक मात्र मासिक पत्रिका है। विशेष रूप से छोटे शहरों के पाठकों और छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों द्वारा समृद्ध सामग्री उनकी अपनी भाषाओं में देता है। वर्तमान समय में इसका क्षेत्र न सिर्फ पंचवर्षीय योजनाओं तक सीमित है बल्कि प्रासंगिक सामाजिक – आर्थिक मुद्दों पर चर्चा भी इस पत्रिका में की जाती है।

विशेषज्ञों के लेखों के अतरिक्त पत्रिका में नियमित स्तम्भ के रूप में 'अनुकरणीय पहल' में देश के विभिन्न क्षेत्रों से विकास की सफलता की कहानियों को बताया जाता है। 'शोध यात्रा' में जमीनी स्तर पर प्रौद्योगिकीय नवाचारों पर प्रकाश डाला जाता है। 'क्या आप जानते हैं' का मुख्य उद्देश्य छात्रों के लिए विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रश्नोत्तरों का संकलन करना है। 'जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर डायरी' के जरिये जम्मू–कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत के विकास से संबंधित गतिविधियों की प्रस्तुति की जाती है।

वर्ष 2012 के दौरान योजना ने एक नया स्तंभ 'योजना के पुराने अंकों से' शुरू कर दिया है। जिसमें योजना के पूर्वप्रकाशित लेकिन अब भी प्रासंगिक लेख दोबारा छापे जाते हैं। इस अवधि के दौरान योजना ने आठ नियमित अंक के अलावा जनवरी, मार्च, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के महीने में विशेष अंक प्रकाशित किये। जहाँ जनवरी 2012 का अंक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए दृष्टिकोण पर केन्द्रित था जिसके अंतर्गत विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना से जुड़े तमाम मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण रखा। प्रतिष्ठित व्यक्तियों के तौर पर प्रधानमंत्री और योजना आयोग के उपाध्यक्ष सहित सांसद और कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों– एमएस स्वामीनाथन, ज्यां द्रेज, और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने लेख लिखे। वहीं अगस्त 2012 विशेषांक में भारत की आजादी के 65 साल की उपलब्धियों का विश्लेषण किया गया। जनवरी, 2013 का विशेषांक सुशासन पर था। विशेषांक के अतरिक्त वर्ष के अन्य महीनों में जनहित के अनेक मुद्दों जैसे विदेशी व्यापार, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण और विकास योजना, महिलाओं का सशक्तिकरण, मानसून, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और पोषण आदि पर सामग्री प्रकाशित की गयी। दिसंबर, 2012 में योजना ने प्रकाशन के 56 वर्ष पूरे किये।

योजना के वर्तमान अंकों का सार योजना की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है जहाँ पिछले 5 सालों के प्रकाशित हुए सभी अंकों को 13 भाषाओँ में संग्रहित किया गया है। जिसका लाभ पाठकों के अलावा केंद्र और राज्य स्तर के सिविल सेवा अभ्यर्थी, बैंकिंग और बीमा सेवाओं के साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के अलावा शोधार्थी, अर्थशास्त्र के शोधकर्ताओं, शिक्षक व अन्य ले रहे हैं। वेबसाइट की सामग्री को हर महीने अद्यतन किया जा रहा है।

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी, 5 फरवरी 2013 को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में वार्षिक संदर्भ ग्रंथ ''इंडिया 2013'' का लोकार्पण करते हुए। प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री पंकज पचौरी, श्रीमती नीलम कपूर, प्रधान महानिदेशक (मीडिया एवं संचार), पत्र सूचना कार्यालय, श्री अनुराग श्रीवास्तव, सू.प्र. मंत्रालय में संयुक्त सचिव (नीति तथा प्रशासन) सुश्री ईरा जोशी, अपर महानिदेशक (प्रभारी), प्रकाशन विभाग और श्री एल.आर. विश्वनाथ, अपर महानिदेशक (प्रभारी), गवेषणा और संदर्भ प्रभाग इस अवसर पर उपस्थित थे।

vkt dy

हिंदी और उर्दू में प्रकाशित प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका आजकल में भारतीय संस्कृति और साहित्य के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है। अगस्त 2012 में जहाँ आजकल के उर्दू अंक ने अपने 71वें वर्ष में प्रवेश किया वहीँ मई 2012 में हिंदी संस्करण ने 68 वर्ष पूरे किये। आजकल हिंदी के लिए यह वर्ष जन्म शताब्दी वर्ष के तौर पर रहा। पत्रिका ने प्रख्यात साहित्यकारों – श्रीलाल शुक्ल, सआदत हसन मंटो, विष्णु प्रभाकर और राम विलास शर्मा के शताब्दी वर्ष में विशेष अंक छापे। इन अंकों के अलावा मार्च व नवम्बर 2012 के अंक क्रमशः महिलाओं और बाल साहित्य पर केन्द्रित रहे। अक्टूबर 2012 में भारतीय सिनेमा के सौ वर्ष पूरे होने पर विशेष अंक का प्रकाशन किया। इसके अलावा पत्रिका सामाजिक मुद्दों से जुड़ी कविताओं, कहानियों के साथ पुस्तक समीक्षाओं का प्रकाशन करती है। 2012 के दौरान आजकल (उर्दू) का कथ्य भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्यिक परिदृश्य पर केन्द्रित रहा। सआदत हसन मंटो, एहतेशाम हुसैन और अले अहमद सरूर पर विशेषांक प्रकाशित किये गए।

cky Hkkjrh

बाल भारती एक लोकप्रिय मासिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन 1948 से किया जा रहा है। बच्चों को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के अलावा ज्ञानवर्द्धक लेखों, कहानियों और कविताओं के माध्यम से वैज्ञानिक सोच और सामाजिक मूल्यों को मजबूत बनाने में मदद करता है। युवा पीढ़ी के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मई 2012 में अखिल भारतीय निबन्ध प्रतियोगिता आयोजित की। वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की अपनी परंपरा के अनुरूप, पत्रिका ने जून 2012 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा वर्ष पर विशेष विज्ञान अंक प्रकाशित किया। इसके अलावा बाल भारती ने उपभोक्ता अधिकार, भारत निर्माण, स्वास्थ्य, विश्व विरासत और खेलों पर ज्ञानवर्द्धक लेख प्रकाशित किये।

d#{ks=

कुरुक्षेत्र ग्रामीण विकास को समर्पित प्रमुख पत्रिका है। इस पत्रिका का प्रकाशन हिंदी एवं अंग्रेजी में 1952 से हो रहा है एवं इसने विषय से संबंधित विश्वसनीय सूचनाएं दी हैं। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान इस पत्रिका मासिक प्रिंट 67,000 प्रति के पार पहुंच गया। यह एक ऐसा मंच है जहां प्रशासक, नियोजक, एनजीओ एवं चिंतक ग्रामीण विकास से जुड़े विषयों पर पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। संबंधित वर्ष के दौरान कुरुक्षेत्र पत्रिका ने ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया मसलन ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, ग्रामीण भारत के लिए बेहतर प्रशासन व्यवस्था, खेती के कारगर तरीके, उत्तर–पूर्व में ग्रामीण इलाकों का विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज के प्रवाह (कृषि संबंधी कार्यों हेतु) को बढ़ाना आदि। इस पत्रिका का वार्षिक अंक ग्रामीण आधारभूत ढांचे पर केंद्रित था। योजना एवं कुरुक्षेत्र, दोनों पत्रिकाओं ने बजट–2012 को केंद्रित कर सामग्री का प्रकाशन किया।

bZIyk;esaV U;wt@jkstxkj lekpkj

''इंप्लॉयमेंट न्यूज'' साप्ताहिक का प्रकाशन हिंदी, अंग्रेजी एवं उर्दू में होता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रोत्साहन के साथ की गई थी।

lLFkkxr <kpk% इसका कार्यालय नई दिल्ली के आरके पुरम में ब्लॉक–4, लेवल–5 में स्थित है। इंप्लॉयमेंट न्यूज के प्रमुख महाप्रबंधक सह मुख्य संपादक हैं। यह प्रकाशन विभाग का हिस्सा है लेकिन इसका अलग बजट होता है। इसके वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों की जिम्मेदारी पूरी तरह से प्रमुख महाप्रबंधक सह मुख्य संपादक पर होती है जो प्रकाशन विभाग के अपर महानिदेशक की तरफ से इस जिम्मेदारी को निभाते हैं। इंप्लॉयमेंट न्यूज (अंग्रेजी) की वेबसाइट www.employmentnews.gov.in है जबकि रोजगार समाचार की वेबसाइट www.rojgarsamachar.gov.in है।

mís';] y{; ,oa çHkko%
इंप्लॉयमेंट न्यूज का प्रमुख उद्देश्य देश भर के युवाओं को रोजगार से संबंधित अवसरों की पूरी जानकारी देना है। यह रोजगार की जानकारी देने के साथ–साथ करियर के विकल्प से जुड़े मुद्दों को भी फोकस करता है। यह केंद्र, राज्य सरकारों, सरकारी उद्यमों, स्वायत्त निकायों में नौकरी के विज्ञापन, प्रोफेशनल कोर्सों के लिए एडमिशन नोटिस, परीक्षा नोटिस आदि के प्रकाशन के साथ साथ यूपीएससी, एसएससी एवं अन्य परीक्षा परिणामों का भी प्रकाशन करता है। इसके अलावा इंप्लॉयमेंट न्यूज में एक संपादकीय खंड है जो विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों की पहचान करता है एवं उसकी जानकारी देता है। यह साप्ताहिक युवा स्नातकों, अभियंताओं, वैज्ञानिकों आदि के लिए एक महत्वपूर्ण साथी

की तरह है जो उनके जीवन की राह को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।

fo'oluh;rk % इंटरनेट के प्रचार प्रसार और रोजगार की बढ़ती जरूरतों की वजह से इस क्षेत्र में अप्रमाणिक जानकारी के फैलने का खतरा भी बढ गया है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार की प्रामाणिक जानकारी पहुंचाने के लिए रोजगार समाचार ने ऑनलाइन पहुंच बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं ताकि पाठकों को विश्वसनीय जानकारियां मिलती रहें। पिछले 36 वर्षों से यह पत्र लगातार समय पर प्रकाशित हो रहा है।

izlkj la[;k % इस पत्र का औसत साप्ताहिक प्रसार (सर्कुलेशन) 4 लाख से ज्यादा है। यह रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं में बहुत लोकप्रिय है। इसकी पहुंच सिर्फ बड़े शहरों में ही नहीं है बल्कि शहरी, अर्द्ध शहरी एवं ग्रामीण इलाकों में भी है। देश भर के करीब 175 वितरकों के द्वारा इसका वितरण किया जाता है। इसके अलावा ई–इंप्लाइमेंट न्यूज एवं ई–रोजगार समाचार की शुरुआत ने इसकी पहुंच और बढ़ा दी है। इतना ही नहीं आजकल इस पत्र ने अपने उपभोक्ताओं एवं उन लोगों को जिन्होंने इस सेवा हेतु पंजीकरण कराया है, को मुफ्त एसएमएस अलर्ट के जरिए नौकरी सूचनाएं भी देना शुरू कर दिया है। वर्तमान में यह 3 लाख एसएमएस जॉब अलर्ट की सेवाएं दे रहा है।

jktLo % हालांकि इस पत्र को राजस्व प्राप्त करने के मकसद से शुरू नहीं किया गया है परंतु फिर भी इसने सरकार को नियमित राजस्व प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान 31 अक्टूबर तक इसका कुल राजस्व 32.18 करोड़ रुपये था। इसके अलावा कार्यलय संबंधी खर्चों, छपाई खर्च एवं एजेंसी कमीशन आदि को समायोजित (एडजस्ट) करने के बाद इसका नेट रेवेन्यु सरप्लस 20.71 करोड़ रुपये था।

नई पहल

(1) blyk;eaV U;wt dk ladsr fpgu ¼yksxks½ ,oa izrhd okD; ¼eksVks½ % इस पत्र की शुरुआत वर्ष 1976 में हुई थी। इस पत्र का अपना लोगो एवं मोटो नहीं था। बाजार में अपने ब्रांड को और मजबूत करने एवं पाठकों, उपभोक्ताओं के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए इसने अपना लोगो एवं मोटो का निर्माण किया। इसका लोगो दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट ने डिजायन किया है। इंप्लॉयमेंट न्यूज (अंग्रेजी) के लिए मोटो है ''ऑप्चुर्निटीज फॉर ऑल''। रोजगार समाचार हिंदी का मोटो है ''सभी के लिए अवसर'' तथा उर्दू के लिए मोटो है ''सभी के लिए मौके।''

(2) lkeqnkf;d ¼dE;qfuVh½ jsfM;ks LVs'ku % देश के विकास में कम्युनिटी रेडियों ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने जमीनी स्तर पर सामाजिक–आर्थिक स्थितियो में सुधार के मद्देनजर कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों की स्थापना को काफी प्रोत्साहित किया है। कम्युनिटी रेडियो का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके जरिए स्थानीय भाषा में कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा सकता है। इसका लक्षित वर्ग पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कम्युनिटी रेडियो के प्रभाव को देखते हुए इंप्लाइमेंट न्यूज ने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के कलपक्कम कम्युनिटी रेडियों स्टेशन (केसीआरएस) से 10–15 किलोमीटर के रेंज में रोजगार संबंधी सूचनाएं प्रदान करने के लिए समझौता किया है। इसके जरिए तमिल भाषा में रोजगार समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाता है। यह क्षेत्र के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों को कवर करता है। बेहतर फीड बैक को देखते हुए इसी तरह की शुरुआत जम्मू–कश्मीर एवं उत्तर–पूर्वी राज्यो में भी करने की सिफारिश की गई है।

(3) vrqY; mÙkj iwoZ % उत्तर–पूर्व क्षेत्र का सरकार की योजनाओं में प्रमुख स्थान है। सरकार की इसी नीति को ध्यान में रखते हुए इंप्लॉयमेंट न्यूज ने वर्ष के दौरान अतुल्य भारत नाम से एक स्तंभ शुरू किया। महीने में एक बार यह स्तंभ युवाओं के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की जानकारी देता है। इसके अलावा यह संस्थानों, क्षमता विस्तार एवं युवाओं के मानसिक विकास आदि विषयों पर भी फोकस करता है। इस कॉलम के अंतर्गत अभी तक मिजोरम, आसाम एवं सिक्किम में सरकार द्वारा शुरू की गयी योजनाओं एवं नौकरी के अवसरों की जानकारी दी गई है। इसमें आदिवासी खासकर महिलाओं का विशेष ध्यान रखा जाता है।

(4) QhYM fjiksVZ% इंप्लाइमेंट न्यूज प्रत्येक महीने जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के प्रभाव एवं रोजगार कार्यक्रमों से संबंधित गतिविधियों के फीडबैक को कवर करता है। इसके अलावा यह कॉलम एनजीओ एवं वोलेंटरी सेक्टर में रोजगार संबंधी गतिविधियों को भी कवर करता है। इसके अंतर्गत युवाओं की क्षमता विस्तार हेतु सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों, ई–गवर्नेंस एवं महात्मा गांधी नेशनल रूरल इंप्लाइमेंट गारंटी स्कीम के तहत रोजगार के अवसरों को कवर किया जाता है। इसने हाल ही में नक्सल प्रभावित इलाकों में स्कीम की प्रगति को कवर किया है। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में मनरेगा कार्यक्रमों की सफलता को कवर किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय व योजना आयोग द्वारा मनरेगा पर ''समीक्षा'' नाम से विश्लेषण किया गया जिसे प्रधानमंत्री डॉ.मनमोहन सिंह द्वारा जारी किया गया। रोजगार समाचार में इस घटना को प्रमुखता से कवर किया गया।

(5) bZ&blykbesaV U;wt@ bZ&jkstxkj lekpkj % अब तो मेट्रो शहरों एवं छोट शहरों में भी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल खूब करते हैं। इसे देखते हुए ई–इंप्लाइमेंट/ ई–रोजगार समाचार शुरु किये गये हैं। ई–वर्जन काफी सुविधाजनक है एवं अपने ग्राहकों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्ते लगाई गई हैं एवं कुछ आवश्यक कदम उठाए गए हैं ताकि इसके फिजिकल वर्जन के सर्कुलेशन को कोई नुकसान न पहुंचे। ई–वर्जन के अंग्रेजी वाले हिस्से को www.employmentnews.gov.in एवं हिंदी वाले हिस्से को www.rojgarsamachar.gov.in पर देख सकते हैं। पिछले कुछ समय से इसका ई–वर्जन काफी लोकप्रिय हो रहा है एवं काफी लोग इसे सब्सक्राइब कर रहे हैं।

(6) ,l,e,l tkWc vyVZ% अपनी पहुंच को और बढ़ाने एवं ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के मकसद से इंप्लाइमेंट न्यूज/रोजगार समाचार ने अब एसएमएस के जरिए जॉब अलर्ट भेजना शुरू कर दिया है। इससे ग्राहकों के साथ पत्र को भी फायदा हो रहा है। वर्तमान करीब 3 लाख एसएमएस जॉब अलर्ट भेजे जाते हैं।

(7) osclkbV jh&fMtkbu% इस वर्ष इंप्लाइमेंट न्यूज वेबसाइट को री–डिजाइन किया गया है। इसमें कुछ नये फीचर जोड़े गए हैं एवं इसे ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है। होम पेज पर कुछ नये फीचर जोड़े गए हैं। कलर में परिवर्तन किया गया है। इस वेबसाइट पर कई तरह के नये फोटो एवं फीचर मसलन उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। औसतन करीब 14 लाख से ज्यादा लोग इंप्लॉयमंट न्यूज/ रोजगार समाचार की वेबसाइट देखते हैं।

(8) NikbZ esa lq/kkj% पाठकों एवं उपभोक्ताओं के फायदे को ध्यान में रखते हुए इंप्लॉयमेंट न्यूज एवं रोजगार समाचार हिंदी व उर्दू की छपाई में काफी सुधार किया गया है। अब छपाई काफी आकर्षक लगती है। पहले की तुलना में अक्षरों को पढ़ना भी ज्याद सुगम होता है। छपाई के लिए इस्तेमाल में लाया जाने वाला स्याही में एकरूपता बरती गई है।

(9) jkstxkj esyksa esa Hkkxhnkjh% इंप्लाइमेंट न्यूज ने रोजगार मेलों में भी अपनी प्रस्तुति दर्ज कराई है। इसने नेशनल इंस्टिट्यूट फॉर आत्रप्रन्योरशिप एवं स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट द्वारा आयोजित मेले में भी शिरकत की। इन मेलों में इंप्लॉयमेंट न्यूज की उपस्थिति से उद्यमियों एवं कंपनियों को रोजगार के बारे में नई सूचनाएं मिलीं। इसने रिटेल मैनेजमेंट, होटल एवं होस्पिटालिटी, गार्मेंट डिजायनिंग, फूड प्रोसेसिंग, ट्रैवेल एवं टूरिज्म, आर्टफिशियल ज्वैलरी मेकिंग, कम्प्युटर हार्डवेयर एवं नेटवर्किंग, डेक्सटॉप पब्लिशिंग, वेब डिजायनिंग, एसी, वाटर, कूलर एवं रेफ्रिजरेटर,फोटोग्राफी एवं फोटोशॉप एवं मोबाइल रिपेयर आदि के क्षेत्र में रोजगार के अवसरों को कवर किया।

राजभाषा

वर्ष 2012–13 के दौरान प्रकाशन विभाग में राजभाषा लागू करने का कार्य सतत तरीके से चलता रहा। विभाग के चार अनुभागों की हिंदी कार्यों के संबंध में जांच की गई। हिंदी दिवस के अवसर पर विभाग ने कई की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया एवं हिंदी को प्रोत्साहन देने

एवं कार्यालयी भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल करने के लिए विजेताओं को 25 पुरस्कार प्रस्तुत किए गए। प्रत्येक तिमाही में राजभाषा कार्यान्वन समिति की बैठकें हुई। इन सबके बीच वर्ष 2009 एवं 2010 के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रदान किए गए।

व्यापार एवं विपणन

अपने विपणन प्रयासों को और तेज करने के मकसद से विभाग ने अपने प्रकाशनों की पहुंच काफी बढ़ा दी है एवं इसमें और तेजी के लिए प्रयासरत है। प्रकाशन विभाग की किताबें देश भर में फैले इसके एजेंट एवं वितरण नेटवर्क के जरिए पाठकों तक आसानी से पहुंच रही हैं। इसके विक्रय केंद्र सीजीओ कांप्लेक्स (नई दिल्ली), पुराना सचिवालय (दिल्ली), लखनऊ, नवी मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, पटना, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, गुवाहाटी एवं अहमदाबाद में स्थित हैं। विभाग ने लगातार बड़े पुस्तक मेले, प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है ताकि पाठकों की पहुंच उस तक आसानी से हो एवं उसका प्रचार–प्रसार भी हो। इसने अप्रैल से नवंबर 2012 में 13 पुस्तर मेले में शिरकत की है। इसमें फ्रैंकफर्ट बुक फेयर, नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर फरवरी 2013, रंथभोर बुक फेयर, उर्दू बुक फेयर, एवं दिल्ली बुक फेयर महत्वपूर्ण है। इस विभाग ने नागरिक जागरूकता अभियान के तहत देश भर में प्रदर्शिनी आयोजन को लगातार जारी रखा है। नवंबर 2012 तक विभाग ने तीन पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन किया जिसमें दो तमिलनाडु एवं एक कर्नाटक में आयोजित की गयी। इसके अलावा विभाग ने लोगों के बीच पुस्तकों को प्रोत्साहित करने के लिए सात अन्य प्रदर्शनियां भी आयोजित कीं। इसे कुछ विशेष अवसरों जैसे गांधी जयंति, स्वतंत्रता दिवस, नेशनल बुक सप्ताह आदि के मौके पर आयोजित किया

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी, नई दिल्ली में 05 फरवरी, 2013 को वार्षिक संदर्भ ग्रंथ ' 'इंडिया 2013'' तथा ''भारत 2013'', रोजगार समाचार, उर्दू का ''ई–वर्जन'' तथा ''एम्पलॉयमेंट न्यूज'' के लोगो के लोकार्पण के अवसर पर संबोधित करते हुए।

गया। इसके राजस्व में वर्ष के साथ लगातार वृद्धि हुई है। अक्टूबर 2012 तक इसका राजस्व (इंप्लाइमेंट न्यूज को छोड़कर) 338.56 लाख रहा। विभाग ने कई अन्य सरकारी विभागों मसलन सीएसआईआर, लोकसभा एवं राज्य सभा सचिवालय,आईसीसीआर आदि के साथ संपर्क किया है।

विभाग सेल्स प्रमोशन टूर भी आयोजित कर रहा है ताकि उसे अधिक से अधिक ऑर्डर मिले।

;kstuk Ldhe % izdk'ku foHkkx ,oa baIyk;esaV U;wt dk vk/kqfudhdj.k

1) योजना के सभी 13 अंको (हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगू, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, उड़िया, बंगाली, असमिया) एवं कुरुक्षेत्र के (अंग्रेजी एवं हिंदी) अंकों का 11 वीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षो में पूर्ण डिजिटाइजेशन कर दिया गया।

2) योजना के सभी कार्यालयों को आधुनिकतम सुविधाएं प्रदान की गईं।

3) मुख्यालय में बुक गैलरी का आधुनिकीकरण किया गया एवं हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, दिल्ली एवं फीडर स्टोर, फरीदाबाद के सेल्स इंपोरियम का पुनर्निमाण किया गया। अभी तक तीन मोबाइल वैन खरीदे जा चुके हैं एवं चालू वित्त वर्ष में बाकी बचे हुए सेल्स इंपोरियम के पुनर्निमाण का कार्य कर लिया जाएगा।

4) इंप्लॉयमेंट न्यूज का आधुनिकीकरण भी प्लान स्कीम के अधीन है।

गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण प्रभाग

(www.rrtd.gov.in)

इस प्रभाग का गठन 1945 में हुआ था। यह प्रभाग मंत्रालय और इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयों के लिए सूचना प्रदान करने वाली इकाई के रूप में काम करता है। प्रभाग का कार्य मीडिया इकाइयों को शोध सामग्री प्रदान करना, महत्वपूर्ण विषयों पर डाटाबेस तैयार करना और ताजा मुद्दों की पृष्ठभूमि की जानकारी उपलब्ध कराना है। यह प्रभाग जनसंचार के रुझानों का भी अध्ययन करता है और जनसंचार के बारे में संदर्भ तथा दस्तावेजों से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराता है। संक्षेप में यह प्रभाग मंत्रालय, मीडिया इकाइयों और जनसंचार से जुड़े व्यक्तियों को संदर्भ तथा शोध सामग्री उपलब्ध कराता है।

सांगठनिक ढांचा

प्रभाग का मुख्यालय सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड नयी दिल्ली में है। इसके प्रमुख अपर महानिदेशक होते हैं जिनकी मदद के लिए दो निदेशक तथा अन्य स्टाफ होता है।

प्रमुख गतिविधियां

इंडिया- ए रिफरेंस एन्युअल

यह प्रभाग केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों, राज्य/केंद्र शासित राज्य एवं सरकारी उद्यमों/स्वायत्त इकाइयों आदि द्वारा विकास एवं प्रगति के बारे में अंग्रेजी और हिंदी में इंडिया–ए रिफरेंस एन्युअल / भारत– संदर्भ ग्रंथ की सामग्री संकलित करता है। भारत/ इंडिया 2013 का प्रकाशन हो चुका है।

मास मीडिया इन इंडिया

प्रभाग ने देश में जनसंचार की भूमिका पर आधारित एक पुस्तक मास मीडिया इन इंडिया का प्रकाशन किया है। इस वार्षिकी में जनसंचार से संबंधित लेख, मीडिया संस्थों के ऊपर सूचनाएं एवं केंद्र तथा राज्यों सराकारों द्वारा संचालित मीडिया संस्थानों की स्थित पर प्रकाश डाला जाता है। इसमें प्रिंट एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया की वर्तमान स्थिति पर भी नजर डाली जाती है।

वार्षिक घटनाक्रम का विवरण

प्रभाग वार्षिक घटनाक्रम पर आध ाारित डायरी का प्रकाशन करता है। इसमें प्रमुख राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्याक्रमों का रिकार्ड एवं जानकारियां रखी जाती है।

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाले प्रकाशनों पर नजर रखना

यह प्रभाग उन विशेष पत्र पत्रिकाओं के बारे में मासिक रिपोर्ट तैयार करता है जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है और ये उन्हीं विशिष्ट विषयों पर केन्द्रित हैं जिनके लिए उन्हें भारत में प्रकाशन की अनुमति मिली है। इन पत्रिकाओं की निगरानी यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें।

रिफरेंस (संदर्भ) लाइब्रेरी

प्रभाग के पास विशाल पुस्तकालय है जिसमें विभिन्न विषयों एवं मंत्रालयो/आयोगों / समितियों की रिपोर्ट, रखी होती हैं। इसमें पत्रकारिता, जनसंपर्क, विज्ञापन, ईयर बुक, समसामायिक लेखों आदि का संग्रह है।

नेशनल डॉक्युमेंटेशन सेंटर ऑन मास कम्युनिकेशन

नेशनल डॉक्युमेंटेशन सेंटर ऑन मास कम्युनिकेशन (एनडीसीएमसी) की शुरुआत 1976 में हुई थी। इसकी स्थापना मास मीडिया कार्यक्रमों के प्रभावों एवं उसके सेवाओ के रूझान के बारे में सूचना, तथ्य एवं अन्य जानकारियां इकट्ठा करने के लिए मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों के उपरांत किया गया था।

एनडीसीएमसी का प्रमुख कार्य समाचार, लेख एवं अन्य सूचनाएं तथा मास मीडिया/कम्युनिकेशन पर आधारित है। वर्तमान में इसकी प्रमुख गतिविधियों में सूचनाओं का संग्रह एवं डॉक्युमेंटेशन करना है।

सतर्कता गतिविधियां

आरआरटीडी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का छोटा सहायक कार्यालय है एवं इसका मुख्यालय सूचना भवन, सीजीओ काम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 में स्थित है। इसका कोई क्षेत्र कार्यालय नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसके मुख्य विजिलेंस ऑफीसर हैं।

गीत एवं नाटक प्रभाग

(www.sdd.nic.in)

गीत एवं नाटक प्रभाग की स्थापना 1954 में हुई थी। वर्ष 1956 में इसे पूर्ण मीडिया यूनिट का दर्जा दिया गया। यह देश का सबसे बड़ा संस्थान है जो कि कला का इस्तेमाल संचार के रूप में कर रहा है।

यह प्रभाग कला के कई रूपों का इस्तेमाल करता है मसलन कि नाटक, बैले, ओपेरा, डांस–ड्रामा, पारंपरिक नृत्य आदि। इसके अलावा यह देश के सुदूर इलाकों में सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए कठपुतली नाच आदि का भी सहारा लेता है।

यह प्रभाग राष्ट्रीय संप्रभुता, सांप्रदायिक सौहार्द, सांस्कृतिक धरोहरों का प्रचार, धर्मनिरपेक्षता, पर्यावरण, शिक्षा आदि विषयो पर आधारित थियटर शो का भी आयोजन करता है।

यह प्रभाग बड़ी संख्या में कलाकारों को अपने प्रयासों में शामिल करता है एवं इसके जरिए बड़ी संख्या में पिछड़े, अति पिछड़े एवं अन्य पिछड़े वर्ग के कलाकारों को रोजगार भी प्रदान कर रहा है।

संस्थागत ढांचा

विभाग का मुख्यालय दिल्ली में है एवं इसका संचालन यही से होता है। विभाग के पास निम्नलिखित क्षेत्रीय कार्यालय है–

(क) बेंगलुरू, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गोवाहाटी, कोलकाता, लखनऊ, पुणे एवं रांची में दस क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

(ख) इंफाल, जम्मू, शिमला, नैनीताल, देहरादून, दरभंगा, जोधपुर एवं गुवाहाटी में आठ सीमावर्ती केंद्र हैं।

(ग) छह नाटक मंडलियां है जो कि भुवनेश्वर, दिल्ली, हैदराबाद, पटना, पुणे एवं श्रीनगर में स्थित है।

(घ) आर्म्ड फोर्सेस इंटरटेनेमेंट विंग के दो समूह हैं जो कि दिल्ली एवं चेन्नई में हैं।

(ङ) दो साउंट एवं लाइट यूनिट है जो बेंगलुरू एवं दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा विभागीय स्टाफ कलाकार हैं। प्रभाग के पास इस समय करीब 949 पंजीकृत मंडलियां (ट्रूप) है।

आर्म्ड फोर्सेस इंटरटेनमेंट विंग (एएफईडब्ल्यू)

एएफईडब्ल्यू का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती इलाकों में तैनात जवानों के मनोरंजन हेतु कार्यक्रम का आयोजन करना है ताकि उनके आत्मविश्वास को बनाये रखा जा सके एवं उन्हें यह विश्वास दिलाया जाए कि वे यहां अकेले नहीं एवं बल्कि संपूर्ण देशवासी उनके बारे में सोचते हैं एवं उनके लिए फिक्रमंद हैं। इसके अलावा उन्हें सरकारी नीतियों की जानकारी भी दी जाती है ताकि वे नागरिक इलाकों में तैनात होने पर उन्हें कोई दिक्कत न हो।

प्रभाग जवानों के मनोविज्ञान एवं इच्छा को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों

का आयोजन करता है। एएफईडब्ल्यू देश के बहुआयामी संस्कृति को ध्यान में रखते हुए कई भाषाओं, शैलियों में कार्यक्रम पेश करता है ताकि मनोरंजन के साथ साथ राष्ट्रीय सौहार्द का वातावरण भी बने।

सीमावर्ती प्रचार मंडलियां

सीमावर्ती प्रचार मंडलियां इंफाल, गोवाहाटी, दरभंगा, देहरादून, नैनीताल, शिमला, जम्मू एवं जोधपुर में हैं। ये मंडलियां सीमावर्ती इलाकों में विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक करती हैं। इसके अलावा सीमा के नजदीक दुश्मन द्वारा फैलायी जा रही अफवाहों के बारे में लोगों को सचेत करती हैं।

ये कार्यक्रम एसएसबी, बीएसएफ एवं अन्य सरकारी एजेंसियों के सहयोग से आयोजित किए जाते हैं।

प्रभागीय नाटक मंडलियां

प्रभागीय नाटक मंडलियां पुणे, पटना, हैदराबाद, भुवनेश्वर, जम्मू एवं दिल्ली में हैं एवं ये स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय संप्रभुता एवं सांप्रदायिक सौहार्द एवं अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण, सर्वशिक्षा अभियान एवं पर्यावरण संबंधी विषयों पर नाटक का मंचन करते हैं।

प्लान स्कीम

वित्त वर्ष 2012–13 में लाइव आर्ट्स एवं कल्चर फॉर रुरल इंडिया प्लान स्कीम संचालित की गयी। इस स्कीम के कुछ विशेष घटक निम्नलिखित है–

(क) पहाड़ी/आदिवासी/रेगिस्तानी/संवेदनशील एवं सीमावर्ती इलाकों में सूचना, संचार एवं तकनीकी (आईसीटी) गतिविधियां

(ख) 83 नक्सल प्रभावित जिलों में कार्यक्रम

(ग) भारत निर्माण कार्यक्रम का प्रचार

नई दिल्ली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग द्वारा ''जमुनिया'' 'आकांक्षा उभरते भारत की' विषय पर नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति

(घ) जम्मू व कश्मीर एवं उत्तर–पूर्व में विशेष गतिविधियां।

(च) राष्ट्रीय एवं सामाजिक मुद्दों पर आधारित थिएटर शो की प्रस्तुति

(छ) गीत एवं नाटक प्रभाग का आधुनिकीकरण

d- igkMh@vkfnoklh] jfxLrku ,o lonu'khy o lhekorh bykdk e lpuk vkj lpkj xfrfof/k;k

प्रभाग ने जम्मू व कश्मीर, पंजाब एवं उत्तरी पूर्व सीमा से लगने वाले इलाकों में किसी भी तरह की अफवाहों एवं देशविरोधी गतिविधियों से बचने एवं उसकी पहचान करने के लिए लोगों के बीच विशेष जागरूकता एवं प्रचार अभियानों का आयोजन किया। इस आयोजन का एक और मकसद सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को देश की मुख्या ध ारा से जोड़ने एवं उन्हें सरकार द्वार चलाए जा रहे तमाम सामाजिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों की जानकारी देना भी था। प्रभागीय मंडलियों एवं निजी पंजीकृत मंडलियों तथा बीएसएफ एवं अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सहयोग से प्रभाग ने इन इलाकों में विशेष प्रचार अभियानों का आयोजन किया।

प्रभाग ने पहाड़ी, आदिवासी एवं रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले लोगों की भलाई एवं उनके चहुमुंखी विकास को ध्यान में रखते हुए कई तरह के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया। पहाड़ी एवं आदिवासी इलाकों में रहने वाले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने एवं उन्हें सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों एवं अन्य आर्थिक गतिविधियों की जानकारी देने के मकसद से इस प्रभाग ने काफी जोरदार तरीके से प्रचार अभियानों का संचालन किया।

इन कार्यक्रमों स्थानीय भाषा में आयोजित किया ताकि लोगों से संवाद स्थापित करने में कोई दिक्कत न हो एवं आयोजन के मकसद से उन्हें भलीभांति परिचय कराया जा सके। वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान (अक्टूबर 2012 तक) 1811 कार्यक्रमों का आयोजन किया।

c- fpfàr fd, x, 83 ftyk ,o uDly çHkkfor bykdk e ipkj&ilkj

प्लान स्कीम के इस घटक के तहत गीत एवं नाटक प्रभाग ने गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए 83 नक्सल प्रभावित इलाकों में जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जिसके तहत लोगों को उनके सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे तमाम कार्यक्रमों एवं स्कीमों की जानकारी दी। इन कार्यक्रमों को स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया गया ताकि लोगों का मनोरंजन करते हुए उन्हें इन मुद्दों की जानकारी सही तरीके से दी जा सके।

इन कार्यक्रमों के तहत इन इलाकों में रहने वाले युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाने एवं उन्हें अपने अधि ाकारों के प्रति जागरूक करने पर पूरा जोर दिया गया। विभाग ने अक्टूबर 2012 तक कार्यक्रमों का आयोजन कर स्कीम के मकसद को पूरा करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी। गृह मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए 83 नक्सल प्रभावित इलाकों में इन कार्यक्रमों विशेष तौर पर आयोजित किया गया ताकि लोगों के बीच सही संदेश पहुंचाया जा सके एवं उनकी बेहतरी के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी जा सके।

गीत एवं नाटक प्रभाग के एक भव्य कार्यक्रम की भावपूर्ण प्रस्तुति

गीत एवं नाटक प्रभाव द्वारा संचालित/प्रस्तुत कार्यक्रमों का विवरण

vDVcj 2012 rd dh fLFkfr

ehfM;k bdkbZ dk uke	ekg	dk;ZØe dh la[;k								
		fcgkj	NÙkhlx<	>kj[kaM	e/; ins'k	vkfM'kk	if'pe caxky	vk/kz insa'k	egkjk"Vª	mÙkj izns'k
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
xhr ,oa ukVd izHkkx	vizSy 2012	–	–	–	–	–	08	–	–	–
वही	मई 2012	–	–	–	–	–	–	30	–	–
वही	जून 2012	–				69				
वही	जुलाई 2012					10	12	36		
वही	अगस्त 2012						26			
वही	सितम्बर 2012	–	–	–	–	–	17			
वही	अक्टूबर 2012	155	–	180	–	132	51	72	–	20
dqy		155	–	180	–	211	114	138	–	20

x- Hkkjr fuek.k dk;Øe dk çpkj

प्लान स्कीम के इस घटक के तहत प्रभाग ने भारत निर्माण के अंतर्गत चलाये जा रहे सरकार के विभिन्न विकास कार्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।

?k- tEe o d'ehj rFkk mÙkj&io Hkkjr e fo'k"k xfrfof/k;k

प्रभाग ने देश की राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भावना सामाजिक मुद्दे जैसे हेल्थ एवं फैमली वेलफेयर, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्भावना, महिला सशक्तीकरण, अल्पसंख्यकों के लिए प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रचार एवं प्रसार के लिए कई तरह के विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया।

वर्ष 2012–13 के दौरान इस प्रभाग ने अक्टूबर 2012 तक 1586 कार्यक्रमों का आयोजन किया जिसमें 60 कार्यक्रम जम्मू व कश्मीर में जबकि 1526 कार्यक्रम उत्तर पूर्वी भारत में आयोजित किए गए।

प्रभाग ने वर्ष 2012–13 के दौरान करीब 1800 कार्यक्रम आयोजित करने का लक्ष्य रखा है।

p- jk"Vªh;@lkekftd fo"k; ij vk/kkfjr fFk,Vj 'kks

देश की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत के संबंध में आम जनता खासकर युवाओं को जागरूक करने एवं उनके ज्ञान को बढ़ाने के मकसद से प्रभाग के लाइट एवं साउंड विंग ने देश के कई हिस्सों में कई तरह के थिएटर शो का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की वजह से लोगों को एकत्रित करने में काफी सहायता मिली।

इन कार्यक्रमों के तहत भारत के इतिहास, भूगोल एवं उसकी महान ऐतिहासिक धरोहरों की जानकारी दी गई।

इतना ही नहीं आजादी के संघर्ष मे भाग लेने वाले महान विभूतियों के बारे में भी आज की पीढ़ी को बताया गया। प्रभाग ने अक्टूबर 2012 तक 6 साउंड एवं लाइट कार्यक्रमों का आयोजन किया।

प्रभाग ने यूपीए सरकार की विकास नीतियों पर आधारित ध्वनि–प्रकाश कार्यक्रम–*जमुनिया: तस्वीर बदलते भारत की* पोरबंदर में 24 सितम्बर से 2 अक्टूबर 2012 तक छह प्रस्तुतियां की। इस मनभावन कार्यक्रम को दर्शकों ने खूब सराहा।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग की ओर से ''जमुनिया'' शो की प्रस्तुति।

वर्ष 2012-13 (अप्रैल से अक्टूबर 2012) के दौरान प्लान/नॉन-प्लान स्कीम के तहत उपलब्धियां

{k=h; dk;ky;	lyku Ldhe&xkeh.k Hkkjr dk fy, dyk vkj lLÑfr dk ltho ik:i						u,u lyku
	vkbl hVh	vkbMh	Hkkjr fuek.k	tEe&d'ehj ,o mÙkjh ioj Hkkjr	fFk,Vj 'kk	dy	
1. बेंगलुरू	–	–	–	–	–	–	324
2. भोपाल	–	–	–	–	–	–	573
3. पुणे	–	–	–	–	–	–	1254
4. रांची	220	335	10	–	–	565	211
5. लखनऊ	75	20	21	–	–	116	636
6. चेन्नई	211	138	13	–	–	362	135
7. कोलकाता	635	325	–	256	–	1216	320
8. गुवाहाटी	70	–	–	1270	–	1340	306
9. चंडीगढ़	–	–	74	60	–	134	270
10. दिल्ली	600	–	50	–	–	650	430
11. एएफईडब्ल्यू यूनिट दिल्ली	–	–	–	–	–	–	21
12. ध्वनि–प्रकाश ईकाइयां	–	–	–	–	06	06	–
dy	1811	818	168	1586	06	4389	4480

नॉन प्लान (पीएसएस)

प्रभाग ने सरकारी के विभिन्न विकास कार्यक्रमों के प्रचार–प्रसार के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसके अलावा कई तरह के सामाजिक मुद्दे, राष्ट्रीय एकता, सांप्रदायिक सद्‌भावना, महिला सशक्तिकरण, अल्पसंख्यकों के लिए प्रधान मंत्री 15 सूत्रीय कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान एवं पर्यावरण सुरक्षा पर आधारित कार्यक्रम। इसके अलावा बाल अधिकार, सूचना का अधिकार एक्ट, कुपोषण को रोकने संबंधी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। पूरे देश में आयोजित सभी बड़े मेले एवं त्योहारों को कवर किया गया। अक्टूबर 2012 तक करीब 4480 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

सीमावर्ती इलाकों में विकास कार्यक्रम 2012-13 की टास्क फोर्स

vDVcj 2012 rd			
l[;k	jkT;	lcf/kr ftyk dk uke	¼o"k dk nkjku vk;kftr dk;Øek dh l[;k½
1	अरुणाचल प्रदेश	अंजव, चांगलांग, दिबांग घाटी, पूर्वी कैमेंग, पश्चिमी कैमेंग, कुरुंग कैमे, लोअर दिबांग, तवांग, तिराप, अपर सियांग, अपर सुबांसरी, पश्चिमी देमंग, पश्चिमी सियांग	16
2	असाम	ढुबड़ी, कछार, करिमांग, कोकराझार, बास्का, चिरांग, उदलगुड़ी	128
3	बिहार	अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी, सुपौल	121
4.	गुजरात	बनासकांठा, कच्छ, पाटण	–
5	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर, लाहौल–स्पिति	15
6.	जम्मू व कश्मीर	जम्मू, कठुआ, पूंछ, राजौरी, बारामुला, बडगाम, कुपवाड़ा, कारगिल, लेह	296
7	मणिपुर	चंदेल, सीसीपुर, सोपोर चंदेल, उखरुल एवं चूड़ाचांदपुर	131
8.	मेघालय	पश्चिमी गारो हिल्स, दक्षिणी गारो हिल्स, जयंतिया हिल्स, पूर्वी खासी हिल्स, पश्चिमी खासी हिल्स	131
9	मिजोरम	चमफई, लॉगतलाल, ममीत, शैहा, सर्चिप	32
10	नागालैंड	किफीर, मोन, फेक, तुनसांग	16
11	पंजाब	अमृतसर, तरणतारन, फिरोजपुर, गुरुदासपुर	131
12	राजस्थान	बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर एवं जैसलमेर	60
13	सिक्किम	पूर्वी सिक्किम, उत्तरी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम	226
14	त्रिपुरा	दक्षिणी त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा, सिद्धार्थ नगर, पश्चिमी त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा	34
15	उत्तर प्रदेश	बहराइच, बलरामपुर, खीरी, पीलीभीत, श्रावस्ती, महराजगंज, सिद्धार्थ नगर	274
16	उत्तराखंड	चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर, उत्तरकाशी	171
17	पश्चिम बंगाल	कूचबिहार, दार्जिलिंग, दक्षिणी दिनाजपुर, जलपाइगुड़ी, माल्दा, मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तरी चौबीस परगना, उत्तरी दिनाजपुर	386
		dy	2055&dk;Øe

फोटो प्रभाग

(www.photodivision.gov.in)

फोटो प्रभाग भारत सरकार की विभिन्न गतिविधियों को सहयोग करने के लिए एक स्वतंत्र मीडिया इकाई है और इसका कार्यालय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। मीडिया इकाइयों को सहयोग करने के साथ साथ व्यक्तिगत व सभी क्षेत्रों के आवश्यकताओं को पूरा करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह फोटोग्राफी के क्षेत्र में देश में अपने आप में सबसे बड़ी प्रोडक्शन व डाक्युमेंटेशन इकाई है।

भारत सरकार की ओर से प्रचार के लिए विजुअल डाक्युमेंटेशन तथा श्वेत–श्याम व रंगीन फोटो तैयार करने की जिम्मेदारी प्रभाग पर है। वर्तमान में इसकी डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। इसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। बदलते अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी गति बरकरार रखने के लिए प्रभाग प्रतिबद्ध है। फोटोग्राफी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रभाग ने राष्ट्रीय फोटोग्राफिक सेंटर की कल्पना को ग्रहण किया है तथा फोटो के संरक्षण के लिए संपूर्ण डिजिटाइलेजशन प्रक्रिया अपनाते हुए अपनी गतिविधि प्रारंभ की है।

कार्य/आयोजन

प्रभाग का मुख्य कार्य देश के विकास, देश में हो रहे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को कालानुक्रमिक ढंग से फोटोग्राफ के जरिये दर्शाना तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के मीडिया इकाइयों को सहयोग करना है। फोटो प्रभाग मंत्रालय के मीडिया इकाइयों को फोटो उपलबंध कराता है। मीडिया इकाइयों द्वारा इन सूचनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। इसके अलावा इन चित्रों का प्रदर्शनी तथा प्रकाशन भी कराया जाता है। पत्र सूचना कार्यालय के वेबसाईट पर जारी किये गये फोटो को प्रचार के लिए उपयोग होता है। इसी तरह डीएवीपी अपने प्रदर्शनियों के लिए प्रभाग के आर्काइव से फोटो लेता है। केन्द्र व राज्य सरकार की एजेसियां, मंत्रालय, विभाग, राष्ट्रपति सचिवालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा व राज्यसभा सचिवालय, विदेश मंत्रालय के एक्सपी प्रभाग के जरिये विदेश में भारतीय दूतावास आदि फोटो प्रभाग का मुख्य रूप से उपयोग करते हैं।

अपनी मूल्य योजना के जरिये प्रभाग भुगतान के आधार पर विभिन्न संगठनों, निजी प्रकाशकों व आम जनता को फोटो उपलब्ध करवाता है।

राष्ट्रीय फोटोग्राफी केन्द्र की कल्पना के साथ फोटोग्राफी का पूर्ण रुप से विकसित करने पर कार्य प्रारंभ किया गया है। उत्तर–पूर्व के राज्यों को प्रोत्साहन देने के लिए आधुनिक फोटोग्राफी के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने तथा विशेष रुप से फोटो आर्काइव के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन देने के उद्देश्य से इसका प्रारंभ किया गया है।

सांगठनिक ढांचा

निदेशक इस प्रभाग के प्रमुख होते हैं। उनकी सहायता के लिए एक उप निदेशक, एक वरिष्ठ फोटोग्राफिक अधिकारी, छह फोटोग्राफिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, तकनीकी व गैर मंत्रालयी स्टाफ रहते हैं। राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए प्रभाग की एक हिन्दी इकाई है। इसमें एक हिन्दी अनुवादक (कनिष्ठ) एवं हिन्दी टाइपिस्ट (एलडीसी) हैं।

महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां

प्रभाग के अधिकारी उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति, मंत्रियों के साथ देश के भीतर व बाहर यात्राओं पर जाते है। उनकी यात्रा की व्यापक फोटो कवरेज व फोटो प्रचार सामग्री उपलब्ध कराते हैं।

पूरे साल भर दो फोटोग्राफिक अधिकारी शिफ्ट आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय/आवास, संसद भवन आदि में ड्यूटी पर रहते हैं और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के विभिन्न कार्यक्रमों के फोटो डाक्युमेंटेशन की आवश्यकता पूरी करते हैं ताकि इसे रिकार्ड के लिए रखा जा सके तथा प्रचार व व्यक्तिगत इस्तमाल में व्यवहार किया जा सके।

प्रभाग विदेश मंत्रालय के लिए विशेष सेवा प्रदान करता है। फोटोग्राफिक आफिसर, वरिष्ठ फोटो सहायक, कनिष्ठ फोटो सहायक की एक टीम को प्रभाग द्वारा दौरे पर आये राष्ट्र प्रमुख के साथ रखा जाता है और यह टीम उनके दौरे का व्यापक कवरेज करती है।

अन्य मीडिया इकाइयों के साथ सहयोग

अन्य मीडिया इकाइयों के साथ सहयोग के लिए प्रभाग ने अनेक

कदम उठाये हैं। प्रभाग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट शुरु की है और इसमें नये एवं अर्काइव में अनेक फोटो डाले हैं। इसके जरिये इन चित्रों के वैश्विक उपयोग की संभावना तलाशा जा रहा है। वेबसाईट के माध्यम से फोटो की बिक्री के लिए प्रभाग ई–कामर्स योजना की शुरुआत करने की प्रक्रिया में है। आर्काइव में डाले गये फोटो के ऑनलाइन व ऑफलाइन रिट्रिवल के लिए एक उच्चशक्ति वाला सर्वर लगाया गया है। प्रभाग का फोटो न्यूज नेटवर्क अपनी पूर्ण डिजिटल मोड पर कार्य कर रहा है, इससे फोटो को समाचार पत्र तथा पत्र सूचना कार्यालय को शीघ्र भेजा जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की वेबसाईट, फोटो प्रभाग की डिजिटल इमेज को सपोर्ट करता है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों के एसाइनमेंट के दौरान आधुनिक उपकरण के सहयोग से कार्यक्रम स्थल से ही फोटोग्राफ अपलोड व डाउनलोड किया जा सकता है। यह प्रभाग डीएवीपी को प्रदर्शनियों के लिए डिजिटल इंकजेट तस्वीरों से युक्त प्रदर्शनी कम्पोजिट पैनल भी उपलब्ध करवाता है। विषयकेन्द्रित प्रदर्शनी, कैलेंडरों की छपाई और अपडेटेड डाक्युमेंटेशन के लिए फोटो प्रभाग ने अनेक कदम उठाये हैं। मीडिया इकाइयों एवं राज्य सरकारों के साथ मिल कर प्रभाग कार्यशाला का आयोजन करता है।

12वीं पंचवर्षीय योजना

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–17) के दौरान प्रभाग का अपनी पूर्व की योजनाओं, राष्ट्रीय फोटोग्राफी केन्द्र व डिजिटल फोटो मैनजमेंट के साथ न्यूज फोटो नेटवर्क को जारी रखने का प्रस्ताव है।

प्लान स्किम के अन्य हिस्सों में उत्तर पूर्व, जम्मू–कश्मीर, अंडमान निकोबर द्वीप समूह, लक्षद्वीप आदि पर विशेष ड्राइव के अलावा इन इलाकों में विकास परियोजनाओं का व्यापक फोटो कवरेज के साथ साथ डाक्युमेंटेशन किया गया है।

राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनियां

स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में तीन वर्षीय उत्सव

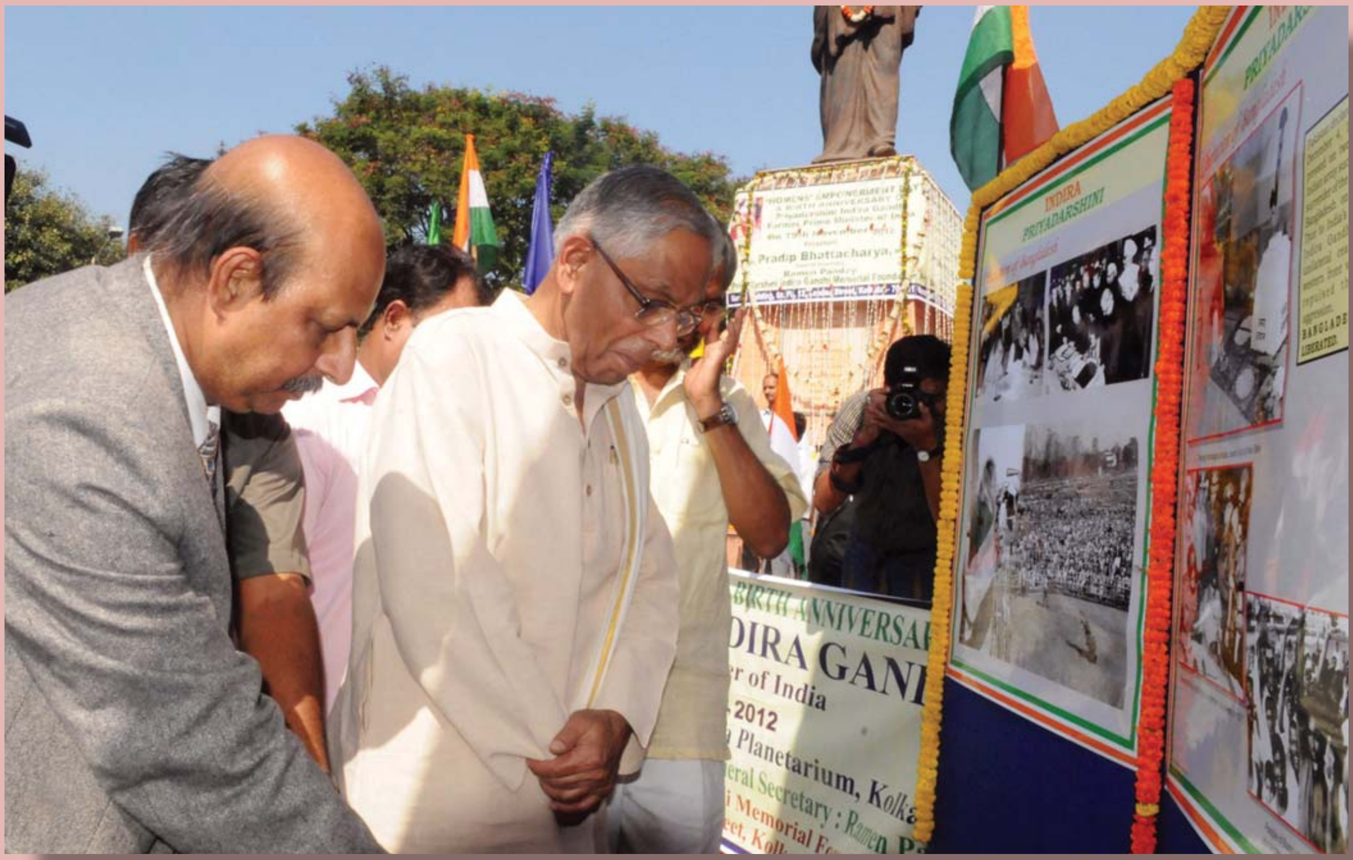

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री एम के नारायणन 19 नवम्बर, 2012 को कोलकाता में फोटो प्रभाग की प्रदर्शनी ''प्रियदर्शिनी इन्दिरा'' का अवलोकन करते हुए। इस अवसर पर फोटो प्रभाग के निदेशक श्री देवातोष सेनगुप्ता भी उपस्थित थे।

मनाने को लेकर सरकार के निर्णय को ध्यान में रखकर, फोटो प्रभाग ने भारत में युवा शीर्षक से 23वीं राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया। 23वीं राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता के विजेताओं व चयनित फोटो को लेकर प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। ये प्रदर्शनियां अहमदाबाद, लखनऊ, चेन्नई, इन्दौर और गुवाहाटी में आयोजित हुई। फोटो प्रभाग ने लाइफ टाइम अचिवमेंट सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले चार व्यक्तियों के संग्रह को प्रदर्शित करने के लिए तीन प्रदर्शनियों का आयोजन दिल्ली, मुंबई व कोलकाता में किया। फोटो प्रभाग ने भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रियदर्शिनी इन्दिरा के शीर्षक से एक प्रदर्शनी का आयोजन किया।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता

फोटो प्रभाग ने जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से *कला में रमे कलाकार* विषय पर राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता का आयोजन किया। प्रसिद्ध फोटोग्राफर एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव जी.बी मुखर्जी, मेघालय से वरिष्ठ फ्रीलांसर व जनजातीय फोटोग्राफर माइकेल शायला एवं फोटो प्रभाग के निदेशक देवतोष सेनगुप्ता को मिलाकर गठित उच्चस्तरीय निर्णायक मंडल ने 13 विजेता फोटोग्राफ तथा प्रदर्शनी के लिए 80 फोटोग्राफों को चयन किया। अन्य फोटोग्राफरों के साथ जनजातीय फोटोग्राफरों की सहभागिता का विशेष मौका प्रदान करने के लिए सिक्किम के यीशी डोमा भुटिया को श्रेष्ठ जनजातीय फोटोग्राफर के लिए विशेष मेधा सम्मान के लिए चुना गया। स्कल्प्स अवे टू ग्लोरी शीर्षक के फोटो पर उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया। उन्हें 20,000 रुपये की राशि, प्लैक व प्रशस्ति पत्र के साथ सम्मानित किया गया। पश्चिम बंगाल के श्री देवेश मुखोपाध्याय, ऋत्विक चक्रवर्ती व जयंत राय को प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान के लिए चयन किया गया ।

प्रभाग द्वारा कवरेज

फोटो प्रभाग ने अनेक राजनीतिक गतिविधियों व भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का कवरेज किया। देश में और देश के बाहर महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरों का फोटो प्रभाग व्यापक कवरेज करता है। विभिन्न महत्वपूर्ण सम्मेलनों, द्विपक्षीय व बहुपक्षीय शिखर सम्मेलनों का कवरेज किया जाता है। प्रभाग विभिन्न महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों का भी विशेष कवरेज करता है। प्रभाग ने देश में और देश के बाहर प्रधानमंत्री के दौरों को व्यापक कवरेज प्रदान किया। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सम्मेलनों, द्विपक्षीय बैठकों को कवरेज प्रदान किया।

विशेष कवरेज (संस्कृति/ धर्म)

1. इफ्तार 2. गुरु नानक जयंती 3. दशहरा 4. दुर्गापूजा 5. दीपावली 6. ईद 7. मुहर्रम 8. क्रिसमस

विशेष प्रोडक्शन/पीआईसी आदि

डिजिटाइजेशन के कारण हार्ड कापी प्रिंट का इस्तमाल कम होता जा रहा है। मीडिया पीआईबी या फोटो प्रभाग की वेबसाईट से आसानी से फोटो डाउनलोड कर सकता है। प्रिंटिंग म्युरल्स के आने से डीएवीपी को भी प्रदर्शनियों के लिए विशिष्ट पैनल प्राप्त करने की सुविधा मिली है। इन सेट्स का उपयोग आम तौर पर जनसूचना अभियान (पीआईसी) में किया जाता है।

59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, नई दिल्ली/भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, गोवा

प्रभाग द्वारा 59वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड समारोह की व्यापक कवरेज की गयी। इस मौके पर प्रभाग ने 120 फोटो वेबसाईट पर डाले। गोवा में आयोजित 43वें भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी प्रभाग ने व्यापक कवरेज किया। इस अवसर पर 311 डिजिटल फोटो को इंटरनेट के जरिये जारी किया गया। इसके अलावा मान्यता प्राप्त पत्रकारों व फिल्म समीक्षकों को 1250 हार्ड कापी वितरित की गई।

विशेष कवरेज

भारत के माननीय राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनाव के दौरान प्रभाग ने व्यापक फोटो डाक्युमेंटेशन किया। उनके नामांकन भरने से लेकर मतदान तक के फोटो इसमें शामिल हैं। इसके अलावा 25 जुलाई 2012 को माननीय राष्ट्रपति व 11 अगस्त 2012 को उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह का भी डाक्युमेंटेशन किया गया। प्रभाग ने अप्रैल 2012 में आयोजित पद्म सम्मान समारोह कार्यक्रम का डाक्युमेंटेशन किया। इसके अतिरिक्त 4 अक्तूबर को हुए

3 मई, 2012 को नई दिल्ली में 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए विद्या बालन को रजत कमल सम्मान प्रदान करते हुए। उन्हें फिल्म ''डर्टी पिक्चर'' के लिए यह सम्मान दिया गया। तत्कालीन सूचना व प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी, तत्कालीन सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री डा. एस जगतरक्षकन और श्री सी.एम जातुआ तथा सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव उदय कुमार वर्मा भी मौजूद हैं।

हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव का भी व्यापक कवरेज किया।

अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड़ व मिजोरम में विकास गतिविधियों पर प्रभाग ने विशेष फोटो कवरेज किया।

कुल प्रोडक्शन आंकडे

2012–13 (अप्रैल से नवंबर 2012 तक) कवर किये गये असाइनमेंट, हैंडल किये गये निगेटिव एवं तैयार किये गये प्रिंट/ अलबम इस प्रकार हैं:

1.	कवर किये समाचार व फीचर असाइनमेंट	1629
2.	डिजिटल फोटो जो संग्रह किये गये	130771
3.	छांटे गये डिजिटल फोटो जिन्हें आर्काइव व फोटो प्रभाग की वेबसाईट पर डाला गया	7631
4.	आपूर्ति किये रंगीन व श्याम–श्वेत फोटो	111568
5.	प्रभाग के सर्वर पर डाले गए फोटो	97782
6.	तैयार किये गये कुल फोटो अलबम वालेट	184
7	पीआईबी की वेबसाइट पर डाले गए फोटो	4123

राजभाषा का कार्यान्वयन

राजभाषा के कार्यान्वयन की दिशा में फोटो प्रभाग सक्रियता के साथ जुड़ा हुआ है। लेखा व प्रशासन के अधिकांश फाइलों पर हिन्दी में कार्य होता है। सितंबर माह में हिन्दी पखवाडे के दौरान प्रभाग ने तीन कार्यशालाओं को आयोजन किया। हिन्दी साहित्य का विशेष परिचय पर एक विशेष कार्यशाला का भी आयोजन किया गया। इस वर्ष के पखवाडे में प्रमुख रुप से ध्यान श्रुतिलेख प्रतियोगिता पर दिया गया। इसके अलावा निबंध लेखन, प्रश्नावलि आधारित फोटोग्राफी, राजभाषा हिन्दी एवं करेंट अफेयर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई।

अनुमोदित बजट

				₹ yk[k esa
o"kZ	Loh—r ifj0;;		okLrfod 0;; ¼uocj 2012 rd½	
	xSj ;kstuk	;kstuk		;kstuk
2012–13	406	65 (प्रस्तावित)	239.61	शून्य

सतर्कता

1.	सुरक्षात्मक सतर्कता गतिविधि	
(क)	नियमित निरीक्षणों की संख्या	4
(ख)	अचानक निरीक्षणों की संख्या	2
2,	चौकसी एवं धरपकड गतिविधियां	
(क)	चौकसी के चयनित क्षेत्रों का विवरण:	सभी प्रोडक्शन क्षेत्र/मूल्य विभाग
(ख)	निगरानी के लिए चयनित व्यक्तियों की संख्या:	00

भारतीय जनसंचार संस्थान

(www.iimc.nic.in)

भारतीय जनसंचार संस्थान सूचना व प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसे संचार शिक्षण, प्रशिक्षण व शोध के क्षेत्र में संेटर आफ एक्सेलेंस का दर्जा दिया गया है। मंत्रालय के अधीन एक विभाग के तौर पर 17 अगस्त 1965 को इसकी स्थापना की गई थी। तब देश के संपूर्ण विकास नीति के लिए संचार संसाधनों का बेहतर इस्तमाल करने के एक कार्यपद्धति तैयार करने की आवश्यकता भारत सरकार को महसूस हुई थी। संस्थान का पंजीकरण सोसयटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के तहत 22 जनवरी 1966 को कराया गया। संस्थान को सरकार से सूचना व प्रसारण मंत्रालय के जरिये अनुदान प्राप्त होता है। भारतीय जन संचार संस्थान प्रिंट, फोटोग्राफी, रेडियो टेलीवीजन, विकास संचार, संचार अनुसंधान , विज्ञापन व जनसंपर्क आदि अनेक क्षेत्रों में संचारकर्ताओं को ज्ञान व निपुणता प्रदान करता है। संस्थान राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के साथ मिल कर अनेक संगोष्ठी, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशाला आदि का आयोजन करता है । इसके अलावा संस्थान संयुक्त शोध परियोजना तथा उद्योग, सरकार व सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के आवश्यकता को पूरा करने के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम भी चलाता है।

15 जनवरी 2013 को नई दिल्ली में भारतीय जन संचार संस्थान के 45 वें दीक्षांत समारोह में द्वीप प्रज्वलित करते हुए सूचना व प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) मनीष तिवारी

अकादमिक गतिविधियां

ikLV xstq,V fMIykek ikBîØe

मार्च 2012 में सभी प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा पाठ्यक्रम के दाखिला प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ। 19 मार्च 2012 से आवेदन फार्म की बिक्री शुरु हुई।

1. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन जर्नलिज्म (हिन्दी) दिल्ली,
2. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन जर्नलिज्म (अंग्रेजी) दिल्ली, ढेंकानाल, आइजल, अमरावती, जम्मू एवं कोट्टायम मे
3. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन्स ,दिल्ली में
4. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन रेडियो एवं टीवी जर्नालिज्म दिल्ली में
5. पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स इन जर्नालिज्म (ओडिया) ढेंकनाल में

आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2012 थी। कुल 3512 परीक्षार्थियों ने प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया था। गत वर्ष से पांच अतिरिक्त केन्द्रों पर प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ये केन्द्र हैं भोपाल, चेन्नई, जम्मू, श्रीनगर एवं कोच्ची। इस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश परीक्षा 21 मई 2012 को नई दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, बेंगलुरु, मुंबई, नागपुर, आइजल, भोपाल, चेन्नई, जम्मू श्रीनगर व कोच्ची में आयोजित हुई। ढेंकानाल में ओडिया पत्रकारिता के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया गया।

दाखिला लेने के लिए आवेदन करने वाले 3512 प्रत्याशियों में से 1126 ने पत्रकारिता के लिए, 807 ने टीवी व रेडियो पत्रकारिता के लिए, 1440 ने विज्ञापन व जन संपर्क के लिए तथा 39 प्रत्याशियों ने ओडिया पत्रकारिता के लिए आवेदन किया था ।

संस्थान के दो नए केंद्रों में 2012–13 के सत्र से पाठ्यक्रम प्रारंभ हुए। इसमें उत्तर क्षेत्र में जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर) तथा दक्षिण क्षेत्र में

कोट्टायम (केरल) शामिल हैं । दिल्ली में सभी पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के अकादमकि गतिविधि 30 जुलाई 2012 को प्रारंभ हुआ । जिस नये शैक्षणिक क्षेत्र में छात्र प्रवेश कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक ओरिएंटेशन व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया । इसी तरह क्षेत्रीय केन्द्रों पर अकादमिक गतिविधि निम्नलिखित तिथियों से प्रारंभ हुई ।

ढेंकानाल	1 अगस्त 2012
अमरावती एवं आइजल	6 अगस्त 2012
जम्मू एवं कोट्टायम	13 अगस्त 2012

विकास पत्रकारिता में डिप्लोमा पाठ्यक्रम

गुटनिरपेक्ष और विकासशील देशों के लिए 58वां विकास पत्रकारिता 2 जनवरी 2012 को प्रारंभ हुआ । 20 देशों से 24 प्रतिभागी इसमें सामिल हुए । 30 अप्रैल 2012 को यह पाठ्यक्रम समाप्त हुआ । सूचना व प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव श्री.केए.गणाइ ने 27 अप्रैल 2012 को समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो कर प्रतिभागियों को डिप्लामा प्रदान किया ।

नान एलाइंड व विकसित देशों के लिए 59वां विकास पत्रकारिता 1 अगस्त 2012 को प्रारंभ हुआ । 22 देशों से 28 प्रतिभागी इसमें सामिल हुए । 30 नवंबर को इस पाठ्यक्रम का समापन हुआ । 29 नवंबर 2012 को सूचना व प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा ने समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हो कर प्रतिभागियों को डिप्लामा प्रदान किया।

आईआईएस ग्रुप–ए अधिकारियों के लिए फाउंडेशन पाठ्यक्रम

भारतीय सूचना सेवा ग्रुप–ए के 15 प्रोबेशनरों के लिए दो बैचों में फाउंडेशन कोर्स प्रदान किया गया । मार्च से दिसंबर 2011 तथा मई 2011 से फरवरी 2012 तक यह प्रशिक्षण दो बैचों में चला । 15 प्रोबेशनरों में से चार महिलाएं थीं । भारतीय सूचना सेवा ग्रुप–ए के 10 प्रोबेशनरों के बैच का प्रशिक्षण भारतीय जन संचार संस्थान में 15 मार्च से 14 दिसंबर 2012 तक चला ।

भारतीय सूचना सेवा ग्रुप–ए के अधिकारियों के प्रशिक्षण के इतिहास में पहली बार युवा प्रोबेशनरों ने भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से 20 मार्च 2012 को मुलाकात की । इस दौरान उन्होंने माननीय राष्ट्रपति को अपनी वार्षिक पत्रिका इंपल्स भेट की । यह पत्रिका प्रशिक्षण व मीडिया से संबंधित है।

पत्र सूचना कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया पर तीन सफल कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार की एक प्रविष्टि

छोटे कोर्स व कार्यशाला आदि

1 अप्रैल से 31 अक्तूबर 2012 तक आयोजित किये गये छोटे पाठ्यक्रमों और कार्यशालाओं का विवरण इस प्रकार है:

Øekd	ikB;Øe dk uke	dk l fun'kd	çfrHkkfx;k dh l[;k
1	जेसीओ व एनसीओ के लिए वीडियोग्राफी पाठ्यक्रम 2 से 27 अप्रैल 2012	प्रो.एस राघवचारी	25
2.	पीआईबी अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया को लेकर कार्यशाला, 20 से 21 अप्रैल	डा शालिनी नारायणन	25
3.	सशस्त्र सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मीडिया कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम 7 से 18 मई 2012	प्रो. के. एम. श्रीवास्तव	15
4.	आफगानिस्तान के पत्रकारों के लिए विशेष कोर्स	प्रो. के. एम. श्रीवास्तव	23
5.	सशस्त्र सेना के मध्य स्तरीय अधिकारियों के लिए मीडिया कम्युनिकेशन कोर्स 18 से 19 जुन 2012	प्रो. के. एम. श्रीवास्तव	30
6.	टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन के अधिकारियों के लिए ऋषिकेश में कठिन परिस्थितियों में मीडिया के काम पर कार्यशाला 19 से 20 जुलाई 2012	डा. जे. जेठवानी	20
7.	डीएफपी अधिकारियों के लिए कार्यशाला 23 से 27 जुलाई 2012	प्रो. विजय परमार	21
8.	सशस्त्र सेना के चुनिंदा अधिकारियों को अग्रिम कोर्स 27 अगस्त से 21 सितंबर 2012	प्रो. के. एम. श्रीवास्तव	22
9.	अफ्रीका के पत्रकारों के लिए विशेष कोर्स 24 सितंबर से 5 अक्तूबर 2012	प्रो. के. एम. श्रीवास्तव	25
10.	नेपाल के पत्रकारों के लिए विशेष कार्यशाला 8 से 19 अक्तूबर 2012	प्रो. के. एम. श्रीवास्तव	30
11.	भारतीय तटरक्षकों के लिए जन संचार कोर्स 15 से 19 अक्तूबर 2012	प्रो. के. एम. श्रीवास्तव	10
12.	सार्क पर मीडिया कार्यशाला 17 से 19 अक्तूबर 2012	प्रो. के. एम. श्रीवास्तव	15
13	सशस्त्र सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए मीडिया कम्युनिकेशन पाठ्यक्रम 29 अक्तूबर से 9 नवंबर	प्रो. के. एम. श्रीवास्तव	15

संचार शोध विभाग

2012–13 के दौरान निम्नलिखित शोध अध्ययन किये गये जिनकी रिपोर्ट जल्द ही मिलने की उम्मीद है:

1. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के मातृ और शिशु स्वास्थ्य सुधार अभियान के प्रभाव का अध्ययन

2. भारत में प्रसारण क्षेत्र – विकास और रोजगार की संभावनाएं: इस अध्ययन का लक्ष्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में टिकाऊ व्यावसायिक मॉडल, रोजगार की ज्यादा संभावनाओं, उचित और बेहतर मीडिया शिक्षा और टिकाऊ प्राविधिक प्रणालियों के कार्यान्वयन की नीतियां लागू करने में मीडिया/प्रसारण उद्योग की भूमिका का आकलन करना है। यह अध्ययन गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग के लिए किया जा रहा है।

3. गृह मंत्रालय के लिए नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों के समुचित प्रबंधन में मीडिया आधारित प्रोत्साहन कार्यक्रमों का आकलन।

निम्नलिखित शोध अध्ययनों पर काम शुरु हो गया है जो जल्द ही संपन्न हो जाएगा:

1. जानकारी जुटाना और विकास में भागीदारी/सूचना और प्रसारण मंत्रालय के कार्यक्रमों को बढावा देने में जनसूचना अभियानों की भागीदारी

2. विकास संचार के जरिए जनसशक्तीकरण–विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की प्रचार संबंधी प्लान स्कीम का आकलन

3. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अभियानों की निगरानी और रिपोर्टिंग

संकाय तथा शोध स्टाफ

आईआईएमसी का ढेंकानाल क्षेत्रीय केन्द्र 1993 से पूरी तरह काम कर रहा है और देश के पूर्वी क्षेत्र के छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय है। यह केन्द्र अंग्रेजी और उड़िया पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चला रहा है। अमरावती और आईजल क्षेत्रीय केन्द्र 2011–12 से तथा जम्मू तथा कोट्टायम केन्द्र 2012–13 सत्र से काम करने लगे हैं। इन चारों केन्द्रों में फिलहाल अंग्रेजी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। चारों ही केन्द्रों में अध्ययन तथा अध्यापन की सभी सुविधाएं हैं।

योजना कार्यक्रम

11वीं पंचवर्षीय योजना में आईआईएमसी की एकमात्र योजना स्कीम थी– आईआईएमसी का उन्नयन कर इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुंचाना। यह स्कीम योजना आयोग और मंत्रालय द्वारा स्वीकृत है। इसके अंतर्गत वर्तमान एकवर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम को दो वर्ष के उन्नत स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (एमए के समतुल्य) करना और जम्मू–कश्मीर, मिजोरम, महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र) और केरल में आईआईएमसी के चार क्षेत्रीय केन्द्र खोलना शामिल है।इस स्कीम को मंत्रालय की स्थाई वित्त समिति ने मंजूर कर दिया है और इसके लिए 62 करोड़ रुपये के परिव्यय तथा 51.5 करोड़ के नेट बजट आवंटन का प्रावधान है। ये चारो केन्द काम करने लगे हैं। मिजोरम में आइजोल और महाराष्ट्र में अमरावती केन्द्र 8 अगस्त 2011 से काम करने लगे थे। जम्मू–कश्मीर और केरल में कोट्टायम केन्द्र 13 अगस्त 2012 से काम कर रहे हैं। नई दिल्ली केन्द्र में वर्तमान भवन में एक अतिरिक्त मंजिल बनाने तथा अन्य कार्य पूरे कर लिए गए हैं। उड़ीसा में ढेकानाल में एक अतिरिक्त भवन बनाने का काम शुरू हो गया है और नई दिल्ली में अतिरिक्त भवन बनाने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

12वीं पंचवर्षीय योजना में 'आईआईएमसी के नए क्षेत्रीय केन्द्र खोलना' स्कीम के अंतर्गत ईएफसी ने 90 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है। इसके अंतर्गत आईआईएमसी चारो नए क्षेत्रीय केन्द्रों में स्थाई कैम्पस बनाने का प्रावधान है।

अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम

1. स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश में अल्पसंख्यक समुदायों को समुचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है। सत्र 2012–13 में, 14 विद्यार्थियों में से 3 अल्पसंख्यक समुदायों में से थे।

2. अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होता और संस्थान का माहौल बड़ा ही सदभावपूर्ण है।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़े वर्गों का सेवा में प्रतिनिधित्व

संस्थान की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व है।

आयात नीति संबंधी फैसले/विधान/ उपलब्धियां/ गतिविधियां

2012–13 के लिए विवरण इस प्रकार हैं–

1. जम्मू और कोट्टायम में 2 नए केन्द्र खोलना 2. दो वर्ष के प्रस्तावित उन्नत स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम की एमए के समतुल्य मान्यता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजे जाने वाली पाठ्य सामग्री को अंतिम रूप दे दिया गया है।
3. संसद के अधिनियम के जरिए आईआईएमसी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा दिए जाने के लिए कैबिनेट नोट और विधेयक के मसौदे तैयार कर लिए गए हैं।

कार्यकारी परिषद/ सामान्य आम बैठक की गतिविधियां

अप्रैल से अक्टूबर 2012 के दौरान आईआईएमसी की कार्यकारी परिषद की तीन बैठके हुईं और एक बार वार्षिक आम बैठक हुई। इस दौरान फैकल्टी के उन रिक्त पदों को भरने का फैसला लिया गया जिनके लिए आईआईएमसी सोसाइटी और कार्यकारी परिषद ने संशोधित भर्ती नियम मंजूर कर लिए हैं। सोसाइटी और कार्यकारी परिषद ने 2011–12 के लिए आईआईएमसी की वार्षिक रिपार्ट/परीक्षित खातों को मंजूरी दे दी और इन्हें निर्धारित अवधि अर्थात 2012 के शीतकालीन सत्र के दौरान मंत्रालय द्वारा दोनों सदनों के पटल पर रखा गया।

विकलांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए नीतिगत निर्णय

1. संस्थान के पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण–सरकारी नीतियों का पालन किया जा रहा है।

2. वर्तमान भवनों में रैम्प और लिफ्ट जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं ताकि विकलांग लोगों को कोई परेशानी न हो।

शिकायत निवारण की व्यवस्था

नए दिशा निर्देशों के अनुरूप नया नागरिक चार्टर बना कर आईआईएमसी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। इस चार्टर के अनुसार कोई भी नागरिक संस्थान से जुड़े किसी भी मामले की शिकायत कर सकता है और समाधान मांग सकता है। संस्थान के एक अधिकारी को जन शिकायत अधिकारी नामांकित किया गया है। शिकायतों की संस्थान में जांच की जाती है और संस्थान के महानिदेशक की अनुमति से उनका समाधान किया जाता है। आईआईएमसी के शिकायत अधिकारी का पता है : –

विशेष कार्य अधिकारी, भारतीय जनसंचार संस्थान, जेएनयू न्यू कैम्पस, अरुणा आसफ अली मार्ग, नई दिल्ली –110067

आईआईएमसी की किसी सेवा से असंतुष्ट अथवा संस्थान के किसी कार्य की शिकायत करने वाला कोई भी व्यक्ति उक्त अधिकारी को अपनी शिकायत भेज सकता है। शिकायत मिलने के 30 दिन के भीतर शिकायत करने वाले व्यक्ति को की गई कार्रवाई की जानकारी मिलने का अधिकार है।

यदि जनता/संस्थान से जुड़ा कोई व्यक्ति अपनी शिकायत के सिलसिले में शिकायत अधिकारी से मिलना चाहता है तो वह बिना पहले से समय लिए सभी कार्य दिवसों पर कार्यालय में 3 से 4 बजे के बीच शिकायत अधिकारी से मिल सकता है।

उपभोक्ता शिकायत समाधान प्रकोष्ठ

आईआईएमसी में एक उपभोक्ता शिकायत समाधान प्रकोष्ठ है। निम्नलिखित अधिकारी इसके सदस्य हैं :–

1. श्री जयदीप भटनागर, नोडल अधिकारी

2. डॉ. ए के प्रधान, एसोसिएट प्रोफेसर

3. श्री एस ब्रह्मचारी, एसोसिएट प्रोफेसर

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत संस्थान के उप रजिस्ट्रार को सीपीआईओ और ओएसडी को अपीलीय अधिकारी तथा महानिदेशक को पारदर्शिता अधिकारी नामांकित किया गया है।

भारतीय प्रेस परिषद

(www.presscouncil.nic.in)

भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक अर्द्धन्यायिक प्राधिकरण है जिसे संसद द्वारा प्रेस की आजादी सुनिश्चित करने और समाचार पत्रों और एजेंसियों की गुणवत्ता बनाए रखने तथा इसमें सुधार लाने का दायित्व सौंपा गया है। यह एक स्वायत्त संस्थान है जिसका कार्यक्षेत्र अधिकारियों और समाचार पत्रों से जुड़े लोगों तक है। परिषद में अध्यक्ष के अलावा 28 अन्य सदस्य हैं। परिषद के अध्यक्ष, परंपरानुसार उच्चतम न्यायालय के कोई वर्तमान सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं। इसके 28 में से 20 सदस्य प्रेस के विभिन्न घटकों से जुड़े होते हैं और बाकी 8 पाठकों के हितों पर नजर रखते हैं। इन 8 सदस्यों में संसद के दोनों सदनों, और देश के प्रमुख साहित्यिक तथा कानूनी निकायों (जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और साहित्य अकादमी) के प्रतिनिधि होते हैं। अपने कामकाज के लिए परिषद का अपना कोष है। इसके अंतर्गत समाचार पत्रों से प्राप्त शुल्क, अन्य प्राप्तियां तथा केंद्र सरकार से मिलने वाला अनुदान शामिल है। इस समय न्यायमूर्ति मार्कंडेय काट्जू परिषद के अध्यक्ष हैं। 1912–13 के लिए परिषद का स्वीकृत बजट 532.00 लाख का है।

परिषद इसे मिलने वाली शिकायतों पर फैसलों के जरिए अपने दायित्व निभाती है। ये शिकायतें या तो पत्रकारों के आचार के विरुद्ध कार्य करने की होती हैं अथवा प्रेस द्वारा उसकी आजादी में दखल देने से संबंधित होती हैं। अगर जांच के बाद परिषद यह मानती है कि किसी अखबार या समाचार एजेंसी ने पत्रकारों के आचार के मानकों के खिलाफ कार्य किया है अथवा सार्वजनिक रुचि के प्रतिकूल कार्य किया है अथवा किसी पत्रकार अथवा संपादक ने अपने पेशे के खिलाफ कोई अशोभनीय कार्य किया है तो परिषद उसे चेतावनी दे सकती है, समझा सकती है, अथवा उसके कार्य की भर्त्सना कर सकती है या इस पर नाराजगी व्यक्त कर सकती है। परिषद सरकार सहित किसी भी अन्य प्राधिकरण के बारे में, प्रेस की आजादी में हस्तक्षेप करने के सिलसिले में, टिप्पणी कर सकती है। परिषद के फैसले अंतिम होते हैं और इन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।

परिषद के समक्ष शिकायतें

अप्रैल से अक्तूबर 2012 के दौरान भारतीय प्रेस परिषद को 603 शिकायतें मिलीं इनमें 94 प्रेस द्वारा की गई थीं और 509 प्रेस के खिलाफ थीं। परिषद के पास पहले से 816 मामले लंबित चल रहे हैं। इस अवधि के दौरान परिषद ने 61 मामलों में फैसले दिए और 89 मामले बिना मौखिक जांच के बंद कर दिए गए। इस तरह परिषद ने इस अवधि के दौरन 150 मामले निपटाए। बचे हुए 1269 मामलों पर विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई हो रही है। मार्च, 2013 तक परिषद द्वारा 100 और मामले निपटा लिए जाने की उम्मीद है।

सलाहकार के रूप में कार्य

परिषद ने सलाहकार की हैसियत से सरकार और अन्य एजेंसियों को अपने विचारों से अवगत कराया है। इनमें से कुछ मुख्य मुद्दे इस प्रकार हैं–

1. परिषद प्रिंट/इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा किसी हिंसक गतिविधि की सनसनीखेज रिर्पोटिंग की किसी भी प्रकार की प्री–सेंसरशिप के खिलाफ है।

2. परिषद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप बाल अधिकार संरक्षण के बारे में दिशा–निर्देश तैयार किए हैं।

3. समीक्षा–अवधि के दौरान निम्नलिखित मामलों में समितियां, उप–समितियां और तथ्यों की जांच करने वाले दल बनाए गए और इन्होंने अपने दायित्व निभाए–

   क. पत्रकारों की सुरक्षा की मुद्दे की समीक्षा के लिए उप–समिति

   ख. छोटे और मझोले समाचार पत्रों को मिलने वाली धमकियों और समस्याओं के आकलन के लिए उप–समिति

   ग. आरएनआई के कामकाज

(पत्र–पत्रिकाओं को शीर्षक देना) के बारे में समिति

घ. गोवा में परिषद की जिला मान्यता समिति का गठन

ड़. 27 अगस्त 2012 को लागू 'प्राईवेट ट्रीटीज बाई मीडिया कंपनीज' के बारे में रिपोर्ट की समीक्षा

च. 17 फरवरी 2012 को श्री चंद्रिका राय और उनके परिवार के तीन सदस्यों की हत्या के मामले में तथ्यों की जांच के लिए कार्यदल भेजा गया जिसकी रिपोर्ट 27 अगस्त 2012 को स्वीकार कर ली गई।

छ. बिहार में प्रेस की आजादी के हनन की शिकायतों के सभी पक्षों के जांच के लिए कार्यदल भेजा गया।

ज. 15 अगस्त 2012 को ईटानगर में अरूणाचल टाईम्स की एशोसिएट एडीटर सुश्री तोंगम रीना पर हमला करने के मामले की जांच की लिए कार्यदल भेजा गया।

झ. फैजाबाद में साम्प्रदायिक हिंसा, मीडिया द्वारा गैर–पेशेवर तरीके से रिर्पोटिंग और एक हिंदी–उर्दू प्रकाशन आपकी ताकत पर हमले के मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति बनाई गई।

ट. कामकाज के दौरान पत्रकारों की सुरक्षा के मुद्दे के बारे में उप–समिति गठित की गई।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा के दौरान पेड न्यूज की खबरें मिलने पर भारतीय प्रेस परिषद के माननीय अध्यक्ष ने चार सदस्यों की चुनाव कवरेज निगरानी समिति बनाई। इस समिति ने पिछले गुजराज विधानसभा के दौरान वहां व्यापक दौरा किया और अखबारों के कवरेज, पेड–न्यूज के मामलों और प्रेस की आजादी के हनन जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया।

संगोष्ठियां और कार्यशालाएं

मीडिया से जुड़े मुद्दे पर व्यापक चर्चा को प्रोत्साहन देने के लिए परिषद ने देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए/इनमें हिस्सेदारी की।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2012

इस वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर चर्चा का विषय था– मीडिया की आजादी। उच्चतम न्यायालय के पूर्व प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एन. वेंकटचलैया ने समारोह का उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी और भारत में जर्मनी के राजदूत श्री माइकल स्टैनर समारोह में विशिष्ट अतिथि थे। परिषद ने पत्रकारिता में उत्कृटता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किए हैं। ये पुरस्कार प्रिंट पत्रकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले पत्रकारों/फोटो पत्रकारों को दिए जाते हैं। भारतीय प्रिंट मीडिया की कुछ महान हस्तियों, श्री बी. जी. वर्गीस, श्री निहाल सिंह और श्री श्रवण गर्ग ने श्रोताओं को संबोधित किया। श्रोताओं में जाने–माने न्यायविद्, पत्रकार और विद्वान शामिल थे।

इस अवसर पर, विषय से संबंधित लेखों वाली स्मारिका का विमोचर किया गया। विभिन्न राज्यों में भी राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया गया।

परिषद ने अपनी त्रैमासिक हिंदी और अंग्रेजी पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन किया इनमें प्रेस से जुड़ी महत्वपूर्ण गतिविधियों और घटनाओं की चर्चा होती है।

पारदर्शिता बनाए रखने की व्यवस्था

भारतीय प्रेस परिषद के सचिव इसके मुख्य सर्तकता अधिकारी(सीवीओ) भी हैं। सर्तकता तंत्र में परिषद के उप–सचिव और अनुभाग अधिकारी (प्रशासन) शामिल हैं। यह तंत्र सीधे सीवीओ और प्रेस परिषद के अध्यक्ष के अधीन काम करता है। समीक्षा अवधि के दौरान कार्यालय में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने और ऐसी गतिविधियों का पता लगाने के लिए नियमित रूप से और औचक निरीक्षण किए गए।

परिषद के अंदर और इसके कार्यक्षेत्र में शिकायत निवारण की समुचित व्यवस्था है। परिषद के सचिव शिकायत निवारण निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। कर्मचारियों से जुड़ी शिकायतों के मामले परिषद के उप सचिव द्वारा निपटाए जाते हैं।

परिषद के नागरिक चार्टर में संगठन के बारे में सभी ब्यौरे हैं। यह चार्टर

सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 16 नवम्बर 2012 को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सुश्री प्रियंका दुबे को सम्मानित करते हुए।

परिषद की वेबसाईट पर मौजूद है। परिषद की सेवाएं हासिल करने वाले लोगों की तसल्ली के लिए परिषद समय–समय पर कामकाज की समीक्षा करती रहेगी और लोगों की प्रतिक्रियाएं हासिल करती रहेंगी।

राजभाषा

परिषद ने सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रचार–पसार पर विशेष ध्यान दिया है। परिषद के सभी कर्मचारियों को हिंदी में काज करने के लिए बढ़ावा दिया जाता है। प्रति तिमाही परिषद की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है। कर्मचारियों के लाभ के लिए तिमाही कार्यशालाएं भी आयोजित की जाती हैं।

हिंदी के प्रचार–प्रसार को बढ़ावा देने के लिए परिषद के मुख्यालय में 14 से 28 सितम्बर 2011 के दौरान हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। मुख्य समारोह 18 सितम्बर 2011 को आयोजित किया गया। परिषद के अध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस अवसर पर कर्मचारियों को संबोधित किया। कर्मचारियों को हिंदी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत हिंदी में महत्वपूर्ण कार्य के लिए पुरस्कार भी दिए गए।

प्रेस से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ संपर्क

परिषद ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में प्रेस से जुड़ी संस्थाओं और प्रेस/मीडिया परिषदों ने संपर्क की प्रक्रिया शुरू की ताकि प्रेस की आजादी और इसके मानकों को बढ़ावा दिया सके।

इसे उद्देश्य के लिए प्रेस परिषद के माननीय अध्यक्ष 28 मई से 3 जून तक पेरिस के दौरे पर गए। और 3 से 7 दिसम्बर 2012 के दौरान वर्ल्ड एशोसिएन ऑफ प्रसे काउंसिलस की कार्यकारी परिषद की बैठक में भाग लेने तंजानिया गए। 17 अप्रैल 2012 को 7 लैटिन अमरीकी देशों के संपादकों/वरिष्ठ पत्रकारों का एक प्रतिनिधिमंडल परिषद में आया। 29 जून 2012 को भी म्यांमार से एक प्रतिनिधिमंडल आया।

राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित एक प्रविष्टि

नई दिल्ली में तीसरे राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के समापन सत्र को सम्बोधित करते हुए सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्रा प्रभार) श्री मनीष तिवारी

अध्याय

5

प्रसारण क्षेत्र की गतिविधियां

भारत में सेटेलाइट टीवी चैनलों की स्थिति

नीति

भारत में निजी सेटेलाइट चैनल को वर्ष 2000 में पहली बार भारतीय धरती से अपलिंकिंग की अनुमति दी गई। इससे पहले, निजी चैनल विदेशी धरती से ही अपलिंक होते रहे थे। मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के बढ़ने के साथ ही भारत से टीवी चैनलों की अपलिंकिंग/डाऊनलिंकिंग की मांग कई गुना बढ़ गई, जिसके परिणामस्वरूप 2002 में अपलिंकिंग और 2005 में डाऊनलिंकिंग के लिए नीतिगत दिशा–निर्देश जारी किये गए। इन दिशा–निर्देशों को दिसम्बर 2011 में संशोधित किया गया। विस्तृत दिशा–निर्देश और संबंधित दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

नये सेटेलाइट टीवी चैनलों को अनुमति देने की प्रक्रिया

नये टेलीविजन चैनलों के आवेदन अपलिंकिंग और डाऊनलिंकिंग के लिए जारी नीतिगत दिशा–निर्देशों के तहत वर्णित पात्रता शर्तों के अनुरूप जांचे जाते हैं। आवेदन करने वाली कंपनियां एवं उसके निदेशक मंडलों को सुरक्षा क्लीयरेंस के लिए संबंधित आवेदन गृह मंत्रालय को भेज दिये जाते हैं। साथ ही आवेदनों को अंतरिक्ष और राजस्व विभाग को भी आवश्यक क्लीयरेंस के लिए भी भेजे जाते हैं। कंपनियों की पात्रता की जांच करने के लिए अन्य पात्रता शर्तों के बीच उनकी निवल सम्पत्तियों की जांच भी की जाती हैं। अंतर–मंत्रालयी स्वीकृति तथा पंजीकरण एवं अनुमति शुल्क जमा कराने के बाद इस मंत्रालय द्वारा आवदेकों को अपलिंकिंग और डाऊनलिंकिंग की अनुमति दी जाती है।

क. टेलीविजन चैनलों का विकास

1. पहले निजी सेटेलाइट टीवी चैनल 'आजतक' को 2000 में अनुमति प्रदान की गई थी। तब से भारत में चैनलों की संख्या तेज रफ्तार से बढ़ी है। मंत्रालय ने दिसम्बर 2012 तक 850 चैनलों को मंजूरी दी है। अपलिंकिंग और डाऊनलिंकिंग दिशा–निर्देशों के तहत अनुमति प्राप्त करने वाले चैनलों की संख्या में वर्षवार विकास निम्न प्रकार हैः –

मंत्रालय द्वारा अनुमति पाने वाले टेलीविजन चैनलों की संख्या

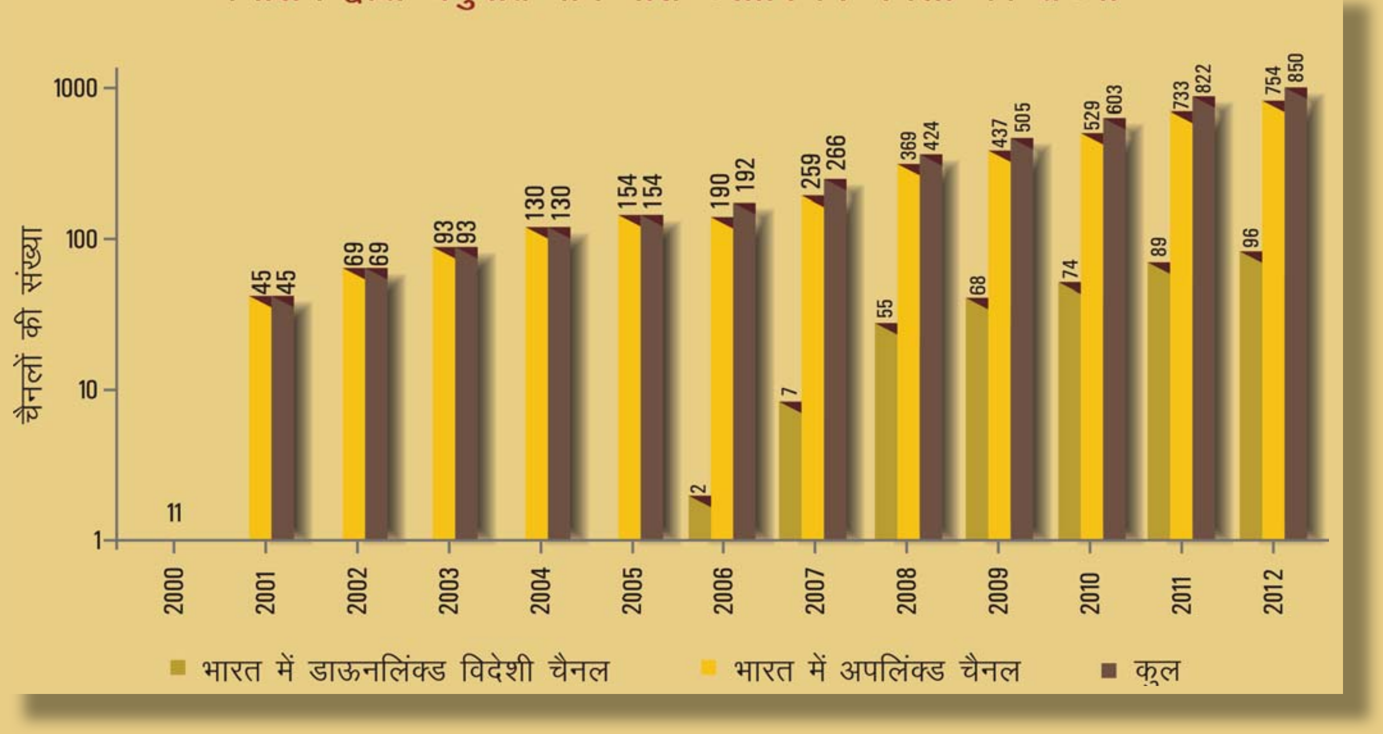

श्रेणीवार अनुमति पाने वाले चैनल

2. मंत्रालय द्वारा दो श्रेणियों के टेलीविजन चैनलों को प्रसारण की अनुमति दी जाती है, मसलन न्यूज एवं करंट अफेयर्स टेलीविजन चैनल तथा गैर–समाचार एवं करंट अफेयर्स टेलीविजन चैनल। समाचार और गैर–समाचार चैनलों की हिस्सेदारी ग्राफ में दिखाई गई है।

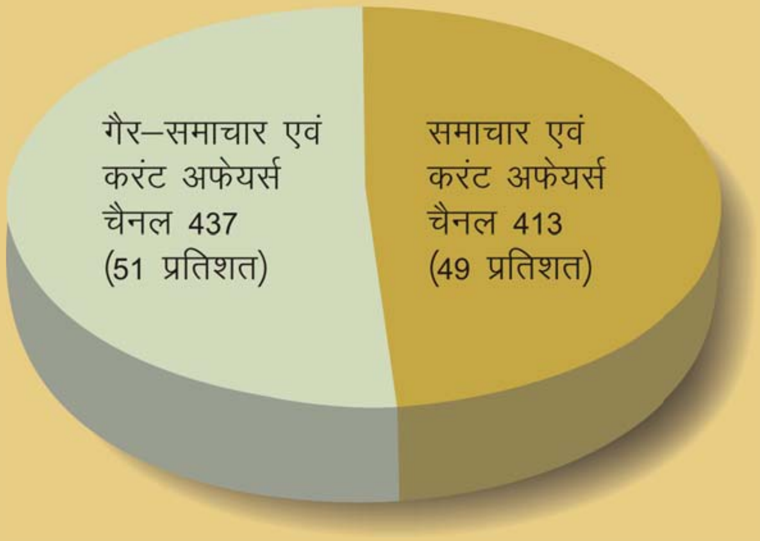

ख. टेलीपोर्ट्स में बढोतरी

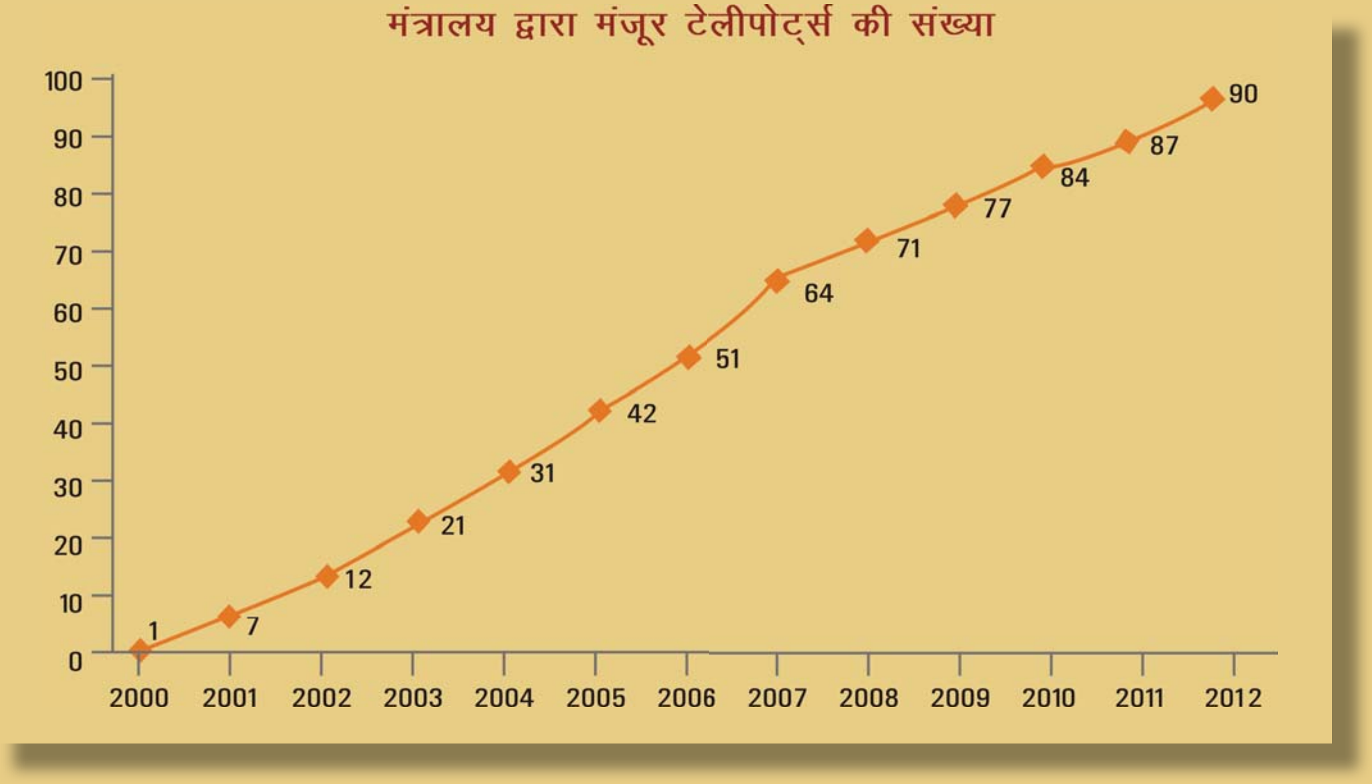

ग. विशिष्ट विषयवस्तु वाले चैनलों एवं रियलिटी टेलीविजन का विकास

समाचार, खेल, किड्स, इंफोटेनमेंट, धार्मिक, स्वास्थ्य एवं जीवनशैली जैसी श्रेणियों वाले चैनलों की संख्या में महत्वपूर्ण बढोतरी हुई है। डिजिटलीकरण से प्रसारकों के लिए भारत में इस तरह के चैनल शुरू करने के रास्ते खुलेंगे। ऐसी उम्मीद है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार की तर्ज पर भारत में भी पाककला, बागवानी, ऑटोमोबाइल, स्वास्थ्य या शिक्षा आदि क्षेत्रों के लिए पूरी तरह समर्पित चैनल अस्तित्व में आ सकते हैं। संबोधनीयता की क्षमता भी प्रसारकों को स्थानीय विषय–वस्तु एवं विज्ञापन समाहित करने का अवसर प्रदान करती है।

घ. टेलीविजन में क्षेत्रीयता के रूझान

स्थानीय विषय–वस्तुओं की ओर भारतीय दर्शकों का रुझान अधिक से अधिक बढ़ा है। राष्ट्रीय प्रसारक जहां क्षेत्रीय चैनल शुरू करके क्षेत्रीय स्तर पर दस्तक दे रहे हैं, वहीं क्षेत्रीय प्रसारक खास विषय पर क्षेत्रीय चैनल शुरू करके अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को मजबूत बना रहे हैं। अनेक प्रसारक क्षेत्रीय चैनलों के साथ बाजार में उतर रहे हैं, जिनमें स्थानीय आबादी के अनुरूप विषय–वस्तु इस्तेमाल किये जाते हैं। भोजपुरी, बंगला, उड़िया, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली आदि जैसी अनेक स्थानीय भाषाओं और बोलियों के चैनल शुरू हो रहे हैं, जो हिन्दी और अंग्रेजी से इतर भाषाओं के दर्शकों को विकल्प प्रदान कर रहे हैं। बदलता मीडिया परिदृष्य इस उद्योग को भारत में बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं तक पहुंचने का व्यापक अवसर प्रदान कर रहा है। घरेलू बाजार में लोगों की क्रयशक्ति बढ़ने और डिजिटलीकरण के कारण ऐसी उम्मीद की जा रही है कि क्षेत्रीय चैनल प्रसारण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान जारी रखेंगे।

फिक्की केपीएमजी इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2012 के अनुसार, पूरे देश स्तर पर केबल एवं सेटेलाइट टेलीविजन चैनलों के दर्शकों की कुल संख्या में करीब 33 प्रतिशत हिस्सेदारी क्षेत्रीय चैनलों की है। दक्षिण भारतीय चैनलों के साथ–साथ बंगला और मराठी चैनलों के दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

चैनलों की भाषावार हिस्सेदारी

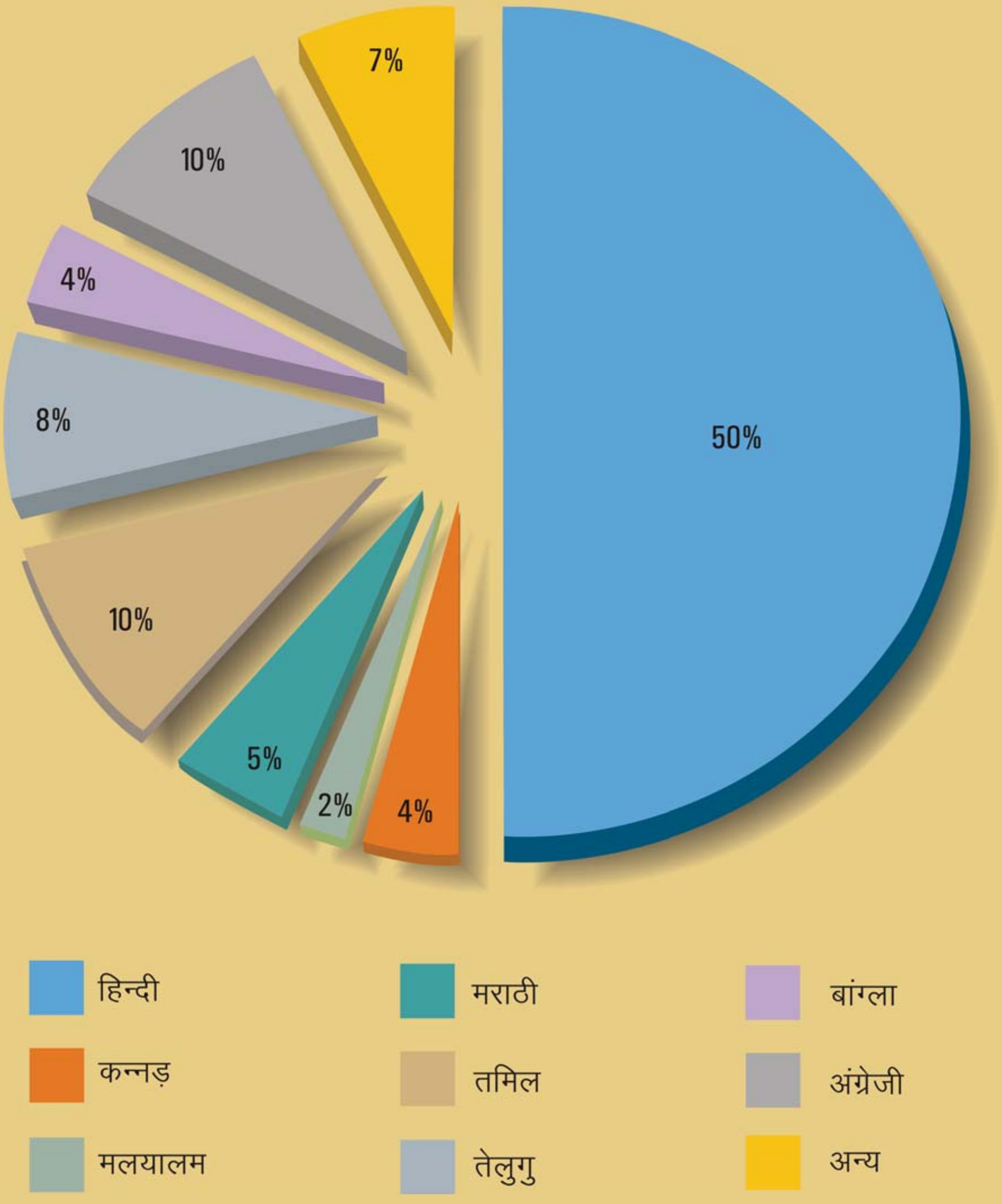

lkr ½ फिक्की केपीएमजी इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2012

ङ. भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग का विकास

भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग विकास पथ पर अग्रसर है। फिक्की केपीएमजी इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2012 के अनुसार, भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग क्षेत्र 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ 2010 के 652 अरब से 2011 में 728 अरब पर पहुंच गया। अगले पांच साल में इसके 15 प्रतिशत की चक्रवृद्धि विकास दर के साथ वर्ष 2016 तक 1457 अरब तक पहुंच जाने की उम्मीद है। हालांकि टीवी संचार का प्रमुख माध्यम बना हुआ है, लेकिन एनिमेशन और वीएफएक्स जैसे क्षेत्रों में डिजिटल विज्ञापन और गेमिंग की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। अगले पांच वर्ष में रेडियो के 21 प्रतिशत की चक्रवृद्धि विकास दर से बढ़ते हुए 2011 के 11.5 अरब से बढ़कर 2016 में 29.5 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रिंट मीडिया में विकास दर गिर सकती है लेकिन भारतीय मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में यह दूसरा सबसे बड़ा माध्यम बना रहेगा। वर्ष 2011 से 2016 के बीच डिजिटल विज्ञापन में 30 प्रतिशत चक्रवृद्धि विकास दर से बढोतरी होने की उम्मीद है।

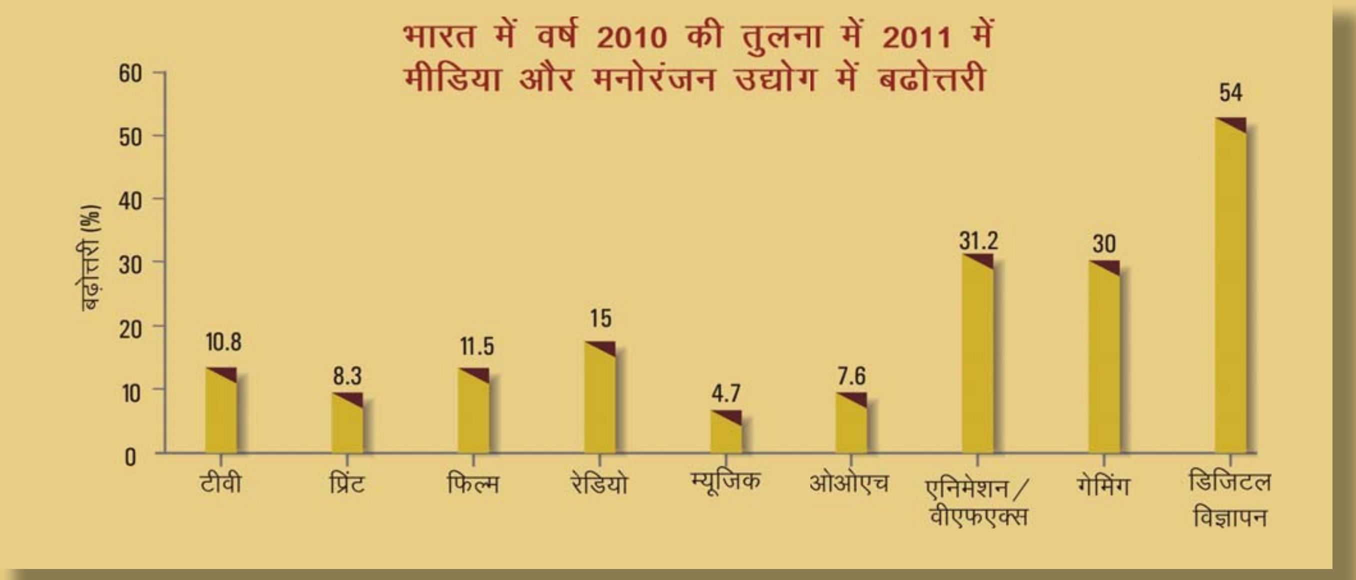

Ikr ½ फिक्की केपीएमजी इंडियन मीडिया एन्टरटेनमेंट इंडस्ट्रीयल रिपोर्ट 2012

सारिणी : भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग का आकार और संभावनाएं

¼vjc #i;s e½

ehfM;k vkj euksjatu m|kx	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Lkh,vkj @ 2011&16 ¼ifr'kr e½
टीवी	297	329.0	380.0	435.0	514.0	618.0	735.0	17
प्रिंट	192.9	208.8	226.0	246.8	270.0	294.9	323.4	9
फिल्म	83.3	92.9	100.0	109.7	121.1	134.5	150.3	10
रेडियो	10.0	11.5	13.0	16.0	20.0	24.0	29.5	21
संगीत	8.6	9.0	10.0	11.3	13.1	15.4	18.2	15
ओओएच (आउट ऑफ होम)	16.5	17.8	19.5	21.5	23.6	26.0	29.0	10
एनिमेशन एवं वीएफएक्स	23.6	31.0	36.3	43.0	51.1	61.0	69.0	17
गेमिंग	10.0	13.0	18.0	23.0	29.0	37.0	46.0	29
डिजिटल विज्ञापन	10.0	15.4	19.9	25.8	33.5	43.7	57.0	30
dqy	652	728	823	932	1076	1254	1457	14-9

Ikr ½ फिक्की केपीएमजी इंडियन मीडिया एन्टरटेनमेंट इंडस्ट्रीयल रिपोर्ट 2012

भारत में टेलीविजन उद्योग का विकास

राजस्व की दृष्टि से टेलीविजन भारत में मीडिया डिलीवरी का सबसे बड़ा माध्यम है, जो कुल मीडिया उद्योग का करीब 45 प्रतिशत है। टेलीविजन उद्योग लगातार विकास पथ पर है, क्योंकि भारत में टेलीविजन की पहुंच अब भी कुल 60 प्रतिशत ही है। भारतीय टेलीविजन उद्योग में तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि संचार के इस माध्यम ने अन्य सभी मीडिया प्लेटफॉर्मों को फीका कर दिया है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टेलीविजन बाजार है, जहां 14 करोड़ 60 लाख परिवारों के पास टेलीविजन मौजूद हैं। इस मामले में चीन और अमेरिका पहले और दूसरे स्थान पर हैं। वर्ष 2016 तक टेलीविजन मनोरंजन चार्ट के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि इसके अगले पांच वर्षों में कुल 17 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है और यह 2011 के 329 अरब से 2016 तक 735 अरब तक पहुंच जाएगा।

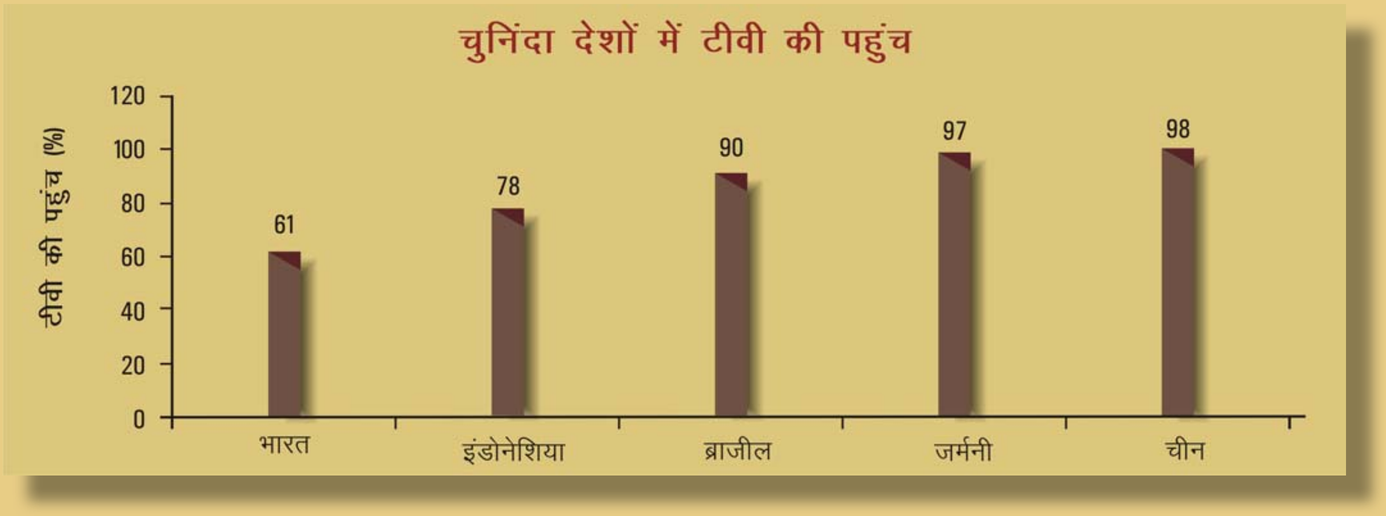

Lkksr % फिक्की केपीएमजी इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2012

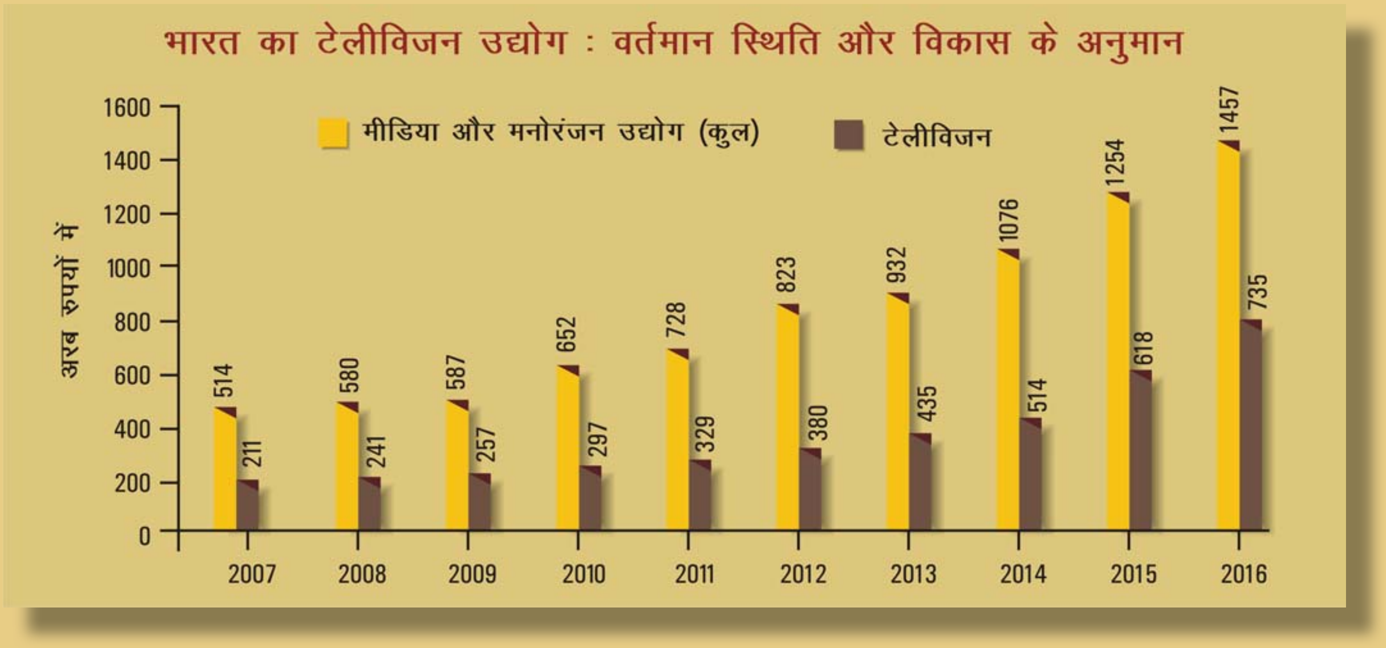

Lkksr % फिक्की केपीएमजी इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2012

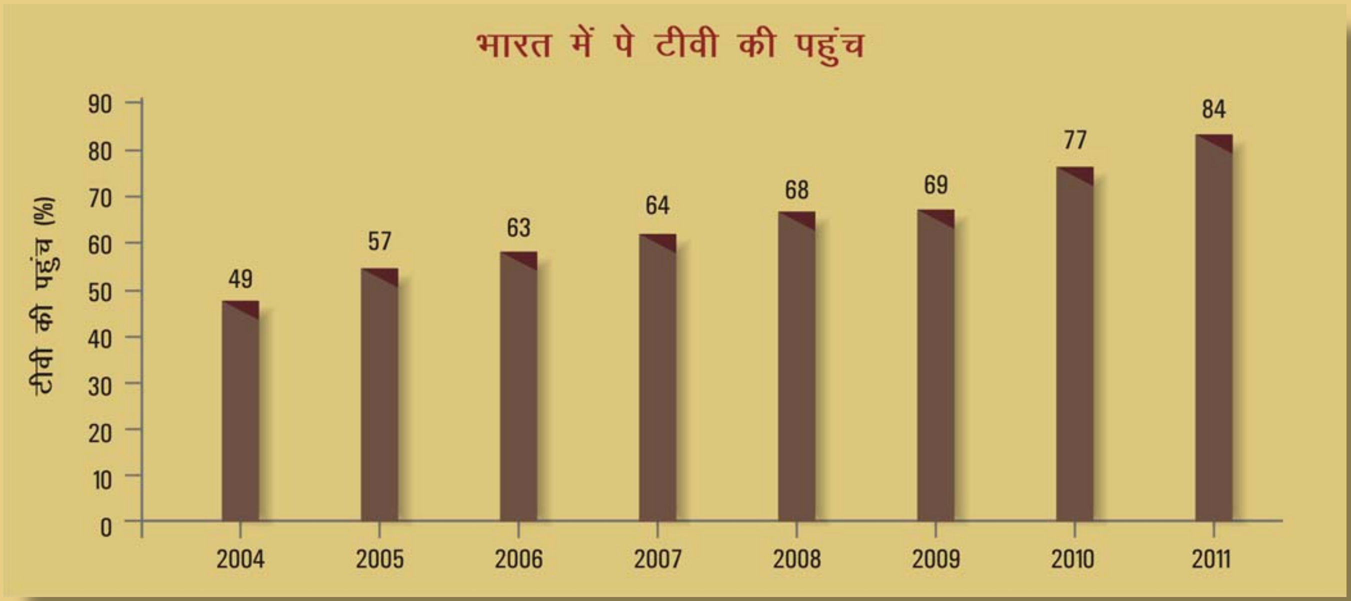

Lkksr % पीडब्ल्यूसी इंडियन एंटरटेनमेंट एंड मीडिया आउटलुक 2012

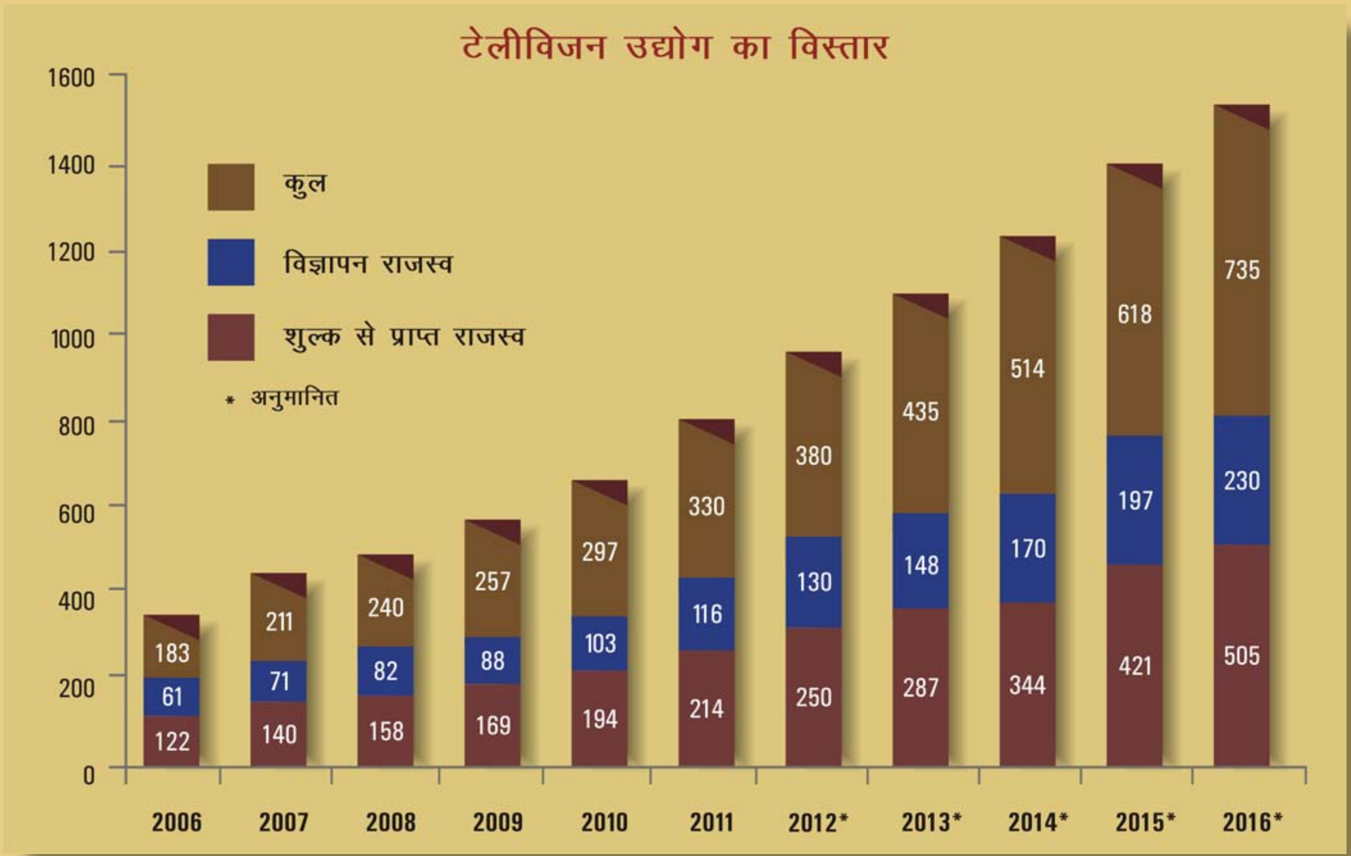

क. एचडी प्रौद्योगिकी की शुरूआत

वर्तमान में टेलीविजन मनोरंजन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है। टेलीविजन न केवल हमारा मनोरंजन करता है, बल्कि इसने खुद को दुनिया को देखने और समझने का एक माध्यम साबित किया है। प्रौद्योगिकी की दृष्टि से इसमें बहुत कम समय में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। आज इसे हाई–डिफीशन टीवी (एचडीटीवी) की शुरुआत के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिससे बेहतरीन गुणवत्ता वाली तस्वीरें और वीडियो दिखती हैं। वर्ष 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान एचडीटीवी को उस वक्त नया आयाम मिला, जब दूरदर्शन ने राष्ट्रमंडल खेलों के सीधा प्रसारण में इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया। मंत्रालय ने 2010–2012 के दौरान करीब 30 चैनलों को एचडीटीवी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की इजाजत दी, जिससे मीडिया एवं मनोरंजन उद्योग में नयी क्रांति हुई। प्रसारकों को सरल प्रक्रिया के माध्यम से खेल की कुछ खास प्रतिस्पर्धाओं के लिए ड्यूअल फीड्स अपलिंक करने की अनुमति दी गई।

ख. पारदर्शिता और उत्तरदायित्व

1. ओपन हाऊस मीटिंग

प्रसारकों के साथ प्रत्येक माह पांच तारीख को होने वाली खुली बातचीत बहुत ही उपयोगी साबित हुई है। बैठक में भाग लेने वाले प्रसारकों की संख्या पिछले एक साल में काफी बढ़ी है। इनसे प्राप्त फीडबैक ने मंत्रालय को क्लियरेंस में तेजी तथा अधिक पारदर्शिता लाने में सहयोग किया है। बैठक में नये और पुराने चैनलों, टेलीपोर्ट्स, एसएनजी/ डीएसएनजी वाहनों के इस्तेमाल, अस्थाई अपलिंकिंग के मामले, उपग्रहों, नाम, लोगो, शेयर वितरण पद्धतियों में बदलाव, नये निदेशक मंडलों को शामिल किये जाने, एफआईपीबी आदि से संबंधित मुद्दों पर बातचीत होती है। इन बैठकों में आवेदकों को न केवल सीधे बातचीत का अवसर मिलता है, बल्कि उन्हें सभी प्रकार की जानकारियां सीधे उपलब्ध होती हैं और बिचौलियों से निजात मिलती है। इससे तंत्र में विश्वास मजबूत हुआ है और अनावश्यक पत्राचार एवं फोन कॉल पर निर्भरता में कमी आई है। नवम्बर 2009 से दिसम्बर 2012 तक 34 ओपन हाऊस बैठकें हो चुकी हैं।

2. त्वरित मंजूरी के लिए कदम

मंत्रालय में आवेदनों को मंजूरी में तेजी लाने के लिए इन्हें इनसेट सेक्शन से दस दिन के भीतर गृह मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग और सीए को भेज दिया जाता है। इस चरण में किसी के अनुमोदन का इंतजार नहीं करना पड़ता है और इससे आवेदनों की मंजूरी में विलम्ब कम होता है।

3. मानक प्रपत्र एवं आवेदन

सामान्यतः एसएनजी/डीएसएनजी वैन हासिल करने/किराये पर लेने की अनुमति के लिए आवेदन करते वक्त आवेदक आवश्यक दस्तावेज या जानकारी देने में असफल रहते हैं। इस कारण एसएनजी/डीएसएनजी वाहनों को किराये पर लेने की अनुमति मांगने के लिए नया आवेदन प्रारूप तैयार किया गया है और आवेदन करने से संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देशों और जानकारियां मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई हैं। आवेदन की त्रुटियां हटाकर आवेदन प्रोसेसिंग की गति तीव्र बनाने के लिए मास्टर चेकलिस्ट और प्रोसेसिंग टेम्पलेट भी उपलब्ध कराए गए हैं। नाम, लोगो, सेटेलाइट, टेलीपोर्ट को बदलने और भाषा आदि परिवर्तित करने के मामलों में पहले लंबे–चौड़े विवरण बार–बार दिये जाते थे, जो कार्य की गति को प्रभावित करते थे, साथ ही अधिकारियों को फैसले तक यथाशीघ्र पहुंचने के लिए तथ्यों से रू–ब–रू हो पाना मुश्किल होता था, लेकिन अब यथाशीघ्र मंजूरी के लिए अलग से एक ढांचा तैयार कर लिया गया है। इससे ऐसे मामलों के निपटारे में न केवल मदद मिली है, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया गया है कि मामले पर विचार के लिए कोई महत्वपूर्ण शर्त छूट न जाए।

4. सेटेलाइट टीवी एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम (स्टैट्स)

कंपनियों के लंबित मामलों के बारे में व्यापक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 21 जनवरी 2010 को सेटेलाइट टीवी एप्लीकेशन ट्रैकिंग (स्टैट्स) सॉफ्टवेयर का परिचालन शुरू किया गया। एनआईसी द्वारा विकसित इस सॉफ्टवेयर ने निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों के आवेदकों को उनके आवेदनों की स्थिति की जानकारी व्यापक पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराने में सहायता की है। आवेदन की स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नियमित रूप से संबंधित डाटा को अद्यतन किया जाता है।

5. टीवी के लिए समेकित ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन (इनसेट) सेक्शन का विकास

संबंधित एजेंसियों की आवेदन की प्रक्रिया दुरुस्त करने और विभागीय अधिकारियों एवं वेंडर दोनों को आवेदनों की स्थिति पर नजर रखने के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल तैयार करने का प्रस्ताव है, जो सभी अंषधारकों को आवेदन करने, उस पर नजर रखने, आवश्यक प्रक्रिया का अनुपालन करने और उसमें तेजी लाने में सक्षम बनाएगा। इससे दस्ती तरीके का कम से कम कम इस्तेमाल होगा। टीवी के लिए समेकित ऑनलाइन पोर्टल सॉल्यूशन (इनसेट) विकसित करने का प्रस्ताव अंतिम चरण में है। इसके शुरू हो जाने के बाद इससे प्रस्तावों का त्वरित निपटारा हो सकेगा और तंत्र में पारदर्शिता भी आएगी।

डीटीएच सेवा

केबल पारेषण (ट्रांसमीशन) की तुलना में डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा नयी चीज है। केबल पारेषण की अपेक्षा इसकी कुछ तकनीकी विशेषताएं हैं। डीटीएच समाधान–योग्य प्रणाली है और पूरे देश में फैली है। डीटीएच सेवा के तहत बड़ी संख्या में टेलीविजन चैनल डिजिटली कम्प्रेस्ड, एनक्रिप्टेड और उच्च क्षमता वाले उपग्रहों से प्रसारित होते हैं। डीटीएच के जरिये प्रसारित कार्यक्रमों को अपने मकान के किसी हिस्से में एक छोटा डिशएंटीना लगाकर सीधे देखा जा सकता है। डीटीएच प्रसारण सेवा में किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उपभोक्ता को डीटीएच ऑपरेटर द्वारा सीधी सेवा मुहैया कराई जाती है। डीटीएच सेवा की खास बात यह है कि इसे उपभोक्ता कहीं भी ले जा सकता है। एक स्थान पर खरीदे गए डीटीएच हार्डवेयर को भारत के किसी अन्य स्थान पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

15 मार्च 2001 को भारत में डीटीएच सेवाओं के परिचालन के लिए आवेदन प्रपत्र और लाइसेंसिंग समझौते सहित विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये गये थे जो मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। औद्योगिक विकास एवं नियोजन (डीआईपीपी) के प्रेस नोट संख्या–7 (2012) द्वारा प्रसारण क्षेत्र में विदेशी निवेश की संशोधित सीमा के संदर्भ में जारी अधिसूचना के अनुसार, डीटीएच सेवा प्रदाता कंपनी में एफडीआई/एनआरआई/ओसीबी/एफआईआई/एफसीसीबी/एडीआर/जीडीआर और परिवर्तनीय अधिमान्य हिस्सेदारी के माध्यम से विदेशी निवेश ऑटोमेटिक रूट से 49 प्रतिशत और सरकारी माध्यम से 74 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया कि आवेदक कंपनी के बोर्ड के ज्यादातर सदस्य और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के भारत के निवासी होने की शर्तों के साथ इस कंपनी पर नियंत्रण भारतीय प्रबंधन का होना चाहिए। डीटीएच सेवाओं के परिचालन के लिए लाइसेंस हासिल करने वाले आवेदकों पात्रता शर्तों पर खरा उतरना चाहिए। भारत में डीटीएच सेवा शुरू करने के लिए मौजूदा लाइसेंस शर्तों में अवांछनीय सामग्रियां को लेकर सुरक्षा के पर्याप्त उपाय किये गए हैं।

दूरदर्शन अपनी डीटीएच सेवा (डीडी डायरेक्ट प्लस) में फ्री टू एयर चैनल्स उपलब्ध कराता है, जिसके लिए उपभोक्ताओं को खुले बाजार से एक डिश एंटीना और सेट टॉप बॉक्स खरीदना पड़ता है। दूरदर्शन के अलावा छह निजी कंपनियों डिश टीवी (डिश टीवी इंडिया लिमिटेड), टाटा स्काई (टाटा स्काई लिमिटेड), सन डायरेक्ट डीटीएच (सन डायरेक्ट टीवी प्राइवेट लिमिटेड), बिग टीवी (रिलायंस बिग टीवी लिमिटेड), एयरटेल डिजिटल टीवी (भारती टेलीमीडिया लिमिटेड) एवं डी2एच (भारत बिजनेस चैनल लिमिटेड) द्वारा डीटीएच सेवा प्रदान की जा रही है। डिजिटल प्रणाली के कारण डीटीएच सेवा के तहत बेहतर गुणवत्ता वाली तस्वीर तो दिखती ही है, मूल्यवर्धित सेवाएं भी उपलब्ध होती है। इतना ही नहीं तंत्र में पारदर्शिता के कारण निगरानी का स्तर भी बेहतर होता है, जिससे प्रसारक और ऑपरेटर के बीच मुकदमेबाजी कम होती है और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल पाती हैं तथा इस क्षेत्र में लगातार विकास हो रहा है। एनालॉग केबल टीवी का भी डिजिटलीकरण हो रहा है, लेकिन डीटीएच ने एनालॉग केबल टीवी क्षेत्र को कड़ी टक्कर दे रखी है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) केपीएमजी इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2012 के अनुसार 2011 में भारत में 14 करोड़ 60 लाख घरों में टेलीविजन उपलब्ध है, जिनमें से सात करोड़ 40 लाख अर्थात् 51 फीसदी घरों में केबल टीवी नेटवर्क, तीन करोड़ 70 लाख अर्थात् 25 फीसदी घरों में निजी डीटीएच और 80 लाख यानी छह फीसदी घरों में दूरदर्शन डीटीएच सेवा है। शेष दो करोड़ 70 लाख अर्थात् 18 प्रतिशत घरों में दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनल देखे जाते हैं।

रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 2011 से 2016 तक टेलीविजन उद्योग के 17 फीसदी की

सीएजीआर दर से बढ़ने की संभावना है और डीटीएच क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण बढोतरी दर्ज की जा रही है। इसके बहुत ही ऊपर जाने की संभावना है। केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण से डीटीएच क्षेत्र में विस्तार को और अधिक मजबूती मिलेगी, जिससे दर्शकों को बेहतरीन गुणवत्ता वाली तस्वीरें मिलेंगी, चैनलों के चयन के विकल्प मौजूद रहेंगे, वीडियो, गेम्स तथा ट्रिपल प्ले जैसी मूल्यवर्धित सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। डिजिटलीकरण की प्रक्रिया के कारण आमतौर पर प्रसारण उद्योग, खासकर केबल टीवी क्षेत्र में क्रांति आनेवाली है।

वर्ष 2001 में जारी डीटीएच दिशानिर्देशों के अनुसार, यह मंत्रालय डीटीएच ऑपरेशन के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकरण है। डीटीएच लाइसेंस समझौते की अनुसूची के अनुच्छेद 7.1 के अनुसार, सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी) को मुक्त निर्माण की श्रेणी में रखा गया है, ताकि समय–समय पर सरकार द्वारा तय ब्यौरे के अनुरूप विभिन्न डीटीएच सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर–उपयोगिता सुनिश्चित की जा सके। साथ ही सिगनल कंप्रेशन और पारेषण के लिए अनेक मानक (एमपीईजी–2, 4/डीवीबी–एस, डीवीबी–एस2) तैयार किये गए हैं। कुछ अन्य कारणों से मंत्रालय ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को अंतर–उपयोगिता के मसले पर नये सिरे से विचार करने और करने का आग्रह किया था। ट्राई ने 30 जनवरी 2008 को अंतर–उपयोगिता और डीटीएच से संबंधित अन्य मसलों पर अपनी सिफारिशें मंत्रालय को सौंप दी थी। ट्राई ने डीटीएच प्रसारण सेवा (सेवा के गुणवत्ता मानक एवं शिकायत निवारण) नियमन 2007 के तहत व्यावसायिक अंतर–उपयोगिता को अनिवार्य बना दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को एसटीबी किराये या हायर–परचेज पर लेने तथा ऑपरेटर बदलने का विकल्प मिलता है। ट्राई की इन सिफारिशों पर मंत्रालय में विभिन्न साझेदारों के साथ विचार–विमर्श किया गया तथा विभिन्न कारणों से इन सिफारिशों की फिर से समीक्षा किये जाने की आवश्यकता महसूस की गई। मंत्रालय ने 11 मई 2010 को सिफारिशों को पुनर्समीक्षा के लिए ट्राई के पास भेज दिया। ट्राई की सिफारिशों पर सरकार के विचार भिन्न–भिन्न प्रौद्योगिकियों और मानकों का इस्तेमाल कर रहे सभी डीटीएच ऑपरेटरों के बीच प्रभावी तकनीकी अंतर–उपयोगिता हासिल करने में जारी समस्याओं का विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध कराते हैं। मंत्रालय विभिन्न डीटीएच सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी अनुकूलता और प्रभावी अंतर–उपयोगिता की जरूरतों को पूर्ववत रखने या इसमें सुधार करने या पूरी तरह इसकी जरूरत खत्म कर देने के बारे में कोई फैसला लेने से पहले ट्राई की सिफारिशों का इंतजार कर रहा है।

21 जुलाई 2010 के दूरसंचार (प्रसारण एवं केबल) सेवा (चतुर्थ) (सुधारयोग्य प्रणाली) शुल्क आदेश, 2010 के प्रावधानों के अनुसार ट्राई ने सभी डीटीएच ऑपरेटरों को अपने ग्राहकों को सूची के आधार पर पे–चैनल उपलब्ध कराने का आदेश दिया है तथा यह शर्त रखी है कि प्रसारण सेवा या केबल सेवा प्रदान करने वाली प्रत्येक कंपनी पे–चैनलों के प्रस्ताव के अलावा चैनलों के एक बकेट (पैकेज) का प्रस्ताव भी दे सकती है। ऐसे प्रत्येक पैकेज के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य का उल्लेख करना होगा।

आईपीटीवी सेवा नीति

आठ सितम्बर 2008 को लागू आईपीटीवी नीति के अन्तर्गत उस तारीख तक करीब 550 सेटेलाइट टेलीविजन चैनलों को दूरसंचार और केबल नेटवर्क के जरिये कार्यक्रमों के वितरण का एक और माध्यम उपलब्ध हुआ। इससे भारतीय दर्शकों को विभिन्न मूल्यवर्धित और संवादमूलक सेवाओं सहित न केवल नया डिजिटल विजुअल अनुभव दिया जा रहा है, बल्कि प्रसारकों और प्लेटफॉर्म सेवा प्रदाताओं के लिए विविध व्यावसायिक मॉडल तैयार करने के अवसर भी मिले हैं। आईपीटीवी नीति बहुत ही स्पष्ट है और इससे टेलीकॉम आपरेटर एवं केबल ऑपरेटर आईपीटीवी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होंगे। इनका नियमन संबंधित लाइसेंसिंग शर्तों के अनुरूप होगा। कार्यक्रमों की विषय–वस्तुओं का नियमन केबल अधिनियम के तहत कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के अनुरूप होगा।

केबल अधिनियम में अश्लील दृश्यों सहित अनेक आशंकाओं का ध्यान रखा गया है। इसमें कार्यक्रमों की विषय–वस्तुओं से संबंधित नियमों के उल्लंघन की जिम्मेदारियों एवं इससे निपटने तथा राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है। यह नीति प्रसारकों के साथ–साथ मल्टी–सिस्टम ऑपरेटरों (एमएसओ) एवं केबल ऑपरेटरों को आईपीटीवी सेवा प्रदान करने वाली लाइसेंसधारी दूरसंचार कंपनियों को भी प्रसारण सामग्रियां उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। यह नीति आईपीटीवी सेवा प्रदाता को समाचार और समसामयिक घटनाओं को छोड़कर अन्य चीजों के लिए विषय–वस्तु तैयार करने का अधिकार भी देती है।

इस नीति के तहत दूरसंचार और केबल ऑपरेटरों को आईपीटीवी सेवा मुहैया कराने के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि इसके लिए एक निर्धारित प्रपत्र पर स्व–घोषणा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के घोषणा–प्रपत्र को भी अधिसूचित किया गया है। मंत्रालय ने दूरदर्शन के आठ चैनलों को अनिवार्य रूप से आईपीटीवी सेवा के इस्तेमाल के लिए अधिसूचित किया है। अधिसूचित चैनल इस प्रकार हैं :–

1. लोकसभा टेलीविजन 2. डीडी राज्यसभा 3. डीडी–1 (राष्ट्रीय) 4. डीडी न्यूज 5. डीडी स्पोर्ट्स 6. डीडी उर्दू 7. ज्ञान दर्शन 8. डीडी भारती

आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को कंटेंट उपलब्ध कराने में प्रसारकों को सक्षम बनाने के लिए डाउनलिंकिंग दिशा–निर्देशों के उपबंध 5.6 को संशोधित भी किया गया है।

संबंधित नीति प्रसारकों से उपयुक्त अधिकार हासिल कर चुके केबल ऑपरेटरों और मल्टी–सिस्टम ऑपरेटरों को दूरसंचार क्षेत्र के आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं को पूरी सामग्रियां उपलब्ध कराने का भी अधिकार प्रदान करती है। इस नीति में आईपीटीवी सेवाओं के प्रावधान के लिए एमटीएनएल/बीएसएनएल की तरह ही फ्रेंचाइजी मॉडल की व्यवस्था भी की गई है। चूंकि यह नीति फ्रेंचाइजी को अलग कंपनी की मान्यता नहीं देती है, इसलिए फ्रेंचाइजी कंपनी को प्रसारण सिगनल हासिल करने और उसके समुच्च्य के लिए खुद का पंजीयन केबल ऑपरेटर के रूप में दर्ज कराना होगा।

आईपीटीवी सेवा प्लेटफॉर्म की विशेषता है कि यह खास तरह की विषयवस्तु के (निच) दर्शकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विशेष सेवाएं प्रदान करने की अनुमति प्रदान करता है। इन सेवाओं के परिणामस्वरूप एनिमेशन और गेमिंग उद्योग को भी एक बड़ा बाजार मिलने की संभावना है। आईपीटीवी सेवाओं के विकास का एक प्रमुख निर्धारक ब्रॉडबैंड की पहुंच और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की गुणवत्ता है। फिक्की–केपीएमजी की 2009 की रिपोर्ट के अनुसार 2013 तक आईपीटीवी का ग्राहक आधार 40 लाख तक पहुंचने की उम्मीद है। आईपीटीवी प्लेटफॉर्म की ओर से उपलब्ध कराई गई सेवाएं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के प्रति ग्राहकों की मांग बढ़ा पाने में सक्षम हो सकेंगी।

वैश्विक स्तर पर आईपीटीवी केबल और डीटीएच सेवाओं के लिए गंभीर प्रतिस्पर्धात्मक पे–टीवी प्लेटफॉर्म के रूप में सामने आया है। इससे कंटेंट प्रदाताओं और आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं दोनों के लिए ही अतिरिक्त राजस्व हासिल करने के समान अवसर पैदा होने की पूरी संभावना है। इससे ग्राहकों की लागत कम होगी, उन्हें कंटेंट और सेवाओं में विविधता भी हासिल होगी। भारत के आईपीटीवी के वैश्विक बाजार का अव्वल देश बन जाने की उम्मीद है।

भारत में आईपीटीवी सेवा फिलहाल एमटीएनएल, बीएसएनएल और भारती एयरटेल की ओर से चलाई जा रही है। बेहतर गुणवत्ता और संवादमूलक सेवा के कारण इस प्रौद्योगिकी में अपार संभावनाएं हैं। हालांकि इसकी पहुंच फिलहाल ब्रॉडबैंड कनेक्शनों वाले घरों तक ही सीमित है।

देश के ग्रामीण इलाकों में ब्रॉडबैंड की पहुंच के साथ ही आईपीटीवी सेवा की सफलता के बेहतर अवसर मौजूद होंगे। उम्मीद है कि डीटीएच कनेक्शनों एवं इंटरनेट सेवाओं के बीच मूल्य का अंतर कम होने, आईपीटीवी सेवा शुल्क कम किये जाने तथा शुरुआती दिनों में उपभोक्ताओं को इसकी ट्रायल के तौर पर इसकी सेवा मुफ्त देने के साथ ही यह महत्वपूर्ण सेवा भारतीय घरों तक अपनी गहरी पहुंच बना लेगी। हालांकि प्रसारण क्षेत्र की अन्य सेवाओं की तुलना में आईपीटीवी सेवा के विस्तार की गति थोड़ी धीमी रहेगी। वैश्विक स्तर पर भी आईपीटीवी सेवा के गति पकड़ने में थोड़ा वक्त जरूर लगेगा।

हिट्स प्रोद्योगिकी

हेडएंड–इन–द–स्काई यानी हिट्स प्रौद्योगिकी पर भी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसकी मदद से भारत में केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण में तेजी आएगी। केबल ऑपरेटरों को कंटेंट डिलीवरी के एक माध्यम के रूप में हिट्स के शुरू करने के लिए सरकार ने ट्राई से विचार–विमर्श करके नीतिगत मसौदा तैयार किया। मंत्रिमंडल ने 12 नवम्बर 2009 को हिट्स आपरेटर्स के लिए नीतिगत दिशानिर्देश जारी करने के मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार ने 26 नवम्बर 2009 को नीतिगत दिशानिर्देश जारी किये। नीतिगत दिशानिर्देश में एक मसौदा तैयार करने का प्रावधान है, जिसके तहत हिट्स सेवा प्रदाता को भारत में अपनी सेवा प्रदान करना है। यह यह नीति केबल ऑपरेटरों या ग्राहकों को हिट्स प्लेटफॉर्म/नेटवर्क के माध्यम से आवश्यक तौर पर सिगनल हासिल करने का अधिकार नहीं देती। ग्राहक और केबल आपरेटर मौजूदा प्रणाली को जारी रख सकते हैं।

इसलिए केबल ऑपरेटरों को हिट्स प्रोवाइडर नेटवर्क का इस्तेमाल करने या न करने की आजादी है जबकि कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) में यह आजादी नहीं है।

हिट्स पूरे देश में सेटेलाइट के जरिये अनेक एमसओ/केबल ऑपरेटरों को सिगनल उपलब्ध कराता है, जो अपने केबल नेटवर्कों का इस्तेमाल करके अन्य ग्राहकों को भेज सकता है। हिट्स ऑपरेटर सेटेलाइट का इस्तेमाल करके अनेक चैनल केबल ऑपरेटर तक पहुंचाते हैं, जबकि एमएसओ इसके लिए केबल का सहारा लेते हैं। हिट्स टेलीविजन चैनल के वितरण का डिजिटल डिलीवरी माध्यम है और इससे देश में केबल सेवाओं के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज होगी और गावों में केबल की पैठ बढ़ाने में मदद करेगा। हिट्स से उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर डिजिटल चैनलों के चयन की आजादी, बेहतर गुणवत्ता वाली तस्वीरें और मूल्यवर्धित सेवाएं मिल सकेंगी। हिट्स के कारण प्राइम/नन–प्राइम बैंड में मौजूदा चैनलों की सीमित क्षमता बढ़कर व्यापक हो जाएगी। नीतिगत दिशानिर्देशों का विस्तृत ब्यौरा www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

हिट्स की खूबियों के बावजूद शुल्क और इंटर–कनेक्शन जैसे मुद्दे अब भी मौजूद हैं, जिसका निपटारा किया जाना आवश्यक है।

21 जुलाई 2010 को जारी तथा 30 अप्रैल 2012 को संशोधित आदेश में ट्राई ने हिट्स प्लेटफॉर्म को भी डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम (डीएएस) के रूप में शामिल किया है। इन परिवर्तनों के मद्देनजर यह उद्योग हिट्स सेवाओं की शुरुआत के लिए जल्द ही प्लेटफॉर्म स्थापित करेगा। ट्रांसपोंडर क्षमताओं की मौजूदगी को लेकर कुछ समस्याएं भी हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मांग बढ़ने के साथ ही आपूर्ति भी बढ़ जाएगी। सरकार ने केबल सेवाओं के डिजिटलीकरण की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर 2014 घोषित कर रखी है, अतः उम्मीद है कि हिट्स प्लेटफॉर्म बनाने के प्रति रुझान बढ़ेगा।

केबल टीवी नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995

यह अधिनियम देश में केबल टीवी नेटवर्क के संचालन के नियमन के लिए लागू किया गया था, ताकि केबल टीवी नेटवर्कों के परिचालन में समरूपता लाई जाए तथा दर्शकों को अवांछित कार्यक्रम परोसे जाने से रोका जाए और उपभोक्ताओं को सूचना और मनोरंजन उपलब्ध कराने की इस प्रौद्योगिकी की क्षमता का कारगर इस्तेमाल किया जा सके। सरकार इस कानून के क्रियान्वयन की निगरानी और सुधारात्मक उपाय करती रही है। इस कानून के कुछेक प्रावधानों के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं को समाप्त करने के लिए 2000 और 2003 में इसमें संशोधन भी किये गए। संसद के चैनलों को दिखाने की अनिवार्यता निर्धारित करने के प्रयास में इस अधिनियम में अंतिम बार 2007 में संशोधन किया गया। धारा 8 में संशोधन के बाद दूरदर्शन चैनलों के साथ–साथ संसद के चैनलों को दिखाना भी अनिवार्य किया गया है। 6 नवम्बर 2007 से केबल ऑपरेटरों के लिए लोकसभा और राज्यसभा चैनलों को अपने नेटवर्क में शामिल करना अनिवार्य हो गया है। केंद्र सरकार और प्रसार भारती की मौजूदा अधिसूचना के अनुसार, प्राइम और गैर–प्राइम बैंड में केबल ऑपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से शामिल किये जाने वाले चैनलों की सूची अनुलग्नक 1 में है। भारत से अपलिंक और डाऊनलिंक करने वाले चैनलों की लाइसेंसिंग शर्तों तथा डीटीएच, आईपीटीवी और हिट्स संबंधी दिशा–निर्देशों एवं लाइसेंस समझौतों के अनुरूप इनके लिए इस अधिनियम तथा उसके प्रावधानों में अब कार्यक्रमों और विज्ञापन संबंधी संहिता का पालन करना अनिवार्य है।

खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007

भारत या विदेशों में आयोजित राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं को 'फ्री टू एयर' आधार पर बड़ी संख्या में श्रोताओं और दर्शकों तक पहुंचाने के इरादे से खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007 लागू किया गया। ऐसा प्रसार भारती के साथ खेल प्रसारण सिगनलों की अनिवार्य साझेदारी के प्रावधानों के जरिये किया गया है।

खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ अनिवार्य साझेदारी) अधिनियम, 2007 की धारा–तीन (एक) के तहत कुछ खेल प्रतिस्पर्धाओं के प्रसारण सिगनलों को प्रसार भारती के साथ साझा करना अनिवार्य किया गया है। इसी अधिनियम की धारा–तीन (तीन) के तहत प्रसार भारती को यह जिम्मेदारी दी गई है कि उसे ऐसी खेल प्रतिस्पर्धाओं के प्रसारण से अर्जित राशि का कुछ हिस्सा खर्च करना होगा।

सरकार ने संबंधित अधिनियम के बेरोकटोक एवं उचित क्रियान्वयन के

लिए खेल प्रसारण सिगनल (प्रसार भारती के साथ आवश्यक साझेदारी) नियम 2007 को 31 अक्टूबर 2007 को पत्रांक जीएसआर 687(ई) के माध्यम से अधिसूचित किया है। इस कानून की धारा दो (1–एस) में वर्णित प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार को राष्ट्रीय महत्व के खेलों को इस कानून के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित करने का अधिकार होगा। सरकार की ओर से 23 अगस्त 2012 को जारी अधिसूचना में राष्ट्रीय महत्व के खेलों का विस्तृत उल्लेख किया गया है, जिनमें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम द्वारा खेले जाने वाले एकदिवसीय और ट्वेंटी–20 मैचों तथा प्रमुख टेस्ट मैचों, पुरुषों के विश्वकप के सेमीफाइनल और फाइनल मैचों तथा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिशद (आईसीसी) चैम्पियनशिप ट्रॉफी को शामिल किया गय है। सरकार ने क्रिकेट के अलावा टेनिस, हॉकी और फुटबॉल खेलों की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओं की एक सूची चार जुलाई 2012 को अधिसूचित की थी। इन्हें अनुलग्नक–दो में दर्शाया गया है।

केबल सेक्टर के डिजिटलीकरण का प्रस्ताव

dscy Vsyhfotu usVodZ dk fMftVyhdj.k

प्रसारण वितरण उद्योग के लिए रीढ़ की हड्डी है। डीटीएच सवाओं के त्वरित विकास के बावजूद आज भी टेलीविजन चैनलों के वितरण के मामले में केबल टीवी सेवाओं को वर्चस्व कायम है। केबल टीवी सेवा की उपयोगिता श्रृंखला के चार मुख्य घटक हैं : प्रसारक, मल्टी सिस्टम आपरेटर (एमएसओ), स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) और अंतिम उपभोक्ता। देश में केबल टेलीविजन नेटवर्क का संचालन केबल टेलीविजन नेटवर्क नियमन अधिनियम 1995 और केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के जरिये नियंत्रित होता है। एनालॉग केबल टेलीविजन की कुछ पुरातन समस्याएं भी हैं। एनालॉग केबल टीवी प्रणाली की मुख्य समस्याएं यहां उल्लेखित हैं :–

- सीमित वाहक क्षमता (70–80 चैनल)
- उपभोक्ताओं के समक्ष चैनलों के चयन का विकल्प कम
- उपभोक्ताओं की संख्या का उचित लेखा–जोखा नहीं रख पाने के कारण पारदर्शिता का अभाव
- ग्राहकी राजस्व की सही घोशण ा नहीं किया जाना तथा कर राजस्व छिपाया जाना
- ग्राहकी राजस्व की तुलना में विज्ञापन राजस्व पर अत्यधिक निर्भरता के कारण प्रसारकों के लिए विरुपित बिजनेस मॉडल (विज्ञापन राजस्व और ग्राहकी राजस्व का अनुपात 65:35)
- टीआरपी रेटिंग की अंधी दौड़
- केबल ऑपरेटरों को डीटीएच और आईपीटीवी सेवा प्रदाताओं से मिल रही है गंभीर चुनौतियां

इन्हीं कारणों से केबल सेक्टर में सुध ार के साथ–साथ डिजिटलीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। इससे प्रत्येक उपभोक्ता की पहचान और डाटाबेस का अनुरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा, ताकि पारदर्शिता लाई जाए और पाइरेसी पर रोक लगाई जा सके।

डिजिटलीकरण सरकार और आम जनता सभी के लिए फायदेमंद साबित होगा। डिजिटल केबल टीवी प्रणाली की मुख्य विशेषताएं निम्नांकित हैं:–

उपभोक्ताओं के लिए :–

- बेहतरीन गुणवत्ता की तस्वीरें
- चैनलों के चयन के विकल्प मौजूद
- मूल्यवर्धित सेवाएं – ऑन डिमांड वीडियो गेम एवं ट्रिपल प्ले

dscy vkWijsVjksa ds fy,

- डीटीएच सेवा प्रदाताओं से प्रभावी तरीके से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और अपना कारोबार बचाए रख सकते हैं
- एफटीए यानी फ्री टू एयर और सभी पे–चैनलों तथा ब्रॉडबैंड सेवाओं/मूल्यवर्धित सेवाओं से बढ़ी हुई कमाई की प्राप्ति

izlkjdksa ds fy,

- ग्राहकी राजस्व की प्राप्ति में पारदर्शिता
- विज्ञापन राजस्व पर कम निर्भरता
- टीआरपी की चिंताओं से मुक्ति

ljdkj ds fy,

- कर वसूली में सुधार
- राजस्व हानि पर रोक
- देश का आर्थिक लाभ

सरकार ने पूरे देश में चार चरणों में केबल टीवी प्रणाली के डिजिटलीकरण की योजना पर अमल का फैसला किया था, जिसके तहत पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई –चारों महानगरों– में 31 अक्टूबर 2012 तक इसे पूरा किया जाना था। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तीन महानगरों में ही 31 अक्टूबर 2012 से केबल टीवी

डिजिटलीकरण पर अमल किया गया, जबकि मद्रास उच्च न्यायालय में इससे संबंधित एक मामला लंबित होने की वजह से वहां फिलहाल एनालॉग केबल टीवी सिगनल को ही अनुमति दी गई है। चार जनवरी 2013 तक चार महानगरों में केबल सेट टॉप बॉक्सों (एसटीबी) की संख्या कुल 99 फीसदी की बढोतरी 84.89 लाख हो गई थी। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में एसटीबी की संख्या क्रमशः 33.58 लाख, 25.84 लाख, 22. 16 लाख तथा 3.31 लाख है।

दूसरे चरण में, दस लाख से अधिक आबादी वाले 38 शहरों में 31 मार्च 2013 तक डिजिटीकरण की प्रक्रिया पूरी की जानी है। अन्य सभी शहरी इलाकों (नगर निगमों/ नगरपालिकाओं) में 30 सितम्बर 2014 तक तथा शेष भारत में 31 दिसम्बर 2014 तक इसे पूरा किया जाना है।

मोबाइल टीवी सेवा शुरू करने संबंधी नीति

मोबाइल टीवी सेवा के क्षेत्र में निजी कंपनियों की प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए सरकार उचित नियामक मसौदा तैयार करने में जुटी है। ट्राई ने मोबाइल टीवी सेवा से संबंधित 23 जनवरी 2008 को जारी अपनी सिफारिशों में कहा था कि मोबाइल टेलीविजन सेवा के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए और प्रौद्योगिकी चयन का जिम्मा इस शर्त के साथ सेवा प्रदाताओं पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्रौद्योगिकी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू), भारतीय दूरसंचार अभियंत्रण केंद्र (टीईसी) या किसी अन्य अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन/ निकाय यथा–यूरोपीय दूरसंचार मानक संस्थान या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों आदि के मानकों पर खरा उतरे। ट्राई ने यह भी सिफारिश की थी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उपग्रह क्षमता तथा उपग्रह आधारित मोबाइल सेवा की तीव्रता आदि की उपलब्धताओं के लिए अंतरिक्ष एवं दूरसंचार विभाग से तालमेल करेगा। ट्राई ने यह भी कहा था कि जब कभी ऐसी उपग्रह क्षमता उपलब्ध होती है और यदि सरकार इस तरह के लाइसेंस जारी करना चाहती है, तो उसे इस मामले को फिर से उसके पास लाना होगा। ट्राई ने यह भी सिफारिश की थी कि धरती पर पारेषण रूट से संबंधित लाइसेंस आंशिक समय के लिए दिया जाना चाहिए और दूरदर्शन के पारेषण ढांचा को साझा करने की अनुमति पारस्परिक सहमति और गैर–भेदभावपूर्ण होनी चाहिए।

मंत्रालय ने ट्राई की ज्यादातर सिफारिशों पर सहमति व्यक्त करते हुए कुछ मुद्दों को स्पष्टीकरण मांगने के लिए ट्राई को लौटा दिया था। जो महत्वपूर्ण विवादित मुद्दे थे, उनमें मोबाइल ऑपरेटरों के लिए ट्राई द्वारा अनुशंसित 585–806 मेगाहट्र्ज बैंड वाले स्पेक्ट्रम की पहचान करना, लाइसेंसों के सेवा क्षेत्र का निर्धारण तथा प्रत्येक सेवा क्षेत्र में सेवा–प्रदाताओं/लाइसेंसों की संख्या का निर्धारण करना शामिल थे। वीएचएफ बैंड–5 (585–698 मेगाहट्र्ज :बीडब्ल्यू–113 मेगाहट्र्ज) में पर्याप्त स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं होने के कारण मोबाइल टेलीविजन नीति पर फिलहाल विराम लगा दिया गया है।

प्राइम और गैर–प्राइम बैंड में केबल आपरेटरों द्वारा अनिवार्य रूप से दिखाये जाने वाले चैनलों का विवरण अगले पृष्ठ पर है।

केंद्र सरकार ने छह नवम्बर 2007 (एस.ओ. 1881 ई) को जारी तथा एक अक्टूबर 2012 को संशोधित अधिसूचना के जरिये डीडी लोकसभा और डीडी राज्यसभा को मूल सेवा श्रेणी में शामिल करने का निर्देश दिया था, जहां डीएस प्रणाली लागू हो चुके हैं। जहां डीएएस नहीं लगाई गई हो वैसे क्षेत्रों में 450 मेगाहट्र्ज तक के गैर–प्राइम बैंड में इन चैनलों को शामिल किये जाने के निर्देश दिये गए हैं।

प्राइम बैंड में डीडी1 (राष्ट्रीय चैनल) एवं डीडी (न्यूज चैनल) को 24 अक्टूबर 2003 को प्रसार भारतीय की अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।

डीडी स्पोर्ट्स चैनल, ज्ञान दर्शन चैनल को गैर–प्राइम बैंड में 25 फरवरी 2005 को जारी अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया गया है।

डीडी उर्दू चैनल को गैर–प्राइम बैंड में मई 2007 को जारी पीबी नोटिफिकेशन के जरिये अधिसूचित किया जा चुका है।

डीडी भारती को प्राइम और नन–प्राइम दोनों बैंडों में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में अनिवार्य रूप से दिखाये वाले चैनलों के रूप में अधिसूचित किया गया है। यदि किसी राज्य का अपना क्षेत्रीय चैनल नहीं डीडी भारती को प्राइम बैंड में अन्यथा सारिणी–एक के अनुसार जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास क्षेत्रीय चैनल मौजूद हैं वहां नन–प्राइम बैंड में अनिवार्य रूप से दिखाये जाने के निर्देश दिये गए हैं।

प्राइम बैंड में अनिवार्य रूप से दिखाए जाने के लिए अधिसूचित डीडी के क्षेत्रीय चैनलों को निम्न सारिणी में दर्शाया गया है:–

Øe l-	jkT;	ikbe cSM ¼vf/klwfpr {ks=h; pSuy½	xSj&ikbe cSM
1	आंध्र प्रदेश	डीडी सप्तगिरि	डीडी भारती
2	अरुणाचल प्रदेश	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
3	असम	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
4	बिहार	डीडी भारती	
5	छत्तीसगढ़	डीडी भारती	
6	गोवा	डीडी भारती	
7	गुजरात	डीडी गुजराती	डीडी भारती
8	हरियाणा	डीडी भारती	
9	हिमाचल प्रदेश	डीडी भारती	
10	जम्मू कश्मीर	डीडी कशीर	डीडी भारती
11	झारखंड	डीडी भारती	
12	कर्नाटक	डीडी चंदना	डीडी भारती
13	केरल	डीडी मलयालम	डीडी भारती
14	मध्य प्रदेश	डीडी भारती	
15	महाराष्ट्र	डीडी सहयाद्रि	डीडी भारती
16	मणिपुर	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडीभारती
17	मेघालय	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
18	मिजोरम	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
19	नगालैंड	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
20	ओडिशा	डीडी उड़िया	डीडी भारती
21	पंजाब	डीडी पंजाबी	डीडी भारती
22	राजस्थान	डीडी भारती	
23	सिक्किम	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
24	तमिलनाडु	डीडी पोडिगई	डीडी भारती
25	त्रिपुरा	डीडी–नॉर्थ–ईस्ट	डीडी भारती
26	उत्तर प्रदेश	डीडी भारती	
27	उत्तराखंड	डीडी भारती	
28	पश्चिम बंगाल	डीडी बंगला	डीडी भारती
dsUnz 'kkflr izns'k			
1	अंडमान–निकोबार	डीडी भारती	
2	चंडीगढ़	डीडी पंजाबी	डीडी भारती
3	दादरा एवं नागर हवेली	डीडी गुजराती	डीडी भारती
4	दमन एवं दिऊ	डीडी गुजराती	डीडी भारती
5	लक्षद्वीप	डीडी मलयालम	डीडी भारती
6	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	डीडी भारती	
7	पुड्डुचेरी	डीडी पोडिगई	डीडी भारती

सरकार ने डीटीएच सेवा प्रदाताओं के लिए भी उपरोक्त सभी चैनलों को अनिवार्य रूप से बकेट में शामिल करने के वास्ते डीटीएच लाइसेंस समझौते की अनुसूची के उपबंध 7.8 को अपने आदेश संख्या 8/12/2006–बीपीएंडएल (दिनांक 10.9.2007) के माध्यम से संशोधित किया है।

8 फरवरी 2008 को जारी आदेश संख्या एस ओ 281(ई) के जरिये प्रसार भारती के साथ सिगनलों को अनिवार्य रूप से साझा करने वाले गैर–क्रिकेट खेल इस प्रकार हैं –

1 ग्रीष्म ओलम्पिक

2 राष्ट्रमंडल खेल

3 एशियाई खेल

4 विशेष ओलम्पिक

5 पारालम्पिक

6 निम्नांकित खेलों से संबंधित स्पर्धाएं

d- Vfu l

ए. डेविस कप – सभी मैच जिनमें भारत शामिल हो

बी. ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट – पुरुष और महिला एकल के फाइनल, क्वार्टरफाइनल एवं उससे ऊपर के वे सभी मुकाबले जिनमें भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हों।

सी. ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट – पुरुष युगल, महिला युगल एवं मिश्रित युगल में क्वार्टरफाइनल और ऊपर के सभी मुकाबले जिनमें भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हों।

[k- gkdh

ए. विश्वकप के वे सभी मुकाबले जिनमें भारत खेल रहा हो। इसके अलावा सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले।

बी. चैम्पियन्स ट्रॉफी :– भारत की हिस्सेदारी वाले सभी मुकाबले तथा फाइनल मुकाबला

सी. इंदिरा गांधी महिला गोल्डकप :– सेमीफाइनल एवं फाइनल

x- QVcky

ए. विश्वकप– उद्घाटन मैच, सेमीफाइनल एवं फाइनल

बी. एशिया कप – भारत की हिस्सेदारी वाले सभी मुकाबले, सेमीफाइनल एवं फाइनल मुकाबले।

सी. संतोष ट्रॉफी – सेमीफाइनल एवं फाइनल

टीवी चैनलों का कंटेंट नियमन

- टेलीविजन चैनलों की विषय–वस्तुओं का नियमन हमेशा से बहस का विषय रहा है। सेटेलाइट टीवी चैनलों पर प्रसारित अश्लील सामग्रियों का विपरीत प्रभाव भारतीय नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों पर पड़ने, महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा करने, तथा अभिव्यक्ति एवं रचनाशीलता की संविधान–सम्मत स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए इन चिंताओं का निवारण महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। भारत में टेलीविजन उद्योग के प्रतिवर्ष 13 प्रतिशत की दर से बढ़ने के साथ ही विभिन्न चैनलों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। मंत्रालय ने 852 निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों को मंजूरी दी है, जिनमें से करीब 415 समाचार एवं समसामयिक मामलों से जुड़े चैनल हैं।

- पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय भाषाओं के चैनलों में व्यापक वृद्धि हुई है, क्योंकि हिन्दी और अंग्रेजी चैनलों के बीच कठोर प्रतिस्पर्धा हो रही है। हालांकि डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवाओं में भी तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, लेकिन इन चैनलों का वितरण कमोबेश अब भी केबल ऑपरेटरों के जरिये होता है। इनमें से अधिकतर एनालॉग प्रणाली से जुड़े हैं और इनमें चैनलों की वाहक क्षमता सीमित है।

- केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) संशोधन अधिनियम, 2011 पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से केबल नेटवर्क के डिजिटीकरण का रास्ता प्रशस्त करेगा। देश के चार महानगर डिजिटल केबल के रास्ते पर निकल चुके हैं। डिजिटीकरण से उचित एवं पारदर्शी उपभोक्ता शुल्क का मॉडल सुगम बनेगा, जिससे प्रसारकों की विज्ञापन राजस्व पर निर्भरता कम होगी और उन्हें टीआरपी की चिंता से मुक्ति मिलेगी। प्रसारकों से उम्मीद की जा सकती है कि वे भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में व्यापक हितों को ध्यान में रखकर टीआरपी की होड़ से बाहर निकलेंगे और बेहतर कंटेंट परोसने का प्रयास करेंगे। इससे बेहतर विषय–वस्तु तैयार करने का वातावरण बनेगा और कंटेंट पर प्रभावी नियमन भी हो सकेगा। हालांकि देश में अनेक चैनलों के आ जाने और अपनी–अपनी जगह बनाने के प्रयास में उनके लगने से कंटेंट नियमन की चुनौती हमेशा बनी रहेगी।

- विभिन्न नीति निर्देशकों के माध्यम से प्रत्येक प्रसारक के लिए केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) अधिनियम, 1995 के तहत

निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता का अनुसरण करना अनिवार्य बनाया गया है।

- केबल अधिनियम के तहत निर्धारित कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता को 1994 में आईपीटीवी सेवा सहित विभिन्न प्रसारण माध्यमों से उपलब्ध कराये गए सभी वीडियो कंटेंट पर लागू किया गया था।

- ज्यादातर शिकायतें अश्लीलता, महिलाओं को खराब उद्देश्य से पेश किया जाना, बच्चों पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव, जानवरों के साथ आमनवीय व्यवहार और गुमराह करने वाली प्रकृति के विज्ञापनों से जुडी हैं। इन मामलों में संबंधित कानून के तहत उचित कार्रवाई की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर परामर्श और चेतावनी दी जाती है तथा क्षमा याचना के स्क्रॉल भी चलाने के आदेश दिये जाते हैं। धारावाहिकों में इस्तेमाल किये गए कंटेंट देश के बड़े हिस्से के लिए दुनिया को देखने का जरिया हैं और इसका हमारे सामाजिक मान्यताओं, व्यावहारिक सिद्धांतों और रीति–रिवाजों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।

- वर्ष 2012–13 (अप्रैल–दिसम्बर) के दौरान मंत्रालय ने कार्यक्रम एवं विज्ञापन संहिता के उल्लंघन के मामलों में विभिन्न टेलीविजन चैनलों को 28 कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं। इसके अलावा इसी अवधि के दौरान विभिन्न सेटेलाइट टेलीविजन चैनलों को सात परामर्श, सात चेतावनियों और एक निर्देश सहित 15 आदेश जारी किये हैं।

अंतर–मंत्रीय समिति (आईएमसी)

- सेटेलाइट टेलीविजन चैनलों पर कंटेंट के नियनम के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर–मंत्रीय समिति का गठन किया गया था, जिसमें अन्य मंत्रालयों के सदस्य भी शामिल हैं। यह समिति यह सिफारिश करती है कि कंटेंट संबंधी नियमों का उल्लंघन हुआ या नहीं। वर्ष 2011 में समिति का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें उपभोक्ता, खाद्य एवं सार्वजनिक मंत्रालय के प्रतिनिधि को भी शामिल किया गया था, ताकि उपभोक्ता संबंधी मामलों पर विशेष ध्यान रखा जा सके। समिति के पास केवल सिफारिशी अधिकार है। दोषी चैनलों पर जुर्माना और सजा का अंतिम निर्णय समिति की सिफारिशों के अनुरुप ही लिया जाता है। मंत्रालय आम तौर पर चेतावनी या परामर्श जारी करता है अथवा चैनलों को माफीनामा युक्त स्क्रॉल चलाने को कहता है। कभी भी गलती की गंभीरता को देखते हुए चैनलों का प्रसारण अस्थायी या कुछ निश्चित समय के लिए रोक दी जाती है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र

- सरकार ने चैनलों पर चौबीसों घंटे और सातों दिन नजर रखने के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केंद्र भी स्थापित किया है। इस केंद्र की निगरानी क्षमता 2010–11 में 150 चैनलों की थी जिसे बढ़ाकर 300 चैनल तक किया जा चुका है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस केंद्र की क्षमता बढ़ाकर 1500 चैनलों का लक्ष्य है। भविष्य में एफएम रेडियो चैनलों और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की निगरानी के लिए बुनियादी संचरना मजबूत की जाती है। ईएमएमसी ने मंत्रालय को चैनलों द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों पर आधारित रहे बिना स्वतः संज्ञान लिये कार्रवाई करने का अवसर उपलब्ध कराया है। इस केंद्र ने नियामक प्रणाली को मजबूत बनाया है और उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करने की समय–सीमा कम हुई है।

राज्य और जिला–स्तरीय निगरानी समितियां

- स्थानीय स्तर पर केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) कानून, 1995 का अनुपालन संबंधित राज्य सरकारों के स्थानीय अधिकारियों के कार्यक्षेत्र के तहत आता है।

- केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) कानून, 1995 की धारा–दो के तहत स्थानीय स्तर पर अधिकृत अधिकारी का मतलब जिला मजिस्ट्रेट या सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त से है। संबंधित कानून की धारा 11 और 12 के तहत अधिकृत अधिकारी को कानून के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए केबल ऑपरेटर की जब्ती करने का अधिकार होता है।

सूचना और प्रसारण सचिव और संयुक्त सचिव मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ ईएमएमसी मॉनिटरिंग हॉल का अवलोकन करते हुए

सूचना और प्रसारण सचिव नये मॉनिटरिंग हॉल के उद्घाटन के अवसर पर सर्वश्रेष्ट कार्य के लिए पुरस्कार देते हुए

- राज्य एवं जिला स्तर पर केबल कानून एवं नियमों को लागू कराने के लिए मंत्रालय ने छह सितम्बर 2005 को आदेश जारी किया था। इसके बाद मंत्रालय ने जिला–स्तरीय एवं राज्य–स्तरीय निगरानी समिति के लिए 19 फरवरी 2008 को दिशानिर्देश जारी किये। जिला–स्तरीय समिति का घटक इस प्रकार है–

ए. जिला मजिस्ट्रेट (अथवा पुलिस आयुक्त) – अध्यक्ष

बी. जिला पुलिस अधीक्षक – सदस्य

सी. जिला जनसूचना अधिकारी – सदस्य

डी. जिला के किसी एक महिला कॉलेज की प्राचार्य (डीएम द्वारा चयनित) – सदस्य

ई. बाल–कल्याण के कार्य में जुटे एक शीर्ष गैर–सरकारी संगठन का प्रतिनिधि – सदस्य

एफ. महिला कल्याण के कार्य में जुटे एक शीर्ष गैर–सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि – सदस्य

जी. शिक्षाविद/मनोवैज्ञानिक/समाजशास्त्री (प्रत्येक वर्ग से एक सदस्य डीएम द्वारा मनोनीत) – सदस्य

समिति का प्रयोजन

1 एक ऐसा फोरम उपलब्ध कराना जहां जनता केबल टेलीविजन चैनल पर प्रसारित कंटेंट की शिकायत कर सके और समिति निर्धारित प्रक्रिया के तहत कार्रवाई कर सके।

2 केबल टीवी नेटवर्क नियमन कानून, 1995 के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।

3 यदि किसी कार्यक्रम से किसी समुदाय में रोष पैदा होता है, या शांति व्यवस्था भंग होती है तो इसकी तत्काल जानकारी राज्य और केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना।

4 स्थानीय स्तर पर केबल टेलीविजन चैनलों द्वारा प्रस्तुत दृश्य सामग्रियों पर नजर करना तथा अधिकारियों के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि कोई अनधिकृत या पाइरेटेड चैनल न चल रहे हों।

5 फ्री टू एयर चैनलों की उपलब्धता की निगरानी करना तथा केबल नेटवर्क पर अनिवार्य रूप से दिखाये जाने के लिए अधिसूचित चैनलों की निगरानी करना।

jkT;&Lrjh; fuxjkuh lfefr

1 राज्य के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव : – अध्यक्ष

2 राज्य पुलिस महानिदेशक का प्रतिनिधि – सदस्य

3 राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग के सचिव– सदस्य

4 राज्य के महिला एवं बाल विकास सचिव – सदस्य

5 महिलाओं के लिए कार्यरत प्रमुख गैर–सरकारी संगठन का प्रतिनिधि (मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत) – सदस्य

6 शिक्षाविद्/मनोवैज्ञानिक/समाजशास्त्री (प्रत्येक वर्ग में से एक–एक प्रतिनिधि मुख्य सचिव द्वारा मनोनीत)

7 राज्य का सूचना निदेशक – सदस्य सचिव

jkT;&Lrjh; fuxjkuh lfefr dk dkedkt

1 यह पता लगाना कि क्या जिला/स्थानीय समितियों का गठन हुआ है?

2 यह देखना कि नियमित रूप से बैठक होती है या नहीं?

3 यह देखना कि क्या अधिकृत अधिकारी अपने कर्तव्य का उचित निर्वहन करते हैं या नहीं?

4 उनके द्वारा कितने मामले सुलझाए गए और क्या फैसले लिए गए?

5 जिला/स्थानीय स्तर की समिति को सलाह/दिशानिर्देश

6 जिला/स्थानीय स्तर की समिति द्वारा अनुशंसित मामलों पर फैसला लेना।

7 जिला/स्थानीय स्तर की कमेटी से डाटा/जानकारी हासिल करना एवं उसे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव को अग्रसारित करना।

8 कार्यक्रम और विज्ञापन संबंधी संहिता के उल्लंघन की स्थिति में राज्य के मुख्य सचिव के माध्यम से सेटेलाइट चैनलों के खिलाफ शिकायतों को सूचना एवं प्रसारण मंत्री तक भेजना अथवा कार्रवाई की अनुशंसा करना।

- अभी तक, 16 राज्यों– अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल– ने राज्य–स्तरीय समितियां गठित की हैं।

- पांच केंद्रशासित प्रदेशों – अंडमान निकोबार, चंडीगढ, दमन एवं दिऊ, दादरा एवं नागर हवेली एवं लक्षद्वीप ने भी राज्यस्तरीय समितियां गठित की हैं।

- अभी तक देश भर के 274 जिलों में समितियां गठित की गई हैं।

स्वनियामक तंत्र

- उपलब्ध कराई गई प्रसारण सामग्रियों के वॉल्यूम और विविधता की निगरानी कर पाना सरकार के लिए न तो संभव है और न ही उसकी ऐसी इच्छा भी है, खासकर तब जब कंटेंट के स्तर में स्थानीयता बढ़ रही हो। किसी भी प्रकार से सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण संविधान में वर्णित अभिव्यक्ति एवं भाषा की स्वतंत्रता के उल्लंघन के रूप में देखा जाता है।

- बीते वर्षों में समय–समय पर स्थायी और स्वायत्त प्राधिकरण बनाकर कंटेंट के नियमन का जिम्मा सरकारी नियंत्रण से हटाने के कई प्रयास किये गए हैं। स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण की स्थापना से संबंधित विधेयक पहली बार 1997 में लाया गया, लेकिन सरकारों के बदलते रहने के कारण यह आगे नहीं बढ़ सका। वर्ष 2001 में कंवर्जेंस बिल लाकर दूसरा प्रयास किया गया, लेकिन यह भी आगे बढ़ नहीं पाया। सन् 2006 और 2007 में भारतीय प्रसारण नियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए प्रसारण सेवा नियमन विधेयक के दो अलग–अलग मसौदे तैयार किये गए। हालांकि इसका मीडिया जगत ने जमकर विरोध किया।

- प्रसारकों का झुकाव स्वनियमन की ओर ज्यादा है। ऐसा समझा जा रहा है कि कंटेंट तैयार करना पूरी तरह से प्रसारकों के कार्यक्षेत्र में है, ऐसी स्थिति में कंटेंट नियमन के लिए स्वनियमन प्रभावी तंत्र साबित होगा। इस प्रकार निजी प्रसारकों ने न्यूज एवं करंट अफेयर्स चैनलों और गैर–न्यूज चैनलों, दोनों ही मामले में स्वनियम का सहारा लिया है।

समाचार और समसामयिक विषयों के चैनलों में स्वनियमन

- न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (एनबीए) ने स्वनियमन के तहत कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स तैयार किया है, जिसमें समाचार प्रसारणों के नियमन के लिए व्यापक सिद्धांतों को समाहित किया गया है। एनबीए ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स रेगुलेशन्स तैयार किया है। कंटेंट से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए एनबीए ने दो–स्तरीय ढांचा तैयार किया है। पहले स्तर पर शिकायतों का निपटारा निजी प्रसारक अपने स्तर पर ही करते हैं। दूसरे स्तर पर एनबीए ने न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स प्राधिकरण (एनबीएसए) की स्थापना की है।

- एनबीएसए का उद्देश्य प्रसारकों के खिलाफ शिकायतों पर गौर करना है। इसमें एक अध्यक्ष और आठ अन्य सदस्य होते हैं। उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, जबकि चार सदस्य किसी प्रसारक द्वारा नियुक्त नामचीन संपादक होते हैं। शेष चार सदस्य कानून, शिक्षा, औषधि, विज्ञान, साहित्य, लोक प्रशासन, उपभोक्ता मामले, पर्यावरण, मनोविज्ञान और/अथवा संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े विशेष अनुभवी व्यक्तित्व होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे एस वर्मा एनबीएसए के मौजूदा अध्यक्ष हैं।

गैर–समाचार (सामान्य मनोरंजन) चैनलों के मामले में स्वनियमन

- ऐसे चैनलों की बढ़ती संख्या और इनके द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों की विविधताओं के मद्देनजर सामान्य मनोरंजन चैनलों के कंटेंट पर नियंत्रण रख पाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसी स्थिति में ऐसे चैनलों के लिए प्रभावी स्वनियमन तंत्र की आवश्यकता जताई गई है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन (आईबीएफ) ने भी स्व–नियमन के लिए एक तंत्र विकसित किया है। इसके लिए आईबीएफ ने कंटेंट कोड एंड सर्टिफिकेशन रूल्स 2011 तैयार किये हैं, जिसमें टेलीविजन प्रसारक के लिए कंटेंट

ईएमएमसी का नया मॉनिटरिंग हॉल

से संबंधित सभी पहलुओं को समेटने का प्रयास किया गया है।

- इसके तहत दो–स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की गई है। पहले स्तर पर प्रत्येक प्रसारक को उसके चैनलों पर इस्तेमाल किये गए कंटेंट से संबंधित शिकायतों से निपटने के लिए स्टैंडर्ड एवं प्रैक्टिसेज (एसएंडपी) विभाग स्थापित करेगा, जिसका नेतृत्व कंटेट ऑडिटर करेगा।

- दूसरे स्तर पर ब्रॉडकास्ट कंटेंट कम्पलेंट काउंसिल (बीसीसीसी) का गठन किया गया है, जिसने एक जुलाई 2011 से काम करना शुरू कर दिया है। बीसीसीसी में तेरह सदस्य हैं, जिसकी कमान अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के हाथों में होती है। विभिन्न क्षेत्रों के 12 अन्य प्रमुख व्यक्तित्व इसके सदस्य होते हैं।

- बीसीसीसी की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ए. पी. शाह कर रहे हैं। इसके बारह अन्य सदस्य इस प्रकार हैं :–

ए. चार जाने–माने व्यक्ति

बी. राष्ट्रीय स्तर के किसी संवैधानिक आयोग के चार सदस्य

सी. चार प्रसारक सदस्य

- राष्ट्रीय स्तर के संवैधानिक आयोगों के चार में से तीन सदस्य इस प्रकार हैं :–

अ. सुश्री यसमीन अबरार, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष

ब. डॉ. पी एल पुनिया, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी)

स. सुश्री दीपा दीक्षित, सदस्य, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर)

- चौथा सदस्य बारी–बारी से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किसी एक आयोग का अध्यक्ष या कोई सदस्य होगा। चौथे सदस्य का निर्धारण किसी खास बैठक में निपटाई जाने वाली शिकायत की प्रकृति के हिसाब से नियुक्त किया जा सकता है।

- बीसीसीसी ने एक जुलाई 2011 से काम शुरू कर दिया है।

टीवी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों के लिए स्वनियमन

टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों के नियमन की जहां तक बात है तो स्वनियामक इकाई

एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआई) द्वारा स्वीकृत संहिता को केबल टेलीविजन नेटवर्क (नियमन) कानून 1995 एवं उसके तहत तैयार किये गए नियमों में शामिल किया जा चुका है। एएससीआई ने विज्ञापनों से संबंधित शिकायतों पर विचार के लिए उपभोक्ता शिकायत परिषद (सीसीसी) की स्थापना की है।

- प्रसारकों द्वारा तैयार स्वनियमन तंत्र सरकार के मौजूदा नियमन कामकाज का स्थान नहीं ले सकेगा। प्रसारकों का स्वनियमन उनके खुद के स्तर पर कंटेंट की गुणवत्ता को जांचने परखने के लिए किया गया है। इस यह मतलब नहीं है कि सरकार अपने सभी सांविधिक कार्य छोड़ देगी। कंटेंट नियमन के मामले में स्वनियमन जब कभी असफल रहेगा, सरकार आवश्यकतानुसार आगे आएगी।

टेलीविजन रेटिंग प्वांइट्स (टीआरपी)

भारत में टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट्स यानी टीआरपी की मौजूदा प्रणाली पर सरकार और उद्योग दोनों की नजर है। भारत में टीआरपी आंकने की प्रणाली में पारदर्शिता की कमी के मामले समय–समय पर कई बार उठाये जा चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित स्थायी समिति ने टीआरपी अंक की व्यापक जांच की है। वर्ष 2008–09 में अपने 67वें प्रतिवेदन में स्थायी समिति ने भारत में टीआरपी की सम्पूर्ण प्रणाली की जांच की और अनेक सिफारिशें भी की। स्थायी समिति की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें/टिप्पणियां इस प्रकार हैं:–

- टीआरपी तैयार करने का कार्य निजी डोमेन की दो एजेंसियां – ऑडिएंश मीजरमेंट एंड एनालिटिक्स लिमिटेड (ए–मैप) और टैम मीडिया रिसर्च करती हैं।
- जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों सहित अनेक राज्यों को टैम और ए–मैप के दायरे में नहीं लिया गया है।
- पूरी तरह शहरों की ओर रुझान। दोनों एजेंसियां ग्रामीण इलाकों को कवर नहीं करती हैं।
- पीपुल मीटर परिवार देश की आबादी का सही आंकलन नहीं करती। पीपुल मीटर रखने का टैम का तरीका भी पारदर्शी नहीं पाया गया है।
- टीआरपी आंकने में डिजिटल टीवी, एचडीटीवी आदि जैसी नयी प्रौद्योगिकियों को शामिल नहीं किया गय है।
- वर्तमान रेटिंग प्रणाली में वास्तविक तौर पर एकाधिकार है और इसके मुख्य कारण हैं – मौजूदा रेटिंग एजेंसियों द्वारा किसी अन्य एजेंसी को इस प्रणाली में प्रवेश से रोकना, गैर–निष्पक्ष तौर–तरीके और गैर–प्रतिस्पर्धी कदम।
- समिति को यह पता चला कि रेटिंग करने वाली मौजूदा एजेंसियों का औपचारिक पंजीकरण भी नहीं हुआ है। समिति ने सिफारिश की कि सरकार को रेटिंग एजेंसियों के औपचारिक पंजीकरण के बारे में तौर–तरीके विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
- समिति ने यह भी कहा कि ऑपरेशनल और नैतिक मानदंडों को अक्षुण्ण रखने के लिए रेटिंग एजेंसियों का प्रसारण एजेंसियों और विज्ञापन एजेंसियों में तथा इन एजेंसियों का रेटिंग एजेंसियों में कोई हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए।
- समिति ने यह भी सिफारिश की है कि रेटिंग एजेंसियों/प्रणाली के कामकाज की स्वतंत्र एवं विशेषज्ञ ऑडिट फर्मों द्वारा समय–समय पर व्यापक और अनिवार्य ऑडिटिंग कराई जानी चाहिए, ताकि पारदर्शिता लाई जा सके।
- समिति ने रेटिंग प्रणाली की खामियों के खिलाफ शिकायतों से निपटने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने की भी अनुशंसा की है।
- संक्षेप में, समिति ने महसूस किया कि मौजूदा टीआरपी प्रणाली में पारदर्शिता की कमी, उत्तरदायित्व, विश्वसनीयता, प्रामाणिकता, प्रतिस्पर्धा आदि का अभाव है।
- समिति का मानना है कि उद्योग के विशुद्ध व्यावसायिक रवैये और तीन अंशधारकों यथा– प्रसारक, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों– पर ही ध्यान केंद्रित किये जाने से दर्शक जैसा महत्वपूर्ण अंशधारक पृष्ठभूमि में रह गया है।
- समिति ने अपनी सिफारिश में यह भी कहा है कि टीआरपी प्रणाली को विश्वसनीय और जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार को निश्चित रूप से कारगर नियम

बनाने चाहिए ताकि टीआरपी प्रणाली पूरी तरह विश्वसनीय हो सके।

मंत्रालय ने अगस्त 2008 में ट्राई को उसकी सिफारिशों के लिए एक और पत्र लिखा। ट्राई ने दिसम्बर 2009 में अपनी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण सिफारिशें की, जो इस प्रकार हैं :–

- ट्राई ने ब्रॉडकास्ट ऑडिएंश रिसर्च काउंसिल (बीएआरसी) के माध्यम से टीआरपी के स्वनियमन की सिफारिश की थी। ट्राई का कहना था कि सरकार बीएआरसी के बोर्ड में अपने नामित सदस्य रखकर उसके कामकाज पर नजर रखेगी। नामित सदस्यों को मतदान के अधिकार से वंचित रखने की सलाह दी गई थी।

- मंत्रालय रेटिंग एजेंसियों के चयन और उनके कामकाज के तौर–तरीकों से संबंधित पात्रता शर्तें तैयार करेगा।

- ट्राई ने सिफारिश की कि बीएआरसी दर्शकों के आंकलन में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगी और रेटिंग प्रक्रिया के लिए विभिन्न स्तरों पर मुक्त, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया का सहारा लेगी।

- रेटिंग प्रणाली की कमियों और शिकायतों से निपटने के लिए बीएआरसी में शिकायत निवारण प्रणाली होगी।

- रेटिंग एजेंसियों और प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के बीच क्रॉसहोल्डिंग (एक–दूसरे में हिस्सेदारी) नहीं होनी चाहिए। रेटिंग एजेंसियों के मालिकाना अधिकार के बारे में सरकार को वार्षिक आधार पर अवगत कराया जाना चाहिए।

- स्वतंत्र एवं पात्र ऑडिटिंग फर्मों द्वारा रेटिंग प्रणाली का व्यापक अनिवार्य अंकेक्षण किया जाना चाहिए।

- प्राधिकरण ने यह अनुशंसा की कि यदि बीएआरसी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में असफल रहती है या उसके कामकाज में खामियां पाई जाती हैं तो सरकार विधायी प्रक्रिया या अन्य संवैधानिक मसौदे के द्वारा रेटिंग प्रणाली के नियमन पर विचार करेगी।

फरवरी 2009 में आईबीएफ/ बीएआरसी ने कहा कि हालांकि बीएआरसी ब्रॉडकास्ट ऑडिएंश मेजरमेंट के लिए स्वनियमन और स्व–प्रशासन के सिद्धांतों का समर्थन करती है, लेकिन वे सरकार द्वारा किसी भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष हस्तक्षेप या निगरानी को लेकर सहमत नहीं हैं।

बीएआरसी ने हालांकि एक तकनीकी समिति के गठन पर सहमति जताई, लेकिन उसमें अपनी मर्जी के प्रतिनिधियों को शामिल करने का फैसला किया। उन्होंने मुक्त पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से अध्ययन और फील्डवर्क आदि कराने और शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने पर सहमति भी जताई।

हालांकि ट्राई ने क्रॉस–होल्डिंग पर रोक लगाने और रेटिंग एजेंसियों तथा उनके ग्राहकों के पारस्परिक हितों पर विराम लगाने की सिफारिश की थी। ट्राई ने कहा था कि रेटिंग एजेंसियों और प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के बीच क्रॉस–होल्डिंग पर रोक लगाई जानी चाहिए।

ज्यादातर सिफारिशों पर बीएआरसी के सहमत नहीं होने के कारण ट्राई की सिफारिशें लागू नहीं की जा सकी। इसलिए मंत्रालय ने ट्राई से कुछ सलाहें मांगी, जो निम्नलिखित हैं :–

- जब तक बीएआरसी काम करना शुरू नहीं करती, तब तक मौजूदा टीआरपी रेटिंग एजेंसियों के कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए मंत्रालय कौन सा कदम उठा सकता है?

- इन रेटिंग एजेंसियों में विज्ञापन एजेंसियों और प्रसारकों की क्रॉस–होल्डिंग के मुद्दे पर क्या किया जाना चाहिए?

- चूंकि सरकार की भूमिका के संदर्भ में ट्राई की सिफारिशें बीएआरसी को स्वीकार्य नहीं थीं, इसलिए आगे की कार्यवाही के लिए ट्राई क्या मशविरा देगा?

ट्राई ने मई 2010 के अपने जवाब में मंत्रालय को सूचित किया–

- बीएआरसी के काम नहीं करने की स्थिति में सरकार यह काम भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), नई दिल्ली को सौंपने पर विचार कर सकती है, जो इससे संबंधित दिशा–निर्देश तैयार करा सकता है और टेलीविजन दर्शकों की गणना के लिए उपयुक्त एजेंसियों को अधिकृत कर सकता है।

- यदि ऐसा भी संभव न हो तो सरकार यह काम ट्राई अधिनियम 1997 की धारा 11 (एक)(डी) के तहत ट्राई को भी सौंपने पर विचार कर सकती है।

चूंकि बीएआरसी की स्थापना में अनावश्यक विलंब हो गया था,

इसलिए मंत्रालय ने आईबीएफ से बीएआरसी को निर्धारित अवधि में आपॅरेशनल बनाने को कहा, अन्यथा निम्नलिखित विकल्प तलाशे जा सकते हैं :–

1 ट्राई को रेटिंग एजेंसियों की मदद से टीआरपी रेटिंग लेने को कहा जा सकता है।

2 मंत्रालय ट्राई के साथ मान्यता प्रणाली का अनुसरण करके भारत में सम्पूर्ण टीआरपी प्रणाली के नियंत्रित करने के लिए मंत्रालय खुद एक उपयुक्त कानून ला सकता है।

इसी बीच आईबीएफ ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत 9 जुलाई 2010 को बीएआरसी का पंजीयन 'नॉट–फॉर–प्रॉफिट' कंपनी के रूप में करा लिया। परिचालन के मुद्दे पर मंत्रालय ने फिक्की के तत्कालीन महासचिव डॉ. मित्रा की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जिसने 10 नवम्बर को अपनी रिपोर्ट में निम्न सिफारिशें कीः

- बीएआरसी के माध्यम से टीआरपी का स्वनियमन किया जाना चाहिए। बीएआरसी बोर्ड में प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं, विज्ञापन एजेंसियों और लोक सेवा प्रसारकों को शामिल करना चाहिए।

- बीएआरसी बोर्ड में 12 सदस्य होने चाहिएं, जिनमें से सात सदस्य प्रसारकों से जुड़े होंगे। इनमें लोकसेवा प्रसारक भी शामिल हैं। तीन सदस्य विज्ञापनदाताओं और दो सदस्य डीएवीपी सहित विभिन्न विज्ञापन एजेंसियों से जुड़े होंगे।

- शोध, डिजाइन और विश्लेषण के क्षेत्र में बीएआरसी को रास्ता दिखाने के लिए बीएआरसी के भीतर उच्चस्तरीय समिति (एचपीसी) गठित की जानी चाहिए। एचपीसी में राष्ट्रीय स्तर के सांख्यिकीविद्, गणना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, नागरिक समुदाय या न्यायपालिका से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, जनसांख्यिकी विशेषज्ञ, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, भारतीय प्रबंधन संस्थानों में से एक से बिजनेस मैनेजमेंट विशेषज्ञ, प्रतिष्ठित संस्थान द्वारा मनोनीत एक व्यक्ति, राष्ट्रीय छवि की एक शीर्ष महिला और बीएआरसी से तीन विशेष आमंत्रित सदस्य होने चाहिए।

- पीपुल मीटर होम्स के सैम्पल साइज को आठ हजार से बढ़ाकर अगले दो वर्ष में 15000 किया जाना चाहिए, जिनमें ग्रामीण और शहरी परिवारों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस आंकड़े को अगले तीन वर्ष में 30 हजार किया जाना चाहिए तथा इसमें शहरी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों के अलावा, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों को भी शामिल किया जाना चाहिए, ताकि पूरे देश का प्रतिनिधित्व हो सके।

- टीआरपी के आकलन के लिए सैंम्पल साइज बढाने के वास्ते आर्थिक मदद के लिए प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों को अपने कारोबार का कुछ हिस्सा बीएआरसी को वार्षिक आधार पर दें।

- हालांकि, हितों के टकराव से बचने के लिए रेटिंग एजेंसियों और प्रसारकों, विज्ञापनदाताओं और विज्ञापन एजेंसियों के बीच क्रॉस–होल्डिंग नहीं होनी चाहिए।

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

- रेटिंग एजेंसी के चयन और टीआरपी आंकलन की प्रक्रिया विश्वसनीय, पारदर्शी और सांख्यिकी के हिसाब से बेहतर तरीके से की जानी चाहिए तथा इसका वित्तीय एवं प्रक्रियात्मक अंकेक्षण भी होना चाहिए।

- टीआरपी आंकने की प्रक्रिया चार चरणों में होनी चाहिए। पहला चरण सर्वेक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण शोध का होना चाहिए और दूसरा चरण प्रतिष्ठानों के सर्वेक्षण का। तीसरे चरण में डाटा विश्लेषण और रिपोर्ट तैयार किया जाना चाहिए तथा अंतिम चरण में अंकेक्षण किया जाना चाहिए। इनमें से प्रत्येक चरण की जिम्मेदारी अलग–अलग एजेंसियो को दी जानी चाहिए, ताकि गैर–पक्षपातपूर्ण एवं विश्वसनीय परिणाम मिल सके।

- समिति ने सिफारिश की थी कि रेटिंग एजेंसियों की पात्रता शर्तें, सामान्य परिचालन, नैतिक एवं डिसक्जोर मानकों के संबंध में ट्राई की 2008 की रिपोर्ट में निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

- रेटिंग एजेंसियों द्वारा खासकर न्यूज चैनलों के टीआरपी आंकलन एवं इसकी घोषणा सप्ताह में एक बार की जानी चाहिए, लेकिन इसे पखवाड़े में एक बार करने की संभावना पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि कम समय के अंतराल पर घोषित टीआरपी रेटिंग्स प्रसारण विरुपण को बढ़ावा दे सकती है।

- बीएआरसी को एडवरटाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया (एएससीआइ) में इस्तेमाल किये जा रहे मॉडल की तर्ज पर ही शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

इस बीच ए–मैप ने भारत में अपनी सेवा रोक दी। इसलिए अब भारत में टीआरपी आंकलन प्रणाली का परिचालन करने वाली केवल एक ही एजेंसी है– टैम मीडिया रिसर्च।

मंत्रालय में बुलाई गई एक बैठक में बीएआरसी ने डाटा जेनरेशन करने और इसका जुलाई 2013 तक प्रकाशन शुरू करने पर सहमति जताई थी। बीएआरसी की लेटलतीफी के कारण इस मंत्रालय ने अगस्त 2012 में ट्राई से आग्रह किया था कि वह भारत में टीआरपी रेटिंग एजेंसियों के लिए एक्रेडिटिंग एजेंसी के रूप में व्यापक दिशा–निर्देश और मान्यता प्रणाली को मंजूरी दे ताकि टीआरपी रेटिंग एजेंसियों के बीच निष्पक्ष प्रतियोगिता, बेहतर मानकों और गुणवत्ता वाली सेवाएं सुनिश्चित हो सकें। अन्य बातों के साथ–साथ व्यापक मान्यता प्रणाली में निम्नलिखित बातें होनी चाहिएं :–

1 टीवी वाले घरों के सैम्पल साइज सांख्यिकी की दृष्टि से वैध और अच्छी तरह प्रस्तुत होने चाहिए। सैम्पल साइज में शहरी और ग्रामीण इलाकों दोनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

2 देश के सभी राज्यों को इसमें समाहित किया जाना चाहिए।

3 डाटा का थर्ड–पार्टी अंकेक्षण किया जाना चाहिए।

4 पीपुल मीटर होम्स के चयन में पारदर्शिता होनी चाहिए।

5 पैनल में समाहित पीपुल मीटर होम्स की गोपनीयता बनाये रखनी चाहिए।

6 जनशिकायत निवारण प्रणाली होनी चाहिए।

भारत में टेलीविजन दर्शकों की संख्या के आंकलन में शामिल कंपनियों में क्रॉस–होल्डिंग पर नियंत्रण के लिए विशेष दिशानिर्देश के लिए ट्राई से आग्रह किया गया था। बीएआरसी द्वारा टीआरपी आंकलन के स्वनियमन की दिशा में की गई प्रगति की समीक्षा एवं विचार विमर्श के लिए बीएआरसी, आईबीएफ, एएआई और एएसआई के प्रतिनिधियों और प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के बीच 2012 में बैठक आयोजित की गई। आईबीएफ ने हाल ही में सूचित किया कि बीएआरसी बोर्ड ने नवम्बर 2012 में तीन–सदस्यीय तकनीकी समिति गठित की है। बीएआरसी बोर्ड और तकनीकी समिति के अन्य सदस्यों को शामिल करने के लिए मित्रा समिति की सिफारिशों के अनुरूप तौर–तरीके तैयार किये जा रहे हैं। आईबीएफ ने सूचित किया कि नया रेटिंग मसौदा शुरू किया जाएगा ताकि रेटिंग की रिपोर्टिंग जनवरी 2014 से मार्च 2014 तक शुरू हो जाएगी।

सामुदायिक रेडियो

संचार विकास और लोकतंत्र की सफलता का केंद्र होता है। सामुदायिक रेडियो (सीआर) संचार का एक महत्वपूर्ण जरिया होता है, खासकर उन समुदायों के लिए जहां के ज्यादातर लोग न पढ़ सकते हैं। यह बेआवाजों को आवाज दिलाने का असाधारण और अदृश्य माध्यम है, क्योंकि यह माध्यम वंचित समुदायों को अपनी चिंताओं के बारे में खुलकर बोलने का अवसर प्रदान करता है।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन कम शक्ति वाले रेडियो स्टेशन होते हैं, जो स्थानीय समुदाय द्वारा संचालित किया जाता है। प्रारूपिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन कम कम 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में अच्छी तरह काम करता है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन के लिए एक साउंड–प्रूफ स्टूडियो, एक टावर, एक एंटीना, एक ट्रांसमीटर और अन्य संबंधित उपकरण की आवश्यकता होती है। एक बेसिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन 10 से 15 लाख रुपये की लागत से बनाया जा सकता है।

सामुदायिक रेडियो में स्थानीय समुदाय के सामाजिक ताने–बाने में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव लाने की पर्याप्त क्षमता है। भारत का पारम्परिक प्रसारण क्षेत्र ऐसे माध्यमों से भरा है जो एकतरफा रहे हैं और इनमें स्थानीय समुदाय की भागीदारी शायद ही कभी रही है। समाचार पत्र, दूरदर्शन सहित विभिन्न टेलीविजन चैनल और आकाशवाणी सहित विभिन्न रेडियो स्टेशन लोगों को एकतरफा संचार व्यवस्था मुहैया कराते हैं। ज्यादातर कार्यक्रम प्रमुख भारतीय भाषाओं में होते हैं और शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम होगा जिसमें अवधी, भोजपुरी आदि जैसी स्थानीय बोलियों में कार्यक्रम पेश किये जाते होंगे।

चूंकि सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) की अनुमति केवल नन–प्रॉफिट संगठनों को ही दी जाती है, इसलिए इनका उद्देश्य व्यावसायिक एफएम रेडियो स्टेशनों की तरह लाभ कमाना नहीं होता है। सीआरएस की जड़ स्थानीय समुदाय में होती है, जिसके कारण इसे स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा आदि के विकास लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिलता है। चूंकि प्रसारण स्थानीय भाषा में होता है, इसलिए लोग तत्काल खुद को इससे जोड़ पाने की स्थिति में होते हैं। सीआरएस स्थानीय लोक संगीतों और कलाओं का भंडार हो सकता है, क्योंकि संबंधित सीआरएस से जुड़ी स्थानीय आबादी इससे तत्काल जुड़ सकती है। सकारात्मक सामाजिक बदलाव के यंत्र के रूप में

तीसरे सामुदायिक रेडियो सम्मेलन के अवसर पर सामुदायिक रेडियो पर पहला लाईव ट्वीटर सम्मेलन

सीआरएस का अनोखा स्थान है और यही इसे सामुदायिक सशक्तीकरण का आदर्श निमित्त बनाता है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय संगठनों को सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के संचालन की अनुमति देने वाला नोडल मंत्रालय है। वर्ष 2002 में तैयार और 2006 में संशोधित सामुदायिक रेडियो नीति में सीआरएस की अनुमति की प्रक्रिया का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। हालांकि सामुदायिक रेडियो नीति कई साल से अमल में है, लेकिन इस दिशा में बहुत उत्साहवर्द्धक प्रगति नहीं हुई है। प्रमुख मंत्रालयों और विभागों के साथ–साथ निचले स्तर के संगठनों में भी सामुदायिक रेडियो नीति और इसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी का अभाव है और यह सीआरएस के कम विकास का प्रमुख कारण है। आवेदन की जटिल प्रक्रिया और अनुमति मिलने में देरी के कारण भी भारत में सामुदायिक रेडियो के विकास की गति कम रही है। इतना ही नहीं रेडियो स्टेशन स्थापित करने में वित्तीय समर्थन की कमी और परिचालन खर्च का अभाव भी इसके विकास के रास्ते में अवरोधक रहा है।

पिछले दो साल में इस क्षेत्र में छिपी क्षमताओं के दोहन के लिए काफी ठोस उपाय किये गए हैं। मौजूदा कार्यक्रम में व्यापक बदलाव किये गए हैं, जिसके कारण भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। सीआर स्टेशनों की ओर मंत्रालय के रवैये में बहुत बड़ा बदलाव आया है। अब मंत्रालय केवल लाइसेंस जारीकर्ता अथवा नियामक की भूमिका निभाने की बजाय इस प्रक्रिया को सुगम बनाने वाले की भूमिका निभा रहा है। भूमिका में इस बदलाव ने भारत में सामुदायिक रेडियो के विकास के लिए उत्प्रेरक का काम किया है और ढाई वर्ष में कई सीआर स्टेशनों को मंजूरी दी गई है। बेहतर समन्वय, जागरूकता, विभिन्न पक्षों के बीच गठजोड़ बढ़ाने तथा मंत्रालयों और विभागों की ज्यादा भागीदारी से आवेदन की प्रक्रिया सरल बनाई जा सकी है, आवेदनों की प्रोसेसिंग में पारदर्शिता लाई गई है, आवेदनों की मंजूरी की गति तेज हो सकी है।

संवाद का अधिकार सामुदायिक रेडियो का मूल मंत्र है। लोगों को अब तक सूचना हासिल करने वालों के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। सूचना के मौजूदा माध्यम में सहभागिता के भाव नहीं हैं। लेकिन अब लोग सामुदायिक रेडियो के माध्यम से विकास की प्रक्रिया में हिस्सा लेना शुरू कर रहे हैं। लोग अब यह तलाश रहे हैं कि वे भी अपने समुदाय और सरकार को बेशकमती सूचना प्रदान कर सकें। सामुदायिक रेडियो के माध्यम से एक और महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हो रही है और वह है– हमारे देश की अनोखी सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजा जाना, क्योंकि सामुदायिक रेडियो स्थानीय लोक संगीतों और लोकसाहित्यों के भंडारण के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अनेक सामुदायिक रेडियो स्टेशनों ने भावी पीढ़ी के लिए स्थानीय संगीतों को रिकॉर्ड किया है और संरक्षित किया है। लोगों के पास अब इन सांस्कृतिक धरोहरों तक पहुंच बनाने का अवसर है। इतना ही नहीं, सामुदायिक स्टेशनों ने स्थानीय कलाकारों के गीतों और कंसर्टों का प्रसारण करके नये स्थानीय सेलिब्रिटी तैयार करने शुरू कर दिये हैं। सामुदायिक रेडियो के रूप में स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक मंच हासिल हो गया है। सामुदायिक स्टेशनों ने इन गीतों–संगीतों के समृद्ध संग्रह तैयार कर लिये हैं।

सहयोग और संरक्षण की कमी के कारण देश के ज्यादातर हिस्सों में स्थानीय लोक संगीत और परम्पराएं मर रही हैं। सामुदायिक रेडियो इन संगीतों के लिए मसीहा बनकर उभरा है और मृतप्राय कलाओं में जान फूंक रहा है।

चुनौतियां

भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन के समक्ष फिलहाल अनेक चुनौतियां हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैंः–

- लाइसेंसिंग की जटिल प्रक्रिया
- वित्तीय संवहनीयता का अभाव
- सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के बारे में जागरूकता का अभाव
- तकनीकी क्षमता की कमी

भारत में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की स्थिति

सरकार को शिक्षण संस्थानों, गैर–सरकारी संगठनों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं कृषि विज्ञान केंद्रों से 1153 आवेदन प्राप्त हुए हैं। अभी तक, 418 आवेदकों को लेटर्स ऑफ इंटेंट (एलओआई) जारी किये जा चुके हैं। वर्ष 2010 में 77, 2011 में 100 और 2012 में 55 आवेदकों को अनुमति प्रदान की गई है। यह प्रदर्शित करता है कि 50 फीसदी से अधिक अनुमति पिछले ढाई वर्ष में प्रदान की जा चुकी है। कुल 418 एलओआई धारकों में से 189 ने 'ग्रांट ऑफ परमिशन एग्रीमेंट' (जीओपीए) पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।

fiNy o"k tkjh vk'k; i= ¼,yvkvkb½ dh l[;k fuEukfdr xkQ d tfj; n[kh tk ldrh g%

अब तक चालू 143 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों में 47 का संचालन गैर–सरकारी संगठनों द्वारा, 85 का संचालन शिक्षण संस्थानों द्वारा तथा 11 का संचालन कृषि विश्वविद्यालयों/किसान विकास केंद्रों द्वारा किया जा रहा है। इन रेडियो स्टेशनों की संख्या पिछले ढ़ाई साल में 64 से बढ़कर 143 पर पहुंच गई। ऑपरेशनल सीआरएस को नीचे दर्शाया गया है :

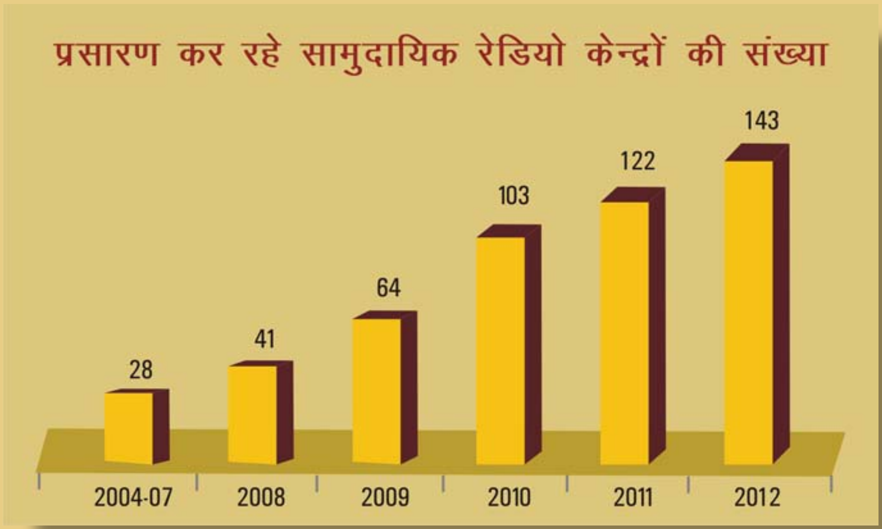

भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए मंत्रालय द्वारा उठाये गए कदम

1 vkonu dh ifØ;k e l/kkj% वेब–आधारित सीआरएमआईएस के शुरू होने से आवदेन प्रोसिसिंग की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आई है। कुल 1167 संगठनों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है, जिससे वे प्रत्येक चरण में अपने आवेदनों की प्रोसेसिंग की जानकारी लेते रहने में सक्षम होंगे। ऑनलाइन सिस्टम में ही भौगोलिक जानकारी और नक्शे उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय बिना समय गंवाए अनेक प्रकार की रिपोर्टें और दस्तावेज तथा आवेदकों के साथ संवाद पत्र जारी कर सकता है।

2 ykblsl ifØ;k dk lxe cukuk% अंतर–मंत्रीय क्लियरेंस/स्क्रीनिंग कमेटी क्लियरेंस की प्रक्रिया अधिक समय खाने वाली है। क्लियरेंसों को गति देने और संवादहीनता की स्थिति पर पार पाने के लिए यह मंत्रालय अन्य संबंधित मंत्रालयों और विभागों से प्रतिमाह समन्वय बैठक करता है। इसके अलावा, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें मिशन मोड में आयोजित की जाती हैं एवं सम्पूर्ण बैकलॉग को क्लियर किया जा चुका है। आज की तारीख में कोई भी प्रस्ताव एक महीने से अधिक से स्क्रीनिंग के लिए लंबित नहीं है। इन प्रयासों के कारण मंत्रालय अब चार से पांच महीने के भीतर लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर देता है। पहले इसमें कम से कम एक साल लग जाता था।

3 vfHkxE;rk e l/kkj% नये आवेदकों और कार्यरत सीआरएस दोनों की समस्याओं के समाधान के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में एक सुविधा केंद्र स्थापित किया जा चुका है। सुविधा केंद्र स्थापित किये जाने से सीआरएस के संदर्भ में महत्वपूर्ण

जानकारियों तक आम आदमी की अभिगम्यता अर्थात् पहुंच बढ़ी है। सुविधा केंद्र में तैनात प्रशिक्षित कर्मचारी आवेदकों और आगंतुकों को आवेदन संबंधी दस्तावेजी जरूरतें पूरी कराने में मदद करते हैं और बार–बार के आवंटन और डब्ल्यूपीसी विंग से एसएसीएफए क्लियरेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में मदद पहुंचाते हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक टॉल–फ्री नंबर भी शुरू किया गया है।

4 foRrh; fLFkfr esa lq/kkj % सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को डीएवीपी के पैनल में डालने की प्रक्रिया आसान बनाई गई है। सीआरएस को पहले वायरलेस ऑपरेटिंग लाइसेंस (डब्ल्यूओएल) के आधार पर ही पैनल में शामिल किया जा सकता है। नवीकृत डब्ल्यूओएल को पैनल में शामिल होने के एक साल के भीतर सौंपा जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप 25 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को पैनल में शामिल किया गया और उन्हें धन उपलब्ध कराया जा रहा है। करीब 30 सीआरएस पैनल में शामिल होने की ओर अग्रसर हैं। वर्ष 2011–11 के दौरान सीआरएस को 82,355 रुपये का और 2012–13 में 5,90,227 रुपये का योगदान राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के भारत निर्माण अभियान के तहत दिया गया। डीएवीपी द्वारा अभी तक जारी कुल रिलीज ऑर्डर 52,46,946 रुपये का है।

स्वास्थ्य मंत्रालय, पंचायती राज, उपभोक्ता मामलों और महिला एवं बाल विकास जैसे मंत्रालय भी अब इन सीआर स्टेशनों के साथ जुड़े हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने पोषकता की कमी के खिलाफ अभियान के तहत तीन साल की अवधि के लिए छह करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।

पहली बार, मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए 'सपोर्टिंग कम्युनिटी रेडियो मूवमेंट' नामक एक नयी योजना शुरू की है। नये और मौजूदा सीआर स्टेशनों को वित्तीय सहयोग के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं। इस योजना से नये और मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों कों सहयोग मिलेगा। प्रत्येक वर्ष 100 नये और 30 मौजूदा सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ के योजना व्यय से वर्ष 2012–13 के लिए 2.25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

5 ;kstuk dk izpkj&izlkj% भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन की सफलता के लिए जागरूकता पैदा करना जरूरी है। विभिन्न पक्षों के सहयोग से राज्य और क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशाला आयोजित करके मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो योजना को व्यापक प्रचार–प्रसार दिया है। वर्ष 2007 से लेकर अब तक 41 जागरूकता और क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। वित्त वर्ष के अंत तक पांच और कार्यशालाएं आयोजित होनी हैं।

6 jk"Vªh; lEesyu % सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के लिए नई दिल्ली में 7 से 9 अप्रैल 2011 तक प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 85 सीआरएस ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में पोस्टर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। पहली बार सीआर सार–संग्रह (कंपेंडियम) भी तैयार किया गया, जिसमें सीआरएस की सफलता की कहानियां, चुनौतियां आदि का संकलन किया गया है और इसे सभी संबंधित मंत्रालयों और विभागों के पास भेजा गया है। दूसरा राष्ट्रीय सीआर सम्मेलन एवं पोस्टर प्रदर्शनी का आयोजन नयी दिल्ली में ही 18 से 20 फरवरी 2012 तक किया गया था। इस सम्मेलन का सार–संग्रह भी तैयार किया गया। सामाजिक संदेश पहुंचाने के मामले में सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की क्षमता के दोहन को लेकर भी सार–संग्रह तैयार किया गया तथा इसे भी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सभी जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टरों को भेजा गया है।

7 jk'Vªh; lkeqnkf;d jsfM;ks iqjLdkj % वर्ष 2011–12 में मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों पर बेहतर कार्यक्रमों को लेकर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाने के लिए राष्ट्रीय सामुदायिक रेडियो पुरस्कार शुरू किया गया। ये पुरस्कार पांच श्रेणियों में दिया जाता है :–

(क) थीमेटिक पुरस्कार

(ख) कम्युनिटी इंगेजमेंट अवार्ड

(ग) स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देने से संबंधित पुरस्कार

(घ) सर्वाधिक रचनाशील/खोजपरक कंटेंट अवार्ड

(ङ) ससटेनेबिलिटी मॉडल पुरस्कार

प्रत्येक श्रेणी में पहले, दूसरे और तीसरे पुरस्कार क्रमशः 50,000 रुपये, 30,000 रुपये और 20,000 रुपये के हैं।

मंत्रालय की ओर से गठित एक स्वतंत्र जूरी यह तय करता है कि कौन सा सामुदायिक रेडियो स्टेशन पुरस्कार के लायक है। जूरी में न तो मंत्रालय और न ही किसी संगठन के वैसे प्रतिनिधि को शामिल किया जाता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सामुदायिक रेडियो से जुड़े होते हैं। पहला सामुदायिक रेडियो पुरस्कार नयी दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया गया।

8 **lkeqnkf;d jsfM;ks dks fy, LiSDVªe 'kqYd esa NwV %** दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बेतार नियोजन एवं समन्वय प्रकोष्ठ (डब्ल्यूपीसी) ने सामुदायिक रेडियो के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क और रॉयल्टी शुल्क 19,700 रुपये से बढ़ाकर 91,700 रुपये प्रतिवर्ष कर दिया था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दूरसंचार एवं आईटी मंत्रालय से इस फैसले पर फिर से विचार करने का आग्रह किया था। दूरसंचार एवं आईटी मंत्रालय के प्रेस विज्ञप्ति में छूट की बात कही गई है, लेकिन औपचारिक आदेश की प्रतीक्षा है।

9 **lhvkj uhfr 2006 dh lehf{kk %** मौजूदा नीति के करीब एक दशक पूरे हो चुके हैं और इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नीतिगत समीक्षा की सिफारिशें नयी दिल्ली स्थित आईआईएमसी में यूनेस्को के साथ मिलकर मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय मंत्रणा 2010 तथा दूसरे राष्ट्रीय सीआर सम्मेलन में भी की गईं हैं।

मौजूदा नीति का जायजा लेने और भविष्य की दिशा तय करने के लिए नयी दिल्ली में नौ और 10 मई 2012 को राष्ट्रीय मंत्रणा आयोजित की गई। सामुदायिक रेडियो संघों, चालू सीआर स्टेशनों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों, सीईएमसीए और संबंधित मंत्रालयों और विभागों के कम से कम 30 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।

10 **dUVsUV “ks;fjax lyqVQkeZ %** विभिन्न सामुदायिक रेडियो प्रसारकों के बीच कंटेंट शेयरिंग मंच तैयार करने की आवश्यकता महससू की गई। अनेक रेडियो स्टेशन विभिन्न विषयों पर भिन्न–भिन्न भाषाओं और स्थानीय बोलियों में कार्यक्रम प्रसारित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों को उसी क्षेत्र में साझा किया जा सकता है, ताकि दूसरे स्टेशनों से इसका प्रसारण हो सके। इससे प्रोडक्शन पर होने वाले खर्च में कमी आएगी और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को एक–दूसरे से सीखने का अवसर भी मिलेगा। एक गैर–सरकारी संगठन वन वर्ल्ड फाउंडेशन ने प्रसारण सामग्रियों के मुफ्त साझे के लिए एक वेबसाइट शुरू की है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन चाहें तो इस वेबसाइट से प्रसारण सामग्री डाऊनलोड या इस पर अपलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट को सकारात्मक लाभ हासिल करने के लिए इस्तेमाल के वास्ते मंत्रालय को सौंपा जा रहा है।

11 **Qslcqd ij lhvkj,l %** मंत्रालय ने फेसबुक पर एक समर्पित पेज शुरू किया है – 'कम्युनिटी रेडियो इंडिया।' ूणबिमइववाण्बवउ‥ बवउउनदपजलतंकपवपदकपं के जरिये इस पेज पर सीधे पहुंचा जा सकता है। इस पेज को पिछले तीन महीनों में 1300 से अधिक लोगों ने पसंद किया है।

इस पृष्ठ का उद्देश्य सामुदायिक रेडियो की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना और देश के 140 से अधिक ऑपरेटिंग सामुदायिक रेडियो स्टेशनों एवं अन्य अंशधारकों को इससे जोड़े रखना है। इस पेज से अंशधारकों को लाइसेंस की स्थिति की जानकारी, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों, अनुमति समझौते, नये सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को क्लियरेंस दिये जाने, परामर्श तथा कार्यक्रमों के बारे में अद्यतन जानकारी मिलती है। सामुदायिक रेडियो स्टेशन अपने रेडियो कार्यक्रमों, आगामी कार्यक्रमों, सफलता की कहानियों, फोटोग्राफ और अपनी चुनौतियों के बारे में जानकारियां साझा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं।

सफलता की कहानियां एवं नई पहल

रेडियो संस्कार, ओडिशा

जादूमणि स्वैन (45) के पास करीब पांच एकड़ जमीन थी, लेकिन नौकरी की तलाश में जुटे थे। रेडियो संस्कार पर अनुभूति कार्यक्रम सुनने के बाद उन्होंने खेती को आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद बनाने की सोची। स्टेशन टीम ने उन्हें जिला अधिकारियों से मिलाया। उन्हें पिछले खरीफ मौसम में लिए फसल ऋण दिया गया।

रेडियो एक्टिव, बेंगलुरू

पिछले पांच साल से इसके सफल संचालन के दौरान रेडिया एक्टिव बेंगलुरू ने साझेदारी और नेटवर्क का महत्व समझा। साझेदारी संबंधी अपने रुख की वजह से रेडियो एक्टिव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन राउंडटेबल, राइट टू एजुकेशन टास्क फोर्स और कूड़ा चूनने वालों के संगठन–हासिरु डाला' का सहयोगी बन चुका है। रेडियो एक्टिव के प्रयासों की वजह से 12 समुदाय इसके सहयोगी बन गए हैं।

रेडियो नमस्कार, ओडिषा

यह रेडियो स्टेशन पुरी जिले के ककतपुर ब्लॉक के कदुआ नुआगांव पंचायत के ताइलो में 'सभी के लिए शिक्षा' का प्रणेता बना है। यह रेडियो स्टेशन स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या लगातार जारी करता रहा और अंततः प्रशासन ने नये प्रोजेक्ट स्कूल की घोषणा की, जिसने स्कूलों में अधिक से अधिक बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए 24 मई 2010 से काम करना शुरू किया। रेडियो नमस्कार ने समेकित बाल विकास योजना (आईसीडीएस) से कीट–प्रभावित खाद्यान्न के संदर्भ में अभियान शुरू किया।

स्वरअनंत रेडियो, महाराष्ट्र

कॉथ गांव का किसान मुरलीधर मनवातकर स्वरअनंत सामुदायिक रेडियो पर कृषि प्रौद्योगिकी कार्यक्रम 'शेताच्या बंधवार' के प्रसारण से प्रभावित थे। कार्यक्रम सुनने के बाद उन्होंने फसल बोने के लिए एक ट्रैक्टर खरीदने का फैसला किया, ताकि उनकी जोत लागत कम हो सके। उन्हें अपने कृषि यंत्रों के किराये से भी आय हुई। प्रौद्योगिकी प्रसार कार्यक्रम से दूसरे किसान भी लाभान्वित हुए। उनकी कृषि लागत कम हुई और अपेक्षाकृत अधिक उत्पादन भी मिला।

ज्योतिर्गमय रेडियो

bukoa'kU l bu QkeV % रेडियो ज्योतिर्गमय का 15 मिनट का एक कार्यक्रम है –'एक कहानी', जो उन लोगों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है जिनके पास विशेष प्रतिभा की कमी होती है, लेकिन वे लोक कथा या अन्य तरह की कहानी कहते हैं। इस कार्यक्रम में बच्चें और बुजुर्ग–सभी हिस्सा लेते हैं।

इस समुदाय के बच्चों को इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने का प्रशिक्षण दिया जाता है और उन्हें इस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का रेडियो जॉकी बनने का अवसर भी उपलब्ध कराया जाता है।

पंजाब विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज के छात्रों ने 72–घंटे का सीधा प्रसारण किया, जिसने सामुदायिक सदस्यों को कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए स्टूडियो पहुंचने के वास्ते प्रेरित किया।

भारत में निजी एफएम रेडियो सेवाओं की स्थिति

सरकार ने निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण के लिए 1999 में पहले चरण की नीति लागू की। इस चरण के तहत 12 शहरों में कुल 21 निजी एफएम रेडियो चैनलों ने अपनी सेवाएं शुरू की। डॉ. अमित मित्रा समिति और ट्राई की सिफारिशों के आधार पर मंत्रालय ने लाइसेंस जारी करने के लिए एफएम चरण–दो के तहत दो चरण में बोली प्रक्रिया अपनाई थी। एफएम चरण–दो बहुत ही सफल रहा और देश के 85 शहरों में एफएम चैनलों की संख्या 245 तक पहुंच गई।

सरकार को प्राप्त राजस्व

चालू वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान सरकार ने निजी एफएम रेडियो ऑपरेटरों से लाइसेंस शुल्क के तौर पर 27 फरवरी 2013 तक 60.95 करोड़ रुपये अर्जित किये हैं। सरकार को वन टाइम इंट्री फी (ओटीईएफ), माइग्रेशन शुल्क, वार्षिक शुल्क आदि के रूप में 27 फरवरी 2013 तक करीब 1846.65 करोड़ रुपये कुल राजस्व मिला।

म्यूजिक रॉयल्टी का मुद्दा

रॉयल्टी शुल्क निजी एफएम रेडियो उद्योग की व्यावहारिकता को प्रभावित करने वाली प्रमुख समस्याओं में से

ज्ञान तरंग सामुदायिक रेडियो का प्रस्तोता एक रिक्शा चालक का इंटरव्यू लेते हुए

भारत के पहले सामुदायिक रेडिया केन्द्र अनारा (तमिलनाडु) द्वारा संगीत प्रतिभा खोज का एक कार्यक्रम

मदुरैइ (तमिलनाडु) के वयालागा सामुदायिक रेडिया केन्द्र की एक आउटडोर रिर्काडिंग

संगम रेडियो (आंध्र प्रदेश) की एक फील्ड रिर्काडिंग

चंदेरी की आवाज (मध्यप्रदेश) सामुदायिक रेडियो द्वारा लोक संगीत की विरासत को संजोने का प्रयास

एक रहा है। यह मसला कॉपीराइट बोर्ड के पास लंबित है, जिसने 25 अगस्त 2010 को व्यवस्था दी थी कि निजी एफएम रेडियो ऑपरेटर विज्ञापन राजस्व से प्राप्त कुल राशि का दो प्रतिशत रॉयल्टी के रूप में देंगे। यह निजी रेडियो उद्योग के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि कॉपीराइट बोर्ड के इस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई है।

एमएफ रेडियो के जरिये सरकारी विज्ञापन के लिए रेटकार्ड

विभिन्न शहरों में हाल के वर्षों में एफएम रेडियो चैनलों के विस्तार के साथ ही निजी एफएम स्टेशनों में सरकारी विज्ञापनों की घटती–बढ़ती दरें समय–समय पर निर्धारित होती रहती हैं। इस कारण दरों में अनेक विसंगतियां आती हैं, जिन्हें दुरुस्त किये जाने की आवश्यकता है। अतः सभी शहरों में दर निर्धारित करने की समान नीति बनाने और विसंगतियों को दूर करने के लिए मंत्रालय के तहत समिति गठित की गई है, जिसमें डीएवीपी, एनएफडीसी, आईएमसी और आकाशवाणी के प्रतिनिधि शामिल किये गए हैं। समिति ने कंसलटेशन का काम पूरा करके अपनी रिपोर्ट सरकार को विचारार्थ सौंप दी है।

एफएम रेडियो की विस्तार योजना

निजी कंपनियों के लिए एफएम रेडियो सेक्टर का द्वार खोल दिये जाने के बाद इस क्षेत्र ने विकास की ऊंची छलांग लगाई है। इससे रोजगार के नये क्षेत्र विकसित हुए हैं। साथ ही, एफएम रेडियो सेवाओं के लिए तय स्पेक्ट्रम के प्रभावी इस्तेमाल से सरकारी राजस्व हासिल करने की भी क्षमता इस क्षेत्र में है। अनेक शहरों में एफएम रेडियो की मांग अभी पूरी नहीं हुई है। ऐसे शहरों में निजी एफएम रेडियो प्रसारण का क्षेत्र अभी खाली है, क्योंकि एफएम रेडियो के पहले दो चरणों में राज्य की राजधानियों के अलावा तीन लाख की आबादी वाले कुछ सीमित शहरों के लिए ही बोली प्रक्रिया शुरू की गई थी। सीमावर्ती क्षेत्र, खासकर जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्य और द्वीप क्षेत्र एफएम के नक्शे से पूरी तरह गायब है। निजी एफएम रेडियो प्रसारण की अप्रयुक्त क्षमता के दोहन के लिए सरकार तीसरे चरण का दिशा–निर्देश जारी करके एफएम रेडियो नेटवर्क के विस्तार की योजना बना रही है। सात जुलाई, 2011 को मंत्रिमंडल ने निजी एजेंसियों के माध्यम से एफएम रेडियो प्रसारण सेवा के विस्तार के लिए दिशा–निर्देश (तीसरे चरण) को मंजूरी दी। नीतिगत दिशानिर्देश 25 जुलाई 2011 को अधिसूचित किए गए। एफएम फेज–तीन के लिए दूरसंचार विभाग के 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी प्रक्रिया की तर्ज पर एफएम चैनलों की आरोही अर्थात् बढ़ते हुए क्रम में ई–नीलामी के जरिये अनुमति दी जाएगी।

इस नीति के तहत एफएम सेवाएं मौजूदा 86 नगरों के अलावा अन्य 227 शहरों में बढ़ाई गई हैं। 294 शहरों में कुल 839 नये एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी की जाएगी। तीसरे चरण की नीति के तहत कम से कम एक लाख की आबादी वाले शहरों में निजी एफएम सेवाएं शुरू की जाएंगी। तीसरे चरण की विस्तृत नीति मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और द्वीप क्षेत्रों के लिए इस नीति के तहत निर्धारित इंसेंटिव के कारण इन इलाकों में एफएम रेडियो चैनलों का परिचालन व्यावहारिक भी होगा और नयी–नयी कंपनियां या समूह इसमें रुचि भी दिखाएंगे। नयी नीति के तहत किये गए इन उपायों से परिचालन लागत कम होगी और सामान्य तौर पर व्यवहार्यता में भी सुधार होगा। एफएम चरण–तीन के तहत डी श्रेणी के शहरों में अधिक से अधिक चार चैनलों की मंजूरी दी जानी है, लेकिन ऐसे शहरों में एफएम चैनलों को आकृष्ट करने के लिए यह संख्या घटाकर तीन कर दी गई है, ताकि विज्ञापनों में ऑपरेटरों की हिस्सेदारी अधिक बने। कंपनियों या समूहों के प्रोमोटरों और प्रमुख शेयरधारकों की शेयरहोल्डिंग की अवधि पांच साल से घटाकर तीन साल करने से उन्हें शेयरहोल्डिंग पैटर्न बदलने की आजादी भी होगी।

आकाशवाणी की न्यूज बुलेटिन के माध्यम से, खेल प्रतियोगिताओं की कवरेज, मौसम, यातायात, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्व–त्योहारों, प्रवेश–परीक्षा और उनके परिणाम आदि की जानकारी तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को लेकर विविधतापूर्ण प्रसारण सामग्रियों के कारण ऑपरेटर खुद को दूसरों से अलग साबित कर सकेंगे और संबंधित श्रोताओं को आकर्षित कर सकेंगे।

तीसरे चरण की एफएम रेडियो नीति का क्रियान्वयन

चैनलों के लिए ई–नीलामी बैचों में की जाएगी और बैचों की संख्या का

निर्धारण सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय करेगा। यह पहले बैच की नीलामी के बाद बोली प्रक्रिया में भाग लेने वाली कंपनियों के रुझान पर निर्भर होगा। मंत्रालय ई–नीलामी के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ एजेंसी नियुक्त करेगाा। इसके लिए स्थापित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भविष्य में अलग से एक विस्तृत सूचना ज्ञापन जारी होगा, जिसमें शहरवार आरक्षित मूल्य, प्रत्येक बैच में हिस्सा लेने वाले चैनलों की संख्या तथा ई–नीलामी की अन्य प्रक्रियाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि प्रत्याशित बोलीकर्ता उनके आधार पर नीलामी की प्रक्रिया में भाग ले सकें। आने वाले समय में नीलामी में भागीदारी के लिए 'नोटिस इन्वाइटिंग एप्लीकेशन्स' (एनआईए) भी जारी किया जाएगा।

तीसरे चरण की नीति के क्रियान्वयन के क्रम में मंत्रालय में दो समितियां यथा– अंतर–मंत्रीय समिति और आवेदन समीक्षा समिति गठित की गई हैं। आईएमसी एफएम रेडियो (फेज–3) विस्तार योजना के तहत एफएम चैनलों को लाइसेंस दिये जाने के लिए ई–नीलामी के संचालन, जबकि एआरसी बोलीकर्ताओं की छंटनी का काम देखेगी।

हालांकि तीसरे चरण की नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाते वक्त माइग्रेशन शुल्क, रिक्वेस्ट फॉर प्रोपोजल (आरएफपी) आदि जैसी कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं, जो तीसरे चरण की नीति में शामिल नहीं हैं। ट्राई ने इंटर चैनल स्पेसिंग को 800 किलो हट्र्ज से घटाकर 400 किलो हट्र्ज करने की सिफारिश की है, जिससे अतिरिक्त चैनलों (1480) की संभावना बढ़ गई है। इस पर अभी निर्णय लिया जाना है कि क्या इनकी नीलामी तीसरे चरण की एफएम नीति के तहत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार ही की जाएगी? इन मुद्दों पर मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया जा चुका है।

30 नवम्बर 2012 तक निजी एफएम स्टेशनों का परिचालन

देश में मौजूदा समय में चल रहे निजी एफएम रेडियो स्टेशनों और तीसरे चरण में प्रस्तावित निजी एफएम रेडियो स्टेशन नक्शे में दर्शाए गये हैं।

वर्ष की झलकियां

30 नवम्बर 2012 तक देश के 85 शहरों में अपनी सेवाएं दे रहे निजी एफएम रेडियो चैनलों की संख्या 245 है। तीसरे चरण की एफएम नीति के तहत करीब 227 नये शहरों में निजी एफएम रेडियो सेवाएं विस्तारित की गई हैं। तीसरे चरण के तहत 839 नये निजी एफएम रेडियो चैनल स्थापित किये जाने की संभावना है।

नयी पहल

निजी रेडियो प्रसारण के क्षेत्र की अप्रयुक्त क्षमता के मद्देनजर सरकार ने तीसरे चरण के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार निजी एफएम नेटवर्क के विस्तार का फैसला किया है। मंत्रिमंडल ने 7 जुलाई 2011 को निजी एजेंसियों के माध्यम से तीसरे चरण में एफएम रेडियो प्रसारण की विस्तार योजना के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रस्तावित नीतिगत दिशानिर्देशों को मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल ने एफएम रेडियो चैनलों की आरोही क्रम में ई–नीलामी के मंत्रालय के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी थी। फेज–तीन के लिए मंत्री समूह द्वारा तय लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अनुरूप वह नीति अपनाई जानी थी जिसके आधर पर दूरसंचार विभाग ने 3जी और बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम की नीलामी की थी। फेज–तीन नीति के तहत एफएम सेवाएं मौजूदा 86 नगरों के अलावा अन्य 227 शहरों में बढ़ाई गई हैं। 294 शहरों में कुल 839 नये एफएम रेडियो चैनलों की नीलामी की जाएगी। तीसरे चरण की नीति के तहत एक लाख और इससे अधिक की आबादी वाले सभी शहरों में निजी एफएम चैनल शुरू कराए जाएंगे।

प्रसार भारती

प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) देश का लोक सेवा प्रसारक है और ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इसके दो घटक हैं। प्रसार भारती 23 नवम्बर 1997 को अस्तित्व में आया, जिसका उद्देश्य जनता को जानकारी उपलब्ध कराना, शिक्षित बनाना तथा मनोरंजन के लिए लोक प्रसारण सेवाएं संचालित करना तथा देश में प्रसारण क्षेत्र का संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

प्रसार भारती बोर्ड ने एक अप्रैल से 31 दिसम्बर 2012 तक चार बैठकें आयोजित की हैं और प्रसार भारती के गठन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनेक नीतिगत फैसले लिए हैं।

इस अवधि के दौरान प्रसार भारती द्वारा लिए गए फैसले तथा प्रसार भारती के संदर्भ में सरकार द्वारा हाल में लिए गए फैसले आगे दिये जा रहे हैं :–

विभिन्न चरणों के दौरान कार्यरत और प्रस्तावित निजी एफएम स्टेशन

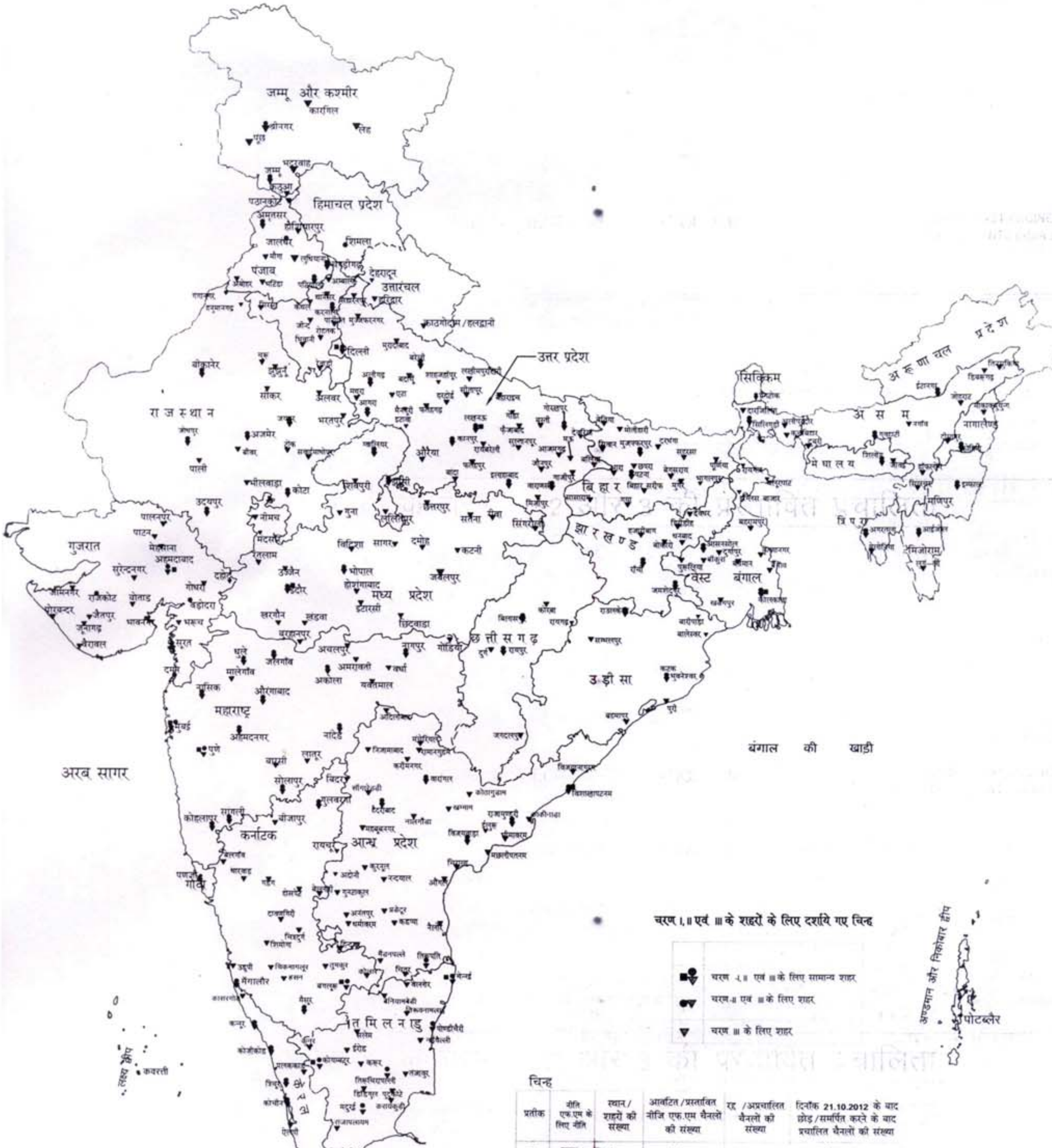

चिन्ह

प्रतीक	नीति एफ.एम के लिए नीति	स्थान / शहरों की संख्या	आवंटित /प्रस्तावित नीजि एफ.एम चैनलो की संख्या	रद्द /अप्रचालित चैनलों की संख्या	दिनाँक 21.10.2012 के बाद छोड़ /समर्पित करने के बाद प्रचालित चैनलों की संख्या
■	चरण-I	12	21	-	21
●	चरण-II	87	245	20 / 1	224
▼	चरण -III	313	839 (प्रस्तावित)	-	-

THIS DRAWING IS COPYRIGHT AND THE PROPERTY OF "B E C I L" AND IS NOT TO BE REPRODUCED, COPIED HANDED OVER TO A THIRD PARTY OR USEDFOR ANY PURPOSE OTHER THAN THAT FOR WHICH IT HAS BEEN ISSUED.

Map No. BECIL/FM/E&P/STATION/001/A

BECIL

BROADCAST ENGINEERING CONSULTANTS INDIA LIMITED

HEAD OFFICE:- 14-B, RING ROAD, I. P. ESTATE, NEW DELHI-110 002 (INDIA),

Tele:- 2337 8823, Fax No. 2337 9885

तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित छठे वार्षिक मनोरंजन और मीडिया शिखर सम्मेलन–फोकस 2012 को संबोधित करते हुए

वित्तीय पुनर्सरचना

सरकार ने अगस्त 2012 में प्रसार भारती की वित्तीय पुनर्संरचना को मंजूरी दी, जिसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :–

1. अगले पांच वर्ष (2012–13 से 2016–17 तक) के दौरान प्रसार भारती को वेतन एवं इससे जुड़े अन्य खर्चों के लिए सरकार शत–प्रतिशत गैर–योजना सहायता देगी। प्रसार भारती अन्य सभी परिचालन व्यय आंतरिक राजस्व प्राप्ति से पूरा करेगा।

2. सरकार द्वारा प्रसार भारती को दी जाने वाली योजना पूंजी तत्काल प्रभाव से सहायता अनुदान के रूप में ही होगी, न कि ऋण के रूप में।

3. स्थायी ऋण पर ब्याज, पूंजीगत ऋण पर ब्याज एवं दंडात्मक ब्याज को माफ करने के प्रसार भारती के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है और पूंजीगत ऋण सहायता अनुदान के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।

4. स्पेस सेगमेंट और स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में प्रसार भारती पर 31 मार्च 2011 तक 1349. 54 करोड़ रुपये के कुल बकाये को माफ करने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है।

5. प्रसार भारती अधिनियम 1990 की धारा 16(ए) के प्रावधानों के तहत पूंजी एवं परिसम्पत्तियों को बुक वैल्यू पर प्रसार भारती को हस्तांतरित किया जाएगा। उसकी भविष्य की कीमत तय करने के लिए सामान्य लेखा सिद्धांतों का अनुसरण किया जाएगा।

6. केंद्रीय राजस्व अंकेक्षण महानिदेशक प्रसार भारती के नोडल ऑडिटर बने रहेंगे और वार्षिक लेखा अंकेक्षण के लिए योग्य व्यावसायिक लेखा कर्मचारी उनकी सहायता करते रहेंगे।

सरकार ने अपने फैसले से प्रसार भारती के लंबे समय से लंबित वित्तीय मामलों का ध्यान रखा है।

कर में छूट

मूल प्रसार भारती अधिनियम की धारा 22 के तहत प्रसार भारती को आयकर या किसी प्रकार की आय, लाभ या फंड आदि पर कर में छूट दी गई थी, लेकिन इस धारा को 2003 में समाप्त कर दिया गया था। अब एक बार फिर प्रसार भारती को आठ मई 2012 को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक के तहत आयकर छूट दी गई है।

नयी पेंशन योजना

पहली जनवरी 2004 से प्रभावी और स्वायत्त इकाई के कर्मचारियों पर लागू अंशदायी पेंशन योजना (नयी पेंशन योजना) एक जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त प्रसार भारती कर्मचारियों पर भी लागू होगी।

कर्मचारियों के कल्याण के लिए कल्याणकारी कोष

दुर्घटना, गंभीर बीमारी और मौत जैसी अकास्मिक आपदाओं से निपटने में कर्मचारियों और उनके परिजनों को मदद के लिए प्रसार भारती बोर्ड ने कल्याणकारी कोष स्थापित करने का फैसला किया। इस कोष का इस्तेमाल गम्भीर जरूरत के वक्त तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में किया जाएगा। कोष के लिए प्रसार भारती निगम एक करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगा और प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपये अतिरिक्त जोड़ेगा। कर्मचारी 100 रुपये की वार्षिक ग्राहकी का भुगतान करेंगे।

आर्थिक बदहाली से गुजर रहे कलाकारों और लेखकों को सहायता

प्रसार भारती का उन कलाकारों और लेखकों के प्रति दायित्व है, जिन्होंने आकाशवाणी के लिए उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध कराई है और अब वित्तीय बदहाली से गुजर रहे हैं। ऐसे कलाकार और लेखक अब प्रसार भारती से मदद पा सकेंगे। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु से अधिक के 5000 रुपये से कम आय वाले व्यक्ति, योजना की अन्य शर्तों के अनुसार, प्रति माह 6000 रुपये पा सकेंगे और बी ग्रेड के कलाकारों और लेखकों को क्रमशः 4000 और 3000 रुपये मिल सकेंगे।

भर्ती

प्रसार भारती में प्रोन्नतियां फिर से शुरू करने और भर्तियों में तेजी लाने के निगम के फैसले के तहत संघ लोक सेवा आयोग जैसे संस्थानों या डीओपीएंडटी जैसे विभागों के सेवानिवृत्त अनुभवी व्यक्तियों की विशेषज्ञ समिति गठित की जाएगी, जो डीपीसी से संबंधित सभी मुद्दों का विश्लेषण करेगी। इस समिति के प्रस्तावों की समीक्षा के लिए सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी।

प्रसार भारती बोर्ड के आग्रह पर, कर्मचारी चयन आयोग 4600 रुपये से कम ग्रेड वाले केंद्रीय पदों के लिए भर्ती करने पर सहमत हो गया है।

बोर्ड ने संशोधित भर्ती नियमन मसौदे को मंजूरी दी है। मसौदे को सरकारी अधिसूचना के लिए भेजा गया है। भर्ती बोर्ड की स्थापना के लिए संशोधित अधिसूचना को मंजूरी दी गई थी, जिसे प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) भर्ती बोर्ड प्रतिष्ठान नियम 2012 नाम दिया गया है। इस संशोधित मसौदे को अधिसूचना के लिए सरकार के पास भेजा गया है।

महत्वपूर्ण पदों का पुनर्सृजन

मंत्रियों के समूह ने 2007 तक करीब 12000 रिक्तियों में से 3452 महत्वपूर्ण रिक्तियों की पहचान की गई है। प्रसार भारती ने इन महत्वपूर्ण रिक्त पदों में से 1150 पर भर्ती को मंजूरी प्रदान कर दी है।

प्रतिभावान प्रोफेशनलों को नियुक्त करना

निगम को एंकर, प्रेजेण्टरों एंड मॉडरेटरों, स्टुडियो/कैमरा तकनीशियनों के साथ ही मार्केटिंग, चैनल सुधार, न्यू मीडिया, कॉरपोरेट कम्यूनिकेशन, पब्लिसिटी और प्रोमोशन, मानव संसाधन विकास, वित्तीय प्रबंधन आदि विभागों को बेहद कुशल और प्रतिभावान प्रोफेशनलों की आवश्यकता है। निगम में प्रतिभावान व्यक्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कमोबेश मौजूदा बाजार मूल्य पर निर्धारित करार के तहत प्रोफेशनल नियुक्त किये जाएंगे।

डीटीएच प्लेटफॉर्म का विस्तार

पांचवे ट्रांसपोंडर का इस्तेमाल करके दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म का विस्तार 59 से 75 चैनलों तक करने के लिए बोर्ड के दिसम्बर 2011 के फैसले के परिणामस्वरूप अंतरिक्ष विभाग ने इसके लिए दूरदर्शन को अतिरिक्त केडब्ल्यू ट्रांसपोंडर आवंटित किये हैं। प्रसार भारती बोर्ड ने छठे ट्रांसपोंडर का इस्तेमाल करके डीटीएच प्लेटफॉर्म का विस्तार मौजूदा 59 चैनलों से 97 चैनलों तक करने का फैसला लिया है।

ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के अभिलेखागार

आकाशवाणी और दूरदर्शन की सामग्रियों के अभिलेख बनाने तथा स्थानीय दूरदर्शन और आकाशवाणी केंद्रों के पास उपलब्ध सामग्रियों की उपलब्धता के क्षेत्र में किये जा रहे हालिया प्रयासों के परिणामस्वरूप बोर्ड ने विभिन्न आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्रों पर स्थानीय 'आर्काइव अप्राइजल कमेटी' गठित करने की मंजूरी दी है।

स्थानीय स्तर पर प्रोग्रामिंग : (नैरोकास्टिंग)

प्रसार भारती भारत का राष्ट्रीय लोक सेवा प्रसारक है, जिसका गठन प्रसार भारती अधिनियम 1990 के तहत किया गया था। इसके गठन का उद्देश्य शिक्षा और साक्षरता बढाने, कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यावरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, महिला उत्थान, सामाजिक न्याय संवर्धन, समाज के कमजोर तबके तथा आदिवासी समुदायों के कल्याण को आगे बढाने की दिशा में विशेष ध्यान देना है।

प्रसार भारती अपने दो घटकों – आकाशवाणी और दूरदर्शन– के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करता है। कम से कम 22 अधिसूचित भाषाओं और 146 अन्य भाषाओं/बोलियों में प्रसारण कर रही आकाशवाणी जहां अपने क्षेत्रीय और स्थानीय केंद्रों के माध्यम से इस उद्देश्य की पूर्ति उचित तरीके से कर रही है, वहीं दूरदर्शन का स्थानीय कवरेज बहुत ही सीमित है। पूरे देश में 67 दूरदर्शन केंद्र हैं, जो प्रतिदिन कई घंटे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इनका कवरेज संबंधित केंद्र के इलाकों पर केंद्रित होता है। इस सीमा को आगे बढ़ाने के लिए दूरदर्शन के तत्कालीन निदेशक डॉ. एस वाई कुरैशी ने 2002 में नैरोकास्टिंग का विचार प्रस्तुत किया था। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दूरदर्शन के 12 केंद्रों से प्रतिदिन आधे घंटे और सप्ताह में पांच दिन यह योजना 21 अप्रैल 2004 को शुरू की गई थी। फरवरी 2005 में बोर्ड ने चार–पांच की ट्रांसमीटरों वाले 36 क्लस्टरों पर यह सेवा शुरू करने के लिए इस योजना का विस्तार 36 केंद्रों तक किया था। ये कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक (सप्ताह में पांच दिन) प्रसारित करने के लिए तैयार किये जाते थे।

बोर्ड ने नैरोकास्टिंग योजना को आगे ले जाने का फैसला किया है और इसमें क्षेत्र विशेष से जुड़े कार्यक्रमों को समाहित किया गया तथा सुदूर इलाकों में स्थित 10 से 12 किलोमीटर की संप्रेषण क्षमता वाले 200 से अधिक वैसे चयननित ट्रांसमीटरों को इसमें शामिल किया गया, जो देश में विकास की प्रक्रिया में कदम से कदम मिलाकर चल पाने में असमर्थ रहे हैं। जंगलों और आदिवासी इलाकों में, सुदूर ग्रामीण इलाकों और सीमावर्ती क्षेत्रों में वंचित रह गए लोगों की आकांक्षाओं के परिपेक्ष्य में डॉ. एस वाई कुरैशी की अध्यक्षता में लोकवाणी समिति गठित की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अंतर्राष्ट्रीय संधियों पर अमल और कार्यक्रमों एवं तकनीकी प्रकोष्ठ को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए प्रसार भारती बोर्ड ने निम्नलिखित कदमों को मंजूरी दी हैः–

क. तुलनात्मक टाइम स्लॉट के दौरान दूरदर्शन और उसके समकक्षों के बीच कार्यक्रमों का विनिमय अर्थात् अदला–बदली, जिस पर डबिंग के अलावा कोई और खर्च नहीं होगा।

ख. खासकर, समतुल्य आधार पर फीचर फिल्मों की अदला–बदली और उपयुक्त वैध दस्तावेज

ग. आईपीटी को बरकरार रखते हुए उपयुक्त समझौते और आर्थिक संभाव्यता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सह–उत्पादन। इससे प्रोग्रामिंग आदि में पारस्परिक सहयोग द्वारा विदेशी प्रसारकों के साथ संबंध मजबूत होंगे।

घ. प्रशिक्षण में सहभागिता और अच्छे कार्यों को आत्मसात करके मानव संसाधन विकास को दुरुस्त किया जाना

ङ. डीडी और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से संबद्ध संस्थानों के पास उपलब्ध सामग्रियों के साथ एक–दूसरे के साथ टेलीविजन फेस्टिवल का आयोजन

च. अंतरराष्ट्रीय रेडियो म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन करना

दूरदर्शन

दिल्ली में सितम्बर 1959 में प्रयोग के तौर पर सेवा शुरू करने वाले दूरदर्शन ने बाद के वर्षों में जोरदार विकास किया है और दुनिया के शीर्ष टेलीविजन संस्थानों में खुद को शुमार कर लिया है। बीते वर्षों में दूरदर्शन ने

'कश्मीर से कन्याकुमारी' तक न केवल अपने नेटवर्क का विस्तार किया है, बल्कि टेलीविजन प्रसारण के क्षेत्र में नयी प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में सामंजस्य भी स्थापित किया है। दूरदर्शन फिलहाल 33 सेटेलाइट चैनलों का संचालन कर रहा है और इन–हाऊस कार्यक्रमों के निर्माण के लिए इसके पास 67 स्टूडियो का व्यापक नेटवर्क भी है। इनमें 17 प्रमुख स्टूडियो केंद्र राज्यों की राजधानियों में हैं, जबकि एक क्षेत्रीय प्रोडक्शन सेंटर गुवाहाटी में स्थित है। देश के विभिन्न हिस्सों में 49 अन्य स्टूडियो केंद्र भी कार्यरत हैं। इन स्टूडियो केंद्रों का राज्यवार ब्यौरा पृष्ठ 151 पर दिया गया है। इसके अलावा, विभिन्न क्षमता वाले 1415 ट्रांसमीटर देश की करीब 92 फीसदी आबादी को टीवी सेवा मुहैया कराते हैं। साथ ही दूरदर्शन फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा भी उपलब्ध करा रहा है।

दूरदर्शन सेटेलाइट चैनल

दूरदर्शन फिलहाल 33 सेटेलाइट चैनलों का संचालन कर रहा है। इन चैनलों का विस्तृत ब्यौरा http://www.ddindia.gov.in पर उपलब्ध है।

टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर

टेरेस्ट्रियल ट्रांसमिशन के लिए देश के इस छोर से लेकर उस छोर तक लगाए गए विभिन्न क्षमता वाले 1415 टीवी ट्रांसमीटरों का ब्यौरा इस प्रकार हैः

सेवा	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	ट्रांसपोज़र	कुल
डीडी1 ट्रांसमीटर	137	733	354	18	1242
डीडी न्यूज ट्रांसमीटर	73	79	17		169
अन्य ट्रांसमीटर (डिजिटल)	4				

ट्रांसमीटरों का राज्यवार ब्यौरा पृष्ठ 152–153 पर दिया गया है। टेरेस्ट्रियल मोड में डीडी1 (राष्ट्रीय) चैनल से अनुमानतः देश की करीब 92 प्रतिशत आबादी को कवरेज प्राप्त होता है। डीडी न्यूज चैनल की पहुंच 49 प्रतिशत आबादी तक है। डीडी1 और डीडी न्यूज चैनलों का क्षेत्रवार अनुमानित कवरेज क्रमशः 81 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है।

फ्री–टू–एयर डीटीएच "डीडी डायरेक्ट प्लस"

दूरदर्शन ने दिसम्बर 2004 में अपनी फ्री–टू–एयर डीटीएच सेवा "डीडी डायरेक्ट प्लस" शुरू की थी, जिसके गुलदस्ते में 33 टीवी चैनल शामिल हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटरों से अब तक अछूते रहे इलाकों में टीवी कवरेज उपलब्ध कराना है। डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता अब 59 चैनलों तक बढाई जा चुकी है। अंडमान निकोबार को छोड़कर देश के किसी भी भाग में एक छोटे आकार की डिश की मदद से डीटीएच सिगनल प्राप्त किये जा सकते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लिए सितम्बर 2009 में सी–बैंड में डीटीएच सेवा शुरू की गई है, जिसके गुलदस्ते में 10 चैनल हैं।

2012–13 के दौरान विकासात्मक गतिविधियां

डिजिटलीकरण

आंशिक रूप से डिजिटलीकृत 31 और आठ एनालॉग स्टूडियो के पूर्ण डिजिटलीकरण की परियोजना पर अमल किया जा रहा है (अनुलग्नक–तीन–पृष्ठ 155)। इसके लिए आवश्यक सभी उपस्करों की खरीदारी कर ली गई है और उन्हें लगाने की प्रक्रिया जारी है। उपरोक्त वर्णित स्टूडियो का पूर्ण डिजिटलीकरण 2013 में पूरा हो जाने का अनुमान है।

उच्च क्षमता वाले 40 डिजिटल ट्रांसमीटरों को लगाने की परियोजना पर अमल किया जा रहा है (स्थानों के नाम अनुलग्नक–चार में दिये गए हैं)। पहले चरण में 19 डिजिटल ट्रांसमीटर लगाये जाने हैं और शेष 21 डिजिटल ट्रांसमीटर दूसरे चरण में लगाए जाएंगे। 19 डिजिटल एचपीटी की खरीदारी का कार्य प्रगति पर है। इनके 2013–14 के अंत तक स्थापित किये जाने की उम्मीद है।

डीटीएच विस्तार

दूरदर्शन के डीटीएच प्लेटफॉर्म की क्षमता मौजूदा 59 चैनल से 97 टेलीविजन चैनलों तक बढ़ाने के लिए परियोजना के उन्नयन का काम जारी है। डीटीएच प्लेटफॉर्म के उन्नयन के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। इस परियोजना का काम 2013 में पूरा हो जाने की उम्मीद है। सभी चैनल मुफ्त होंगे और दर्शकों को इनके लिए कोई भुगतान नहीं करना होगा।

भारत

वर्तमान दूरदर्शन नेटवर्क

(नवम्बर 30, 2012 की स्थिति के अनुसार)

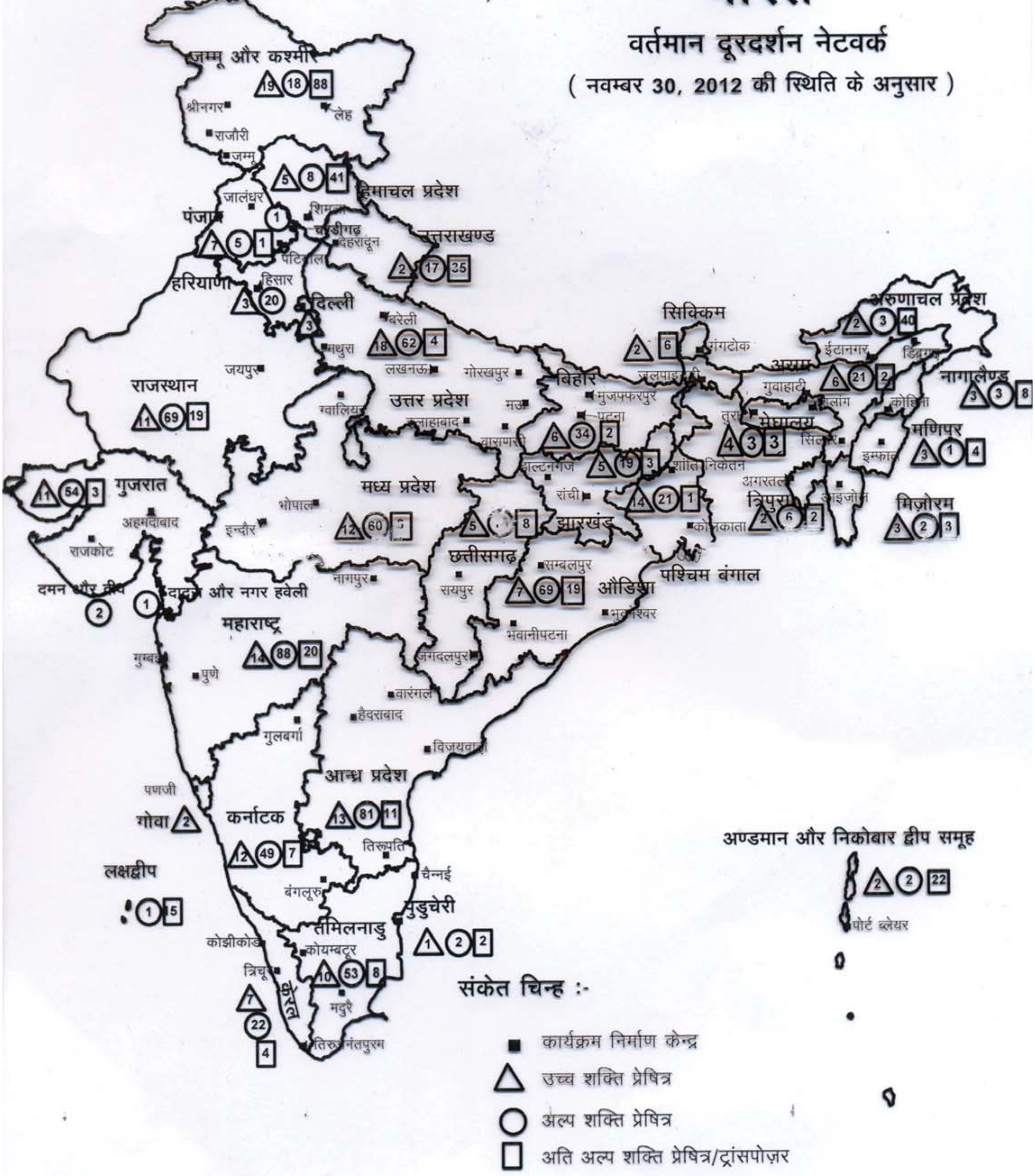

हाई डिफिनेशन टेलीविजन (एचडीटीवी)

एचडीटीवी का रिजॉल्यूशन सामान्य टेलीविजन प्रणाली की तुलना में पांच गुना बेहतर होता है। सुस्पष्ट तस्वीरें, सजीव रंग, पूरे पर्दे पर मूल रूप में दिखने वाली तस्वीरें एचडीटीवी की मुख्य विशेषताएं हैं। एचडीटीवी की निम्नलिखित परियोजनाओं पर अमल किया जा रहा है :–

क. दिल्ली एवं मुंबई में एचडीटीवी स्टूडियो– दूरदर्शन केंद्र दिल्ली और मुंबई के एक–एक स्टूडियो को एचडीटीवी में परिवर्तित करने का आदेश जारी किया जा चुका है।

ख. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में एचडीटीवी फील्ड–प्रोडक्शन, पोस्ट–प्रोडक्शन एवं पूर्वालोकन सुविधा– महत्वपूर्ण उपस्कर स्थापित किए जा रहें है।

ग. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं चेन्नई में एचडीटीवी ट्रांसमीटर– ट्रांसमीटरों के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। टॉवरों पर एंटीना लगाने का काम प्रगति पर है।

घ. दिल्ली और मुंबई में आउटडोर प्रोडक्शन के लिए अनेक कैमरों वाले ओबी वैनों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

उपरोक्त परियोजनाएं 2013 के अंतिम चरणबद्ध तरीके से पूरी होने की उम्मीद है।

आधुनिकीकरण, संवर्धन एवं बदलाव

पुराने उपकरणों को हटाकर अत्याधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल करते हुए अपने नेटवर्क का आधुनिकीकरण एवं मौजूदा सुविधाओं का संवर्धन करना दूरदर्शन का सतत प्रयास रहा है। दूरदर्शन नेटवर्क के आधुनिकीकरण और संवर्धन के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं पर अमल किया जा रहा है :–

टेरेस्ट्रियल ट्रांसमीटर

क. महबूबनगर (अंतरिम व्यवस्था)में उच्च क्षमता वाले टीवी ट्रांसमीटर लगाने का काम पूरा (आठ दिसम्बर, 2012 से सेवा शुरू की जा रही है)

ख. चंदेरी (मध्य प्रदेश) में ऑटोमोड एलपीटी (500 वाट 1+1 विन्यास) शुरू। (वर्षो पुराने एलपीटी को बदला जा रहा है)

ग. उत्तर प्रदेश के झांसी में ऑटोमोड एलपीटी (500 वाट 1+1 विन्यास) शुरू। (वर्षो पुराने एलपीटी को बदला जा रहा है)

घ. निम्न हाईपावर ट्रांसमीटरों (एचपीटी) में बदलाव किया जा रहा है:– डिब्रूगढ़, जैसलमेर, जबलपुर, तुरा, कोलकाता (डीडी न्यूज), रायपुर, पुणे, विशाखापट्टनम, आगरा, फाजिल्का, भुज, मऊ, अनंतपुर, डाल्टनगंज, भवानीपटना। इन ट्रांसमीटरों की खरीद का काम प्रगति पर है।

ङ. अनुलग्नक पांच में दर्शाए गए वर्षों पुराने एलपीटी को बदलने के लिए 500 वाट (1+1 विन्यास) के ऑटोमोड एलपीटी के 111 ट्रांसमीटरों की खरीद के लिए ऑर्डर दिया गया।

स्टूडियो केंद्र

पुराने उपकरणों, एयर कंडिशनरों और रोशनी की व्यवस्था में बदलाव करके प्रमुख स्टूडियो केंद्रों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है और इसके उपकरण खरीदे जा रहे हैं।

सेटेलाइट अर्थ स्टेशन

क. लेह, पोर्ट ब्लेयर, हिसार, चंडीगढ़ और पणजी में स्थापित मौजूदा अर्थ–स्टेशनों अर्थात् भूस्थानिक केंद्रों को एकल चैनल प्रणाली से दोहरे चैनल प्रणाली में उन्नयन के कार्य के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है।

ख. विजयवाड़ा, इंदौर, ग्वालियर एवं राजकोट में नये अर्थ–स्टेशनों अर्थात भूस्थानिक केंद्रों की स्थापना के लिए उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना के लिए ऑर्डर दिया जा चुका है।

उपरोक्त परियोजनाएं अमल के विभिन्न चरणों से गुजर रही हैं और इसके चरणबद्ध तरीके से 2014 तक पूरी हो जाने की संभावना है।

12वीं योजना प्रस्ताव

दूरदर्शन की 12वीं योजना प्रस्ताव में डिजीटलाइजेशन, डी टी एच के विस्तार, आधुनिकीकरण, संवर्द्धन तथा स्टूडियो, ट्रांसमीटर तथा उपग्रह प्रसारण उपकरण, एच डी टी वी, डी डी अंतर्राष्ट्रीय चैनल के वैश्विक कवरेज, सीमावर्ती क्षेत्रों में कवरेज को सुदृढ़ किया जाना, साथ ही वैकल्पिक डिलीवरी प्लेटफार्म पर दूरदर्शन के कार्यक्रमों के वितरण तथा सिविल अवसंरचना संवर्द्धन पर जोर दिया गया।

प्रशिक्षण

प्रसारण तकनीक में तेजी से हो रहे विकास को देखते हुए दूरदर्शन अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलाने पर जोर देता रहा है। नई भर्ती कार्मिकों एवं वर्तमान कार्मिकों के कौशल में उन्नयन की दृष्टि से प्रशिक्षण संस्थानों नामतः स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र (टी), दिल्ली तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों शिलांग, भुवनेश्वर तथा मलाड (मुम्बई) में इन–हाउस ट्रेनिंग कार्यक्रम तथा प्रबंधन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपकरण ों तथा खराब उपकरणों की मरम्मत का सीधा अनुभव उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यशालाएं आयोजित की जा रहीं हैं। आईआईटी, कानपुर, आईआईएम, शिलांग तथा अन्य निश्चित अन्य संस्थानों में भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा कार्य के दौरान उपकरण निर्माताओं द्वारा भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं। अप्रैल से नवंबर 2012 के दौरान लगभग 600 अभियांत्रिकी अधिकारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया तथा लगभग 700 को मार्च, 2013 के दौरान प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना सम्भावित है। नेटवर्क में नए उपकरण लगाए जाने के कारण अप्रैल से नवम्बर 2012 के दौरान लगभग 240 अभियांत्रिकी अधि ाकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

महत्वपूर्ण कवरेज

लन्दन ओलम्पिक, 2012

ओलम्पिक खेल, 2012 का आयोजन 27 जुलाई से 12 अगस्त, 2012 को इंग्लैंड के लन्दन में हुआ। दूरदर्शन अधिकृत प्रसारकों (आर एच बी) में से शामिल था। भारतीय प्रतिभागिता वाली सभी स्पर्धाओं का दूरदर्शन ने प्रसारण किया। इस उद्देश्य के लिए दूरदर्शन ने 11 फील्ड कैमरे, ईएनजी आधारित कवरेज के साथ, तैनात किए जिसमें शूटिंग, बाक्सिंग, बैडमिन्टन, कुश्ती, लॉन टेनिस, हॉकी, एथलेटिक्स तथा तीरंदाजी जैसे खेल कवर किये जा सकें। उद्घाटन तथा समापन समारोह सहित प्रतियोगिता स्थलों से विशिष्ट कमेन्टरी की गईं। दिल्ली स्टूडियो से सीधे संपर्क के लिए आईबीसी, लन्दन में मल्टी कैमरा स्टूडियो की स्थापना की गई। ''लन्दन में भारत'' नाम से 30 मिनट अवधि के एक कार्यक्रम का प्रसारण प्रतिदिन किया गया। 2012–13 की अवधि के दौरान सभी प्रमुख इवेन्ट को दूरदर्शन द्वारा सीधा कवर किया गया।

डीडी नेशनल

डीडी नेशनल विश्व का सर्वाधिक बड़े टेरेस्टेरियल नेटवर्क वाला चैनल है जो देश की 91.2 प्रतिशत जनसंख्या एवं 79 प्रतिशत भू–भाग को कवर करता है। लोक सेवा प्रसारक होने के कारण चैनल ने सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन को त्वरित करने, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, एकता एवं भाईचारे के भाव को उपजाने तथा जनसमुदाय के मध्य वैज्ञानिक प्रकृति को बढ़ाने के लिए सार्थक योगदान देना जारी रखा। विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर जन जागरुकता के लिए ज्ञान/शिक्षा एवं सूचना के प्रसार के लिए इसका योगदान जारी रहा। बच्चों, महिलाओं, शारीरिक अपंगों आदि के लिए भी कार्यक्रमों का प्रसारण जारी रहा तथा देश की कलात्मक एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं खेलों के संवर्द्धन में सहायक रहा। कुल दर्शक क्षमता के मामले में डीडी नेशनल देश का सर्वश्रेष्ठ चैनल है। टेरेस्टेरियल मोड में सेवाएं प्रातः 5.30 से लेकर मध्यरात्रि तक उपलब्ध है। उपग्रह मोड में यह सेवाएं चौबीस घंटे उपलब्ध है।

सजीव कार्यक्रम

वर्ष 2012–13 के दौरान सभी प्रमुख राष्ट्रीय घटनाएं कवर की गईं। इन घटनाओं में शामिल हैं–

गणतन्त्र दिवस परेड, स्वतंत्रता दिवस समारोह, राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संबोधन, संसद का संयुक्त सत्र, महत्वपूर्ण संसदीय बहस, रेलवे तथा सामान्य बजट की प्रस्तुति, लोक सभा एवं राज्य सभा का प्रश्न काल, चुनाव परिणाम तथा विश्लेषण, खेल आयोजन, प्रधानमंत्री की एनसीसी रैली, प्रवासी भारतीय दिवस। भारत के अंर्तराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव तथा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के प्रदान किए जाने को भी कवर किया गया। राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति द्व ारा पद्भार संभालने का सीधा प्रसारण लोक सभा टीवी के सहयोग से किया गया। बॉम्बे/चेन्नई उच्च न्यायालय की 150वीं जयन्ती, स्वामी विवेकानन्द, रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा मदन मोहन मालवीय की 100वीं जयन्ती को वर्ष के दौरान व्यापक कवरेज दिया गया। स्वामी विवेकानन्द पर भारत में जागरुकता फैलाने वाली श्रृंखला पर एक वर्ष से अधिक जारी रही जिससे स्वामी विवेकानन्द को युवाओं के सम्मुख आदर्श के रुप में प्रस्तुत किया जा सके। इसे रामकृष्ण मिशन के सहयोग से दूरदर्शन प्रस्तुत किया गया।

कवरेज के साथ–साथ विभिन्न सरकारी विभागों (विकास चक्र विशेष

कार्यक्रम), विकासात्मक कार्यक्रम, सामाजिक रुप से प्रासंगिक विशेष कार्यक्रमों उदाहरणार्थ स्वस्थ भारत, पल्स पोलियों अभियान, ऐन्टी कैंसर, कुष्ठ रोग, क्षय रोग, डेंगू, स्वाइन फ्लू तथा अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी मुद्दों, सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, एड्स, उपभोक्ता साक्षरता, सड़क सुरक्षा, समाज के कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त विधिक सहायता इत्यादि के लिए विशाल अभियान चलाए गए।

प्रमुख उपलब्धियां

- आमिर खान द्वारा प्रस्तुत किए गए ''सत्यमेव जयते'' शीर्षक से एक विशेष टीवी शो को दूरदर्शन ने पहली बार एक निजी चैनल (स्टार प्लस) के साथ प्रसारित किया। यह शो बहुत लोकप्रिय हुआ। सामाजिक मुद्दों से सम्बन्धित इस अनोखे शो ने समाज में परिवर्तन की एक लहर पैदा की। शो की काफी ऊंची रेटिंग रही (टैम पर 4–6, 4 प्लस ऑल होम्स)। 6 मई से 29 जुलाई, 2012 के बीच इसके 13 एपिसोड प्रसारित हुए।

- भारतीय एवं पाश्चात्य संगीत में फ्यूजन सहित नये प्रयोगों को लोकप्रिय बनाने के लिए 7 जुलाई, 2012 से प्रत्येक शनिवार एक संगीत शो के दस एपीसोड प्रसारित किए गए।

- 12 अगस्त, 2012 से जी टी वी के सहयोग से महाकाव्य ''रामायण''के 72 एपीसोड प्रसारित किए जा रहे हैं।

- बदलते भारत की तस्वीर दिखाते सीरियल ''जमुनिया–तसवीर बदलते भारत की'' मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग के सहयोग से निर्मित है एवं प्रत्येक रविवार सुबह प्रसारित किया जा रहा है।

कार्यक्रम के घटक तथा स्रोत

शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण इग्नू, यूजीसी तथा सीआईईटी/ एनसीईआरटी जैसे स्रोतों के समर्थन से जारी रहा। जर्मन टीवी के सहयोग से ''मंथन'' तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से विज्ञान प्रसार कार्यक्रम विज्ञान पर नए मौलिक कार्यक्रम थे। ''उपनिषद् गंगा'' भी प्रमुख कार्यक्रम था।

डीडी नेशनल पर समाचारों/सामयिक घटनाक्रम के अंश

डीडी नेशनल पर 8 से 8.30 सांय प्रसारित होने वाला समाचार देश में सर्वाधिक देखा जाने वाला न्यूज बुलेटिन रहा। संसद का प्रश्नकाल डी डी नेशनल एवं डीडी न्यूज पर सीधा प्रसारित होता है।

डीडी नेशनल पर खेल कार्यक्रम

डीडी न्यूज/डीडी नेशनल चैनलों पर विभिन्न खेल आयोजनों का सजीव प्रसारण/हाईलाइट प्रसारित किया गया। श्रीलंका में खेला गया आईसीसीटी 20 विश्व कप भी डीडी नेशनल पर प्रसारित किया गया।

केन्द्रीय प्रवर्तन इकाई

डीडी चैनलों पर प्रसारण के लिए सीसीयू विभिन्न विषयों पर सॉफ्टवेयर अधिग्रहीत/प्राप्त कर रहा है। प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम निम्न हैं–''गोरा'' (रवीन्द्र नाथ टैगोर), ''एक था रस्टी'' (रस्किन बांड की कहानियों पर आधारित), ये है इण्डिया मेरी जान (सईद मिर्जा द्वारा निर्मित एवं निर्देशित)।

आंतरिक वित्त प्रवर्तन योजना

चैनल को पुर्नजीवित करने के लिए वर्ष 2005 में आंतरिक वित्त योजना प्रारम्भ की गई। यह योजना नेशनल चैनल के मिड प्राइम टाइम स्लॉट तथा प्राइम टाइम स्लॉट के लिए थी। एसएफसी में कार्यक्रम के समावेशन से कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, दर्शक संख्या में बढ़ी है, दूरदर्शन के राजस्व में अच्छी मात्रा में वृद्धि हुई है। महिलाओं के कल्याण से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे है। डीडी नेशनल पर प्रसारित कुछ लोकप्रिय सायंकालीन धारावाहिक हैं– संकटमोचन हनुमान, नैन्सी, एक किरण रोशनी की, द कमांड फोर्स, पहचान... अस्तित्व की तलाश, इम्तिहान, मंजिल अपनी अपनी, डिटेक्टिव वागले, सबसे बड़े लड़ैया इत्यादि।

फिल्म

शुक्रवार 9.30 रात्रि की फीचर फिल्म सर्वाधिक टीआरपी वाला कार्यक्रम है। फिल्मों को बॉक्स ऑफिस प्रदर्शन, मार्केटिबिलिटी तथा दर्शकों की अपील के आधार पर चयन किया जाता है।

सोमवार से बुधवार ''रात्रि से 12 रात्रि के मध्य ''बायस्कोप'' स्लॉट में दूरदर्शन ने सीरियल के रुप में फिल्मों का प्रसारण जारी रखा। पुरस्कार विजेता फिल्मों की राष्ट्रीय नेटवर्क पर दूसरे एवं चौथे रविवार को रात 11. 30 बजे दिखाया जाता है। दूरदर्शन ने कई पुरस्कार विजेता फिल्मों का प्रदर्शन किया।

नैरोकास्टिंग

नैरोकास्टिंग प्रसारण में शामिल हैं छोटे क्षेत्रों की कवरेज शामिल है। जिससे माध्यम एवं दर्शकों के बीच लगाव मजबूत होता है। कवरेज क्षेत्र में रहने वाले लोगों के रहन सहन से सम्बन्धित विशेष स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए दूरदर्शन ने नैरोकास्टिंग को प्रस्तुत किया। दूरदर्शन ने नैरोकास्टिंग प्रारम्भ में 12 एलपीटी के साथ 2000 में प्रारम्भ किया जिसमें स्थानीय विधा में सप्ताह में एक/दो बार कार्यक्रम प्रसारित हुए। दूरदर्शन के श्रोता अनुसंधान एकांश द्वारा की गई अध्ययन से यह पता चला है कि कवरेज क्षेत्र के लोगों ने नैरोकास्टिंग कार्यक्रम को बेहतर तरीके से स्वीकार किया तथा कार्यक्रम से उन्हें अद्यतन कृषि तकनीकों को लागू करने में मदद मिली। वर्ष 2004 से दूरदर्शन कृषि मंत्रालय के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट में लगा है। प्रोजेक्ट तक त्रिस्तरीय पहुंच है–

1) jk"Vªh; puy ij % देश की कृषि से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम सप्ताह में 6 दिन (सोमवार से शनिवार) प्रातः 6.30 से 7.00 बजे प्रसारित किया जाता है।

2) 18 {ks=h; puyks ij % राज्य की कृषि से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) 30 मिनट की अवधि के लिए सम्बन्धित क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल (आर एल एस एस) पर 6 से 6.30 बजे सांय प्रसारित किया जाता है।

3) ^uljkdkfLVax** ekM e~ % क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सप्ताह में दो बार निर्मित किया जाता है सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) पीजीएफ के जरिए शाम को 180 ट्रांसमीटरों से क्षेत्रीय केन्द्रों में प्रसारित किया जाता है जो देश के 140 जिलों के किसानों की आवश्यकता को पूरा करता है। कार्यक्रमों में कृषि, बागवानी, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य पालन से सम्बन्धित पहलू शामिल किए जाते हैं। कार्यक्रमों की हमारी विस्तृत श्रृंखला में शामिल हैं– मौसम की सूचना, कृषि, समाचार बुलेटिन, मन्डी भाव बुलेटिन (मार्केट प्राइस), न्यूनतम प्रोत्साहन मूल्य (एमएसपी) का प्रचार, खरीफ के दौरान बीज उपचार पर अभियान तथा डीएसी, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रत्येक कृषि दर्शन में उपलब्ध कराई सूचनाएं।

डीडी न्यूज

चौबीसों घंटे समाचार एवं समसामयिक कार्यक्रम प्रसारित करने वाला डीडी न्यूज देश का अकेला द्विभाषी चैनल है। 3 नवम्बर, 2003 को अपनी स्थापना के साथ ही डीडी न्यूज समाचारों एवं समसामयिक कार्यक्रमों को एक स्वस्थ, संतुलित तथा उद्देश्यपरक तरीके से बिना किसी सनसनीखेज के प्रस्तुत करने को प्रतिबद्ध है। नान केबल तथा गैर उपग्रह घरों में पहुंचने वाला डीडी न्यूज सर्वाधिक पहुंच वाला न्यूज चैनल है।

राजनीति, व्यापार, खेल, अंतर्राष्ट्रीय समाचार घटनाओं, संसदीय कार्यवाहियों, स्वास्थ्य मुद्दों की कवरेज, विज्ञान एवं तकनीक, केन्द्रीय सरकार फ्लैगशिप कार्यक्रम, अपराध इत्यादि पर चैनल के कार्यक्रम आधारित हैं। पूरे देश से समाचार इनपुट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकाल (एफटीपी) के जरिए प्राप्त किए जाते हैं। समाचार एवं लोक रूचि समाचार को कवर करने के लिए संवाददाताओं को देश के विभिन्न हिस्सों में भी भेजा जाता है।

इस वर्ष डीडी न्यूज द्वारा कवर की गई कुछ प्रमुख घटनाओं में शामिल है– रेलवे एवं सामान्य बजट की प्रस्तुति, गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के राज्य चुनाव, संसदीय सत्र, हैदराबाद में आयोजित विश्व जैव विविधता समारोह, लंदन ओलम्पिक, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव, सीरिया, मिस्र, इजराइल, फिलीस्तीन, अफगानिस्तान में गतिविधियां, बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं चीन के साथ भारत के सम्बन्ध। राज्य चुनावों की व्यापक कवरेज की गई। जनवाणी एवं जनादेश नाम से विशेष कार्यक्रम सामाजिक राजनीतिक तथा चुनाव विश्लेषण सम्बन्धी कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

व्यापार समाचार डेस्क में संसार के आर्थिक नीति, निर्णयों, कारपोरेट विश्व में गतिविधियां, व्यक्तिगत वित्त, अंर्तराष्ट्रीय अर्थशास्त्र तथा स्टाफ मार्केट इसकी प्रतिदिन न्यूज कवरेज ''बिजनेस रैप'' दिल्ली से शाम को

तथा दोपहर में मुम्बई से ''बिजनेस आवर'' में। यूनियन बजट, यूनियन रेलवे बजट, रिजर्व बैंक की आर्थिक नीति की घोषणा का सजीव प्रसारण विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के साथ चर्चाओं के साथ किया गया।

बिजनेस डेस्क द्वारा आधे घन्टे का विशेष कार्यक्रम रिटेल में एफ डी आई पर किया गया। ''मनी मंत्र'' सप्ताहांत कार्यक्रम में व्यक्तिगत वित्त सम्बन्धित मुद्दे लिए गए। सप्ताहांत कार्यक्रम ''मार्केट दिस वीक'' तथा ''बाजार इस हफ्ते'' में स्टाक मार्केट को विश्लेषण एवं फोन इन आधारित प्रश्नों का उत्तर दिया गया। साप्ताहिक अंर्तराष्ट्रीय ''प्राइम मेरीडियन'' में तथा मासिक कार्यक्रम ''सार्क'' में अंर्तराष्ट्रीय मामलों पर इनपुट दिए गए। मेगा ऑटो इवेन्ट ''ऑटो एक्सपो 2012'' तथा भारतीय अंर्तराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2012 भी कवर किया गया।

डीडीन्यूज द्वारा हिन्दी में तीन एवं अंग्रेजी में एक कुल चार खेल बुलेटिन प्रसारित किए जाते हैं। राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय खेल इवेन्ट को व्यापक कवरेज विशेष खेल बुलेटिन तथा सामान्य बुलेटिनों के जरिए हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों में कराई गई।

''सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'' के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए ''जानने का हक'' नाम से हिन्दी में सप्ताह में दो बार एक संवाद प्रसारित होता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (नरेगा), राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम इत्यादि को दर्शाते हुए ''मेरे देश की धरती'' नाम से एक कार्यक्रम हिन्दी में सप्ताह में दो बार प्रसारित किया गया। कैरियर एवं रोजगार अवसर से सम्बन्धित कार्यक्रम 'मेहनत रंग लाएगी', विभिन्न सामाजिक आर्थिक मुद्दों से सम्बन्धित कार्यक्रम 'अहसास', एक घंटे का विशेष कार्यक्रम 'चर्चा में' जिसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रमुख मुद्दों का विश्लेषण करना था, प्रतिभागियों एवं विशेषज्ञों की सहभागिता से प्रसारित किया गया। जानी मानी हस्तियों का उनके योगदान का उल्लेख करते हुए साक्षात्कार आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। समसामयिक कार्यक्रम –'फोकस' हिन्दी में, रक्षा एवं आंतरिक सुरक्षा मुद्दों पर कार्यक्रम– 'वार एण्ड पीस' तथा 'डिफेंस वॉच', एक घंटा अवधि का स्वास्थ्य मुद्दों पर सजीव कार्यक्रम ''टोटल हेल्थ'' शीर्षक से।

जानी मानी हस्तियों से साक्षात्कार आधारित कार्यक्रम ''एक मुलाकात'' हिन्दी में तथा 'टेटे–ए–टेटे' अंग्रेजी में। श्रोता आधारित कार्यक्रम 'आमने–सामने', युवा भारतीयों को लक्ष्य करता हुआ आधे घंटे का कार्यक्रम 'जेनेक्स्ट' तथा 'कैम्पस'। कला एवं संस्कृति एवं मनोरंजन पर आधे घंटे का कार्यक्रम 'रंग तरंग' तथा 'सिनेमा इस हफ्ते ' भी डी डी न्यूज पर प्रसारित हुए।

डीडी न्यूज समाचार का ज्यादातर हिस्सा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकाल (एफटीपी) के जरिए इंटरनेट से प्राप्त करता है। विभिन्न स्थलों जिसमें विदेश भी शामिल है पर रिर्पोटर द्वारा इन स्टोरीज को फाइल किया जाता है। नान लीनियर एडिटिंग (एनएलई) तकनीक जो कि एशिया विजन न्यूज (एवीएन) के समानुरुप हैं, डीडी न्यूज की सामग्री की सभी एवीएन देशों में साझा करने की अनुभूति प्रदान करता है।

डीडी न्यूज के पूरे देश में 29 कार्यकारी क्षेत्रीय समाचार इकाइयां/ब्यूरो हैं। क्षेत्रीय समाचार इकाइयां अगरतला, अहमदाबाद, आइजोल, बैंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, चण्डीगढ़, गुवाहाटी, हिसार, हैदराबाद, इम्फाल, ईटानगर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोहिमा, कोलकाता, लेह, लखनऊ, मुम्बई, पटना, पणजी, रांची, रायपुर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर एवं तिरुवन्तपुरम में है। ये क्षेत्रीय इकाइयां प्रतिदिन 21 भाषाओं/बोलियों में 100 बुलेटिन प्रसारित करते हैं।

2011–12 में एक क्षेत्रीय समाचार इकाई पणजी, गोवा में परिचालित की गई। 10 मार्च, 2012 से यह प्रतिदिन कोंकणी भाषा में एक 15 मिनट का समाचार बुलेटिन प्रसारित कर रही। 2012–13 के पहले 6 महीनों में डीडी न्यूज ने दो नए आरएनयू दूरदर्शन केन्द्र शिलांग एवं लेह में प्रारम्भ किए। आरएनयू शिलांग ने 1 जुलाई 2012 से 15 मिनट अवधि के दो समाचार बुलेटिन खासी तथा अंग्रेजी में प्रसारित करना प्रारम्भ किया। आरएनयू लेह ने 19 नवम्बर, 2012 से लद्दाखी भाषा में 10 मिनट का समाचार बुलेटिन प्रसारित करना प्रारम्भ किया।

सभी 29 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां अपनी स्थानीय समाचार बुलेटिनों में तथा समसामयिक कार्यक्रमों में केन्द्र की प्रमुख योजनाओं यथा मनरेगा, भारत निर्माण, सर्वशिक्षा अभियान, मिड डे मील, समेकित काल विकास सेवा योजना, एनआरएचएम, जेएनएनयूआरएम, सूचना का अधिकार अधिनियम पर विशेष प्रसारण किया।

हरियाणा, गोवा, पंजाब, आंध्रप्रदेश तथा महाराष्ट्र में जिला/कस्बा स्तर पर

समाचार एकत्रीकरण सुधारने के लिए नये स्ट्रिंगर तैनात किये गये।

डीडी न्यूज को 14 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां क्षेत्रीय समाचार उपलब्ध कराती हैं तथा तीन क्षेत्राधारित खंडों में फ्लैगशिप कार्यक्रमों पर प्रसारण उपलब्ध कराती है ये खंड हैं–''मेट्रो स्कैन'', 'स्टेट स्कैन' तथा 'राज्यों से समाचार'।

दूरदर्शन न्यूज की वेबसाइट www.ddinews.gov.in अद्यतन न्यूज अपडेट के साथ सजीव दूरदर्शन समाचार बुलेटिन नेट पर उपलब्ध कराती है। इस वेबसाइट की टॉप स्टोरी तथा चार हेडलाइंस को भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट www.india.gov.पद के होमपेज से लिंक किया जाता है।

डीडी भारती

भारत के कला एवं संस्कृति चैनल के रुप में डीडी भारती को इस वर्ष दूरदर्शन ने फिर शुरू किया। इसमें संगीत एवं नृत्य, कला एवं शिल्प, परंपरा एवं समारोह, भारत एवं विश्व की हस्तियों पर कार्यक्रम को प्रसारण शामिल है। डीडी भारती चैनल को वर्ष 2002 में संस्कृति, स्वास्थ्य एवं बाल विषयों के निच (विषयाधारित) चैनल के रुप में प्रारम्भ किया गया था। नये सॉफ्टवेयर एवं कोष के अभाव में यह चैनल प्रारम्भ में दूरदर्शन की आर्काइवल सामग्री से चला तथा अपने को प्रमुख रूप में स्थापित नहीं कर पाया था।

इस स्थिति को सुधारने एवं (उच्च गुणवत्ता के एवं दुर्लभ कार्यक्रमों के जरिए) चैनल की रुपरेखा बेहतर करने के लिए डीडी भारती ने राष्ट्रीय –अंर्तराष्ट्रीय स्तर की कई संगठनों/संस्थाओं के साथ भागीदारी/ सहयोग शुरू किया जिससे उनके लेखागार में उपलब्ध दुर्लभ कार्यक्रमोंका न्यायपूर्ण चुनाव कर सके। इन भागीदारियों में भारतीय सांस्कृतिक सम्बन्ध परिषद्, फिल्म प्रभाग, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय, मुंम्बई, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र शामिल है। साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी एवं संस्कृति मंत्रालय से भागीदारियां प्रक्रियाधीन है।

दुर्लभ कार्यक्रमों को दर्शकों के लिए उपलब्ध कराने के उद्देश्य से डीडी भारती जाने माने ट्रस्टों एवं संगठनों से भागीदारी कर रही है। इनमें शामिल हैंः रजा फाउण्डेशन, अनन्य समारोह, तानसेन समारोह (म0 प्र0), हरि वल्लभ संगीत सम्मेलन (जालन्धर, पंजाब), बोट रेसिंग (केरल), रथ यात्रा (ओडिशा), खजुराहो, कोणार्क नृत्य समारोह (ओडशा), बेगम अख्तर शताब्दी समारोह– करेजवा में लागे कटार, भारतीय विद्या भवन का प्लेटिनम जुबली संगीत समारोह, गोआती पुआ नृत्य समारोह (ओडिशा), राजरानी संगीत समारोह (भुवनेश्वर), श्री गुरु नानक देव जयन्ती पर सुल्तानपुर लोधी से विशेष कीर्तन दरबार का सीधा प्रसारण।

डीडी भारती द्वारा की गई इन गतिविधियों से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति के एकमात्र चैनल के रुप में डी डी भारती देश एवं विदेश के दर्शकों की आवश्यकताओं को पूरा करता रहा है। डीडी भारती का एक बड़ा आकर्षण समारोहों एवं उत्सवों का सजीव प्रसारण है। डीडी भारती ने एक स्लॉट पूर्वोत्तर राज्यों के लिए तथा दूसरा विश्व संस्कृति के लिए आरक्षित रखा है। इस क्रम में जापानी दूतावास के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिससे भारत–जापान के 60 वर्षों के कूटनीतिक संबंधों पर विशेष आयोजन प्रदर्शित किये जा सकें। हंगेरियन सांस्कृतिक केन्द्र के साथ समझौता जानी मानी चित्रकार अमृता शेरगिल की 125वीं जन्म समारोह को मनाने के लिए किया गया। इस प्रकार के कुछ अन्य समझौते तथा सहयोग निकट भविष्य में होंगे।

डीडी उर्दू

5 अगस्त 2012 को डीडी उर्दू ने अपने 6 वर्ष पूरे कर लिए। इस मौके पर प्रख्यात साहित्यिक हस्तियों की रचनाओं का प्रसारण किया गया और वर्ष के दौरान डीडी उर्दू का मूल्यांकन एवं प्रवर्तन पूरा किया गया।

माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी के शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण 25 जुलाई 2012 को तथा कार्यमुक्त हो रही राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का राष्ट्र के नाम संदेश 24 जुलाई 2012 को डीडी उर्दू पर प्रसारित किया गया। स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम सम्बोधन इसके उर्दू प्रारुप के साथ डीडी उर्दू पर प्रसारित किया गया। स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर झण्डारोहण समारोह एवं प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम संदेश डीडी उर्दू पर सीधा प्रसारित किया गया।

अप्रैल से अक्टूबर 2012 की अवधि में उपरोक्त के अलावा निम्न कार्यक्रम डीडी उर्दू पर प्रसारित हुए–

1) लंदन ओलम्पिक।

2) महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, सर सैयद अहमद खान के जन्म दिवस समारोह एवं

इन्दिरा गांधी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम।

3) जाने माने साहित्यकारों– अल्लामा इकबाल, सआदत हसन मंटो, इजहारुल हक मजाज, मुंशी प्रेमचन्द, इश्मत चुगताई, साहिर लुधियानवी पर भी कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

4) रमजान, जमात–अल–विदा, ईद–उल–फितर तथा ईद–उल–जुहा पर कार्यक्रम।

5) बेगम अख्तर की बरसी पर कार्यक्रम।

6) ''मुशायरा शैरात'' नाम से एक विशेष कार्यक्रम आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष आयोजित एवं प्रसारित किया गया।

डीडी इंडिया

14 मार्च 1995 को डीडी वर्ल्ड नाम से प्रारम्भ चैनल से दूरदर्शन ने विश्व पटल पर दस्तक दी थी। इसे 2002 में डीडी इन्डिया नाम दिया गया। डीडी इन्डिया प्रारम्भ करने का उद्देश्य था ''विदेश में रह रहे भारतीयों के बीच संचार का सेतु तैयार करना तथा वास्तविक भारत, उसकी संस्कृति, मूल्यों, परम्पराओं, आधुनिकता, विविधता, एकता, वेदना तथा उत्साह को पूरे विश्व के सम्मुख उच्च गुणवत्ता के कार्यक्रमों के जरिए प्रस्तुत करना जो कि लोक सेवा प्रसारण की उच्चतम परम्पराओं में जनसमुदाय को सुचित, शिक्षित तथा मनोरंजन प्रदान करें।''

डीडी इन्डिया पर न्यूज बुलेटिन, प्रासंगिक मुद्दें पर फीचर, मनोरंजन कार्यक्रम, फीचर फिल्म, संगठित एवं नृत्य, श्रृंखला, वृत्त चित्र, समाचार एवं समसामयिक कार्यक्रम, पर्यटन विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में देशों के लिए प्रसारित किए जाते हैं। इसे इनसेट–4 बी पर भी अपलिंक किया जा रहा है जिससे हमारी पहुंच निम्नलिखित 38 देशों तक हो जाएगी जो कि इनसेट 4 बी (सी–बैंड) पर आधारित है–

एशिया क्षेत्र

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, दारुस्सलाम, चीन (कुछ भाग), कम्बोडिया, हांगकांग, इजराइल, मलेशिया (कुछ भाग), म्यानमार, लाओस, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैण्ड, वियतनाम तथा भारत

सीआईएस क्षेत्र

आर्मेनिया, अजरबेजान, जार्जिया (कुछ भाग), किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान (कुछ भाग), उक्रेन, उजबेकिस्तान (कुछ भाग)।

मध्य एशिया क्षेत्र

बहरीन, ईरान, ईराक, कुवैत, ओमान (कुछ भाग), कतर, सऊदी अरब, सीरिया, तुर्की (कुछ भाग), संयुक्त अरब अमीरात, यमन (कुछ भाग)।

डीडी इंडिया अपने कार्यक्रमों को और बेहतर बनाने के कदम उठा रही है। वर्तमान में 8 घन्टे का कार्यक्रम लूप प्रसारित किया जाता है जो कि 24 घंटे में दो बार देहराया जाता है जिससे विश्व के प्राइम टाइम जोन के लिए इसकी उपयुक्तता बनी रहे। चैनल के विवरण एवं संपूर्ण विश्व तक प्रसारण पहुंचाने की कार्ययोजना पर विचार चल रहा है। डी डी इन्डिया दूरदर्शन की डी डी डायरेक्ट प्लस पर भी उपलब्ध है।

डीडी स्पोर्ट्स

दूरदर्शन का खेल चैनल 18 मार्च 1999 को 10 घन्टे प्रसारण के साथ प्रारम्भ किया गया जो कि 25 अप्रैल, 1999 से बढ़ाकर 12 घन्टे कर दिया गया तथा जून, 2000 से इसे पूरे दिन का कर दिया गया। यह भारत का अकेला फ्री टू एअर खेल उपग्रह चैनल है। दूरदर्शन ने 2005 में एक योजना ''कैश आउटफ्लो'' खेलों के के दूरदर्शन पर कवरेज एवं प्रसारण के लिए प्रारम्भ की। इसका उद्देश्य खेल संगठनों से एक न्यूनतम नकद फ्लो राशि प्रदान कर खेलों का संवर्द्धन करना है। चैनल विभिन्न अधिकार धारकों से डीडी स्पोर्टस चैनल पर समय–समय पर प्रसारण हेतु महत्वपूर्ण खेल कार्यक्रम प्राप्त करता है। डीडी स्पोर्टस अपनी उपलब्ध सुविधाओं के साथ खेल में प्रतिदिन के कार्यक्रम ''स्पोर्ट्स ऑवर'' को 8.30 से 9.30 सांय हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रसारित करता है। अधिकतर प्रसारण देश के विभिन्न हिस्सों में आयोजित हो रही इवेन्ट के सीधे प्रसारण से सम्बन्धित होता है।

वर्ष 2012–13 के दौरान इस चैनल के दर्शकों के लिए निम्नलिखित खेल कार्यक्रमों की कवरेज की गई।

1. डेविस कप
2. संतोष ट्राफी
3. नेहरु बोट रेस
4. डूरन्ड कप फुटबाल
5. सुब्रतो कप फुटबाल
6. लन्दन ओलम्पिक 2012 का सीधा प्रसारण

7. पैरालम्पिक्स 2012 के मुख्य अंश

क) डीडी स्पोर्टस के अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का इन हाउस निर्माण डी डी स्पोर्टस पर प्रसारण के लिए था

ख) लन्दन ओलम्पिक 2012 के विशेष कार्यक्रम काउन्टडाउन (30 एपीसोड)

ग) मिशन लन्दन का इन हाउस प्रोडक्शन के 7 एपीसोड

घ) लन्दन ओलम्पिक के 11 प्रोमो का इन हाउस प्रोडक्शन

ङ) ''100 डेज बिफोर लन्दन'' काउन्टडाउन का इन हाउस प्रोडक्शन

तिरुवनंतपुरम में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय खेल 2013 तथा सैफ खेल, 2013 का सीधा प्रसारण योजना में है।

क्षेत्रीय भाषा के सेटेलाइट चैनल

वर्तमान में दूरदर्शन क्षेत्रीय भाषाओं के 11 उपग्रह चैनल परिचालित कर रहा है जिसका विवरण निम्न है–

डीडी सह्याद्रि

15 अगस्त 1994 से सहयाद्रि चैनल ने डी डी 10 नाम से मराठी कार्यक्रम प्रसारित करना प्रारम्भ किया। 1 जनवरी 2000 से इसकी प्रसारण अवधि बढ़ा कर 17 घन्टे कर दी गई तथा 5 अप्रैल, 2000 से इसे 24 घन्टे का कर दिया गया। टेरेस्टेरियल सपोर्ट पर यह 6 से 9 प्रातः तथा 3 से 8 सांय रविवार को छोड़कर सभी दिनों तथा उपग्रह मोड पर 24 घन्टे उपलब्ध है।

0k"k 2012&13 d nkjku ilkfjr dN egRoi.k xfrfof/k;k rFkk dk;Øe bl idkj g

miyfC/k;k	
नवरत्न पुरस्कार	जून 2012
सह्याद्रि मराठी सिने पुरस्कार	जून 2012
सह्याद्रि मानिक पुरस्कार	नवम्बर 2012
नवज्योति सहायद्रिच्या	दिसम्बर 2012
dk;Øe	
बुधवार 7.35 सायं 'सुकन्या'	जून 2012
गुरुवार एवं शुक्रवार 3.30 सायं 'स्वयंसिद्धा'	जुलाई 2012
गुरुवार एवं शुक्रवार 4.35 सायं 'हा खेल भाटुकालिचा'	अगस्त 2012
मंगलवार एवं बुद्ववार 3.30 सायं 'गुलमोहर'	सितम्बर 2012
मंगलवार एवं बुद्ववार 4.30 सायं 'समिधा'	सितम्बर 2012
सोमवार सायं 3.30 बजे 'ऋणानुबंध'	अक्टूबर 2012

डीडी पोधिगई

15 जनवरी 2001 को पोंगल के दिन प्रारम्भ क्षेत्रीय भाषा 'तमिल उपग्रह चैनल' डी डी पोधिगई ने 24 घन्टे प्रसारण प्रारम्भ किया। 2012–13 के दौरान प्रसारित महत्वपूर्ण कार्यक्रम थे–

- स्वच्छ भारत अभियान (अप्रैल से दिसम्बर, 2012)
- प्रधानमंत्री का तथा 15 पॉइन्ट कार्यक्रम (अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2012)
- फ्लैगशिप कार्यक्रम भारत निर्माण (अप्रैल से दिसम्बर 2011)

डीडी गिरनार

गुजराती डी डी 11 के नाम से उपग्रह क्षेत्रीय भाषा सेवा (एसआरएलएस) ने 1 अक्टूबर, 1993 को दिल्ली से अपलिंक होकर कार्य करना प्रारम्भ किया तथा वही सेवा 15 अगस्त 1994 को स्थानीय स्तर पर अपलिंक हो गई। 5 सितम्बर 2008 को चैनल का नाम डी डी गिरनार दिया गया। 01 मई 2000 से क्षेत्रीय उपग्रह भाषा सेवा का प्रस्ताव चौबीस घन्टे का हो गया। यह राज्य के 86 से 87 प्रतिशत क्षेत्र तथा जनसंख्या को कवर करता है। रथयात्रा, जन्माष्टमी तथा पतंग महोत्सव के वार्शिक कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण किया जाता है। एक प्रोडक्शन हाउस के रुप में अपनी सफल पहचान बनाते हुए इसने विभिन्न समकालीन मुद्दों एवं सरकारी योजनाओं पर कार्यक्रम निर्माण किया है।

दूरदर्शन केन्द्र अहमदाबाद के रजत जयन्ती वर्ष में पिछले वर्ष डीडी गिरनार ने ''पहला गिरनार शिरोमणि पुरस्कार –2012'' प्रारम्भ किया। फिल्म, थियेटर, संगीत, साहित्य, महिला सशक्तीकरण, समाज सेवा, उद्योग, कृषि, खेल इत्यादि क्षेत्र में गुजरात में सार्थक योगदान करने वालों की उपलब्धियों को इसने रेखांकित किया।

डीडी कषीर

डीडी कशीर का प्रारम्भ किया जाना दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर के इतिहास में निःसंदेह एक उल्लेखनीय क्षण है। 27 मार्च 1995 को प्रारम्भ में टेरेस्टेरियल मोड पर चार घन्टों का प्रसारण हुआ परन्तु एक अलग क्षेत्रीय उपग्रह चैनल के रुप में इसकी पहचान 26 जून 2000 को इसके औपचारिक उद्घाटन से हुई। घाटी के विभिन्न हिस्से में स्थित टेरेस्टेरियल ट्रांसमीटर के जरिए वर्तमान में इसका 24 घन्टे प्रतिदिन प्रसारण उपलब्ध है।

सांस्कृतिक एवं जातीय रुप से स्थानीय एवं निचले स्तर के लोगों से बड़े लोगों के लिए यह चैनल कार्यक्रम प्रसारित करता है।

डीडी सप्तगिरि

10 अक्टूबर, 1993 को प्रारम्भ डी डी सप्तगिरि दूरदर्शन स्टूडियो, हैदराबाद, विजयवाड़ा तथा वारंगल से समर्थित एक तेलुगु भाषा क्षेत्रीय चैनल है। 2000 में यह चौबीस घन्टे प्रसारित होने वाला चैनल हो गया।

MhMh llrfxfj dh xfrfof/k;k

- कृषि कार्यक्रम– सीआरइडीए इब्राहिमपट्टनम के पास एक फसल सेमिनार का आयोजन किया गया। 'पोलम बाडी' नाम से एक संवाद मूलक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें किसानों, कृषि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक ने भाग लिया।

gyk llrfxfj

चैनल द्वारा प्रसारित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं– कैरियर गाइडेन्स, उपभोक्ता जागरुकता, महिला हेल्पलाइन, न्यायशालाहालु, तेलुगु तोता, कुशी कुशिन्गा नवुट्टू, मुवल्ला सवादी के हिट्स, प्रगति पाधम, मावूरु, दर्शनी स्थालू।

- हैदराबाद में बायोडायवर्सिटी कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी 11) पर 19 दिवसीय यूएन कान्फ्रेंस में 150 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और इसे डीडी सप्तगिरि ने मेजबान प्रसारक के रुप में इसका प्रसारण किया।
- इसरो के 100वें मिशन पर विशेष रिपोर्ट प्रसारित की गई।
- विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख, विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियों तथा रमानी बाल विकास एवं बाल देखभाल विषय पर माता पिता की भूमिका पर फोन–इन कार्यक्रम।
- आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा गठित 15 प्रमुख नन्दी पुरस्कार, 2011 केन्द्र को प्राप्त हुए। ना भूमि ने सर्वोत्तम टेलीफिल्म के लिए गोल्डन नन्दी पुरस्कार प्राप्त किया।

डी डी मलयालम

15 अगस्त 1994 को प्रारम्भ यह चैनल वर्ष 2000 में चौबीस घन्टे प्रसारण वाला हो गया। दूरदर्शन स्टूडियो, त्रिशूर एवं कालीकट से इसे सहयोग प्राप्त होता है। टेरेस्टेरियल मोड में डी डी मलयालम केरल की 100 प्रतिशत जनसंख्या तक पहुंचता है। डी डी मलयालम पूरे देश में तथा पूरे विश्व के 68 देशों में उपलब्ध है।

o"k d nkjku xfrfof/k;k&

उपचुनाव नतीजों का प्रसारण, सजीव अपडेट एवं चुनाव विश्लेषण, नेहरु ट्राफी बोट रेस का प्रसारण, सेन्ट्रल स्टेडियम, तिरुवनन्तपुरम् से स्वतन्त्रता दिवस समारोह का सीधा प्रसारण, कोट्टायम बोट रेस, कोच्चि मेट्रो रेल की स्थापना पत्थर के रखे जाने का प्रसारण, ''मानसून कार्निवाल, वायानाड'' ''नानचिनादिन्ते उप्पू पेरुमा'' कन्याकुमारी जिले के नमक खेतों पर एक वृत्त चित्र जिसने सर्वोत्तम शिक्षा वृत्तचित्र कि लिए केरल राज्य टेलीविजन पुरस्कार, 2012 प्राप्त किया।

डीडी चंदना

15 अगस्त, 1994 को प्रारम्भ डी डी चंदन कन्नड़ भाषा का उपग्रह चैनल है जिसे बैंगलुरु एवं गुलबर्गा के दूरदर्शन स्टूडियो का सहयोग मिलता है। वर्ष 2000 में यह चौबीस घन्टे प्रसारण वाला चैनल हो गया तथा 24 मार्च, 2003 को इसकी कवरेज 30 से अधिक देशों में हो गई है।

tuojh lekpl 2013 vof/k e dk;Øek dk lf{klr fooj.k&

- महत्वपूर्ण समारोह/अवसरों पर आमंत्रित श्रोताओं के साथ दो कार्यक्रम पर
- बुद्धिजीवियों और चैनल के आम

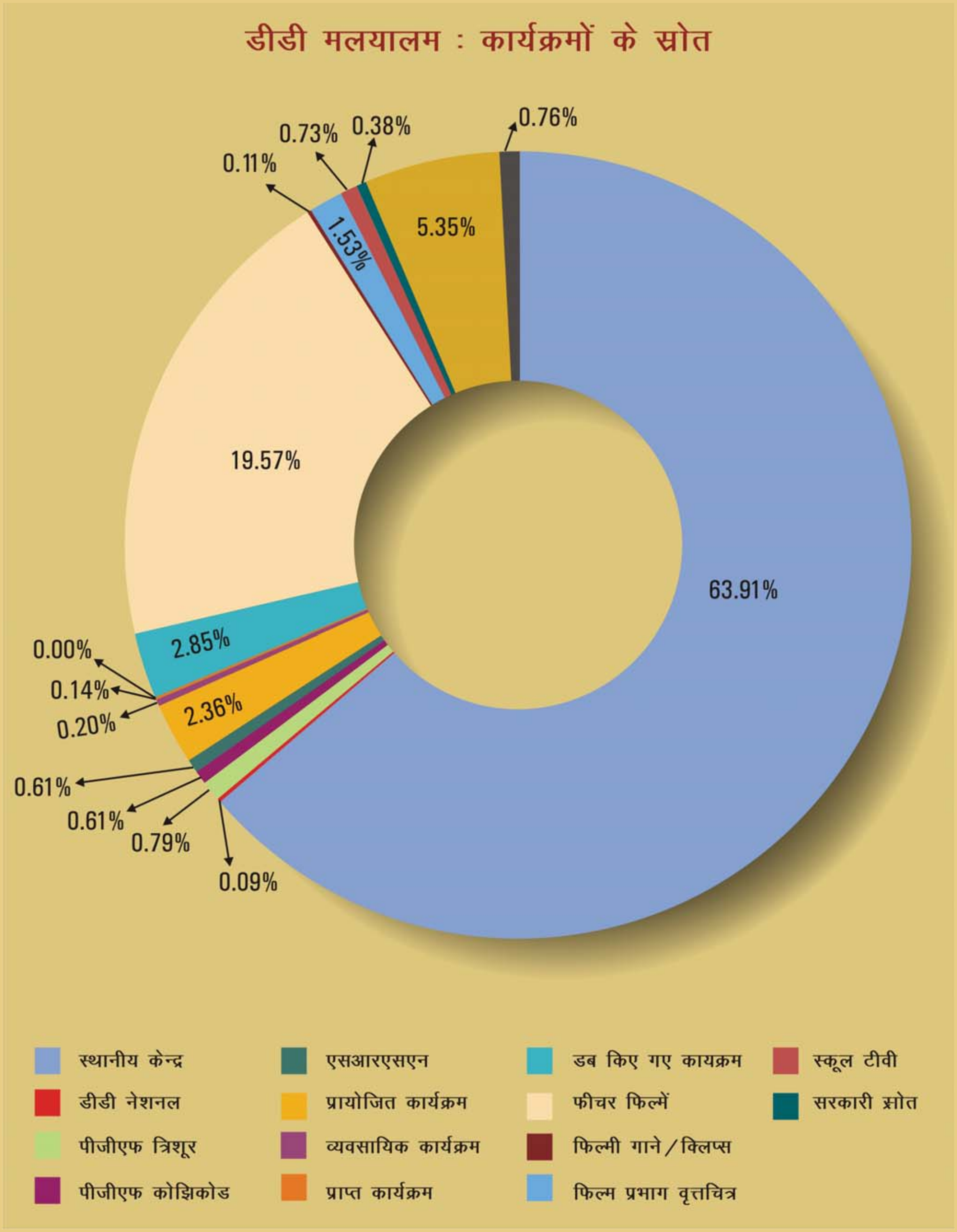
डीडी मलयालम : कार्यक्रमों के स्रोत
0.73%
0.38%
0.76%
0.11%
1.53%
5.35%
19.57%
63.91%
2.85%
0.00%
0.14%
0.20%
2.36%
0.61%
0.61%
0.79%
0.09%
स्थानीय केन्द्र
एसआरएसएन
डब किए गए कायक्रम
स्कूल टीवी
डीडी नेशनल
प्रायोजित कार्यक्रम
फीचर फिल्में
सरकारी स्रोत
पीजीएफ त्रिशूर
व्यवसायिक कार्यक्रम
फिल्मी गाने/क्लिप्स
पीजीएफ कोझिकोड
प्राप्त कार्यक्रम
फिल्म प्रभाग वृत्तचित्र

दर्शकों को चैनल की निगरानी और प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करने के लिए 9 विधाओं में 'चंदना' पुरस्कार की स्थापना

- ओ बी आधारित सांस्कृतिक राउन्ड अप कार्यक्रम ''सुट्टा मुट्टा'' तथा ''ताना याना'' का फिर से प्रसारण प्रारम्भ करना।

डीडी बांग्ला

20 अगस्त 1992 को प्रारम्भ डी डी बांग्ला 1 जनवरी 2000 से 24 घन्टे प्रसारण वाला हो गया। बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने एवं उसे आगे बढ़ाने में यह चैनल महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

vi;y ls vDVcj] 2012 ds chp njn'ku ds dkydkrk dUn dh miyfC/k;k bl idkj g&

बंगाली नववर्ष पर विशेष कार्यक्रम, 8 मई 2012 को टैगोर के जन्म दिवस समारोह पर टैगोर के जन्म स्थान ठाकुर बाड़ी से सीधा प्रसारण, विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम 'विज्ञान प्रसंगे' में हिग्स–बोसान कण (गॉड पार्टिकल) पर चर्चा, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी का नेताजी सुभाषचन्द्र इन्डोर स्टेडियम, कोलकाता में स्वागत का सीधा प्रसारण, भारत बांग्लादेश सांस्कृतिक सम्बन्ध पर टीवी रिपोर्ट, पूजा तैयारी एवं पैरालंपिक खेल, लंदन, 2012 पर कार्यक्रम, 'महालया' (देवी दुर्गा) पर विशेष कार्यक्रम, बेलूर मठ, रामकृष्ण मिशन से दुर्गा पूजा का सीधा प्रसारण, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का इच्छामती नदी से सीधा प्रसारण।

डीडी नार्थ ईस्ट

15 अगस्त, 1994 को प्रारम्भ डीडी नार्थईस्ट दूरदर्शन के गुवाहाटी कार्यक्रम निर्माण केन्द्र (एनई) के सहयोग से 24 घन्टे अनवरत प्रसारण कर रहा है। यह प्रसारण सिक्किम सहित सभी सात पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में उपलब्ध है। इन हाउस कार्यक्रमों के अलावा पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों इसके प्रसारण से जुड़े हैं। दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी द्वारा प्रारम्भ किए कार्यक्रम को भी यह शामिल करता है।

vof/k ds nkjku xfrfof/k;k&

bf.M;k bukoV'l& नवीनता को प्रदर्शित करती एक वृत्तचित्र श्रृंखला का प्रसारण माह में एक बार।

ckgj ls cuok;s x, dk;Øe& पूर्वोत्तर राउन्ड अप– कार्यक्रमों की श्रृंखला जो कि बाहय स्त्रोत से प्राप्त की गई, पूर्वोत्तर विशेष पैकेज की योजना के अंर्तगत।

fo"k'k vkmVMkj ilkj.k&
क) समानयार सुभाष–मुशालपुर, बक्षा जिला, असम में सांप्रदायिक सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता पर आयोजित कार्यक्रम।

ख) जनकृष्टि समारोह (ग्रामीण कन्सर्ट) दिफू, असम में आयोजित।

डी डी–6(उड़िया)

2 अक्टूबर 1993 को प्रारम्भ दूरदर्शन का उड़िया भाषा क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल (आरएलएससी) 1 अप्रैल 2001 को 24 घन्टे प्रसारण वाला हो गया। वर्तमान में इसे 55 घन्टे 30 मिनट प्रसारण प्रति सप्ताह का टेरेस्टेरियल सहयोग तथा शेष 112 घन्टे 30 मिनट अवधि का प्रसारण उपग्रह मोड में प्राप्त हो रहा है।

2012&13 ds nkjku Mh Mh 6 mfM+;k ds fofHkUu xfrfof/k;k fuEu g&

उत्कल प्रज्ञान सम्मेलन समारोह का प्रसारण, रथयात्रा का समारोह का सीधा प्रसारण, रथयात्रा की वापसी के समारोह तथा पुरी से भगवान जगन्नाथ का सुना बेशा, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओज फेस्टिवल, 2012 का सीधा प्रसारण।

डी डी– 6– उड़िया के कार्यक्रमों में विविधता एवं नवीनता लाने के लिए निम्नलिखित नए कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए हैं–

अमा रोसोई (कुकिंग टिप्स पर), अमा आईन (लीगल टिप्स पर), हेलो डॉक्टर (स्वास्थ्य टिप्स पर), अपन्का सहर (अपने शहर को जानो) कान्था कहे कहानी (एन आर एच एम प्रोजेक्ट)।

21,32,000 रुपए का व्यावसायिक राजस्व अर्जित किया गया।

डीडी पंजाबी

6 अगस्त 1998 को प्रारम्भ डी डी पंजाबी 5 अगस्त 2000 से 24 घन्टे प्रसारण अवधि का हो गया तथा भारत में विस्तृत रुप से उपलब्ध है। उन देशों में भी उपलब्ध है जहां इनसेट 3ए तथा इनसेट 4बी का प्रसारण उपलब्ध है। डी डी पंजाबी चैनल डी टी एस (डायरेक्ट टू होम) प्लेटफार्म पर उपग्रह इनसेट 4 बी पर उपलब्ध है।

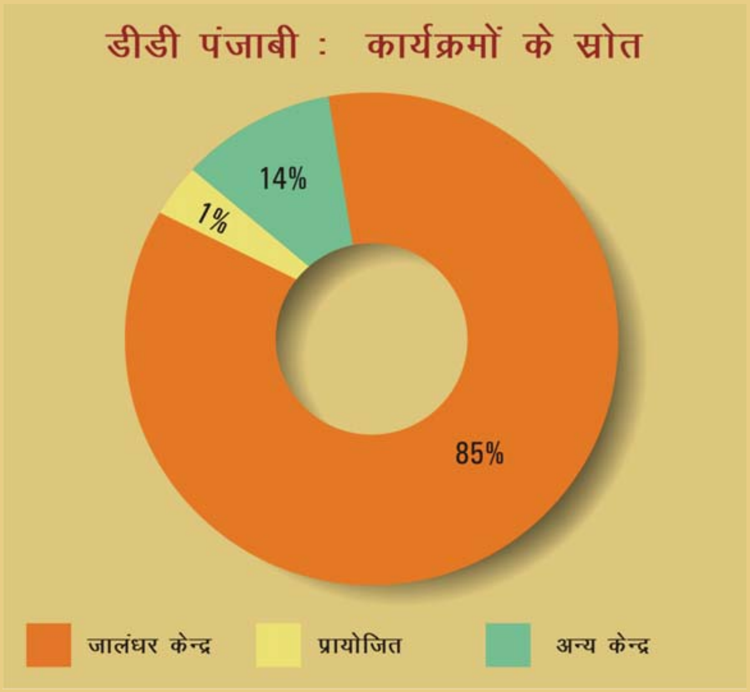

विकासात्मक समाचारों, सीरियल, वृत्त चित्रों, समसामयिक कार्यक्रम, चर्चा, बहस, चैट शो, क्विज कार्यक्रम, विशेषज्ञों के साथ साक्षात्कार संगीत के क्षेत्र में विशेषज्ञ एवं कलाकार से सम्बन्धित कार्यक्रमों के विस्तृत स्पेक्ट्रम का क्षेत्रीय भाषा उपग्रह चैनल द्वारा प्रसारण को दर्शकों द्वारा विस्तृत रुप से पसंद किया गया। फोन इन सजीव कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय है। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक मुद्दों पर कार्यक्रम नियमित रुप से प्रसारित किए जा रहे हैं। पंजाब की संस्कृति एवं धरोहर को संरक्षित रखने के उद्देश्य से चैनल कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। डी डी पंजाबी के संगीत आधारित कार्यक्रम की वजह से (यथा–शबद कीर्तन, भक्ति संगीत, विरासत, सो तन सोहवा, लिशकारा, खिड़की आदि) यह चैनल अन्य क्षेत्रीय निजी पंजाबी उपग्रह चैनलों से ऊँचे स्थान पर बना हुआ है।

uohu ,o lokneyd dk;Øe

संवादमूलक कार्यक्रमों का प्रसारण विवरण निम्न है–

गल्लां ते गीत, हेलो डी डी, आज दा मसाला, (फोकस)– समाज के ज्वलंत मुद्दों के बारे में दर्शकों के जागरुकता पैदा करने के लिए अंग्रेजी में एक नया समसामयिक कार्यक्रम, रिएल्टी शो– 'सुर सरताज', मंजिल–युवाओं के लिए नया कैरियर गाइडेन्स कार्यक्रम, महफिल– एक नया विशेष संगीत कार्यक्रम जिसका आधार पंजाबी लोकसंगीत संस्कृति है, डी डी टॉप–10 कार्यक्रम– श्रोता अनुसंधान स्कन्ध द्वारा उपलब्ध टीआरपी पर आधारित।

विज्ञापनों के लिए आचारसंहिता

वस्तु एवं सेवाओं के लिए दूरदर्शन विज्ञापनों का प्रसारण करता है परन्तु स्वीकार्यता एक समेकित विज्ञापन कोड द्वारा शामिल है। सिगरेट, तम्बाकू उत्पाद, शराब, मदिरा तथा अन्य नशे के पदार्थों के विज्ञापन स्वीकार नहीं किए जाते हैं। डी डी नेशनल एवं डी डी न्यूज पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में तथा क्षेत्रीय डी डी चैनलों पर क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञापनों का प्रसार किया जाता है। इस सम्बन्ध में बुकिंग अधिकृत एवं पंजीकृत एजेन्सियों से स्वीकार की जाती है।

वर्ष 2012–13 के लिए सकल राजस्व 649.82 रुपए (अप्रैल से अक्टूबर, 2012) रुपए था।

विकास संचार प्रभाग

निगम के एक अलग प्रभाग (जिसका नाम 2001 में विकास संचार प्रभाग पड़ा) की स्थापना का उद्देश्य सरकारी एजेन्सियों से प्राप्त राजस्व 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए करना है।

विकास संचार प्रभाग ने सरकारी मंत्रालयों, विभागों, एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में मौजूद संभावनाओं के इस्तेमाल लिए समाधान प्रस्तुत किया। इसमें सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए संदेशों के निर्माण एवं प्रसारण की सेवा उपलब्ध करायी गयी।

प्रभाग ने राजस्व प्राप्ति एवं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कार्यक्रमों की श्रृंखलाओं का निर्माण कर अप्रत्याशित सफलता प्राप्त की।

प्रभाग ने राजस्व प्राप्ति में अनवरत तरक्की की तथा 2011–12 में दूरदर्शन के कुल राजस्व का 46 प्रतिशत हिस्सा पूरा किया।

ckul ,vjVkbe d #i e nijn'ku dk ;kxnku

ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप दूरदर्शन ने प्रमुख अभियानों का निर्माण किया। इसकी शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए अभियान से हुई। इस प्रकार दूरदर्शन में इन हाउस निर्माण के पुनरोद्धार का युग प्रारम्भ हुआ। पिछले दशक में पुर्नजीवन एवं वृद्धि में निरन्तरता को हासिल करते हुए दूरदर्शन ने अपनी अनोखी शक्ति को (विकास कार्यक्रमों के लिए एक असाधारण कार्यक्रम निर्माण केन्द्र के रुप में) बनाए रखा है।

2002 से प्रारम्भ करते हुए दूरदर्शन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अभियान ''कल्याणी'' का निर्माण करता रहा है जिसे डब्ल्यूएचओ द्वारा ''शिखर के 15 वैश्विक पहलों में से एक'' चुना गया। 8 राज्यों से प्रारम्भ यह अभियान 21 राज्यों तक पहुंच गया है तथा इस वर्ष यह दूरदर्शन के 30 स्टेशनों तक 'स्वस्थ भारत' नाम से पहुंच चुका है। यह विश्व का सबसे बड़ा तथा पहला लोक स्वास्थ्य संचार अभियान है जो प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपए अर्जित करता है।

अभियान की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल, 2012 को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा दूरदर्शन के स्टूडियो में की गई। दूरदर्शन ने अप्रैल से नवम्बर, 2012 के बीच 19 भाषाओं तथा 17 बोलियों में 4120 कार्यक्रमों का निर्माण किया।

डीडी आर्काइव्स

डीडी आर्काइव्स की स्थापना 2004 में पुरालेख के विपुल संग्रह के साथ श्रव्य दृश्य डिजीटल विश्व की चुनौतियों का सामना करने तथा दूरदर्शन के पिछले 50 वर्षों के दुर्लभ तथा असाधारण कार्यक्रमों का संरक्षण करने के लिए हुई। डी डी आर्काइव्स द्वारा निम्न श्रेणियों में सेवाएं उपलब्ध कराई जाती रही हैं–

- कार्यक्रमों का डिजीटलीकरण
- डी वी डी एवं सी डी की रिलीज
- आर्काइवल फुटेज की बिक्री
- डीवीडी, वीसीडी तथा एसीडी की बिक्री एवं विपणन
- ग्राहकों की जरूरतों के अनुरूप डीवीडी तैयार करना
- चैनलों के लिए साफ्टवेयर की आपूर्ति
- नवीन निर्माण एवं रिकार्डिंग
- पुनरीक्षण एवं पुनः पैकेजिंग
- अक्टूबर 2012 तक केन्द्रीय आर्काइव्स में प्राप्त कुल टेप 25535 (विभिन्न अवधि)
- विभिन्न फार्मेटों से डीवीसी प्रोटेप

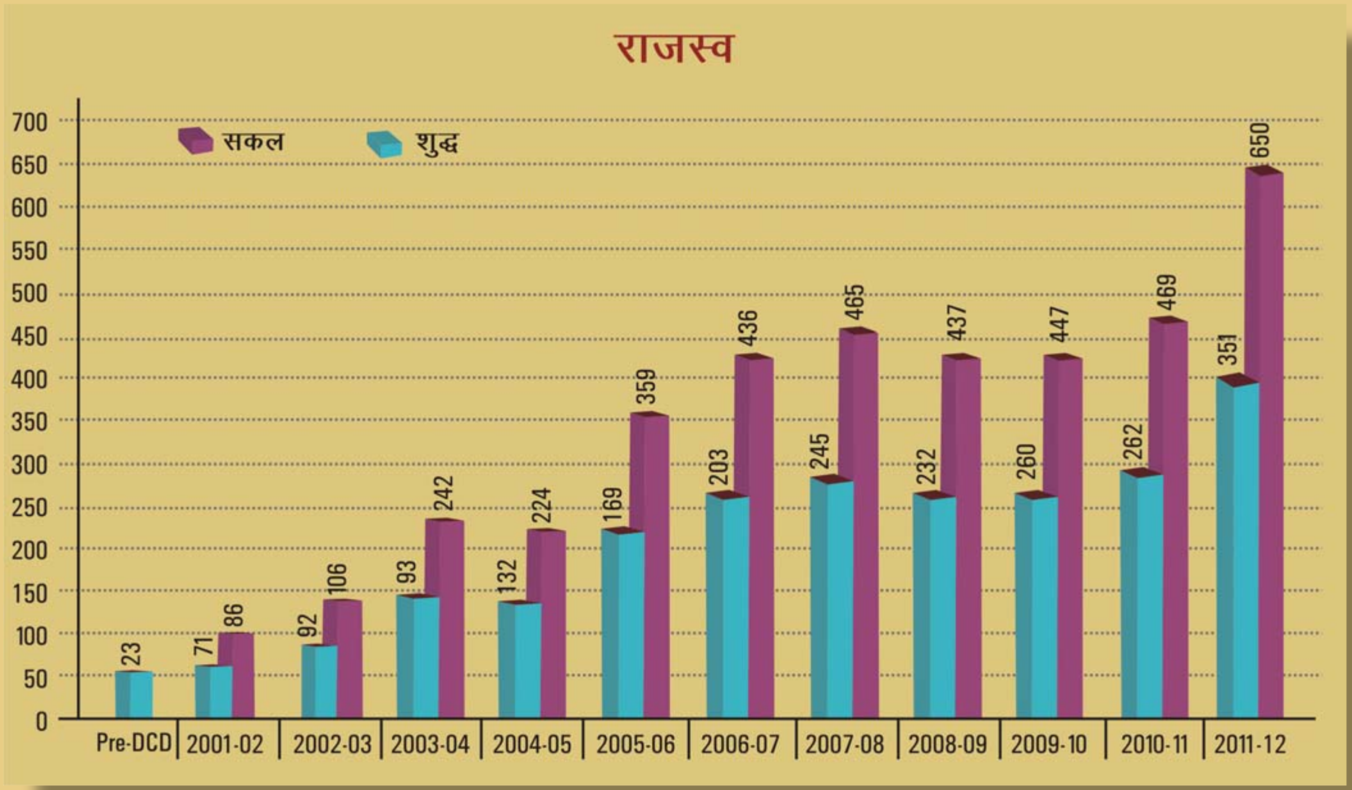

में डिजीटाइज्ड घंटे 16447 लगभग

- केन्द्रीय आर्काइव्स में बची खाली टेप– 6500 टेप लगभग
- 2012 में प्राप्त टेपों की संख्या (अप्रैल से अक्टूबर 2012)– 6900
- डिजीटाइजेशन पूरा किया– 975 घंटे

डी डी आर्काइव्स मेलों तथा दिल्ली एवं बाहर आयोजित होने वाली इवेन्ट यथा जयपुर में होने वाली एनआरआई मीट, भारत के अंतराष्ट्रीय फिल्म समारोह, क्राफ्ट मेला तथा दिल्ली हाट, व्यापार मेला, पुस्तक मेला इत्यादि में स्टॉल लगा रहा है।

ihvkj bdkb

ehfM;k igy

निदेशालय का जनसम्पर्क अनुभाग एक छोटी संयोजन इकाई है जो कि मीडिया एवं प्रचार पहलों का उत्तरदायित्व लेती है। संचार, विज्ञापन, सीधे मेलर्स, प्रेस विज्ञप्ति इत्यादि के सभी रुप गतिविधियों के प्रकाशन एवं दूरदर्शन के कार्यक्रम के लिए अपनाए जाते हैं।

दूरदर्शन कार्यक्रमों की एक संपूर्ण गाइड ''डीडी दिस वीक'' जनसम्पर्क इकाई द्वारा प्रकाशित की जा रही है जिसे पीटीआई, यूएनआई, सभी समाचारपत्र तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया, डीटीएच प्लेटफार्म आदि को भेजा जाता है। यह अनुभाग दूरदर्शन की वेबसाइट को दैनिक आधार पर अपडेट करता है।

डीडी स्पोर्ट्स पर लन्दन ओलम्पिक के प्रचार की पहल से काफी लाभांश प्राप्त हुआ क्योंकि ओलम्पिक के दौरान डीडी स्पोर्ट्स चैनल देखना अनिवार्य सा हो गया था। ''सत्यमेव जयते'', ''कोक स्टडियो'', ''गोरा'', ''एक था रस्टी 2'' तथा फीचर फिल्में जैसे कार्यक्रम का प्रचार समाचारपत्र विज्ञापन एवं मीडिया के सहयोग से प्रारम्भ किया गया। कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए प्रेस को आमंत्रित किया गया। दूरदर्शन भवन के बाहर चमकीले बिलबोर्ड लगाए गए है। प्रेस के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए रखा जाता है।

डीडी राष्ट्रीय पुरस्कार

2001 में दूरदर्शन ने डीडी पुरस्कारों की स्थापना थिमेटिक, सौंदर्यपरक तथा तकनीकी उत्कृष्टता के इन हाउस कार्यक्रमों की पहचान करने के लिए की। इन पुरस्कारों का मुख्य उद्देश्य स्टाफ के बीच एक प्रतियोगात्मक भावना का विकास गुणवत्ता एवं नवीन प्रोजेक्टों के लिए करना है। वार्षिक पुरस्कार समारोह सीखने एवं विभिन्न कला केन्द्रों के बीच प्रतिभाशाली निर्देशकों का उत्साह बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। पहले पुरस्कार समारोह में 34 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए।

हिन्दी का निरंतर उपयोग

हिन्दी के निरंतर उपयोग के लिए राजभाषा नीति एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के वास्ते दूरदर्शन निदेशालय में अलग से एक हिन्दी अनुभाग अवस्थित है। यह अनुभाग हिन्दी के निरंतर उपयोग के लिए निदेशालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों में स्थिति की समीक्षा करता है तथा हिन्दी के प्रयोग के लिए सभी प्रयासों में वृद्धि का संवर्द्धन करता है।

वर्ष के दौरान इस अनुभाग की प्रमुख गतिविधियों में शामिल है–

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत सभी दस्तावेज द्विभाषी रुप में जारी किए गए तथा हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया।
2. निदेशालय में राजभाषा नीति के अनुपालन की समीक्षा करने के लिए राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 4 बैठकें वर्ष के दौरान आयोजित की गईं। साथ ही अधिकारियों/कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रति जागरुकता उत्पन्न करने तथा हिन्दी में काम करने के लिए प्रेरित करने के लिए हिन्दी कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित की गईं।
3. 14 से 28 सितम्बर 2012 के दौरान हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए।
4. 2013 में एक हिन्दी सम्मेलन आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। गुजरात, महाराष्ट्र एवं दक्षिण ी क्षेत्रों में स्थित दूरदर्शन के सभी कार्यालय इस सम्मेलन में भाग लेंगे।
5. निदेशालय की इनहाउस हिन्दी पत्रिका 'दर्शन' का सातवां संस्करण प्रकाशित किया जाएगा।

दर्शक अनुसंधान

दूरदर्शन की दर्शक अनुसंधान इकाई देश भर के दूरदर्शन कार्यालयों की 19 क्षेत्रीय इकाइयों में स्थित हैं तथा प्रसारण के विभिन्न पहलुओं पर वर्ष

1976 से अनुसंधान अध्ययन के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान दर्शक अनुसंधान इकाई ने निम्न प्रकार से योगदान दिया है।

- टैम टीवीआर की साप्ताहिक रेटिंग के आधार पर विश्लेषण तथा रिपोर्टिंग।
- वर्ष 2011–12 के लिए प्रसार भारती तथा 2012–13 के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी।
- संशोधित ग्रामीण डीएआरटी पैनल सर्वे जो अगस्त 2010 में प्रारम्भ हुआ तथा जो आईटी तकनीक पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुसार संपूर्ण भारत को कवर करता है।
- ''स्टडी ऑन प्रोविजन ऑफ डीटीएच रिसीवर, इट्स यूजफुलनेश एण्ड व्युअर्स परसेप्शन'' विषय पर रिपोर्ट जो कि आभियांत्रिकी अनुभागः महानिदेशक, दूरदर्शन को मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए दी गई।
- दूरदर्शन का राजस्व बढ़ाने की नीति तय करने के लिए सलाहकार संस्था चुनने के वास्ते आरएफपी अक्टूबर 2012 में जारी किया गया।

राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित एक प्रविष्टि

दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडियो केन्द्र)

Øe l[;k	jkT;@ l?k 'kkfl r {k=	fLFkfr
1	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, विजयवाड़ा, वारंगल, तिरुपति
2	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
3	असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, गुवाहाटी (पीपीसी), सिलचर
4	बिहार	पटना, मुजफ्फरपुर
5	छत्तीसगढ़	जगदलपुर, रायपुर
6	गोवा	पणजी
7	गुजरात	अहमदाबाद, राजकोट
8	हरियाणा	हिसार
9	हिमाचल प्रदेश	शिमला
10	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर, जम्मू, लेह, राजौरी
11	झारखण्ड	रांची, डाल्टनगंज
12	कर्नाटक	बैंगलुरु, गुलबर्गा
13	केरल	कालीकट, तिरुवनंतपुरम, त्रिशूर
14	मध्य प्रदेश	भोपाल, इन्दौर, ग्वालियर
15	महाराष्ट्र	मुम्बई, नागपुर, पुणे
16	मणिपुर	इम्फाल
17	मेघालय	शिलांग, तुर्रा
18	मिजोरम	आइजोल
19	नागालैण्ड	कोहिमा
20	उड़ीसा	भुवनेश्वर, भवानीपटना, सम्बलपुर
21	पंजाब	जालन्धर, पटियाला
22	राजस्थान	जयपुर
23	सिक्किम	गंगटोक
24	तमिलनाडु	चेन्नई, कोयंबटूर, मदुराई
25	त्रिपुरा	अगरतला
26	उत्तरप्रदेश	इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, गोरखपुर, मऊ, वाराणसी, मथुरा
27	उत्तराखण्ड	देहरादून
28	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, शान्ति निकेतन, जलपाईगुड़ी
29	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर
30	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
31	दिल्ली	दिल्ली, दिल्ली (सीपीसी)
32	पुद्दुचेरी	पुद्दुचेरी

दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ट्रांसमीटरों की संख्या												
		प्राइमरी चैनल (डीडी 1)					न्यूज चैनल (डीडी न्यूज)				पूरक संरक्षण की परिधि में क्षेत्रीय कार्यक्रम का प्रसारण करने वाले डीडी 1 ट्रांसमीटर			
		एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	टीआरपी	योग	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	योग	एचपीटी	एलपीटी	वीएलपीटी	योग
1	आन्ध्र प्रदेश	9	75		1	85	4	6		10			10	10
2	अरुणाचल प्रदेश	1	3	39	1	44	1			1				0
3	असम	4	20	1	1	26	2	1		3				0
4	बिहार	4	32	2		38	2	2		4				0
5	छत्तीसगढ़	4	15	8		27	1			1				0
6	गोवा	1				1	1			1				0
7	गुजरात	7	51			58	4	3		7			3	3
8	हरियाणा	2	13			15	1	7		8				0
9	हिमाचल प्रदेश	3	7	39	2	51	2	1		3				0
10	जम्मू और कश्मीर	10	7	69	1	87	5	3		8	4	8	18	30
11	झारखण्ड	3	17	2		22	2	2	1	5				0
12	कर्नाटक	8	47			55	4	2		6			7	7
13	केरल	4	20			24	3	2		5			4	4
14	मध्य प्रदेश	8	60	6		74	4			4				0
15	महाराष्ट्र	8	78			86	5	10		15			20	20
16	मणिपुर	2	1	4		7	1			1				0

17	मेघालय	2	3	2	1	8	2			2				0
18	मिजोरम	2	1	2	1	6	1	1		2				0
19	नागालैंड	2	2	6	2	12	1	1		2				0
20	उड़ीसा	5	62		1	68	2	7	2	11			16	16
21	पंजाब	4	4		1	9	3	1		4				0
22	राजस्थान	7	65	17	2	91	4	4		8				0
23	सिक्किम	1		6		7	1			1				0
24	तमिलनाडु	6	44		1	51	2	9		11	1		7	8
25	त्रिपुरा	1	5	1	1	8	1	1		2				0
26	उत्तरप्रदेश	11	52	3		66	7	10	1	18				0
27	उत्तराखण्ड	1	15	33	2	51	1	2		3				0
28	पश्चिम बंगाल	8	19			27	4	2		6	1		1	2
29	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	1	18		20	1	1	6	8				0
30	चण्डीगढ़		1			1				0				0
31	दादरा एवं नगर हवेली		1			1				0				0
32	दमन एवं दीव		2			2				0				0
33	दिल्ली	1				1	1			1				0
34	लक्षद्वीप आइलैण्ड		1	1		2			7	7			7	7
35	पुद्दुचेरी	1	1	1		3		1		1			1	1
	;kx	131	725	260	18	1134	73	79	17	169	6	8	94	108

नोटः उपरोक्त ट्रांसमीटरों के साथ साथ चार मेट्रों में चार डिजीटल ट्रांसमीटर काम कर रहें हैं।

VkI ehVjk dh dqy la[;k 1415

11वीं योजना में पूर्णतः डिजीटाइज होने वाले स्टूडियो केन्द्रों की संख्या

¼12oha ;kstuk esa tkjh½

Øe la[;k	jkT;@ la?k 'kkflr {ks=	iw.kZr% fMthVkbt gksus okys LVwfM;ks
1	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
2	अरुणाचल प्रदेश	ईटानगर
3	असम	डिब्रूगढ़, गुवाहाटी (पीपीसी), सिलचर
4	बिहार	मुजफ्फरपुर
5	छत्तीसगढ़	रायपुर, जगदलपुर
6	गोवा	पणजी
7	गुजरात	राजकोट
8	हिमाचल प्रदेश	शिमला
9	जम्मू और कश्मीर	जम्मू
10	झारखण्ड	रांची, डालटनगंज
11	कर्नाटक	गुलबर्गा
12	केरल	त्रिचूर
13	मध्य प्रदेश	इन्दौर, ग्वालियर
14	महाराष्ट्र	नागपुर, पुणे
15	मणिपुर	इम्फाल
16	मेघालय	शिलांग, तुरा
17	मिजोरम	आईजोल
18	नागालैण्ड	कोहिमा
19	उड़ीसा	सम्बलपुर, भवानीपटना
20	सिक्किम	गंगटोक
21	त्रिपुरा	अगरतला
21	उत्तर प्रदेश	मऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, मथुरा
23	पश्चिम बंगाल	जलपाईगुड़ी, शान्तिनिकेतन
24	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर
25	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़
26	पुद्दुचेरी	पुद्दुचेरी

11वीं योजना में स्थापित होने वाले डिजीटाइज ट्रांसमीटर

¼12oha ;kstuk esa tkjh½

Øe la[;k	jkT;@la?k 'kkflr {ks=	i.kkyh fMthVkbt gksus okys LVwfM;ks
1	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, विजयवाड़ा
2	असम	गुवाहाटी
3	बिहार	पटना
4	छत्तीसगढ़	रायपुर
5	दिल्ली	दिल्ली
6	गुजरात	राजकोट, सूरत, वड़ोदरा, अहमदाबाद
7	हिमाचल प्रदेश	कसौली
8	जम्मू और कश्मीर	श्रीनगर
9	झारखण्ड	रांची
10	कर्नाटक	बैंगलुरु, मैसूर
11	केरल	तिरुवनंतपुरम
12	मध्य प्रदेश	इन्दौर, ग्वालियर, भोपाल
13	महाराष्ट्र	नागपुर, पुणे, मुम्बई, औरंगाबाद
14	ओडिसा	कटक
15	पंजाब	जालन्धर, अमृतसर
16	राजस्थान	जयपुर
17	तमिलनाडु	चेन्नई, कोडाईकनाल
18	उत्तर प्रदेश	कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, बरेली, लखनऊ, आगरा
19	उत्तराखण्ड	मसूरी
20	पश्चिम बंगाल	कोलकाता, कृष्णानगर

11वीं योजना में स्थापित होने वाले डिजीटलाइज ट्रांसमीटर

¼12oha ;kstuk esa tkjh½

Øe la[;k	jkT;	500 okV vkWVkekWM ¼1$1½ ,yihVh dh fLFkfr
1	आन्ध्र प्रदेश	खम्माम, काकीनाडा, कुडप्पा, ओनगूल, आदिलाबाद, श्रीकाकुलम, नालगोंडा, कोथागुदेम
2	असम	दिफू, हैफलॉग, बोंगाईगांव, गोलाघाट, उत्तरी लखीमपुर
3	छत्तीसगढ़	बैलाडीला, कांकेर, डोंगागढ़
4	गुजरात	भावनगर, वीरावल, दीसा, अमरेली, आहवा, वलसाड
5	हरियाणा	भिवाणी, सिरसा, मेहम
6	हिमाचल प्रदेश	मंडी, बिलासपुर
7	जम्मू और कश्मीर	रायसी
8	झारखण्ड	देवघर
9	कर्नाटक	बीजापुर, बेलारी, माडिकेरी, उडुपी, चिकमंगलूर, बीदर, करवर, अथानी
10	केरल	पालघाट, मल्लापुरम, इद्दुकी
11	मध्य प्रदेश	रतलाम, खण्डवा, दमोह, शिवपुर, सतना, शाजापुर, दतिया
12	महाराष्ट्र	परभनी, धुले, बुलढाणा, अहमदनगर, नासिक, पुसाड, नांदेड़, अकोला, हिंगोली, शोलापुर, अमरावती, वासिम, उमरेगा, सांगली, कंकौली, कोल्हापुर, यवतमाल, हिंगनघाट, गढ़चिरौली, बीड, अकलुज, किनवत
13	मेघालय	जोवाई, विलियमनगर
14	नागालैण्ड	तुएनसांग
15	ओडिशा	बरीपादा, नवरंगपुर, भंजनगर, क्योंझर, फूलबनी, ब्रिजराजनगर, बोलनगीर, सुंदरगढ़, ढेंकानल
16	राजस्थान	अलवर, जालौर, वल्लभीनगर, बाड़मेर, टोंक, सीकर, जैसलमेर, सालुम्बर
17	तमिलनाडु	कोलार गोल्ड फील्ड, तिरुचेन्दूर, कुन्नूर, सलेम
18	त्रिपुरा	कैलाशहर
19	उत्तर प्रदेश	शाहजहांपुर, उरई, मनाली, फतेहगढ़, बलिया, अलीगढ़, इटावा, हरदोई, पूरनपुर
20	उत्तराखण्ड	टनकपुर
21	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार, कोन्टई, झारग्राम, दार्जिलिंग, गोधरा, कलिमपोंग

आकाशवाणी

संगठनात्मक ढांचा

आकाशवाणी महानिदेशालय प्रसार भारती (ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन ऑफ इण्डिया) के अंतर्गत कार्य करता है। आकाशवाणी के महानिदेशक 'विभाग प्रमुख' होते हैं। आकाशवाणी नेटवर्क के समग्र प्रशासन तथा निरीक्षण के लिए वह उत्तरदायी होते हैं। अपने कर्त्तव्यों तथा अधिकारों के निष्पादन में, महानिदेशक की सहायता निम्न अधिकारियों द्वारा की जाती है।

कार्यक्रम स्कन्ध

अपर महानिदेशक मुख्यालय एवं क्षेत्रीय स्तर पर कार्यक्रम एवं सामग्री निर्माण से संबंधित मामलों की देखभाल के लिए महानिदेशक की सहायता करते हैं। अपर क्षेत्रीय महानिदेशकों के मुख्यालय दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र–1) एवं चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र–2), मुंबई (पश्चिमी क्षेत्र–1), लखनऊ (मध्यक्षेत्र–1) एवं भोपाल (मध्य क्षेत्र–2) कोलकाता (पूर्वी क्षेत्र), गुवाहाटी (पूर्वोत्तर क्षेत्र), चेन्नई (दक्षिण क्षेत्र–1) एवं बंगलूरू (दक्षिण ी क्षेत्र–2) में हैं। अहमदाबाद (पश्चिम क्षेत्र–2) में भी अपर महानिदेशक का एक नया कार्यालय खोला जा रहा है।

अभियांत्रिकी स्कन्ध

आकाशवाणी के तकनीकी मामलों में महानिदेशक का सहयोग इंजीनियर–इन–चीफ तथा अपर महानिदेशक (अभियांत्रिकी) द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में होती है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय में एक योजना तथा विकास इकाई होती है जो आकाशवाणी की योजनागत स्कीमों के

आकाशवाणी महानिदेशक गुवाहाटी, शिलांग और ईटानगर केन्द्रों के लिए डीएसएनजी वेनों के परिचालन का शुभारम्भ करते हुए

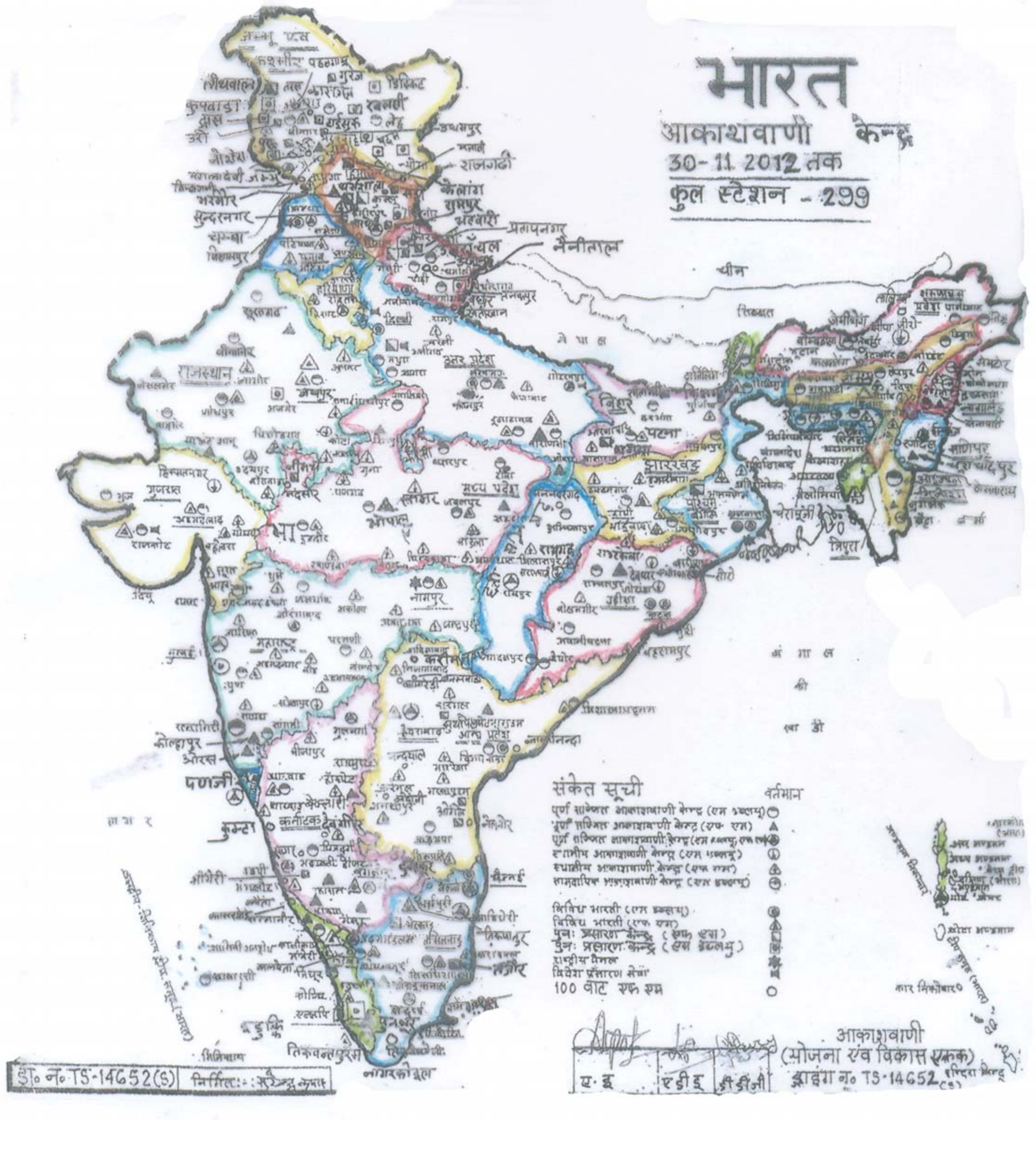
भारत
आकाशवाणी केन्द्र
30-11.2012 तक
कुल स्टेशन - 299
चीन
नैनीताल
संकेत सूची
वर्तमान
100 वाट एफ एम
आकाशवाणी
(योजना एवं विकास एकक)
ड्राइंग न० TS-14652(S)
ड्रा० न० TS-14652(S)

लिए होती है। सिविल निर्माण स्कन्ध (सी.सी.डब्ल्यू.) जिसका प्रमुख चीफ इंजीनियर होता है, सिविल निर्माण गतिविधियाँ देखता है। सिविल निर्माण स्कन्ध दूरदर्शन की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

प्रशासनिक स्कन्ध

महनिदेशक को प्रशासन संबंधी सभी मामलों में सहायता के लिये एक उप महानिदेशक (प्रशासन) होता है जबकि अतिरिक्त उपमहानिदेशक (कार्यक्रम) कार्यक्रम मामलों के मामले में महानिदेशक की सहायता करता है। निदेशक इंजीनियरिंग एवं कार्यक्रम प्रशासन से सबंधित आकाशवाणी के मामले देखता है। एक अन्य निदेशक प्रशासन एवं वित्तीय मामले देखता है।

सुरक्षा स्कन्ध

आकाशवाणी प्रतिष्ठानों, ट्रांसमीटरों, स्टूडियो, कार्यालयों आदि की सुरक्षा के लिए उपमहानिदेशक (सुरक्षा), सहायक महानिदेशक (सुरक्षा) तथा उपनिदेशक (सुरक्षा) महानिदेशक की सहायता करते हैं। दूरदर्शन की सुरक्षा आवश्यकताओं की निगरानी भी इन्हीं अधिकारियों के द्वारा की जाती है।

श्रोता अनुसंधान स्कन्ध

विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों से प्रसारित विभिन्न कार्यक्रमों पर सर्वेक्षण कार्य के संबंध में महानिदेशक की सहायता के लिये निदेशक (श्रोता अनुसंधान) होता है।

अधीनस्थ कार्यालयों की संक्षिप्त गतिविधियां

समाचार सेवा प्रभाग

समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) चौबीसों घंटे कार्य करता है एवं प्रतिदिन घरेलू एवं बाहरी (भारतीय और विदेशी भाषाओं में) कुल 647 समाचार बुलेटिन प्रसारित करता है। इस प्रभाग के प्रमुख महानिदेशक हैं। इसके अंतर्गत 44 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय समाचारों के लिए इनपुट उपलब्ध कराती हैं।

विदेश सेवा प्रभाग

आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग 27 भाषाओं में प्रसारण करता है। जिसमें 16 विदेशी एवं 11 भारतीय भाषाएं हैं। इस सेवा की दैनिक कुल प्रसारण अवधि–72 घंटे है और ये प्रसारण 100 देशों से अधिक देशों में प्रसारित किए जाते हैं।

ट्रांसक्रिप्शन और कार्यक्रम – आदान – प्रदान सेवा

ट्रांसक्रिप्शन और कार्यक्रम आदान–प्रदान सेवा विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों के बीच कार्यक्रमों के विनिमय, सांउड आर्काइव के निर्माण एवं रखरखाव और नामी–गिरामी संगीतकारों की प्रसिद्व रिकार्डिंग्स को बिक्री के लिये जारी करने के काम की देखरेख करती है।

अनुसंधान विभाग

अनुसंधान विभाग आकाशवाणी और दूरदर्शन की जरूरत के अनुरूप अनुसंधान और विकास कार्य करता है। इसमें आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क में सीमित क्षेत्रीय परीक्षण के लिये अनुसंधान एवं विकास उपकरणों के प्रोटोटाइप माडलों का विकास शामिल है।

केन्द्रीय स्टोर कार्यालय

नई दिल्ली स्थित केन्द्रीय स्टोर कार्यालय आकाशवाणी केन्द्रों पर तकनीकी उपकरणों के रखरखाव के लिए आवश्यक अभियांत्रिकी स्टोर की अधिप्राप्ति, स्टाक तथा वितरण से सम्बन्धित कार्य करते हैं।

स्टाफ ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट (कार्यक्रम)

स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) की स्थापना निदेशालय में 1948 में की गई। यह संस्थान वर्तमान में, किंग्जवे कैम्प, दिल्ली में है। ये कार्यक्रम कर्मियों एवं प्रशासनिक कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण और नए भर्ती हुए कर्मचारियों को प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त अल्पकालीन रिफ्रेशर पाठ्यक्रम, विभागीय, अर्हक परीक्षा तथा प्रतियोगी परीक्षाएं भी आयोजित करता है। एक स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान (कार्यक्रम) भुवनेश्वर में है। इसके अतिरिक्त पाँच क्षेत्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैदराबाद, शिलांग, लखनऊ, अहमदाबाद एवं तिरूवनंतपुरम में हैं।

स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी)

स्टाफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि 1948 से निदेशालय का एक भाग है, वर्तमान में आकाशवाणी के

अधीनस्थ कार्यालय के रूप में किंगज्वे कैंप दिल्ली में कार्यरत है। संस्थान आकाशवाणी और दूरदर्शन के तकनीशियन से लेकर आध ीक्षण अभियंताओं के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह विभागीय क्वालीफाइंग एवं प्रतियोगी परीक्षाऐं भी आयोजित करता है। भुवनेश्वर में भी एक क्षेत्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (तकनीकी) है।

सी बी एस केन्द्र तथा विविध भारती सेवा (वी बी एस)

विविध भारती–सह–वाणिज्यक प्रसारण सेवा (सी बी एस) के 40 केन्द्र हैं। सीबीएस केन्द्र का कार्य दो स्कन्धों यथा विक्रय तथा निर्माण में निष्पादित किया जाता है। सीबीएस विक्रय इकाई 15 मुख्य सीबीएस केन्द्रों के साथ प्रसारण समय की मार्केटिंग का कार्य देखती है।

अभियांत्रिकी स्कन्ध

नेटवर्क तथा कवरेज का विकास

आकाशवाणी विश्व के सबसे बड़े प्रसारण नेटवर्कों में से है। आजादी के समय भारत में 6 रेडियो केन्द्र तथा 18 ट्रांसमीटर (6 एम.डब्ल्यू. तथा 12 एस. डब्ल्यू.) थे जो देश की 11 प्रतिशत जनसंख्या तथा 2.5 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र को सेवा उपलब्ध कराते थे। 20 नवम्बर, 2012 तक आकाशवाणी के नेटवर्क की वृद्धि 299 केन्द्रों तथा 461 ट्रांसमीटरों (146 एम.डब्ल्यू., 48 एस.डब्ल्यू. तथा 267 एफ. एम.) तक हो चुकी है जिनका प्रसार देश की 99.19 प्रतिशत जनसंख्या तथा 91.87 प्रतिशत क्षेत्र में है।

वर्ष के दौरान गतिविधियां

1- ,d o"kZ esa LVs'kuksa dh la[;k 277 ls c<dj 299 gks xbZ vkSj VªkalehVjksa dh la[;k 433 ls c<+dj 461 gks xbZ gSA

- वर्ष के दौरान 100 डब्ल्यू एफ एम के ट्रांसमीटर निम्न में स्थापित किए गए – मनाली (हिमाचल प्रदेश),; मानेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़); ट्राल, पहलगाम (जम्मू और कश्मीर); मन्दसौर, सागर (मध्यप्रदेश); बांसवाड़ा (राजस्थान); नान्दयाल, अडोनी, काकीनाडा, कामरेड्डी (आन्ध्र प्रदेश); तुमकुर, होसदुर्ग, दावणगेरे, कुमता (कर्नाटक); पुनलूर, कालपेट्टा, कासारगोड (केरल); रामेश्वरम, वेल्लोर, तिरुपत्तूर (तमिलनाडु)।
- 1 के डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर के अतिरिक्त चैनल निम्न केन्द्रों पर स्थापित किए गए– रामपुर (उत्तर प्रदेश); तेजपुर, डिब्रूगढ़ (असम); कारगिल, पादाम (जम्मू और कश्मीर); इद्दुकी, (केरल)

ukV~ औरंगाबाद (महाराष्ट्र) एवं कानपुर (उत्तर प्रदेश) में स्थित 1 केडब्ल्यू एमडब्ल्यू ट्रांसमीटर को वर्ष के दौरान बंद कर दिया गया क्योंकि इनकी जगह 10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर शुरू कर दिए गए।

2- rduhdh :i ls rS;kj LVs'ku

1 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर के साथ निम्नलिखित स्टेशन तकनीकी रुप से तैयार हैं– रायरंगपुर (उडीसा), लांगथरेई, धर्मनगर (त्रिपुरा), डूंगरपुर (राजस्थान), श्रीकाकूलम (आन्ध्रप्रदेश); ग्वालपाड़ा, लुमडिंग (असम); कोलासिब (मिजोरम); तुपांग (मिजोरम); दापोरजियो (अरुणाचल प्रदेश);।

10 केडब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर के साथ निम्नलिखित स्टेशन तकनीकी रुप से तैयार हैं– लखीमपुर खीरी, बांदा, मऊनाथभंजन (उत्तर प्रदेश); महबूबनगर (आन्ध्र प्रदेश); अमरावती (महाराष्ट्र); जूनागढ़ (गुजरात); देहरादून (उत्तराखण्ड)।

स्टाफ के अनुमोदन और भर्ती के पश्चात ये सेट अप कार्य करना प्रारम्भ करेंगे। हलांकि इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि वर्तमान स्टाफ अथवा संविदा आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों को तैनात कर प्रसारण का कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

3- tEew&d'ehj ds fy;s fo'ks"k ;kstuk

(1) जम्मू और कश्मीर में आकाशवाणी सेवा के विस्तार और सुधार के प्रथम एवं द्वितीय चरण लागू हो चुके हैं।

(2) तीसरा चरण– इस योजना में चार ट्रांसमीटरों की स्थापना किया जाना षामिल है। तीन क्षेत्रों– ग्रीन रिज (उड़ी सेक्टर), हिम्बोटिंगला (लद्दाख क्षेत्र), नाथा टॉप (जम्मू क्षेत्र) में स्थान आवंटित किए जा चुके हैं तथा चौथा ट्रांसमीटर नौशेरा के वर्तमान टी वी स्थल पर स्थापित किया जाना है। इसके साथ–साथ, कम शक्ति 100 वाट के 4 एफ एम ट्रांसमीटर कारगिल, द्रास, तिएसुरु तथा पदाम में इस वर्ष के दौरान अनाच्छादित क्षेत्रों को कवर करने के लिए पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं।

4- iwoksZÙkj ds fo'ks"k iSdst dk nljk pj.k

पूर्वोत्तर एवं द्वीपीय क्षेत्रों में आकाशवाण ी सेवा के सुधार एवं विस्तार के लिये विशेष पैकेज चल रहा है जिसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं।

¼1½ ,d fdykokV ,Q,e LVs'ku fuEu 19 LFkkuksa ij g¾

1.	अरूणाचल प्रदेश	अनिनी, बोमडीला, चांगलांग, दापोरिजो, खोनसा
2.	असम	करीमगंज, लमडिंग, ग्वालपाडा
3.	मणिपुर	उखरूल, तामेंगलांग
4.	मेघालय	चेरापूंजी
5.	मिजोरम	तुइयांग, चम्फई, कोलासिब
6.	नागालैंड	बोखा, जुन्हेंबोरो, फेक
7.	त्रिपुरा	उदयपुर, नूतन बाजार

19 नये एफ एम स्टेशनों की स्थापना के लिये नये स्थानों की आवश्यकता थी। राज्य सरकार द्वारा प्रस्ताव एवं मांग पत्र जारी करने में देर हुई है।

- 16 से अधिक स्थानों पर भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है। तीन स्थानों अनिनी (अरूणाचल प्रदेश), उखरूल एवं तामेंगलांग (मणिपुर) के लिए भूमि अभी भी संबंधित राज्य सरकारों से मिलनी है। मामले पर ध्यान दिया जा रहा है।

- उपरोक्त 16 स्थानों के अलावा जिनके लिए स्थान उपलब्ध है, ट्रांसमीटरों की स्थापना गोलपारा, उदयपुर एवं कोलासिब, लुमसिंग एवं नूतन बाजार, तुइपांग, दापोरिजो एवं चम्फाई में कर दी गई है। शेष 8 स्थानों पर कार्य प्रगति पर है।

¼2½ flYpj ,oa xaxVksd ¾ गंगटोक में 10 के.डब्ल्यू. एफ.एम. ट्रांसमीटर की स्थापना की जा चुकी है। सिल्चर के लिए 5 के.डब्ल्यू. एफ.एम. ट्रांसमीटर की जांच चल रही है।

¼3½ 100 LFkkuksa ij 100 MCY;w ,Q ,e fjys VªkalehVj ¾ 93 स्थानों पर स्थापन कार्य पूर्ण हो चुका है जिनमें 4 चालू वर्ष के कार्य है। 2 स्थानों पर कार्य जारी है।

¼4½ fpulqjk ¾ वर्तमान 1000 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर के प्रतिस्थापन प्रक्रिया में ट्रांसमीटर की जांच चल रही है।

¼5½ dkokjRrh ¾ 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटर का प्रतिस्थापन। प्राप्त ट्रांसमीटर की जांच चल रही है।

¼6½ fMftVy lVsykbV lekpkj ladyu 0;oLFkk ¾ 3 उपकरण प्राप्त तथा संस्थापित किये जा चुके है।

(7) क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहाटी को ज्यादा सक्षम बनाने के लिए एक स्थाई दफ्तर एवं कर्मचारी आवास के प्रस्ताव को पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी हेतु स्वीकृत किया गया है।

नई पहलें

ग्यारहवीं योजना में आकाशवाणी के ट्रांसमीटरों के डिजिटलीकरण एवं स्टूडियों के कनेक्टिविटी के लिये योजना को अनुमति दी गई जिसमें निम्नलिलिखत गतिविधियां शामिल हैं–

(1) 98 स्टूडियो का डिजिटलीकरण एवं कनेक्टिविटी।

(2) 31 पुराने मीडियम वेव ट्रांसमीटरों की जगह नये डीआरएम मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाना। 20 केडब्ल्यू के 5 ट्रांसमीटर प्राप्त हो चुके हैं तथा संस्थापित किए जा रहे हैं।

(3) मीडियम वेव डी आर एम ट्रांसमीटरों का कैप्टिव पावर प्लांट के साथ अरूणाचल के साथ लगती सीमा पर 3 स्थानों पर उच्चीकरण।

(4) 10 किलोवाट के मोबाइल ट्रांसमीटरों के स्थान पर मीडियम वेव डीआरएम ट्रांसमीटर लगाये जा रहे हैं।

(5) 36 सुमेलित मीडियम वेव ट्रांसमीटरों को डी आर एम मोड मे परिवर्तित करना – परिवर्तन उपकरण की प्राप्ति प्रगति पर है।

(6) 1 किलोवाट/ 5 किलोवाट एफ एम के डिजिटल सुमेलित नये ट्रांसमीटर 24 स्थानों पर।

(7) ग्रामीण एवं अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों मे कवरेज के लिये 100 स्थानों पर 100 वाट के एफ एम डिजिटल ट्रांसमीटरों की स्थापना एवं कनेक्टिविटी प्रगति पर है।

(8) 34 स्थानों पर जो कि सीमा एवं सुदूर क्षेत्र के है, पर पुराने एफ एम ट्रांसमीटरों का प्रतिस्थापन समान शक्ति व क्षमता के एवं 6 नग 1 किलोवाट मीडियम वेव ट्रांसमीटरों का

10 किलोवाट एफ एम द्वारा प्रतिथापन – प्राप्ति प्रगति पर है।

(9) 5 शार्टवेव ट्रांसमीटरों का डीआरएम शार्ट वेव ट्रांसमीटरों द्वारा प्रतिस्थापन– बैंगलुरु के लिए 500 के डब्ल्यू एस डब्ल्यू ट्रांसमीटर संस्थापित किया जा रहा है। 250 के डब्ल्यू एस डब्ल्यू के 2 ट्रांसमीटर अलीगढ़ तथा 100 के डब्ल्यू एस डब्ल्यू के 2 ट्रांसमीटर दिल्ली के लिए प्राप्त किए जा रहे हैं।

(10) दिल्ली स्थित आर्काइवल सुविधा के विस्तार एवं चेन्नई, मुम्बई, कोलकाता एवं हैदराबाद मे आर्काइवल सुविधा–उपकरण हासिल करने के लिए एसआईटीसी प्रस्ताव की आपूर्ति, संस्थापन, जांच तथा कार्य करना प्रक्रियाधीन है।

(11) वर्तमान 44 समाचार इकाईयों का विस्तार एवं 7 नयें क्षेत्रीय समाचार इकाईया–निर्माण– सभी आएनयू में हार्डवेयर लगाया जा चुका है।

(12) डिजिटल स्टूडियो ट्रांसमीटर लिंक–प्राप्ति प्रक्रियाधीन है।

(13) 5 नये कैप्टिव अर्थ स्टेशन देहरादून, सिलचर, त्रिचिरापल्ली, मदुराई एवं धारवाड़ में – एसआईटीसी प्रस्ताव प्रक्रियाधीन।

सूचना तकनीकी गतिविधियाँ

1- ekuo l lk/ku ic/ku rU=% एक ऑन लाइन तिमाही इनकम्बेन्सी स्टेटस रिपोर्ट साफ्टवेयर विकास की प्रक्रिया में है जहॉ केन्द्र पर नियुक्त स्टाफ से सम्बन्धित सभी विवरण (स्थानांतरण, पोस्टिंग, प्रशिक्षण, प्रत्येक ग्रेड में रिक्तियों की संख्या इत्यादि) संरक्षित की जाएगी। इस प्रक्रिया की कार्यरुपता को और आगे बढ़ाते हुए संगठन के मानव संसाधन प्रबंधन तन्त्र की मांगों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया जाएगा।

2- vkdk'kok.kh dh ocdkfLVx ,o ikMdkfLVx lok,% आकाशवाणी भूस्थैतिक ट्रांसमीटरों के नेटवर्क के जरिये प्रसारण करता है। ये कार्यक्रम वेबकास्टिंग एवं पॉडकास्टिंग के उपयोग से सम्पूर्ण विश्व में उपलब्ध कराये जायेंगे। 11वीं योजना की स्वीकृत योजना के अंतर्गत वेबकास्टिंग एवं पॉडकास्टिंग सेवाओं के प्रावधान पर कार्य जारी है। एक एकल चैनल औडियो स्ट्रीमिंग (आकाशवाणी की विदेश सेवा की उर्दू सेवा) को पायलट के रुप में प्रारम्भ किया जा चुका है। यह आकाशवाणी की वेबसाइट www.allindiradio.gov.in पर उपलब्ध है।

3- ,vjuV% एक ऑनलाइन एक्स्ट्रानेट सूचना प्रसार प्रक्रिया जहां प्रसार भारती सचिवालय, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन निदेशालय द्वारा जारी सर्कुलर/आदेश/अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज विभिन्न कार्यालयों/केन्द्रों द्वारा देखने एवं डाउनलोड कर सकने के लिए अपलोड किए जाते हैं।

- प्रसारभारती, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के विभिन्न अनुभाग लॉगइन करके पी डी एफ फार्मेट में अपने सर्कुलर/आदेशों को अपलोड कर सकते है।
- ऑफ लाइन पैकेज, कलाकार बुकिंग तन्त्र, सूचना तकनीकी विभाग द्वारा विकसित पे रोल, तथा अन्य उपयोगिता सामग्री डाउनलोड हेतु उपलब्ध है।

4- dkV dl fuxjkuh rU= % प्रसार भारती के अंर्तगत विभिन्न विभागों में जारी न्यायालय वादों की निगरानी के लिए एक वेब आधारित कार्यक्रम का विकास किया गया है। मामले के प्रारम्भ से लेकर इसमें हुई गतिविधियों एवं प्रत्येक केस का पूरे इतिहास का विवरण होने से यह निम्नानुसार एक प्रोफार्मा रिपोर्ट तैयार करता है जिससे सम्बन्धित अधिकारी सूची का संदर्भ ग्रहण कर न्यायालय वाद को तदनुसार देख सकें।

(क) लम्बित मामलों की सूची

(ख) चुनौती किए जा सकने वाले/अवमानना हो सकने वाले मामलों की सूची

(ग) अगले 'एन' दिनों में सुनवाई के लिए आने वाले मामले की संख्या

(घ) न्यायालय अनुसार, विषय अनुसार विभिन्न सारांश रिपोर्ट इत्यादि।

वाद से सम्बन्धित सभी दस्तावेज अपलोड करने, वाद से सम्बन्धित अधिकारियों को अगले 14 दिनों में सुनवाई पर आने वाले मामलों का ई मेल अलर्ट भेजने की इसमें सुविधा है

5- ctV 0;; fuxjkuh rU= % आकाशवाणी के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रतिमाह एक व्यय विवरण भेजने की ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रक्रिया का विकास किया जा रहा है। इस सुविधा को विस्तृत करते हुए विभिन्न कार्यालयों को बजट आवेदन एवं विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट ली जा सकेंगी।

6- okf"kd lEifŸk fjVu dh vkuykbu ikflr % आकाशवाणी के विभिन्न अधिकारियों द्वारा वार्षिक सम्पत्ति रिटर्न को ऑनलाइन भर सकने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रक्रिया का विकास किया जा रहा है। सूचनाधिकार अधिनियम 2005 के

अंर्तगत वांछित सम्बन्धित सूचनाओं को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित किया जा सकेगा।

कार्यक्रम गतिविधियां

2012–13 के दौरान आकाशवाणी से निम्न समारोहों का सजीव प्रसारण किया गया–

- लोकसेवा दिवस समारोह एवं केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उद्यमों के स्कोप उत्कृष्टता पुरस्कार की प्रस्तुति
- पंचकुला, हरियाणा से प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र के रजत जयंती समारोह का उद्‌घाटन
- विज्ञान भवन नई दिल्ली से 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का सीधा प्रसारण
- विज्ञान भवन नई दिल्ली से रवीन्द्र नाथ टैगोर के 150वीं जन्म समारोह के समापन का सीधा प्रसारण
- केन्द्रीय हॉल, संसद भवन, नई दिल्ली से भारत की संसद की 60वीं वर्षगांठ पर समारोह
- राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित हिन्दी सेवी सम्मान 2008 एवं 2009 का समारोह
- केन्द्रीय हॉल, संसद भवन में संसद सदस्यों द्वारा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, माननीय राष्ट्रपति का विदाई समारोह
- श्री प्रणव मुखर्जी का राष्ट्रपति पद शपथ ग्रहण समारोह का राष्ट्रपति भवन से प्रसारण
- राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी का खेल पुरस्कार प्रदान किए जाने का समारोह
- शिक्षक दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन, नई दिल्ली से 2011 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का समारोह
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली से भारतीय विधि संस्थान द्वारा आयोजित अंर्तराष्ट्रीय अकादमिक कान्फ्रेंस ''इकोनामिक ग्रोथ एण्ड चेन्जेज ऑफ कारपोरेट इनवायरनमेन्ट इन एशिया'' का उद्‌घाटन सत्र
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली से श्री मोतीलाल नेहरु की जन्म शताब्दी का विशेष समारोह।
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली से प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा प्रदान किए जाने वाले शान्ति स्वरुप भटनागर पुरस्कार एवं अन्य पुरस्कार समारोह

दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित आकाशवाणी के जरिए आम जनता से संवाद करते हुए

- सेन्ट्रल हाल, संसद भवन, नई दिल्ली से संसद की महिला अध्यक्षों की 7वीं बैठक का उद्घाटन समारोह
- राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली से केन्द्रीय मंत्रिमंडल के नए सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह
- श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर मेमोरियल कंसर्ट
- जवाहर भवन, नई दिल्ली से 27वें इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार की प्रस्तुति का समारोह
- प्रसारण भवन में महात्मा गांधी की यात्रा के 65वीं वर्षगांठ को मनाते हुए 12 नवम्बर 2012 को ''लोक सेवा प्रसारण दिवस'' के अवसर पर विशेष समारोह
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली से आंग सान सू की द्वारा दिया 'जवाहर लाल नेहरु मेमोरियल व्याख्यान
- 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन एवं समापन समारोह की पणजी से सीधा प्रसारण, साथ ही समारोह की दैनिक रेडियो रिपोर्ट
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली से 2008, 2009 एवं 2010 के राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खनन) वितरण का विशेष समारोह
- निशसक्त जनों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर निशक्त व्यक्तियों के सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति का समारोह
- संसद में आतंकवादी हमले में मारे गए शहीदों को श्रद्धांजलि देने हेतु 13 दिसम्बर, 2011 को समारोह

fuEu ?kVukvk ij jfM;k fjikV dk iz lkj.k fd;k x;k&

- विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित पंचायती राज्य दिवस समारोह
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह
- विज्ञान प्रसार, एन आई एस सी ए आई आर तथा विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा आयोजित ''इन्टरनेशनल सेमिनार आन साइन्स कम्यूनिकेशन इन हिन्दी''
- बारपेटा, असम में बाढ़ की स्थिति
- लाल किला, नई दिल्ली में साक्षर भारत अभियान का प्रारम्भ
- अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित साक्षर भारत पुरस्कार समारोह तथा अन्य कार्यक्रम
- भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, नई दिल्ली में दक्षिण एशियाई देशों के विज्ञान अकादमिकों के सम्मेलन का प्रारम्भिक सत्र
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की पुलिस के महानिदेशकों /महानिरीक्षकों का वार्षिक सम्मेलन
- इसरो का 100वां स्पेस मिशन–पीएसएलवी सी–21 का श्रीहरिकोटा से लान्च किया जाना
- विश्वकर्मा पुरस्कार तथा राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार–2011
- एनडीएमए के 8वें निर्माण दिवस पर कार्यक्रम
- हैदराबाद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन
- हैदराबाद में आयोजित संयुक्त राष्ट्र बायोडायवर्सिटी कन्वेंशन का समापन सत्र
- महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जन्म दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित समारोह।
- चैन्नई में आयोजित विश्व क्राफ्ट कौंसिल प्रदर्शनी।
- चैन्नई में आयोजित विश्व क्राफ्ट शिखर सम्मेलन।
- सी बी आई एवं राज्य भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो के 19वें कान्फ्रेंस का नई दिल्ली में उद्घाटन
- एन डी एम ए एवं एन आई डी एम द्वारा डिजास्टर रिडक्शन दिवस को चिन्हित करने के लिए संयुक्त रुप से आयोजित समारोह का विज्ञान भवन, नई दिल्ली से प्रसारण
- केन्द्रीय सूचना आयोग के 7वें वार्षिक समारोह का नई दिल्ली से उद्घाटन सत्र।
- केन्द्रीय सूचना आयोग के 7वें वार्षिक समारोह का नई दिल्ली से समापन समारोह।
- 32वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का उद्घाटन समारोह।

- श्रीमती इन्दिरा गांधी की जन्म समारोह की इवेन्ट का दिल्ली से प्रसारण

fuEufyf[kr dk;Øe dh fjdkfMZx Hkh izlkfjr dh xbZ

- रियो, ब्राजील में आयोजित रियो प्लस 20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का भाषण (सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र कान्फ्रेंस)
- माननीया राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का राष्ट्र के नाम विदाई संदेश।
- 21 सितम्बर 2012 को भारत के प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का राष्ट्र के नाम संदेश

LorU=rk fnol dk volj ij fuEufyf[kr dk;Øe dk izlkj.k fd;k x;k&

1. स्वतन्त्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दिनांक 14.08.2012 को महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का राष्ट्र के नाम संदेश हिन्दी तथा अंग्रेजी में सम्बन्धित आकाशवाणी केन्द्रों से क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किए गए।

2. राष्ट्रीय ध्वजारोहण समारोह के अवसर पर हिन्दी तथा अंग्रेजी में एक साथ सीधा आँखों देखा हाल तथा 15.08.2012 को लालकिला, दिल्ली की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह द्वारा राष्ट्र को संबोधित करने की सीधा प्रसारण।

3. स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर आयोजित विभिन्न समारोहों पर रेडियो रिपोर्ट।

अन्य प्रसारणों में शामिल थे–

- तेहरान में आयोजित 16वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का भाषण तत्पश्चात् एन एस डी द्वारा लाइव विशेष चर्चा

सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी हैदराबाद में अक्किनेनी नागेश्वर राव पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए

- तेहरान में आयोजित 16वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के भाषण का पुनः प्रसारण
- लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर आयेाजित विभिन्न कार्यक्रमो पर समेकित रेडियो रिपोर्ट
- विज्ञान भवन, नई दिल्ली से भारतीय विधि संस्थान द्वारा आयोजित अंर्तराष्ट्रीय अकादमिक कान्फ्रेंस ''इकोनामिक ग्रोथ एण्ड चेन्जेस ऑफ कारपोरेट इनवायरोन्मेन्ट इन एशिया'' पर समेकित रेडियो रिपोर्ट
- महालया के अवसर पर ''महिषासुर मर्दिनी'' नाम से विशेष कार्यक्रम का प्रसारण
- पणजी गोवा में होने वाले 43वें भारतीय अंर्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह पर पूर्व भूमिका
- राज्यों में चुनाव के दौरान किया गया प्रसारण
- चुनाव आयोग दिशा निर्देशों के तहत गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के चुनाव अपडेट
- हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मेघालय, नागालैण्ड तथा त्रिपुरा जहां चुनाव होने थे, में, भारतीय चुनाव आयोग का विशेष अभियान सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एण्ड इलेक्टोरल पार्टिसिपेसन (एसयूईईपी) के समर्थन में कार्यक्रम

हाल की गतिविधियां

- विभिन्न महत्वपूर्ण राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की सूचना अनुसार कवरेज।

प्रचार

1. सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों को नियमित प्रचार दिया गया।

आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री किरन कुमार रेड्डी और सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी हैदराबाद में एक समारोह में श्री श्याम बेनेगल को अक्किनेनी नागेश्वर राव पुरस्कार प्रदान करते हुए

2. आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि एवं सरकार द्वारा इसे रोकने के उपायों पर आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा उपयुक्त कार्यक्रम नियमित रुप से प्रसारित किए गए। मंत्रालय को एक साप्ताहिक रिपोर्ट भेजी गई

3. सिटीजन चार्टर, इन्टरनेशनल डे ऑफ द एल्डरली समारोह का प्रचार

4. हर वर्ष आयोजित की जाने वाली प्रसिद्ध वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रचार

5. विश्व पर्यटन दिवस, विश्व जल दिवस समारोह का प्रचार

6. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का प्रचार

7. अस्पृश्यता उन्मूलन के विषय पर कार्यक्रमों का प्रसारण

8. प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी से 31 जनवरी के पखवाड़े में तेल एवं गैस संरक्षण के बारे में प्रचार–प्रसार दिया जाता है

9. डीटीएच सेवाओं का प्रचार

10. नेशनल पॉलिसी आन ओल्डर पर्सन्स पर अंतरमंत्रालय कमेटी बैठक

11. प्रधानमंत्री के नए 15 पाइन्ट कार्यक्रम ''अल्पसंख्यकों का कल्याण'' का प्रचार

12. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय को फीडबैक रिपोर्ट

13. 2 अक्टूबर 2008 को अंर्तराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रुप में मनाए जाने का प्रचार–प्रसार

14. 19 से 25 नवम्बर, 2012 को साम्प्रदायिक सौहार्द अभियान तथा कौमी एकता सप्ताह का प्रचार

15. विधेयकों एवं संशोधनों के सम्बन्ध में लोक सभा एवं राज्य सभा द्वारा प्रेस विज्ञप्तियों का व्यापक प्रचार

कृषि संबंधित कार्यक्रम

आकाशवाणी पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से अपने ग्रामीण श्रोताओं को समर्पित रहा है। कृषि संबंधी कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाते हैं। कषक समुदाय की दिन प्रतिदिन की मौसमी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिसमें बेहतर कृषि उत्पादन हेतु अद्यतन तकनीक तथा सूचनापरक विशेष कार्यक्रमों का निर्माण किया गया है। देश के कृषि समुदाय के स्तर को सुधारने तथा बेहतर करने हेतु कारकों तथा उपायों के सम्बन्ध में यह कार्यक्रम जागरूकता पैदा करते हैं।

इन कार्यक्रमों का प्रसारण प्रतिदिन सुबह, दोपहर तथा शाम को औसत अवधि लगभग 60 से 100 मिनट प्रतिदिन ग्रामीण महिलाओं, बच्चों तथा युवाओं हेतु किया जाता है। आकाशवाणी की कृषि तथा गृह प्रसारण इकाई समेकित कार्यक्रमों का प्रसारण करती है जिसमें ग्रामीण विकास योजनाओं के समान खण्ड तथा शुद्ध कृषि कार्यक्रम यथा पशुपालन, मछलीपालन तथा कृषि सम्बन्धी गतिविधियां, शुष्क तथा बंजर खेती तथा साथ ही रोजगारपरक योजनाओं पर खण्ड इकाइयों, ऋण तथा प्रशिक्षण सुविधाएं, साफ–सफाई, स्वास्थ्य, साफ– सफाई तथा पोषण इत्यादि शामिल हैं।

कृषि प्रसार पर मास मीडिया सपोर्ट के अपने विशेष प्रोजेक्ट, जिसका शीर्षक 'किसान वाणी' है तथा जो फरवरी, 2004 में प्रारम्भ हुआ, की शुरूआत कर आकाशवाणी ने अपने कृषि प्रसारण को और बढ़ाया है। इसका प्रसारण कृषि तथा सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के सहयोग से स्थानीय कृषकों को दैनिक मार्केट दरों, मौसम रिपोर्टों तथा माइक्रोस्तर पर उनसे सम्बन्धित क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन सूचना उपलब्ध करा कर किया जाता है।

वर्तमान में 'किसान वाणी' का प्रसारण तथा रिले आकाशवाणी के 96 चिन्हित केन्द्रों से किया जाता है।

नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला–2012 के दौरान कृषि मंत्रालय के पंडाल में भूमि परीक्षण तथा डीएनए फिंगर प्रिंटिग तकनीक के मुफ्त प्रदर्शन के आयोजन का केन्द्रों ने व्यापक प्रसार किया। पौधों की विविधता के संरक्षण तथा सरकार द्वारा स्थापित किसानों के अधिकार के सम्बन्ध में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए। पशुपालन विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ पशुधन गणना के बारे में भी आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा व्यापक प्रचार किया गया।

कार्यशालाएं

कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय के सहयोग से अपनी 'किसान वाणी' कार्यक्रम प्रायोजकों के लिए आकाशवाणी 6 मूल्य निरुपण तथा रिफ्रेशर कार्यशालाओं का भी आयोजन कर रहा है। कार्यक्रम की गुणवत्ता

तथा सामग्री में सुधार करने के उद्देश्य से यह कार्यशालाएं गुवाहाटी, चेन्नई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर, चण्डीगढ़ तथा लखनऊ में आयोजित होना प्रस्तावित है। कार्यशालाओं में कृषि मंत्रालय, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, विभिन्न राज्य कृषि विभागों तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

रेडियो किसान दिवस

आकाशवाणी पर प्रसारित कृषि कार्यक्रमों द्वारा लाभ प्राप्त कर चुके किसान अपने अन्य साथी किसानों से अपनी क्षेत्रीय भाषा/बोली में अपने अनुभव बाँटते हैं।
आकाशवाणी 15 फरवरी को अपने सभी केन्द्रों से इस अवसर पर विशेष कार्यक्रम का प्रसारण कर रेडियो किसान दिवस मनाती है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, फसलों और मौसम के बारे में समय–समय पर दी जाने वाली जानकारी और चेतावनियां, सूखे की स्थिति, बर्ड फ्लू इत्यादि पर अभियान आदि को आकाशवाणी के केन्द्रों द्वारा अपने दैनिक प्रसारण में पर्याप्त रूप से सम्बोधित किया जाता है।

पर्यावरण

वन्य जीव तथा वन संरक्षण की महत्वपूर्ण प्रकृति के कारण आकाशवाणी द्वारा इसे एक चुनौती के रूप में लिया जाता है तथा विकासात्मक गतिविधियों के साथ साथ सामाजिक परम्पराओं पर भी जोर दिया जाता है। वन सम्बन्धी, वन्य जीव संरक्षण तथा इकोलॉजिकल संतुलन के क्षेत्र के सरकारी पहल की सफलता को आकाशवाणी द्वारा प्रोजेक्ट किया जाता है। इस प्रकार आकाशवाणी वन्यजीवन तथा पशु देखभाल जैसे विषयों पर अपने विभिन्न विशेष दर्शक कार्यक्रमों के तहत कार्यक्रमों का प्रसारण कर रही है।

5 जून 2012 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी केन्द्रों द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर जागरुकता फैलाने से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए गए और इस वर्ष की थीम जैव विविधता के संरक्षण पर जोर दिया। सामाजिक वानिकी, भूमि क्षरण को रोकना, ओजोन छिद्र को भरना, जलवायु परिवर्तन, जल संरक्षण तथा ध्वनि प्रदूषण जैसे मुद्दे भी कार्यक्रमों में शामिल रहे। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा प्रारम्भ बायोडायवर्सिटी एक्सप्रेस (इन्टरएक्टिव मोबाइल एक्जीबीशन) पर विशेष कवरेज उपलब्ध कराई गयी। यह गाड़ी 22 दिसम्बर 2012 तक 25 राज्यों के 100 स्टेशन से होकर गुजरी।

आकाशवाणी के सभी केन्द्र पर्यावरण तथा वन से सम्बन्धित विधिक कारकों को व्यापक प्रचार दे रहे हैं। इन कार्यक्रमों की नियमित निगरानी निदेशालय द्वारा आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा भेजे मासिक रिपोर्टों के माध्यम से की जाती है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम

स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नियमित प्रसारण में कवर किए गए विषय हैं– विवाह की आयु को बढ़ाना, पहले बच्चे में देरी, दो बच्चों के बीच अन्तर, गर्भनिरोधी उपाय, मातृ देखभाल, शिशु बचाव, महिला सशक्तीकरण, पति–पत्नी के बीच आपसी समझदारी का विकास, पुरूष जिम्मेदारी, लड़कों को ज्यादा महत्व देने की प्रवृति को हतोत्साहित करना, संस्थागत विधिक प्रावधानों का संवर्द्धन, विभिन्न प्रकार के यौन रोगों और यौन संक्रमणों से बचाव के बारे में जानकारी का प्रचार–प्रसार, प्रसव पूर्व लिंग परीक्षण तकनीक (रेग्यूलेशन एण्ड प्रिवेन्शन ऑफ मिसयूज) एक्ट, 1994, एड्स ड्रग एब्यूज, स्तनपान, बाल अधिकार, बालश्रम, बालिकाएं, विकलांगता, टी.बी, कुष्ठ तथा शिशु प्रजनन स्वास्थ्य इत्यादि।

रक्तदान तथा नेत्रदान को व्यापक प्रचार दिया जा रहा है। नशा रोकने, तम्बाकू का इस्तेमाल रोकने, अवैध तस्करी पर रोक लगाने, कुष्ठ निवारण तथा एड्स इत्यादि को व्यापक प्रचार दिया जा रहा है। महिलाओं का कम प्रतिशत होने तथा बालिका भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

वैश्विक आयोडीन डेफिसिएन्सी डिसऑर्डर पर जागरुकता फैलाने के लिए विशेष प्रयास किए गए। कुपोषण के विरुद्ध आईईसी अभियान को सभी आकाशवाणी केन्द्रों ने व्यापक प्रचार दिया। ''आरोग्य भारतम'' कार्यक्रम के अंतर्गत 'एजिंग एण्ड हेल्थ' स्लोगन को ध्यान में रखते हुए डेंगू तथा चिकनगुनिया पर उपयुक्त कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। नेत्र देखभाल तथा विकलांगों के लिए भी कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

बाल कार्यक्रम

आकाशवाणी के सभी केन्द्र बच्चों पर नियमित कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। आकाशवाणी अपने लगभग सभी केन्द्रों से बच्चों की तीन श्रेणी के लिए कार्यक्रम प्रसारित करता है–

1. 5 से 7 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रम,

2. 8 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कार्यक्रम तथा

3. ग्रामीण बच्चों हेतु विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं।

कुछ कार्यक्रम साप्ताहिक आधार पर प्रसारित किए जाते हैं। नाटक, लघु कथाएं, फीचर्स, समूह गीत, साक्षात्कार, महाकाव्यों की कहानियां इत्यादि इन प्रसारणों का हिस्सा हैं। 14 नवंम्बर को बाल दिवस के रूप में बच्चों का दिन मनाया जाता है। इसमें बच्चों की विशेष गतिविधियां, स्टेज शो तथा आगन्तुक श्रोता 'बच्चे स्वस्थ – ज्ञानवान, निर्भीक भारत का निर्माण' विषय पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। 19 नवम्बर 2012 का विषय ''हमारी बेटी देश का सम्मान'' था।

महिला कार्यक्रम

इन कार्यक्रमों में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, विकास, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खाद्य एवं पोषण, वैज्ञानिक, गृह प्रबन्धन, महिला उद्यमिता, शिक्षा, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा शामिल है, महिला सशक्तीकरण, लैंगिक समता सम्बन्धी मुद्दे इत्यादि से सम्बन्धित विषय कवर किये गये।

बालिकाओं की स्थिति एवं महत्व को फोकस करते हुए विशेष कार्यक्रम पूरे वर्ष प्रसारित किए जा रहे हैं जिससे सामाजिक जागरुकता में वृद्धि हो सके एवं बालिका जन्म का स्वागत किया जा सके। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विधिक साक्षरता बढ़ाते हुये महिलाओं के प्रिवीलेज तथा अधिकारों के प्रति सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करना था। विभिन्न प्रकार के पारम्परिक लोक तरीकों को प्रयुक्त किया गया जिससे कि ग्रामीण महिला श्रोताओं में इस संदेश को पहुँचाया जा सके।

प्रत्येक वर्ष मार्च माह में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस/सप्ताह मनाया जाता है जिसमें महिलाओं से सम्बन्धित विषयों पर विभिन्न प्रारूप में विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं।

संगीत

हिन्दुस्तानी संगीत

अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 के दौरान संगीत तथा रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के राष्ट्रीय कार्यक्रम में निम्नलिखित नामी गिरामी कलाकारों के प्रदर्शन को प्रसारित किया गया –

मंदिरा लाहिरी (गायन), जोहर अली (वायलिन), जयश्री रानाडे(लाइट क्लासिकल गायन), रामजीलाल (पखावज), सौमाल्या चक्रवर्ती (सितार), उस्ताद जमीर अहमद खान (तबला), निषाद बाकरे (गायन),आफताब अहमद (तबला),जयदीप घोष (सरोद), असलम खान (गायन), कल्यानी राय (सितार), अरुप चटर्जी (तबला), रतन भारती (गिटार), सत्यारंजन गांगले (तबला), कल्यानी देशमुख (गायन), मधु भट्ट तेलंग (ध्रुपद/धामार), विद्या काथाडे (गायन), बाहुद्दीन डागर (रुद्र वीना), देवी प्रसाद (सरोद), श्रीमती सुब्रा गुहा (गायन), राजेश गीतेश मिश्रा (गायन डुएट), मोरमुकुट–मनोज केडिया (सरोद/सितार जुगलबन्दी), श्री दामोदर होता (गायन), श्री नीलाद्री कुमार (सितार), श्री प्रभाकर और दिवाकर (गायन डुएट)।

आकाशवाणी ने 29 सितंबर 2012 को पूरे देश के 24 केन्द्रों पर आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का आयोजन किया जिसमें हिन्दुस्तानी एवं कर्नाटक संगीत के कलाकारों ने प्रस्तुति दी। हिन्दुस्तानी संगीत के निम्नलिखित नामी गिरामी कलाकारों ने सम्मेलन में प्रस्तुति दी –

बालचन्द्र नाकोड (गायन), अभिषेक लाहिरी (सरोद), मीता पंडित (गायन), डॉ. प्रमोद प्रभा शंकर गैलवाड़ और पार्टी (शहनाई), उस्ताद मोइनुद्दीन खान (सारंगी), विदुषी मंजरी अठगांवकर (गायन), प्रो.रित्विक सान्याल (ध्रुपद/धामार), पंडित अजय प्रसन्ना (बांसुरी), धरम नाथ मिश्रा (लाइट क्लासिकल गायन), प्रो.साहित्य कुमार नाहर (सितार), प्रतिमा तिलक (गायन), पंडित रामस्वरुप रातोनिया (तबला सोलो), विदुषी सुमित्रा गुहा (गायन), मोहित कुमार (गिटार), पंडित दीनानाथ मिश्रा (गायन), पंडित कार्तिक कुमार (सितार), गणपति भट्ट (गायन), पंडित उल्हास बापट (संतूर), पंडित यश पॉल (गायन), कैलाश पात्रा (वायलिन), पंडित स्वप्न सिन्हा (तबला सोलो), डॉ. सुहासिनी कोरात्कर (गायन), विदुषी एन.राजम (वायलिन), पंडित देवी प्रसाद चटर्जी (सितार), विदुषी सविता देवी (लाइट क्लासिकल गायन), उस्ताद मोहम्मद मिर्जा (सितार), पंडित बृज नारायण (सरोद), उस्ताद इकबाल अहमद खान (गायन), रितेश और रजनीश मिश्रा (गायन डुएट)।

इन समारोहों की रिकार्डिंग 20 अक्टूबर 2012 से 30 नवम्बर 2012 तक आकाशवाणी के राष्ट्रीय हुक अप पर प्रसारित की गईं।

आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के स्तर पर ही आकाशवाणी ने क्षेत्रीय लोक तथा सुगम संगीत समारोह

को परिचित कराया। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन तथा क्षेत्रीय लोक तथा सुगम संगीत का उद्देश्य हमारे देश की समूह सांस्कृतिक धरोहर का प्रस्तुतिकरण, संवर्द्धन तथा आगे बढ़ाना है।

आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता आकाशवाणी का नियमित फीचर है जिसका उद्देश्य युवाओं के मध्य नई प्रतिभा तक खोजना एवं पहुँचना शामिल है। वर्ष 2012 के लिए, यह प्रतियोगिता दिल्ली तथा चेन्नई में क्रमशः हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक संगीत के लिए आयोजित किया गया।

कर्नाटक संगीत

वर्ष की शुरुआत बैंगलुरु में 20 से 22 अप्रैल, 2012 तक ट्रिनीटी तथा अन्य वाग्येकर संगीत समारोह के आयोजन से हुई। इस समारोह में युवा तथा प्रमुख दोनों प्रकार के कलाकारों ने त्यागराज के समारोह को समृद्ध करते हुए भागीदारी की–

त्यागराज संगीत की प्रस्तुति श्रीमती गायत्री शंकरन ने की। पदमा, जवाली तथा तिलन श्री मलादी सुरीबाबू द्वारा, श्यामा शास्त्री तथा अन्नास्वामी शास्त्री कम्पोजीशन श्री अडूर पी सुदर्शन द्वारा, तमिल कम्पोजीशन थिरुवायूर श्रीमती बी वी जयश्री द्वारा, मुथुस्वामी दिक्षितार कम्पोजीशन श्रीमती आर चन्द्रिका द्वारा, दास कम्पोजीशन श्री टी एन अशोक द्वारा प्रस्तुत किया गया। यह कार्यक्रम जून से जुलाई 2012 के दौरान संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तुत किए गए। एक विशेष कन्सर्ट जिसमें भगवान कृष्ण पर कम्पोजीशन को कुमारी ललिता तथा श्रीमती हरिप्रिया ने जनमाष्टमी प्रसारण के दौरान किया।

- आकाशवाणी संगीत प्रतियोगिता, 2011 (कर्नाटक संगीत) पुरस्कार वितरण समारोह था जिसमें कंसर्ट प्रस्तुति पुरस्कार विजेताओं द्वारा की गई जो कि विजयवाड़ा तथा चेन्नई में आमंत्रित अतिथियों के सन्मुख की गई।
- राष्ट्रीय लोक तथा सुगम संगीत समारोह, 2012 का आयोजन दक्षिण भारत में कोझिकोड, मैंगलोर, तिरुनेलवेली तथा वारंगल में दक्षिण भारतीय पारखियों के लिए किया गया। इस समारोह के मुख्य फीचर में कवलम श्री एन श्रीकुमार (तिरुवनन्तपुरम) द्वारा मलयालम सुगम संगीत, श्रीमती वडमान देवकी अम्मा (तिरुवनन्तपुरम) द्वारा मलयालम लोक संगीत, श्री टी ए नादिराव एवं पार्टी (तिरुचिरापल्ली) द्वारा तमिल लोक संगीत, श्रीमती बी आर गीता (बैंगलुरु) द्वारा कन्नड़ सुगम संगीत, श्री बाला ब्रहमचारी (हैदराबाद) द्वारा तेलुगू लोक संगीत रहा।
- आकाशवाणी संगीत सम्मेलन समारोह 29 सितम्बर, 2012 को 24 स्थानों पर आयोजित हुए जिनमें से पूरे देश के 12 स्थानों पर कर्नाटक संगीत आयोजित किया गया जिसमें जाने माने तथा नवोदित कलाकारों ने प्रदर्शन किया। इसमें श्री एन के शंकरन नम्बूदरी (गायन) श्रीमती आर ए रामामणि (गायन), श्री एस सुन्दर (वीण), श्रीमती वी कृष्णावेणी (वायलिन), श्रीमती सुकन्या रामगोपाल (घटम संपरिधान) ने कंसर्ट में भाग लिया।
- त्यागराज आराधना संगीत समारोह का सीधा प्रसारण 27 जनवरी, 2013 को थिरुवायरु से संगीत के राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रीय हुक–अप पर तथा 31 जनवरी, 2013 को प्रातः प्रसारित किया गया। पंचरत्न गोष्ठी गनम का सीधा प्रसारण संत संगीतज्ञ त्यागराज की 166वीं आराधना जयंती को मनाने हेतु किया गया।

खेल

वर्ष 2012–13 के दौरान आकाशवाणी ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय खेल आयोजनों की उचित तथा प्रभावकारी कवरेज की। सभी इवेन्ट की रेडियो कवरेज को विस्तृत प्रचार अग्रिम रुप में सभी आकाशवाणी केन्द्रों तथा नेटवर्क तथा इसको फेसबुक पेज पर दिया गया।

लन्दन ओलम्पिक 2012

27 जुलाई से 12 अगस्त 2012 तक लन्दन में आयोजित ओलम्पिक खेलों को व्यापक कवरेज प्रदान किया।

क्रिकेट

- 2011 में भारत में खेली गई भारत–वेस्टइण्डीज के बीच वनडे और टेस्ट मैच सीरीज।
- आस्ट्रेलिया में खेली गई भारत–आस्ट्रेलिया के बीच टी 20 और टेस्ट मैच सीरीज।
- आस्ट्रेलिया में खेली गई कॉमनवेल्थ बैंक त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रंखला 2012।
- बांग्लादेश में खेला गया एशिया कप 2012 एक दिवसीय टूर्नामेन्ट।
- भारत में खेला गया आई पी एल 2012 टूर्नामेन्ट का दूसरा क्वालीफायर तथा फाइनल मैच।

ओलंपिक खेलों के दौरान साइना नेहवाल का आकाशवाणी द्वारा साक्षात्कार

- श्रीलंका में खेली गई भारत श्रीलंका ओ डी आई और टी/20 क्रिकेट सीरीज।
- भारत में खेली गई भारत–न्यूजीलैण्ड के बीच ओ डी आइ और टी 20 क्रिकेट श्रंखला।
- श्रीलंका में खेला गया आईसीसी टी 20 क्रिकेट विश्व कप 2012।

फुटबाल

- 52वें सुब्रतो कप फुटबाल टूर्नामेन्ट का फाइनल मैच दिल्ली से।
- 9वे सैफ चैम्पियनशिप 2011 के भारत के मैच, सेमी फाइनल तथा फाइनल मैच दिल्ली से।
- नई दिल्ली में खेले गए भारत–बायरान म्यूनिख फुटबाल प्रदर्शनी मैच
- 66वीं राष्ट्रीय फुटबाल चैम्पियनशिप संतोष ट्रॉफी 2012 के कटक में खेले गए सेमी फाइनल तथा फाइनल मैच
- 15वें नेहरु कप फुटबाल चैम्पियनशिप 2012 के भारत के मैच तथा फाइनल मैच दिल्ली से।
- 53वें सुब्रतो कप फुटबाल टूर्नामेन्ट का फाइनल मैच दिल्ली से।

हाकी

- 116वें बेटन कप हाकी टूर्नामेन्ट का फाइनल मैच कोलकाता से।
- 48वें नेहरु सीनियर हाकी टूर्नामेन्ट का फाइनल मैच दिल्ली से।
- 29वें सुरजीत हाकी टूर्नामेन्ट 2012 का फाइनल मैच जालन्धर से।
- दूसरे राष्ट्रीय महिला हाकी टूर्नामेन्ट 2012 का फाइनल मैच भोपाल से।
- जम्मू कश्मीर एकादश तथा मोहन बागान के बीच गुडविल फुटबाल मैच जम्मू कश्मीर से।

टेनिस

- चेन्नई ओपन टेनिस चैम्पियनशिप 2012 का चेन्नई से फाइनल मैच।
- चण्डीगढ़ में डेविस कप एशिया/ओशिनिया जोन टेनिस मैच।

बैडमिन्टन

- इण्डिया ओपन वर्ल्ड सुपर सीरीज बैडमिन्टन चैम्पियनशिप 2012 के पुरुष एकल, महिला एकल, पुरुष तथा महिला डबल्स एवं मिक्सड डबल्स के फाइनल मैच।
- 77वीं सीनियर राष्ट्रीय चैम्पियनशिप 2012 के श्रीनगर का फाइनल मैच।

कबड्डी

- पहली विश्व कप महिला कबड्डी चैम्पियनशिप 2012 का मार्च 2012 में पटना में आयोजन पर रेडियो रिपोर्ट।

शतरंज

- मास्को में अप्रैल 2012 में आयोजित विश्व शतरंज चैम्पिनशिप पर प्रतिदिन वॉयस कास्ट। ग्रान्डमास्टर विश्वनाथन आनंद ने बोरिस गेलफैन्ड को हराकर विश्व चैम्पियनशिप जीती।

टेबिल टेनिस

- लखनऊ में जनवरी 2012 में आयोजित 73वें सीनियर राष्ट्रीय तथा अंतर राज्यीय टेबिल टेनिस पहली विश्व कप महिला कबड्डी चैम्पियनशिप 2012 पर रेडियो रिपोर्ट।

एक्वेटिकस

- पुणे में अक्टूबर 2012 में आयोजित 66वें सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैम्पियनशिप पर रिपोर्ट।

कुश्ती

- नई दिल्ली में मई 2012 में आयोजित प्रारम्भिक कुश्ती ग्रान्ड प्री 2012 पर समेकित रेडियो रिपोर्ट।

समाचार सेवा प्रभाग

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग (एनएसडी) भारत एवं विदेश में स्थित श्रोताओं के लिए समाचार एवं सूचनाओं को प्रसारण करता है। प्रभाग लगभग 90 भाषाओं, बोलियों में गृह, क्षेत्रीय, बाह्य एवं डी0टी0एच0 सेवाओं पर रोज 651 बुलेटिन प्रसारित करता है जिसकी कुल अवधि लगभग 55 घण्टे है। 41 आकाशवाणी स्टेशनों से 312 समाचार, हेडलाइन्स प्रति घण्टे एफ.एम. मोड पर चलाये जाते हैं। 1405 समाचार आधारित कार्यक्रम समाचार सेवा प्रभाग एवं इसकी क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा एक महीने में प्रसारित किये जाते हैं। ये कार्यक्रम आम व्यक्ति से संबंधित मुद्दों एवं सरकार द्वारा लिये गये विकास के कदमों पर केन्द्रित होते हैं।

इन बुलेटिनों एवं कार्यक्रमों के अलावा समाचार सेवा प्रभाग अनेक माध्यमों यथा, फोन, एस.एम.एस., इलेक्ट्रानिक प्रदर्शन पट्ट एवं वेबसाइट के द्वारा भी समाचार प्रदान करता है। 14 आकाशवाणी केन्द्रों में हिन्दी एवं अंग्रेजी सहित 10 क्षेत्रीय भाषाओं में श्रोताओं को अद्यतन समाचार हेडलाइन्स फोन पर श्रोता के रुप में उपलब्ध कराया जाता है।

{k=h; lekpkj bdkb ¼vkj ,u ;½ % दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक उसकी भाषा तथा बोली में समाचार को पहंचाने वाली आरएनयू आकाशवाणी की एक खिड़की की तरह है। देशभर में 44 आर एन यू हैं जिनके जरिए समाचारों को सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ साफ सुथरे तथा विश्लेषण त्मक तरीके से श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। ज्यादातर राज्यों में एक आरएनयू है जबकि कुछ राज्यों में दो तथा अधिक आर एन यू हैं। महाराष्ट्र में सबसे अधिक आर एन यू हैं। आकाशवाणी कारगिल का कोई आरएनयू नहीं है फिर भी यहां से वर्ष 2008 से समाचार बुलेटिन जारी हो रहे हैं।

एक दिन में 172 क्षेत्रीय समाचार इकाइयां 76 क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों में 21 घंटे अवधि की होम सेवाओं एवं समाचार बुलेटिनें 6 भाषाओं में विदेश सेवा के लिए 1 घन्टे अवधि की प्रसारित करती है। आरएनयू औरंगाबाद से 1 अप्रैल 2012 से मराठी में तीन समाचार बुलेटिनें प्रारम्भ की गईं। साथ ही आरएनयू एफ एम रेनबो तथा अन्य फ्रीक्वेंसी पर 290 हेडलाइन बुलेटिनें 10 घन्टे से अधिक की अवधि के लिए प्रसारित करता है। आरएनयू द्वारा प्रतिमाह लगभग 1019 समाचार आधारित कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। विशेष बुलेटिन तथा सजीव कार्यक्रम असेम्बली चुनाव के दौरान प्रसारित किए गए।

osclkbV % प्रभाग की वेबसाइट www.newsonair.nic.in श्रोताओं

की भारत एवं दुनियाभर में सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अद्यतन राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, व्यापार, तथा खेल समाचार तक पहुंच के साथ श्रोता 182 समाचार बुलेटिन/समाचार आधारित कार्यक्रम हिन्दी एवं अंग्रेजी सहित 28 क्षेत्रीय भाषाओं में सुन सकते हैं। वेबसाइट पर 27 भाषाओं में 100 समाचारों की स्क्रिप्ट भी उपलब्ध है। समाचार सेवा प्रभाग की यह वेबसाइट समाचार/ऑडियो बुलेटिनों / कार्यक्रमों का एक बड़ा आर्काइव ढूढ़ने योग्य फार्मेट में उपलब्ध कराती है जो श्रोताओं के लिए लाभकारी है। वेबसाइट पर रिच साइट समरी (आरएसएस) फीड प्रत्येक समाचार आइटम के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। श्रोताओं के लिए पोडकास्टिंग सुविधा भी उपलब्ध है जो अपने हैंडसेट/कम्प्यूटर पर ऑडियो बुलेटिन पा सकते हैं। इस वेबसाइट की यूएसपी बढ़ाने के लिए अप्रैल से नवम्बर 2012 के दौरान 12 और क्षेत्रीय बुलेटिनें इस वेबसाइट में जोड़ी गईं। इनमें शामिल हैं 2 लद्दाखी, 1 सिन्धी, 3 कन्नड़, 2 कोंकणी, 1 हिन्दी, 2 तेलुगू तथा 1 नेपाली बुलेटिन। 10 क्षेत्रीय बुलेटिनों की स्क्रिप्ट भी इस अवधि के दौरान लाई गईं जिनमें शामिल है 1 नेपाली, 4 कोंकणी, 3 तेलुगू, 1 ओड़िया तथा 1 हिन्दी बुलेटिन।

इस अवधि के दौरान वेबसाइट की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है क्योंकि अप्रैल 2011 में 26,000 प्रतिदिन हिट 44 से बढ़कर नवम्बर 2012 में 37,549 हो गई है। 10 शीर्ष सरकारी वेबसाइट में इसका स्थान 6 है। इसकी वेबसाइट को एनआईसी की मदद से पुनः डिजाइन किया जा रहा है। एक बार सुरक्षा ऑडिट पूरे हो जाने के पश्चात् नई वेबसाइट लोड कर दी जाएगी। श्रोताओं की सलाहों को भी लागू करने का प्रयास किया जाता रहा है।

; V;c % हाल ही में समाचार सेवा प्रभाग ने समाचार बुलेटिनों एवं समाचार आधारित कार्यक्रमों को यू ट्यूब में स्थित मंत्रालय के लिंक पर डालना प्रारम्भ कर दिया है।

lekpkj vk/kkfjr dk;Øe %
नियमित बुलेटिनों के अलावा, समाचार सेवा प्रभाग समाचारों एवं सामान्य व्यक्ति से जुड़े अन्य मुद्दों पर दैनिक एवं साप्ताहिक कार्यक्रम भी आयोजित करता है। सामान्यतः प्रभाग आम जन के कल्याण के नीति कार्यक्रमों तथा पहलों से सम्बन्धित सूचनाओं को कवर करता है जिससे लोगों के बीच उन्हें लोकप्रिय बनाया जा सके। प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विषय स्पॉटलाइट/समाचार विश्लेषण/सामयिकी होता है।

सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी नई दिल्ली में ब्रॉडकास्ट इंजीनयरिंग सोसाइटी (इंडिया)–एक्सपो 2013 और अंतर्राष्ट्रीय भूस्थैतिक तथा उपग्रह प्रसारण सम्मेलन तथा प्रदर्शनी के उद्घाटन के अवसर पर सम्बोधित करते हुए

साप्ताहिक कार्यक्रमों में शामिल है— मनी टॉक, पब्लिक स्पीक, चर्चा का विषय है, वाद संवाद, सुर्खियों से परे, सम सामयिकी, ह्युमन फेस, इन्टरव्यू ऑफ द वीक इत्यादि।

वाणिज्यिक स्कन्ध

आकाशवाणी के लिए राजस्व प्राप्त करने का दायित्व इसके वाणिज्यिक सेट अप का होता है। पिछले कुछ वर्षों में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में तेजी से बदलते हुए परिदृश्य के बावजूद, मुंबई में स्थित अपनी केन्द्रीय विक्रय इकाई, 15 मुख्य वाणिज्यिक प्रसारण सेवा केन्द्रों (जो कि देश के विभिन्न भागों में स्थित है), मुम्बई, कोलकाता, कोच्चि, तिरुअनंतपुरम, गुवाहाटी तथा जालन्धर में स्थित 10 विपणन प्रभागों के जरिए समग्र वाणिज्यिक राजस्व को बढ़ाने में सफल रही है, साथ ही लोक सेवा प्रसारक के रुप में अपनी पहचान को कायम रखने में भी आकाशवाणी सफल रही है।

एक निर्धारित आचार संहिता आकाशवाणी के कार्यक्रमों तथा साथ ही वाणिज्यिक प्रसारणों को संचालित करती है जबकि यह प्रसारण तथा वाणिज्यिक नियमों का कठोरता से पालन करती है तथा सभी आकाशवाण ी केन्द्रों तथा सीबीएस केन्द्रों (विविध भारती केन्द्रों एवं एफएम चैनलों) पर बजट एवं स्टाफ की कमी का

जन सूचना अवसंरचना एवं नवाचार विषयों पर योजना आयोग में प्रधानमंत्री के सलाहकार श्री सैम पित्रोदा से विशेष मान्यता पुरस्कार प्राप्त करते हुए सूचना एवं प्रसारण सचिव उदय कुमार वर्मा। यह पुरस्कार ब्रॉडकास्ट इंजिनियरिंग सोसायटी (भारत) की ओर से आयोजित बीईएस (भारत) एक्सपो 2013 तथा भूस्थैतिक एवं उपग्रह प्रसारण पर 19वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के दौरान प्रदान किया गया। इस मौके पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी भी उपस्थित थे।

सामना कर रहा है, वाणिज्यिक स्कन्ध प्रमुख कारपोरेट ग्राहकों/विज्ञापनदाताओं, साथ ही सरकारी एवं पीएसयू से व्यापार प्राप्त करने में सफल रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख निजी कारपोरेट ग्राहक हैं– हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड, निरमा लिमिटेड, विको लेबोरेटरीज लिमिटेड, पीएण्डजी होम प्रोडक्ट, वोडाफोन एस्सार लिमिटेड, इमामी लिमिटेड, जिलेट इण्डिया लिमिटेड तथा जॉनसन एण्ड जॉनसन लिमिटेड। सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आकाशवाणी के कुछ प्रमुख ग्राहक हैं– ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, गृह मंत्रालय इत्यादि।

बाजार में बढ़ती प्रतियोगिता को देखते हुए वाणिज्यिक स्कन्ध अपने टेरिफ कार्ड को और अधिक उपयोक्ता मैत्री पूर्ण एवं प्रतियोगी बनाने के लिए संशोधित/तर्क संगत बना रहा है। एफ एम चैनलों तथा विविध भारती चैनलों के लिए विशेष पैकेज दर तैयार की जा रही है तथा शीघ्र ही इसे व्यवहार में लाया जाएगा।

व्यवसायीकरण लाने के दृष्टिकोण से तथा वाणिज्यिक एअरटाइम की बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रसार भारती ने आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर क्रास चैनल प्रचार की अनुमति दे दी है जो कि वाणिज्यिक सौदे का हिस्सा समान मूल्य की समान सुविधा विस्तृत कर अथवा निगम के राजस्व उत्पादन को उपलब्ध करा कर होगी। वाणिज्यिक स्कन्ध ने सभी प्राथमिक चैनलों, स्थानीय रेडियो स्टेशनों, एफ एम तथा विविध भारती पर स्पॉट बाई बुकिंग पर 1 : 1 बोनस योजना जारी रखी है। इस प्रकार की बाजार अनुकूल योजनाओं की निगरानी करते हुए वाणिज्यिक स्कन्ध ग्राहकों/विज्ञापनदाताओं पर सभी स्तरों पर लगातार संपर्क में है जिससे उन्हें इस बात के लिए विश्वास दिलाया जा सके कि वे अपने विज्ञापनों के लिए आकाशवाणी पर प्रमुख रुप से पूँजी निवेश करें जो कि पूरे देश को आच्छादित करने वाला एकमात्र माध्यम है। विपणन प्रभाग तथा सीबीएस केन्द्र अपने ग्राहकों के लिए लागत प्रभावी मीडिया योजनाओं को उपलब्ध कराते हैं जो कि ग्राहकों के उत्पादों/सेवाओं को उनके उपलब्ध बजट में अधिकतम अवसर प्रदान कर सके।

आकाशवाणी का वाणिज्यिक स्कन्ध आकाशवाणी के अन्य प्रवर्तक अनुभागों/स्कन्धों के साथ समान रुप से शामिल रहा है जिससे कि कार्यक्रम स्कन्ध में नीति निर्माताओं को प्रोत्साहन/कार्यनीति फीड बैक प्रदान किया जा सके जिससे कि रेडियो प्रसारण को वर्तमान प्रतियोगी मीडिया माहौल में और प्रभावकारी बनाया जा सके। वास्तव में संपूर्ण रुप से संगठन के लिए राजस्व उत्पादित करने का दायित्व वाणिज्यिक स्कन्ध का है तथा निश्चय ही इस स्कन्ध ने पिछले कुछ वर्षों में संगठन का समग्र राजस्व बढ़ाने में बेहतर परिणाम दर्शाया है।

विपणन प्रभाग

इन–हाउस विपणन के कदम रखने तथा राजस्व अर्जित करने के अधिक कार्यनीतिक रास्ते ने प्रसार भारती ने प्रमुख शहरों में विपणन प्रभाग खोले जाने की राह तैयार की। पहला विपणन प्रभाग मुंबई में खोला गया तथा वर्तमान में नई दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, गुवाहाटी, कोच्चि, तिरुअनंतपुरम तथा जालन्धर विपणन प्रभाग कार्य कर रहे हैं। दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता तथा चेन्नई में स्थित प्रभागों को क्षेत्रीय हब के रुप में चिन्हित किया गया है। 90 के दशक के अंतिम वर्षों में विपणन प्रभाग के अस्तित्व में आने के पश्चात प्रसार भारती के समग्र राजस्व अर्जन में उल्लेखनीय रुप से वृद्धि हुई है।

आकाशवाणी के कुछ प्रमुख ग्राहकों में शामिल हैं– ग्रामीण विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय एड्स नियन्त्रण संगठन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, पेयजल आपूर्ति विभाग, आयकर निदेशालय, गृह मंत्रालय, पी सी आर ए और निजी ग्राहक जैसे टाटा डोकोमो, कोको कोला, परफेटी, एअरटेल, वोडाफोन, डाबर, हिन्दुस्तान लीवर और हीरो होन्डा इत्यादि।

इस प्रभाग के सतत् तथा मजबूत प्रयासों से आकाशवाणी ने वर्ष 2011–12 के दौरान रु. 359.65 करोड़ का राजस्व प्राप्त किया है तथा वर्ष 2012–13 तक रु. 188.89 करोड़ का राजस्व (सितम्बर 2012) प्राप्त किया जा चुका है। वर्तमान में निम्न विभागों से अनुमोदन प्राप्त होने की उम्मीद है– भारतीय ओवरसीज मामलों का मंत्रालय, एनएसीओ, स्कूली शिक्षा और साक्षरता मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय।

ट्रांसक्रिप्शन एवं कार्यक्रम आदान–प्रदान सेवा

ट्रांसक्रिप्शन सेवा 3 अप्रैल 1954 को शुरू की गई थी। इसे विशेष रूप से देश के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों के साथ सभी पदाधिकारियों के भाषण का ट्रांसक्रिप्सन तैयार करने का मुख्य

कार्य सौंपा गया। यह इकाई भविष्य में प्रसारण के लिए रिकार्डिंग के संरक्षण हेतु ''ए आई आर–टी एस रिकार्ड'' लेबल की विनाइल डिस्क के प्रक्रमण हेतु कार्य कर रही थी। 1 अप्रैल 1959 को इसका नाम बदल कर ''ट्रांसक्रिप्सन एण्ड प्रोग्राम एक्सचेन्ज सर्विस'' कर दिया गया तथा इसे ''निदेशक'' की निगरानी में दे दिया गया। प्रोसेस किए गए रिकार्ड खर्चीले होने के कारण जून 1967 में प्रोसेसिंग कार्य को समाप्त कर दिया गया तथा संरक्षण की नई विधाएं यथा एनालॉग मैगनेटिक टेप इत्यादि प्रयोग में आईं। देश में अनौपचारिक आर्काइविंग अस्तित्व में थीं परन्तु एक संगठित गतिविधि के रुप में इस इकाई को कार्य बाद में दिया गया।

साउण्ड आर्काइव

आकाशवाणी के ध्वनि पुरालेख (आर्काइव) को राष्ट्रीय ऑडियो आर्काइव भी कहा जा सकता है क्योंकि यह 16500 घण्टों से अधिक की मूल्यवान रिकॉर्डिंग का खजाना है। इन रिकॉर्डिंग में विभिन्न श्रेणियों में संगीत तथा बोले गए शब्दों की रिकॉर्डिंग शामिल है। यह भारत की संगीत रिकॉर्डिंग की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें 12000 से अधिक हिन्दुस्तानी, कर्नाटक तथा विभिन्न लोक संगीत विधाओं के टेप हैं।

लाइब्रेरी में महात्मा गाँधी के भाषणों का अलग से संग्रह संरक्षित है जिसमें 11 मई 1947 को सोदेपुर आश्रम, कलकत्ता तथा 29 जनवरी, 1948 को बिरला हाउस, दिल्ली में क्रमशः रिकॉर्ड किये गये गाँधीजी के पहले तथा आखिरी प्रार्थना संबोधन शामिल हैं। आकाशवाणी, दिल्ली में 12 नवम्बर, 1947 को प्रसारित महात्मा गाँधी का एकमात्र प्रसारण भी सुरक्षित है। पंडित जवाहर लाल नेहरु की रिकॉर्डिंग के 3000 एनालॉग टेप भी आकाशवाणी आर्काइव में सुरक्षित हैं। अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तित्व यथा– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, डॉ. राधा कृष्णन, रवीन्द्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल, सरोजनी नायडू आदि की वॉयस रिकॉर्डिंग भी संरक्षित है। इसके अलावा, पुरस्कार प्राप्त रेडियो नाटक, फीचर, वृत्तचित्र इत्यादि तथा स्मारक व्याख्यान भी इस पुस्तकालय में उपलब्ध है। इस पुस्तकालय में भारत के सभी राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्रियों के भाषण की रिकॉर्डिंग संरक्षित है।

रेडियो ऑटोबायोग्राफी

रेडियो ऑटोबायोग्राफी तथा विशिष्ट व्यक्तित्व श्रेणी में अनेक महापुरूषों की 250 से अधिक रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों के इनपुट के साथ आकाशवाणी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की रिकॉर्डिंग करती है। निदेशालय से अनुमोदन प्राप्त हो जाने के पश्चात् यह रेडियो आत्मकथा रिकॉर्ड की जाती है।

आर्काइव डिजीटल लाइब्रेरी

2001 में सभी आर्काइव रिकॉर्डिंग को डिजिटाइज करने का विशेष प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया तथा प्रोजेक्ट को वर्ष 2005 में पूरा किया गया। इस समय तक प्रसारण नेटवर्क में आकाशवाणी प्रमुख डिजीटल लाइब्रेरी बन चुका था। उसके पास वे अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप टेप मौजूद हैं। डिजीटल माध्यम में अंतरित किए गए कार्यक्रम लगभग 16400 घण्टों में है।

वर्तमान में नई डिजीटल लाइब्रेरी की प्राप्ति पूरी की जा चुकी है। 2008 में प्रारम्भ डिजीटाइजेशन के दूसरे चरण में लगभग 500 घण्टों की रिकॉर्डिंग डिजीटाइज की जा चुकी है। डिजीटाइजेशन के दूसरे चरण में लगभग 5000 घण्टों के एनालॉग टेप के कार्यक्रमों को डिजीटाइज प्रारुप में अंतरित किया जाना है।

डिजीटल साउन्ड आर्काइव्स

ट्रांसक्रिप्सन एवं कार्यक्रम आदान प्रदान सेवा ने सभी एनालाग सामग्री को डिजीटलाइज करने का मेगा प्रोजेक्ट लिया है। इस दिशा में प्रमुख कदम उठाए जा चुके है। सीईओ, प्रसारभारती की अध्यक्षता में आर्काइव विशेषज्ञों की एक विशेष समिति जो तकनीकी एवं सामग्री प्रबंधन से सम्बन्धित है, का सृजन किया गया है। यह 'तकनीकी एवं विकल्प समिति' डिजीटल साउन्ड आर्काइव की सर्वोत्तम प्रैक्टिस ग्रहण कराने को दिशा दे रही है। अंर्तराष्ट्रीय ध्वनि आर्काइव संगठन (आई ए एस ए) की 6 दिवसीय वार्षिक कान्फ्रेंस में आकाशवाणी ने बड़े मात्रा में भाग लिया। अंर्तराष्ट्रीय विशेषज्ञों ने आर्काइव का दौरा किया तथा सुविधाओं की सराहना की एवं उन्हें और आधुनिक करने के बारे में मूल्यवान उपाय सुझाए।

प्रमुख गतिविधियां

- ट्रांसक्रिप्सन इकाई का प्रसार
- आकाशवाणी के प्रत्येक अनुभाग के आर्काइव अप्रैजल का निर्माण
- एनालाग एवं डिजी––– सामग्री के लिए फ्लो का निर्माण
- लेखकों, कलाकारों, इवेन्ट, यंत्र इत्यादि को शो केस करती नई आर्काइव गैलरी

- आर्काइव सामग्री को सुरक्षित हाउसिंग उपलब्ध कराकर स्टोरेज सुविधा का उन्नयन
- संरक्षण एवं प्रसार हेतु आर्काइ–सामग्री के चुनाव के लिए दिशा निर्देशों का निर्माण।

कार्यक्रम आदान प्रदान लाइब्रेरी

इस इकाई का मुख्य उद्देश्य मांग अनुसार केन्द्रों के मध्य बेहतर स्वरुप के कार्यक्रमों का आदान प्रदान करना है। पी ई यू लाइब्रेरी में लगभग 8000 टेप जिसमें संगीत तथा बोले गए शब्दों, कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग है, इस उद्देश्य के लिए संरक्षित की गई है। संगीत तथा बोले गए शब्द सामग्री विभिन्न भारतीय भाषाओं से अंर्तविष्ट करने के अलावा पी ई यू लाइब्रेरी बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, मराठी, संस्कृत, तमिल तथा तेलुगु में भाषाई पाठों को भी संरक्षित करती है। पी ई यू के पास अलग से देश की सभी प्रमुख भाषाओं एवं बोलियों में लोक तथा जनजातीय संगीत की संदर्भ लाइब्रेरी भी है। कार्यक्रम आदान प्रदान लाइब्रेरी चिन्हित रेडियो केन्द्रों को रेडियो सीरियल देती है। यह रेडियो सीरियल आकाशवाणी निदेशालय की पी पी एण्ड डी इकाई द्वारा सॉफ्टवेयर विकास कार्यक्रम के तहत दिए जाते हैं। केन्द्रीय रूपक एकांश द्वारा निर्मित नाटक चिन्हित रेडियो/केन्द्रों को भी नियमित रूप से दिए जाते हैं।

ट्रांसक्रिप्सन इकाई

इस सेवा का एक प्रमुख कार्य राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के भाषणों की रिकॉर्डिंग का लिप्यांतरण और उन्हें समयानुसार व्यवस्थित करना है। सार्वजनिक समारोहों में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषणों को रिकॉर्ड करना आकाशवाणी केन्द्रों के पक्ष पर अपरिहार्य है। भाषण समाहित करते हुए टेप तथा साथ ही इनकी ट्रांसक्रिप्ट विभिन्न सम्बन्धित आकाशवाणी केन्द्रों से टी एण्ड पी ई एस द्वारा प्राप्त की जाती है। सभी ट्रांसक्रिप्सन का सजिल्द खण्ड तैयार करके अभिलेखागार में रखा जाता है। राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के सभी भाषण सी डी रुप में संरक्षित करके विस्तृत डाटा इन्ट्री के साथ रखे जाते हैं।

नवीकरण इकाई

अभिलेखों में पुरानी संगीत रिकॉर्डिंग का नवीकरण करने के लिए इस इकाई की स्थापना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से कुछ वर्षों पूर्व की गई। सैकड़ों घण्टे संगीत की रिकॉर्डिंग तथा महात्मा गाँधी, पंडित नेहरु इत्यादि की रिकॉर्डिंग यहां नवीकृत की जाती है। वर्तमान में यह इकाई आकाशवाणी तथा दूरदर्शन आर्काइव द्वारा जारी की जा रही रिकॉर्डिंग की ऑडियो गुणवत्ता का ध्यान रखती है।

^^vkdk'kok.kh lxhr^^ % पिछले समय में सभी प्रमुख संगीतकारों की प्रस्तुतियों को रिकार्ड, प्रसारण तथा संरक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ। वर्तमान में हिन्दुस्तानी तथा कर्नाटक दोनों प्रकार में शास्त्रीय संगीत का समृद्ध खजाना आकाशवाणी के पास मौजूद है। ''आकाशवाणी संगीत'' के बैनर तले आकाशवाणी आर्काइव ने इस महत्वपूर्ण संगीत संकलन को रिलीज करना प्रारम्भ किया है। केन्द्रीय आर्काइव द्वारा अब तक जारी किए गए अलबम की सूची इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।

विदेश सेवा प्रभाग

विदेश सेवा प्रभाग भारत तथा इसकी सभ्यता, संस्कृति तथा प्रथाओं को विश्व के शेष भाग से जोड़ने की कोशिश करता है। सेवा का उद्देश्य भारत तथा इसकी विदेश नीतियों से बेहतर समझ उत्पन्न करना है। यह भारत की प्राचीन सभ्यता, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर तथा प्रगतिशील अर्थव्यवस्था और इसके धर्मनिरपेक्ष स्वरुप पर प्रकाश डालता है। वैश्विक मामलों में भारत की बढ़ती पहुँच, संयुक्त राष्ट्र सुधारों पर दूसरा रुख, डब्ल्यू टी ओ, विश्व बैंक, आई एम एफ, जलवायु परिवर्तन तथा निःशस्त्रीकरण इत्यादि को भी यह आगे बढ़ाता है।

विदेश सेवा प्रभाग की पहुंच और कवरेज दुनिया में चोटी पर है। यह 27 भाषाओं में करीब 100 देशों में प्रसारण करता है। रेडियो अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी, स्वाहिली, अरबी, फारसी, पश्तो, डारी, बलूची, सिंहली, नेपाली, तिब्बती, चीनी, थाई, बर्मीज और इंडोनेशियाई भाषाओं में विदेशी श्रोताओं तक पहुंचता है। हिंदी, तामिल, तेलुगु, मलयालम और गुजराती भाषा में विदेश सेवा प्रवासी भारतीयों के लिए है, जबकि उर्दू, पंजाबी, सिंधी, सैराकी, कन्नड़ एवं बांग्ला भाषा में प्रसारण भारतीय उपमहाद्वीप के श्रोताओं को लक्ष्य बनाकर किया जाता है।

इस वर्ष प्रभाग की विभिन्न भाषा की इकाइयों ने कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए। इसकी सामान्य ओवरसीज सेवा (जी ओ एस – अंग्रेजी) ने ''बुद्धिज्म–द कांसेप्ट ऑफ इन्टर डिपेन्डस एण्ड हार्मोनी'' पर एक विशेष वार्ता का प्रसारण किया। इसमें प्रो0 गेशे ग्वांग समतेन,

सी सी, केन्द्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय, सारनाथ, वाराणसी ने भाग लिया। बुद्ध पूर्णिमा पर आमंत्रित श्रोताओं के समक्ष यह पहला प्रसारण था। साथ ही जी ओ एस ने श्री आर एस बुटोला, सी एम डी, इन्डियन ऑयल कारपोरेशन का साक्षात्कार प्रसारित किया। फीचर फिल्मों के 100 वर्ष पूरे होने पर ''हिस्ट्री ऑफ इन्डियन सिनेमा'' नाम से एक 10 एपीसोड के धारावाहिक का भी प्रसारण किया गया।

इसकी हिन्दी सेवाओं के बी बी सी के जाने माने चेहरे श्री मार्क टुली का साक्षात्कार प्रसारित किया गया। अन्य प्रसारणों में शामिल था– जानी मानी समाज सेविका श्री मती रंजना कुमारी, प्रसिद्ध कठपुतली कलाकार श्री दादी पदुमजी, प्रसिद्ध लेखक डॉ. विश्वनाथ त्रिपाठी जाने माने फिल्म निर्माता श्री एम एस सथ्यू, जाने माने थिएटर निर्देशक श्री भानू भारती तथा श्रीमती हिमानी शिवपुरी जानी मानी थिएटर एवं टी वी कलाकारों से साक्षात्कार था। हिन्दी सेवा में ''हमारी विश्व ध ारोहर'' नाम से एक श्रृंखला का प्रसारण पुरातत्व विभाग के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर किया। कई सेवाओं में भी इस प्रकार के कार्यक्रमों का प्रसारण किया गया। इनमें से कुछ हैं–इन्तेजार हुसैन, जाने माने लेखक तथा उस्ताद शफकत अली खान, शास्त्रीय संगीतज्ञ, दोनों पाकिस्तान से, का साक्षात्कार। डी टी एच पर पहले से ही जारी यह सेवा अब इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है।

प्रभाग की अरबी सेवाओं में श्री हेदी बेन अब्बास, विदेश राज्य मंत्री, ट्यूनीशिया का साक्षात्कार प्रसारित हुआ।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध इकाई

आकाशवाणी की अंतर्राष्ट्रीय संबंध इकाई आकाशवाणी की प्रकृति से सम्बन्धित विदेश संबंधी विभिन्न प्रतिबद्धताओं का कार्य करती है। इसकी टास्क फोर्स में संस्कृति विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार तथा अन्य विभिन्न देशों के बीच हस्ताक्षरित कार्यक्रमों का लागू किया जाना शामिल है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी से सम्बन्धित अनुच्छेदों, विदेशी प्रसारकों तथा मीडिया संगठनों के बीच परस्पर सहयोग से सम्बन्धित मुद्दों, विदेषी प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कान्फ्रेंस तथा विदेशों में आयोजित बैठकों में भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय रेडियो प्रतियोगिता में भागीदारी, देश के भीतर आयोजित कार्यशाला इत्यादि शामिल है।

प्रशिक्षण

यूनिसेफ के सहयोग से विभिन्न राज्यों के आकाशवाणी प्रोग्रामरों के लिए चार कौशल निर्माण इन कन्ट्री प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यशाला आयोजित की गई। इन कार्यशालाओं में 100 प्रोग्रामर्स ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार

12वें अंतर्राष्ट्रीय ईरानी रेडियो समारोह में आकाशवाणी की 4 प्रविष्टियां फाइनल तक शार्ट लिस्ट की गई। मई, 2012 में जीबाकेनार, ईरान में आयोजित समारोह में इन प्रविष्टियों के निर्माताओं को आमंत्रित किया गया। इस समारोह में ''मिनी फीचर'' श्रेणी में प्रथम पुरस्कार श्री बीजू मैथ्यू कार्यक्रम एक्जेक्यूटिव, आकाशवाणी, तिरुवन्तपुरम के ''पेन कुंजू'' (द गर्ल) (मलयालम भाषा) को मिला। उन्हें एक ट्राफी, प्लेक तथा 1500 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार मिला। इस समारोह के दौरान आयोजित ''चौथे अंर्तराष्ट्रीय रेडियो फोरम'' में श्री मैथ्यू तथा श्री आर सुदर्शन, कार्यक्रम एक्जेक्यूटिव को वक्ताओं के रुप में आमंत्रित किया गया। कुआलालम्पुर, मलेशिया में 5 से 7 सितम्बर, 2012 को आयोजित ए बी यू पुरस्कार 2012 (रेडियो) के फाइनल में निर्णायक के तौर पर श्री मैथ्यू को एशिया पेसिफिक ब्राडकास्टिंग यूनियन द्वारा आमंत्रित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत तथा अन्य देशों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों के तहत हस्ताक्षरित, आकाशवाण ी के विदेश सेवा प्रभाग ने प्रत्येक पखवाड़े में 30 मिनट का संगीत कार्यक्रम सम्बन्धित देशों को उनके रेडियों नेटवर्क द्वारा प्रसारित करने के लिए प्रदान किया। 24 मई 2012 को बुल्गारिया के स्लोवानिक पत्र तथा बुल्गारियन शिक्षा एवं संस्कृति के अवसर पर रेडियो बुल्गारिया द्वारा प्राप्त एक कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली द्वारा किया गया।

रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग के लिए आकाशवाणी ने ट्यूनीशिया रेडियो के साथ सहयोग पर एक समझौता किया है। समान प्रकार के समझौते प्रसार भारती द्वारा कोरियन प्रसारण सिस्टम (के बी एस), कोरिया गणराज्य तथा ऑस्ट्रेलियाई प्रसारण निगम (ए बी सी), ऑस्ट्रेलिया के साथ किए।

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फोटाग्राफ

आकाशवाणी की सराहना

बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई के दौरान आकाशवाणी की प्रशंसनीय भूमिका को ढाका में आयोजित विशेष समारोह में बांग्लादेश सरकार ने खासतौर से सराहा। आकाशवाणी के महानिदेशक श्री लीलाधर मंडलोई ने ट्राफी तथा प्लेक प्राप्त किया।

एबीयू प्रशासनिक परिषद् में आकाशवाणी का चुनाव

सियोल में 11से 17 अक्टूबर, 2012 को आयोजित 49वीं एबीयू सामान्य महासभा तथा सम्बन्धित बैठकों में श्री जवाहर सरकार सीईओ, प्रसार भारती के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमण्डल ने भाग लिया। आकाशवाणी को ए बी यू की प्रशासनिक परिषद् के तीन वर्षों की अवधि के लिए चुना गया। परिषद् में 15 चुने सदस्य हैं।

fon"k ifrfu;fDr % 6 कार्यक्रम अधिकारियों ने विभिन्न प्रसारण सम्बन्ध ी कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वर्ष के दौरान विदेश यात्रा की।

स्टाफ ट्रेनिंग संस्थान (तकनीकी)

दिल्ली में स्थित स्टाफ ट्रेनिंग संस्थान इंजीनियरिंग कर्मचारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकता को पूर्ण करता है। ट्रेनिंग सुविधाओं के विस्तार के लिये क्षेत्रीय ट्रेनिंग संस्थान मुंबई, भुवनेश्वर एवं शिलांग में भी स्थापित किये गये हैं।

दिल्ली का संस्थान 1948 में स्थापित किया गया और तब से यह इलेक्ट्रानिक मीडिया के तकनीकी प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है। एक सुसंगठित पुस्तकालय एवं मल्टीमीडिया उपकरण युक्त कम्प्यूटर केन्द्र संस्थान में उपलब्ध हैं। संस्थान विभागीय अभ्यर्थियों एवं समान विदेशी संगठनों के अभ्यर्थियों के लिये प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाता है। विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों पर कार्यशालायें भी होती हैं। संस्थान सीधी भर्ती इंजीनियरिंग कर्मचारियों की पदोन्नति के लिये विभागीय प्रतियोगी परीक्षायें भी आयोजित करता है। क्षेत्रीय संस्थान कम्प्यूटर हार्ड डिस्क आधारित रिकॉर्डिंग सम्पादन और प्लेबैक व्यवस्था के उपयोग से संबंधित पाठ्यक्रम संचालित करता है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या का विवरण

(क) अप्रैल से दिसम्बर 2012

i f'k{k.k l LFkku dk uke	fd, x, dk l dh Lk[;k	dk l ixfr ij	i f'kf{kr depkfj;k dh l [;k	py jgs dk lk dk fy, vuekfur LVkQ Vfux
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), दिल्ली	39	28	915	200
क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), भुवनेश्वर	13	14	674	150
क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), शिलांग	2	04	30	50
क्षेत्रीय कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), मलाड, मुम्बई	लागू नहीं	लागू नही	लागू नही	लागू नही

(ख) जनवरी से मार्च 2013 की अवधि के लिए

i f'k{k.k l LFkku dk uke	fd, tku okys dk lk dh Lk[;k	i f'kf{kr depkfj;k dh l [;k ¼vuekfur½
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), दिल्ली	19	285
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), भुवनेश्वर	14	150
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), शिलांग	04	50
कर्मचारी प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी), मलाड, मुम्बई	—	—

(ग) एस.टी.आई.(टी.) फैकल्टी द्वारा विभिन्न केन्द्रों पर आयोजित बाहय पाठयक्रम दिनांक 25.10.2012 तक 16 रहे तथा 01.12.2012 से 31.03.2013 तक 23 वाहय पाठयक्रम प्रस्तावित हैं।

(घ) अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी : ए आई बी डी के सहयोग से ''ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स'' का आयोजन किया गया। एस टी आई (टी), आर एस टी आई (टी) एवं एस टी आई (पी) की 14 फैकल्टियों ने कोर्स में सहभागिता की। श्री डेविड मोल्ड, प्रोफेसर, ओहियो विश्वविद्यालय, अमेरिका ने ए आई बी डी से एक रिसोर्स पर्सन के रुप में भाग लिया।

(ङ) सप्ताह भर की अवधि का डिप्लोमा/डिग्री इंजीनियरिंग छात्रों के लिये ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण संस्थान (तकनीकी) द्वारा संचालित किया गया जिसमें कुल 204 इंजीनियरिंग छात्रों ने भाग लिया।

संस्थान द्वारा अर्जित राजस्व

संस्थान ने जून–जुलाई, 2012 में आयोजित डिप्लोमा/डिग्री छात्रों के लिये पाठ्यक्रम से 6,13,395 रूपये का राजस्व प्राप्त किया।

'आकाशवाणी रिसोर्सेज' की गतिविधियाँ

- प्रसार भारती ने 'आकाशवाणी रिसोर्सेज' को एक स्वतंत्र केन्द्र बनाया है ताकि वह आकाशवाणी एवं दूरदर्शन के प्रसारण के क्षेत्र में परामर्श और तैयार समाधान के साथ ही दोनों घटकों के विशाल स्त्रोतों, तकनीकी विशेषज्ञों का इस्तेमाल वाणिज्यिक रूप से करके प्रसार भारती के लिए राजस्व प्राप्त कर सके। ये इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय को देश में 37 स्थानों पर ज्ञानवाणी केन्द्रों की स्थापना के लिये एफएम ट्रांसमीटर स्थापित करने में टर्न के आधार पर समाधान उपलब्ध करा रहा है। भूमि, भवन और टावर की ज्ञानवाणी केन्द्रों को पट्टे पर दिये गये हैं। प्रसार भारती ने इन एफ0एम0 ट्रांसमीटरों के संचालन और रखरखाव का कार्य भी संभाला हुआ है।

- भूमि, भवन एवं टॉवर जैसी बुनियादी संरचनायें निजी एफ. एम. चैनलों को किराये के आधार पर दी जा रही हैं। वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की योजना के प्रथम चरण में चार नगरों में 9 निजी एफ एम चैनल चल रहे हैं। योजना के दूसरे चरण में 87 शहरों में 227 एफ. एम. चैनलों का संचालन हो रहा है। सेलुलर मोबाइल सेवा प्रदाता भी प्रसार भारती की अधिसंरचना का उपयोग कर रहे हैं।

- विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान कर प्रसार भारती कार्यस्थल पर एवं संस्थागत प्रशिक्षण प्रदान करके भी राजस्व कमा रही है।

- अप्रैल से अक्टूबर, 2012 की कालावधि में 'आकाशवाणी रिसोर्सेज' ने 17.50 करोड़ का कुल राजस्व एकत्र किया है।

अनुसंधान विभाग, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन

रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारण में अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करने के लिये अनुसंधान विभाग विकास अनुसंधान कर रहा है। यह एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय संस्थान है जो प्रसारण इंजीनियरिंग के अनुसंधान एवं विकास कार्य में लगा हुआ है। इस वर्ष इस कार्यालय द्वारा की गईं मुख्य गतिविधियां निम्नलिखित हैं–

अप्रैल से दिसम्बर 2012 के दौरान उपलब्धि

- एम डब्ल्यू ट्रांसमीटर के लिए टेलीमेट्री सिस्टम के साथ एएम माडुलेशन नापने के लिए सर्किट डिजाइन किया जा चुका है। प्रयोगशाला में इसकी स्थिति संतोषजनक है। माडूलेशन मापन सरकिटरी को डालने के लिए और संशोधन किए जा रहे हैं।

- एम डब्ल्यू ट्रांसमीटर के लिए टेलीमेट्री सिस्टम के सम्बन्ध में इंटरफेसिंग इकाई के फैब्रिकेटिंग के लिए विभिन्न इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल घटकों तथा सामग्री प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है, बजट राशि आवंटित।

- एफएम एवं एएम टेलीमेट्री सिस्टम में लैन/ब्राडबैन्ड आधारित एप्लीकेशन के लिए टीसीपी/आईपी प्रोटोकाल के लिए सॉफ्टवेयर विकास का कार्य प्रारम्भ हो चुका है तथा प्रगति पर है।

- डीआरएम प्रसारण की निगरानी पूर्ण डीआरएम/साइमलकास्ट/मल्टीकास्ट मोड में ही आवश्यकतानुसार हो चुकी है।

- बड़ौदा, अहमदाबाद एवं सूरत में आकाशवाणी एवं अन्य निजी एफएम ऑपरेटर का रिसेप्शन सर्वे एडजेसेंट चैनल सेपरेशन एवं कैप्चर प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया जा चुका है।

- एमडब्ल्यू डीआरएम पर कार्यक्रम प्रगति पर है।

- 20 के डब्ल्यू से 40 के डब्ल्यू उच्च पावर एफएम एन्टीना से सम्बन्धित को को एक्सिएल रिजिड लाइन स्प्लिटर के लिए घटकों का डिजाइन कार्य तथा सम्बन्धित विशेषण पूरा किया जा चुका हैं।

- स्थित एवं मोबाइल डीआरएम रिसेप्सन के लिए एन्टीना तैयार है।

- आकाशवाणी स्टेशनों का विभिन्न ध्वनिक मापन, परीक्षण तथा आंकलन (एनआरसी, एसटीसी इत्यादि) ध्वनि पदार्थों का, इलेक्ट्रो एकाउस्टिक ट्रांसड्यूसर्स इत्यादि।

01 जनवरी 2013 से 31 मार्च 2013 तक योजना की गई गतिविधियां

- प्रसारण ट्रांसमीटर के लिए एडवांस टेलीमेट्री प्रक्रिया के विकास के लिए हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर अध्ययन जारी। इस सम्बन्ध में स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- एम एंड एफएम टेली मेट्री सिस्टम के सम्बन्ध में फैब्रिकेटिंग एवं इन्टरफेसिंग इकाई के लिए विभिन्न इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिक घटक तथा सामग्री प्राप्ति की प्रक्रिया जारी रहेगी।
- अद्यतन सॉफ्टवेयर तकनीक का प्रयोग कर एम एंड एफएम टेलीमेट्री प्रक्रिया में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का संशोधन कार्य जारी रहेगा।
- आकाशवाणी मथुरा में 100 डब्ल्यू एफएम ट्रांसमीटर के लिए एफएम रिमोट निगरानी आधारित एस एम एस की फील्ड टेस्टिंग की जाएगी।
- एम डब्ल्यू ट्रांसमीटरों के टेलीमेट्री सिस्टम के 16 संख्याओं का फैब्रिकेशन प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी।
- 20 किलोवॉट से 40 किलोवॉट हाई पावर एफ एम एन्टीना के आर एफ को एक्सिअल स्प्लिटर की प्राप्ति की जाएगी।
- मोबाइल वैन पर डिजीटल रेडियो ट्रांसमिशन के लिए प्रोपेगेशन मापन एवं रिसेप्शन सर्वे सिस्टम का फैब्रिकेशन कार्य सर्वे आवश्यकतानुसार किया जाएगा।
- 26 मेगा हर्ट्ज एस डब्ल्यू बैण्ड में कम शक्ति डीआरएम ट्रांसमीटर के लिए ऑन प्रोजेक्ट प्रप्तिक का कार्य जारी रहेगा।

आवास सुविधाओं का उन्नयन/सुधार

आवास सुविधाओं के लिए उपलब्ध कुल 80 कमरे (सिंगल तथा डबल) वातानुकूलित हैं। शेष 44 कमरे सिंगल नॉन अटैच्ड (कॉमन बाथरुम के साथ) हैं। एक वातानुकूलित डाइनिंग हॉल तथा आधुनिक सुविधाओं से

नई दिल्ली में आकाशवाणी द्वारा आयोजित वार्षिक सरदार पटेल व्याख्यान के अवसर पर मंच पर उपस्थित उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी, सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा, प्रसार भारती की अध्यक्ष श्रीमती मृणाल पांडे, प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जवाहर सरकार और आकाशवाणी महानिदेशक श्री लीलाधर मंडलोई भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

युक्त किचन आर ओ प्लांट के साथ बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। संलग्न लॉन का भी बेहतर तरीके से रखरखाव किया जा रहा है। रहने, खाने के अलावा प्रशिक्षुओं को अन्य सुविधाएं यथा कपड़ा धुलने, परिवहन हेतु टैक्सी तथा भुगतान आधार पर डॉक्टर की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

स्टाफ कल्याण गतिविधियां

1. स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान (टी) तथा स्टाफ प्रशिक्षण संस्थान (पी) में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आने वाले भागीदारों के कल्याण के लिए एक टी वी रुम, नए फर्नीचर तथा बड़ी स्क्रीन के साथ छात्रावास में उपलब्ध कराया गया है।

2. कार्यालय बिल्डिंग के और वाहनों को रखने के लिए कवर्ड पार्किंग की वयस्था की गई है। छात्रावास में इंटरनेट रुम में चार नए कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं।

3. छात्रावास में नई इंटरनेट लाइन रुम में चार नए कम्प्यूटर लगाए गए हैं।

4. हॉस्टल की लॉबी तथा क्लास रुम के बाहर आरामदायक स्टील बेंच उपलब्ध कराए गए हैं।

प्रस्तावित

1. लैपटॉप लेकर आने वाले प्रशिक्षुओं को वाई–फाई कनेक्टिविटी सुविधा उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

2. 24 घण्टे विद्युत आपूर्ति के लिए, छात्रावास में एक जेनरेटर उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

3. प्रशिक्षुओं द्वारा विशेष रुप से प्रयोग किया जा रहा बैडमिन्टन कोर्ट छात्रावास में पुनः निर्मित होना प्रस्तावित है।

4. छात्रावास के विभिन्न कमरों में खराब हो गए खिड़कियां तथा दरवाजे बदलना प्रस्तावित है।

5. पुस्तकालय सुविधा का सुधार एवं आधुनिकीकरण।

इस संस्थान का पुस्तकालय काफी पुराना है तथा इसमें लगभग 6000 से अधिक तकनीकी पुस्तकें जिसमें मैनुएल, वीडियो कैसेट, सीडी इत्यादि तथा अद्यतन शीर्षकों पर भी सामग्री शामिल हैं। वर्तमान स्थान के अपर्याप्त रहने के कारण संलग्न कमरों को पुस्तकालय के साथ जोड़ दिया गया है जिसे संदर्भ/ अध्ययन कक्ष के रुप में उपयोग किया जाएगा। पुस्तकालय तथा संलग्न कक्षों का समग्र सुधार उपयुक्त रुप में पूरा किया गया। पुस्तकालय में विभिन्न पुस्तकों के श्रेणीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है तथा श्रेणीनुसार पुस्तकों की सूची इंटरनेट पर उपलब्ध है जिससे प्रशिक्षुओं तथा फैकल्टी को लाभ मिल सकता है।

सर्वर एवं कम्प्यूटर नेटवर्क का उन्नयन एवं रिवायरिंग

dEI;Vj uVofdx ylc

- एक नया प्रोजेक्टर (एपसन मेक) कम्प्यूटर लैब में लगाया गया।
- नेटवर्किंग लैब को नए हाल में शिफ्ट कर दिया गया है जिसमें अतिरिक्त लेक्चर हाल सुविधा अधिक क्षमता के साथ है।
- नई एन/ डब्ल्यू लैब में एक नया प्रोजेक्टर लगाया गया है।

Dyk I #Ek

- दो नए टीएफटी मॉनीटर (डेल मेक) वी जी ए स्प्लिटर के साथ लगाए गए हैं जो क्लास रुम से 217 व 319 क्रमशः में अतिरिक्त प्रोजेक्टर के अलावा हैं।

रेडियो लैब/ स्टूडियो

- रेडियो लैब में एक डिजीटल साइट मास्टर/ स्पेक्ट्रम एनालाइजर (5332 ई माडल) मेक अनीरुत्सू जारी किया गया एवं लगाया गया।
- रेडियो लैब में आवश्यक मापन हेतु एक वेक्टर इम्पीडेन्स मीटर (वी आई एम) 9 माडल टी ई 1000 मेक ट्रूमेस जारी किया गया एवं लगाया गया।
- एक फील्ड स्ट्रेंग्थ मीटर (एफ एस एम) माडल एम एस 2711 डी मेक अनीरुत्सू जारी किया गया एवं प्रयोगों के लिए जांच अंतर्गत है।
- कन्सोल डी 75 स्विचिंग के लिए एक यू पी एस 5 क वी ए (यूनीलाइन) कन्ट्रोल रुम में लगाया जाएगा।

जनवरी से मार्च 2013

jfM;k ylc@LVfM;k% रेडियो स्टूडियो का डिजीटलाइजेशन लगभग पूरा हो चुका है तथा कन्ट्रोल रुम का डिजीटलाइजेशन प्रगति पर है।

Vhoh y'c@ LVfM;ks% रेडियो स्टूडियो का डिजीटलाइजेशन लगभग पूरा हो चुका है तथा कन्ट्रोल रुम का डिजीटलाइजेशन प्रगति पर है।

परीक्षाएं

निदेशालय के आदेश से भर्ती एवं प्रोन्नतियों हेतु परीक्षाएं अगले आदेशों तक नहीं आयोजित हो रही है।

स्टाफ ट्रेनिंग संस्थान (कार्यक्रम)

किंग्सवे कैम्प, दिल्ली में स्थित स्टाफ ट्रेनिंग संस्थान (कार्यक्रम) प्रसार भारती का प्रशिक्षण स्कंध है एवं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्रों में कार्यरत विभिन्न इन सेवा कार्मिकों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। 1 जनवरी 1990 से यह महानिदेशक, आकाशवाणी का अधीनस्थ कार्यालय घोषित किया गया। तत्पश्चात् अन्य 6 क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान भुवनेश्वर, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, शिलांग एवं तिरुवनंतपुरम के क्षेत्रों में अस्तित्व में आए। इनका नियंत्रण स्टाफ ट्रेनिंग संस्थान (कार्यक्रम), दिल्ली द्वारा किया जाता है।

प्रशिक्षण

156 इनहाउस कार्यशालाएं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम 2012 के दौरान किए गए। 4 कोर्स आकाशवाणी के कार्यक्रम अधिकारियों के लिए थे जो एस टी आई (टी) के समन्वय से चलाए जाते थे तथा जो ''हार्ड डिस्क बेस्ड रिकार्डिंग सिस्टम/ डिजीटल ऑडियो प्रोडक्शन एण्ड एडीटिंग एण्ड वर्चुअल स्टूडियो'' पर आधारित थे।

भुगतान आधारित बाह्य पाठ्यक्रम

'वाणी' प्रमाणपत्र कोर्स

आकाशवाणी देश का पहला इलेक्ट्रानिक माध्यम है जहां एनाउन्सर/ प्रस्तुतकर्ता/कम्पियरर तथा न्यूज रीडर ने प्रस्तुतिकरण की विधा का निर्माण किया है। इस अनोखी विधा पर आधारित एसटीआई (पी) ने प्रसारण मीडिया के लिए विशेष रुप से कोर्स डिजाइन किए हैं। ''वाणी'' (वायस आर्टिकुलेशन एण्ड नर्चरिंग इनीशिएटिव) प्रमाणपत्र कोर्स ऐसा ही एक कोर्स है जो प्रस्तुतकर्ताओं के कौशल में वृद्धि करता है।

पांच दिनों की अवधि का वाणी प्रमाणपत्र कोर्स आकाशवाणी के सभी केन्द्रों द्वारा आयोजित किया जाता है। प्रत्येक केन्द्रों पर ऑडिशन के जरिए इस हेतु अभ्यर्थियों का चुनाव किया जाता है। अवधि के दौरान 68 कोर्सों में 1115 भागीदारों को प्रशिक्षित किया गया।

जनसंचार (प्रायोगिक प्रशिक्षण)

इन्टर्नशिप (प्रयोगात्मक प्रशिक्षण) संस्थानों/विश्वविद्यालयों के जनसंचार के छात्रों को भुगतान के आधार पर/ क्षेत्रीय केन्द्रों के आधार पर दिया जाता है।

एअर इन्डिया

एसटीआई (पी), दिल्ली एअर इन्डिया के केबिन क्रू के लिए वायस कल्चर प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए करती है। वायस कल्चर के विभिन्न पहलुओं पर आध ाारित 4/5 दिनों का समेकित कार्यक्रम तैयार किया जाता है जिसमें थ्योरी तथा प्रयोगात्मक दोनों प्रशिक्षुओं को अपना कौशल सुधारने में मदद मिलती है। जनवरी से दिसम्बर 2012 के दौरान 12,52,960/– रुपए का राजस्व इन पाठ्यक्रमों से अर्जित किया गया।

इग्नू (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय)

इग्नू के सहयोग से एसटीआई (पी) ने इग्नू छात्रों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम पीजी डीएपीपी (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन आडियो प्रोग्राम प्रोडक्शन) तथा पीजी डीआरपी (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो प्रोग्राम) पाठ्यक्रमों के लिए किया। ये प्रायोगिक प्रशिक्षण आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर किए गए। रिपोर्टिंग अवधि के दौरान 100 छात्रों को 7 आकाशवाणी केन्द्रों में 7 बैचों में रखा गया।

राजस्व प्राप्ति

एस टी आई (पी) ने जनवरी से दिसम्बर 2012 के दौरान 53,69,685/– रुपए का राजस्व अर्जित किया।

पाठ्यक्रमों का विवरण

l LFkku	vul fpr			djk, x, dkl			djk, x, dkl dh ifr'krrk			dy vkef=r			dy if'kf{kr		
	dk;Øe	i'kklu	;kx	dk;Øe	i'kklu	;kx	dk;Øe	i'kklu	;kx	dk;Øe	i'kklu	;kx	dk;Øe	i'kklu	;kx
एसटीआई (पी), दिल्ली	17	11	28	13	10	23	77%	91%	83%	437	301	738	228	162	390
एसटीआई (पी), भुवनेश्वर	13	10	23	6	10	16	46%	100%	73%	144	323	467	90	172	262
आरटीआई (पी) अहमदाबाद	16	7	22	5	7	12	31%	100%	65%	82	207	289	54	135	189
आरटीआई (पी) हैदराबाद	10	11	21	2	6	8	20%	54%	37%	59	104	163	39	65	104
आरटीआई (पी) लखनऊ	15	8	23	5	5	10	33%	62%	48%	101	125	226	50	63	113
आरटीआई (पी) शिलांग	9	9	18	2	7	9	22%	78%	50%	43	128	171	24	93	117
आरटीआई (पी) तिरुवनंतपुरम	12	8	20	6	7	13	50%	88%	69%	91	183	274	59	128	187
egk;kx	92	63	155	39	52	91	42%	83%	63%	957	1371	2328	544	818	1362

श्रोता अनुसंधान एकांश

आकाशवाणी की श्रोता अनुसंधान की 1946 से गौरवशाली परंपरा रही है। श्रोता अनुसंधान इकाइयों का एक विस्तृत नेटवर्क है जो विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक फीडबैक प्रदान करते हैं। इसके आधार पर ही लोगों की आवश्यकता, रुचि तथा अभिलाषा के अनुसार कार्यक्रमों का निर्माण तथा सुधार किया जाता है।

श्रोता अनुसंधान एकांश द्वारा विभिन्न प्रकार की अनुसंधान पद्धतियों का प्रयोग गुणात्मक तथा परिमाणात्मक फीडबैक एकत्र करने में किया जाता है। कैलेन्डर वर्ष 2012–13 के दौरान निम्नलिखित श्रोता अनुसंधान गतिविधियां/अध्ययन किए गए:

1. एफ एम रेनबो तथा गोल्ड चैनल ने भारतीय रेडियो श्रोता सर्वे 2012 पूरे देश में 25 स्थानों पर किए।
2. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया सर्वे आंखें हैं अनमोल अगस्त 2012 के दौरान पूरे देश के 20 स्थानों पर किया गया।
3. भारतीय रेडियो श्रोता सर्वे 2012 ने प्राइमरी चैनलों पर सर्वे पूरे देश में 25 स्थानों पर जनवरी से मार्च 2012 के दौरान किए।
4. ड्रामा फेस्टिवल 2012 पर आकाशवाणी कटक ने सितम्बर 2012 के दौरान सर्वे किए।
5. सितम्बर 2012 के दौरान आकाशवाणी इन्दौर के कार्यक्रमों पर क्यू एफ एस।

भविष्य अध्ययन योजना

1. रेडियो हाउसहोल्ड इन्यूमरेशन।
2. 2013 के दौरान पूरे देश के 37 स्थानों पर विविध भारती चैनलों के बारे में सर्वे किए जाएंगे।
3. जनवरी से फरवरी 2013 के दौरान पूरे देश के 64 स्थानों पर प्राइमरी चैनल पर रेडियो श्रोता सर्वे किए जाएंगे।
4. मई से जून 2013 के दौरान पूरे देश में एफ एम चैनलों पर भारतीय रेडियो श्रोता सर्वे 2013 किए जाएंगे।

प्रशासन स्कंध

अनु. जा./अनु.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण

प्रसार भारती ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लागू करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। अनु.जा./ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण तथा अन्य लाभ प्रदान करने के नोडल मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी पॉलिसी निर्देशों तथा आदेशों को आकाशवाणी के सभी कार्यालयों तथा क्षेत्रीय इकाइयों में आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। कार्यालय ज्ञापन संख्या–36038/1/2008–स्था (रेस) दिनांक 19.11.2008 के अनुपालन में वैधानिक दिशा निर्देशों के लागू किए जाने का निरीक्षण करने के लिए अनु.जा./ज.जा. के हितों को सुरक्षित करने हेतु संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति की गई। 01.07.2004 को विशेष भर्ती अभियान तथा तत्पश्चात् 01.11.2008 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र संख्या ए–14011/01/2009–प्रशा.1 दिनांक 14.01.2009 प्रारम्भ किया गया। राज्यों की राजधानियों के केन्द्रों में संपर्क अधिकारी नामित करने तथा अनु.जा./ज.जा. बैकलॉग रिक्ति करने हेतु निर्देश जारी किए गए और संपर्क अधिकारी नामित किए गए।

जनवरी से मार्च की अवधि के दौरान किए जाने वाले कार्य

अनु.जा./ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए विषेश भर्ती अभियान को पुनः प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36038/1/2008–स्था (रेस) दिनांक 28.07.2011 को पहले ही सभी आकाशवाणी प्रमुखों, प्रमुख केन्द्रों जिसमें आंचलिक मुख्य इंजीनियर/उपमहानिदेशक शामिल हैं, निदेशालय के सभी स्टाफ अनुभाग जिसमें पी एण्ड डी इकाई भी शामिल है, सीसीडब्ल्यू, एआर इकाई, ईएसडी तथा एनएसडी को परिचालित किया जा चुका है। उनसे अनुरोध किया गया है कि अनु.जा./ज.जा. तथा अन्य पिछड़े वर्गों की बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों को 31.03.2012 तक भर लिया जाय। केन्द्रों/कार्यालयों से सूचना प्राप्त होने पर सूचना को एकत्र कर समेकित रिपोर्ट मंत्रालय को भेजी जाएगी।

लोक शिकायत तथा निवारण तंत्र

प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग के दिशा निर्देशों के तहत अनुभाग स्तर, क्षेत्रीय मुख्यालय स्तर तथा केन्द्रीय मुख्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तथा पहुँच तंत्र

की स्थापना की गई। आकाशवाणी शिकायतों के निपटान की नियमित रिपोर्टो को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजा जा रहा है। 01 अप्रैल से 31 दिसम्बर 2012 के दौरान कुल 354 शिकायतें सीपीजी आरएएम वेबसाइट के जरिए प्राप्त की जिसमें से 267 निस्तारित की जा चुकी हैं तथा शेष 87 प्रक्रियाधीन हैं जिसमें से 15 पेंशन श्रेणी से सम्बन्धित हैं तथा 72 सामान्य प्रकृति की हैं।

सूचनाधिकार अधिनियम 2005 का लागू किया जाना

सभी आकाशवाणी केन्द्रों से अनेक कार्यक्रमों में लोगों को सूचनाधिकार अधिनियम, 2005 के बारे में सूचित किया जाता है। इसका उद्देश्य जनता को सशक्त करना तथा गवर्नेंस में जवाबदेही तथा पारदर्शिता में योगदान करना है। सभी आकाशवाणी केन्द्रों के कार्यक्रम प्रमुखों को इस अधिनियम के प्रमुख बिन्दुओं को कार्यक्रम में उल्लिखित करने के लिए कहा गया है। सितम्बर, 2008 से फ्लैगशिप कार्यक्रम के तहत इस अधिनियम को कवर किया गया है। अधिनियम लागू करने के लिए आकाशवाणी में 60 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी तथा 6 अपीलीय अधिकारी निदेशालय में तथा 295 केन्द्रीय लोकसूचना अधिकारी तथा 20 अपीलीय अधिकारी क्षेत्रीय स्तर पर नियत किए गए हैं। वर्ष 2012 में (1.4.2012 से 31.12.2012 तक) सूचना अधिकार के तहत 466 प्रार्थना पत्र प्राप्त किए गए तथा नियत समय के भीतर उनका जबाव दिया गया। इस अवधि के दौरान अपीलीय अधिकारियों द्वारा 196 अपीलें प्राप्त की गई तथा सभी का निपटारा किया गया।

महिला सशक्तीकरण

आकाशवाणी पूरे देश में 320 केन्द्रों/कार्यालयों का एक वृहद नेटवर्क है। इसमें 17 हजार से ज्यादा कर्मचारी हैं। आकाशवाणी के समूह 'क', 'ख' तथा 'ग' में महिलाओं का प्रतिशत 24.6 प्रतिशत से अधिक है। प्रसार भारती की अध्यक्षा एक महिला हैं। निदेशक, प्रशासन के रुप में भी एक महिला अधिकारी आकाशवाणी महानिदेशालय के प्रशासनिक स्कन्ध में कार्यरत हैं। साथ ही आकाशवाणी के कार्यक्रम तथा अभियांत्रिकी स्कन्ध में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड, वरिष्ठ टाइम स्केल, जूनियर टाइम स्केल स्तरों पर कई महिला अधिकारी भी कार्यरत हैं। इस निदेशालय के परिपत्र संख्या 1/29/2008–डब्ल्यू सी/डब्ल्यू एल दिनांक 23.09.2008 के अनुपालन में सभी आकाशवाणी केन्द्रों/ कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि लिंग भेद की शिकायतों का निपटारा करने के लिए महिला सेल की स्थापना करे। तद्नुसार सभी आकाशवाणी केन्द्रों/ कार्यालयों में महिला सेल की स्थापना की गई है।

महिला कर्मियों के लिए कल्याणकारी गतिविधियां

इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जा रहा है–

(1) आकाशवाणी के ज्यादातर कार्यालय प्रसार भारती के स्वामित्व वाली बिल्डिंगों में स्थित है। सभी में बैठने, पीने के पानी इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था है। कार्य स्थान पर पर्याप्त मात्रा में रोशनी है। कर्मचारियों के लिए शौचालयों, और महिला कर्मचारियों के लिए अलग शौचालयों की व्यवस्था है।

(2) विभिन्न स्थानों पर आकाशवाणी के अपने स्टाफ क्वार्टर हैं। इनका आवंटन आकाशवाणी (रिहाइशी क्वार्टर का आवंटन) नियम के अनुसार कर्मचारियों को किया गया है।

(3) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों, जिनकी मृत्यु सेवा के दौरान हो जाती हैं, उनके परिवार की महिला सदस्यों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दी जाती है।

(4) आकाशवाणी के कर्मचारी जैसे–टेक्नीशियन, वरिष्ठ टेक्नीशियन, अभियांत्रिकी सहायक, वरिष्ठ अभियांत्रिकी सहायक इत्यादि शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ है। इनके लिए इनकी सेवा से शिफ्ट ड्यूटी जुडी है। जहां तक हो सकता है, कर्मचारियों जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल है, को लेट नाइट शिफ्ट तथा विषम समय की ड्यूटी में घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है।

(5) कर्मचारियों को (महिला तथा पुरूष दोनों को समान) सरकार द्वारा अनुमोदित वेतन दिया जाता है। आकाशवाणी के कर्मचारियों जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल है, को इस विषय पर सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी दी जाती है।

(6) आकाशवाणी के कर्मचारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल है, सरकार के नियमानुसार रिटायरमेन्ट लाभ दिया जाता है।

(7) उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय

सरकार की स्वास्थ्य योजना काम कर रही है, आकाशवाणी के कर्मचारियों को इसकी सेवाएं प्रदान की जाती है। अन्य स्थानों पर, आकाशवाण ी के कर्मचारियों को केन्द्रीय सेवाएं (मेडिकल अटेन्डेन्स) नियम का लाभ प्रदान किया जाता है। इस नियम के अनुसार प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर को कर्मचारियों तथा उनके परिवार को मेडिकल सेवा प्रदान करने हेतु अधिकृत मेडिकल अटेन्डेट के रूप में नियुक्ति किया जाता है। जहां निवेदन किया जाता है, महिलाओं के लिए अलग से अधिकृत मेडिकल अटेन्डेट की नियुक्ति की जाती है।

(8) कार्यक्रम तथा तकनीकी दक्षताओं के लिए आकाशवाणी वार्षिक पुरस्कारों से कर्मचारियों को प्रोत्साहित किया जाता है। अनेक महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किए गए। महिलाओं में सशक्तीकरण की समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए पुरस्कारों की एक नई श्रेणी अर्थात् सर्वोत्तम महिला कार्यक्रम वर्ष 2009 से आकाशवाणी पुरस्कारों में जोड़ी गई है।

विकलांगों के लिए आरक्षण

भारत का संविधान सभी नागरिकों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय तथा गरिमा सुंनिश्चित करता है। विकलांगों को समान अवसर प्रदान करने तथा राष्ट्र निर्माण में इनके समग्र भागीदारी का सुनिश्चित करने के प्रयास में भारत सरकार ने ''द पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज (इक्वल अपॉरट्युनिटीज, प्रोटेक्सन ऑफ राइट्स एण्ड फुल पार्टिसिपेशन) एक्ट, 1995'' अधिनियमित किया। विकलांगों को आरक्षण देने के लिए प्रसार भारती ने सभी उपयुक्त उपाय किए हैं। समय–समय पर कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी सभी नीति सम्बन्धी निर्देशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

ब्राडकास्ट इंजीनियरिंग कन्सलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड (बेसिल)

24 मार्च, 1995 को बेसिल की स्थापाना हुई जो आकाशवाणी, दूरदर्शन के अलावा सरकार की अन्य एजेन्सियों को परामर्श तथा समाधान सेवाएं उपलब्ध करा सके। टेरेस्टेरियल ब्राडकास्टिंग, एमएमडीएम, सीएटीयू नेटवर्क, द्वारा प्रसारण तथा स्टूडियो जिसमें ध्वनि तथा दृश्य–श्रव्य तन्त्र शामिल है के विशेषज्ञ क्षेत्र के अलावा बेसिल अंतर्राष्ट्रीय स्तर की परामर्श सेवा उपलब्ध कराता है। इसके अलावा बेसिल सभी प्रकार तथा विवरण के ब्राडकास्ट सिस्टम के परिचालन तथा रखरखाव को भी उपलब्ध कराता है। बेसिल के पास आकाशवाणी एवं दूरदर्शन सहित विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञों का वृहद् इन हाउस पैनल मौजूद है। बेसिल अपने कौशल में लगातार सुधार कर रहा है। प्रसारण तन्त्र के प्रोजेक्टों के परिचालन तथा रखरखाव के साथ सभी प्रकार तथा विभिन्नताओं के प्रसारण प्रोजेक्टों के विकास तथा परिचालन के लिए बेसिल भारत तथा विदेशों में उचित स्थानों में तकनीशियन, इंजीनियर तथा विशेषज्ञ उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अपने ग्राहकों को गुणवत्ता युक्त सेवाएं प्रदान कराने और उनका विश्वास प्राप्त कर अपने लाभ को बढ़ाने में कामयाब रहा है। इसके ग्राहकों की सूची में सरकारी, अद्ध सरकारी, विदेशी तथा निजी संगठन शामिल हैं। बेसिल भारत का पहला टेलीपोर्ट, बैंगलोर में पहला संपूर्ण डिजीटल एफ एम प्रसारण स्टेशन, 7 एफ एम चैनल का संयोजन कर भारत में पहला मल्टी चैनल एफ एम स्टेशन स्थापित करने वाला, पहला राष्ट्रपति सचिवालय तथा लोकसभा के लिए पहला एचपीटीयू डिजाइन तथा स्थापित करने वाला पहला संगठन है।

वर्ष की उपलब्धियां

- वित्त वर्ष 2011–12 में अपने निगमन से लेकर अब तक 146. 95 करोड़ रुपए का उच्चतम टर्नओवर।
- आकाशवाणी, राजकोट तथा चिनसूरा की बाह्य सेवाओं के लिए 1000 किलो वॉट मीडियम वेव ट्रांसमीटर की आपूर्ति।
- बांग्लादेश टेलीविजन, ढाका के लिए प्रसारण उपकरण की आपूर्ति तथा टीवी चैनलों की स्थापना।
- अंतरिक्ष कारपोरेशन एवं रक्षा इलेक्ट्रानिक्स अनुसंधान लेबोरेट्री को वीएमएएस 1 व 2 की आपूर्ति
- कन्सोर्टियम ऑफ एजूकेशनल कन्सलटेन्टस, ई एम एम आर सी, हैदराबाद तथा ईएमएमआरसी, पटियाला के लिए टीवी स्टूडियो के एसआईटीसी की स्थापना।
- लोक सभा टीवी के लिए प्रसारण उपकरणों की आपूर्ति।
- जामिया मिलिय इस्लामिया के टीवी स्टडियो का उन्नयन।

- मालदीव नेशनल ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन के सी बैण्ड सेटेलाइट अपलिंक प्रोजेक्ट की आपूर्ति।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के ऑडियो स्टूडियो की स्थापना।
- दूरदर्शन को एलसीडी/ टीएफटी की आपूर्ति।

भावी व्यापारिक गतिविधियाँ

टेलीविजन व्यापार

राज्यसभा टीवी को मजबूत करने के लिए बेसिल उसके साथ पहले ही एक करार कर चुका है। इसके अतिरिक्त पिछले वित्तीय वर्ष में बेसिल ने कंसोर्टियम ऑफ एजुकेशनल कन्सल्टेन्टस, एजेकेएमएमआरसी, जामिया मिलिया इस्लामिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस), ईएमएमआरसी, रुड़की, जोधपुर एवं इंदौर के साथ स्टूडियो सुविधा तैयार करने के लिए करार पर हस्ताक्षर किया। प्रबंधन को उम्मीद है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाएंगे तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से नए प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे।

एफएम फेज 3

एफ एम फेज 2 की सफलता के पश्चात् जिसमें 12 से 24 माह में 245 चैनल परिचालित किए गए, मंत्रालय ने निजी एफएम ब्राडकास्टरों के लिए एफ एम चरण–3 प्रारम्भ करने के लिए नीति की उद्घोषणा 25 जुलाई 2011 को की। फेज 3 में पूरे देश के 290 शहरों में 830 से अधिक चैनलों को स्थापित करने का प्रस्ताव है। इन चैनलों की ई–नीलामी 2 बैचों में होना है। पहले चरण में फेज 2 के 72 शहरों के 152 चैनल तथा अतिरिक्त चैनल स्थापित होने हैं जहां बेसिल द्वारा कॉमन ट्रांसमीटर इन्फ्रास्ट्रक्चर (सीटीआई) पहले ही स्थापित किया जा चुका है। बेसिल ने इन चैनलों के सिस्टम डिजाइन प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया है जिससे कि न्यूनतम समय में इन चैनलों को लाया जा सके। फेज 3 में 218 नए शहर जुड़ने हैं। फेज–2 योजना के विपरीत इसमें कई जगह पर प्रसार भारती की भूमि तथा टावर नहीं मिलने वाले हैं । इस कमी को दूर करने के लिए बेसिल ने अन्य सरकारी संगठनों की एलटीआई पहचान करने की अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। इस क्रम में एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है जिससे फेज 3 के नए शहर शामिल है।

देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने संबंधी प्रोजेक्ट

बेसिल का अन्य प्रोजेक्ट ग्रुप देश की विभिन्न कानून इनफोर्सिंग एजेन्सी को आंतरिक सुरक्षा संबंधी एण्ड टू एण्ड साल्यूशन्स उपलब्ध कराना है। इस क्रम में बेसिल ने वीसैट निगरानी तथा विश्लेषण तन्त्र को सफलतापूर्वक लागू किया है। साथ ही बेसिल ने सेल्युलर सरवाइलेन्स तन्त्र का बेहतर विकास किया है। इसमें शामिल है इंटरसेप्सन, निगरानी एवं विश्लेषण। सिग्नल इन्टेलीजेन्स एण्ड इलेक्ट्रानिक वारफेयर सिस्टम के क्षेत्र में बेसिल ने कुछ सर्वोत्तम मौलिक उपकरण निर्माताओं के साथ सहयोग किया है। स्वयं को एक जाने माने सिस्टम इन्टीग्रेटर तथा आंतरिक सुरक्षा के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बन्धी एवं पहुंच नियंत्रण सम्बन्धी एक एकल बिन्दु साल्यूशन प्रोवाइडर के रुप में स्थापित करने में बेसिल सफल रहा है।

तकनीकी ऑडिट/ केबल हेड एण्ड का प्रमाणन तथा सीएटीयू प्रशिक्षण

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथारिटी ऑफ इण्डिया (ट्राई) ने डिजीटल केबिल टीवी वितरण हेड एण्ड तथा भारत सरकार की ओर से प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कन्डीशनल एक्सेस सिस्टम (कैस) तथा सब्सक्राइबर मैनेजमेन्ट सिस्टल (एस.एम.एस) का तकनीकी ऑडिट करने के लिए बेसिल को अधिकृत किया है। इस गतिविधि से प्रबंधन काफी अच्छा व्यापार प्राप्त करने की आशा कर रहा है। प्रबंधन का उम्मीद है कि प्रशिक्षण गतिविधि प्रारम्भ होने से इस क्षेत्र में बेहतर व्यापार प्राप्त हो सकेगा। अधिक जानकारी बेसिल की वेबसाइट www.becil.com पर उपलब्ध है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र

(www.emmc.gov.in)

भारत में प्रसारित होने वाले विभिन्न टीवी चैनलों की प्रभावकारी रुप से निगरानी करने एवं सामग्री को अभिलेखित करने के लिए मंत्रालय ने इस संस्था इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र (ईएमएमसी) की स्थापना की है ताकि केबल टेलीविजन नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1995 के उल्लंघन को रोका जा सके।

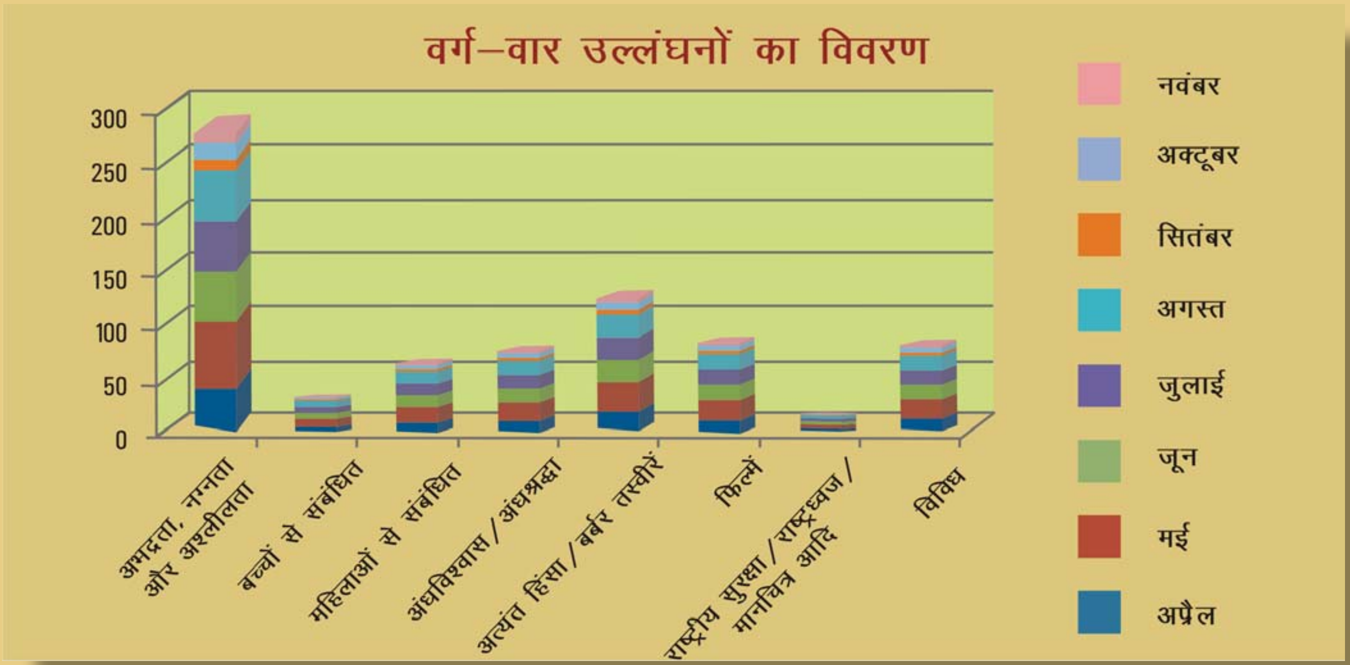

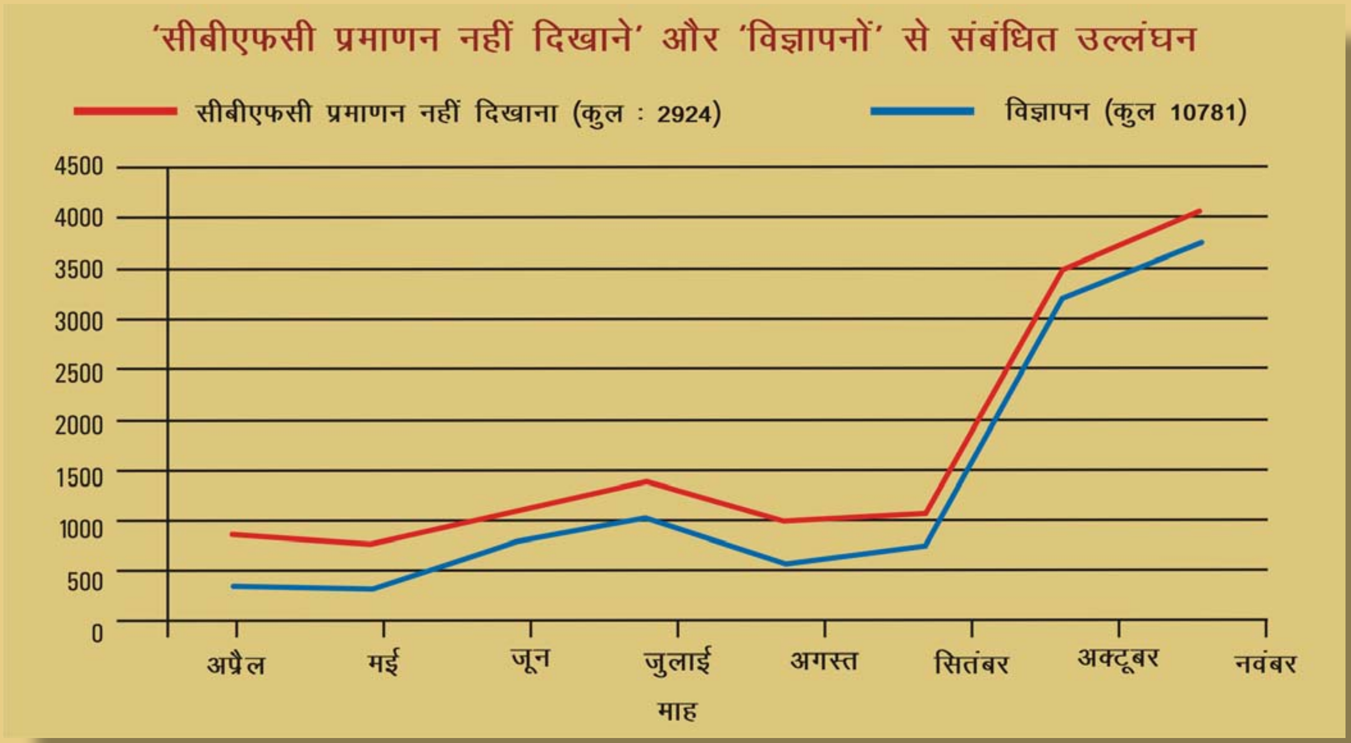

ईएमएमसी पूर्व में स्थापित केन्द्रीय निगरानी सेवा (सीएमएस) का रुप है जो कि ओपन सोर्स इन्टेलीजेन्स के संग्रहण तथा भारत में स्थित विदेशी रेडियो केन्द्रों के समाचार एवं समाचार आधारित कार्यक्रमों की निगरानी में उल्लेखनीय रहा है। ईएमएमसी की स्थापना 9 जून 2008 को की गई। केन्द निम्नलिखित सामग्री की निगरानी करता है (क) सभी टीवी चैनल जो भारत में अपलिंकिग एवं डाउनलिंकिंग का कार्य कर रहे हैं, उनके द्वारा उल्लंघन (ख) समय समय पर सरकार द्वारा अधिकृत सामग्री के निगरानी के सम्बन्ध में अन्य ऐसा कार्य।

300 टीवी चैनलों की रिकॉर्डिंग तथा चौबीसों घंटे 180 चैनलों की निगरानी की जा रही है।

निगरानी के लिए तकनीकी अवसंरचना

ईएमएमसी को उपग्रह डिशों, उपग्रह टीवी, निगरानी तन्त्र जिसमें शामिल हैं, लॉगर्स, एडिटिंग तन्त्र, सर्वर तथा चैनल निगरानी सेट अप तथा डाटा स्टोरेज सुविधा आदि उपकरणों से लैस रखा गया है। टीवी चैनलों की 90 दिनों की प्रसारण सामग्री इसमें स्टोर की जा सकती है तथा आवश्यकतानुसार देखी जा सकती है। यह तकनीकी अवसंरचना मेटाडाटा के निर्माण में भी सहायक होता है।

उल्लंघनों की निगरानी एवं सुरक्षा

जांच समिति के समक्ष ईएमएमसी द्वारा उल्लंघन की रिपोर्ट रिकॉर्डिंग क्लिप्स के साथ उपलब्ध कराई जाती है। इसका परीक्षण करने के पश्चात् जांच समिति सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा अन्य निकायों को उचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दी जाती है। समीक्षावधि में केबल टीवी नेटवर्क (रेग्यूलेशन) एक्ट, 1995 के उल्लंघन के 43,076 मामले ईएमएमसी ने रिपोर्ट किए। इनमें से 14,403 उल्लंघन मामले जांच समिति के समक्ष भेजे गए। दिसम्बर 2012 तक जांच समिति 5 बार बैठक कर चुकी है। लोक महत्व के महत्वपूर्ण मामलों को ईएमएमसी चिहि्नत कर मंत्रालय को दैनिक रिपोर्ट मूल्यांकन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करती है। यदि आवश्यक हो तो इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर विचार हेतु अन्य मंत्रालयों व संगठनों की भी ईएमएमसी मदद करती है। इस प्रकार की फीड बैक सिस्टम से सरकार को लोकहित के मामलों में निर्णय लेने में मदद मिलती है। मंत्रालय को इलेक्ट्रानिक मीडिया के उल्लंघन के मामले को प्रभावकारी रुप से निगरानी में सहायता करके ईएमएमसी का उद्‌भव एक आदर्श निगरानी इकाई के रुप में हुआ है। चैनल द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री पर निर्भर न होकर मंत्रालय ईएमएमसी द्वारा उपलब्ध सामग्री के अनुसार कार्रवाई कर सकता है इस प्रकार ईएमएमसी प्रभावकारी रुप से प्रसारण नियमन प्रक्रिया को मजबूत करने का दायित्व निभा रहा है। इससे उल्लंघन के मामले में कार्यवाही करने में लगने वाला समय भी बचता है।

गतिविधियां

नए मॉनीटिरिंग हाल का उद्‌घाटन

22 अक्टूबर, 2012 को श्री उदय कुमार वर्मा, सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मॉनीटरिंग हाल और ईएमएमसी की वेबसाइट www.emmc.gov.in का उद्‌घाटन किया।

विशेष रिपोर्ट

प्रमुख कार्यक्रमों के लोकअभियान के प्रसार में यदि कोई अनियमितता हुई हो तो ईएमएमसी उसे चिन्हित कर हाईलाइट करता है। सरकार से सम्बन्धित मुद्दों एवं घटनाओं की विभिन्न टीवी चैनलों पर कवरेज के सम्बन्ध में ईएमएमसी द्वारा विशेष रिपोर्ट दी गई। साथ ही टीवी चैनल के डिजीटाइजेशन तथा भारत निर्माण के विज्ञापन के प्रचार अभियान पर रिपोर्ट मंत्रालय को प्रेषित की गई।

मानव संसाधन प्रबंधन

केन्द्र एक सप्ताह का ओरिएन्टेशन कार्यक्रम नई भर्ती कार्मिको को प्रशिक्षित करने के लिए चलाता है। इसके अलावा वर्तमान कार्मिकों के कौशल में वृद्धि करने के लिए रिफ्रेशर कोर्स भी चलाया जाता है। कार्मिकों को तकनीकी सेट अप के प्रयोग तथा कार्यक्रम कोड एवं विज्ञापन कोड पर डेमो लेक्चर दिए जाते हैं। मॉनीटर, वरिष्ठ मॉनीटर, कन्टेन्ट ऑडिटर, शिफ्ट मैनेजर तथा तकनीशियनों का प्रदर्शन अप्रैजल सम्बन्धित कारकों के साथ तैयार किया गया है। सर्वोत्तम प्रदर्शनकर्त्ताओं को सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा उत्कृष्टता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

राष्ट्रीय एकता सप्ताह

ईएमएमसी ने राष्ट्रीय एकता सप्ताह (17 से 24 नवम्बर, 2012) –कौमी एकता– श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर को विशेष श्रद्धांजलि के साथ, नोबेल पुरस्कार विजेता की 150वीं वर्षगांठ समारोह के एक वर्ष के समारोह के भाग के रुप में मनाया।

भावी योजनाएं

- तकनीकी अवसंरचना का उन्नयन
- निजी एफएम रेडियो की प्रसार सामग्री की निगरानी एवं नियमन
- निगरानी किए जाने वाले चैनलों की संख्या 1500 तक करना
- ईएमएमसी अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंध की स्थापना
- प्रशिक्षण सेल की स्थापना
- अन्य मीडिया संस्थानों के साथ सहयोग।

फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार गोवा में भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 20 नवंबर 2012 को दीप जलाकर उद्घाटन करते हुए। गोवा के राज्यपाल श्री भरत वीर वांचू, मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी और सूचना–प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

अध्याय

6

फिल्म क्षेत्र की गतिविधियां

फिल्म उद्योग

1. 2012–13 के लिए योजना कार्यक्रम ''फिल्म समारोह/भारत और विदेशों के बाजारों में भागीदारी'' के लिए 400 लाख रुपये की राशि आबंटित की गयी है। इस योजना के अंतर्गत मंत्रालय ने कान फिल्म समारोह, 2012 और गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2012 के तहत आयोजित फिल्म बाज़ारों में भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय फिल्म निर्माताओं को विदेशों के बाजार में अपनी फिल्मों के विपणन के लिए एक मंच प्रदान करना और भारत को फिल्मों की शूटिंग के लिए एक उपयुक्त स्थान के रूप में प्रस्तुत करना है।

2. फिल्म समारोह में शामिल होने के लिए वाली फिल्मों को कुछ शर्तें पूरी होने पर सीमा शुल्क से छूट दी जाती है। अप्रैल से दिसंबर 2012 तक भारत में आयोजित दस फिल्म समारोहों में शामिल हुई कई विदेशी फिल्मों को इस तरह की छूट दी गयी।

3. यह मंत्रालय कुछ शर्तों के साथ विदेशी फीचर फिल्मों को भारत में शूटिंग की इजाजत भी देता है। अप्रैल से दिसंबर 2012 तक 5 विदेशी फिल्मों की भारत में शूटिंग की अनुमति देने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए। 14 विदेशी फीचर फिल्मों को शूटिंग की अनुमति प्रदान की गयी।

4. भारत ने 2012 में पोलैंड और स्पेन के साथ ऑडियो–विजुअल सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किये। मंत्रालय के

इटली, जर्मनी, ब्राज़ील, ब्रिटेन, फ्रांस और न्यूज़ीलैंड के साथ पहले से ही ऐसे समझौते हैं।

फिल्म प्रभाग

(www.filmsdivision.org)

फिल्म प्रभाग राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से को प्रेरित करता रहा है। प्रभाग ने सेल्यूलाइड फिल्मों के जरिए भारत के इतिहास को सहेज कर रखा है। इस प्रयास का उद्देश्य और लक्ष्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जनता को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है और भारतीय और विदेशी दर्शकों के सामने इस देश और उसकी बिरासत की छवि प्रस्तुत करना है। प्रभाग भारत में वृत्तचित्र आंदोलन के विकास को भी बढ़ावा देता है जो राष्ट्रीय सूचना, संचार और एकीकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2012 में फिल्म डिवीजन ने डॉक्यूमेंटरी, लघु और एनिमेशन फिल्मों के 12वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

का आयोजन किया। यह समारोह महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफार्मिंग आर्ट (एनसीपीए) में आयोजित किया गया। प्रभाग मुंबई स्थित अपने मुख्यालय में डॉक्यूमेंटरी फिल्मों, लघु फिल्मों, एनीमेशन फिल्मों और समाचार फिल्मों का निर्माण करता है। इसकी दिल्ली इकाई रक्षा और परिवार कल्याण संबंधी फिल्में बनाती है जबकि कोलकाता और बेंगलुरु के क्षेत्रीय निर्माण केन्द्रों से ग्रामीण दर्शकों के लिए लघु कथाचित्र बनाए जाते हैं। प्रभाग देश भर में 6000 सिनेमा थियेटरों को अपनी फिल्में उपलब्ध कराने के साथ ही थियेटरों से इतर संगठनों जैसे भारत सरकार के क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, राज्य सरकारों की सचल इकाइयों, दूरदर्शन, परिवार कल्याण विभाग की क्षेत्रीय इकाइयों, शिक्षा संस्थाओं, फिल्म सोसाइटियों और स्वैच्छिक संगठनों को भी फिल्में उपलब्ध कराता है। राज्य सरकारों द्वारा बनायी गयी न्यूजरील और डॉक्यूमेंटरी फिल्में भी प्रभाग के माध्यम से देश के सिनेमागृहों में प्रदर्शन के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। फिल्म प्रभाग भारत और विदेशों में फिल्मों के प्रिंट्स, स्टॉक शॉट्स, वीडियो कैसेट्स और डॉक्यूमेंटरी फिल्मों के वितरण अधिकार और फीचर फिल्मों की बिक्री करता है। फिल्म डिवीजन अपने स्टूडियो, रिकार्डिंग थियेटरों, संपादन कक्षों तथा उपकरणों को निजी फिल्म निर्माताओं को किराये पर भी देता है।

प्रभाग के स्कंध

प्रभाग को चार खंडों में बांटा जा सकता है : (1) निर्माण (2) वितरण (3) अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंटरी, लघु और एनीमेशन फिल्म समारोह और (4) प्रशासन।

(1) निर्माण स्कंध

निर्माण स्कंध निम्नलिखित फिल्मों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है :

(1) डॉक्यूमेंटरी फिल्म, (2) ग्रामीण दर्शकों के लिए विशेष रूप से निर्मित लघु फीचर फिल्म, (3) एनीमेशन फिल्म, (4) वीडियो फिल्म। मुंबई स्थित प्रभाग के मुख्यालय के अलावा इसके बेंगलुरु, कोलकाता और नई दिल्ली में तीन निर्माण केन्द्र भी हैं।

डॉक्यूमेंटरी फिल्मों की कथावस्तु और संदेश राष्ट्रीय महत्व के लगभग सभी मुद्दों से संबंधित होता है।

आम तौर पर प्रभाग अपने फिल्म निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ निर्मितियों को देश भर के स्वतंत्र फिल्म निर्माताओं के लिए भी गुंजाइश रखता है। इसका उद्देश्य फिल्म निर्माण के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रतिभाओं को बढ़ावा देकर देश में डॉक्यूमेंटरी फिल्म आंदोलन को प्रोत्साहित करना है। अपने सामान्य फिल्म निर्माण कार्यक्रम के अलावा प्रभाग भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को डॉक्यूमेंटरी फिल्में बनाने में सहायता भी देता है।

फिल्म प्रभाग के न्यूजरील स्कंध के अंतर्गत राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियों के अलावा देश के प्रमुख शहरों और कस्बों में फैला एक नेटवर्क है जो देश–विदेश में प्रमुख घटनाओं, अति विशिष्ट व्यक्तियों की यात्राओं आदि के साथ प्राकृतिक आपदाओं आदि की भी कवरेज करता है। इस कवरेज की मदद से जहां न्यूज मैगजीन बनाने में मदद मिलती है वहीं अभिलेखागार के लिए भी सामग्री उपलब्ध हो जाती है।

फिल्म प्रभाग की कार्टूनफिल्म इकाई समय के साथ–साथ आज हाई टैक हो चुकी है जिसमें पारम्परिक या सैल एनीमेशन की बजाय कम्प्यूटर एनीमेशन का उपयोग होने लगा है। हार्डवेयर और साफ्टवेयर, में यह इकाई अत्याधुनिक टेक्नोलाजी से युक्त है और ओपस, कॉन्सर्टो, हाई एंड और माया जैसे उच्च स्तरीय साफ्टवेयर की मदद से टू–डी, थ्री–डी और यू।एस। एनीमेशन फिल्में बना सकती है।

(2) वितरण स्कंध

वितरण स्कंध का प्रभारी अधिकारी वितरण स्कंध का प्रमुख होता है जो बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, तिरुअनंतपुरम और विजयवाड़ा में स्थित दस शाखा कार्यालयों को नियंत्रित करता है। ये शाखा कार्यालय सभी सिनेमाघरों को प्रमाणित फिल्में उपलब्ध कराने (जैसा कि केन्द्रीय सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत अपेक्षित है), समझौतों पर अमल करने, फिल्म प्रभाग के प्रमाणपत्र जारी करने और प्रदर्शकों से एक प्रतिशत किराया वसूलने के लिए उत्तरदायी हैं। राज्य और जिला स्तर पर फिल्म समारोह आयोजित करना वितरण स्कंध की सामान्य गतिविधि है। यह विदेशों में भारतीय दूतावासों को चुनिंदा फिल्मों के प्रिंट भी उपलब्ध कराता है।

(3) प्रशासन स्कंध

प्रशासन स्कंध के अंतर्गत वित्त, कार्मिक, भंडार, लेखा, फैक्टरी प्रबंधन और सामान्य प्रशासन आते हैं। स्कंध वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नियंत्रण में कार्य करता है।

fQYe iHkkx e 30 uocj 2012 dk LVkQ dh LohÑr vkj inLFkkfir fLFkfr dk fooj.k

Øe la	J.kh	Lohdr la[;k	miyC/k la[;k	fjDr in
1	समूह 'क'	44	17	27
2	समूह 'ख'	259	202	57
3	समूह 'ग'	518	409	109
	dqy	821	628	193

lsokvk e v-tk-] v-t-tk- vkj v-fi-tk- dk ifrfufuf/kRo

सेवाओं में अ.जा., अ.ज.जा. और अ.पि.जा. उम्मीदवारों को प्रतिनिधित्व देने के संबंध में सरकारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन किया जाता है और निर्धारित आरक्षण रोस्टर भी रखा जाता है।

22 uocj 2012 dk v-tk-] v-t-tk-] v-fi-o- vkj efgyk depkfj;k d ifrfufuf/kRo dk C;kjk

in lewg	dqy depkjh	v-tk- depkjh	v-tk- depkfj;k- dk ifr"kr	v-t-tk- depkjh	v-t-tk- depkfj;k dk ifr'kr	v-fi-o- depkjh	v-fi-o- depkfj;k dk ifr'kr	efgyk depkjh
समूह 'क'	14	14	4	–	–	4	28.57	2
समूह 'ख'	202	202	47	16	7.92	20	9.90	33
समूह 'ग'	409	409	123	27	6.58	61	14.91	80
dqy	628	174	27-71	43	6-85	85	13-53	115

v-tk-@ v-t-tk-@v-fi-o- de pkfj;k d igy l fjDr ink dk C;kjk

Øe l-	J.kh	30-11-12 dk Lohd r l[;k	30-11-12 dk okLrfod l[;k	fjDr ink dh l[;k	fiNyh v-tk- fjfDr;k dh l[;k	fiNyh v-t-tk- fjfDr;k- dh l[;k	fiNyh v-fi-o- fjfDr;k dh l[;k
1	समूह 'क'	44	17	27	1	1	2
2	समूह 'ख'	259	202	57	4	1	10
3	समूह 'ग'	518	409	109	8	4	20
	d y	821	628	193	13	6	32

विकलांग कर्मचारी

विकलांग व्यक्तियों से भरे जाने के लिए निम्नलिखित पदों की पहचान की गयी है।

leg ^x*	leg ^?k*
सहायक लेआउट आर्टिस्ट, आर्टिस्ट ग्रेड–I, आर्टिस्ट ग्रेड–II, असिस्टेंट एडिटर ग्रेड–I, असिस्टेंट एडिटर ग्रेड–II, असिस्टेंट रिकार्डिस्ट, असिस्टेंट, लोअर डिविजन क्लर्क	चपरासी, पैकर

(4) फिल्म लाइब्रेरी स्कंध

प्रभाग की फिल्म लाइब्रेरी बहुमूल्य संग्रहालयी सामग्री, समृद्ध धरोहर और कला परम्परा का भंडार है। दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को इसकी बड़ी जरूरत रहती है। अपने भंडार में उपलब्ध फुटेज की बिक्री से आमदनी के साथ–साथ यह फिल्में बनाने वालों को अत्यंत महत्वपूर्ण फुटेज मुहैया कराता है। फिल्म लाइब्रेरी में 8,344 टाइटल्स में करीब 1.9 लाख आइटम हैं जिनमें मूल फिल्मों के नेगेटिव, डुप/इंटर नेगेटिव, साउंड नेगेटिव, मास्टर/इंटर पाजिटिव, सैचुरेटेड प्रिंट, प्री–डब साउंड नेगेटिव, 16 मिमी प्रिंट, लाइब्रेरी पिंट, आन्सर प्रिंट आदि उपलब्ध हैं। फिल्में अत्यंत मूल्यवान, मूल्यवान और सामान्य फिल्म की श्रेणी में वर्गीकृत हैं।

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

बारहवां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (एमआईएफएफ) महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से नेशनल सेंटर फॉर द परफार्मिंग आर्ट्स (एनसीपीए) मुंबई में 3 से 9 फरवरी 2012 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य सिनेमा की छवियों के माध्यम से ज्ञान के आदान–प्रदान के जरिए दुनिया के देशों के बीच भ्रातृभाव को और बढ़ावा देना है। इस आयोजन से विभिन्न देशों के फिल्म निर्माताओं, फिल्म प्रोड्यूसरों, डिस्ट्रिब्यूटरों, फिल्म प्रदर्शकों और फिल्म समीक्षकों को समारोह के दौरान विचारों के आदान–प्रदान का मौका मिलता है। समारोह की शुरुआत 1990 से हुई। डाक्यूमेंटरी फिल्म आंदोलन का यह अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है। द्विवार्षिक मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दुनिया के अन्य भागों से जाने–माने डाक्यूमेंटरी और लघु फिल्म निर्माता, बुद्धिजीवी और छात्र हिस्सा लेते हैं। करीब 35 देशों से 700 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त होती हैं।

प्रमुख उपलब्धियां (दिसंबर 2012 तक)

- कुल 69 डॉक्यूमेंटरी फिल्मों में से 17 फिल्में खुद और 42 बाहरी निर्माताओं से बनवाईं।
- 30 प्रमाणित फिल्मों के 7,084 प्रिंट देश भर के सिनेमाघरों में प्रदर्शन के लिए जारी किए गए।
- 6 राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोंहों में भाग लिया।
- भारत में अपने शाखा कार्यालयों के जरिए स्कूलों/कॉलेजों और

विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से देश भर में 11 फिल्म समारोहों का आयोजन/संचालन किया जिनमें विभिन्न विषयों/मुद्दों पर 71 फिल्में दिखाई गयीं।

- विभिन्न संगठनों/संस्थाओं/स्कूलों/कॉलेजों के समारोहों में विभिन्न विषयों पर 131 फिल्मों के विशेष प्रदर्शन की व्यवस्था की।
- एफडी ज़ोन के अंतर्गत हर शनिवार को अपनी और अपने बाहरी निर्माताओं की बनायी 63 फिल्मों का विशेष प्रदर्शन किया।
- छह अलग–अलग संस्थाओं और स्टूडियो के 20 छात्र फिल्म निर्माण और कैमरे के पीछे लोगों के काम करने और उनके बीच आपसी तालमेल को समझने के लिए फिल्म प्रभाग में आए।
- गोवा में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म प्रभाग ने अपनी 32 कीर्तिमान डाक्यूमेंटरी फिल्मों का विशेष प्रदर्शन किया।
- सिनेमा के 100 साल के इतिहास को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी गोवा में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान कला अकादमी में आयोजित की गयी।

नयी पहल

(1) भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना

फिल्म प्रभाग ने मुंबई में फिल्म प्रभाग परिसर में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय बनाने की योजना बनायी है। इसके उद्देश्य हैं :

- सिनेमा के विकास के माध्यम से भारत के सामाजिक–सांस्कृतिक इतिहास को प्रदर्शित करना;
- समाज पर सिनेमा के प्रभाव पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित करना;
- दर्शकों/फिल्म प्रेमियों के लिए जानेमाने निर्देशकों, निर्माताओं, संस्थाओं की फिल्मों का प्रदर्शन;
- उदीयमान फिल्म निर्माताओं के लिए विचार गाष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना;
- डॉक्यूमेंटरी फिल्म आंदोलन के क्षेत्र में देश की भावी पीढ़ियों की दिलचस्पी जगाना।

यह संग्रहालय 121.55 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित किया जाएगा।

(2) फिल्मों का निर्माण

योजना कार्यक्रम के तहत प्रभाग ने 1 अप्रैल से 20 नवंबर 2012 तक 69 डॉक्यूमेंटरी फिल्में बना ली थीं।

(3) फिल्मों की वेबकास्टिंग और डिजिटलीकरण

प्रभाग के पास 8,131 फिल्मों का संग्रह है जिनमें संग्रहालयी फुटेज, न्यूजरील, न्यूज मैगजीन, डॉक्यूमेंटरी, एनिमेशन और लघु फिल्में शामिल हैं। प्रभाग ने अब तक 7,443 फिल्मों को डिजिटाइज किया है। वर्ष 2012–13 में फिल्मों के वैबकास्टिंग के लिए 90 लाख रुपये मंजूर किए गए है।

जनशिकायत निवारण प्रणाली

जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों/दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए एक प्रणाली कायम की गयी है। महानिदेशक प्रभाग के जन–शिकायत अधिकारी हैं।

सिनेमा मयूरपंखी

(Hkkjrh; fluek dh 'krkCnh ij e=ky; dh >kdh½

वर्ष 2013 में भारत में कहानी कहने की सबसे प्रिय परंपरा यानी भारतीय फिल्मों को 100 साल पूरे हुए हैं। जिन फिल्मों की शुरुआत कथा वाचन और मनोरंजन की एक विधा के रूप में हुई थी समय के साथ–साथ वे सामाजिक परिवर्तन का एक मंच बन गयी हैं। इस महत्वपूर्ण कीर्तिमान के कायम हाने की खुशी में और इसमें भारत और दुनिया भर के लोगों को भागीदार बनाने के लिए मंत्रालय ने कई पहल की हैं। शताब्दी समारोह के हिस्से के रूप में मंत्रालय ने राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लिमिटेड को भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने की याद में एक झांकी बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। इस झांकी को 2013 के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रदर्शित किया गया।

झांकी का मुख्य विषय था : सिनेमा–मयूरपंखी जिसे प्रतीकों के माध्यम से कही गयी पौराणिक उड़न खटोले की नयी व्याख्या कहा जा सकता है। इसमें भारतीय सिनेमा को राष्ट्र की सामूहिक कल्पना का ऐसा वाहक कहा जा सकता है जिसमें सेल्यूलॉइड के विशाल पाल लगे हैं। यह इस बात का संकेत देता है कि किस तरह हमारे फिल्म निर्माताओं ने एक पूरी सदी में अपनी कल्पनाशक्ति से फिल्में बनायी हैं और राष्ट्र की कल्पना को आगे बढ़ाया है।

इस झांकी का मंच प्रेम और आशा को दर्शाने वाले दो हिस्सों में बंटा। पहले हिस्से को सरसों के खेत की शक्ल दी गयी थी जिसमें 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' की जोड़ी के जरिए मुख्य–धारा सिनेमा में हर हाल में प्रेम की जीत को प्रदर्शित किया गया था। दूसरे हिस्से में समानांतर सिनेमा में दिखाई जाने वाली निराशा पर आशा की जीत को प्रदर्शित किया गया था। इसके लिए दो ऐसे दृश्यों (पथेर पांचाली के अपू और दुर्गा तथा मदर इंडिया की राधा) को प्रस्तुत किया गया था जो भारतीय सिनेमा के पर्याय बन चुके हैं।

हमारे राष्ट्रीय पक्षी मयूर यानी मोर को सुंदरता और कल्पना का प्रतीक बनाया गया था। चांदी जैसा रंग सिनेमा के रुपहले पर्दे का द्योतक था जिपर देश भर की महान फिल्मों के नाम अंकित थे लेकिन इन नामों में रंग नहीं थे जो इस बात का संकेत है कि किसी एक फिल्म की अपनी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं है, यानी कोई एक फिल्म भारतीय सिनेमा से महत्वपूर्ण नहीं है। झांकी का शुभारंभ भारत में किसी भी फिल्म की शुरुआत के चिरपरिचित तरीके, यानी गेंदे के फूलों और हरी पत्तियों के ऊपर प्रतिष्ठित नारियल को तोड़कर किया गया। इन चीजों के रंग भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को प्रदर्शित कर रहे थे। झांकी पर बने गोल झरोखे भारतीय संगीत की परम्परा के उन कालजयी संगीत निर्देशकों और पार्श्वगायकों के द्योतक थे जिन्होंने सिनेमा को सदाबहार और यादगार गीत–संगीत दिया।

झांकी किसी एक व्यक्ति या फिल्म को नहीं, बल्कि समूचे भारतीय सिनेमा और विगत वर्षों में राष्ट्र की कल्पना को झकझोरने वाले ऐसे यादगार किरदारों को समर्पित थी जो सिनेमा का पर्याय बन गये हैं। झांकी के साथ चल रहे फिल्मी वेशभूषा पहने लोगों के जरिए भारतीय सिनेमा के चरित्रों की यादों को ताजा किया गया। 26 जनवरी को जब सिनेमा मयूरपंखी झांकी राजपथ से होकर गुजर रही थी तो साथ में एक मिनट का ऑडियो ट्रैक भी बजाया गया। झांकी का वॉइस ओवर` जानेमाने अभिनेता इरफान खान की आवाज में था जिसके माध्यम से न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के लाखों दर्शकों को जोड़ने का प्रयास किया गया। यह झांकी उस प्रेम और आशा, सपनों और उम्मीदों की प्रतीक थी जो पिछले 100 वर्षों में भारतीय रजत पट पर जीवन्त हुए हैं।

बाल चलचित्र समिति, भारत

(www.cfsindia.org)

परिचय

बाल चल चित्र समिति, भारत की स्थापना मई 1955 में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म जांच कमेटी (1949) की सिफारिशों के आधार पर एक पंजीकृत समिति के रूप में की गयी थी। इस कमेटी का गठन तत्कालीन प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों और किशोरों को फिल्मों के माध्यम से जीवन–मूल्यों पर आधारित मनोरंजन उपलब्ध कराना है।

l xBukRed <kpk

बजटः बाल चलचित्र समिति को वर्ष 2012–13 के लिए योजनागत कार्यक्रमों के अंतर्गत बाल फिल्मों के निर्माण और स्कूलों में इनके प्रदर्शन के लिए 12 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये। इसी वर्ष में योजनेतर कार्यक्रम के तहत समिति को कर्मचारियों के वेतन के रूप में देने के लिए 1.55 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये गये।

निर्माण गतिविधियां (अप्रैल से दिसम्बर 2012 तक)

fuek.kk/khu fQYesa % 1. गोपी गवैया बाजा बजैया : (हिन्दी एनिमेशन) निर्देशन : शिल्पा रानाडे 2. काफल/हिन्दी फीचर, निर्देशन : बतुल मुख्तियार 3. फिल्मों की डबिंग और सब–टाइटिलिंग भी की जाती है।

foi.ku xfrfof/k;k ¼vi!y l fnlEcj 2012½

समिति का काम फिल्मों के प्रदर्शन के जरिए बच्चों को मनोरंजन उपलब्ध कराना है। 2007 से समिति की फिल्में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मुफ्त दिखाई जाती हैं जिससे स्कूली और स्कूल न जाने वाले, सभी बच्चों का मनोरंजन होता है। प्रदर्शन को उनके स्वरूप के आधार पर निम्न श्रेणियों में रखा जा सकता है :

Øe la-	xfrfof/k	in'kZuksa dh la[;k	n'kZdksa dh la[;k
क.	जिलास्तरीय फिल्म समारोह/ ग्रीष्मकालीन समारोह	1,915	8,80,001
ख.	व्यक्तिगत शो	32	16,000
ग.	ग्रामीण और जनजातीय बच्चों के लिए एलसीडी शो	6,878	16,07,700
	कुल	8,825	25,03,701

बाल चलचित्र समिति के विपणन प्रभाग का मुख्यालय मुंबई में है और दिल्ली और चेन्नई में इसके आंचलिक कार्यालय हैं। समिति अपने लक्षित दर्शकों तक पहुंचने के प्रयास कर रही है। एक छोटी विपणन इकाई समिति का फिल्मों के मुफ्त प्रदर्शनों के जरिए 25,03,701 बच्चों तक पहुंचना अपने आप में एक रिकार्ड है। समिति ने आलोच्य अवधि के दौरान 8,825 फिल्म शो आयोजित किये। इसकी आठ फिल्में दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पर भी प्रदर्शित की गयीं।

बाल चलचित्र समिति की फिल्म 'गट्टू' 20 जुलाई, 2012 को 55 शहरों में व्यावसायिक रूप से प्रदर्शन के लिए जारी की गयी। इस फिल्म की दुनिया भर में प्रशंसा हुई। बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में यह भारत की पहली आधिकारिक प्रविष्टि थी और इसे समारोह की ज्यूरी ने विशेष रूप से उल्लेखनीय फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया।

izLrkfor xfrfof/k;k ¼tuojh ls ekpZ 2013½

क. जिला प्रशासन के सहयोग से जिला स्तरीय बाल फिल्म समारोह

ख. एनजीओज औरनेहरू युवा ाकेन्द्रों के माध्यम से स्कूलों में एलसीडी शोज

ग. पूर्वोत्तर राज्यों में सांस्कृतिक विभाग के सहयोग से राज्य स्तरीय बाल फिल्म समारोह।

समिति द्वारा ओएसिस ई.एम. स्कूल, शांति नगर, तिरूपति में एक बाल फिल्म का प्रदर्शन

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे

(www.ftiindia.org)

भारतीय फिल्म संस्थान की स्थापना 1960 में पुणे में की गई। 1974 में टेलीविजन स्कंध के जुड़ जाने के बाद संस्थान का नाम भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) कर दिया गया। समिति के रूप में संस्थान का पंजीकरण 1974 में किया गया। एफटीआईआई सोसाइटी में फिल्म, टेलीविजन, संचार, संस्कृति से जुड़ी हस्तियों के साथ–साथ संस्थान के पूर्व छात्र और सरकार के पदेन सदस्य भी शामिल रहते हैं। संचालन शासी परिषद द्वारा किया जाता है जिसका प्रमुख अध्यक्ष होता है। वर्तमान अध्यक्ष जाने–माने पटकथा लेखक और निर्देशक श्री सईद मिर्ज़ा हैं। संस्थान की शैक्षिक नीतियां अकादमिक परिषद द्वारा बनायी जाती हैं और वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी स्थायी वित्तीय समिति पर होती है।

संस्थान के दो स्कंध हैं : फिल्म स्कंध और टेलीविजन स्कंध और यह फिल्म और टेलीविजन दोनों दोनों के पाठ्यक्रम संचालित करता है। संस्थान में निर्देशन, सिनेमैटोग्राफी, साउंड रिकार्डिंग और साउंड डिजायन और एडिटिंग में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम उपलब्ध है। संस्थान में अभिनय और कला निर्देशन तथा प्रोडक्शन डिजायन में दो साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा कोर्स भी उपलब्ध है। फीचर फिल्म स्क्रीनप्ले राइटिंग में एक साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा, एनिमेशन तथा कम्प्यूटर और ग्रैफिक्स में डेढ़ साल का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी संस्थान द्वारा चलाए जाते हैं। टेलीविजन के एक साल के स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में टेलीविजन निर्देशन, इलेक्ट्रानिक सिनेमैटोग्रैफी, विडियो एडिटिंग, साउंड रिकार्डिंग और टीवी इंजीनियरिंग में विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रम शामिल हैं। संस्थान फिल्म निर्माण और टेलीविजन प्रोडक्शन में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी विशेषज्ञता भी उपलब्ध कराता है। संस्थान 1974 से दूरदर्शन के अधिकारियों को सेवारत प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रहा है। संस्थान दूरदर्शन के कर्मचारियों और भारतीय सूचना सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए कई अल्पावधि पाठ्यक्रम भी संचालित करता है।

प्रमुख उपलब्धियां

भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरे होने से जुड़े समारोहों के तहत संस्थान ने आकाशवाणी पुणे के साथ मिलकर संस्थान के मुख्य थियेटर में 'भारतीय सिनेमा में शास्त्रीय संगीत' नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें जाने–माने बांसुरी वादक पद्म विभूषण पं। हरिप्रसाद चौरसिया, जानेमाने संगीत निर्देशक प्यारेलाल (लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की की मशहूर जोड़ी से), प्रख्यात शास्त्रीय गायक पद्मभूषण पं. राजन और पं. साजन मिश्रा ने संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों को अपने अनुभवों से अवगत कराया। इस आयोजन के दौरान संगीत के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे श्री पंकज राग ने प्रस्तुति दी और शास्त्रीय संगीत के विभिन्न रुझानों पर प्रकाश डाला। संस्थान ने भारतीय राष्ट्रीय फिल्म

गोवा में 20 नवंबर 2012 को भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में कलाकार मनभावन पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत करते हुए

अभिलेखागार के सहयोग से प्रतिष्ठित दादा साहेब फालके पुरस्कार से सम्मानित फिल्मी हस्तियों की फिल्मों और जीवनवृत्तों को भी प्रदर्शित किया। इसका उद्घाटन वरिष्ठ फिल्म निर्मात्री सई परांजपे ने किया। इस अवसर पर दिखाई गयी पहली फिल्म थी – अछूत कन्या (निर्देशक : फ्रेंज ऑस्टेन, हिन्दी, श्वेत–श्याम, 1936)। इसमें देविका रानी रोरिक और अशोक कुमार की भूमिकाएं थी। इसके बाद गजानन जागीरदार की डॉक्यूमेंटरी फिल्म 'ड्रीम टेक्स विंग्ज' (श्वेत–श्याम, 1970, 18 मिमी।, फिल्म प्रभाग) प्रदर्शित की गयी। इसका निर्माण फाल्के जन्म शताब्दी समिति ने दादा साहेब फाल्क की जन्म शताब्दी के अवसर पर किया था।

संस्थान के सामुदायिक रेडियो (रेडियो एफटीआईआई) ने यूनिसेफ के सहयोग से महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास चार दिन की एक कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला यूनिसेफ द्वारा चुनी 23 किशोरियों के लिए आयोजित की गयी थी। इसी कड़ी में किशोरियों के लिए अगली कार्यशाला यवतमाल में आयोजित की गयी। दोनों ही कार्यशालाओं में ऑडियो सामग्री लड़कियों ने जुटाई जिसे संस्थान के सामुदायिक रेडियो और यूनिसेफ के जरिए अन्य सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से प्रसारित किया जाएगा।

श्री संदीप चटर्जी (प्रोफेसर, फिल्म निर्देशन) और श्री नवीन पद्मनाभ (फिल्म निर्देशन के अंतिम वर्ष के छात्र) ताइवान नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स द्वारा आयोजित 'भारतीय सिनेमा पर एक सप्ताह' में शामिल हुए। संदीप चैटर्जी ने 'स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी सिनेमा' पर एक परिचयात्मक भाषण भी दिया और ताइपेई और हॉग कांग के फिल्म स्कूल देखे।

jk"Vªh; fQYe iqjLdkj vkSj Hkkjrh; varjkZ"Vªh; fQYe lekjksg esa laLFkku dh fQYesa

50वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में संस्थान को दो पुरस्कार मिले। 'वन, टू' (निर्देशक प्रांतिक बसु) के गौतम नायर को बेहतरीन ऑडियोग्रैफी रजत कमल और 50,000 रुपये का नकद पुरस्कार मिला। ऐरावत (निदेशन रेनू सावंत) को विशेष उल्लेख प्रमाणपत्र दिया गया। उमेश कुलकर्णी (संस्थान के पूर्व छात्र) द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म देऊळ ने फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 2,50,000 रुपये का नकद पुरस्कार जीता। छात्रों की दो फिल्में – 'आफ्टरग्लो' (निर्देशन कौशल ओझा) और 'अल्लाह' (निर्देशन एंड्रिया इआनेटा) को गोवा में 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह–2012 के इंडियन पैनोरामा स्कंध के अंतर्गत गैर–फीचर फिल्म श्रेणी में प्रदर्शन के लिए चुना गया।

संस्थान की 59 फिल्में दो अलग–अलग श्रेणियों के अंतर्गत (इंडियन पैनोरामा के लिए चुनी गयी संस्थान की दो डिप्लोमा फिल्मों के अलावा) 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाया गया। इनमें से एक को संस्थान के छात्रों की एसोसिएशन ग्रैफिती ने प्रस्तुत किया।

संस्थान के पूर्व छात्र गुरविन्दर सिंह द्वारा निर्देशित फीचर फिल्म 'अन्हे घोड़े दा दाम' ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर और 40 लाख रुपये का नकद पुरस्कार जीता।

गोवा में 20 नवंबर 2012 को भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर समारोह के निदेशक श्री शंकर मोहन अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी को सम्मानित करते हुए

vU; iqjLdkj % दीप्ति खुराना की डिप्लोमा फिल्म 'रिजवान' को केरल के 5वें अंतर्राष्ट्रीय लघु और डाक्यूमेंटरी फिल्म समारोह में विशेष उल्लेख सम्मान मिला।

संस्थान के तीन छात्रों ने फूजीफिल्म–इंद्रधनुष फिल्म स्कूल प्रतियोगिता में सिनेमैटोग्राफी पुरस्कार जीते। फिल्म 'रिजवान' (सिनेमैटोग्रैफर – आकाश अग्रवाल) को डिप्लोमा स्कंध में और 'प्रभात नागरी' (सिनेमैटोग्रैफर–श्रिजित बसु) को यही सम्मान लघु फिल्म प्रतियोगिता में मिला।

'कौन कमलेश्वर' (सिनेमैटोग्रैफर–रंगोली अग्रवाल) और 'मून स्टार्स लवर्स' (सिनेमैटोग्रैफर–जी. बालकृष्ण शर्मा) का निर्णायक मंडल के सदस्यों द्वारा विशेष उल्लेख किया गया।

'आफ्टरग्लो' (निर्देशन कौशल ओझा) ने कोलकाता में दसवें कल्पनिर्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह में पैटन पुरस्कार जीता।

'चुंबक' (निर्देशक गौरव शिम्पी) को क्योतो इंटरनेशनल स्टूडेंट फिल्म एंड वीडियो समारोह में निर्णायकमंडल का विशेष पुरस्कार मिला।

विभिन्न फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान छात्रों की भागीदारी

Øe la-	fQYe dk uke	Lkekjksg dk uke	Nk= dk uke
1	वन, टू	12वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंटरी, शॉर्ट और एनीमेशन फिल्म समारोह, एसआईजीएनएस 2012; फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया – केरलम	प्रांतिक बसु
2	खरा करोड़पति	12वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंटरी, शॉर्ट और एनीमेशन फिल्म समारोह	पीयूष ठाकुर
3	फिश	एसआईजीएनएस 2012, फेडरेशन ऑफ फिल्म सोसाइटीज ऑफ इंडिया – केरलम, चौथा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (जेआईएफएफ)	प्रांजल दुआ
4	मोक्ष	चौथा जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (जेआईएफएफ)	बिजया कुमार
5	स्टोलन ड्रीम्स		फुर्बा टी. लामा
6	रु 3		सतिन्दर बेदी
7	ऐरावत		श्रेनू सावंत
8	छेलेक ताशी		संयुक्ता शर्मा
9	सम्वाद		अमेया गोरे
10	मेमोरीज		गायत्री जोशी
11	ओपन कैफे वी2.5		नवीन पद्मनाभन
12	एट रॉल	17वां स्प्लिट फिल्म स्मारोह (इंटरनेशनल स्मारोह ऑफ न्यू फिल्म)	जेसिका सडाना
13	गोल्डन मैंगो	इंटरनेशनल स्टूडेंट फिल्म एंड वीडियो स्मारोह ऑफ बीजिंग फिल्म एकेडमी (आईएसएफवीएफ)	गोविन्द राजू
14	चुंबक	क्योतो इंटरनेशनल स्टूडेंट फिल्म एंड वीडियो फेस्टिवल; 10वां कल्पनिर्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा फिल्म समारोह, कोलकाता	गौरव शिम्पी
15	अल्लाह इज ग्रेट	रिवर टु रिवर – फ्लोरेंस इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इटली; 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोवा	एंड्रिया इएनेटा
16	आफ्टरग्लो	रिवर टु रिवर – फ्लोरेंस इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इटली; 10वां कल्पनिर्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा फिल्म समारोह, कोलकाता; 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोवा	कौशल ओझा

Øe la-	fQYe dk uke	Lekjksg dk uke	Nk= dk uke
17	ग्रीन बाल्कनी आंटी	रिवर टु रिवर – फ्लोरेंस इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इटली	फैजल रहमान
18	रिज़वान	10वां कल्पनिर्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा फिल्म समारोह, कोलकाता	दीप्ति खुराना
19	शब्द	10वां कल्पनिर्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा फिल्म समारोह, कोलकाता	इंद्राणी कश्यप
20	कैट पीपल	10वां कल्पनिर्झर अंतर्राष्ट्रीय लघु कथा फिल्म समारोह, कोलकाता	कुरिआकोसे साजू वैसैन
21	कातल	20वां रिओ डी जैनिरो इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म स्मारोह – कुर्ता सिनेमा 2012, ब्राज़ील	विक्रम परमार

दिसंबर 2012 को संस्थान में छात्रों की पाठ्यक्रम-वार संख्या

cSp	f=o"kh; fMIykek	vfHku;	dyk funs'ku	,fues'ku	Vsyhfotu eS iek.ki=	, l ihMCY;w	dqy
2007	42	–	–	–	–	–	42
2008	50	–	–	–	–	–	50
2009	47	–	–	–	–	–	47
2011	59	21	08	11	–	–	99
2012	48	12	10	–	48	11	129
	246	33	18	11	48	11	367

वित्त

वर्ष 2012–13 की वार्षिक योजना में शुरू में अनुदान सहयाता के रूप में 700 लाख रुपये का प्रस्ताव किया गया था (आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता 600 लाख रुपये और सामान्य अनुदान सहायता 100 लाख रुपये)। 2012–13 के संशोधित अनुमान में इसमें निम्नलिखित संशोधन किया गया है।

वित्त वर्ष 2011-12 के लिए वास्तविक व्यय

				¼yk[k ₹ esa½
		l'kksf/kr vuqeku	vfre vuqnku	okLrfod O;;
योजना	आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता	746.00	746.00	812.51*
	सामान्य अनुदान सहायता	186.00	186.00	121.75
	ग्लोबल फिल्म स्कूल	20.00	11.13	8.87
	lc&VksVy ¼d½	952-00	943-13	943-13

*'सामान्य अनुदान सहायता से ज्यादा खर्च राशि

'योजना में अंतिम अनुदान के रूप में 943.13 लाख रुपये की सहायता दी गयी है।

				¼yk[k ₹ e½
		I'kkf/kr vueku	vfre vunku	okLrfod 0;;
गैर–योजना	आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान सहायता	5.00	746.00	812.51
	वेतन के लिए अनुदान सहायता	1445.00	1445.00	1253.00
	सामान्य अनुदान सहायता			398.65
	सब–टोटल (ख)	1450.00	1450.00	1658.30**
	dy ¼d$[k½	2402-00	2393-13	2601-45**

**'राजस्व प्राप्तियों के अतिरिक्त व्यय

सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, कोलकाता

(http://srfti.gov.in)

भारत सरकार ने सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एसआरएफटीआई) कोलकाता की स्थापना मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन स्वायत्त शैक्षिक संस्था के रूप में की थी और इसका पंजीकरण पश्चिम बंगाल सोसाइटी

भारतीय सिनेमा के 100 साल होने के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों के लिए फिल्मों को समझने के बारे में आयोजित कार्यशाला

पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत कराया किया गया था। यह देश का दूसरा फिल्म प्रशिक्षण संस्थान है।

प्रबंधन और संगठनात्मक ढांचा

यह एक स्वायत्त शैक्षिक संस्था है जिसका संचालन भारत सरकार द्वारा गठित एक सोसाइटी करती है। सोसाइटी का प्रमुख अध्यक्ष होता है जो इसका संचालन सोसाइटी के चुने हुए सदस्यों की शासी परिषद के माध्यम से करता है। शासी परिषद सोसाइटी के निर्देश पर संस्थान की नीतियों आदि का निर्धारण करती है। यह विभिन्न समितियां/संगठन जैसे, शैक्षिक परिषद, स्थायी वित्त समिति आदि का भी गठन करती है। सोसाइटी, शासी परिषद और स्थायी वित्त समिति में सरकार के पदेन सदस्य मंत्रालय तथा इसकी विभिन्न मीडिया इकाइयों के अधिकारियों में से होते हैं। संस्थान के निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है जो संस्थान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर कार्य करता है। उसकी सहायता के लिए शैक्षिक गतिविधियों और प्रशासनिक गतिविधियों के डीन होते हैं।

1. गतिविधियां :

संस्थान निर्देशन और पटकथा लेखन, सिनेमैटोग्रैफी, एडिटिंग और ऑडियोग्रैफी में तीन साल के नियमित स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम और फिल्म और टेलीविजन से संबंधित क्षेत्रों में अल्पावधि ओर मध्यम अवधि पाठ्यक्रम संचालित करता है।

यानी निर्देशन और पटकथा लेखन, चलचित्र फोटोग्राफी, एडिटिंग ओर ऑडियोग्राफी में नियमित शैक्षिक पाठ्यक्रमों के अलावा संस्थान दो नये विषयों–फिल्म निर्माण प्रबंधन ओर एनिमेशन में पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है। संस्थान ने फिल्म निर्माण प्रबंधन में तीन साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है। इसके हर बैच में 10 छात्र लिये जाते हैं और वर्तमान क्षमता 12 सीटों की है। इस विभाग ने 26 नवंबर 2012 से काम करना प्रारंभ किया है।

संस्थान वर्ष 2013 के शैक्षिक सत्र से एनिमेशन में 2 साल का स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू करेगा। इसमें छात्रों को पारम्परिक एनिमेशन तकनीकें सिखाने के साथ–साथ कम्प्यूटर की मदद से उच्चस्तरीय 2–डी और 3–डी साफ्टवेयर का इस्तेमाल भी सिखाया जाएगा।

2. आधुनिकीकरण

क) भुगतान, खरीद, उत्पादन लागत के मूल्यांकन, शैक्षिक चर्या तैयार करने और भंडार अनुरक्षण आदि का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है। इससे संस्थान को अपनी गतिविधियों को बेहतर तालमेल के साथ संचालित और समन्वित करने में मदद मिलेगी।

ख) आरएफआईडी टेक्नोलाजी का इस्तेमाल करके लाइब्रेरी का भी निकट भविष्य में कम्प्यूटरीकरण किये जाने की संभावना है।

ग) ओपन सोर्स डिजिटल लाइब्रेरी और डाक्यूमेंट प्रबंधन प्रणाली पर अमल किया जा रहा है।

घ) सिनेमा और डिजिटल प्लेटफार्म में समसामयिक शिक्षण विधियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए सभी विभागों के लिए नये उपकरणों की नियमित रूप से खरीद की जाती है।

3. विकलांगों के लिए नीति

एक शैक्षिक संस्था होने के कारण संस्थान की समाज में सीमित/ निश्चित भूमिका है। लेकिन प्रवेश प्रक्रिया के दौरान विकलांग जनों को बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए नियमित रूप से प्रभावी अभियान चलाया जाता है। संस्थान की सभी सुविधाओं जैसे ऑडिटोरियम, होस्टल, अस्पताल आदि में इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि विकलांग लोग भी (केवल दृष्टिवाधित और श्रवण वाधित लोगों को छोड़कर, क्योंकि संस्थान दृश्य माध्यम पर आधारित है) इनका समान रूप से फायदा उठा सकें। इंटरनेट कक्षा और लाइब्रेरी भूमितल पर बनाए गये हैं ताकि विकलांग लोग आसानी और सही तरीके से वहां तक पहुंच सकें। छात्र और संकाय सदस्य नियमित रूप से कार्यशालाएं और गोष्ठियां करते हैं ताकि लोगों में जानरूकता को बढ़ावा दिया जा सके। संस्थान विकलांगों को प्रवेश और रोजगार देने में सरकार की आरक्षण नीति का पालन सुनिश्चित करता है।

4. ई–कॉमर्स

संस्थान को मंत्रालय से अनुदान सहायता ईसीएस के माध्यम से प्राप्त होती है। टेलीफोन बिल जैसे कुछ भुगतान और प्रेषण भी ईसीएस के जरिए किये जाते हैं। मंत्रालय से होने वाले पत्रव्यवहार ई–मेल के जरिए किया जाता है। प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस आदि संस्थान के वेबसाइट पर प्रदर्शित किये जाते हैं।

5. सामुदायिक रेडियो

संस्थान एक रेडियो स्टेशन भी चलाता है जिसके कार्यक्रम सोमवार से शुक्रवार तक नियमित रूप से प्रसारित किये जाते हैं।

6. राजभाषा

संस्थान ने वर्ष 2012–13 के लिए राजभाषा कार्यक्रमों को अपनी राजभाषा क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष के दिशानिर्देशन में पूरा किया। नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाता है। संस्थान ने 14 से 28 सितंबर 2012 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया जिसमें कई कर्मचारियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। पखवाड़े के समापन समारोह में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। नियमित त्रैमासिक बैठकें आयोजित की गयीं ताकि राजभाषा नीतियों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

7. वित्त

बजट अनुदान : राजस्व (योजना और योजनेतर) और पूंजी (योजना) के तहत स्वीकृत अनुदान सहायता का ब्यौरा और 2010–11 और 2011–12 का वास्तविक खर्च इस प्रकार है :

¼yk[k ₹ esa½				
o"kZ	Lohd`r vuqnku lgk;rk@iwathxr vuqnku		okLrfod 0;;	
	xSj&;kstuk	;kstuk	xSj&;kstuk	;kstuk
2011.2012	730.00	880.00	729.80	879.98
2012–13 (31.12.12 तक)	644.03	600.00	644.00	480.00

ukV ¼ वर्ष 2011–12 के दौरान संस्थान के लेखों की वैधानिक लेखापरीक्षा नियंत्रण और महालेखा परीक्षक द्वारा नामित सी.ए. से विधिवत करायी गयी। इसके अलावा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय ने भी 2010–2011 के लिए संस्थान के लेखों की लेखा परीक्षा की।

'क्लैपस्टिक–2012' के उद्घाटन के अवसर पर सत्यजित राय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के निदेशक सूचना और प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा, प्रख्यात फिल्म निर्माता श्री बासु चटर्जी और श्री गिरीश कसारवल्ली की उपस्थिति में दीप जलाते हुए

8. सतर्कता रिपोर्ट

d½ lrdZrk xfrfof/k;k

1) संस्थान के रजिस्ट्रार संस्थान के पदेन मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं।

2) संस्थान की फिलहाल कोई शाखा या क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है।

3) संस्थान सतर्कता से संबंधित कार्यक्रमों, जैसे सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान आदि का नियमित रूप से आयोजन करता है और इस तरह की गतिविधियों के बारे में समय समय पर मंत्रालय को सूचित किया जाता है।

[k½ fuokjd lrdZrk xfrfof/k;k

1) अवधि के दौरान किये गये निरीक्षण – 2

2) अवधि के दौरान औचक निरीक्षण – 1

x½ fuxjkuh vkSj vklpuk xfrfof/k;k

1) निगरानी के अधीन रखने के लिए चयनित क्षेत्र – सभी

2) निगरानी के अधीन रखने के लिए चिन्हित व्यक्ति – शून्य

9. उपलब्धियां/संस्थान का नियोजन

1) संस्थान के एक छात्र मोहन कुमार वलसाला द्वारा निर्देशित लघु डॉक्यूमेंटरी 'पंचभूत' को फरवरी 2012 को जर्मनी में 62वें बर्लिन फिल्म समारोह के लिए चुना गया। इसी तरह संस्थान की छात्रा तोर्षा बैनर्जी को रूस में यारोस्लाव के वीजीआईके इंटरनल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने जुलाई 2012 में आयोजित ग्रीष्मकालीन स्कूल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। तोर्षा बैनर्जी इसमें भाग लेने वाली एकमात्र प्रतिभागी थी और उनकी बनायी लघु फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की ट्राफी भी मिली।

2) अंतर्राष्ट्रीय छात्र फिल्म समारोह 2012 'क्लैपस्टिक' का अयोजन 1 से 3 जून, 2012 तक किया गया जिसमें सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर संस्थान ने जानी–मानी फिल्मी हस्ती पद्म विभूषण गिरीश कसरावल्ली को सम्मानित किया। इस समारोह में देश के 6 और विदेशों क 13 फिल्म स्कूलों के छात्रों द्वारा निर्मित फिल्में प्रदर्शित की गयीं। तीन दिन के इस कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय छात्र–फिल्मों के प्रदर्शन के अलावा श्रेष्ठ फिल्मकारों द्वारा कक्षाओं के आयोजन, सेमिनार और ओपन फोरम का भी आयोजन किया गया।

3) 'क्लैपस्टिक 2012' के दौरान भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा संस्थान के त्रैमासिक न्यूज लैटर 'टेक वन' का भी विमोचन किया गया।

4) संस्थान लखनऊ की भारतेंदु नाट्य अकादमी के छात्रों के लिए 18 जून से 10 अगस्त 2012 तक फिल्मों को समझने के पाठ्यक्रम का भी आयोजन किया।

5) 10 अक्तूबर 2012 को संस्थान के छात्रों की कुछ फिल्मों को कुआन–दू फिल्म समारोह में प्रदर्शित किया गया। इसका आयोजन ताइवान की ताइपेई नेशनल यूनीवर्सिटी ऑफ आर्ट्स (टीएनयूए) के फिल्म निर्माण विभाग द्वारा किया गया। इसमें संस्थान के प्रो. अमरेश चक्रवर्ती और छात्र मोहन कुमार वलसाला ने हिस्सा लिया। फिल्म प्रदर्शन के पूरा हो जाने पर प्रो. चक्रवर्ती ने स्वतंत्रता से पहले के भारतीय सिनेमा पर व्याख्यान दिया जिसके बाद एक लम्बा प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया। संस्थान के छात्रों की फिल्मों को टीएनयूए के दर्शकों ने खूब सराहा।

फिल्म निर्माण प्रबंधन और एनिमेशन में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के अलावा संस्थान ने डॉक्यूमेंटरी फिल्म बनाने और अभिनय में भी नये पाठ्यक्रम शुरू करने की योजना बनायी है। बारहवीं योजना के दौरान संस्थान ने टेलीविजन उद्योग के लिए पेशेवर प्रशिक्षण प्राप्त लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए टेलीविजन प्रक्षिण केन्द्र खोलने की भी योजना बनायी है।

अंतर्राष्ट्रीय समारोहों में चयन और छात्रों को पुरस्कार

Øe l-	fQYe dk uke	thr x; ijLdkj@fQYe lekjkg e Hkkxhnkjh	funs'kd@flueVkxkQj
1	ठग बेरम	16वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सोंजे पुरस्कार	वेंकट एस. अमुधन
2	सीता हरण और अन्य कहानियां	केरल के अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंटरी और शॉर्ट फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ संगीत वीडियो	अनुशा नंदकुमार

विभिन्न समारोहों में चयनित फिल्में

Øe l-	fQYek dk uke	vrjk"Vh; fQYe lekjkg	funs'kd@flueVkxkQj
1	फॉलिंग अवेक मेरा जीवन साथी	केरल का चौथा अंतर्राष्ट्रीय डाक्यूमेंटरी ऑर लघु फिल्म समारोह	निर्देशक: रेयन डेमेलो निर्देशक: राजदीप पॉल
2	करायुकाई.इंक	म्यूनिख अंतर्राष्ट्रीय समारोह ऑफ फिल्म स्कूल्स	निर्देशक: डोमिनिक मेगम संगमा
3	बाघेर बच्चा	वर्ल्ड सिनेमा एम्स्टरडम	निर्देशक :बिष्णु देब हाल्दार
4	बॉक्सिंग लेडीज राहालेज लिटिल थिएटर फॉलिंग अवेक	साउथ एशियन फिल्म स्मारोह सिएटल	निर्देशक: अनुशा नंदकुमार निर्देशक: डोमिनिक मेगम संगमा निर्देशक: रेयन डेमिलो
5	पंचभूत	बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, टाम्पेरे बुसान इंस्टीट्यूट : शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल 20वां कर्टास विला डो कोंडे आईएफएफ, केरल का 5वां अंतर्राष्ट्रीय डाक्यूमेंटरी ऑर लघु फिल्म समारोह	निर्देशक: संदीप चटर्जी
6	रात कोता होलो	केरल का 5वां अंतर्राष्ट्रीय डाक्यूमेंटरी और लघु फिल्म समारोह	संदीप चटर्जी
7	बर्ड्स ऑफ पैसेज	टीएयू इंटरनेशनल स्टूडेंट फिल्म फेस्टिवल	निर्देशक: अशीम शेखर पॉल
8	ब्यूटी	मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह	निर्देशक: तोर्षा बैनर्जी

राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार

(www.nfaipune. gov.in)

कला और ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में सिनेमा के संरक्षण का अपना महत्व है। सिनेमा को इसके तमाम रूपों और प्रकारों में संरक्षित करने के लिए ऐसा संगठन जरूरी है जिसका स्थायी ढांचा हो, जिसे फिल्म उद्योग का विश्वास प्राप्त हो और जिसके पास पर्याप्त संसाधन तथा विशेषज्ञता हो। इसीलिए मंत्रालय की मीडिया इकाई के रूप में फरवरी 1964 में भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार की स्थापना की गयी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य और लक्ष्य हैं :

1. राष्ट्रीय सिनेमा की बिरासत की पहचान और भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षण, विश्व सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संग्रह तैयार करना।

2. फिल्मों से संबंधित आंकड़ों को वर्गीकृत और अभिलेखबद्ध करना, सिनेमा अनुसंधान तथा इसके नतीजों का प्रचार–प्रसार।

3. देश में फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देना और विदेशों में भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति सुनिश्चित करना।

अभिलेखागार ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अच्छा कार्य किया है। अवधि के दौरान भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने अपने संग्रह में 33 फिल्में (22 नयी, तीन प्रतिलिपियां और एलटीएल आधार पर प्राप्त 8), 147 डीवीडी, 416 पुस्तकें, 1134 पांडुलिपियां, 1107 स्टिल्स, 80 गीत पुस्तिकांए, 814 वॉल पोस्टर और 34 फिल्म फोल्डर/पैम्पलेट जोड़े हैं। अभिलेखागार के संग्रह में शामिल नयी फिल्मों/प्रिंट्स में से कुछ का संलग्नक–क उल्लेख किया गया है।

गोवा में भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर सूचना और प्रसारण सचिव प्रख्यात अभिनेत्री तब्बू और अभिनेता इरफान खान को सम्मानित करते हुए

फिल्म अधिग्रहण

आलोच्य अवधि के दौरान फिल्मों की 500 रीलें और साउंड नेगेटिव फिल्म प्रयोगशाला और अन्य निजी संस्थाओं से प्राप्त हुए। इनमें से ज्यादातर निःशुल्क जमा कराए गये। इनमें पंजाबी, मराठी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों के साथ हिन्दी की फिल्में भी शामिल थीं जिन्हें साल के दौरान अभिलेखागार में भंडारण और संरक्षण के लिए दिया गया। अधिग्रहीत फिल्मों का विस्तृत ब्यौरा संलग्नक–ख में दिया गया है।

फिल्म संस्कृति का प्रसार

फिल्मों के बारे में शिक्षा

फिल्म संस्कृति के प्रसार के तहत एक महत्वपूर्ण गतिविधि फिल्मों की समझ बढ़ाना है। इसके अंतर्गत भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान और अन्य शैक्षिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं के सहयोग से से दीर्घावधि और अल्पावधि पाठ्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

अभिलेखागार ने नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा आयोजित 2012 के विश्व पुस्तक मेले में भाग लिया। इसमें श्री अनिल झांकर और श्री अनुपम सिद्धार्थ ने लेखन और फिल्मों की समझ को लेकर एक दिन की कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला दो सत्रों में थी – भारत के संदर्भ में फिल्मों का प्रदर्शन और किसी फिल्म को कैसे समझें।

हरियाणा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के जन संचार और मीडिया टेक्नोलाजी संस्थान ने फिल्मों की समझ के बारे में एक पाठ्यक्रम आयोजित किया जिसमें अभिलेखागार के निदेशक ने फिल्मों के डिजिटलीकरण और रेस्टोरेशन पर व्याख्यान दिया। अभिलेखागार ने 13 से 18 साल तक के बच्चों के लिए 15 से 21 मई, 2012 तक पुणे में फिल्मों की समझ के बारे में पाठ्यक्रम आयोजित किया। पहली बार इस पाठ्यक्रम में एनिमेशन, डिजिटल फिल्म निर्माण, सिनेमैटोग्रैफी, संगीत आदि पर जानकारी दी गई।

क्षतिग्रस्त फिल्मों के पुनर्स्थापन के बारे में एक कार्यशाला अभिलेखागार, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान तथा आर्सेनल आर्काइव्ज बर्लिन ने संयुक्त रूप से आयोजित की। इसमें स्तीफाने शल्ट स्ट्रॉथस ने प्रतिभागियों को संबोधित किया।

फिल्मों की समझ के बारे में 37 वां वार्षिक पाठ्यक्रम पुणे में 4 से 30 जून, 2012 तक आयोजित किया गया। श्रीलंका, ईरान और बंगलादेश सहित देश भर से 64 प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। यह पाठ्यक्रम फिल्म से जुड़े व्यवसायों जैसे फिल्म–अध्ययन, जन–संचार और पत्रकारिता के अध्यापकों, फिल्म सोसाइटियों के आयोजिकों, फिल्म समीक्षकों, अनुसंधानकर्ताओं, फिल्मों से संबंधित कार्य में लगे अधिकारियों, तकनीशियनों और फिल्मों में दिलचस्पी लेने वाले अन्य लोगों के लिए है।

फिल्मों की समझ के बारे में चौथा संक्षिप्त पाठ्यक्रम पणजी में मैक्विंज पैलेस एंटरटेनमेंट सोसाइटी में 16 से 23 जुलाई, 2012 तक भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, पणजी द्वारा आयोजित किया गया। इसमें नेपाल और हॉलैंड के एक–एक प्रतिभागी सहित गोआ और भारत के अन्य भागों से 70 लोगों ने हिस्सा लिया। मराठी में फिल्मों की समझ के बारे में एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम 2 से 8 सितंबर, 2012 तक भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार पुणे में आयोजित किया गया जिसमें 70 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसका समापन 8 सितम्बर, 2012 को हुआ जिसमें मुंबई के पूर्व शेरिफ डॉ. किरन शांताराम इसमें मुख्य अतिथि थे।

भारतीय सिनेमा की शताब्दी संबंधी कार्यक्रम

भारतीय सिनेमा के शताब्दी समारोह में आम जनता को भागीदार बनाने उद्देश्य से 13 जुलाई, 2012 को एक विशेष वेबसाइट शुरू किया गया जिसमें लेख आमंत्रित किये गये। असमिया के जाने–माने फिल्म निर्माता जहानू बरुआ ने वेबसाइट का उद्घाटन किया। सी–डैक के महानिदेशक डॉ. रजत मूना उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि थे। इस अवसर पर मलयालम फिल्म 'अदमिनते मकान अबू' भी दिखाई गयी।

फिल्म समारोह निदेशालय और पुदुच्चेरि प्रसाशन के सहयोग से अभिलेखागार ने पहला शताब्दी फिल्म समारोह 24 से 26 अगस्त 2012 तक आयोजित किया। समारोह का उद्घाटन पुदुच्चेरि के मुख्यमंत्री एन. रंगास्वामी ने किया। तमिल फिल्म निर्देशक भरतिराजा भी इस अवसर पर उपस्थित थे। अभिलेखागार ने दो फिल्में 'संत तुकाराम' और 'सुबर्णरेखा' का प्रदर्शन किया। अभिलेखागार ने मशहूर भारतीय फिल्मों के पोस्टरों की एक प्रदर्शनी 'एडलैब कॉम्प्लैक्स' में आयोजित की। वरिष्ठ निर्देशक और

गोवा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर क्षेत्रीय पारंपरिक नृत्य का भव्य प्रदर्शन

प्रोड्यूसर श्री मणिरत्नम अपनी फिल्म 'रोजा' (तमिल) के प्रदर्शन के अवसर पर उपस्थित थे।

अभिलेखागार ने 31 अगस्त, 2012 को तीन भारतीय मूक फिल्मों का एक डीवीडी विशेष रूप से बनाए गये संगीत के साथ जारी किया। डीवीडी में शामिल फिल्में पुराने प्रिंट्स के आध ाार पर बनायी गयी थीं और इसमें : दादा साहब फाल्के की मशहूर फिल्म 'कालिया मर्दन' (1919), 'राजा हरिश्चंद्र' (1913) और कालिपाद दास की शानदार बंगला कॉमेडी फिल्म 'जमाई बाबू' (1931) को शामिल किया गया था। डीवीडी का विमोचन अभिलेखागार, पुणे के पूर्व निदेशक पी.के. नायर ने किया। मूक युग की फिल्म का संगीत राहुल रानाडे ने दिया।

फिल्म अभिलेखागार ने इंडिया कनेक्ट के साथ मिलकर 21 अगस्त, 2012 को 'दादासाहेब फाल्के 1870–1944: द साइलेंट फिल्म' का लोकार्पण समारोह आयोजित किया। पुस्तक दादा साहेब फाल्के की पड़पोती शरयू फाल्क सुम्नवार ने लोकार्पित की। इस अवसर पर डीवीडी फार्मेट में अंकित दादा साहेब फाल्के की फिल्मों की क्लिपिंग्ज दिखाई गयीं।

अभिलेखागार ने भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान तथा अक्षय फिल्म क्लब के सहयोग से एक विशेष कार्यक्रम 'टुवर्ड्स सेंचुरी ऑफ इंडियन सिनेमा' का आयोजन किया जिसमें फाल्के पुरस्कार से सम्मानित हस्तियों की फिल्मों और बायोपिक्स को दिखाया गया। यह कार्यक्रम महीने के हर दूसरे और चौथे सोमवार को नौ महीने तक आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन वरिष्ठ फिल्म निर्देशक श्रीमती सई परांजपे ने 13 अगस्त, 2012 को किया। इस अवसर पर फाल्के पर डॉक्यूमेंटरी 'ड्रीम टेक्स विंग्ज' और फाल्के पुरस्कार से सम्मानित पहली कलाकार देविका रानी की फिल्म 'अछूत कन्या' (कलाकार : देविका रानी और अशोक कुमार, दोनों ही फाल्के पुरस्कार प्राप्त) दिखाई गयीं। 27 अगस्त, 2012 को सत्यजित राय की डॉक्यूमेंटरी और उनकी फिल्म 'अपूर संसार' दिखाई गयी।

फिल्म अभिलेखागार ने झारखंड के सूचना और जन संपर्क विभाग के सहयोग से 12 से 15 सितंबर,2012 तक 'सुहाना सफर–रांची फिल्म शताब्दी समारोह' में भी हिस्सा लिया। इस अवसर पर कई प्रसिद्ध भारतीय फिल्मों के साथ–साथ पहली भारतीय मूक फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' भी प्रदर्शित की गयी। समारोह में पोस्टर प्रदर्शनी के तहत भारतीय सिनेमा से जुड़े 60 पोस्टर दिखाये गये।

पोर्ट ब्लेयर में शताब्दी फिल्म समारोह 2 से 4 नवंबर, 2012 तक मनाया गया जिसमें फिल्म पोस्टरों की प्रदर्शनी आयोजित की गयी। 11 से 17 नवंबर, 2012 तक आयोजित कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में में फिल्मों के पोस्टरों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कोल्हापुर में 20 से 23 दिसंबर, 2012 तक आयोजित कोल्हापुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अभिलेखागार ने शताब्दी समारोह के सिलसिले में फिल्म पोस्टरों की प्रदर्शनी आयोजित की।

बंगलुरु इंटरनेशनल फिल्म स्मारोह में सिनेमा शताब्दी वर्ष समारोह के सिलसिले में फिल्म अभिलेखागार ने 20 से 27 दिसम्बर, 2012 तक पोस्टर प्रदर्शनी लगायी। फिल्म अभिलेखागार ने सात ब्लू रे फार्मेट डीवीडी फिल्में और एक 35 मिमी फिल्म भी उपलब्ध करायी।

विभिन्न कार्यक्रमों के लिए फिल्मों की आपूर्ति

भारत में फिल्म संस्कृति के प्रचार–प्रसार के लिए फिल्म अभिलेखागार अनेक गतिविधियां संचालित करता है। इसकी वितरण लाइब्रेरी के देश भर में करीब 30 सक्रिय सदस्य हैं। अभिलेखागार विभिन्न अवसरों पर प्रदर्शन के लिए फिल्में भी उपलब्ध कराता है।

अभिलेखागार के सहयोग से प्रमुख आयोजन

भारतीय फिल्म अभिलेखागार, विश्व साइंटिफिक और खगोल ने 20 से 22 जनवरी, 2012 तक पुणे में अपने अभिलेखागार ऑडिटोरियम में पहला विज्ञान फिल्म समारोह आयोजित किया। इसका उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति जागरूकता का प्रसार करना था। इसमें विज्ञान विषयों पर भारत और विदेशों में अनुसंधान केन्द्रों और शौकिया फिल्म निर्माताओं द्वारा बनायी गयी 20 फिल्में दिखायी गयीं।

ऑस्ट्रेलियाई संगीतकार गेरहार्ड ग्रुबर ने दो मूक फिल्मों – 'थ्रो द डाइस' (निर्देशक फ्रेंज ऑस्टिन) और ऑस्ट्रेलियाई फिल्म 'सोडोम एंड गोमोर्राह' (1922) के लिए संगीत कार्यक्रम की जीवंत प्रस्तुति दी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 से 11 मार्च, 2012 को आशय फिल्म क्लब और आयाम क्रिएशन्स पुणे के सहयोग से महिला फिल्म समारोह आयोजित किया गया। जिसका विषय था – 'महिला मुक्ति का पुनरावलोकन'।

'हवाट अबाउट कोलंबस' विशेष डॉक्यूमेंटरी 10 मार्च, 2012 को फिल्म अभिलेखागार ऑडीटोरियम में प्रदर्शित की गयी। यह प्रदर्शन फिल्म के स्पेनी निर्देशक लैंडर कैमेरिरो (भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के पूर्व छात्र) ने आयोजित किया। फिल्म अभिलेखागार ने मैक्स मूलर भवन, अलायंस फ्रांस पुणे और ब्रिटिश काउंसिल ने 3 से 9 अप्रैल, 2012 तक यूरोपियन फिल्म समारोह आयोजित किया। इसमें 17 फिल्में दिखायी गयीं।

ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त 'आर्टिस्ट' नाम की एक फ्रांसीसी मूक फिल्म 17 अप्रैल, 2012 को फिल्म अभिलेखागार ऑडीटोरियम में प्रदर्शित की गयी। फिल्म का दूसरा शो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों के लिए आयोजित किया गया। फिल्म अभिलेखागार ने राजा परांजपे प्रतिष्ठान के सहयोग से 16 से 19 अप्रैल, 2012 तक अपने ऑडिटोरियम में 'राजा परांजपे फिल्म समारोह' आयोजित किया। इसमें अभिलेखागार के संग्रह से 4 फिल्में दिखायी गयीं।

अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के सिलसिले में मैक्स मूलन भवन, अलायंस फ्रांस सेंटर फॉर कांटेम्पोरेरी डांस एंड और फिल्म अभिलेखागार ने अपने ऑडीटोरियम में संयुक्त रूप से प्रयत्न फिल्म और नृत्य समारोह का आयोजन 27 से 29 अप्रैल, 2012 तक किया। फिल्म अभिलेखागार ने इसमें दो फिल्मों का योगदान किया। इसमें 17 लघु फिल्में प्रदर्शित की गयीं।

भारतीय सिनेमा और भारतीय फिल्मकारों की जीवनी आधारित फिल्मों और लघु फिल्मों का समारोह – 'टुवर्ड्स संेचुरी ऑफ इंडियन सिनेमा' का आयोजन फिल्म अभिलेखागार, आशे क्लब, एफएफएसआई और फिल्म प्रभाग द्वारा आयोजित किया गया। इसके लिए फिल्में यूटीवी ने उपलब्ध करायीं। समारोह 3 से 5 मई, 2012 तक आयोजित किया गया। शब्दप्रभु जगदीश खेबुदकर प्रतिष्ठान ने अभिलेखागार, नेहरू युवा केन्द्र और भारत सरकार के युवा कार्य और खेल मंत्रालय के सहयोग से पुणे में 10 और 11 मई, 2012 को 'स्वर्गीय जगदीश खेबुदकर महोत्सव' का आयोजन किया।

भारतीय फिल्म उद्योग की शताब्दी के सिलसिले में शास्त्रीय और फिल्म संगीत सहित संगीत जगत की महान हस्तियों पर लघु फिल्मों और डॉक्यूमेंटरी फिल्मों का एक समारोह आशय फिल्म क्लब और डीएसके ग्रुप ने आयोजित किया जिसमें रंग ईवेंट्स एंड एंटरटेनमेंट, फिल्म अभिलेखागार, फिल्म प्रभाग, फिल्म और टेलीविजन संस्थान गंर्धव महाविद्यालय ने भी सहयोग किया। समारोह का उद्‌घाटन पंडित साजन मिश्रा ने किया।

'द इनर पाथ' नाम का पहला बौद्ध फिल्म समारोह पुणे इंटरनेशनल सेंटर, नेटवर्क फॉर द प्रोमोशन ऑफ एशियन सिनेमा, देवकी फाउंडेशन और फिल्म अभिलेखागार ने 1 से 3 जून, 2012 तक आयोजित किया गया। फिल्म अभिनेता और निर्देशक कबीर बेदी ने इसका उद्‌घाटन किया और इसमें एशियाई और पश्चिमी देशों की 10 फिल्में ओर डॉक्यूमेंटरी प्रदर्शित की गयीं। फिल्म अभिलेखागार की फिल्म 'लाइट ऑफ एशिया' भी समारोह में दिखाई गयी।

जने–माने बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष के जन्म शताब्दी समारोह के अवसर पर फिल्म अभिलेखागार ने 18 अगस्त, 2012 को अपने ऑडिटोरियम में 'आंदोलन' नाम की एक फिल्म दिखाई।

फिल्म अभिलेखागार ने मैक्स मूलर भवन के सहयोग से 12 से 14 सितंबर, 2012 तक अपने ऑडिटोरियम में स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए 'पैश्च गेनेक्स्ट 4।0 फिल्म समारोह, 2012' आयोजित किया। इसमें 'राजा हरिश्चंद्र' समेत चार फीचर फिल्में और लघु फिल्में दिखायी गयीं।

फिल्म अभिलेखागार और पुणे इंटरनेशनल सेंटर ने 12 से 14 अक्तूबर, 2012 तक 'बंगलादेश वॉर ऑफ लिबरेशन ऑन सेल्यूलॉइड फिल्म फेस्टिवल' आयोजित किया। बंगलादेश के उप–उच्चायुक्त श्री महबूब हसन सालेह और जानी–मानी फिल्म निर्माता सई परांजपे उद्घाटन समारोह में शामिल हुए।

एपीएएनए ग्रुप ने 28 से 29 अक्तूबर, 2012 तक फिल्म अभिलेखागार में सेवन आइलैंड्स इंटरनेशनल फिल्म स्मारोह आयोजित किया।

मराठी चित्रपट परिवार ने फिल्म अभिलेखागार ऑडिटोरियम में 29 अक्तूबर से 1 नवंबर, 2012 तक दूसरा पुणे लघु फिल्म समारोह आयोजित किया। इसमें 52 देशों की लघु फिल्में प्रदर्शित की गयीं।

आशय फिल्म क्लब पुणे ने 4 से 8 नवंबर, 2012 तक फिल्म अभिलेखागार में 'पुलोत्सव' का आयोजन किया।

- अभिलेखागार ने अलायंस फ्रांस, मैक्समूलर भवन, ब्रिटिश काउंसिल और मुंबई के रूसी सांस्कृतिक केन्द्र के सहयोग से फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना, पोलैंड और अन्य देशों की फिल्मों के समारोह आयोजित किये।
- भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के छात्रों और फिल्म सर्किल के सदस्यों को सामान्य तौर पर दिखाई जाने वाली फिल्मों के अलावा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 149 फिल्में दिखाई गयीं। इसके अलावा अगस्त 2009 से महीने के हर दूसरे शनिवार को डॉक्यूमेंटरी फिल्मों का प्रदर्शन भी जारी रहा। विभिन्न जन–संचार और पत्रकारिता संस्थानों के छात्रों ने शैक्षिक यात्रा के अंतर्गत फिल्म अभिलेखागार का दौरा किया।

पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह

10वां अंतर्राष्ट्रीय पूणे फिल्म समारोह 12 से 19 जनवरी 2012 के दौरान आयोजित किया गया। अभिलेखागार ने इसके लिए 20 फिल्में दीं और ऑडिटोरियम की सेवाएं प्रदान की।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, 2012, गोवा

गोवा में पणजी में 20 से 30 नवम्बर, 2012 तक आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में अभिलेखागार ने सिनेमा शताब्दी वर्ष के हिस्से के रूप में 13 अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय फिल्मों का पैकेज पेश किया। बॉम्बे टाकीज द्वारा 1936 में निर्मित फ्रैंज ओस्टेन की 'अछूत कन्या' और प्रभात फिल्म कंपनी की 1936 में निर्मित 'संत तुकाराम' समारोह में प्रदर्शित की गयीं। इसके अलावा महान नृत्य कलाकार के उदय शंकर की 'कल्पना', राजकपूर की 'आवारा', सत्यजित राय की 'पथेर पांचाली', ऋत्विक घटक की 'मेघे ढका तारा' और रेनू करियात की मलयालम फिल्म 'चेम्मीन' भी दिखायी गयी। शताब्दी पैकेज के अलावा 11 भारतीय फिल्में और 3 विदेशी फिल्में भी समारोह में प्रदर्शित की गयीं। विशेष रूप से तैयार संगीत के साथ तीन मूक फिल्मों की एक डीवीडी और लोकप्रिय फिल्मों के कुछ पोस्टरों की बिक्री भी पहली बार गोवा में पणजी स्थित फिल्म अभिलेखागार के काउंटर से की गयी। अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं :

- 24 फरवरी 20102 से 1 मार्त 2012 तक तीसरे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह नागपुर के लिए निर्जार फिल्म सोसयटी, नागपुर को एनएफएआइ ने पांच फिल्मों के विशेष पैकेज उपलब्ध कराये।
- 23 से 25 मार्च 2012 तक नासिक फिल्म समारोह के लिए चार फिल्में भेजी गई।
- मई 2012 में सत्यजित राय फिल्म समारोह के लिए दो फिल्में एनलाइटन फिल्म सोसायटी को भेजी गई।
- 20 से 26 जुलाई 2012 तिरुवनंतपुरम में आयोजित 12वें फिलका अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में पांच फिल्में भेजी गई।
- 22 से 29 जुलाई 2012 तक वहीदा रहमान की फिल्मों के पुनरावलोकन के लिए हैबिटट फिल्म सेंटर नई दिल्ली के लिए पांच फिल्में भेजी गईं।
- 27 जुलाई से पांच अगस्त 2012 तक नई दिल्ली में आयोजित ओसियान सिनेफ्लैन समारोह के लिए तीन फिल्में भेजी गई।
- फिल्म समारोह निदेशालय, नई

सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गोवा में भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर सम्बोधित करते हुए

दिल्ली द्वारा अगस्त 2012 में आयोजित राजेश खन्ना की फिल्मों के पुनरावलोकन के लिए दो फिल्में भेजी गई।

- महात्मा गांधी की 143वीं जयंती समारोह मनाने के लिए सितंबर 2012 में फिल्म प्रभाग, मुंबई को पांच फिल्मों के प्रिंट तथा डीवीडी फार्मट में चार फिल्में भेजी गई।
- 18 से 25 अक्तूबर 2012 के दौरान 13वें मुंबई फिल्म समारोह के लिए मुंबई अकादमी ऑफ मूविंग इमेजेस (एमएएआई) को तीन फिल्में भेजी गयी।
- 2 से 9 नवंबर 2012 के दौरान कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म स्मारोह के लिए सिने सेंट्रल कोलकाता को चार फिल्में उपलब्ध करवायी गयी।
- मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद व कोचिन में एफएफएसआई द्वारा संयुक्त रुप से स्क्रीनिंग के लिए अनेक फिल्में उपलब्ध करवायी गयी।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोहों व अन्य कार्यक्रमों में भेजी गयी फिल्में

एनएफएआई ने सत्यजीत राय की लघु फिल्म बाला (बांगला) को डीवीडी फार्मेट में जुलाई 2012 को पैरिस में आयोजित ईटे इडियेन फिल्म समारोह में स्क्रिनिंग के लिए भेजा।

अगस्त 2012 में आयोजित मैड्रिड

भारतीय फिल्म समारोह के लिए प्रभात फिल्म कंपनी की मराठी फिल्म कुनकु की डीवीडी फर्मेट को रैना सोफिया म्युजियम को भेजा गया। स्पेन के मैड्रिड स्थित भारतीय दूतावास ने भी इसमें सहयोग किया। दो फिल्में राजा हरिश्चन्द्र एवं सांग आफ बुद्ध को बैंकाक में 18 से 21 अक्तूबर तक आयोजित होने वाली सेंटिनरी फिल्म स्मारोह के लिए भेजा गया।

तीन फिल्में लाइट आफ एशिया, अमृत मंथन एवं महल को अक्तूबर 2012 में कनाडा में आयोजित टोरोंटो फिल्म स्मारोह के लिए भेजा गया।

पोस्टर प्रदर्शनी

इस अवधि में अनेक पोस्टर प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। जो निम्न प्रकार से हैं।

i|.k 2011 में दिवंगत कलाकारों व टेक्निशियनों की स्मृति में एनएफएआई ने ''सेल्युटिंग स्टलवर्ट आफ इंडियन सिनेमा'' शीर्षक से एक पोस्टर व फोटोग्राफ प्रदर्शनी का आयोजन किया। 12 से 19 जनवरी 2012 तक पुणे अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान किया गया। उद्घाटन प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सुभाष घई ने किया।

''हैरिटेज वीक आफ पुणे'' के तहत एनएफएआई ने जनवाणी–विरासत के साथ मिलकर जयकर बंगले के 1950 से पूर्व की फिल्मों को लेकर एक प्रदर्शनी आयोजित की। 21 अप्रैल 2012 को इसका आयोजन किया गया। 30 अप्रैल 2012 को पुणे के अबा बागुल गार्डेन सिनेमा सेंटिनरी सेलिब्रेशन के दौरान 100 प्रदर्शों का प्रदर्शन किया गया। दादा साहब फालके के 142 वें जयंती के अवसर पर 29 अप्रैल से 3 मई तक चले एक सप्ताह के कार्यक्रम के दौरान इसका प्रदर्शन किया किया। अभिनेत्री वहीदा रहमान, आशा पारेख तथा अभिनेता प्रेम चोपडा ने इसका उदघाटन किया। 7 से 11 नवंबर 2011 तक पुणे पुस्तक मेले में 30 फिल्म पोस्टरों की प्रदर्शनी लगायी गई।

e|cbZ 3 से 9 फरवरी 2012 तक एनसीपीए में आयोजित मुंबई अंतरराष्ट्रीय डाक्युमेंटरी व शार्ट फिल्म मेले में एनएफएई ने एक पोस्टर व फोटोग्राफ का प्रदर्शनी आयोजित की। इसका शीर्षक था ''इवोल्युशन आफ इंडियन डाक्युमेंडरिज।'' यह पहली बार था जब एनएफएआई ने ऐसी प्रदर्शनी का आयोजन किया जिसमें सिर्फ डाक्युमेंटरी के उद्‌भव को दर्शाया गया था। प्रदर्शनी में शामिल 65 चित्रों को इनहाउस तैयार किया गया था। भारतीय डाक्युमेंटरी के जन्म व विकास को इस प्रदर्शनी में दर्शाया गया। उद्‌घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल डा. के. शंकरनारायणन ने किया।

व्हिसल वूड इंटरनेशनल द्वारा अपने छात्र फिल्म उत्सव में शामिल करने के लिए 179 प्रदर्शन चित्रों को प्रदान किया गया। 1 से 3 जून तक चलने वाली इस प्रदर्शनी का शीर्षक था ''सेल्युटिंग डी.जी फाल्के आवार्डीज''।

भारतीय सिनेमा के शताब्दी वर्ष के को मनाने के लिए श्री कुलदीप सिन्हा (इंडियन फिल्म व वीडियो टेक्नोलाजी) व श्री विश्वजीत (सार्वजनीन दुर्गापूजा चौरिटेबल ट्रस्ट) के साथ भारतीय सिनेमा पर 60 फिल्म पोस्टरों की प्रदर्शनी मुंबई में 20 से 24 अक्तूबर 2012 तक आयोजित की गयी।

ub fnYyh एनएफएआई ने 25 फरवरी से 5 मार्च 2012 तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में भाग लिया। थीम पैविलियन में पोस्टरों को प्रदर्शित कर भारतीय सिनेमा पर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक अधिकार प्रदर्शनी के लिए कैटलाग का संकलन करने में सहायता की।

gfj;k.kk अप्रैल 2012 को मीडिया इंटरनेशनल फिल्म समारोह 2012 के लिए एनएफएआई ने 44 फिल्म पोस्टर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को दिए।

थियेटर सुविधाएं

एनएफएआई के पास तीन बहुउद्देश्यीय थियेटर हैं। 35 सीटों वाला प्रिव्यू थियेटर तथा 330 सीटों वाला मुख्य थियेटर मुख्य परिसर में है। 200 सीटों वाला आधुनिक थियेटर कोथरुड़ में है। एनएफएआई के अपने कार्यक्रमों और अकादमिक स्क्रीनिंग के अलावा अन्य संस्थानों के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है।

पुणे के मैक्समूलर भवन, एलायंस फ्रैंकेज एवं ब्रिटिश काउंसिल द्वारा भी अपने सदस्यों तथा एनएफएआई फिल्म सर्कल के सदस्यों के लाभ के लिए नियमित रुप से स्क्रीनिंग की गई। इस अवधि में मुख्य आडिटोरियम व प्रिव्यू थियेटर को 464 कार्यक्रमों के लिए किराये पर दिया गया।

संरक्षण, सुरक्षण व पुनर्स्थापन कार्य

भारत के चलचित्र विरासत की रक्षा के लिए निरन्तर प्रयास जरूरी है। एक नियंत्रित पर्यावरण में 14 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 प्रतिशत की आपेक्षिक आर्द्रता में स्टोर किया जाता है जोकि श्याम–श्वेत फिल्मों के संरक्षण के लिए आदर्श स्थिति है। रंगीन फिल्मों के लिए एनएफएआई के विशेषज्ञता प्राप्त 16 वॉल्ट भी है।

निर्माताओं व कॉपीराइट मालिकों के लिए सुविधाएं

मूल निगेटिव का मरम्मत करने के फिल्मों की आपूर्ति, इसका डुप्लिकेट प्रति तैयार करने व प्रसारण के उद्देश्य से वीडियोकापी करने आदि के लिए एनएफएआई निर्माताओं व कापीराइट मालिकों को सेवा प्रदान करता है। राष्ट्रीय व सैटलाइट नेटवर्क में प्रसारित किये जाने वाले अनेक सेलुलायड क्लासिकों को इसके संग्रह से संग्रह किया जाता है।

योजना व गैर योजना कार्यक्रम

योजना परिव्यय

योजना स्कीमों के लिए 2012–13 के लिए एनएफएआई का पांच करोड रुपये का बजट प्रावधान था। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक एनएफएआई ने 33 फिल्में हासिल की (22 नयी व 3 डुप्लिकेट)। इसके अलावा एलटीएल आधार पर 8 फिल्में, 147 डीवीडी, 416 किताब, 1134 स्क्रिप्ट. 34 फिल्म फोल्डर व पांपलेट, 1107 स्टिल, 80 गीत बूकलेट एवं 814 वाल पोस्टर स् हासिल की। परिशिष्ट–ग में 2012–13 के लिए योजना कार्यान्वयन दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

उत्तर पूर्व क्षेत्र व जम्मू कश्मीर के लिए बजट प्रावधान

एनएफएआई द्वारा की जा रही गतिविधियो की प्रकृति को ध्यान में रख कर उत्तर पूर्व क्षेत्र व जम्मू कश्मीर के लिए किसी भी प्रकार का बजट प्रावधान करना संभव नहीं है।

जनवरी से मार्च 2013 तक कार्यक्रमों की योजना

इस अवधि के दौरान रिपोर्ट में 25 महत्वपूर्ण घटक जोडे जाने है। योजना एवं गैर योजना मदों के बजट को आगे की सारिणी में दर्शाया गया है।

2012&13	ctV vkdyu 2012&13		
			¼djksM ₹ esa½
	;kstuk	xSj ;kstuk	dqy
प्रमुख शीर्षः 2220: सूचना एवं प्रचार राजस्व अनुभाग और पूंजी	5.00	4.68	9.68
dqy	5-00	4-68	9-68
			la'kksf/kr vkdyu 2012&13
प्रमुख शीर्षः 2220: सूचना एवं प्रचार राजस्व अनुभाग और पूंजी	5.00	4.31	9.31
dqy	5-00	4-31	9-31
2013&14	ctV vkdyu 2013&14		
प्रमुख शीर्षः 2220: सूचना एवं प्रचार राजस्व अनुभाग और पूंजी	5.00	4.62	9.62

प्रशासन

संगठनात्मक ढांचा

एनएफएआई का मुख्यालय पुणे में है और इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय बंगलूरू, कोलकाता और तिरुवनंतपुरम में हैं। ये क्षेत्रीय कार्यालय सम्बद्ध क्षेत्रों में फिल्म समितियों, शैक्षिक संस्थानों और सांस्कृतिक संगठनों के माध्यम से फिल्म संस्कृति के प्रसार में लगे हैं।

क्षेत्रीय कार्यालयों की कार्य प्रणाली की निगरानी निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी सहायता के लिए उपनिदेशक–एवं–क्यूरेटर होता है जो मुख्यालय में तकनीकी एवं प्रशासनिक स्कंध का प्रमुख है।

वर्तमान में उपनिदेशक–एवं–क्यूरेटर का पद खाली है। निदेशक, पत्र सूचना कार्यालय, पुणे, को निदेशक, एनएफएआई पुणे का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है।

तीन क्षेत्रीय कार्यालयों सहित, एनएफएआई के मौजूदा कर्मचारियों की संख्या 49 है (26 प्रशासनिक विंग में और 23 तकनीकी विंग में)।

जनजातीय उप योजना/अजा/अजजा के लिए विशेष प्रावधान

एनएफएआई की गतिविधियों के स्वरूप को देखते हुए ऐसे बजट प्रावधान करना व्यवहार्य/संभव नहीं समझा गया।

एफआईएएफ

एनएफएआई मई, 1969 से अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार परिसंघ का सदस्य है। एफआईएएफ का सदस्य होने के नाते एनएफएआई को संरक्षण तकनीकों एवं सामग्री, प्रलेखन, ग्रंथ सूची आदि के बारे में विशेषज्ञ सलाह और जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलती है। एनएफएआई अभिलेखागार विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत अन्य अभिलेखागारों के साथ दुर्लभ फिल्मों का आदान–प्रदान भी करता है।

अजा/अजजा/अपिव का कल्याण

नियमानुसार एवं यथासंशोधित नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बद्ध कर्मचारियों के कल्याण और उन्हें लाभ पहुंचाने का पूरा ध्यान रखा जाता है।

राजभाषा

22 सितंबर, 2012 को उद्घाटन कार्यक्रम के साथ हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। इस दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। 24 सितंबर, 2012 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कर्मचारियों को हिंदी में प्रभावकारी ढंग से काम करने का प्रशिक्षण दिया गया। 27 सितंबर, 2012 को पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया।

विभागीय लेखा

एनएफएआई 1976 में शुरु की गई विभागीय लेखांकन प्रणाली का अनुसरण कर रहा है। इस व्यवस्था के अंतर्गत एनएफएआई का वेतन एवं लेखा विभाग पीएओ, फिल्म प्रभाग, मुम्बई द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एनएफएआई के निदेशक को विभागाध्यक्ष के रूप में आहरण एवं वितरण अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। निदेशक द्वारा इन अधिकारों का प्रत्यायोजन प्रशासनिक अधिकारी को किया गया है।

लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियां

लंबित लेखा परीक्षा आपत्तियों का समाधान करने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं।

सूचना अधिकार अधिनियम – 2005

एनएफएआई ने सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 को कार्यान्वित किया है। 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2012 की अवधि में एनएफएआई को सूचना अधिकार संबंधी 24 आवेदन प्राप्त हुए और नियमानुसार आवेदकों को अपेक्षित सूचना प्रदान की गई। किसी आवेदक से कोई अपील आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

शिकायत प्रकोष्ठ

विभागाध्यक्ष होने के नाते निदेशक, एनएफएआई को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। सभी शिकायतों का निपटान सरकार के नियमों एवं मानदंडों के अनुसार किया गया।

नागरिक घोषणा पत्र

नागरिक घोषणा पत्र एनएफएआई की वेबसाइट पर दिया गया है। नागरिक वेबसाइट (ूएदपिचनदमण्हवअण्पद) देख सकते हैं और आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक घोषण

II पत्र से संबंधित सूचनाएं समय समय पर अद्यतन की जाती हैं।

कार्ययोजना पर अमल

एनएफएआई के ढांचागत उन्नयन का प्रस्ताव मंत्रालय की मंजूरी के लिए भेजा गया है। ढांचागत उन्नयन 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एनएफएआई के नए योजना कार्यक्रमों में से एक है।

आधुनिकीकरण, कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेंस/ई-कॉमर्स

एनएफएआई एक सांस्कृतिक और अनुसंधान संगठन है और भारतीय सिनेमा की विरासत कायम रखना और उसका संरक्षण करना इस संगठन का प्रमुख कार्य है। यह देश में फिल्म संस्कृति के संप्रेषण केंद्र के रूप में भी काम करता है।

आम नागरिक, सिनेमा के गंभीर विद्यार्थी और देश एवं विदेश के विभिन्न भागों से अनुसंधानकर्ता अभिलेखागार की वेबसाइट के जरिए इसके संग्रहालय और सेवाओं का लाभ बेहतर ढंग से उठाते हैं।

फिल्म बोध पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के लिए आवेदन प्रपत्र वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए। लोगों के प्रश्नों के अधिकतर जवाब ई–मेल (nfaipune@gmail.com) के माध्यम से दिए गए। एनएफएआई के पास इंटरनेट, फैक्स और स्कैनिंग सुविधा उपलब्ध है। संगठन ने अपना फेसबुक पेज भी शुरु किया है।

सतर्कता गतिविधियां

वर्ष के दौरान सतर्कता गतिविधियों संबंधी जानकारी इस प्रकर है :–

1. मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में उपलब्ध संगठन के सतर्कता ढांचे का ब्यौरा : इस कार्यालय में मुख्य सतर्कता अधिकारी का पद नहीं है और वास्तव में विभागाध्यक्ष के रूप में निदेशक को सतर्कता अधिकारी निर्दिष्ट किया गया है।

2. वर्ष के दौरान निवारक सतर्कता गतिविधियां :

   (क) वर्ष के दौरान किए गए नियमित निरीक्षण : दस

   (ख) वर्ष के दौरान किए गए आकस्मिक निरीक्षण : नौ

3. वर्ष के दौरान निगरानी और खुफिया गतिविधियां :

   (क) निगरानी रखने के लिए चुने गए क्षेत्रों का ब्यौरा : फिल्मों की सुरक्षा और नकल।

   (ख) निगरानी के अंतर्गत रखे जाने के लिए पहचान किए गए व्यक्तिः शून्य

4. दंडात्मक कार्रवाइयां (राष्ट्रपति से इतर नियोक्ता प्राधिकारी होने की स्थिति में संख्या 4 (प) से (ग) के सामने संख्या लिखें):

   (क) वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें/हवालाः शून्य

   (ख) प्राथमिक जांच कराये गए मामले : शून्य

   (ग) प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुए मामलेः शून्य

   (घ) बड़ी सजा के लिए आरोप पत्र जारी किये गये मामले–शून्य

   (च) छोटी सजा के लिए आरोप पत्र जारी किये गये मामले–शून्य

   (छ) बड़े दंड से दंडित व्यक्ति–शून्य

   (ज) छोटे दंड से दंडित व्यक्ति–शून्य

   (झ) निलंबन के अधीन रखे गए व्यक्ति : शून्य

   (ट) व्यक्ति जिनके खिलाफ चेतावनी आदि प्रशासनिक कार्रवाई की गई –शून्य

   (ठ) समय से पहले सेवानिवृत्त किए गए व्यक्ति : शून्य

अनुलग्नक 'क'

अभिलेखागार में शामिल किए गए महत्वपूर्ण नए टाइटल/प्रिंट

ही (जल में एक छवि)	राजा चिन्नाल / भोजपुरी
पा	आर बाल्की / हिंदी / 2009
रा–वन	अनुभव सिन्हा / हिंदी / 2011
थ्री ईडियट्स	राजकुमार हिरानी / हिंदी / 2009
स्टेन्ले का ढाबा	अमोल गुप्ता / हिंदी / 2011
देऊल	उमेश कुलकर्णी / मराठी / 2011
शाला	सुजय डबाके / मराठी / 2012
द डर्टी पिक्चर	मिलन लूथरा / हिंदी / 2011
चिल्लर पार्टी	नितीश तिवारी, वी बहल / हिंदी / 2011
जिंदगी न मिलेगी दोबारा	जोया अख्तर / हिंदी / 2011
आई एम अफिया मेघा अभिमन्यु उमर	ओनिर / हिंदी / 2011
नौका डूबी	ऋतुपर्ण घोष / बांग्ला / 2011
हेडा होडा (अंधा ऊंट)	विनोद गोनत्रा / हिंदी / 2003
अबोहोमान	ऋतुपर्ण घोष / बांग्ला / 2010
अन्ने घोड़े दा दान	गुरविंदर सिंह / पंजाबी / 2011
एलेक्जेंडर	कायर / तमिल / 1966
एन अन्ना	पी नीलकांतन / तमिल / 1970
एयरपोर्ट	जोशी / तमिल / 1993
माया बाजार	केवी रेड्डी / तमिल / 1957
कधाल मन्नन	सारंग / तमिल / 1998
वीरा	एस कृष्णन / तमिल / 1994
चीनी कम	आर बालकृष्णन / हिंदी / 2007
इंग्लिश विंग्लिश	जी शिंदे / हिंदी / 2012

अनुलग्नक 'ख'

अभिलेखागार की उपलब्धियां (31 दिसंबर, 2012 तक)

en	31-03-2012 dk	01-04-2012 l 31-12-2012	31-12-2012 dk
फिल्में	18,684	25	18,709
वीडियो कैसेट	2,798	–	2,798
डीवीडी	2,007	147	2,154
पुस्तकें	27,615	416	28,031
आलेख	36,651	1134	37,785
प्री–रिकार्डिड ऑडियो कैसेट्स	1,098	–	1,098
स्टिल्स (चित्र)	1,38,536	1107	1,39,643
वॉल पोस्टर	21,048	814	21,802
सांग बुकलेट्स (गानों की पुस्तिकाएं)	13,530	80	13,610
ऑडियो टेप्स (वाचिक परंपरा)	191	–	191
पत्र कतरन	2,05,619	–	2,05,619
पर्चे/फोल्डर	8,716	34	8,750
स्लाइड्स	8,576	–	8,576
डिस्क रिकार्ड्स	3,214	–	3,214
आडियो कम्पैक्ट डिस्क्स	155	–	155
अनुषंगी फिल्म सामग्री का डिजिटीकरण	3,70,220	–	3,70,220

अनुलग्नक 'ग'

योजना निष्पादन 2012–13

(करोड़ ₹ में)			
dk;Øe@Ldhe	, lchth 2012&13	la-v- 2012&13	31-12-2012 rd okLrfod O;;
u, dk;Øe			
1) अभिलेखीय फिल्मों और फिल्म सामग्री का अधिग्रहण	2.00	2.00	0.73
2) जयकर बंगले सहित एनएफएआई की अवसंरचना का उन्नयन और डिजिटल लायब्रेरी की स्थापना	3.00	3.00	0.00
dqy	5-00	5-00	0-73

अनुलग्नक 'घ'

एनएफएआई की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों के बारे में आंकड़े

Ø-l-	jhyksa dh la[;k	16 ,e,e	35 ,e,e
1	फिल्मों की विस्तृत जांच	–	944
2	फिल्मों की नियमित जांच	18	17,574
fQYe laLd`fr dk izlkj			
1	वितरण पुस्तकालय सदस्य	–	30
2	वितरण पुस्तकालय सदस्यों को आपूर्ति की गई फिल्मों की संख्या	–	50
3	विशेष अवसरों के लिए आपूर्ति की गई फिल्में	–	84
4	संयुक्त स्क्रीनिंग	–	06
5	फिल्म बोध पाठ्यक्रमों के लिए आपूर्ति की गई फिल्में	–	50
6	वीडियो नकल के लिए निर्माताओं/कापीराइट धारकों को आपूर्ति की गई फिल्में	–	28
7	अनुसंधान कार्यकर्ताओं को विस्तारित फिल्म देखने की सुविधाएं	–	08
8	शैक्षिक प्रदर्शन के लिए एफटीआईआई को आपूर्ति की गई फिल्में	–	107
9	एनएफएआई में दिखाई गई फिल्मों की संख्या	–	93
10	बुक लायब्रेरी सेवाओं का लाभ उठाने वाले पाठकों की संख्या	–	869
11	प्रलेखन प्रभाग की सेवाओं का लाभ उठाने वाले अनुसंधान कार्यकर्ताओं की संख्या	–	1915

फिल्म समारोह निदेशालय

(www.dff.nic.in)

भारतीय फिल्मों और फिल्म संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए फिल्म समारोह निदेशालय की स्थापना 1973 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत की गई थी। निदेशालय निम्न गतिविधियां सम्पन्न करता है :

(क) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

(ख) भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (आईएफएफआई) का वार्षिक आयोजन

(ग) विभिन्न देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रमों में भागीदारी और विदेश स्थित मिशनों के माध्यम से भारतीय फिल्मों का प्रदर्शन

(घ) भारतीय पैनोरमा के लिए फिल्मों का चयन

(च) विदेश में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भागीदारी।

(छ) विशेष फिल्म प्रदर्शनों का आयोजन जैसे –पुनरावलोकन, भारतीय पैनोरमा फिल्म स्क्रीनिंग और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों का प्रदर्शन।

(ज) गैर व्यावसायिक रूप में फिल्माए जाने के लिए भारतीय पैनोरमा फिल्मों के प्रिंटों का संग्रह, संरक्षण और प्रलेखन।

इन गतिविधियों से कलात्मक/तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने का अवसर उपलब्ध होता है और सिनेमा के जरिए क्षेत्रीय संस्कृतियों को समझने में मदद मिलती है। ये गतिविधियां देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देती हैं और भारत और अन्य देशों के बीच सिनेमा के क्षेत्र में विचारों, संस्कृति और अनुभवों के आदान–प्रदान का अवसर मिलता है। इनसे भारतीय फिल्म उद्योग के लिए एक सशक्त मंच और वाणिज्यिक अवसर मिलते हैं। विभिन्न समारोहों और सांस्कृतिक आदान–प्रदान से फिल्म उद्योग, विद्यार्थियों और आम जनता की वैश्विक सिनेमा में अद्यतन प्रवृत्तियों तक पहुंच कायम हो पाती है।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाले सबसे बड़े और प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं। इन पुरस्कारों का 59वां वर्ष है और ये सिनेमा की उत्कृष्टता को निरंतर

उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी, 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह के अवसर पर सुश्री श्रिया शर्मा को फिल्म 'चिल्लर पार्टी' के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार देते हुए। मंच पर तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी, तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री श्री चौधरी मोहन जातुवा, डॉ0 एस. जगतरक्षकण एवं सूचना एवं प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा।

तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्री चौधरी मोहन जातुवा, संसदीय कार्य राज्यमंत्री श्री राजीव शुक्ला और अभिनेत्री श्रीमती डिंपल कपाड़िया नई दिल्ली में आयोजित प्रख्यात फिल्म अभिनेता राजेश खन्ना की फिल्मों के पुर्नरावलोकन समारोह के उद्घाटन के अवसर पर

उजागर कर रहे हैं। ये पुरस्कार वर्षों से भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट प्रतिभा को सामने लाते हैं। करीब आधी सदी के अपने इतिहास में इन पुरस्कारों ने देश में असंख्य प्रतिभाओं को पल्लवित और पुष्पित किया है। 3 मई, 1913 को प्रथम भारतीय फीचर फिल्म, राजा हरिश्चन्द्र के जारी होने की स्मृति में यह फैसला किया गया था कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हर वर्ष 3 मई को दिए जाएं। 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 3 मई 2012 को प्रदान किए गए।

59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

सुप्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती रोहिणी हत्तंगड़ी की अध्यक्षता में दो स्तरीय फीचर फिल्म जूरी, श्री रमेश शर्मा की अध्यक्षता में नॉन फीचर फिल्म जूरी और श्रीमती विजय मूले की अध्यक्षता में सिनेमा पर सर्वोत्कृष्ट लेखन से संबंधित जूरी ने इन पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के लिए पुरस्कारों का फैसला किया। 13 भारतीय भाषाओं और बोलियों में 118 पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने नई दिल्ली में पुरस्कार वितरित किए।

फीचर फिल्म अनुभाग

फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म का प्रथम पुरस्कार दो फिल्मों को संयुक्त रूप से दिया गया। ये हैं – मराठी फिल्म दीऊल, जिसके निर्माता अभिजीत घोलाप और निर्देशक उमेश विनायक कुलकर्णी हैं, तथा ब्यारी (ब्यारी बोली) जिसके निर्माता टीएच अल्ताफ हुसैन और निर्देशक सुवीरन हैं।

सर्वोत्कृष्ट अभिनेता का पुरस्कार गिरीश कुलकर्णी को फिल्म दीऊल (मराठी) और सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री का पुरस्कार विद्या बालन को द डर्टी पिक्चर (हिंदी) के लिए प्रदान किया गया। अड़ागार्सामियिन कुतिराई (तमिल) को मनोरंजन फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया। हिंदी फिल्म चिल्लर पार्टी ने सर्वोत्कृष्ट बाल फिल्म का पुरस्कार जीता। फिल्म निर्देशक का पुरस्कार गुरविंदर सिंह को पंजाबी फिल्म अन्ने घोड़े दा दान के लिए दिया गया। पुरुष वर्ग में सर्वोत्कृष्ट पार्श्व गायक का पुरस्कार मराठी फिल्म बाल गंधर्व के लिए श्री आनंद भाटे और महिला वर्ग में सर्वोत्कृष्ट पार्श्व गायिका पुरस्कार बांग्ला फिल्म अबोशेशे के लिए सुश्री रूपा गांगुली को प्रदान किया गया। फिल्म निर्देशन के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार श्री कुमार राजा त्यागराजन ने जीता।

गैर फीचर फिल्म अनुभाग

प्रमोद पुरुषवाणे द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्म एंड वी प्ले ऑन (हिंदी और अंग्रेजी) को सर्वोत्कृष्ट नॉन फिचर फिल्म चुना गया। किसी निर्देशक की पहली सर्वोत्कृष्ट नॉन फीचर फिल्म का पुरस्कार बोरन थोपचोंग को फिल्म द साइलेंट पोइट के लिए दिया गया।

सिनेमा पर सर्वोत्कृष्ट लेखन

सिनेमा पर उत्कृष्ट लेखन श्रेणी में सर्वोत्कृष्ट पुस्तक का पुरस्कार अनिरुद्ध भट्टाचार्जी और बालाजी विट्टल द्वारा लिखी पुस्तक 'आरडी बर्मन–द मैन, द म्युजिक' को दिया गया। सर्वोत्कृष्ट फिल्म समीक्षक का पुरस्कार असम के मनोज बोरपुजारी को दिया गया।

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2011

वर्ष 2011 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बांग्ला के सुप्रसिद्ध अभिनेता सौमित्र चटर्जी को भारतीय सिनेमा में सराहनीय योगदान के लिए दिया गया। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्मों का प्रदर्शन (राष्ट्रीय फिल्म समारोह) 1 जून से 10 जून, 2012 तक नई दिल्ली में किया गया।

देश–विदेश में शताब्दी फिल्म समारोह

भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष का जश्न मनाने के लिए फिल्म समारोह निदेशालय ने राज्य सरकारों और भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) के सहयोग से विभिन्न शहरों में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से सम्मानित, भारतीय पैनोरमा वर्ग के लिए चुनी गई अथवा पिछले वर्षों में महत्वपूर्ण ख्याति अर्जित करने वाली ऐतिहासिक फिल्में दिखाई गईं। इन फिल्मों का प्रदर्शन जानीमानी फिल्मी हस्तियों की मौजूदगी में किया गया, जिन्हें निदेशालय द्व ारा आमंत्रित किया गया था। फिल्म प्रदर्शन स्थलों पर एनएफएआई ने भारतीय सिनेमा के सफर पर पोस्टर और फोटो प्रदर्शनियों का आयोजन किया। भारतीय मिशनों और फिल्म संगठनों के माध्यम से विदेशों में भी इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। दादा साहेब फाल्के निर्मित प्रथम भारतीय फीचर फिल्म "राजा हरिश्चन्द्र" का 15 मिनट का प्रत्यावर्तित संस्करण इन समारोहों के उद्घाटन के अवसर पर प्रदर्शित किया गया। अगस्त से दिसंबर 2012 तक निदेशालय द्वारा निम्नांकित समारोह आयोजित किए गए।

i|nnpj|h % (24 से 26 अगस्त 2012), इस समारोह में 9 फिल्में प्रदर्शित की गईं और एनएफएआई द्वारा डीएवीपी की सहायता से भारतीय सिनेमा की शताब्दी के अवसर पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।

jkph] >kj[kaM % (11 से 16 सितंबर, 2012), दो प्रेक्षागृहों में 21 फिल्में दिखाई गई।

<kdk] ckaXykns'k % (1 से 8 सितंबर, 2012), बांग्लादेश में पहली बार भारतीय फिल्म समारोह का उद्घाटन हुआ, जिसमें बंगाली अभिनेता सौमित्र चटर्जी की पुरानी फिल्मों सहित 15 फिल्में दिखाई गईं।

cadkd] FkkbZyaM % (18 से 21 अक्तूबर, 2012), डीएफएफ द्वारा 10 फिल्में प्रदान की गई। समारोह से पहले एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें नोंजी निमिबुतृ, चोयानोफ बूनप्राकोट, प्राच्य पिनकाएव जैसे थाईलैंड के जाने माने निर्देशकों ने हिस्सा लिया। समारोह के उद्घाटन अवसर पर थाईलैंड में भारत के राजदूत मुख्य अतिथि थे।

okjlk] iksyaM % (5 से 10 नवंबर, 2012), समारोह का आयोजन पोलैंड के फिल्म इंस्टीट्यूट के सहयोग से किया गया। भारतीय सिनेमा की विभिन्न दशकों और भाषाओं की 12 फिल्में प्रदर्शित की गईं।

MCY;Vhvk@MCY;vkbZihvk eq[;ky; % जिनेवा (3 से 7 दिसंबर, 2012), समारोह का आयोजन विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा किया गया। सूचना और प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा, और उद्घाटन फिल्म 'बर्फी' के निर्देशक श्री अनुराग बासु तथा डीएफएफ के निदेशक श्री राजीव कुमार जैन समारोह में शामिल हुए। यह पहला फिल्म समारोह था जिसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी द्वारा अपने परिसर में किया गया।

"भारतीय सिनेमा की शताब्दी" वर्ग के अंतर्गत ऐतिहासिक फिल्मों का पैकेज प्रदान करते हुए डीएफएफ की सहायता से निम्नांकित समारोह आयोजित किए गए :

लद्दाख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, लद्दाख; दिल्ली (पी एचडी चैम्बर ऑफ कामर्स); दिल्ली (भारतीय व्यापार संवर्द्धन संगठन); अर्खांगेल्स्क, रूस में मुक्त भारतीय समारोह; जागरण फिल्म समारोह, दिल्ली; सेवन आईलैंड फिल्म फैस्टिवल, चेन्नई; पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार; दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कला

भारतीय सिनेमा की शताब्दी, बांग्लादेशी सिनेमा और सौमित्र चटर्जी की फिल्मों के पुनरावलोकन का संयुक्त आयोजन

सूचना प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा और डब्ल्यूआईपीओ के महानिदेशक श्री फ्रांसिस गरी

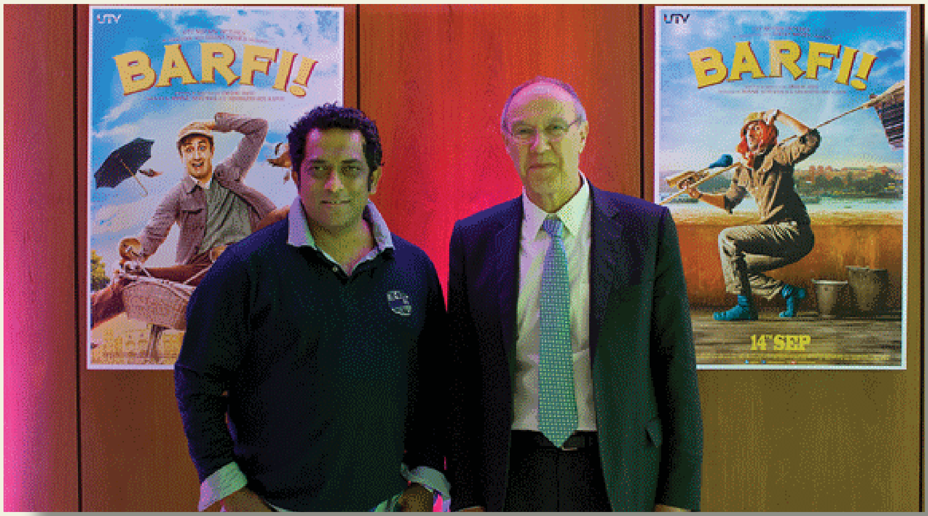

भारतीय सिनेमा की शताब्दी के अवसर पर जिनेवा में दिसम्बर 2012 में आयोजित भारतीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के अवसर पर डब्ल्यूआईपीओ के महानिदेशक श्री फ्रांसिस गरी (दाएं) भारतीय फिल्म निर्माता श्री अनुराग बसु के साथ

फिल्म समारोह; कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह; क्षेत्रीय फिल्म समारोह, दिल्ली; कोल्हापुर शताब्दी और भारतीय पैनोरमा फिल्म समारोह; बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह; नौंवा इते इंडियन स्मारोह फ्रांस; फिजी फिल्म फेस्टिवल; फिजी नेशनल यूनिवर्सिटी; कोंडू फिल्म फेस्टिवल, ताइवान और बाली, इंडोनेशिया में फिल्म समारोह।

देश–विदेश में फिल्म समारोहों में भागीदारी

शताब्दी फिल्म समारोहों के सिलसिले में 20 आयोजनों के अलावा डीएफएफ ने जनवरी से दिसंबर, 2012 की अवधि में योजना कार्यक्रम के अंतर्गत देश–विदेश में निम्न 34 समारोहों का आयोजन किया/में हिस्सा लिया–

'10वां पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह' (पीआईएफएफएफ); सातवां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, त्रिशूर (आईएफएफटी); पैनोरमा आफ कंटम्परेरी इंडियन सिनेमा अरोविले (तमिलनाडु निकट पुदुचेरी); रूपकला केंद्र कोलकाता – इंटरनेशनल सोशल कम्युनिकेशन सिनेमा कांफ्रेंस; आठवां राष्ट्रीय फिल्म समारोह, केरल; एसआरएफटीआईआई– कोलकाता; भारत और रूस के कूटनीतिक संबंधों की 65वीं वर्षगांठ के अवसर पर रूसी फिल्म समारोह; नई दिल्ली के शाकुंतलम में व्यापार प्रोत्साहन संगठन द्वारा आयोजित ''डॉ। भूपेन्द्र हजारिका'' की पुरानी फिल्मों का समारोह; मैड्रिड, स्पेन में इमेजिन इंडिया इंटरनेशनल फिल्म स्मारोह का 11वां संस्करण; कोलम्बो में सार्क फिल्म समारोह; न्यूयार्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल–यूएसए; वाशिंगटन डीसी–यूएसए में दक्षिण एशियाई फिल्म समारोह; सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए श्याम बेनेगल को सम्मानित करने के वास्ते एनएफटीआई, ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट और भारतीय उच्चायोग द्वारा आयोजित समारोह; आस्ट्रेलिया–मेलबर्न में भारतीय फिल्म समारोह; ''सिनेमा आउट ऑफ द बॉक्स'' – एंटरटेंनमेंट सोसायटी आफ गोआ; इंडिया हेबिटेट सेंटर, दिल्ली में छठा हेबिटेट फिल्म समारोह; जर्मनी में म्यूनिख और हैमबर्ग में इंडियन फिल्म फेस्टिवल–डेज ऑफ इंडिया इन जर्मनी; 12वां ओशन्स सिनेफैन फिल्म फेस्टिवल, दिल्ली; बेल्ग्रेड सहित सर्बिया में भारतीय फिल्म समारोह; एसआरएफटीआईआई, कोलकाता; स्प्रिट ऑफ फ्रीडम फिल्म फेस्टिवल, गोवा; ''राजेश खन्ना'' अनुदर्शी फिल्म समारोह; पुदुचेरी आईपी फेस्टिवल; टोरंटो इंटरनेशल फिल्म

भारतीय सिनेमा की शताब्दी के सिलसिले में रांची में आयोजित फिल्म समारोह में दीप प्रज्वलित करते झारखंड के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन मुंडा

फेस्टिवल्स बेल लाइट बॉक्स; 13वां प्योंगयांग अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह; ब्रसेल्स, बेल्जियम में टैगोर फिल्म समारोह; नौंवा इते इंडियन स्मारोह फ्रांस; नीदरलैंड में दूसरा भारतीय फिल्म समारोह 'द हेग'; फिजी का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (सुआ, अटो और लाबरा); स्पेन में वल्लाडोलिड का 57वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सप्ताह, सेर्मोनिक; ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, नोएडा और स्मारोह देस 3 कंटिनेंट्स, नान्टेज, फ्रांस।

पुरस्कार/सम्मान

सार्क फिल्म समारोह, 2012, कोलम्बो

वर्ष 2011 की सर्वोत्कृष्ट फीचर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार और 2012 में भारतीय पैनोरमा के भाषायी खंड के अंतर्गत सर्वोत्कृष्ट फिल्म के रूप में सम्मानित 'ब्यारी' को सार्क फिल्म समारोह (कोलम्बो, 16 से 20 मई, 2012) में फीचर फिल्म श्रेणी के अंतर्गत कांस्य पदक प्राप्त हुआ। फिल्म का निर्देशन सुवीर्ण ने किया।

फिजी फिल्म समारोह में प्रतियोगिता खंड के अंतर्गत दो फिल्मों – 'थ्री इडियट्स' और 'कुर्मावतार' ने क्रमशः सर्वोत्कृष्ट निर्देशक और ज्यूरी का विशेष पुरस्कार जीता।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आवेदनों पर विचार करने और उनके संदर्भ में सूचना देने के लिए निदेशालय में उप निदेशक (प्रशासन) के प्रभार के अंतर्गत एकांश का गठन किया गया। सभी उप निदेशकों को अपने अपने क्षेत्र से सम्बद्ध सीपीआईओ नियुक्त किया गया है।

राजभाषा

निदेशक, डीएफएफ की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है। सभी स्कंधों के प्रमुख इस समिति के सदस्य हैं। निदेशालय ने 43वें आईएफएफआई 2012 के अवसर पर द्विभाषी दैनिक समाचार बुलेटिन भी प्रकाशित किया। इसके अलावा 43वें आईएफएफआई 2012 से संबंधित सभी प्रकाशन, जैसे होर्डिंग, बैनर और अन्य प्रचार सामग्री द्विभाषी रूप में प्रकाशित की गई।

हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। तिमाही आधार पर हिंदी कार्यान्यन समिति की बैठकें भी आयोजित की गईं। प्रत्येक महीने की पहली तारीख को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। सितंबर, 2012 में हिंदी पखवाड़े के अंतर्गत हिंदी में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

वेबसाइट का उन्नयन

वेबसाइट www.dff.nic.in का उन्नयन किया जा रहा है और इसे अद्यतन रखा जाता है। वेबसाइट पर सभी महत्वपूर्ण जानकारी और दिशा निर्देश उपलब्ध कराए जाते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों, भारतीय पैनोरमा, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में नियमों और विनियमों से संबंधित जानकारी और फिल्म समारोहों को सहायता अनुदान दिए जाने संबंधी दिशा निर्देश वेबसाइट पर दिए गए हैं। सभी टेंडर दस्तावेज नियमित रूप से वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। सिरी फोर्ट आडिटोरियम की बुकिंग अब ऑनलाइन कर दी गई है।

भारत का 43वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह–2012

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और गोआ सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित भारत का 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 30 नवंबर, 2012 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ। 10 दिन तक चलने वाले इस समारोह के अवसर पर फिल्म प्रदर्शन, विचार विमर्श, भाषण और अन्य गतिविधियां आयोजित की गईं। भारतीय सिनेमा की शताब्दी को देखते हुए इस बार का आयोजन विशेष रहा। समारोह में देशभर से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। समारोह ने फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों को एक साझा मंच पर परस्पर वार्तालाप का अवसर प्रदान किया। आईएफएफआई ने कई वार्तालाप मंचों का भी आयोजन किया जैसे मास्टर क्लासिज़, परिचर्चाएं, कार्यशालाएं आदि। इनसे फिल्म विद्यार्थियों और फिल्म निर्माताओं प्रोत्साहित किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय जूरी

जाने माने फिल्म निर्देशक गौतम घोष की अध्यक्षता में एक अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड के

लिए संक्षिप्त सूची में शामिल की गई 15 फिल्मों में से पुरस्कार के लिए फिल्मों का चयन किया। जूरी के अन्य सदस्यों में डॉक्टर मलानी फोन्सेका (श्रीलंका), श्री डेरिक मैल्कम (पोलैंड) और सुश्री अन्ना मारिया मैरिन्का (रोमानिया) शामिल थीं।

भारतीय सिनेमा का शताब्दी समारोह

भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के इस संस्करण में भारतीय सिनेमा की 100वीं वर्षगांठ मनाने के संदर्भ में एक विशेष पुरस्कार शुरु किया गया। यह पुरस्कार ऐसी फिल्म को सम्मानित करने के लिए शुरु किया गया है जो कलात्मक, सौंदर्यपरक और तकनीकी दृष्टि से उत्कृष्ट हो। पुरस्कार समिति के सदस्यों में बुद्धदेब दासगुप्ता (अध्यक्ष–भारतीय पैनोरमा जूरी), गौतम घोष (अध्यक्ष–अंतर्राष्ट्रीय जूरी), और किश्वर देसाई (जानी मानी लेखिका और पत्रकार) शामिल थीं जिन्होंने भारतीय पैनोरमा, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता और विश्व सिनेमा खंडों में से नामित 9 फिल्मों में से पुरस्कार के लिए फिल्म का चयन किया।

पिछले 100 वर्षों में भारतीय सिनेमा की यात्रा को प्रदर्शित करने के प्रयास के रूप में 43वें आईएफएफआई के लिए कई खंडों का निर्माण किया गया। इन खंडों में भारतीय सिनेमा शताब्दी, भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की 50वीं वर्षगांठ, वृत्त चित्रों और प्रमुख फिल्म निर्माताओं की प्रारंभिक रचनाओं के बारे में फिल्म प्रभाग के पैकेज शामिल थे। इस खंड की शुरुआत प्रथम भारतीय फिल्म ''राजा हरिश्चन्द्र'', जिसका निर्माण दादा साहेब फाल्के ने किया था, और उदय शंकर की ''कल्पना'' के प्रदर्शन के साथ हुई। दादा साहेब फाल्के की पड़पोती सुश्री सरयु फाल्के सुमनवार की कृति पर आधारित, दादा साहेब फाल्के के बारे में एक नाट्य प्रस्तुति भी की गई।

भारतीय खंड

भारतीय खंड के अंतर्गत भारतीय पैनोरमा–2012 भी शामिल था, जिसमें 39 फिल्में (20 फीचर फिल्मं और 19 गैर फीचर फिल्में) दिखाई गईं, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं से सम्बद्ध थीं। इन फिल्मों का चयन श्री बुद्धदेब दासगुप्ता की अध्यक्षता वाली दस सदस्यीय फीचर फिल्म जूरी और श्री एम आर राजन की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय नॉन फीचर फिल्म जूरी द्वारा किया गया था। भारतीय पैनोरमा के अलावा भारतीय खंड में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित सौमित्र चटर्जी, गिरिश कासरवल्ली, मुजफ्फर अली की पुरानी फिल्में भी दिखाई गईं। इस पैकेज का उद्देश्य अडूर गोपालकृष्णन, श्याम बेनेगल और के। बालाचन्द्र जैसे प्रमुख फिल्म निर्माताओं की प्रारंभिक फिल्मों पर ध्यान केंद्रित करना था। इस खंड में भारत के प्रमुख फिल्म स्कूलों के विद्यार्थियों की पुरानी फिल्में भी दिखाई गईं। अतुल्य भारत खंड के अंतर्गत भारत में शूट की गई विदेशी फिल्में भी दिखाई गईं।

विदेशी खंड

आईएफएफआई के विदेशी खंड में 67 देशों से 162 फिल्में प्रदर्शित की गईं। इस खंड में अनेक फिल्म निर्माताओं को अपनी रचनाएं प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। टर्की फिल्म खंड, ऐनिमेशन खंड, सोल ऑफ एशिया खंड के अंतर्गत विश्व सिनेमा के विभिन्न आयामों को उजागर किया गया। पुनरावलोकन और स्पेशल फोकस खंडों के अंतर्गत डेनमार्क, दक्षिण कोरिया और अमरीका से प्रभावशाली फिल्मों को प्रदर्शित किया गया।

मास्टर क्लासेज़

विदेशी सिनेमा और भारतीय पैनोरमा दोनों ही खंडों में अनेक मास्टर कक्षाओं का आयोजन किया गया। जाने माने फिल्म निर्देशकों श्याम बेनेगल और अडूर गोपालकृष्णन, अकादमी पुरस्कार विजेता सूसन बियर और रसूल पोक्कुटी ने मास्टर कक्षाओं का आयोजन किया। इन कक्षाओं में सिनेमा विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया और उन्हें सिद्धहस्त गुरुओं से शिक्षा लेने का अवसर प्राप्त हुआ।

उद्घाटन समारोह

भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष मनाए जाने को ध्यान में रखते हुए उद्घाटन समारोह में फिल्म निर्माण की समृद्ध परंपरा के प्रति सम्मान प्रकट किया गया। उद्घाटन समारोह में जाने माने अभिनेता अक्षय कुमार मुख्य अतिथि थे। गोआ के राज्यपाल, सूचना और प्रसारण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी, गोआ के मुख्यमंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव इस अवसर पर मौजूद थे। पोलैंड के फिल्म निर्माता क्रिजिस्तोफ जानूशी को सिनेमा के क्षेत्र में योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

उद्घाटन समारोह के बाद जाने माने फिल्म निर्माता अंग ली द्वारा निर्देशित

'लाइफ आफ पाई' का एशिया में प्रीमियर हुआ। भारतीय दर्शकों के लिए फिल्म का उद्घाटन किए जाने के अवसर पर इसके निर्माता और कलाकार उपस्थित थे, जिनमें तब्बू और इरफान खान शामिल हैं।

समापन समारोह

आईएफएफआई का समापन समारोह भी भव्य रहा, जो 10 दिन तक चले फिल्मोत्सव के अनुकूल था। समापन समारोह के अवसर पर तेलुगु फिल्म अभिनेता नंदन मूरी बालकृष्ण मुख्य अतिथि थे। गोआ के राज्यपाल और मुख्यमंत्री तथा आस्ट्रेलिया के जानेमाने फिल्म निर्माता पॉल कोक्स विशेष अतिथि थे। समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता खंड तथा नये शुरु किये गये शताब्दी पुरस्कारों की घोषणा की। समापन समारोह के बाद समापन फिल्म 'द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट' के साथ हुआ जिसमें फिल्म की निर्देशक मीरा नायर और इसके निर्माता एवं कलाकार भी मौजूद थे।

43वें फिल्म समारोह के पुरस्कार विजेता

i¡jLdkj dk uke	i¡jLdkj fotrk
जूरी का विशेष पुरस्कार	लुसी मुल्लोय (फिल्म 'उना नोचे ', क्यूबा)
सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री	अंजिली पाटिल ('विद यू विद आउट यू', श्रीलंका)
सर्वोत्कृष्ट अभिनेता	मार्सिन दोरोसिन्स्की (''रोज', पोलैंड)
सर्वोत्कृष्ट निर्देशक	क्यू–हुवान जिओन ('द वेट', द.कोरिया)
सर्वोत्कृष्ट फिल्म	अन्ने घोरे द दान, निर्माता : एनएफडीसी, निर्देशकः गुरविंदर सिंह
शताब्दी पुरस्कार	'द रिलॅक्टेंट फंडामेंटलिस्ट' (मीरा नायर की फिल्म)

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड

(www.cbfcindia.gov.in)

फिल्म निर्माण और प्रदर्शन का संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान है। इसे कलाओं का सर्वाधिक प्रशंसित और लोकतांत्रिक रूप माना गया है। देश में फीचर फिल्मों का निर्माण अधिकतर निजी क्षेत्र में किया जा रहा है। हमारा संविधान भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी प्रदान करता है, किंतु इसके साथ युक्तिसंगत सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं। ये सीमाएं ''भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता, देश की सुरक्षा, पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टता और नैतिकता के हित में हैं और अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध को बढ़ावा देने से रोकने के लिए निर्धारित की गई हैं''। संविधान के इन प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में निर्देशक सिद्धांत तय किए गए हैं जिन्हें ध्यान में रख कर बोर्ड भारत में आम जनता के लिए फिल्मों को प्रमाणित कर सके। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 5 ख (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों की उपयुक्तता निर्धारित की जा सके।

फिल्म सेंसर बोर्ड जिसे 1 जून 1983 से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का नया नाम दिया गया, की स्थापना सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 की धारा 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा की गई है। बोर्ड का उद्देश्य सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्मों को मंजूरी देना है। वर्तमान बोर्ड के अंतर्गत एक अध्यक्ष ओर 21 गैर आधिकारिक सदस्य हैं। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान बोर्ड का गठन 25 मई, 2011 को किया गया था। बोर्ड का मुख्यालय मुम्बई में है और इसके 9 क्षेत्रीय कार्यालय मुम्बई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलौर, हैदराबाद, तिरूवनंतपुरम, दिल्ली, कटक और गुवाहाटी में हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों की अध्यक्षता क्षेत्रीय अधिकारियों/अपर क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा की जाती है। उनकी सहायता के लिए फिल्मों के परीक्षण संबंधी सलाहकार समितियां होती हैं। बोर्ड और सलाहकार समितियों के सदस्यों में समाज के सभी वर्गों और जीवन के सभी क्षेत्रों जैसे शिक्षाविद्, सामाजिक कार्यकर्ता, गृहणियां, फिल्मी हस्तियां, डॉक्टर, पत्रकार आदि शामिल किए गए हैं।

बिना किसी प्रतिबंध के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझी गई फिल्मों को ''यू'' प्रमाणपत्र दिया जाता है। बिना किसी प्रतिबंध के सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उपयुक्त समझी गई लेकिन 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए माता पिता के निर्देशन की आवश्यकता वाली फिल्मों को ''यू

ए'' प्रमाणपत्र दिया जाता है। केवल वयस्क व्यक्तियों के लिए उपयुक्त फिल्मों को ''ए'' प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। आम लोगों के लिए अनुपयुक्त समझी गई लेकिन विशिष्ट दर्शकों जैसे डॉक्टरों आदि के लिए उपयुक्त समझी गई फिल्मों को ''एस'' प्रमाणपत्र दिया जाता है। सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अनुपयुक्त समझी गई फिल्मों को प्रमाण पत्र प्रदान नहीं किया जाता।

प्रमाणन संबंधी कार्य

अप्रैल से दिसंबर 2012 की अवधि में बोर्ड ने 11461 प्रमाणपत्र जारी किए; 1063 प्रमाणपत्र सेल्यूलायड फिल्मों, 6172 प्रमाणपत्र वीडियो फिल्मों और 4221 प्रमाणपत्र डिजीटल फिल्मों से सम्बद्ध थे। इस अवधि के दौरान 635 भारतीय फीचर फिल्मों, 60 विदेशी फीचर फिल्मों, एक भारतीय गैर फीचर फिल्म, 327 भारतीय अल्पावधि फिल्मों और 35 विदेशी अल्पावधि फिल्मों को सेल्यूलायड के अंतर्गत प्रमाणित किया गया। वर्ष के दौरान प्रमाणपत्रवार और श्रेणीवार अभिप्रमाणित फिल्मों का ब्यौरा अनुलग्नक '1' में दिया गया है। प्रमाणित सेल्यूलाइड फीचर फिल्मों का क्षेत्रवार/भाषावार ब्यौरा और विषयपरक वर्गीकरण (भारतीय और विदेशी) अनुलग्नक 2, 3, 4 और 5 में दिया गया है।

वर्ष के दौरान दूरदर्शन और उपग्रह चैनलों पर दिखाए जाने के प्रयोजन के लिए 'ए' से 'यू ए' अथवा 'यू' श्रेणी प्रमाणपत्रों में परिवर्तन संबंधी आवेदन बोर्ड को प्राप्त होते रहे। वीडियो फार्मेट में पुनः संपादित संस्करण के परीक्षण के बाद बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र की श्रेणी में परिवर्तन की उपयुक्तता का निर्णय किया जाता है। बोर्ड ने वर्ष के दौरान वीडियो फार्मेट में दूरदर्शन पर दिखाए जाने के लिए फिल्मी गीतों और ट्रेलरों के प्रमाणन का काम जारी रखा।

सेल्यूलायड

भारत विश्व में प्रमुख फिल्म निर्माता देशों में बना हुआ है। 1999 से भारतीय फीचर फिल्मों के आंकड़ों में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। 1999 में 764 फिल्में प्रमाणित की गई थीं उसके बाद 2000 में 855, 2001 में 1013, 2002 में 943, 2008 में 1325 और 2009 में 1288 फिल्में प्रमाणित की गईं। अप्रैल से दिसंबर 2012 की अवधि में 635 फिल्मों को प्रमाणपत्र दिए गए। अप्रैल से दिसंबर 2012 की अवधि में प्रमाणित 635 में से 227 फिल्मों को 'यू' प्रमाणपत्र, 270 फिल्मों को 'यू ए' प्रमाणपत्र और 107 फिल्मों को 'ए' प्रमाणपत्र दिए गए। इसी प्रकार साठ विदेशी फीचर फिल्में वर्ष के दौरान प्रमाणित की गई जिनमें से 21 को 'यू ए' प्रमाण पत्र 35 को 'ए' प्रमाण पत्र और 4 को 'यू' प्रमाण पत्र दिए गए। बोर्ड ने अप्रैल से दिसंबर 2012 की अवधि में 327 भारतीय लघु फिल्मों को प्रमाणित किया जिनमें से 274 को 'यू' प्रमाणपत्र, 43 को 'यू ए' प्रमाणपत्र और 10 को ए प्रमाणपत्र दिए गए। वर्ष के दौरान 45 विदेशी लघु फिल्में प्रमाणित की गईं जिनमें से 10 को 'यू' प्रमाणपत्र, 30 को 'यू ए' प्रमाणपत्र और 5 को 'ए' प्रमाणपत्र दिए गए।

वीडियो

अप्रैल से दिसंबर 2012 की अवधि में वीडियो फिल्मों को 6172 प्रमाणपत्र प्रदान किए गए। इनमें 510 भारतीय फीचर फिल्में, 796 विदेशी फीचर फिल्में, 4211 भारतीय लघु फिल्में, 461 विदेशी लघु फिल्में और 106 भारतीय दीर्घ फिल्में (फीचर से इतर) और 38 विदेशी दीर्घ फिल्में (फीचर से अलग) शामिल थीं।

डिजिटल

अप्रैल से दिसंबर 2012 की अवधि में 4221 डिजीटल फिल्मों को प्रमाणपत्र जारी किए गए। इनमें 654 भारतीय फीचर फिल्में, 3148 भारतीय लघु फिल्में, 176 विदेशी फीचर फिल्में और 238 विदेशी लघु फिल्में शामिल थीं।

प्रमाणपत्र न दिया जाना

वर्ष के दौरान अनेक कुछ (भारतीय और विदेशी दोनों प्रकार की) फिल्मों को प्रमाणपत्र जारी करने से इन्कार किया गया क्योंकि वे सिनेमेटोग्राफी अधिनियम 1952 की धारा 5 ख (2) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी वैधानिक दिशा निर्देशों में से एक या अधिक का उल्लंघन कर रही थीं। इनमें से कुछ फिल्मों को बाद में संशोधित संस्करण प्रस्तुत करने पर प्रमाणित किया गया।

बोर्ड की बैठकें

केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सदस्यों की 129वीं बैठक मुम्बई में 12 मई, 2012 को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री लीला सैमसन ने की।

बोर्ड की 130वीं बैठक 17 जून, 2012 को कोच्चि में आयोजित की गई।

बैठक की अध्यक्षता बोर्ड की अध्यक्ष सुश्री लीला सैमसन ने की। बोर्ड की 131वीं बैठक (असाधारण) 24 जुलाई, 2012 को दिल्ली में आयोजित की गई। इसमें उपग्रह प्रसारण के प्रयोजन के लिए 'ए' श्रेणी की फिल्मों को 'यू ए' श्रेणी में तब्दील करने के मुद्दे पर विचार किया गया। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री पंकजा ठाकुर ने की जिन्हें अधिसंख्य सदस्यों ने अध्यक्षता के लिए मनोनीत किया क्योंकि अध्यक्ष सुश्री लीला सेम्सन दौरे पर थीं।

132वीं बैठक (असाधारण) 10 सितंबर 2012 को सूचना और प्रसारण मंत्री के साथ हुई, जिसमें उपग्रह प्रसारण के प्रयोजन के लिए 'ए' श्रेणी की फिल्मों को 'यू ए' श्रेणी में तब्दील करने के मुद्दे पर विचार किया गया।

सलाहकार समितियों के लिए कार्यशाला

सलाहकार समितियों के सदस्यों और फिल्म प्रमाणन संबंधी परीक्षण अधिकारियों के लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में फिल्मों के परीक्षण संबंधी विभिन्न मुद्दों पर विचार किया गया। आचार संहिता और अनुशासन बरते जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया।

प्रमुख गतिविधियां

(क) संयुक्त सचिव (फिल्म) ने 17 अप्रैल, 2012 को प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण और अन्य प्रशासनिक मामलों पर विचार करने के लिए बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक बुलाई।

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव ने 30 अप्रैल, 2012 को प्रमाणन प्रक्रिया के मानकीकरण, कम्प्यूटरीकरण और सिनेमेटोग्राफी नियम, 1983 में संशोधन के बारे में विचार करने के लिए बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और क्षेत्रीय अधिकारियों की बैठक बुलाई।

(ग) केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के साथ मुम्बई फिल्म उद्योग के सम्बद्ध पक्षों की बैठक 12 मई, 2012 को आयोजित की गई जिसमें टेलीविजन पर दिखाई जाने वाली 'यू ए' श्रेणी की फिल्मों पर विचार किया गया।

(घ) "केरल कोनेक्शन्स" शीर्षक से एक वार्तालाप सत्र का आयोजन कोच्चि में 16 जून, 2012 को आयोजित किया गया, जिसमें केरल से फिल्म जगत के सम्बद्ध पक्षों और बोर्ड के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस सत्र में केरल सरकार के सिनेमा मंत्री श्री बी गणेश कुमार ने भी हिस्सा लिया।

(ङ) बोर्ड के साथ फिल्म उद्योग के सम्बद्ध पक्षों की बैठक 19 सितंबर, 2012 को आयोजित की गई जिसमें टेलीविजन के लिए 'ए' श्रेणी फिल्मों के प्रमाणन पर विचार किया गया।

शिकायतें

जनता से फिल्म प्रमाणन संबंधी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें मुख्य रूप से सेक्स और हिंसा के प्रदर्शन से संबंधित थीं। इनमें से ज्यादातर शिकायतें सामान्य किस्म की थीं।

सेंसरशिप उल्लंघन

उल्लंघन संबंधी अधिकतर मामले मंजूर फिल्मों में बाद में सामग्री डालने (इंटरपोलेशन) से संबंधित थे। सेंसरशिप उल्लंघन के मामले मुख्य रूप से पांच प्रकार के थे :

(क) सार्वजनिक प्रदर्शन के दौरान ऐसे हिस्से शामिल किया जाना जिन्हें बोर्ड ने हटा दिया था। (ख) किसी प्रमाणित फिल्म में ऐसे हिस्से शामिल करना जो बोर्ड को नहीं दिखाए गए थे।
(ग) प्रमाणित फिल्मों में ब्लू फिल्मों के अंश (बाइट्स) शामिल किया जाना।
(घ) जाली प्रमाणपत्रों के साथ बिना जांच की गई फिल्में प्रदर्शित करना।
(ङ) बिना सेंसर प्रमाणपत्र लिए फिल्म प्रदर्शित करना।

अप्रैल से दिसंबर 2012 की अवधि में फिल्मों में इंटरपोलेशन के किसी मामले का पता नहीं चला।

सिनेकर्मी कल्याण कोष अधिनियम

बोर्ड ने श्रम मंत्रालय की ओर से भारतीय फीचर फिल्मों पर सिने कार्यकर्ता कल्याण उप कर की वसूली जारी रखी। हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों पर 20 हजार रुपये और सभी क्षेत्रीय फिल्मों पर 10 हजार रुपये की दर से उप कर वसूला जाता है। बोर्ड ने 1,87,00,000 रुपये वसूल किए। 18 जुलाई, 2007 की अधिसूचना के तहत भारतीय भाषाओं में डब हुई आयातित फिल्मों पर उप कर लगाया गया।

प्रमाणन शुल्क

बोर्ड ने प्रमाणन शुल्क के रूप में 4,48,02,348 रु. वसूल किए। मंत्रालय के दिनांक 24 सितंबर, 2007 के आदेश के तहत कुछ श्रेणी की फिल्मों को प्रमाणन शुल्क से छूट दी गई।

के.फि.प्र.बो द्वारा अप्रैल से दिसम्बर 2012 तक प्रमाणित फिल्मों का समेकित विवरण

lsyqykbM					
	;w	;w,	,	,l	dqy
भारतीय फीचर फिल्में	251	277	107	–	635
विदेशी फीचर फिल्में	4	21	35	–	60
भारतीय लघु फिल्में	274	43	10	–	327
विदेशी लघु फिल्में	10	30	5	–	45
गैर–फीचर भारतीय दीर्घ फिल्में	–	1	–	–	1
गैर–फीचर विदेशी दीर्घ फिल्में	–	–	–	–	–
;ksx	539	372	157	&	1068
ohfM;ks					
भारतीय फीचर फिल्में	294	261	5	–	560
विदेशी फीचर फिल्में	227	561	18	–	796
भारतीय लघु फिल्में	2919	1173	119	–	4211
विदेशी लघु फिल्में	239	203	19	–	461
गैर–फीचर भारतीय दीर्घ फिल्में	96	10	–	–	106
गैर–फीचर विदेशी दीर्घ फिल्में	29	9	–	–	38
;ksx	3804	2207	161	&	6172
डिजिटल					
भारतीय फीचर फिल्में	269	262	123	–	654
विदेशी फीचर फिल्में	29	72	75	–	176
भारतीय लघु फिल्में	2546	501	101	–	3148
विदेशी लघु फिल्में	56	161	21	–	238
गैर–फीचर भारतीय दीर्घ फिल्में	2	–	2	–	4
गैर–फीचर विदेशी दीर्घ फिल्में	1	–	–	–	1
;ksx	2903	996	322	&	4221
dqy ;ksx	7246	3575	640	&	11461

अनुलग्नक –2

के.फि.प्र.बो द्वारा अप्रैल से दिसम्बर 2012 तक प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्में (क्षेत्र और भाषा–वार)

I yykbM fQYe											
l-	Hkk"kk	eEc-	dky-	pUubZ	cx-	fr#-	gn-	fnYyh	dVd	xok-	dy
1	हिंदी	49	–	–	–	–	8	1	–	–	58
2	मराठी	73	–	–	–	–	–	–	–	–	73
3	गुजराती	50	–	–	–	–	–	–	–	–	50
4	भोजपुरी	43	–	–	–	–	–	–	–	–	43
5	तेलुगु	3	–	18	9	15	34	–	–	–	79
6	तमिल	4	–	38	4	7	17	–	–	–	70
7	अंग्रेजी	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
8	बंगाली	1	77	–	–	–	–	–	–	–	78
9	पंजाबी	9	–	–	–	–	–	–	–	–	9
10	हरियाणवी	3	–	–	–	–	–	–	–	–	3
11	उड़िया	–	–	–	–	–	–	–	13	–	13
12	कन्नड़	–	–	–	85	–	–	–	–	–	85
13	मलयालम	–	–	–	–	46	5	–	–	–	51
14	तुलु	–	–	–	3	–	–	–	–	–	3
15	उर्दू	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
16	असमिया	–	–	–	–	–	–	–	–	8	8
17	राजस्थानी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
18	कोंकणी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
19	नेपाली	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
20	मैथिली	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
21	छ.गढी.	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
22	मणिपुरी	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
23	खोर्ता	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
24	बंजारा	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
25	मिशिंग	–	–	–	–	–	–	–	–	1	1
	dy	241	79	56	102	68	64	1	13	11	635

अनुलग्नक –3

के.फि.प्र.बो द्वारा अप्रैल से दिसम्बर 2012 तक प्रमाणित भारतीय फीचर फिल्में (विषय-वार)

I y ykbM fQYe											
I -	oxhdj.k	eEc-	dky-	pUubl	cx-	fr#-	gn-	fnYyh	dVd	xok-	dy
1	सामाजिक	201	71	51	63	57	60	1	12	11	527
2	कामेडी	7	1	–	9	–	–	–	1	–	18
3	भक्ति	4	–	–	1	–	–	–	–	–	5
4	एक्शन	5	–	3	4	2	–	–	–	–	14
5	अपराध	9	2	1	11	7	1	–	–	–	31
6	रोमांस	2	5	1	–	–	–	–	–	–	8
7	भय	3	–	–	4	2	1	–	–	–	10
8	जीवनीपरक	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
9	फंतासी	1	–	–	1	–	–	–	–	–	2
10	एक्शन/थ्रिलर	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
11	ऐतिहासिक	2	–	–	1	–	–	–	–	–	3
12	कथा	1	–	–	–	–	1	–	–	–	2
13	बाल फिल्म	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1
14	मिथकीय	3	–	–	1	–	–	–	–	–	4
15	स्पूफ़ (नक़ल)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
16	व्यंग	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
17	सामाजिक/कामे.	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
18	अन्य	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
19	सामा./अपराध	–	–	–	2	–	–	–	–	–	2
20	मिथकीय	–	–	–	1	–	–	–	–	–	1
	dy	241	79	56	102	68	64	1	13	11	635

अनुलग्नक –4

के.फि.प्र.बो द्वारा अप्रैल से दिसम्बर 2012 तक प्रमाणित विदेशी फीचर फिल्में (देश-वार)

I y ykbM fQYe											
I -	oxhdj.k	eEc-	dky-	pUubl	cx-	fr#-	gn-	fnYyh	dVd	xok-	dy
1	अमरीका	42	–	3	–	–	–	–	–	–	45
2	कनाडा	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
3	थाईलैंड	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
4	चीन	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
5	इंगलैंड	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
6	इटली	1	–	1	–	–	–	–	–	–	2
7	कोलम्बिया	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
8	होंगकांग	–	–	4	–	–	–	–	–	–	4
9	फ्रांस	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1
	dy	50	&	10	&	&	&	&	&	&	60

अनुलग्नक –5

के.फि.प्र.बो द्वारा अप्रैल से दिसम्बर 2012 तक प्रमाणित विदेशी फीचर फिल्में (विषय–वार)

I y ykbM fQYe											
I -	oxhZdj.k	eEc-	dky-	pUubZ	cx-	fr#-	gn-	fnYyh	dVd	xqok-	dqy
1	फन्तासी	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
2	एक्शन	17	–	4	–	–	–	–	–	–	21
3	थ्रिलर	4	–	–	–	–	–	–	–	–	4
4	सामाजिक	4	–	3	–	–	–	–	–	–	7
5	भय	10	–	2	–	–	–	–	–	–	12
6	साहसिक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
7	कॉमेडी	2	–	–	–	–	–	–	–	–	2
8	विज्ञान कथा/थ्रिलर	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1
9	विज्ञान कथा	6	–	–	–	–	–	–	–	–	6
10	अपराध	3	–	1	–	–	–	–	–	–	4
	dqy	50	&	10	&	&	&	&	&	&	60

वित्तीय व्यवस्था

सिनेमैटोग्राफी अधिनियम, 1952 के अंतर्गत केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड एक सांविधिक संगठन है, जो फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन का नियमन करता है। किन्तु, प्रशासनिक प्रयोजन के लिए यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय समझा जाता है।

बोर्ड को राजस्व प्रमाणन शुल्क की वसूली से प्राप्त होता है, जो सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 1983 के अनुसार निर्धारित दरों से वसूल किया जाता है। बोर्ड अपने क्षेत्रीय कार्यालय में जांच की गई फिल्मों पर प्रोजेक्शन प्रभार भी लगाता है। अप्रैल से नवम्बर 2012 की अवधि में बोर्ड को कुल 5,03,17,506 रुपये की आमदनी हुई। यह राजस्व भारत की समेकित निधि में जमा करा दिया गया। बोर्ड इस बारे में कोई बैंक खाता संचालित नहीं करता।

राजस्व का हिसाब रखने के प्रयोजन के लिए बोर्ड भारत सरकार द्वारा अपनायी जाने वाले पद्धति के अनुसार वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) का अनुपालन करता है। बोर्ड को मंत्रालय से गैर–योजना और किए गए व्यय शीर्ष के अंतर्गत अनुदान प्राप्त होता है। 1 अप्रैल से 30 नवम्बर, 2012 के दौरान इन शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त अनुदान का ब्योरा आगे दिया गया है :

बजट आवंटन और व्यय

¼gtkj ₹ esa½		
	x|j&;kstuk ¼c-v-½	30 uoEcj] 2012 rd O;;
वेतन	42000	25813.216
चिकित्सा	450	180.369
समयोपरि भत्ता	015	0
यात्रा व्यय	2000	1904.035
कार्यालय व्यय	5530	5530.000
पीपीएसएस	15000	20064.200
सहायता–अनुदान	005	0
dqy	65000	43491-820

योजना स्कीम : के.फि.प्र.बो और प्रमाणन प्रक्रिया का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार

बोर्ड 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012 से 2017) के दौरान उक्त स्कीम के अंतर्गत निम्न कार्य करेगा। जिनके लिए 10 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

(1) फिल्म आवेदन एवं प्रमाणन की ऑन लाइन प्रक्रिया के सॉफ्टवेयर का विकास।

(2) के.फि.प्र.बो के सभी कार्यालयों के लिए डिजिटल प्रोजेक्शन सिस्टम और डिजिटल थिएटर

(3) के.फि.प्र.बो के मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता।

योजना स्कीमः मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण

यह एक नया कार्यक्रम है। के.फि.प्र.बो प्रस्तावित कार्यक्रम के अंतर्गत निम्न कार्य करेगा, जिनके लिए 25 लाख़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।

(क) सदस्यों और क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय कार्यालय और मुम्बई में कार्यशाला/सेमिनार/सम्वाद का आयोजन।

(ख) प्रत्येक क्षेत्र में परामर्शदाता समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण/कार्यशाला।

(ग) समूह 'क', 'ख' और 'ग' कर्मचारियों को प्रशासन, लेखा, बजटिंग, रिकार्ड रखरखाव, ई–गवर्नेस, आईटी कौशल, सतर्कता और सूचना अधिकार अधिनियम मामलों का प्रशिक्षण।

एसबीजी : 2012–13 : 25 लाख रुपये। 30.11.2012 को व्यय : 9,84,438 रुपये।

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम

(www.nfdcindia.com)

निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1975 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित लक्ष्यों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति के अनुसार भारतीय फिल्म उद्योग के समेकित एवं प्रभावकारी विकास की योजना बनाना, उसे प्रोत्साहित करना और उसका संचालन करना है। 1980 में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का पुनर्गठन करते हुए उसमें फिल्म वित्त निगम और भारतीय चलचित्र विकास निगम का विलय कर दिया गया। अपनी स्थापना के बाद से एनएफडीसी 20 से अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में 800 से अधिक फिल्मों का वित्त पोषण/निर्माण कर चुका है। इनमें से कई फिल्मों ने प्रसिद्धि प्राप्त की और राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।

फिल्म विकास एजेंसी के रूप में एनएफडीसी फिल्म उद्योग के उन क्षेत्रों/विषयों में विकास के लिए जिम्मेदार है, जिनका सांस्कृतिक महत्व होते हुए भी वाणिज्यिक कारणों से निजी उद्यमियों द्वारा नहीं अपनाया जाता। निगम के प्रयासों से उद्योग के संतुलित विकास को बढ़ावा मिलता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते एनएफडीसी का यह दायित्व भी है और वह अपनी आर्थिक स्थिति भी दुरूस्त रखे।

एनएफडीसी ने ''सिनेमा आफ इंडिया'' के बैनर तले निर्माण और वितरण का अपना दायरा बढ़ाया है, विज्ञापनों, सरकार के लिए लघु एवं कार्पोरेट फिल्मों का निर्माण किया है, फिल्म प्रदर्शनी, जीर्णोद्धार, फिल्म बाजार, डिजिटल नॉन लाइनियर संपादन, सिनेमेटोग्राफी, सब–टाइटलिंग आदि में प्रशिक्षण गतिविधियों में हिस्सा लिया है।

मंत्रालय ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) के माध्यम से अपने योजना कार्यक्रम ''विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण'' का निष्पादन किया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार एनएफडीसी को विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में 15 फिल्मों और हिंदी/अंग्रेजी भाषा में 3 फिल्मों का निर्माण करना था, इसके लिए कुल 36 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इस लक्ष्य में से एनएफडीसी ने तमिल, असमिया, गुजराती, मलयालम, बांग्ला, मराठी, भोजपुरी, कोंकणी, राजस्थानी, कोर्था, पंजाबी और हिंदी सहित 12 भारतीय भाषाओं में 23 फिल्मों का निर्माण किया। इस प्रक्रिया में 13 ऐसे फिल्म निर्माता शामिल किए गए जिन्होंने फिल्म क्षेत्र में पहली बार प्रवेश किया था।

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान एनएफडीसी ने 7 फीचर फिल्में पूरी कीं, इनमें 'शंघाई' भी शामिल है जिसका निर्देशन जाने माने फिल्म निर्माता दिबाकर बैनर्जी ने किया है। 5 फिल्में निर्माण के विभिन्न चरणों

में हैं। एनएफडीसी द्वारा निर्मित, गुरविंदर सिंह की प्रथम फीचर फिल्म अन्ने घोड़े दा दान, का प्रीमियर वीनस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में किया गया। यह फिल्म तीन राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुकी है और हाल ही में 2012 के भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इसने गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता है। प्रिया कृष्णस्वामी द्वारा प्रथम फीचर फिल्म के रूप में निर्मित मराठी/हिंदी फिल्म 'गंगूबाई' को नवंबर, 2012 में गोआ में आयोजित 43वें आईएफएफआई के भारतीय पैनोरमा खंड में 'अन्हे घोड़े दा दान' के साथ पुरस्कार के लिए चुना गया। क्यू द्वारा निर्देशित और एनएफडीसी के सहयोग से निर्मित बांग्ला फीचर फिल्म 'ताशेर देश' को रोम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इस वर्ष निर्मित सिनेमा–21 श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शन के लिए चुना गया।

अपने ब्रांड 'सिनेमा ऑफ इंडिया', के तहत निगम ने फिल्मों के प्रदर्शन और वितरण का दौर जारी रखा। इनमें बांग्ला फिल्म 'माया बाजार' (जिसका निर्देशन पहली बार फिल्म बना रहे जोयदीप घोष ने किया है), गुरविंदर सिंह की अन्ने घोड़े दा दान, बिद्युत कोटोकी की 'एज़ द रीवर फ्लोज़' और चर्चित क्लासिक फिल्म 'जाने भी दो यारो' का डिजिटलीकृत नया प्रिंट शामिल है। मार्च, 2013 तक रिलीज़ की जाने वाली फिल्मों में गंगूबाई और संस्कार शामिल हैं।

क्षतिग्रस्त फिल्म सामग्री के जीर्णोद्धार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एनएफडीसी ने 86 फिल्मों का पुनरुद्धार शुरू किया। इन फिल्मों की ध्वनि और चित्रों को सुधारा गया। इनमें टैगोर की कहानियों पर आधारित 6 फिल्में शामिल हैं।

एनएफडीसी ने भारतीय सिनेमा के अंतर्गत अपने लोकप्रिय होम वीडियो सेगमेंट का शुभारंभ किया और मूल नामों के साथ 50 फिल्मों को सुधार कर जारी किया। फेसबुक, ट्वीटर और यू–ट्यूब से इन फिल्मों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कंपनी ऑनलाइन सिनेमा देखने के लिए वीडियो ऑन डिमांड प्लेटफार्म भी शीघ्र शुरु करने जा रही है।

विदेश में भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देने के लिए एनएफडीसी ने अपनी नई और मौजूदा फिल्मों का व्यापार बढ़ाने और वैश्विक नेटवर्कों में भारतीय फिल्मों के प्रचार के उपाय किए हैं। खरीदारों के साथ संपर्क कायम करने के गहन कार्यक्रम के अंतर्गत विश्वभर में निजी और सरकारी पक्षों के साथ भागीदारी का व्यापक नेटवर्क कायम किया गया है।

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फोटोग्राफ

निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए एनएफडीसी ने भारतीय सिनेमा को अधिक प्रचारित करने के उपाय किए हैं और विश्वभर में वितरण नेटवर्क का विस्तार किया है। एनएफडीसी को देश–विदेश में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म बाजारों में भारतीय फिल्मों को प्रोत्साहित करने का काम सौंपा गया है। निगम ने कान फिल्म समारोह, फ्रांस, टोरोंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, कनाडा, एमआईपीसीओएम, फ्रांस, अमरीकन फिल्म बाजार, अमरीका, यूरोपीय फिल्म बाजार, जर्मनी और फिल्म मार्ट, हांगकांग में इंडिया पेवेलियन –इंडिया स्टैंड लगाया। इस पेवेलियन ने भारतीय भागीदारों को नेटवर्किंग के लिए बैठकें आयोजित करने का मंच दिया।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय फिल्म क्षेत्र के विकास और भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एनएफडीसी ने 2007 में गोआ में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के साथ फिल्म बाजार इंडिया भी लगाया। 2007 में 170 प्रतिनिधियों ने समारोह में हिस्सा लिया था जबकि 2012 में छठे संस्करण के दौरान प्रतिनिधियों की संख्या में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई और 32 देशों से करीब 750 प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इनमें प्रमुख फिल्म समारोहों के निर्देशक, फिल्म प्रोग्रामर, अंतर्राष्ट्रीय बिक्री एजेंट, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के फिल्म समीक्षक और भारत के साथ मिल कर फिल्म बनाने में रुचि रखने वाले और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेने वाले फिल्म व्यवसायी शामिल थे।

एनएफडीसी ने हाल ही में प्रशिक्षण विकास विभाग की शुरुआत की है। इसका उद्‌देश्य फिल्म क्षेत्र में काम के दौरान ही प्रशिक्षण प्रदान करना है। इसकी शुरुआत एनएफडीसी लैब्स के नाम से की गई है। यह विभाग भारतीय फिल्म समुदाय के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा, इनमें व्यावसायिक फिल्म निर्माताओं के लिए प्रशिक्षण, फिल्म के प्रमुख विषयों –निर्देशन, लेखन, संपादन, सिनेमेटोग्राफी और निर्माण में कार्यशालाओं और मास्टर क्लासिज़ की व्यवस्था करेगा।

राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत विद्यार्थियों के

गोवा में भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में फिल्म बाजार में भारतीय पेनोरमा के उद्‌घाटन के अवसर पर: सूचना और प्रसारण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी, पौलेंड के संस्कृति मंत्री श्री बोगदान द्रोजेवस्की, गोवा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर पर्रिकर, सूचना और प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा और एनएफडीसी के अध्यक्ष श्री रमेश सिप्पी।

लिए फिल्म निर्माण के तकनीकी क्षेत्रों में अपने विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को जारी रखते हुए एनएफडीसी ने डिजिटल नॉन लाइनियर संपादन, डिजिटल वीडियोग्राफी, ऑडियो इंजिनियरिंग, डिजिटल फोटोग्राफी और ऐनिमेशन जैसे क्षेत्रों में 428 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण के लिए 13 कार्यशालाओं का आयोजन किया।

वित्त वर्ष 2012–13 के दौरान एनएफडीसी ने सरकारी ग्राहकों के लिए 30 वीडियो स्पॉट्स, 5 कार्पोरेट फिल्मों, 104 एपीसोड ऑडियो प्रायोजित कार्यक्रमों, 01 वीडियो एंथम, 90 लघु फिल्मों/वृत्त चित्रों का निर्माण किया। इसके अलावा 110 स्पॉट्स को विभिन्न भाषाओं में डब किया गया। निगम ने अनेक मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और अन्य ग्राहकों के लिए कुल 1607 स्पॉट्स तथा 13 और 7 टीवी सीरीज़ ऐपीसोड बनाए।

किसी सरकारी ग्राहक की संपूर्ण संचार आवश्यकताओं को पूरा करने वाली एजेंसी के रूप में उभरने के लक्ष्य से एनएफडीसी ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड के लिए झांकी डिजाइन की। निगम ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की झांकी डिजाइन की। इसके जरिए मंत्रालय के प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम 'साक्षर भारत' को प्रचारित किया गया था जिसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्वर्णिम झांकी का निर्माण बड़े रचनात्मक तरीके से किया गया था, जो ''ज्ञान के लाभ प्राप्त करने और सुनहरे भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने'' के साक्षरता मिशन के संदेश को लक्षित समुदाय तक पहुंचाने में सफल रही।

नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस–2013 परेड के दौरान भारतीय सिनेमा की शताब्दी को प्रदर्शित करती सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मनोरम झांकी

फ्रांस की संस्कृति और संचार मंत्री सुश्री ऑरेली फिलीपेती नई दिल्ली में
सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनीष तिवारी से मुलाकात करते हुए

अध्याय

7

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत और यूनेस्को

भारत संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन (यूनेस्को) के संस्थापक सदस्यों में से एक है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों में से एक है। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान, प्रोद्यौगिकी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृति और जनसंचार के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। विकासशील देशों की संचार क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1981 में यूनेस्को की 21वीं आम सभा में संचार के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (आईपीडीसी) की स्थापना को मंजूरी दी गयी थी। इसकी स्थापना में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वह शुरू से ही इसकी अंतः सरकारी परिषद का सदस्य रहा है। भारत को सर्वसम्मति से संगठन की 35वीं आम सभा में वर्ष 2009 से 2013 की अवधि के लिए अंतः सरकारी परिषद का सदस्य निर्वाचित किया गया।

संगठन (यूनेस्को) के मुख्यालय में 22–24 फरवरी 2012 के दौरान संचार के विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की अंतःसरकारी परिषद के ब्यूरो की 56वीं बैठक में श्री उदयकुमार वर्मा, सचिव, सूचना एवं प्रसारण ने भाग लिया।

मीडिया कन्वर्जेन्स के युग में कानूनी जागरूकता पर पत्रकारों के प्रशिक्षण के लिए उप–क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन प्रसारण विकास के लिए एशिया–पैसेफिक संस्थान ने आईपीडीसी–यूनेस्को के सहयोग से 23–27 सितम्बर, 2012 के दौरान माले, मालदीव में किया।
सुश्री मधुपर्णा धर चौधरी, समाचार संपादक, आकाशवाणी, कोलकाता ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

विभिन्न देशों और संगठनों के साथ सहयोग के समझौते

भारत और बेलारूस

एक प्रमुख पहल के रूप में स्वतंत्र देशों के कामनवेल्थ के साथ जनसंचार, प्रकाशन एवं प्रसारण के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने और क्षमता निर्माण के लिए 14 नवम्बर, 2012 को भारत और बेलारस के बीच

एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये। इस समझौते पर सचिव (सूचना एवं प्रसारण) और बेलारस के विदेश उपमंत्री श्री सरगेई अलीनीक ने हस्ताक्षर किये।

समझौता ज्ञापन का उद्देश्य निम्न प्रकार है:

1. प्रेस और सूचना में द्विपक्षीय सहयोग पर विचारों का आदान–प्रदान
2. इसके क्रियान्वयन के लिए व्यवहारिक तरीके और रूप
3. प्रेस और सूचना के क्षेत्र में सहयोग पर एक द्विपक्षीय करार को अंतिम रूप देने की संभावना

भारत-पाकिस्तान संयुक्त आयोग सूचना पर 8वां तकनीकी कार्यदल

श्री अनुराग श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव और श्री चैतन्य प्रसाद विशेष कार्य अधिकारी, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 5–8 सितम्बर 2012 के दौरान इस्लामाबाद, पाकिस्तान में सूचना पर 8वें तकनीकी कार्यदल में भाग लिया।

दोनों पक्षों ने फरवरी, 2007 में नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त कार्यदल की अंतिम बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की तथा आगामी सहयोग के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की।

- प्रेस सूचना विभागों के माध्यम से पत्रकार आदान प्रदान कार्यक्रम
- मीडिया पेशवरों के लिए सेमिनार/कार्यशालाएं
- सरकारी समाचार एजेंसियों के बीच समाचारों का आदान प्रदान
- दूरदर्शन एवं आकाशवाणी कार्यक्रमों का आदान प्रदान
- एक दूसरे के विरूद्ध शत्रुता पूर्ण प्रचार से बचना
- जनता के लिए दृष्य–श्रव्य और प्रिंट मीडिया सरल बनाना
- मीडिया कर्मियों के लिए आसान वीजा व्यवस्था उपलब्ध कराना

देशों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आदान प्रदान

सांस्कृतिक कार्यक्रमों का उददेश्य भारत और अन्य देशों के बीच जनसंचार, प्रसारण और फिल्मों के क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना और विचारों के आदान प्रदान के बढ़ावा देना है।

इस सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रमों के अंतर्गत सूचना, प्रसारण और फिल्म क्षेत्रों में यहयोग के क्षेत्रों की पहचान की गयी है।

वर्ष 2012–13 के दौरान भारत और अन्य देशों जैसे मिस्र, लिथुआनिया, मेक्सिको, नाइजीरिया, बोस्निया और हर्जेगेविना, ताजिकिस्तान, इत्यादि देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम प्रस्ताव संस्कृति मंत्रालय से प्राप्त हुए थे। मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है।

गुट निरपेक्ष समाचार नेटवर्क

सूचना के वैश्विक प्रवाह में असन्तुलन कम करने के लिए 1976 में गुट निरपेक्ष आंदोलन ने गुट निरपेक्ष देशों की समाचार एजेंसियों के बीच समाचारों और सूचना के आदान प्रदान के लिए गुट निरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल की स्थापना की। यह आदान प्रदान सदस्य एजेंसियों के बीच पट्टे पर ली गयी संचार लाइनों के माध्यमों से किया जाना था जिनमें से कुछ एजेंसियों को ट्रांसमीशन हब के रूप में काम करना था।

इंटनेट संचार का एक विश्वसनीय और सस्ता साधन उपलब्ध होने के साथ यह महसूस किया गया कि गुटनिरपेक्ष समाचार एजेंसी पूल की लीज लाइनों के नेटवर्क की व्यवस्था की तुलना में इंटरनेट आधारित व्यवस्था बेहतर रहेगी। कुआलालमपुर, मलेशिया में नवम्बर 2005 में आयोजित गुट निरपेक्ष देशों के सूचना मंत्रियों के छठे सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि गुट निरपेक्ष देशों के समाचार नेटवर्क को गुटनिरपेक्ष देशों के समाचार एजेंसी पूल के स्थान पर इंटरनेट आधारित सूचना और फोटा विनिमय व्यवस्था के रूप में स्थापित किया जाए।

जून, 2006 से कार्यरत गुट निरपेक्ष आंदोलन समाचार नेटवर्क के तहत 118 गुटनिरपेक्ष देशों की राष्ट्रीय समाचार एजेंसियाँ ईमेल के माध्यम से अपने समाचार और फोटो मलेयिश्यिन समाचार एजेंसी, बरनामा को भेजती हैं जो गुटनिरपेक्ष आन्दोलन नेटवर्क वेबसाईट www.namnewsnetwork.org कुआलालमपुर से संचालित कर रही है। बरनामा इसे वेबसाइट पर इन लेखों को अपलोड करती है। प्रतिभागी एजेंसियाँ इस वेबसाइट पर लेखों को देख सकती हैं और संबंधित सामग्री को अपने प्रयोग के लिए डाउनलोड कर सकती है। फिलहाल

समाचार रिपोर्ट अंग्रेजी, स्पेनिश और अरबी भाषाओं में उपलब्ध हैं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारत की ओर से इस व्यवस्था में भाग लेती है।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन बहुपक्षीय समाचार विनिमय कार्यक्रम में अपनी भागीदारी के अनुरूप प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया भी कई देशों की राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ द्विपक्षीय आधार पर समाचार और फोटो का आदान प्रदान करती है। वर्ष 2011 के दौरान इसने इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी, ईरान के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये जिसमें फोटो का आदान प्रदान शामिल है। इसने नामीबीयाई न्यूज एजेंसी और सउदी प्रेस एजेंसी के लिए समाचार साधन को उपलब्ध कराने में भी सुधार किया है। इस व्यवस्था में पीटीआई द्वारा तैयार किये साफ्टवेयर न्यूज व्यू के माध्यम से इंटरनेट से जुड़े कम्पयुटरों पर ऑटो रिसेप्शन की सुविधा मुहैया करायी है। इससे पहले नामीबीयाई न्यूज एजेंसी पीटीआई के समाचारों को ईमेल के माध्यम से और सउदी प्रेस एजेंसी एफटीपी के माध्यम से प्राप्त कर रही थी। 2012 में इसने मिडल ईस्टर्न न्यूज एंजेंसी के साथ समाचार और फोटो आदान प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किये।

दक्षेस में भारत की भूमिका

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस अथवा सार्क) सूचना केन्द्र इस क्षेत्र के देशों के लिए सूचना केन्द्र के रूप में काम करता है। दक्षेस सूचना के केन्द्र का आदेश है कि

(क) दक्षेस और उसके सदस्य देशों के लिए सूचना एकत्र करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करना।

(ख) प्रिंट और इलैक्ट्रिानिक मीडिया के लिए पेशेवर मामलों में एक सुगमकर्ता के रूप में काम करना।

तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी और स्पेन के विदेश मंत्री श्री जोस मेनूएल गार्शिया–मरगालो मार्फेल ने नई दिल्ली में दोनों देशों के बीच श्रव्य–दृश्य कार्यक्रम सह–निर्माण का समझौता किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह और स्पेन के नरेश महामहिम जुआन कॉर्लोस प्रथम भी उपस्थित थे।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रस्तुतियों में तालमेल, अनुसंधान, प्रशिक्षण और कौशल हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना।

(घ) दक्षेस और उसके सदस्य देशों के लिए सूचना बैंक के रूप में कार्य करना।

(ड) दक्षेस देशों के मीडिया के बीच सहयोग एवं तालमेल के लिए अंतर्क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करना।

(च) दक्षेस आडियो विजुअल आदान प्रदान, दक्षेस क्षेत्रीय केन्द्रों, दक्षेस की शीर्ष और मान्यता प्राप्त निकायों के साथ विचार विमर्श और दक्षेस के अन्य कार्यक्रम के लिए समन्वय करना।

भारत दक्षेस का सक्रिय सदस्य है। इसके सदस्य देशों के सूचना मंत्रियों को मीडिया से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए वार्षिक बैठक करनी होती है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय सरकारी कार्यकलापों में दक्षेस देशों के सूचना मंत्रियों के सम्मेलन की नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। केन्द्र द्वारा इस क्षेत्र में संचालित विभिन्न कार्यकलापों और कार्यक्रमों में मंत्रालय के प्रतिनिधि भाग लेते रहे हैं। दक्षेस के उददेश्यों और लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2012–13 के दौरान इन कार्यशालाओं/सेमिनारों का आयोजन किया गया हैः–

- राष्ट्रीय मीडिया प्रशिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में शामिल करने के लिए सार्क अनुकूलन माडयूल विकसित करने के लिए नेपाल प्रेस संस्थान के सहयोग से कार्यशाला का आयोजन काठमांडू में 29 फरवरी से 3 मार्च 2013 तक किया गया।
- श्री शैलेश गौतम, अवर सचिव (आईपी एवं एससी), प्रो. के एम श्रीवास्तव आईआईएमसी और सुश्री शालिनी नारायण आईआईएस (आईआईएमसी में पदस्थापित) ने कार्यशाला में भाग लिया।
- ''दक्षेस की समाचार एजेंसियों के बीच किस प्रकार सहयोग बढ़ाया जाए'' इस पर विचार गोष्ठी भूटान में 29–31 मई 2012 के दौरान हुई। श्री नाम्पी मारिनमय, समाचार संपादक, एनएसडी, एआईआर, नई दिल्ली ने विचार गोष्ठी में भाग लिया।

तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी और पोलैंड के संस्कृति और राष्ट्रीय धरोहर मंत्री श्री बी. ज्द्रोजेव्स्की ने वारसा में श्रव्य–दृश्य कार्यक्रम सह–निर्माण समझौता किया।

- क्षेत्र के युवा/मीडिया व्यक्तियों के लिए दक्षेस मीडिया इंटर्नशिप प्रोग्राम का आयोजन कोलम्बो, श्रीलंका में 28 जुलाई से 2 अगस्त 2012 तक हुआ। श्रीमती मनमीत कौर, अवर सचिव (आईपी एवं एमसी), श्री नीरज कुमार, अवर सचिव (आईआईएस) और श्री विवेक वैभव, उपनिदेशक दूरदर्शन, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया।
- दक्षेस सूचना केन्द्र के संचालक बोर्ड की 8वीं बैठक 25–26 सितंबर 2012 को काठमांडू में आयोजित हुई, जिसमें श्री चैतन्य प्रसाद (विशेष कार्य अधिकारी) ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आदान-प्रदान कार्यक्रम

यह योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित की गई है और इस पर 1.50 करोड़ का परिव्यय होगा। 12 लाख का परिव्यय वर्तमान वित्त वर्ष 2012–13 के लिए रखा गया है।

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम के घटक हैं – मीडिया आदान प्रदान कार्यक्रम, संयुक्त कार्यदल और सूचना एवं फिल्म क्षेत्र में सहयोग पर समझौता तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार/कार्यशलाएं। इन कार्यक्रमों के मुख्य उददेश्य निम्नानुसार हैः

- देशों के बीच बेहतर समझदारी को बढ़ावा देने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करना, मीडियाकर्मियों के बीच ज्यादा परस्पर क्रिया के माध्यम से क्षेत्रीय समन्वय में वृद्धि करना और एक दूसरे के बारे में सूचना का प्रचार करना।
- समाज में धैर्य और लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देना।
- विभिन्न देशों के बीच मित्रतापूर्ण संबंधों को पुष्ट करना और इसके लिए सूचना और प्रिंट मीडिया के क्षेत्रों में साझी इच्छा से प्रेरित बेहतर समझदारी को बढ़ावा देना इस योजना का व्यापक उददेश्य है ताकि सूचना और जन संचार के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित और विकसित हो सके।
- भारत और अन्य देशों के बीच संबंधों को पुष्ट करना
- जनसंचार, प्रसारण और फिल्मों के क्षेत्रों में भारत और अन्य देशों के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देना
- उन्नत मीडिया प्रशिक्षण
- आपदा संचार
- सामाजिक और बहुमीडिया प्रशिक्षण

Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
"SCHOLARSHIP GAVE ME THE RIGHT TO LEAD A BETTER LIFE.
DID YOU CLAIM YOUR RIGHT?"
davp 22111/13/0014/1213
In the year 2011-2012, 48 lakh students from the scheduled castes got scholarships worth Rs. 2711 crore
New scholarship scheme for 9th and 10th class students, Rs. 824 crore will be disbursed during the current year
EMPOWERMENT OF SCHEDULED CASTES
BHARAT NIRMAN
IT'S IN EVERYBODY'S INTEREST. IT'S EVERYBODY'S RIGHT.

अध्याय

8

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण

मंत्रालय अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सरकार के आदेशों/अनुदेशों/दिशा–निर्देशों के तहत सेवाओं और पदों पर अनूसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करता रहा है। साथ ही साथ मंत्रालय की यह भी कोशिश रही है कि इसके प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अनूसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के अधिकारियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो। सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्तशासी निकायों में मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पद–आधारित रोस्टर रखे गये हैं।

अनूसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को सेवाओं में मिलने वाले लाभ के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों और निर्देशों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय और विभागों की ओर से उन्हें सभी मीडिया इकाईयों में प्रचारित किया जाता है।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा 3 फरवरी 2012 को जारी अनुदेशों के

अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में 1 फरवरी 2012 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व संबंधी जानकारी आगे दी गई है।

1 जनवरी 2012 को मंत्रालय में सभी संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत सारिणी में दिया जा रहा है।

J.kh	Lkeg ^d*	Lkeg ^[k*	Lkeg ^x*	Lkeg ^?k*	dy
अनूसूचित जाति	15.73 %	13.73 %	16.31 %	25.37 %	17.07 %
अनूसूचित जनजाति	6.13 %	6.68 %	9.53 %	10.29 %	8.64 %
अन्य पिछड़े वर्ग	3.45 %	2.97 %	4.83 %	8.89 %	4.23 %

प्रधानमंत्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत दिनांक 08.01.2007 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित प्रारूप के अनुसार 31.03.2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए अल्पसंख्यकों की नियुक्ति का विवरण:

	31-03-2012 dk depkfj;k dh dy l[;k	Ok"k d nkjku jkt xkj ikIr depkfj;k dh dy l[;k	o"k d nkjku jkt xkj ikIr vYi l[;d depkfj;k dh l[;k	31-03-2012 dk depkfj;k dh dy l[;k	Ok"k d nkjku jkt xkj ikIr depkfj;k dh dy l[;k	Ok'k d nkjku jkt xkj ikIr vYi l[;d depkfj;k dh l[;k
	Lkeg ^d*			Lkeg ^[k*		
मंत्रालय/विभाग	448	51	5	1033	42	2
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संस्थाएं	1510	15	2	6974	31	3
dy	1958	66	7	8007	73	5
	Lkeg ^x*			Lkeg ^?k*		
मंत्रालय/विभाग	442	22	2	शून्य	शून्य	शून्य
संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संस्थाएं	22012	303	38	7358	120	25
dy	22454	325	40	7358	120	25

गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 27/22/68 स्थापित/(एससीटी) दिनांक 19.04.1969 के निर्देशों के अनुसार प्रशासनिक सुविधा के लिए मंत्रालय में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के हितों को देखने के लिए अलग से एक प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है।

मंत्रालय और इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन–जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्वीकार्य आरक्षण नीति और दूसरे लाभों के क्रियान्वयन संबंधी कार्यों पर निगरानी और समन्वय के लिए निदेशक/उप–सचिव श्रेणी के संपर्क अधिकारी की निगरानी में एक प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है।

Ministry of Information and Broadcasting
Government of India
'Today, we too have our own home'
Indira Awaas Yojana
● Financial assistance to construct a permanent house for BPL families
● 1.2 crore houses to be constructed by 2013-14
● More than 27 lakh houses to be constructed during 2011-12
A VISION OF
BHARAT NIRMAN
DREAMS BEING REALIZED

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फोटोग्राफ

अध्याय

9

सेवाओं में विकलांगों का प्रतिनिधित्व

विकलांगों के संबंध में नोडल मंत्रालय /विभाग द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों और दिशा–निर्देशों को पूरी तरह अनुपालन के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय सचिवालय के सभी प्रशासनिक अनुभागों और मीडिया ईकाइयों को हमेशा भेजा जाता है। विकलांगों के हितों की देख–रेख के लिए मुख्य सचिवालय में एक संपर्क अधिकारी भी हैं। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार इस वर्ग की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया गया है। सभी मीडिया ईकाइयों को इस वर्ग की बकाया रिक्तियों के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। 1 जनवरी 2012 को इस मंत्रालय में (आकाशवाणी, दूरदर्शन, गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग, डीएवीपी, पीआईबी, गीत और नाटक प्रभाग, एनएफडीसी, फिल्म समारोह निदेशालय, प्रकाशन विभाग और आरएनआई को छोड़कर) विकलांगों के सामूहिक रूप से तथा सीधी भर्ती और पद्दोन्नति कोटे में प्रतिनिधित्व का विवरण अगले पृष्ठ पर दिया गया है।

विकलांगों के सेवाओं में प्रतिनिधित्व का वार्षिक विवरण

¼1 tuojh 2012 dh fLFkfr½

lpuk vkSj izlkj.k ea=ky;
¼lc)@v/khuLFk dk;kZy;½

leg	deZpkfj;ksa dh la[;k				
	dqy	ukfer inkuq e	nf"Vckf/kr	Jo.kckf/kr	'kkjhfjd fodykaxrk
समूह 'क'	897	128	3	1	2
समूह 'ख'	1272	575	4	4	12
समूह 'ग'	1888	818	3	4	20
समूह 'घ'	809	533	4	2	8
dqy	4866	2054	14	11	42

जगदलपुर (छत्तीसगढ़) में डीएफपी की क्षेत्रीय इकाई द्वारा आयोजित पोषाहार जागरूकता कार्यक्रम में इरपा गांव की महिलाएँ

वर्ष 2011 के दौरान भर्ती किए गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या का विवरण

(1 जनवरी 2012 की स्थिति)

समूह	सीधी भर्ती								पदोन्नति							
	आरक्षित पदों की संख्या			कुल भर्तियों की संख्या					आरक्षित पदों की संख्या			कुल भर्तियों की संख्या				
	दृ.बा.	श्र.बा.	शा.वि.	कुल	नामित पदों में	दृ.बा.	श्र.बा.	शा.वि.	दृ.बा.	श्र.बा.	शा.वि.	कुल	नामित पदों में	दृ.बा.	श्र.बा.	शा.वि.
समूह 'क'	1		1						0	0	0	11				
समूह 'ख'		2							0	0	0	13	1			1
समूह 'ग'	1	3	4	1	1			1	1	3	1	1				
समूह 'घ'	5	2	1	2	2	1		1	1	1						
कुल	7	7	6	3	3	1		2	2	4	1	25	1			1

टिप्पणियाँ

1. दृष्टिबाधित (दृ.बा.) का तात्पर्य नेत्रहीनता अथवा धुंधला नजर आने से है।
2. श्रवणबाधित (श्र.बा.) का तात्पर्य बहरेपन से है।
3. शारीरिक विकलांगता (शा.वि.) का तात्पर्य चलने–फिरने में असमर्थता अथवा फालिज़ पड़ने से है।
4. समूह 'क' और समूह 'ख' में पदोन्नति में आरक्षण नहीं है लेकिन विकलांग व्यक्तियों को ऐसे पदो पर पदोन्नत किया जा सकता है जिनमें विकलांगता के वाबजूद काम किया ज ा सकता है।

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

अध्याय

10

हिन्दी का राजभाषा के रूप में अनुप्रयोग

हिन्दी भारतीय संघ की राजभाषा है। राजकीय कार्यों में हिन्दी के बढ़ते अनुप्रयोग को बढ़ावा देना भारत सरकार की सुविचारित नीति है। यह मंत्रालय भारत सरकार की राजभाषा नीति के अंतर्गत हिन्दी के उपयोग पर बल दे रहा है। राजभाषा क्रियान्वयन समिति के द्वारा मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में स्थित सचिवालय के साथ–साथ मंत्रालय से संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के बढ़ते हुए प्रयोग की निगरानी की जाती है। मंत्रालय तथा इसकी मीडिया इकाइयों/संगठनों में राजभाषा नीतियों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने एवं राजकीय कार्यों में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने और भारत सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा तय किये गये वार्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपायों एवं साधनों पर विचार करने के लिए राजभाषा क्रियान्वयन समिति की नियमित बैठक होती है।

मुख्य सचिवालय में भारत सरकार की राजभाषा नीति के क्रियान्वयन, निगरानी एवं अनुवाद के कार्य में आवश्यक सहायता के लिए एक निदेशक (राजभाषा), एक उप–निदेशक (राजभाषा), दो सहायक निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ हिन्दी अनुवादकों एवं दो कनिष्ठ हिन्दी अनुवादकों की नियुक्ति की गयी है।

सभी प्रकार के कागजातों/दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करने एवं प्राप्त किये गये प़त्रों की भाषा हिन्दी में होने पर या उनमें हस्ताक्षर हिन्दी में होने पर उनका जवाब हिन्दी में ही देने को सुनिश्चित करने के लिए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के तहत जाँच प्रक्रिया को मजबूत किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजभाषा नीति के बेहतर अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न

अनुभागों और मीडिया इकाइयों से प्राप्त तिमाही रिपोर्टों की समीक्षा की गयी तथा उपयुक्त तरीके अपनाए/सुझाये गये।

राजकीय कार्यों में हिन्दी के अनुप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए 14–28 सितंबर, 2012 तक मंत्रालय में 'हिन्दी पखवाड़े' का आयोजन किया गया। इस दौरान, निबंध लेखन, कविता, टिप्पणी एवं मसौदा लेखन, श्रुत लेख, अनुवाद, वाद–विवाद और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इसमें 123 कर्मचारियों ने हिस्सा लिया जिनमें से 91 कर्मचारियों को (हिन्दी तथा गैर हिन्दी भाषी दोनों क्षेत्रों के) को प्रमाण–पत्र और नकद पुरस्कार प्रदान किये गये। माननीय मंत्री जी ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने की अपील की। इसके अतिरिक्त, इस अवसर पर केन्द्रीय गृहमंत्री तथा मंत्रिमंडल सचिव की अपील को भी प्रचारित किया गया।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के निर्देश पर मौलिक टिप्पणी और मसौदा लेखन के लिए प्रोत्साहन योजना को भी क्रियान्वित किया गया है। मंत्रालय में मुख्य सचिवालय के 9 कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2010–11 के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किये गये।

राजभाषा संबंधी द्वितीय संसदीय उप–समिति ने वर्ष के दौरान (1.4.2012 से 31.12.2012 तक) मंत्रालय के 11 कार्यालयों का निरीक्षण किया। समिति के सुझावों के मद्देनजर राजभाषा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जरूरी कदम उठाये गये। मंत्रालय के आठ अन्य कार्यालयों का भी निरीक्षण किया गया।

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

महाराष्ट्र में रामानन्द नगर में जननी सुरक्षा योजना के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए डीएफपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम

अध्याय 11

महिला कल्याण गतिविधियाँ

राष्ट्रीय महिला आयोग से जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार महिलाओं के विकास संबंधी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करने के लिए 1992 में मंत्रालय में एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। बाद में ''विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य'' मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देशों पर अमल करते हुए प्रकोष्ठ का 16 मई 2002 को पुनर्गठन किया गया ताकि वह कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित मामलों में शिकायत समिति के रूप में काम कर सके। 13 जनवरी, 2006 को वाईडब्ल्यूसीए से एक बाहरी विशेषज्ञ को गैर–सरकारी प्रतिनिधि के तौर पर महिला प्रकोष्ठ में शामिल किया गया।

वर्ष 2012–2013 में श्रीमती सुप्रिया साहू, संयुक्त सचिव (प्रसारण) को महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न से संबंधित दो शिकायतों का जायजा लिया और दोनों मामलों में उपयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिये।

प्रकोष्ठ का श्रीमती सुप्रिया साहू और सुश्री पी. वसंती, निदेशक सीएमएस की अध्यक्षता में 6 नवंबर 2012 को पुनर्गठन किया गया। वाईडब्ल्यूसीए से एक बाहरी विशेषज्ञ को प्रकोष्ठ के गैर–सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। मंत्रालय के तीन महिला अधिकारी एवं एक पुरूष अधिकारी को इस प्रकोष्ठ का सदस्य बनाया गया है।

मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में भी ऐसे प्रकोष्ठ कार्य कर रहे हैं।

और प्रसारण
प्रस्तुत करता
गीत एवं
कृत
नुक्कड़ नाटक
आकाँक्षा उभरते

गीत और नाटक प्रभाग द्वारा 'जमुनिया' की नाट्य प्रस्तुति

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

अध्याय

12

सतर्कता संबंधी मामले

मंत्रालय में सतर्कता क्षेत्र का ब्यौरा एवं इसकी गतिविधियाँ

मंत्रालय का सतर्कता तंत्र सचिव, सूचना एवं प्रसारण की पूर्ण देख–रेख में कार्य करता है, जिनकी सहायता के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (संयुक्त सचिव), निदेशक (सतर्कता), अवर सचिव (सतर्कता) और अन्य अधीनस्थ कर्मचारी हैं। केन्द्रीय सतर्कता आयोग की मंजूरी से प्रसार भारती के लिए एक मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुकत किया गया है, जो आकाशवाणी और दूरदर्शन की सतर्कता गतिविधियों की देख–रेख करता है। अन्य सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों और पंजीकृत समितियों में भी अलग–अलग सतर्कता व्वस्थाएँ कायम की गयी हैं। मंत्रालय का मुख्य सतर्कता अधिकारी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों आदि की सतर्कता गतिविधियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। विभिन्न प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए सुदृढ़ प्रयास किए गये ताकि भ्रष्टाचार के लिए कोई भी गुंजाइश बाकी न रहे। संदिग्ध निष्ठा वाले व्यक्तियों की पहचान की गयी और ऐसे अधिकारियों पर गहन निगरानी रखी गयी। यह भी प्रयास किये गये हैं कि संवेदनशील पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की अदला–बदली की जाती रहे। नियमों और प्रक्रियाओं का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों ने नियमित और आकस्मिक निरीक्षण किए।

1 अप्रैल 2012 से 31 दिसम्बर 2012 के दौरान 267 नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण किये गये। 3 व्यक्तियों पर निगरानी रखी गई। इसके अतिरिक्त मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाईयों में कुल 52 ऐसे क्षेत्रों का चयन किया गया, जिन पर निगरानी रखी जाए। सरकार के भ्रष्टाचार–विरोधी अभियान को जारी रखने के लिए मुख्य सतर्कता

अधिकारी को प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा अग्रसारित की जाने वाली शिकायतों के निपटारे के लिए संपर्क अधिकारी नियुकत किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त की गयी शिकायतों पर निरंतर निगरानी रखी गयी तथा उनके बारे में प्रधान मंत्री कार्यालय को नियमित रूप से रिपोर्ट भेजी गयी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा इसकी संचार इकाईयों ने सात दिन तक चलने वाले सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया।

1 अप्रैल 2012 से 31 दिसम्बर 2012 की अवधि में मंत्रालय और इसकी संचार इकाईयों में विभिन्न स्रोतों से 423 नयी शिकायतें प्राप्त की गयीं। इनकी जाँच की गयी और 111 मामलों में प्रारम्भिक जाँच के आदेश दिये गये। इस अवधि के दौरान 68 मामलों के संदर्भ में प्रारम्भिक जाँच रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। 17 मामलों में बड़ी सजा (मेजर पेनल्टी) के लिए और 1 मामले में छोटी सजा (माइनर पेनल्टी) के लिए विभागीय कार्रवाई शुरू की गयी। 10 मामलों में बड़ी और 4 मामले में छोटी सजा दी गई। रिपोर्ट के अधीन अवधि के दौरान 12 पदाधिकारियों को निलंबित किया गया और 24 मामलों में प्रशासनिक कार्रवाई की गयी है तथा 1 मामले में एक कर्मचारी को समय से पहले सेवा निवृत भी किया गया।

सभी मीडिया इकाईयों से लंबित अनुशासनात्मक मामलों के बारे में मासिक रिर्पोटे और कार्रवाइयों की लंबित अनुमतियों के बारे में पाक्षिक रिर्पोटे नियमित रूप से प्राप्त की गयी और मुख्य सतर्कता आयुक्त तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अग्रसारित की गयी।

मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने लंबित मामलों का जायजा लेने के लिए समय–समय पर प्रसार भारती के मुख्य सतर्कता अधिकारी और सतर्कता शाखा के अन्य अधिकारियों के साथ समय–समय पर बैठकें की और और कार्रवाई में तेजी लाने के लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी ने विभिन्न अनुशासनिक मामलों की जांच/प्रस्तुति अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की और मामलों की जांच शीघ्रता से सम्पन्न करने पर जोर दिया।

डेटम (सिक्किम) में जनसूचना अभियान के अंतर्गत एक रंगारंग कार्यक्रम

गीत और नाटक प्रभाग की प्रस्तुति
'जमुनिया' के कुछ भावपूर्ण क्षण

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

अध्याय

13

नागरिक घोषणा पत्र और शिकायत समाधान तंत्र

इस मंत्रालय के नागरिक/ग्राहक घोषणा पत्र को मंत्रालय की वेबसाइट http://www.mib.nic.in पर अपलोड किया गया है। यह माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा अनुमोदित है।

मंत्रालय द्वारा उसकी सेवाएं सीधे प्राप्त करने वाले लोगों के लिए निम्नलिखित 10 मुख्य सेवाओं को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है:

1. डीटीएच सेवाओं के लिए संबंधित लाइसेंस पाने वालों को लाइसेंस जारी करना।
2. बहु प्रणाली (मल्टी सिस्टम) ऑपरेटरों को लाइसेंस जारी करना।
3. दूरदर्शन चैनलों के लिए अपलिंकिग/डाउनलिंकिग के लिए टेलीपोर्ट स्थापित करना।
4. भारत से अपलिंक किए जाने वाले दूरदर्शन चैनलों को अपलिंकिग/डाउनलिंकिग के लिए अनुमति जारी करना।
5. विदेश से अपलिंक किये गये चैनलों की डाउनलिंकिग की अनुमति जारी करना।
6. गैर–सरकारी संगठनों (एनजीओ), शैक्षिक संस्थानों और कृषि विज्ञान केन्द्रों/संस्थानों द्वारा सामुदायिक रेडियो केन्द्र खोला जाना।
7. विशेषज्ञता/तकनीकी/वैज्ञानिक श्रेणी में विदेशी निवेश वाले प्रतिष्ठानों को विदेशी पत्रिकाओं/जर्नल्स/आवधिक पत्र–पत्रिकाओं/नई पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण प्रकाशित करने के लिए अनुमोदन जारी करना।
8. विदेशी निवेश वाले/बिना विदेशी निवेश वाले किसी प्रतिष्ठान द्वारा समाचार और सामयिक मामलों/समाचार पत्रों वाली विदेशी पत्रिकाओं के भारतीय संस्करण/विदेशी

समाचार–पत्रों के फेसिमाइल संस्करण प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान करना।

9. मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाली मीडिया इकाईयों को अपने अपने नागरिक घोषणा पत्र के अनुरूप कार्य करने और जरूरी निर्देश देने की सुविधाएँ और प्रोत्साहन प्रदान करना।

10. विदेशी निवेशकों को फीचर फिल्मों/रियलिटी शो/व्यवसायिक टीवी सीरियलों की शूटिंग करने की अनुमति देना।

शिकायत समाधान तंत्र

मंत्रालय में प्राप्त की गई शिकायत याचिकाओं को पंजीकृत किया जाता है और उन्हें कम्प्यूटरीकृत केन्द्रीय जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली में प्रोसेस किया जाता है। तदनुसार निर्धारित नियमों के तहत प्राप्त सभी याचिकाओं की पावती का पंजीकरण नम्बर, निपटान का संभावित समय और संपर्क व्यक्ति का ब्यौरा दिया जाता है। शिकायत याचिकाओं को संबंधित संचार इकाईयों/कार्यालय/प्रभाग को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेजा जाता है और नियमानुसार अन्तिम निपटारा करके याचिकाकर्ता को अन्तिम जबाब देने के लिए निर्देश जारी किये जाते हैं। अनुस्मारकों तथा समीक्षा बैठकों इत्यादि के जरिये शिकायतों के निपटारे का पता लगाने के लिए उनकी निगरानी की जाती है। सभी मीडिया इकाइयों में सामान्य रूप से संयुक्त सचिव/निदेशक/उपसचिव के स्तर के अधिकारी को इकाई का जनशिकायत अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। महत्त्वपूर्ण और जरूरी मामलों में संबंधित मीडिया इकाईयों/कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारी को मामलों को शीघ्र निपटान के लिए चर्चा हेतु बुलाया जाता है। याचिकाओं के अन्तिम निपटान के बारे में स्थिति प्राधिकारी/संबंधित व्यक्ति को बताई जाती है, जिससे वह शिकायत प्राप्त होती है। यह सूचना डाक/ सीपीग्रामों द्वारा संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाती है।

प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग से जन शिकायतों के समाधान के लिए कार्यप्रणाली को सक्रिय बनाने के बारे में समय–समय पर प्राप्त दिशा निर्देश इस मंत्रालय के तहत काम करने वाली सभी मीडिया इकाईयों/स्वायत्त निकायों इत्यादि को भेजे जाते हैं। मंत्रालय में शिकायतों के समाधान की निगरानी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव द्वारा की जाती है।

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम करने वाले सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में भी ऐसी ही क्रियाविधि बनायी गयी है।

कैबिनेट सचिवालय के निर्देशों के अनुसार मंत्रालय ने अपने शिकायत निवारण तंत्र में 'सर्वोत्तम शिकायत निवारण प्रणाली दिशा–निर्देश' अपनाए हैं और उस पर की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट को आकलन के लिए कैबिनेट सचिवालय भेजा जाता है।

शिकायतों के समाधान के लिए निर्धारित समय-सीमा

Ø- l-	fo"k;	Lke;
1.	याचिकाकर्ता को पावती/अंतरिम उत्तर जारी करना	3 दिन
2.	शिकायतों/याचिकाओं को संबंधित अधिकारी को भेजना	7 दिन
3.	अंतरिम निपटान के लिए स्थानतरित/संबंधित मंत्रालय/विभाग/राज्य द्वारा निर्देशित मामले/और परिणामों की स्थिति की सूचना देने के लिए समय–सीमा	2 माह
4.	'कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन शोषण' के बारे में शिकायत समिति को मामला सौंपना	2 माह

गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले 'चुनावों में भागीदारी के लिए मतदाताओं का विशेष शिक्षण' कार्यक्रम के प्रचार के लिए डीएफपी द्वारा आयोजित रैली की एक दृश्य

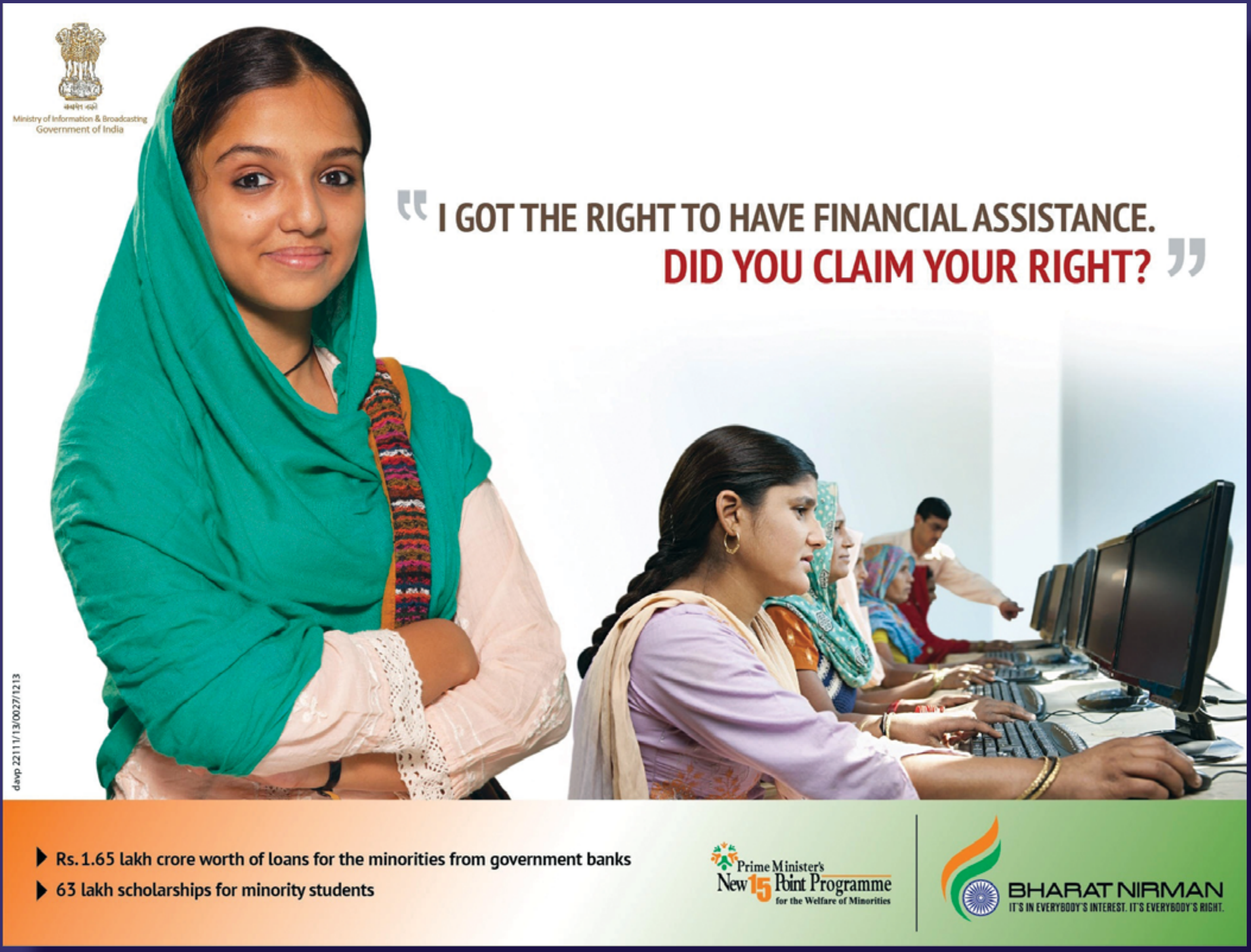
Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
"I GOT THE RIGHT TO HAVE FINANCIAL ASSISTANCE.
DID YOU CLAIM YOUR RIGHT?"
davp 22111/13/0027/1213
Rs. 1.65 lakh crore worth of loans for the minorities from government banks
63 lakh scholarships for minority students
Prime Minister's New 15 Point Programme for the Welfare of Minorities
BHARAT NIRMAN
IT'S IN EVERYBODY'S INTEREST. IT'S EVERYBODY'S RIGHT.

अध्याय

14

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामले

सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई.), 2005 देश के प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि वह प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करने तथा संबंधित प्रासंगिक मामलों के बारे में सरकारी अधिकारियों से जनहित की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना का अधिकार का अर्थ है ऐसी सूचना तक पहुँच का अधिकार, जो किसी सरकारी अधिकारी के अंतर्गत या नियंत्रण में हो और इसमें निम्नांकित अधिकार शामिल हैं:–

1. कार्य, दस्तावेज, रिकार्ड का निरीक्षण।
2. टिप्पणियाँ, सारांश या दस्तावेजों या रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्राप्त करना।
3. सामग्री के प्रमाणित नमूने प्राप्त करना।
4. सीडी अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रानिक मोड में या मुद्रित रूप में सूचना प्राप्त करना, जहाँ ऐसी सूचनाएँ कम्प्यूटर अथवा किस अन्य उपकरण में स्टोर की गयी हों।

मुख्य सचिवालय में आरटीआई अधिनियम का क्रियान्वयन

प्रशासन को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए भारत सरकार के निर्णय अनुपालन में मंत्रालय के द्वारा सूचना एवं सुविधा काउंटर की स्थापना 4 जुलाई, 1997 को की गयी।

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मंत्रालय और इसके संबद्ध, अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों, स्वायत्त निकायों से संबंधित सभी आवेदन, अपील और मुख्य सर्तकता आयुक्त के निर्णय सूचना केन्द्र (आई.एफ.सी.) में प्राप्त होते हैं। अधिनियम के तहत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्राप्त करने और अपीलकर्ता द्वारा दाखिल की गयी अपील के बारे

में निर्णय के लिए मंत्रालय के मुख्य सचिवालय में 21 मुख्य जनसूचना अधिकारी और 15 अपील प्राधिकारी पदनामित किए गए हैं। इनकी सूची मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध है।

01.01.2012 से 31.12.2012 के दौरान आइ.एफ.सी. में 1053 आवेदन और 106 अपील प्राप्त हुए और सभी आवेदकों को आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 में निर्धारित उचित उत्तर दिये गये। आवेदन शुल्क/सूचना प्रभार/निरीक्षण प्रभार के रूप में 29,227/– रुपयों की धनराशि प्राप्त हुई है। भारत के विभिन्न राज्यों के लगभग 700 आगुन्तकों को आई.एस.सी. द्वारा सेवा प्रदान की गयी है। उन्होंने आमतौर पर टीवी चैनलों, केबल टीवी आदि के बारे में जानकारी माँगी थी।

सूचना और सुविधा केन्द्र ने संगठन के ग्राहकों/उपभोक्ताओं को निम्नांकित सेवाएँ प्रदान कीः–

(क) संगठन द्वारा दी गयी सेवाओं, कार्यक्रमों और उसके द्वारा समर्थित योजनाओं तथा संबद्ध नियमों एवं प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी ब्रोशर, फोल्डरों आदि के माध्यम से प्रदान की गयी।

(ख) संगठन की सेवाएं अनुकूल ढंग से, समय पर, सक्षमतापूर्वक पारदर्शी तरीके से प्राप्त करने में ग्राहक/उपभोक्ता को सुविधाएँ प्रदान करना और सार्वजनिक उपयोग के लिए अपेक्षित प्रपत्र आदि उपलब्ध कराना।

(ग) संगठन की सेवाओं/योजनाओं/कार्य प्रणाली के संदर्भ में संगठन द्वारा विकसित सेवा गुणवत्ता मानकों, समय संबंधी मानदंड आदि के बारे में सूचना देना।

(घ) संगठन के जनशिकायत निवारण तंत्र के बारे में श्रेणीबद्ध व्यवस्था की जानकारी देना, और

(ड़) शिकायतों/आवेदनों/अनुरोधों/प्रपत्र/(संगठन द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में) को प्राप्त करना, उनकी पावती देना और उन्हें संगठन में संबंद्ध प्राधिकारी को अग्रसारित करना और उनकी स्थिति/निपटान के बारे में सूचना प्रदान करना।

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत एक सूचना नियमावली सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा तैयार की गयी है, जो सूचना और सुविधा काउंटर पर उपलब्ध है।

लगातार जाँच एवं समीक्षा की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अधिनियम में निहित प्रावधानों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है।।

आर.टी.आई. आवेदनों के निपटारे संबंधी व्यवस्था

आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 के तहत अनुभाग में प्राप्त सभी आवेदनों की छँटनी की जाती है। जिन आर.टी.आई. आवेदनों का संबंध इस मंत्रालय से नहीं होता उन्हें संबद्ध मंत्रालय के सी.पी.आई.ओ. को हस्तांतरित कर दिया जाता है। शेष आवेदन आर.टी.आई. रजिस्टर में आवश्यक प्रविष्टि करने के बाद संबद्ध सी.पी.आई.ओ. को अग्रसारित कर दिये जाते हैं।

बकाया आवेदनों के बारे में अनुवर्ती कार्रवाई की व्यवस्था के रूप में सी.पी.आई. ओ. को 'कलर कोडेट रिमाइंडर' जारी किए जाते हैं, अर्थात 15 दिनों के बाद नीले कागज पर और 25 दिनों के बाद गुलाबी कागज पर क्रमशः अनुस्मरण पत्र भेजा जाता है ताकि आवेदक को निर्धारित 30 दिनों की अवधि में सूचना प्रदान किए जाने में कोई भी कोताही नही होने पाये।

सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का क्रियान्वयन

मंत्रालय ने धारा 4 (ख) (i) और 4 (ख) (ii) के तहत सरकारी प्राधिकरण में उपलब्ध सूचना को बिना मांगे ही जनता को उपलब्ध कराने और उसे वेबसाइट पर डालने का दायित्व पूरा कर दिया है। आंकड़ों की तिमाही रिपोर्ट नियमित रूप से सीआईसी वेबसाइट पर अंतरित की जाती है जिनमें प्राप्त, रद्द की गयी, स्थानान्तरित आवेदनों/अपीलों के आंकड़े दिये जाते हैं।

मंत्रालय के कार्यालयों में सूचना अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन

इस मंत्रालय के तहत सभी संबद्ध/अधीनस्थ/सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों और स्वायत्त निकायों के द्वारा सी.पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों की नियुक्ति की गई है। वे इस बारे में डी.ओ.पी.टी. (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार काम कर रहे हैं।

Ministry of Information & Broadcasting
Government of India
"I GOT THE RIGHT TO HAVE A SAFE MOTHERHOOD.
DID YOU CLAIM YOUR RIGHT?"
More than 1 crore pregnant women benefitted
All medical services related to the delivery are free, including ambulance service and free check-up of the newborn
Janani Shishu Suraksha Karyakram
BHARAT NIRMAN
IT'S IN EVERYBODY'S INTEREST. IT'S EVERYBODY'S RIGHT.

Ministry of Information and Broadcasting
Government of India
'Now that I have financial help
I can fulfill my dreams'
davp 22111/13/0037/1112
Prime Minister's New 15 Point Programme
for the Welfare of Minorities
Improving Access To Education
An inclusive agenda for Minorities
60 ITIs located in Minority Concentration Districts are being upgraded
About 80 lakh scholarships awarded to students of minority communities so far
27 Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas sanctioned for Minority Concentration Districts
A VISION OF
BHARAT NIRMAN
DREAMS BEING REALIZED

तत्कालीन सूचना और प्रसारण मंत्री श्रीमती अंबिका सोनी 26 जुलाई 2012 को नई दिल्ली में पूर्व सूचना एवं प्रसारण सचिव श्रीमती आशा स्वरूप से श्रेत्रीय नवाचार परिषद की रिपोर्ट ग्रहण करते हुए

अध्याय

15

लेखांकन तथा आंतरिक लेखा परीक्षा

सूचना और प्रसारण सचिव मंत्रालय के मुख्य लेखांकन प्राधिकारी हैं। वह अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार तथा मुख्य लेखा नियंत्रक के सहयोग से यह दायित्व निभाते हैं।

मुख्य लेखा नियंत्रक लेखांकन संगठन के प्रमुख हैं। वह अपना कार्य लेखा नियंत्रक, उप लेखा निरिक्षक और 14 वेतन एवं लेखा अधिकारियों की मदद से सम्पन्न करते हैं। वेतन एवं लेखा कार्यालय दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता, चैन्नई, लखनऊ, नागपुर एवं गुवाहाटी में है। मुख्य लेखा नियंत्रक के प्रमुख दायित्व इस प्रकार हैः

- मंत्रालय का वार्षिक बजट तैयार काना और इससे सम्बिंधित कार्य मंत्रालय के प्राप्तियों का लेखा–जोखा रखना और इन्हें समय से भुनाना।
- देशभर में तैनात वेतन एवं लेखाअधिकारियों और संवितरण अधिकारियों की मदद जरिए भुगतान तथा लेखा प्रणाली का प्रबंधन।
- केन्द्रीय लेन–देन विवरण, विनियोग लेखा, केन्द्रिय वित्तीय लेखा और प्राप्ति बजट तैयार करना और उन्हें वित्त मंत्रालय के मुख्य लेखा नियंत्रक को पहुँचाना।
- वर्षभर के लेखा–विवरण (एकाउंट्स एट् ए ग्लांस) का प्रकाशन।
- आंतरिक लेखा परीक्षण टीमों को सामान्य दिशा–निर्देश देना और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (नि.म.प.)कार्यालय से संपर्क बनाए रखना।
- विभिन्न अनुदानों, सहायताओं, ऋणों और बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना तथा इनके पुर्नभुगतान और उपयोग प्रमाण पत्रों पर निगरानी रखना।
- पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभों, जनरल प्राविडेंट फंड और निजी दावों के अन्य मामलों का तेजी से निपटान सुनिश्चित करना।

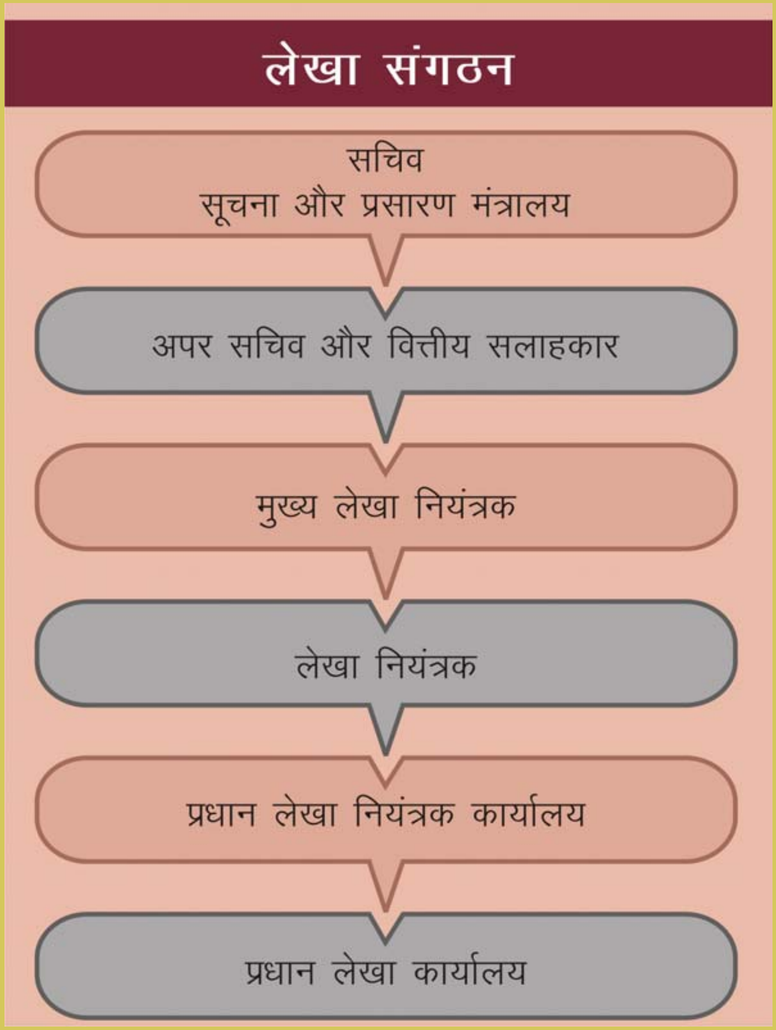

- लेखा संगठन के विभागाध्यक्ष के रूप में मिले अधिकारों का समुचित उपयोग और लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, तबादलों, पदोन्नति, छुट्टियों, सर्तकता और अनुशासन सम्बिंधित मामलों का निपटान
- पत्र–सूचना कार्यालय के आंतरिक वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करना।

भुगतान और लेखांकन प्रणाली

मंत्रालय से संबद्ध भुगतान नामित वेतन और लेखा कार्यालयों द्वारा किए जाते हैं। इस वर्ष मंत्रालय के वेतन एवं लेखा कार्यालय में गर्वनमेंट इलेक्ट्रानिक पेमेंट गेटवे सॉफ्टवेयर के जरिए ई–भुगतान प्रणाली सफलता के साथ लागू की गयी। इस तरह, प्राप्तकर्ताओं को देय राशि अब सीधे उनके खाते में जमा हो जाती है।

मंत्रालय के मासिक खाते और वार्षिक विनियोग खाते नि.म.प. द्वारा निर्धारित प्रारूप में और समय पर तैयार किए जाते है। सभी भुगतान नि.म.प. द्व ारा राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) की मदद से विकसित 'कॉम्पैक्ट' साफ्ट्वेयर के जरिए किए जाते हैं। इन आंकड़ों को सिविल लेखा संगठन के इलेक्ट्रनिक भुगतान और लेखा सॉफ्ट्वेयर प्रणाली–'ई–लेखा' में अपलोड कर दिया जाता है। ई–लेखा प्रणाली दैनिक, मासिक और वार्षिक लेखा प्रक्रिया की रिर्पोटिंग और निगरानी की मुख्य प्रणाली है। वेतन और लेखा अधिकारी अपने मासिक लेखा प्रधान लेखा कार्यालय को प्रस्तुत करते हैं जहां से मंत्रालय के लिए मासिक लेखाओं का संकलन किया जाता है और इसे ई–लेखा मॉड्यूल के तहत महालेखा नियंत्रक को भेज दिया जाता है। इस प्रणाली के परिणामस्वरूप निचले से निचले स्तर पर बजट आवंटन के समानान्तर व्यय की रोजना रिर्पोटिंग की जा सकती है। इस तरह केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभागों की समाजिक परियोजनाओं का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सकता है।

मंत्रालय की प्राप्तियों और भुगतानों का मासिक सारांश तथा पिछले वर्ष उसी अवधि के आंकड़ों का सार–संक्षेप मंत्रालय की वेबसाइट् में देखा जा सकता है।

इर्ला (इंडिविजुअल रनिंग लेजर एकाउंट)

यह कार्यालय अन्य मंत्रालयों के विभाग–केंन्द्रित वेतन और लेखा कार्यालयों के साथ ही विकसित किया गया है। इर्ला प्रणाली का उद्देश्य सेवा और भुगतानों का एक केन्द्रीय तंत्र बनाना है ताकि मंत्रालय की सभी मीडिया इकाईयों और प्रसार भारती के अधिकारी, पूरे देश में तबादले वाली सेवाएं होने के बावजूद, आसानी से अपना वेतन पा सकें। मंत्रालय और प्रसार भारती के देशभर में फैले कार्यालयों की सेवा और वेतन संबंध ी रिकार्ड इर्ला में रखे जाते है। यही दफ्तर करीब 1700 सेवारत अध िकारियों और करीब 11000 सेवानिवृत

अधिकारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान का प्रबंध करता है। लेखा नियंत्रक इस कार्यालय के प्रमुख है जिनके अधीन 4 लेखा अधिकारी और 8 सहायक लेखा अधिकारी हैं। अधिकारियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए प्रणाली को समुन्नत करने के प्रयास किए जा रहे है।

आंतरिक लेखा

आंतरिक लेखा सरकारी वित्त प्रबंध का अभिन्न अंग है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सरकारी रकमों का उचित तरीके से और नियमानुसार प्राप्ति और भुगतान हो सके। आंतरिक लेखा के जरिए लेखा रिर्काडों के स्तर की भी रिर्पोटिंग होती है ताकि सरकारी कोष को लेखा दस्तावेजों में सही तरीके से दिखाया जाये। केन्द्र सरकार के कुछ मंत्रालयों में आंतरिक लेखा का कार्य, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा निर्धारित कार्य आवंटन नियमों के तहत, लेखा महानियंत्रक द्वारा किया जाता है। इन नियमों के आइटम 6(सी) में, अन्य बातों के अलावा, यह कहा गया है कि मुख्य लेखा नियंत्रक 'केन्द्रीय सिविल लेखा कार्यालयों द्वारा लेखाओं के रखरखाव के उचित मानक सुनिश्चित करेंगे'।

वित्त मंत्राालय के व्यय विभाग में वित्तीय सलाहकारों को संशोधित चार्टर जारी किया है जिसमें कहा गया है के मुख्य लेखा नियंत्रकों/लेखा नियंत्रकों के नियंत्रण और निगरानी में आंतरिक लेखा स्कंध मात्र सरकारी प्राप्तियों और भुगतानों की सही व्यवस्था लागू करने और इसके नियमन तक ही सीमित न रहें बल्कि इसके आगे भी निम्नलिखित बातों को ध्यान रखें :

- वित्तीय प्रणालियों में आंतरिक नियंत्रणों के सुचारू और कारगर तरीके से चलना सुनिश्चित करना और वित्तीय तथा लेखा रिर्पोटों की विश्वसनीयता बनाए रखना।
- जोखिम वाले घटकों (परिणाम सहित) की पहचान और निगरानी ।
- सेवा डिलीवरी प्रणाली में किफायत, कुशलता और इसके कारगर होने का आकलन ताकि पैसे का सही इस्तेमाल हो।
- प्रक्रियाओं के चलने के दौरान भी समय–समय पर कारगर तरीके से उनकी निगरानी

इस तरह संशोधित चार्टर में आंतरिक लेखा परीक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब इसमें मात्र यही शामिल नहीं है कि लेखा और वित्तीय मामलों में नियमेां और प्रावधानों का ठीक से पालन सुनिश्चित हो रहा है या नहीं, बल्कि अब इसमें विभिन्न कार्यक्रमों की प्रगति का आंकलन, आंतरिक नियंत्रण के कारगर होने की पड़ताल और जोखिम वाले घटकों तथा कार्यकुशलता आदि पर निगरानी रखना भी शामिल हो गया है।

आंतरिक लेखा का दायरा बढ़ाने की वर्तमान नीतियां अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे ही प्रयासों के अनुरूप हैं। विश्वभर में अब लेखा प्रणाली में सरकारी कार्यों के आर्थिक और समाजिक पक्षों की विस्तृत समीक्षा भी शामिल हो गयी है। इसे अक्सर 'ध्
ान के सही उपयोग' (वेल्यू फॉर मनी) अथवा कार्यान्वयन ऑडिट कहा जाता है जो अबतक मात्र कायदे–कानूनों का ठीक से लागू हो जाना (कम्प्लाएंस ऑडिट) सुनिश्चित करने तक सीमित था। इस नये माहौल में, आंतरिक लेखा परीक्षक कार्यक्रमों को आंतरिक नियंत्रणों और उनकी कार्यकुशलता तथा व्यापकता के दायरे में परखते हैं और इस तरह इन कार्यक्रमों के प्रबंध
ाकों की मदद करते हैं। इस प्रक्रिया से कार्यक्रमों के जारी रहने के दौरान बीच में ही उनका आकलन सम्भव हो सकता है।

आंतरिक लेखा स्कंध वित्तीय सलाहकार के निर्देशन में कार्य करता है। इसके अर्न्तगत कारगर आंतरिक लेखा प्रणाली सुनिश्चित करते हुए सरकारी अवसंरचनाओं, क्षमता निर्माण और उपयुक्त टेक्नॉलाजी के इस्तेमाल पर बल दिया गया है।

निरीक्षण दलों का मुख्य कार्य देशभर में 725 इकाइयों में (प्रसार भारती–622, अन्य–103) आहरण और संवितरण अधिकारियों की मदद करना है ताकि वे अपनी वित्तीय जिम्मेदारियों को सही तरीके से सम्पन्न कर सकें। आर्थिक और कार्यप्रणाली की सुविध
ाा तथा किफायत के मद्देनजर, नई दिल्ली, चैन्नई, मुम्बई और कोलकला में क्षेत्रीय आंतरिक लेखा पार्टियां गठित की गईं हैं। ये ऑडिट पार्टियां अपने क्षेत्र की लेखा रिर्पोटों का आंकलन करके उन्हें जांच तथा जरूरी मंजूरियां हासिल करने के लिए लेखा परीक्षा मुख्यालय भेजती हैं। मुख्यालय में इनकी समीक्षा की जाती है और इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मुख्य लेखा नियंत्रक/ लेखा नियंत्रक द्वारा प्रभागीय प्रमुखों के साथ चर्चा के बाद इनका शीघ्र निपटान सुनिश्चित किया जाता है।

2011–12 के दौरान आंतरिक लेखा पार्टियों ने 93 (प्रसार भारती तथा अन्य) इकाइयों की लेखा परीक्षा की। इस दौरान सरकारी बकाया राशियों की जल्दी वसूली, नुकसान/गैर जरूरी खर्च रोकने, अग्रिम राशियों के समायोजन लेखा नीतियों और नियमों के पालन और सरकारी पैसे की समय से वसूली पर विशेष ध्यान दिया गया।

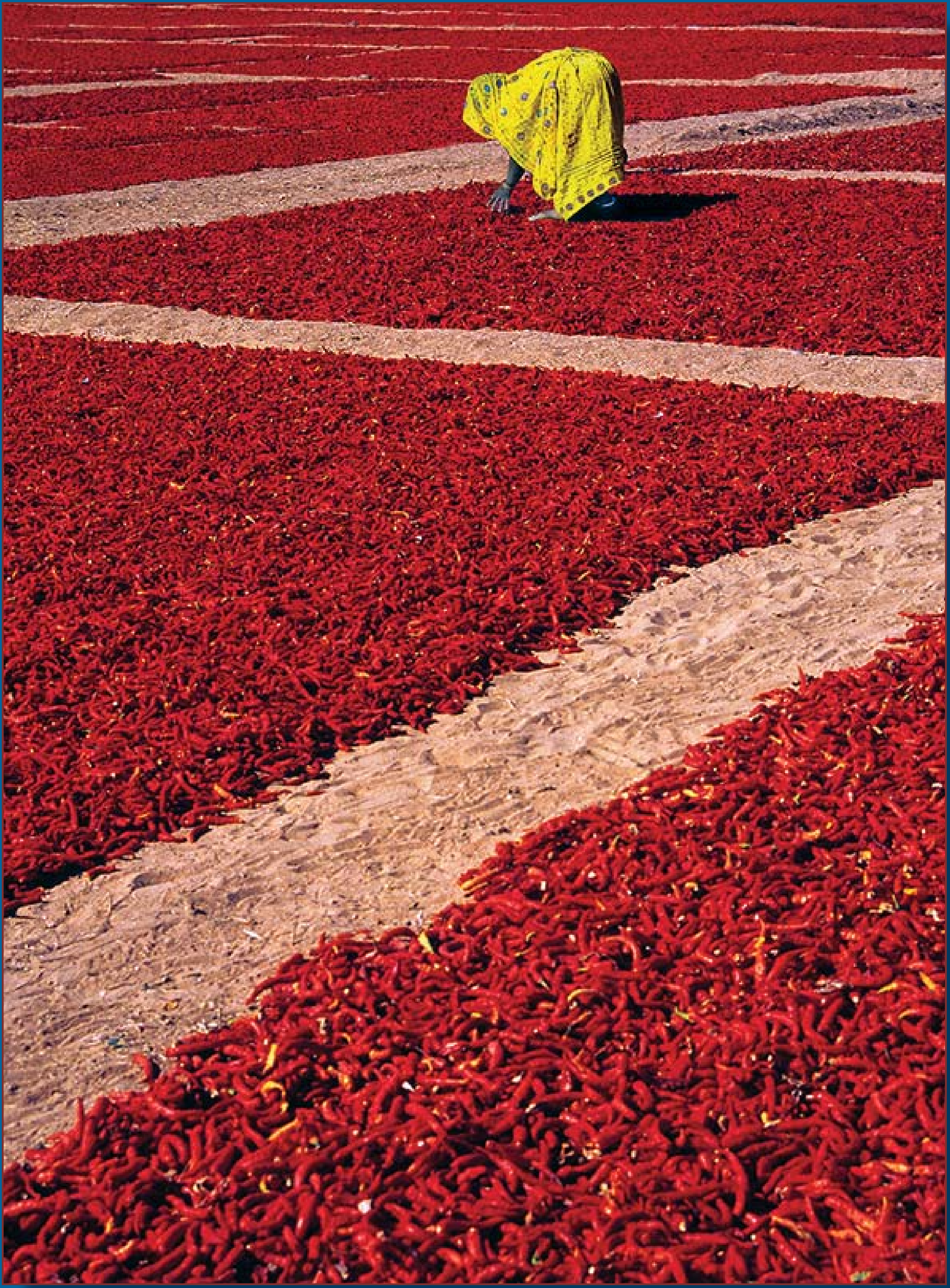

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

अध्याय

16

नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

(कैलेंडर वर्ष के दौरान प्राप्त की गई)

1	रिपोर्ट संख्या 1, 2011–12	1.4	व्ययों का अनुदान के अनुसार समयबद्ध विश्लेषण
2	रिपोर्ट संख्या 1, 2011–12	2.4.6	प्रोफार्मा लेखा की स्थिति, फिल्म डिवीजन, मुम्बई
3	रिपोर्ट संख्या 1, 2011–12	3.12	100 करोड़ रुपयों या अधिक रकम का बकाया रह जाना
4	रिपोर्ट संख्या 1, 2011–12	3.13	100 करोड़ रुपयों या अधिक रकम का लगातार बकाया रह जाना
5	रिपोर्ट संख्या 1, 2011–12	3.16	31.03.2012 को बकाया रकम की वापसी
6	रिपोर्ट संख्या 1, 2011–12	3.23	आवंटित राशि का लगातार बकाया रह जाना
7	रिपोर्ट संख्या 1, 2011–12	3.25	उप–शीर्ष के तहत 100 करोड रुपयों या अधिक रकम बकाया रह जाना
8	रिपोर्ट संख्या 33, 2011–12	6.1	निष्क्रिय निवेष और टीवी ट्रांसमीटरों का पूरा उपयोग न होना
9	रिपोर्ट संख्या 33, 2011–12	6.2	सेवाकर पर दंड और ब्याज का भुगतान, जिसे रोका जा सकता था।
10	रिपोर्ट संख्या 33, 2011–12	6.3	बड़ी नकद राशि को बिना जमा किए रोके रखना और लोकलेखा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा न करना
11	रिपोर्ट संख्या 33, 2011–12	6.4	अतिरिक्त वाणिज्यिक समय की शॉर्ट बिलिंग
12	रिपोर्ट संख्या 33, 2011–12	6.5	निर्धारित शुल्कों की उगाही नहीं हो पाने के कारण नुकसान
13	रिपोर्ट संख्या 33, 2011–12	1.1.1	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के लिए जारी अनुदान एवं ऋण
14	रिपोर्ट संख्या 33, 2011–12	1.1.2	केन्द्रीय स्वायत्त निकायों द्वारा लेखा विवरणों को प्रस्तुत करने में देरी
15	रिपोर्ट संख्या 13, 2011–12	6.1	फिल्म्स डिवीजन, मुम्बई द्वारा उसे मिलने वाले किराये की उगाही नहीं हो पाना
16	रिपोर्ट संख्या 13, 2011–12	12.1	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रसारण खंड द्वारा सीएजी पैरा अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में
17	रिपोर्ट संख्या 13, 2011–12	12.2	मंत्रालयों/विभागों द्वारा मसौदा पैरा पर कार्रवाई के बारे में

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

अध्याय

17

कैट के फैसलों/आदेशों का पालन

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के निर्देशों के अनुरूप, कैट के विभिन्न फैसलों/आदेशों के बारे में मीडिया इकाइयों और मंत्रालय के मुख्य सचिवालय से जानकारी हासिल की गई। 2011–12 का विवरण अगले पृष्ट पर दिया जा रहा है–

Øe l[;k	ehfM;k bdkbZ	2011&12 esa dksVZ ls ikIr vkns'k	2011&12 esa dk;kZfUor@ QSlys
1	मुख्य सचिवालय*	7	1
2	डीजीःडीएवीपी	0	0
3	प्रकाशन विभाग	0	0
4	पत्र सूचना कार्यालय	5	2
5	गीत और नाटक प्रभाग	7	6
6	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	0	0
7	आरएनआई	0	0
8	फोटो प्रभाग	0	0
9	गवेषणा, संदर्भ, प्रशिक्षण प्रभाग	0	0
10	भारतीय प्रेस परिषद	0	0
11	आइआइएमसी	2	2
12	आकाशवाणी महानिदेशालय	117	82
13	दूरदर्शन महानिदेशालय	63	50
14	बेसिल	0	0
15	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड**		
16	एसआरएफटीआई	6	6
17	एफटीआईआई	0	0
18	फिल्म प्रभाग	5	5
19	एनएफडीसी	0	0
20	एनएफएआई	1	1
21	सीएफएसआई	0	0
22	फिल्म समारोह निदेशालय	1	1
23	पीएओ**		
24	ईएमएमसी**		
	कुल	214	156

* मुख्य सचिवालय के आंकड़ों में आईबीपीएस तथा आईबीईएस कैडर/एमयूसी/प्रेस/बीसी–1/बीपीएंडएल/एफ–एस/एफ–सी/एफ–ए अनुभागों से सम्बिन्धित जानकारी नहीं है।

** जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

अध्याय

18

योजना परिव्यय

1. वर्ष 2012–13 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के योजना कार्यक्रमों के लिए योजना परिव्यय ₹1305 करोड़ था। (जीबीएस के लिए 905 करोड़ रुपये + आईईबीआर के लिए 400 करोड़ रुपये) योजना परिव्यय का विवरण इस प्रकार है:–

				¼djkM ₹ e½
Ø-l[;k	{k=	Tkhch,l	vkbbchvkj	dy
1	सूचना क्षेत्र	188.00	0.00	188.00
2	फिल्म क्षेत्र	109.00	0.00	109.00
3	प्रसारण क्षेत्र	608.00	400.00	1008.00
	dy	905-00	400-00	1305-00

वार्षिक योजना 2012–13 का मीडिया इकाई–वार एवं स्कीम–वार बंटवारा क्रमशः अनुलग्नक 1, 2 और 3 में दिया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए ₹ 93.55 करोड़ का घटक कुल योजना परिव्यय (जीबीएस) का 10.34 प्रतिशत है। कुल योजना परिव्यय ₹ 905 करोड़ का है। पूर्वोत्तर घटक का विवरण इस प्रकार है:

	¼djkM ₹ e½
Lkpuk {k=	
पत्र सूचना कार्यालय	1.70
प्रकाशन विभाग	0.20
विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	11.00
भारतीय जनसंचार संस्थान	0.20
फोटो प्रभाग	0.05
क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	1.00
गीत एवं नाटक प्रभाग	0.80
भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	0.10
मुख्य सचिवालय (सूचना स्कंध योजनाएँ)	1.50
fQYe {k=	
केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0.30
मुख्य सचिवालय (फिल्म स्कंध योजनाएँ)	4.20
i lkj.k {k=	
आकाशवाणी	45.00
दूरदर्शन	27.00
मुख्य सचिवालय (प्रसारण)	0.50
dy% lpuk ,o i lkj.k e=ky;	93-55

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

वार्षिक योजना 2012–13

बजट अनुमान विवरण (बअवि)2012–13

(मीडिया इकाई–वार स्थिति)

¼djksM+ #0 esa½

Øl|	ehfM;k bdkbZ dk uke	Okkf"kZd ;kstuk 2010&11			Okkf"kZd ;kstuk 2011&12												Okkf"kZd ;kstuk 2012&13					
		OkkLrfod O;;			ctV vuqeku						l'kksf/kr vuqeku						ctV vuqeku					
v	dsUnzh; {ks= dh ;kstuk							fuf'pr ifjO;;						fuf'pr ifjO;;						fuf'pr ifjO;;		
		Tkhch,l	vkbbch vkj	dqy	Tkhch,l	vkbbch vkj	dqy	iwathxr	,l lh ,l ih*	Vh,l ih*	Tkhch,l	vkbbch vkj	dqy	iwathxr	,l lh ,l ih*	Vh,l ih*	Tkhch,l	vkbbch vkj	dqy	iwathxr	,l lh ,l ih*	Vh,l ih*
¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½	¼7½	¼8½	¼9½	¼10½	¼11½	¼12½	¼13½	¼14½	¼15½	¼16½	¼17½	¼18½	¼19½	¼20½	¼21½	¼22½	¼23½
I	lwpuk {ks=																					
1	पत्र सूचना कार्यालय	33.91	0.00	33.91	35.25	0.00	35.25	2.00			44.75	0.00	44.75	2.00			26.00	0.00	26.00	1.70		
2	प्रकाशन विभाग	0.30	0.00	0.30	1.00	0.00	1.00	0.00			0.59	0.00	0.59	0.00			2.00	0.00	2.00	0.20		
3	विज्ञा.एवं दृ. प्रचार निदे.	49.48	0.00	49.48	56.00	0.00	56.00	0.00			88.79	0.00	88.79	0.00			110.00	0.00	110.00	11.00		
4	भारतीय जनसंचार संस्थान	3.70	0.00	3.70	20.00	0.00	20.00	0.80			4.90	0.00	4.90	0.40			11.00	0.00	11.00	0.20		
5	फोटो प्रभाग	0.63	0.00	0.63	2.10	0.00	2.10	0.02			1.75	0.00	1.75	0.02			0.50	0.00	0.50	0.05		
6	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	0.96	0.00	0.96	4.00	0.00	4.00	0.60			2.79	0.00	2.79	0.35			10.00	0.00	10.00	1.00		
7	गीत एवं नाटक प्रभाग	5.97	0.00	5.97	6.00	0.00	6.00	1.15			6.00	0.00	6.00	1.15			8.00	0.00	8.00	0.80		
8	गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशि. विभाग	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.25	0.00			0.25	0.00	0.25	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
9	भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	0.17	0.00	0.17	0.17	0.00	0.17	0.00			0.17	0.00	0.17	0.00			0.30	0.00	0.30	0.10		
	;ksx ¼1 ls 9½	95-12	0-00	95-12	124-77	0-00	124-77	4-57			149-99	0-00	149-99	3-92			167-80	0-00	167-80	15-05		
	eq[; lfpoky; ;kstuk,¡																					
10	सूचना भवन का निर्माण (चरण–5)	18.00	0.00	18.00	36.22	0.00	36.22	0.00			31.30	0.00	31.30	0.00			15.00	0.00	15.00	0.00		

¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½	¼7½	¼8½	¼9½	¼10½	¼11½	¼12½	¼13½	¼14½	¼15½	¼16½	¼17½	¼18½	¼19½	¼20½	¼21½	¼22½	¼23½
11	विकास प्रयासों का आर्थिक विश्लेषण	0.13	0.00	0.13	0.50	0.00	0.50	0.00			0.06	0.00	0.06	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
12	मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण	3.38	0.00	1.38	1.50	0.00	1.50	0.00			1.50	0.00	1.50	0.00			2.20	0.00	2.20	0.00		
13	विकास समर्थन के लिए पूर्वोत्तर/जम्मू एवं कश्मीर और अन्य चिह्नित क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	2.00	0.00		
14	अध्ययन, सेमिनार, मूल्याँकन आदि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00		
	;kx¼ e[; l fpoky;	19-51	0-00	19-51	38-22	0-00	38-22	0-00			32-86	0-00	32-86	0-00			20-20	0-00	20-20	1-50		
	dy¼ Lkpuk {k=	114-63	0-00	114-63	162-99	0-00	162-99	4-57			182-85	0-00	182-85	3-52			188-00	0-00	188-00	16-55		
नोटः वर्ष 2010–11 के दौरान पत्र सूचना कार्यालय के वास्तविक व्ययों में राष्ट्रमंडल खेलों के 19.86 करोड़ रुपयों को शामिल किया गया है।																						
II	fQYe {k=																					
1	फिल्म प्रभाग	40.05	0.00	40.05	74.01	0.00	74.01	0.70			59.50	0.00	59.50	0.70			3.90	0.00	3.90	0.00		
2	रा. फिल्म अभिलेखागार	9.99	0.00	9.99	20.00	0.00	20.00	0.00			20.00	0.00	20.00	0.00			5.00	0.00	5.00	0.00		
3	फिल्म समारोह निदेशालय	12.30	0.00	12.30	9.68	0.00	9.68	0.00			8.68	0.00	8.68	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00		
4	भारतीय बाल फिल्म समि.	4.00	0.00	4.00	7.00	0.00	7.00	0.70			7.00	0.00	7.00	0.70			0.00	0.00	0.00	0.00		
5	के. फिल्म प्रमाण‍न बोर्ड	1.60	0.00	1.60	2.20	0.00	2.20	0.00			2.20	0.00	2.20	0.00			3.00	0.00	3.00	0.30		
6	रा. फिल्म विकास निगम	17.99	0.00	17.99	20.83	0.00	20.83	0.00			16.67	0.00	16.67	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
7	फिल्म एवं दूरदर्शन संस्थान, पुणे	7.00	0.00	7.00	11.32	0.00	11.32	0.00			9.52	0.00	9.52	0.00			7.00	0.00	7.00	0.00		
8	सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान कोलकाता	7.00	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00			8.80	0.00	8.80	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00		
	;kx ¼1 l 8 rd½	99-93	0-00	99-93	152-04	0-00	152-04	1-40			132-37	0-00	132-37	1-40			34-90	0-00	34-90	0-30		
	Ek[; l fpoky; ;kstuk,¡																					
9	देश–विदेश में फिल्म बाजारों में भागीदारी	1.75	0.00	1.75	4.20	0.00	4.20	0.00			4.20	0.00	4.20	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
10	एनीमेशन, गेमिंग और स्पेशल इफैक्टस के लिए उत्कृष्टता केन्द्र का गठन	0.15	0.00	0.15	2.00	0.00	2.00	0.00			2.00	0.00	2.00	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00		

¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½	¼7½	¼8½	¼9½	¼10½	¼11½	¼12½	¼13½	¼14½	¼15½	¼16½	¼17½	¼18½	¼19½	¼20½	¼21½	¼22½	¼23½
11	राष्ट्रीय फिल्म हेरिटेज मि.	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00			0.50	0.00	0.50	0.00			20.00	0.00	20.00	0.00		
12	भारत एवं विदेशों में फिल्म समारोह तथा फिल्म बाजार के माध्यम से भारतीय सिनेमा का संवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			15.00	0.00	15.00	1.20		
13	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्म एवं वृत्तचित्रों का निमार्ण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			35.00	0.00	35.00	3.00		
14	भारतीय सिनेमा शताब्दी समारोह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	0.00	3.00	0.00		
15	एंटी–पायरेसी प्रयास	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			0.10	0.00	0.10	0.00		
	;kx ¼e[; lfpoky;½	1-90	0-00	1-90	11-20	0-00	11-20	0-00			6-70	0-00	6-70	0-00			74-10	0-00	74-10	4-20		
	;kx fQYe {k=	101-83	0-00	101-83	163-24	0-00	163-24	1-40			139-07	0-00	139-07	1-40			109-00	0-00	109-00	4-50		
III	i¡lkj.k {k=																					
1	आकाशवाणी	0.00	0.00	0.00	260.37	0.00	260.37	58.25			188.95	0.00	188.95	52.25			299.00	150.00	449.00	45.00		
2	दूरदर्शन	0.00	0.00	0.00	271.40	0.00	271.40	21.91			272.40	0.00	272.40	21.91			286.00	250.00	536.00	27.00		
	dqYk i¡lkj Hkkjrh	570-80	0-00	570-80	531-77	0-00	531-77	80-16			461-35	0-00	461-35	74-16			585-00	400-00	985-00	72-00		
	e[; lfpoky; ;kstuk,¡																					
1	इलैक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र	1.84	0.00	1.84	2.18	0.00	2.18	0.00			2.18	0.00	2.18	0.00			10.00	0.00	10.00	0.00		
2	निजी एफएम रेडियो	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00			0.01	0.00	0.01	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
3	अतर्राष्ट्रीय चैनल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00			0.01	0.00	0.01	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
4	सामुदायिक रेडियो के लिए आईईसी गतिविधि	0.72	0.00	0.72	0.80	0.00	0.80	0.00			1.25	0.00	1.25	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		
5	भारत में सामुदायिक रेडियो को बढ़ावा देने के उपाय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			5.00	0.00	5.00	0.50		
6	डिजिटाइजिंग को बढ़ावा देने के लिए आईईसी गतिविधियॉं	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			3.00	0.00	3.00	0.00		
7	मंत्रालय में इंफ्रास्टक्चर सपोर्ट सेल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	2.00	0.00		

¼1½	¼2½	¼3½	¼4½	¼5½	¼6½	¼7½	¼8½	¼9½	¼10½	¼11½	¼12½	¼13½	¼14½	¼15½	¼16½	¼17½	¼18½	¼19½	¼20½	¼21½	¼22½	¼23½
8	केबल टीवी उद्योग के डिजिटल वायरलाईन ब्रॉडकास्टिंग में क्षमता निर्माण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			2.00	0.00	2.00	0.00		
9	ऑटोमेशन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00			1.00	0.00	1.00	0.00		
	;kx e[; lfpoky;	2-56	0-00	2-56	3-00	0-00	3-00	0-00			3-45	0-00	3-45	0-00			23-00	0-00	23-00	0-50		
	;kx i-lkj.k {k=	573-36	0-00	573-36	534-77	0-00	534-77	80-16			464-80	0-00	464-80	74-16			608-00	400-00	1008-00	72-50		
	dqy ;kx ¼l-i- e=ky;½	789-82	0-00	789-82	861-00	0-00	861-00	86-13			786-72	0-00	786-72	79-48			905-00	400-00	1305-00	93-55		

ukV%

1. यह मंत्रालय मुख्य रूप से ऐसा नीति निर्धारक केन्द्रीय संगठन है जिसकी कोई महत्त्वपूर्ण लाभार्थी योजनाएँ नहीं है। इसलिए योजना आयोग द्वारा विशेष घटक योजना के अर्न्तगत परिव्यय के लिए निर्धारित छूट स्वीकृत की गयी है। (देखें: DO No. 11016/12 (1/2009–PC दिनांक 15.12.2010)

2. वर्ष 2010–11 के दौरान प्रसार भारती के वास्तविक व्यय ₹ 271.36 करोड़ में क्रमशः प्रसार भारती के लिए व्यय और राष्ट्रमंडल खेलों के आईटीपीओ घटक के लिए व्यय को शामिल किया गया है (अर्थात ₹ 236.59 करोड़ और ₹ 34.77 करोड़)।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

वार्षिक योजना 2012–13

Øe l-	Ldhe dk uke	2012&13 okf"kd ;kstuk ds fy, Lohd`r ifj0;;					
					iokÙkj ?kVd		
		iwath	jktLo	dqy ifj0;;	iwath	jktLo	dqy iokÙkj
1	2	3	4	5	6	7	8
lwpuk {ks=							
	ubZ Ldhe						
1	Ldhe 1 % ehfM;k volajpuk fodkl dk;Øe						
1.1	डीएवीपी की पुर्नसंरचना और नया स्वरूप देना (डीएवीपी)	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
1.2	पीआईबी का आधुनिकीकरण (पीआईबी)	0.00	5.00	5.00	0.00	0.50	0.50
1.3	आईआईएमसी के नये क्षेत्रीय केंद्र खोलना (आईआईएमसी)	1.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.20
1.4	प्रकाशन विभाग और इंप्लॉयमेंट न्यूज का सशक्तिकरण, उन्नयन और आधुनिकीकरण (प्रकाशन विभाग)	0.00	2.00	2.00	0.00	0.20	0.20
1.5	राष्ट्रीय फोटोग्राफी केन्द्र और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष अभियान	0.00	0.50	0.50	0.00	0.05	0.05
1.6	आरएनआई मुख्यालय को बेहतर बनाना (आरएनआई)	0.00	0.30	0.30	0.00	0.10	0.10
1.7	राज्यों में केन्द्रीय सूचना भवन बनाना (डीएफपी)	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	dqy	3-00	17-80	20-80	0-20	0-85	1-05
2	Ldhe 2 % fodkl lapkj vkSj tkudkjh iznku djuk						
2.1	विकास संचार के जरिए लोगों का सशक्तीकरण (धारणा और क्रियान्वयन) (डीएवीपी)	0.00	100.00	100.00	0.00	11.00	11.00
2.2	मीडीया आउटरीच कार्यक्रम और विशेष घटनाओं का प्रचार (पीआईबी)	0.00	12.00	12.00	0.00	1.20	1.20
2.3	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय का सीधे सम्पर्क कार्यक्रम (डीएफपी)	0.00	8.00	8.00	0.00	1.00	1.00
2.4	जीवंत कला और संस्कृति प्रारूप (गी. ना. प्रभाग)	0.00	8.00	8.00	0.00	0.80	0.80
	dqy	0-00	128-00	128-00	0-00	14-00	14-00

Øe l-	Ldhe dk uke	2012&13 okf"kd ;kstuk dk fy, LohÑr ifj0;;					
					iokÙkj ?kVd		
		i|th	jktLo	d|y ifj0;;	i|th	jktLo	d|y iokÙkj
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Ldhe 3 % ekuo lalk/ku fodkl						
3.1	मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण (प्रसार भारती के अतिरिक्त) (मुख्य सचिवालय)	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
3.2	अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कार्यक्रम (मुख्य सचिवालय)	0.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
3.3	तीनों क्षेत्रों और मीडिया इकाइयों सहित नीति आधारित अध्ययन, सेमिनार, आकलन आदि (मुख्य सचिवालय)	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	d|y	0-00	3-20	3-20	0-00	0-00	0-00
4	Ldhe 4 % fo'k"k ifj;kstuk,						
4.1	पूर्वोत्तर/जम्मू–कश्मीर और अन्य नामित क्षेत्रों के लिए विकास सहायता (मुख्य सचिवालय)	0.00	2.00	2.00	0.00	1.50	1.50
	d|y	0-00	2-00	2-00	0-00	1-50	1-50
5	Ldhe 5 % igyk ls tkjh Ldhe						
5.1	नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र बनाना (पीआईबी)	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
5.2	आईआईएमसी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्नयन (आईआईएमसी)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
5.3	सूचना भवन का निर्माण (मुख्य सचिवालय)	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
	d|y ¼lwpuk {k=½	34-00	0-00	34-00	0-00	0-00	0-00
	d|y ;kx ¼lwpuk {k=½	37-00	151-00	188-00	0-20	16-35	16-55
fQYe {k=							
	ubl Ldhe						
1	fQYe {k= ls lc) volajpuk fodkl dk;Øe						
1.1	सीबीएफसी का उन्नयन, आधुनिकीकरण और विस्तार (सीबीएफसी)	3.00	0.00	3.00	0.30	0.00	0.30
1.2	सीरी फोर्ट परिसर का उन्नयन (डीएफएफ)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
1.3	फिल्म प्रभाग के भवन को बेहतर बनाना (एफडी)	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
1.4	जयकर बंगले सहित एनएफएआई की अवसंरचना का उन्नयन और डिजिटल लाईब्रेरी बनाना (एनएफएआई)	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
1.5	एफटीआईआई को अनुदान सहायता –उन्नयन और आधुनिकीकरण (एफटीआईआई)	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
1.6	एसआरएफटीआई का अवसंरचना विकास (एसआरएफटीआई)	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
	d|y	23-00	0-00	23-00	0-30	0-00	0-30

Øe la-	Ldhe dk uke		2012&13 okf"kZd ;kstuk ds fy, LohÑr ifj0;;				
					iokÙkj ?kVd		
		iw¡th	jktLo	dqy ifj0;;	iw¡th	jktLo	dqy iokÙkj
1	2	3	4	5	6	7	8
2	fodkl lapkj vkSj fQYe lkexzh dk izlkj						
2.1	देश विदेश में फिल्म समारोह और फिल्म बाजारों के जरिए भारतीय सिनेमा को बढ़ावा देना (मुख्य सचिवालय)	0.00	15.00	15.00	0.00	1.20	1.20
2.2	विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और वृत्तचित्रों का निर्माण (मुख्य सचिवालय)	0.00	35.00	35.00	0.00	3.00	3.00
2.3	भारतीय सिनेमा शताब्दी समारोह (मुख्य सचिवालय)	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2.4	फिल्म आरकाइव्स की वेबकास्टिंग (एफडी)	0.00	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00
2.5	अभिलेखीय महत्व की फिल्में और फिल्म सामग्री हासिल करना (एनएफएआई)	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	dqy	0-00	55-90	55-90	0-00	4-20	4-20
3	fe'ku@fo'ks"k ifj;kstuk,a						
3.1	राष्ट्रीय फिल्म धरोहर मिशन (मुख्य सचिवालय)	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
3.2	एंटीपाइरेसी प्रयास (मुख्य सचिवालय)	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00
3.3	एनिमेशन, गेमिंग और वीएफएक्स के लिए एक उत्कृष्ट केन्द्र की स्थापना	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	dqy	0-00	21-10	21-10	0-00	0-00	0-00
4	igys ls tkjh Ldhesa						
4.1	भारतीय सिनेमा राष्ट्रीय संग्रहालय (एफडी)	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
4.2	एसआरएफटीआई को अनुदान (एसआरएफटीआई)	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00
	dqy	1-00	8-00	9-00	0-00	0-00	0-00
	dqy ;ksx ¼fQYe {ks=½	24-00	85-00	109-00	0-30	4-20	4-50
izlkj.k {ks=							
	vkdk'kok.kh						
	डीबीएस	247.00	52.00	299.00			
	आईईबीआर	0.00	150.00	150.00			
	dqy	247-00	202-00	449-00	45-00	0-00	45-00
	njn'kZu						
	डीबीएस	226.00	60.00	286.00			
	आईईबीआर	0.00	250.00	250.00			
	dqy	226-00	310-00	536-00	27-00	0-00	27-00

Øe l-	Ldhe dk uke		2012&13 okf"kZd ;kstuk dk fy, LohÑr ifj0;;				
					iokÙkj ?kVd		
		iwath	jktLo	dqy ifj0;;	iwath	jktLo	dqy iokÙkj
1	2	3	4	5	6	7	8
	eq[; lfpoky; ¼izlkj.k½						
	इलेक्ट्रानिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर को मजबूत बनाना (ईएमएमसी)	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	भारत में सामुदायिक रेडियो आंदोलन को बढ़ावा देना	0.00	5.00	5.00	0.00	0.50	0.50
	डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आईईसी गतिविधियाँ	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
	मंत्रालय में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सेल बनाना	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	प्रसारण विंग में डिजिटल वायर लाइन के लिए प्रशिक्षित कर्मी जुटाकर केबल टीवी उद्योग में क्षमता निर्माण	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	प्रसारण विंग में स्वचालन व्यवस्था	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	dqy ¼eq[; lfpoky;½	10-00	13-00	23-00	0-00	0-50	0-50
	dqy izlkj.k {ks=	483-00	525-00	1008-00	72-00	0-50	72-50
	dqy ;ksx ¼ l- iz- eU=ky;	544-00	761-00	1305-00	72-50	21-05	93-55

fVIi.kh 1 ½ आकाशवाणी (डीबीएस) के ₹ 52 करोड़ के राजस्व परिव्यय में से ₹ 25 करोड़ सॉफ्ट्वेयर निर्माण तथा वितरण और ₹ 27 करोड़ विभिन्न केंद्रों में इंजीनियरी साज–सामान के लिए है।

fVIi.kh 2 ½ दूरदर्शन के ₹ 60 करोड़ के राजस्व परिव्यय में ₹ 35 करोड़ सॉफ्ट्वेयर निर्माण तथा वितरण और ₹ 27 करोड़ विभिन्न केंद्रों में इंजीनियरी साज–सामान के लिए है।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

वार्षिक योजना 2012–13 (संशोधित स्कीम–वार विवरण)

¼djksM+ ₹ esa½

Øe l-	Ldhe dk uke	2012&13 okf"kZd ;kstuk dk fy, LohÑr ifj0;;					
					iokÙkj ?kVd		
		iwath	jktLo	dqy ifj0;;	iwath	jktLo	dqy iokÙkj
1	2	3	4	5	6	7	8
	izlkj.k {ks=						
	Ldhe 1 % izlkj.k volajpuk usVodZ fodkl						
	vkdk'kok.kh						
1	fMftVkbZts'ku						
	VkalehVjksa dk fMftVkbZts'ku						
	1- ehfM;e osso VkalehVjksa dk fMftVkbZts'ku						
	पहले से जारी स्कीमें	94.90	0.00	94.90	16.00	0.00	16.00
	नई स्कीमें	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dqy	95-00	0-00	95-00	16-00	0-00	16-00
	2- 'kkVZ osso VkalehVjksa dk fMftVkbZts'ku						
	पहले से जारी स्कीमें	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dqy	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
	3- ,Q,e						
	पहले से जारी स्कीमें	40.00	0.00	40.00	10.00	0.00	10.00
	नई स्कीमें	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dqy	40.10	0.00	40.10	10.00	0.00	10.00
	4- LVwfM;ks dk fMftVkbZts'ku						
	पहले से जारी स्कीमें	46.10	0.00	46.10	8.50	0.00	8.50
	नई स्कीमें	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dqy	46.20	0.00	46.20	8.50	0.00	8.50
	5- usVodZ vkSj dufDVfoVh dk fMftVkbZts'ku						
	पहले से जारी स्कीमें	15.00	0.00	15.00	4.00	0.00	4.00
	नई स्कीमें	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dqy	15.10	0.00	15.10	4.00	0.00	4.00
	6- izf'k{k.k lqfo/kkvksa c<+kuk						
	पहले से जारी स्कीमें	3.00	0.00	3.00	0.10	0.00	0.10
	नई स्कीमें	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dqy	3.10	0.00	3.10	0.10	0.00	0.10

Øe l-	Ldhe dk uke	2012&13 okf"kd ;kstuk ds fy, LohÑr ifj0;;					
					iokÙkj ?kVd		
		iwath	jktLo	dqy ifj0;;	iwath	jktLo	dqy iokÙkj
1	2	3	4	5	6	7	8
	7- vuqla/kku vkj fodkl ij cy nsuk						
	पहले से जारी स्कीमें	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dqy	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
	8- ifj;kstuk izca/k bdkbZ						
	पहले से जारी स्कीमें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें						
	आकाशवाणी	0.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00
	दूरदर्शन	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	dqy ubZ Ldhesa	0.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00
	dqy ;kx	0-00	52-00	52-00	0-00	0-00	0-00
	dqy fMftVkbts'ku						
	पहले से जारी स्कीमें	224.90	0.00	224.90	38.60	0.00	38.60
	नई स्कीमें	0.70	52.00	52.70	0.00	0.00	0.00
	dqy	225.60	52.00	277.60	38.60	0.00	38.60
2	lhekorhZ {ks=ksa esa cgrj izlkj.k						
	पहले से जारी स्कीमें	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	dqy	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
3	oSdfYid lsVsykbV Qkeksa ls izlkj.k						
	पहले से जारी स्कीमें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dqy	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
4	volajpuk dk etcwr cukuk						
	पहले से जारी स्कीमें	10.00	0.00	10.00	6.40	0.00	6.40
	नई स्कीमें	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dqy	10.10	0.00	10.10	6.40	0.00	6.40
5	bZ&xousZal						
	पहले से जारी स्कीमें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dqy	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dqy Ldhe&1 ¼vkdk'kok.kh½						
	पहले से जारी स्कीमें	244.90	0.00	244.90	45.00	0.00	45.00
	नई स्कीमें	2.00	52.00	54.00	0.00	0.00	0.00
	dqy Ldhe&1 vkdk'kok.kh	246-90	52-00	298-90	45-00	0-00	45-00

Øe l-	Ldhe dk uke	2012&13 okf"kd ;ktuk d fy, LohÑr ifj0;;					
					iokÙkj ?kVd		
		i:th	jktLo	dy ifj0;;	i:th	jktLo	dy iokÙkj
1	2	3	4	5	6	7	8
	njn'ku						
	Ldhe 1 % i:lkj.k vo l:jpuk uVodl fodkl						
1	HkkLFkfrd Vkl ehVj uVod						
	पहले से जारी स्कीमें	69.79	0.00	69.79	12.59	0.00	12.59
	नई स्कीमें	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	dy	69.80	0.00	69.80	12.59	0.00	12.59
2	,pMhVhoh						
	पहले से जारी स्कीमें	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	dy	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
3	MhVh,p dk foLrkj						
	पहले से जारी स्कीमें	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	dy	25.01	0.00	25.01	0.00	0.00	0.00
4	mixg i:lkj.k l:;= dk mUu;u] vk/kfudhdj.k vkj cnyko						
	पहले से जारी स्कीमें	25.00	0.00	25.00	6.00	0.00	6.00
	नई स्कीमें	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	dy	25.01	0.00	25.01	6.00	0.00	6.00
5	Vkleh'ku vkj LVfM;k midj.k dk mUu;u] vk/kfudhdj.k vkj cnyko						
	पहले से जारी स्कीमें	26.00	0.00	26.00	6.00	0.00	6.00
	नई स्कीमें	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	dy	26.01	0.00	26.01	6.00	0.00	6.00
6	lhekorh {k=k e cgrj doj:t						
	पहले से जारी स्कीमें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	dy	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
7	fnYyh e vfrvk/kfud vkj mRÑ"V dk;Øe fuekZ.k dUnz cukuk						
	पहले से जारी स्कीमें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	dy	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
8	ekckby Vyhfotu lok dk foLrkj						
	पहले से जारी स्कीमें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	dy	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

Øe l-	Ldhe dk uke	2012&13 okf"kd ;kstuk ds fy, Lohd`r ifj0;;					
					iokÙkj ?kVd		
		iw¡th	jktLo	dqy ifj0;;	iw¡th	jktLo	dqy iokÙkj
1	2	3	4	5	6	7	8
9	ubZ ehfM;k VsDuksykWth@oSdfYid fMyhojh flLVEkl						
	पहले से जारी स्कीमें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	नई स्कीमें	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	dqy	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
10	fMfoy vkslZjpukRed mUu;u] LVkQ DokVZlZ rFkk vU; dk;Z						
	पहले से जारी स्कीमें	10.00	0.00	10.00	0.50	0.00	0.50
	नई स्कीमें	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	dqy	10.01	0.00	10.01	0.50	0.00	0.50
11	nlohs ;kstuk ls tkjh vU; dk;Z						
	पहले से जारी स्कीमें	45.00	0.00	45.00	1.91	0.00	1.91
	नई स्कीमें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	dqy	45.00	0.00	45.00	1.91	0.00	1.91
	dqy ;kx ¼1&11½&njn'ku						
	पहले से जारी स्कीमें	225.79	0.00	225.79	27.00	0.00	27.00
	नई स्कीमें	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
	dqy	225.98	0.00	225.98	27.00	0.00	27.00
	dqy Ldhe&1 ¼vkdk'kok.kh vkSj njn'ku½						
	पहले से जारी स्कीमें	470.69	0.00	470.69	72.00	0.00	72.00
	नई स्कीमें	2.19	52.00	54.19	0.00	0.00	0.00
	dqy	472.88	52.00	524.88	72.00	0.00	72.00
	Ldhe 2 ¼ fo"k;&oLrq fodkl vkSj iz.kkyh						
	vkdk'kok.kh vkSj njn'ku						
	lk¶Vos;j						
	vkdk'kok.kh						
	डीबीएस	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	आईईबीआर	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00
	dqy	0.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00
	njn'ku						
	डीबीएस	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00
	आईईबीआर	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00
	dqy	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00
	dqy Ldhe&2						
	डीबीएस	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00
	आईईबीआर	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00
	dqy Ldhe&2 ¼vkdk'kok.kh vkSj njn'ku	0-00	460-00	460-00	0-00	0-00	0-00

Øe la-	Ldhe dk uke	2012&13 okf"kd ;kstuk dk fy, LohÑr ifj0;;					
					iokÙkj ?kVd		
		iath	jktLo	dqy ifj0;;	iath	jktLo	dqy iokÙkj
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ldhe 3 % foLrkj ifj;kstuk,a						
12	vkdk'kok.kh						
1	ऑडिटोरियम	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
	nwjn'ku						
2	डीडी इंटरनेशनल चैनल की वैश्विक कवरेज	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
3	ब्रॉडकॉस्ट म्यूजियम	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
	dqy	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
	dqy % Ldhe&3	0-12	0-00	0-12	0-00	0-00	0-00
	dqy LdhEl ¼1] 2] 3½	473-00	512-00	985-00	72-00	0-00	72-00
	vkdk'kok.kh						
	पहले से जारी स्कीमें	244.90	25.00	269.90	45.00	0.00	45.00
	नई स्कीमें	2.10	202.00	204.10	0.00	0.00	0.00
	dqy ¼vkdk'kok.kh½	247.00	227.00	474.00	45.00	0.00	45.00
	nwjn'ku						
	पहले से जारी स्कीमें	225.79	35.00	260.79	27.00	0.00	27.00
	नई स्कीमें	0.21	250.00	250.21	0.00	0.00	0.00
	dqy ¼nwjn'ku½	226.00	285.00	511.00	27.00	0.00	27.00
	dqy ¼vkdk'kok.kh vkSj nwjn'ku½	473.00	512.00	985.00	72.00	0.00	72.00
	Ldhe 4 % eq[; lfpoky;						
1	इलैक्ट्रानिक मीडिया मॉनीटरिंग सेंटर को मजबूत बनाना	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2	भारत में सामुदायिक रेडिया आंदोलन को बढ़ावा देना	0.00	5.00	5.00	0.00	0.50	0.50
3	डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए आईसी गतिविधियाँ	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
4	मंत्रालय में इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्पोट सेल की स्थापना	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
5	डिजिटल वायर लाइन ब्रॉडकास्टिंग में निपुण कर्मियों के जरिए केबल टीवी उद्योग में क्षमता निर्माण	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
6	प्रसारण विंग में स्वचालन	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
	dqy ¼eq[; lfpoky;½	10-00	13-00	23-00	0-00	0-50	0-50
	dqy % izlkj.k {ks=	483-00	525-00	1008-00	72-00	0-50	72-50
	dqy % l-iz- ea=ky;	544-00	761-00	1305-00	72-50	21-05	93-55

राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित एक फोटोग्राफ

अध्याय

19

मीडिया इकाई-वार बजट

मांग संख्या 61- सूचना और प्रसारण मंत्रालय (हजार ₹ में)

मीडिया इकाई/गतिविधि का नाम	ब.अ. 2012-13			सं.अ. 2012-13			ब.अ. 2013-14		
	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल	योजना	गैर-योजना	कुल
राजस्व अनुभाग प्रमुख शीर्ष '2251'–सचिवालयी सामाजिक सेवाएं 1. मुख्य सचिवालय (वेतन–लेखा कार्यालय सहित)	861000	409200	1270200	617500	416000	1033500	980000	457000	1437000
प्रमुख शीर्ष-'2205'-सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों का सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए, कला और संस्कृति प्रमाणन 2. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	0	65000	65000	0	64370	64370	0	68700	68700
3. फिल्म प्रमाणन अपीलीय ट्रिब्यूनल	0	1700	1700	0	1530	1530	0	1700	1700
कुल प्रमुख शीर्ष '2205'	0	66700	66700	0	65900	65900	0	70400	70400
प्रमुख शीर्ष-'2220' सूचना, फिल्म और प्रचार 4. फिल्म प्रभाग	9000	372800	381800	9000	355300	364300	10000	387600	397600
5. फिल्म समारोह निदेशालय	0	92000	92000	0	101500	101500	0	93300	93300
6. राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	20000	46800	66800	10000	43100	53100	20000	46200	66200
7. सत्यजित राय फिल्म प्रशिक्षण संस्थान को अनुदान	80000	70000	150000	80000	90100	170100	150000	101100	251100
8. बाल फिल्म समिति, भारत को अनुदान	0	15500	15500	0	21400	21400	0	26300	26300
9. फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे को अनुदान	0	135000	135000	0	178400	178400	150000	187200	337200
10. फिल्म सोसायटियों को अनुदान	0	0	0	0		0	0	0	0
11. इलेक्ट्रानिक मीडिया निगरानी केन्द्र	0	43800	43800	0	44600	44600	0	49400	49400
12. गवेषणा, संदर्भ और प्रशिक्षण प्रभाग	0	21700	21700	0	18050	18050	0	21600	21600
13. आईआईएमसी को अनुदान	0	71700	71700	46000	78150	124150	68000	88900	156900
14. विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	990000	673300	1663300	949300	634900	1584200	1685000	705600	2390600
15. पत्र सूचना कार्यालय	153000	383300	536300	117000	402400	519400	130000	426400	556400
16. भारतीय प्रेस परिषद को अनुदान	0	53200	53200	0	55500	55500	0	57100	57100
17. पीटीआई को ऋण पर ब्याज के बदले सब्सिडी	0	0	0	0		0	0	0	0
18. पेशेवर और विशेष सेवाओं का भुगतान	0	100	100	0	100	100	0	100	100
19. पत्रकार कल्याण फंड के लिए राशि का अंतरण	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	70000	430700	500700	36600	431100	467700	72000	458000	530000
21. गीत और नाटक प्रभाग	72000	232400	304400	72000	223600	295600	72000	238000	310000

22. प्रकाशन विभाग	18000	227000	245000	7000	243000	250000	10000	248000	258000
23. रोजगार समाचार	0	269000	269000	0	191200	191200	0	255200	255200
24. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	2000	41700	43700	2000	39100	41100	3000	44200	47200
25. फोटो प्रभाग	4500	40600	45100	6000	37400	43400	3500	41000	44500
26. संचार विकास के अंतर्राष्ट्रिय कार्यक्रमों के लिए अंशदान	0	1700	1700	0	1700	1700	0	1700	1700
27. एशिया पेसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के लिए अंशदान	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000	2000
कुल : मुख्य शीर्ष '2220'	1418500	3224300	4642800	1334900	3192600	4527500	2373500	3478900	5852400
dqy % e[; 'kh"k 2251] 2205 vkj 2220	2279500	3700200	5979700	1952400	3674500	5626900	3353500	4006300	7359800
i!lkj.k ¼ie[k 'kh"k ^2221*½ lkmM ckMdkfLVx ¼mi ie[k 'kh"k½ fun!'ku vkj i!'kklu ¼y?k 'kh"k½ वेतन	100	100	200	100	100	200	0	100	100
V!yhfotu ¼mi e[; 'kh"k½ वेतन	100	100	200	100	100	200	0	100	100
lkekU; ¼mi e[; 'kh"k½ i!lkj Hkkjrh ¼y?k 'kh"k½ अनुदान	1119800	14623500	15743300	790000	16500000	17290000	4503500	17300000	21803500
dqy % i!lkj.k	1120000	14623700	15743700	790200	16500200	17290400	4503500	17300200	21803700
पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम के लिए अन्य व्यय योजना एकमुश्त प्रावधान (मुख्य शीर्ष 2552)	210500	0	210500	184500	0	184500	905000	0	905000
dqy % jktLo vuqHkkx	3610000	18323900	21933900	2927100	20174700	23101800	8762000	21306500	30068500
i!th vuqHkkx 1. फिल्म प्रभाग के लिए साज–सामान की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. पीआईबी के लिए साज–सामान की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. डीएफपी के लिए साज–सामान की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ehfM;k bdkbZ@xfrfof/k dk uke	c-v- 2012&13			l-v- 2012&13			c-v- 2013&14		
	;kstuk	xSj&;kstuk	dqy	;kstuk	xSj&;kstuk	dqy	;kstuk	xSj&;kstuk	dqy
4. गीत नाटक प्रभाग के लिए साज–सामान की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. फोटो प्रभाग के लिए साज–सामान की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. मुख्य सचिवालय के लिए साज–सामान की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. आईआईएमसी के लिए साज–सामान की खरीद	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0
8. एसआरएफटीआई, कोलकाता के लिए साज–सामान की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. एफटीआईआई, पुणे के लिए साज–सामान की खरीद	60000	0	60000	30000	0	30000	0	0	0
10. सीबीएफसी के लिए साज–सामान की खरीद	15000	0	15000	7500	0	7500	15000	0	15000
11. डीएफएफ में प्रिंट यूनिट का उन्नयन	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. ईएमएमसी–मशीनरी और उपकरण	80000	0	80000	80000	0	80000	100000	0	100000
13. प्रकाशन विभाग के लिए साज–सामान की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. इंपलॉयमेंट न्यूज के लिए साज–सामान की खरीद	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hkou									
15. फिल्म डिवीजन की इमारतों को बेहतर बनाना	20000	0	20000	10000	0	10000	40000	0	40000
16. म्यूजिम ऑफ मूविंग इमेजिज (फिल्म डिवीजन)–प्रमुख शीर्ष	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
17. एफटीआईआई का उन्नयन और आधुनिकीकरण	10000	0	10000	5000	0	5000	0	0	0
18. जयकर बंगले सहित एनएफएआई का उन्नयन/डिजीटल लाइब्रेरी	30000	0	30000	15000	0	15000	30000	0	30000
19. फिल्म समारोह परिसर में नये कार्य–प्रमुख शीर्ष	10000	0	10000	5000	0	5000	20000	0	20000
20. एसआरएफटीआई का अवसंरचनात्मक विकास	70000	0	70000	35000	0	0	0	0	0
21. सूचना भवन–प्रमुख शीर्ष	150000	0	150000	108300	0	108300	40000	0	40000
22. राज्यों में केन्द्रीय सूचना भवन (डीएफपी)	20000	0	20000	100	0	100	8000	0	8000
23. पीआईबी का राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र और मिनी मीडिया सेन्टर	90000	0	90000	164500	0	164500	5000	0	5000
24. सीबीएफसी की अवसंरचना का उन्नयन और विसतार	12000	0	12000	6000	0	6000	0	0	0
25. आईआईएमसी की भवन और आवास परियोजना	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0
26. निजी एफएम रेडिया स्टेशनों के लिए टॉवर लगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27. फिल्म प्रभाग के लिए मास मीडिया इंस्टीट्यूट बनाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. ईएमएमसी–प्रमुख कार्य	20000	0	20000	20000	0	20000	20000	0	20000
fuos'k&राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम	0	0	0		0	0	0	0	0
dqy % iwath vuqnku iz[k.M 'kh"kZ ^4220*	705000	0	705000	496400	0	496400	288000	0	288000

सूचना और प्रचार के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष 6220) फिल्म (उप प्रमुख शीर्ष) सार्वजनिक क्षेत्र को ऋण (लघु शीर्ष) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ऋण तथा अग्रिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रसारण के लिए ऋण (प्रमुख शीर्ष 6221) सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य प्रतिष्ठानों को ऋण प्रसार भारती ऋण तथा अग्रिम	4010000	0	4010000	2826600		2826600	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास की योजनाओं/स्कीमों आदि के लिए पूंजीं परिवय (प्रमुख शीर्ष 4552)									
डीएफपी के लिए साज–समान की खरीद	0	0	0			0	0	0	0
आईआईएमसी के लिए साज–सामान की खरीद	0	0	0			0	0	0	0
आईआईएमसी के नये क्षेत्रीय केंन्द्र खोलना	2000	0	2000	0		0	0	0	0
सीबीएफसी की अवसंरचना का उन्नयन और विकास	3000		3000	1500		1500	0	0	0
dqy iwath 'kh"kZ 4552	5000	0	5000	1500	0	1500	0	0	0
पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के विकास की योजनाओं/स्कीमों आदि के लिए पूंजीं परिवय (प्रमुख शीर्ष 4552)									
i:lkj Hkkjrh	720000	0	720000	508400	0	508400	0	0	0
कुल पूंजी अनुभाग	5440000	0	5440000	3832900	0	3832900	288000	0	288000
कुल : मांग संख्या 59	9050000	18323900	27373900	6760000	20174700	26934700	9050000	21306500	30356500

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की विभिन्न मीडिया इकाइयों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेते लोग

अध्याय

20

मंत्रालय के पदनाम

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सांगठनिक ढांचा

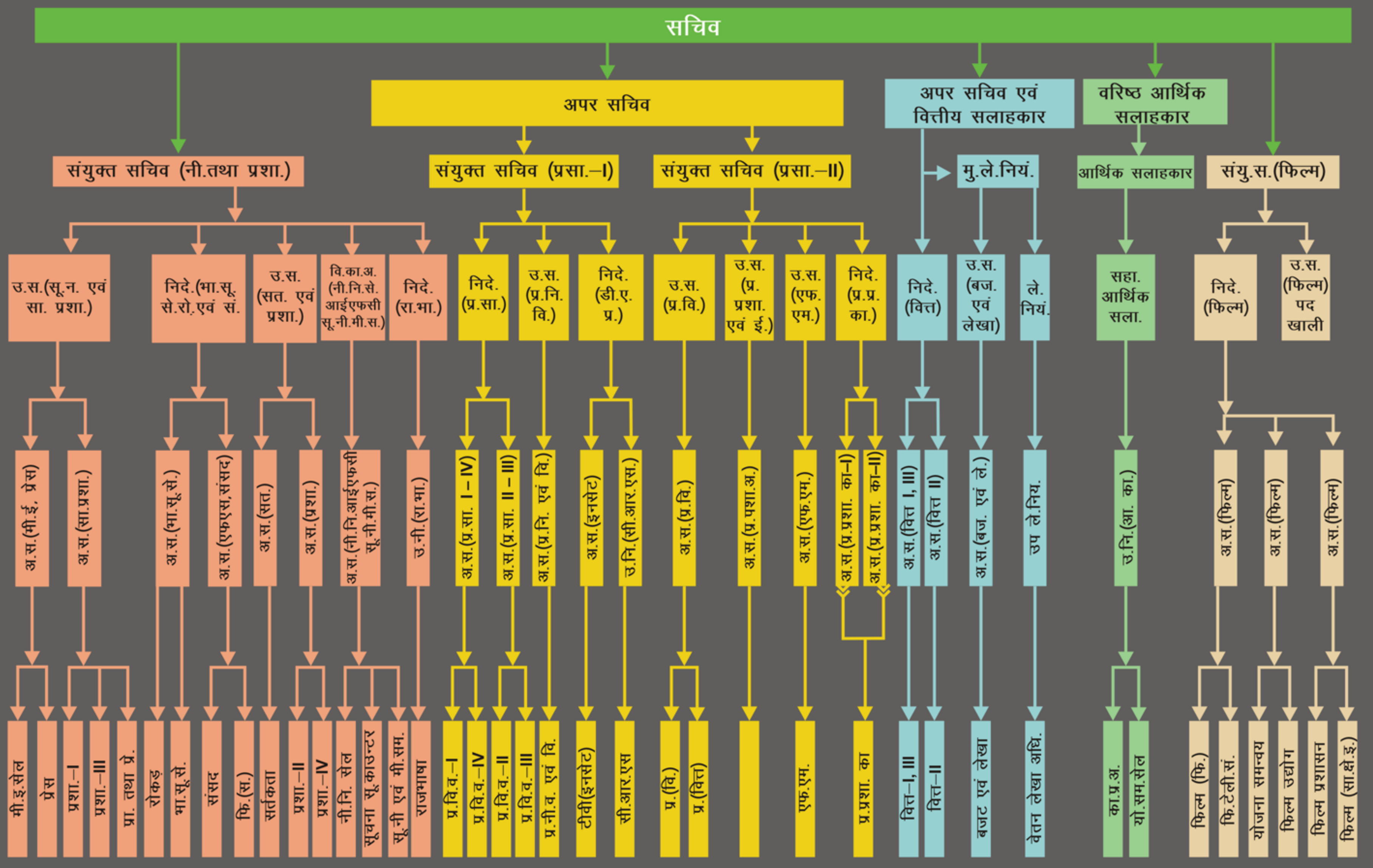

मंत्रालय के पदनाम

सचिव	सचिव
अप.स.	अपर सचिव
अप.स. तथा वि.स.	अपर सचिव तथा वित्तीय सलाहकार
व.अ.स.	वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार
सं.स. (नी. तथा प्रशा.)	संयुक्त सचिव (नीति तथा प्रशासन)
सं.स. (फि.)	संयुक्त सचिव (फिल्म)
सं.स. (प्रसा.– I)	संयुक्त सचिव (प्रसारण – I)
सं.स. (प्रसा.– II)	संयुक्त सचिव (प्रसारण – II)
आर्थिक सलाहकार	आर्थिक सलाहकार
मु.ले.नि.	मुख्य लेखा नियंत्रक
उ.स. (सू.न. एवं सा. प्रशा.)	उप–सचिव (सूचना नीति एवं सामान्य प्रशासन)
निदेशक (रा.भा.)	निदेशक (राजभाषा)
निदेशक (फिल्म)	निदेशक (फिल्म)
निदेशक (प्र.सा.)	निदेशक (प्रसारण सामग्री)
निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
निदेशक (भा.सू.स. रोकड एवं संसद)	निदेशक (भारतीय सूचना सेवा, रोकड तथा संसद)
निदेशक (प्र.प्र.का.)	निदेशक (प्रसारण प्रशासनिक कार्यक्रम)
निदेशक (डी.ए.प्र.)	निदेशक (डिजीटल एडरेसेबल प्रणाली)
उ.स. (प्र.प्रशा.–का.एवं.ई.)	उप–सचिव (प्रसारण प्रशासनिक–कार्य एवं अभियांत्रिकी)
उ.स. (प्र.नी.एवं वि.)	उप सचिव (प्रसारण नीति तथा विधिक मामले)
उ.स. (प्र.वि.)	उप सचिव (प्रसारण एवं विकास)
उ.स. (ब.ले.)	उप सचिव (बजट एवं लेखा)
उ.स. (एफ.एम.)	उप सचिव (फ्रीक्वेन्सी मॉडुलेशन)
अ.आ.स.	अपर आर्थिक सलाहकार
वि.का.अ.(स.)	विशेष कार्य अधिकारी (समन्वय)
ले.नि.	लेखा नियंत्रक
अ.स. (मी.इ.स.एवं प्रेस)	अवर सचिव (मीडिया इकाई समन्वय तथा प्रेस)
अ.स. (प्र. II, III एवं IV)	अवर सचिव (प्रशासन II, III एवं IV)
अ.स. (भा.सू.से. रो.एवं सं)	अवर सचिव (भारतीय सूचना सेवा, रोकड़ एवं संसद)
अ.स. (सा.प्र.)	अवर सचिव (सामान्य प्रशासन)
अ.स. (सत.)	अवर सचिव (सतर्कता)
अ.स. (प्र.सा. I – IV)	अपर सचिव (प्रसारण सामग्री I – IV)

अ.स. (प्र. सा. II – III)	अपर सचिव (प्रसारण सामग्री II – III)
अ.स.(प्र.नी. एवं वि.)	अपर सचिव (प्रसारण नीति एवं विधिक मामले)
अ.स.(इन्सेट)	अपर सचिव (इन्सेट एवं सामुदायिक रेडियो सेवा)
अ.स.(प्र.वि. एवं प्र. वित्त)	अपर सचिव (प्रसारण विकारा एवं प्रसारण वित्त)
अ.स.(एफएम)	अपर सचिव (एफएम)
अ.स.(प्र.प्रशा. का–I)	अपर सचिव (प्रसारण प्रशासन – कार्यक्रम – I)
अ.स.(प्र.प्रशा. का–II)	अपर सचिव (प्रसारण प्रशासन – कार्यक्रम – II)
अ.स.(प्र.प्रशा.–ई)	अपर सचिव (प्रसारण प्रशासन – इंजीनियरिंग)
अ.स.(वित I एवं III)	अपर सचिव (वित्त I एवं III)
अ.स.(वित्त II)	अपर सचिव (वित्त II)
अ.स.(ब. एवं ले.)	अपर सचिव (बजट एवं लेखा)
अ.स.(सू.नी.एवं सं.प्र.,नी.नि.प्र. एवं आईएफसी)	अपर सचिव (सूचना नीति एवं मीडिया समन्वय, नीति नियोजन प्रकोष्ठ एवं आईएफसी)
अ.स.(फि.स.)	अपर सचिव (फिल्म समारोह)
अ.स.(फि.सो. एवं प्रशा–I)	अपर सचिव (फिल्म सोसायटी एवं प्रशासन – I)
उप.नि. (आ.शा.)	उप–निदेशक (आर्थिक शाखा)
अ.स. (फि.)	अवर सचिव (फिल्म्स)
उ.ले.नि.	उप लेखा नियंत्रक
उ.नि. (रा.भ.)	उप–निदेशक (राजभाषा)
स.नि. (रा.भ. I)	सहायक निदेशक (राजभाषा – I)
स.नि. (रा.भ. II)	सहायक निदेशक (राजभाषा – II)
प्रशा. 1	प्रशासन 1
प्रशा. 2	प्रशासन 2
प्रशा. 3	प्रशासन 3
प्रशा. 4	प्रशासन 4
रोकड	रोकड
संसद सेल	संसद सेल
मी.इ.प्र.	मीडिया इकाई प्रकोष्ठ
फि. (स) डेस्क	फिल्म (सोयाइटी) डेस्क
हिन्दी एकांश	हिन्दी एकांश
सतर्कता	सतर्कता
सू.नी.एवं मी.स.	सूचना नीति और मीडिया समन्वय
नी.नि.प्र.	नीति नियोजन प्रकोष्ठ
प्रेस	प्रेस

भा.सू.से. 1	भारतीय सूचना सेवा 1
भा.सू.से. 2	भारतीय सूचना सेवा 2
फि. (स) डेस्क	फिल्म (समारोह) डेस्क
फि.(फि.एवं टेली.सं.) डेस्क	फिल्म (फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान) डेस्क
फि.(प्र.) डेस्क	फिल्म (प्रशासन) डेस्क
फि.(प्रगा.) डेस्क	फिल्म (प्रमाणन) डेस्क
फि.(उ.) डेस्क	फिल्म (उद्योग) डेस्क
प्र.वि.व.– I	प्रसारण विषय वस्तु – I
प्र.वि.व.– II	प्रसारण विषय वस्तु – II
प्र.वि.व.– III	प्रसारण विषय वस्तु – III
प्र.वि.व.– IV	प्रसारण विषय वस्तु – IV
प्र.वि.	प्रसारण (विकास)
प्र.वि.	प्रसारण (वित्त)
प्र.नी. एवं वि.	प्रसारण नीति एवं विधिक मामले
प्र.प्र.–का	प्रसारण प्रशासन–कार्यक्रम
एफएम प्र.	फ्रीक्वेंसी मोड्यूलेशन प्रकोष्ठ
स.अ. (सा.से.स्टे.)	सहायक अभियंता (सामुदायिक रेडियो स्टेशन)
प्र.प्र.–अ.	प्रसारण प्रशासन–अभियांत्रिकी
वि.– I एवं III	वित्त – I एवं III
वि.– II	वित्त – II
यो.स. प्र.	योजना समन्वय प्रकोष्ठ
ब. एव ले.	बजट एवं लेखा
का.प्र.अ.	कार्यकुशलता प्रबंधन अनुभाग
वे.एवं ले.अधि.	वेतन एवं लेखा अधिकारी
म.ले.नि.	महालेखा नियंत्रक
सू.सु.का.	सूचना सुविधा काउंटर

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की संचार इकाईयों की वेबसाइट्स

क्र.सं.	संचार इकाई	वेबसाइट
1	पत्र सूचना कार्यालय	www.pib.nic.in
2	विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय	www.davp.nic.in
3	प्रकाशन विभाग	www.publicationsdivision.nic.in
4	भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक	www.rni.nic.in
5	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	www.dfp.nic.in
6	फोटो डिवीजन	www.photodivision.gov.in
7	भारतीय जन संचार संस्थान	www.iimc.nic.in
8	भारतीय प्रेस परिषद	www.presscouncil.nic.in
9	गवेषणा, संदर्भ एवं प्रशिक्षण विभाग	www.rrtd.nic.in
10	प्रसार भारती	www.prasarbharati.gov.in
	दूरदर्शन	www.ddindia.gov.in
	आकाशवाणी	www.allindiaradio.gov.in
11	गीत तथा नाटक विभाग	www.ssd.nic.in
12	फिल्म समारोह निदेशालय	www.dff.nic.in
13	ब्रॉडकॉस्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि0	www.becil.com
14	फिल्म प्रभाग	www.filmdivision.org
15	बाल फिल्म समिति, भारत	www.cfsindia.org
16	भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	www.ftiindia.com
17	राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम लि0	www.nfdcindia.com
18	केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड	www.cbfcindia.gov.in
19	सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान	www.srfto.gov.in
20	राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार	www.nfaipune.gov.in
21	इलैक्ट्रॉनिक मीडिया निगरानी केन्द्र	www.emmc.gov.in

गोवा में भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अवसर पर सुश्री अन्जली पाटिल 'विद् यू विद्आउट यू' फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संयुक्त सचिव (फिल्म) श्री राघवेन्द्र सिंह से ग्रहण करते हुए

गोवा में भारत के 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के समापन के अवसर पर 30 नवंबर 2012 को विशेष आयोजन में आस्ट्रेलिया के फिल्म निर्माता श्री पॉल फॉक्स प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सुश्री मीरा नायर को सम्मानित करते हुए

सूचना और प्रसारण सचिव श्री उदय कुमार वर्मा भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने पर फिल्म प्रभाग द्वारा 43वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह (गोवा) के दौरान आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए। साथ में फिल्म प्रभाग के महानिदेशक श्री वी.एस. कुंडू भी हैं।

अध्याय

21

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के लिए परिणाम-फ्रेमवर्क दस्तावेज (आरएफडी) (2011-2012)

2011-12 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आरएफडी लक्ष्यों की उपलब्धि आकलन रिपोर्ट

2011–12 के लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय का परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट http://mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

mís';	eku	dk;l	lQyrk l:lpd	bdkbl	eku	y{;@ekunM eY;					miyfC/k	in'ku	
						mRÑ"V	cgr vPNk	vPNk	lkekU;	[kjkc		lkekU; Ldkj	ekUk;Dr Ldkj
						100%	90%	80%	70%	60%			
1. सरकारी कार्यक्रमों का कुशल प्रचार–प्रसार	26	(क) जनसूचना अभियान चलाना (पीआईसी)	पीआईबी ने पीआईसी चलाए	संख्या	3	136	125	105	90	80	132	96.36	2.89
		(ख) डीएवीपी द्वारा प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं के विज्ञापन जारी किए गए	प्रिंट और श्रव्य दृश्य विज्ञापन जारी किए	संख्या	3	13000	11700	10400	9100	7800	16000	100	3.00
		(ग) डीएवीपी के आधुनिकरण के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर अमल	चरणबद्ध कार्यान्वयन योजना बनाना	तिथि	1	30.09.11	31.10.11	15.11.11	01.12.11	15.12.11		लागू नहीं	लागू नहीं
			काम सौंपा जाना	तिथि	1	31.01.12	15.02.12	29.02.12	10.03.12	15.03.12		लागू नहीं	लागू नहीं
		(घ) गीत और नाटक प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय विषयों पर देश भर में नाटकों सहित अन्य कार्यक्रम प्रस्तुत करना	कार्यक्रम और नाटक दिखाए गए	संख्या	3	8800	7920	7040	6160	5280	11802	100	3.00
		(ड.) राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर पुस्तकों, मासिक पत्रिकाओं, एंप्लायमेंट न्यूज/रोजगार समाचार के साप्ताहिक अंक अंग्रजी/हिन्दी/उर्दू में प्रकाशित करना	पुस्तकें प्रकाशित	संख्या	1	100	90	80	70	60	99	99.0	0.99
			पत्रिकाएं प्रकाशित	संख्या	1	216	194	172	151	129	216	100.0	1.0
			साप्ताहिक एंप्लायमेंट न्यूज प्रकाशित	संख्या	2	156	140	125	109	94	159	100.0	2.0
		(च) क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय द्वारा फिल्म शो, विशेष कार्यक्रम, जुटाव, मौखिक संचार कार्यक्रम, फोटो प्रदर्शनी आयोजित करना	कार्यक्रम आयोजित किए	संख्या	2	100000	90000	80000	70000	60000	118131	100.0	2.0

		(छ) राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र के नये कार्यालय भवन का निर्माण	करार में निर्धारित समय सीमाओं में काम पूरा होना	तिथि	3	31.01.12	29.02.12	10.03.12	15.03.12	–	29.02.12	90.0	2.7
		(ज) फोटो प्रभाग– महत्वपूर्ण चित्रों का डिजिटाइजेशन	125000 फोटो डिजिटाइज होनी है	संख्या	2	125000	112500	100000	87500	75000	133876	100.0	2.0
		(झ) डीएफपी के क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रचार इकाईयों में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण	क्षेत्रीय केन्द्र (22 में से) आधुनिकीकृत	संख्या	1	10	9	8	7	6	12	100.0	1.0
			क्षेत्रीय इकाईयां (207 में से) आधुनिकीकृत	संख्या	1	95	85	76	66	57	20	0.0	0.0
		(ट) बाहरी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा विभिन्न मीडिया अभियानों के प्रभाव का आकलन	एजेंसी के साथ आकलन का करार किया जाना	तिथि	2	29.02.12	07.03.12	15.03.12	19.03.12	25.03.12		लागू नहीं	लागू नहीं
2. केबल प्रसारण को डिजीटाइज करना	2	डिजीटाइजेशन तथा एडेसेबिलिटी के लिए केबल अधिनियम में संशोधन	एक्ट में संशोधन के लिए केबिनेट की मंजूरी के वास्ते केबिनेट नोट भेजना	तिथि	1	30.09.11	31.10.11	30.11.11	31.12.11	31.01.12	23.09.11	82.33	0.82
			संसद में विधेयक पेश होना	समय	1	शीतका. सत्र 2011–12	बजट सत्र 2011–12	–	–	–	2	100.0	1.0
3. भारत में मोबाइल टीवी सेवा को बढ़ावा और विकास	2	नीति निर्देशों को अन्तिम रूप दिया जाना	मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए कैबिनेट नोट भेजा जाना	तिथि	1	30.09.11	31.10.11	30.11.11	31.12.11	31.01.12		लागू नहीं	लागू नहीं
			मंजूरी के बाद दिशा–निर्देश जारी करना	तिथि	1	30.11.11	31.12.11	31.01.12	14.02.12	01.03.12		लागू नहीं	लागू नहीं
4. ज्यादा शहरों में एफएम रेडिया सेवा का विस्तार	5	(क) नीति निर्देशों को अन्तिम रूप दिया जाना	मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए कैबिनेट नोट भेजा जाना	तिथि	2	31.07.11	31.08.11	30.09.11	31.10.11	31.12.11	25.06.11	100.0	2.0
			मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद दिशा–निर्देश जारी करना	तिथि	1	30.09.11	31.10.11	30.11.11	31.12.11	29.02.12	25.07.11	100.0	1.0
		(ख) लाइसेंसिंग	ई–नीलामी के लिए सलाहकार की नियुक्ति	तिथि	1	30.11.11	31.12.11	31.01.12	29.02.12	15.03.12		लागू नहीं	लागू नहीं
			एनआईटी जारी करना	तिथि	1	31.01.12	15.02.12	29.02.12	10.03.12	15.03.12		लागू नहीं	लागू नहीं

mí' ;	eku	dk;Z	lQyrk lwpd	bdkbZ	eku	y{;@ekunM eY;					mi yfC/k	in'ku	
						mRÑ"V 100%	cgr vPNk 90%	vPNk 80%	lkekU; 70%	[kjkc 60%		lkekU; Ldkj	ekU;Dr Ldkj
5. प्रसार भारती में कामकाज बेहतर बनाने और सरकार तथा प्रसार भारती के बीच सम्बंधों की पुर्नव्याख्या करने की दृष्टि से प्रसार भारती अधिनियम की समीक्षा तथा प्रसार भारती के मूलभूत ढांचे को मजबूत बनाना	15	(क) प्रसार भारती संशोधन अधिनियम को अन्तिम रूप देना	मंत्री समूह की सिफारिशों पर मंजूरी के लिए कैबिनेट नोट प्रस्तुत करना	तिथि	2	31.01..12	29.02.12	07.03.12	15..03.12	20.03.12	21.10.11	100.0	2.00
			संसद में विधेयक पेश किया जाना	समय	2	बजट सत्र 2011–12	–	–	–	–	–	लागू नहीं	लागू नहीं
		(ख) दूरदर्शन डीटीएच प्लेटफॉर्म के लिए चैनलों के चयन की पारदर्शी नीति	नीति/नीति–निर्देश जारी किया जाना	तिथि	1	31.12.11	31.01.12	29.02.12	10.03.12	15.03.12	31.05.11	100.0	1.0
		(ग) आकाशवाणी V- 10 कि.वॉ./5 कि.वॉ. के 35 एफएम ट्रांसमीटर लगाना	ट्रांसमीटर लगाने का काम सम्पन्न करना	संख्या	1	35	32	29	26	23	35	100.0	1.0
		C- राजकोट में 1000 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर लगाना	ट्रांसमीटर लगाने का काम सम्पन्न करना	तिथि	1	31.01.12	15.02.12	28.02.12	15.03.12	31.03.12	14.01.12	100.0	1.0
		l- जयपुर और देहरादून में स्टुडियो बनाना	स्टुडियो बनाने का काम पूरा करना	तिथि	1	31.01.12	15.02.12	28.02.12	15.03.12	31.03.12	10.02.2012	93.33	0.93
		n- पूर्वी क्षेत्र में मुलभूत ढांचा मजबूत बनाना–(1) 8 स्थानों पर ट्रांसमीटर भवन बनाना और ट्रांसमीटर लगाना	भवन बनाने और ट्रांसमीटर लगाने का काम पूरा करना	संख्या	1	8	7	6	5	4	4	60.0	0.6
		(2) चिन्सुरा के लिए 1000 कि.वा. मी.वे ट्रांसमीटर हासिल करना	ट्रांसमीटर हासिल करना	तिथि	1	31.08.11	30.09.11	31.10.11	31.12.11	29.02.12	25.09.11	91.67	0.92
		(घ) दूरदर्शन–(1) त्रिपुरा और लेह में स्टुडियो परियोजनाएं	परियोजनाएं पूरी करना	तिथि	1	31.12.11	31.01.12	29.02.12	10.03.12	–	23.12.11	100.0	1.0
		(2) पूर्वोत्तर क्षेत्र में 5 अर्थ स्टेशनों का उन्नयन	कार्य पूरा करना	तिथि	1	31.12.11	31.01.12	29.02.12	31.03.12	–	29.02.12	80.0	0.8
		(3) 97 चैनलों के लिए डीटीएच प्लेटफॉर्म के उन्नयन के लिए एनआईटी जारी करना	एनआईटी जारी करना	तिथि	1	31.08.11	30.09.11	31.10.11	30.11.11	31.12.11	21.12.11	63.23	0.63
		(4) चार एचडीटीवी ट्रांसमीटरों के लिए एनआईटी जारी करना	एनआईटी जारी करना	तिथि	1	30.06.11	31.07.11	30.08.11	30.09.11	31.10.11	30.06.11	100.0	1.0
		(5) अमृतसर में 300 मेगावॉट का टॉवर लगाना	टॉवर लगाना	तिथि	1	31.12.11	31.01.12	29.02.12	31.03.12	–	30.11.11	100.0	1.0

6. सूचना–प्रसारण में नई चुनौतियों के अनुरूप विधायी प्रावधान	2	आम मनोरंजन चैनलों की विषय–वस्तु का आत्म–नियमन	आत्म–नियमन की प्रणाली विकसित करना	तिथि	2	31.08.11	30.09.11	31.10.11	30.11.11	31.12.11	30.06.11	100.0	2.0
7. समाजिक सशक्तीकरण के माध्यम के रूप में सामुदायिक रेडियो को लोकप्रिय बनाना	3	(क) राज्यों में संपर्क, कार्यशालाओं के जरिए सामु. रेडियो नीति और प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता	कार्यशालाओं की संख्या	संख्या	1	8	7	6	5	4	8	100.0	1.0
		(ख) 30.11.11 तक प्राप्त आवेदनों के लिए 31.3.12 तक सभी जरूरी मंजूरियों पर अन्तिम निर्णय लिया जाना	लम्बित आवेदनों पर कार्रवाई	प्रतिशत	1	90	85	80	70	60	100	100.0	1.0
		(ग) अबतक शामिल न किये गये राज्यों/के.शा. क्षेत्रों में कम से कम एक आशय पत्र जारी करना	ऐसे राज्यों/के.शा. क्षेत्रों की संख्या जहां आशय पत्र जारी किए गए	संख्या	1	3	2	1	–	–	2	90.0	0.9
8. अच्छे सिनेमा का निर्माण और प्रोत्साहन तथा फिल्म आंदोलन में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना	24	(क) 58वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का निर्णय	पुरस्कार दिया जाना	तिथि	3	31.12.11	15.01.12	31.01.12	15.02.12	29.02.12	09.09.11	100.0	3.0
		(ख) देश–विदेश में फिल्म सप्ताहों/समारोहों में भाग लेना	फिल्म समारोहों में भाग लेना	संख्या	2	50	45	40	35	30	61	100.0	2.0
		(ग) भारतीय पेनोरमा, 2011 के लिए फिल्मों का चयन	ज्यूरी द्वारा फिल्मों पर अन्तिम निर्णय	तिथि	2	31.10.11	10.11.11	15.11.11	20.11.11	25.11.11	18.10.11	100.0	2.0
		(घ) भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह, गोवा 2011	समारोह में विभिन्न देशों की भागीदारी	संख्या	2	55	50	44	39	33	67	100.0	2.0
		(ङ) अंतर्राष्ट्रीय वृत चित्र, लघु एवं एनिमेशन फिल्म समारोह	समारोह का आयोजन	तिथि	3	15.03.12	22.03.12	29.03.12	31.03.12	–	03.02.12	100.0	3.0
		(च) मुम्बई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना	संविदा प्रावधानों के अनुकूल काम पूरा होना	तिथि	2	01.12.11	15.12.11	30.12.11	15.01.12	01.02.12		लागू नहीं	लागू नहीं
		(छ) एनएफएआई से फिल्मों का अधिग्रहण, पुर्नस्थापन और डिजिटाइजेशन (1) फिल्म प्राप्ति	अधिगृहित, पुर्नस्थापित और डिजिटलीकृत फिल्मों की संख्या	संख्या	1	100	90	80	70	60	104	100.0	1.0

mís';	eku	dk;Z	lQyrk lwpd	bdkbZ	eku	y{;@ekunaM eY;					miyfC/k	in'ku	
						mRd"V	cgqr vPNk	vPNk	lkekU;	[kjkc		lkekU; Ldksj	ekuk;hd`r Ldksj
						100%	90%	80%	70%	60%			
		(2) फिल्में डिजिटाइज करना		संख्या	1	100	90	80	70	60	214	100.0	1.0
		(3) ठीक की गई फिल्मों का डिजिटाइजेशन		संख्या	1	50	45	40	35	30	130	100.0	1.0
		(ज) एनएफडीसी– मंत्रालय के करार के लक्ष्यों की प्राप्ति	करार के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति	प्रतिशत	2	100	90	80	70	60	100	100.0	2.0
		(झ) फिल्म प्रभाग द्वारा आउटसोर्सिंग से वृतचित्र–निर्माण	वृतचित्रों का निर्माण	संख्या	2	75	70	60	55	45	75	100.0	2.0
		(ट) पीएसबीटी (एनजीओ) के जरिए निजी–सरकारी साझेदारियों में 11वीं योजना की स्कीम के तहत फिल्म प्रभाग द्वारा वृतचित्र बनाना	वृतचित्रों का निर्माण	संख्या	2	20	18	16	14	12	35	100.0	2.0
		(ठ) फिल्म प्रभाग द्वारा बाहरी एजेंसी के जरिए 2009–11 में बनाए गये वृतचित्रों की गुणवत्ता और कथ्य का आकलन	कितनी फिल्मों का आकलन किया गया	संख्या	1	50	45	40	35	30	53	100.0	1.0
9. मीडिया और मनोरंजन क्षेत्रों में मानव संसाधनों का उन्नयन	6	(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों में आईआईएमसी खोलना	नये अमरावती (महाराष्ट्र) केन्द्र में पढ़ाई शुरू	तिथि	1	30.09.11	10.10.11	20.10.11	31.10.11	10.11.11	08.08.11	100.0	1.0
			नये आईजोल (मिजोरम) केन्द्र में पढ़ाई शुरू	तिथि	1	30.09.11	10.10.11	20.10.11	31.10.11	10.11.11	08.08.11	100.0	1.0
		(ख) राष्ट्रीय एनिमेशन, गेमिंग और विजुअल इफेक्ट केन्द्र की स्थापना	कैबिनेट मंजूरी के लिए कैबिनेट नोट भेजा जाना	तिथि	2	31.12.11	15.01.12	31.01.12	29.02.12	10.03.12		लागू नहीं	लागू नहीं
		एफटीआईआई पूणे का उन्नयन	प्रशासनिक मंजूरी दिया जाना	तिथि	2	31.12.11	15.01.12	31.01.12	29.02.12	10.03.12		लागू नहीं	लागू नहीं
*आरएफडी प्रणाली को कुशलता से लागू करना	3	(क) मंजूरी का मसौदा समय से पेश करना	समय से मसौदा पेश करना	तिथि	2	07.03.11	08.03.11	09.03.11	10.03.11	11.03.11	07.03.11	100.0	2.0
		(ख) समय से परिणाम पेश करना	समय से परिणाम पेश करना	तिथि	1	01.05.12	03.05.12	04.05.12	05.05.12	06.05.12	01.05.12	100.0	1.0

*मंत्रालय/विभाग की आंतरिक कुशलता/लोगों की जरूरतें समझने/सेवाएं प्रदान करने की स्थिति में सुधार	10	विभागीय गतिविधियों में भ्रष्टाचार की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान और भ्रष्टाचार दूर करने की कार्ययोजना	भ्रष्टाचार की आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान	तिथि	2	26.03.12	27.03.12	28.03.12	29.03.12	30.03.12		लागू नहीं	लागू नहीं
		सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1)(ब) का पालन सुनिश्चित करना	10.02.2012 तक जानकारी दिए गए मामलों की संख्या	संख्या	2	16	15	14	13	12	21	100.0	2.0
		आईएसओ 9001 प्रमाण ान लागू करने के लिए कार्ययोजना बनाना	ऐसी कार्ययोजना को अन्तिम रूप देना	तिथि	2	16.04.12	17.04.12	18.04.12	19.04.12	20.04.12	16.04.12	100.0	2.0
		सेवोत्तम लागू करना	(1) नागरिक चार्टर के संशोधित मसौदे की प्रस्तुति	तिथि	2	16.01.12	18.01.12	20.01.12	23.01.12	25.01.12	16.01.12	100.0	2.0
			(2) जनशिकायत निपटान प्रणाली का स्वतंत्र ऑडिट	प्रतिशत	2	100	95	90	85	80		लागू नहीं	लागू नहीं
*वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क का पालन सुनिश्चित करना	2	सीएजी की ऑडिट आपत्तियों पर कार्रवाई रिपोर्ट समय से प्रस्तुत करना	निर्धारित समय पर प्रस्तुत कार्रवाई रिपोर्टों का प्रतिशत (सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट पेश किए जाने के चार महीनों की अवधि में)	प्रतिशत	.5	100%	90%	80%	70%	60%	100	100.0	0.5
		लोकलेखा समिति (पीएसी) की रिपोर्टों पर लोकलेखा सचिवालय को समय पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करना	समय पर (पीएसी की संसद में रिपोर्ट पेश किए जाने के 6 महीने तक) कार्रवाई रिपोर्ट पेश करना	प्रतिशत	.5	100%	90%	80%	70%	60%	100	100.0	0.5
		31.03.2011 तक पेश की गई सीएजी रिपोर्टों की आपत्तियों की लंबित कार्रवाई रिपोर्टों का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटायी गई लंबित रिपोर्टों का प्रतिशत	प्रतिशत	.5	100%	90%	80%	70%	60%	100	100.0	0.5
		31.03.2011 तक की पीएसी रिपोर्टों की आपत्तियों की लंबित कार्रवाई रिपोर्टों का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान निपटायी गई लंबित रिपोर्टों का प्रतिशत	प्रतिशत	.5	100%	90%	80%	70%	60%	100	100.0	0.5

* vfuok;l mír';

lexz ;kx % 77-18

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खंड II का प्रकाशन रोका जाना

लोकसभा सचिवालय के ओ.एम. संख्या 61/2/ईसी/2009 दिनांक 18.12.2009 द्वारा सूचित संसदीय प्राक्कलन समिति की अनुशंसाओं के अनुसरण में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खण्ड II का प्रकाशन वर्ष 2008–09 से बंद कर दिया गया।

हालांकि यह मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in या www.mib.gov.in पर उसी प्रारूप में उपलब्ध है, जैसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के खण्ड II में पहले प्रकाशित किया जाता था।

गणतंत्र दिवस–2013 की परेड के दौरान 'भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष' विषय पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय की मनभावन झांकी